रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य और कार्यपद्धति

विषय

प्रस्तावना		ii
आभार		iv
अध्याय	***विवरण***	***पृष्ठ संख्या***
1	विश्व और भारत में केंद्रीय बैंकिंग का विकास	1
2	भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का विधिक ढांचा	8
3	मौद्रिक नीति की संरचना	22
4	बाजार परिचालन	34
5	वित्तीय स्थिरता	59
6	वित्तीय प्रणाली का अवलोकन	66
7	वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन	70
8	वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण	87
9	भारत में सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण	106
10	भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन और पर्यवेक्षण	120
11	आरबीआई में प्रवर्तन	149
12	वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन	157
13	भुगतान और निपटान प्रणाली: लेन-देन के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रदान करना	186
14	मुद्रा प्रबंधन	202
15	बैंकों का बैंक और सरकार का बैंकर	222
16	भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लोक ऋण प्रबंधन	235
17	भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन पत्र को समझना	242
18	विदेशी मुद्रा प्रबंध	262
19	विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन	276
20	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण	286
21	वित्तीय समावेशन और विकास	298
22	संस्थानों का विकास	313
23	अनुसंधान, सर्वेक्षण और डाटा प्रसार	318

प्रस्तावना

पिछले दशक में केंद्रीय बैंकों का महत्व कई गुना बढ़ गया है और इन संस्थाओं ने वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाली स्थितियों व परिस्थितियों के प्रति जवाबी कार्रवाई करने में सक्रिय ढंग से पहल की है। इन्होंने 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट और हाल ही की कोविड-19 वैश्विक महामारी-जन्य स्थिति का सामना करने में संबंधित अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन दिया है।

जहां तक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की भूमिका का सवाल है, 1 अप्रैल 1935 को अपनी स्थापना के बाद से अनेक आयामों को जोड़ते हुए (उदाहरण के लिए, हाल में आवास वित्त कंपनियों के विनियामक के रूप में), कई सुधार व उद्धार, कार्यात्मक पहलुओं में परिवर्धन और पुनर्रचना तथा नए विभागों/ वर्टिकलों के सृजन आदि को आत्मसात करते वह हुए विकसित हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में आरबीआई की एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्था होने के नाते, रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, आरबीआई के कार्यों व कार्यपद्धति को अपने मौजूदा स्वरूप में दस्तावेजबद्ध करने का प्रयास करता रहा है। सुधी पाठकों और विद्वानों को स्मरण होगा कि इस प्रकार का अंतिम संकलन 2017 में प्रकाशित किया गया था, जो कि 2010 में प्रकाशित पिछले प्रकाशनों का अद्यतन रूप है।

इस समीक्षापरक और अद्यतन सामग्री के पीछे कई कारक, जिनमें केंद्रीय बैंकिंग कार्यकलापों में तेजी से हो रहे बदलाव तथा बीच की इस अवधि में आरबीआई के भीतर विभागों व प्रभागों का पुनर्गठन आदि शामिल हैं। उनमें से प्रमुख हैं प्रवर्तन विभाग का सृजन, नए पर्यवेक्षी व विनयामकीय वर्टिकलों आदि का सृजन करते हुए कार्यक्षेत्रों में परिवर्तन/ परिवर्धन किया जाना। साथ ही, इस नए संस्करण में कार्यात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया गया है और ऐसे विनियमों को हटा दिया गया है जिनकी जगह नए विनियमों ने ले ली है (जैसे- दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी ऋणों के बदलते मानदंड, आदि) ताकि इसकी विषयवस्तु लंबे समय के लिए संगत रह सके। इस संशोधित संस्करण में अन्य कई महत्वपूर्ण बदलावों को भी स्थान दिया गया है, जैसे- आरबीआई द्वारा रुपया चलनिधि प्रबंधन के नए साधनों की शुरुआत, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) का पुनर्गठन, आरबीआई अधिनियम के अध्याय-।।। में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप एनबीएफसी से संबंधित प्रावधानों में बदलाव, आवास वित्त कंपनियों का विनियमन कार्य आरबीआई को सौंपा जाना, नई लोकपाल योजनाओं की शुरुआत,

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देशों में बदलाव, वित्तीय शिक्षण की राष्ट्रीय कार्यनीति की शुरुआत, आदि।

इस पुस्तक के अद्यतन संस्करण का अनावरण गवर्नर, आरबीआई के कर-कमलों से 3 जनवरी 2020 को आरबीएससी में किया गया। बैंक की राजभाषा नीति के अंतर्गत दायित्व को पूरा करने के लिए इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी किया गया। उम्मीद है कि यह अद्यतन संस्करण सूचनापरक साबित होगा तथा इसे और उपयोगी व अद्यतन बनाने के लिए हमें आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

आर केशवन

प्रधानाचार्य, रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय

आभार

भारतीय रिज़र्व बैंक की पूरी तरह से विकसित और वर्तमान में विकसित हो रहे कार्यों और कार्यपद्धति की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हुए इस प्रकार की प्रशिक्षण सामग्री को तैयार करना निश्चित रूप से यह इंगित करता है कि इस प्रकाशन में सम्मिलित रूप से गहन प्रयास किया गया है। तदनुसार, हम प्रकाशन की इस प्रक्रिया में शामिल सभी संकाय सदस्यों और अन्य सभी (विशेष रूप से हिंदी अनुवाद पर कार्य करने वाले आरबीएससी और क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के राजभाषा अधिकारियों) के अथक प्रयासों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिनकी सहायता के बिना इस पुस्तक के अद्यतन संस्करण को प्रकाशित करने में हम समर्थ नहीं हो पाते।

2. हम विभिन्न अध्यायों को अद्यतन करने में रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय के संकाय सदस्यों के कुशल प्रयासों की हार्दिक प्रशंसा करते हैं। आर सतीश, सतीश चंद्र रथ, एम के शुभश्री, एडविन प्रभु ए और हेमा चटर्जी की संपादकीय टीम द्वारा किए गए अथक प्रयास और परिश्रम विशेष उल्लेख के योग्य हैं। इनके दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अनुशासन के बिना यह संस्करण मूर्त रूप नहीं ले पाता। हिंदी संस्करण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्रीमती आर सुमा, राजभाषा अधिकारी (आरबीएससी), श्रीमती मायालक्ष्मी, श्री पंढरीनाथ और श्री श्याम सुंदर, क्षेत्रीय कार्यालय, भारिबैं, चेन्नै के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं।

3. जिस प्रकार से हम एक पूर्ण सेवा केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करते हैं उसे देखते हुए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विषयवस्तु में परिवर्तन होंगे और यह अद्यतन होगी। किसी भी प्रयास को अद्यतन और उसमें सुधार करने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। इस संबंध में पाठकों के सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। आप अपने सुझाव हमें principalrbsc@rbi.org.in पर मेल कर सकते हैं।

आर केशवन

प्रधानाचार्य

अध्याय 1: विश्व और भारत में केंद्रीय बैंकिंग का विकास

"समय के प्रारंभ से तीन महत्वपूर्ण आविष्कार किए गए हैं - आग, पहिया और केंद्रीय बैंकिंग"- विल रोजर्स

वर्ष 1668 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक के रूप में रिक्स बैंक की स्थापना के साथ केंद्रीय बैंकों का आविर्भाव सतरहवीं शताब्दी में हुआ। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में की गई। अमरीका का केंद्रीय बैंक, फेडरल रिज़र्व बैंक काफी समय बाद 1914 में स्थापित किया गया। भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 1935 से काम करना शुरू किया। बीसवीं शताब्दी तक केवल अठारह केंद्रीय बैंक कार्यरत थे। आज अधिकांश देशों में उनके अपने केंद्रीय बैंक हैं ।

केंद्रीय बैंक नियमित बैंकों की श्रेणी में नहीं आते। वे अपने कार्यों और अपने उद्देश्यों के कारण अलग विशिष्टता रखते हैं। शुरूआत में केंद्रीय बैंकों की स्थापना युद्ध के समय अपने देश की सरकार को वित्त उपलब्ध कराने और उसके ऋणों का प्रबंधन करने के प्रयोजन से की गई थी। प्रारंभ में उन्हें निर्गम बैंक के नाम से जाना जाता था। 'केंद्रीय बैंक' नाम उन्हें उन्नीसवीं शताब्दी में मिला। उनकी स्थापना "विशेष वाणिज्यिक बैंकों" के रूप में की गई थी । सरकारी क्षेत्र की संस्था वे बहुत बाद में बने। इन बैंकों का "विशेष स्वरूप" सरकारी चार्टरों पर आधारित था जिनमें उन्हें सरकार के मुख्य बैंकर का रूप देने के अलावा नोट या करेंसी जारी करने का एकाधिकार भी दिया गया था। सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न रहते हुए केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के खातों के रखरखाव का काम भी करते थे। अपनी "विशेष स्थिति और आकार" के कारण वे शीघ्र ही बैंकों के बैंक के रूप में काम करने लगे और बैंकों के बीच लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराने लगे।

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में कई बार वित्तीय भय और घबराहट की स्थितियां बनीं। इनसे उत्पन्न खलबली एक गंभीर समस्या है क्योंकि एक बैंक के फेल होने से अन्य बैंकों के फेल होने का अंदेशा उत्पन्न हो जाता है। बैंक अपने तुलन-पत्र के स्वरूप के कारण, डर और घबराहट की वजह से बैंकों से पैसा निकालने की भगदड़ से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। उनकी देयताएं अल्पकालीन और नकदी वाली होती हैं (बैंकों की प्रमुख देयताएं मांग जमाराशियां होती हैं, जिसका मतलब यह होता है कि जमाकर्ता बैंक में जमा अपनी राशि जब चाहे तब निकाल सकता है और इसलिए वे

तुरंत देय हो जाती हैं) जबकि उनकी आस्तियां दीर्घकालीन और अनकदी वाली होती हैं (इसका अर्थ यह हुआ कि बैंकों के लिए उन्हें तुरंत बेचना और नकदी में बदलना आसान नहीं होता है)। बैंक अपने उपलब्ध संसाधनों को जमाकर्ताओं और ऋणकर्ताओं के बीच कारगर तरीके से आबंटित करने के लिए तथाकथित परिपक्वता और चलनिधि के रूपांतरण में लगे रहते हैं। बैंकों का फेल होना और अर्थव्यवस्था पर उसका संभावित विपरीत प्रभाव पड़ना नीति-निर्माताओं के लिए पहले भी चिंता का विषय था और आज भी बना हुआ है। वर्ष 1873 में "इकॉनामिस्ट" पत्रिका के एक संपादक वाल्टर वेगहॉट ने एक पुस्तक "लोम्बार्ड स्ट्रीट" प्रकाशित की थी जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया था कि इस प्रकार के भय और घबराहट से बचने के लिए केंद्रीय बैंकों को "अंतिम ऋणदाता" की भूमिका निभानी चाहिए। वेगहॉट सिद्धांत के नाम से विख्यात इस सिद्धांत के अनुसार भय, घबराहट और संकट के समय केंद्रीय बैंकों को अच्छी जमानत पर मुक्त हस्त से दंडात्मक ब्याज दर पर ऋण देने चाहिए। विचार यह है कि जो बैंक जमाकर्ताओं द्वारा या अन्य ऋणदाताओं द्वारा पैसे निकालने की भगदड़ से त्रस्त है, वह ऐसे समय केंद्रीय बैंक से जमानत पर उधार लेकर अस्थायी नकदी की कमी की समस्या से निजात पा सके, अपने जमाकर्ताओं को भुगतान कर सके और स्थिति सामान्य होने तक उसे कुछ समय मिल सके। बैंकों से जमाराशि निकालने की भगदड़ स्वत: पूर्वावस्था में आने की प्रवृत्ति रखती है। यदि बैंक बिना दिवालिया हुए इस अवधि को निकाल लेते हैं तो संकट का निवारण किया जा सकता है। यह देख कर कि बैंक जमाकर्ताओं का पैसा आसानी से लौटा रहा है, पैसे निकालने की लाइन में इंतजार कर रहे अन्य जमाकर्ताओं की हड़बड़ी समाप्त हो जाएगी और वे अपना विचार बदल सकेंगे। अंतिम ऋणदाता की सुविधा के अभाव में बैंकों को अपनी देयताओं की चुकौती के लिए हड़बड़ी में अपनी आस्तियां औने-पौने दामों में बेचनी होंगी। इस प्रकार, सरकार के बैंकर और बैंकों के बैंक होने के अलावा केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता की भूमिका में भी आ गए।

केंद्रीय बैंक का मुख्य ध्येय समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। समष्टि-आर्थिक स्थिरता से तात्पर्य स्थिर और धारणीय संवृद्धि दर तथा मूल्य स्थिरता प्राप्त करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुद्रास्फीति कम और सुस्थिर हो। दूसरी ओर, वित्तीय स्थिरता से तात्पर्य ऐसी वित्तीय प्रणाली बनाए रखने से है जिसमें लोच हो और जो वित्तीय संकटों से बचाए रख सके। इन उद्देश्यों का सापेक्षिक महत्व समय के साथ-साथ बदलता रहता है। जहां स्वर्णमान के आगमन के साथ उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ से केंद्रीय बैंकों का मूल लक्ष्य धारणीय आर्थिक संवृद्धि तथा निम्न

और सुस्थिर मुद्रास्फीति बनाए रखना रहा है, वहीं 1930 के दशक की महामंदी के बाद वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य ने प्रमुख स्थान ले लिया क्योंकि उस दौरान विश्वभर में बड़ी संख्या में बैंक फेल हुए थे और भारी मंदी का सामना करना पड़ा था।

समष्टि-आर्थिक स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केंद्रीय बैंकों के पास कुछ साधन होते हैं। आर्थिक स्थिरता के लिए केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का उपयोग करते हैं। अल्पकालीन ब्याज दरों को बढ़ा कर या घटा कर वे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करते हुए आर्थिक गतिविधियों और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हासिल करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और मुद्रास्फीति की दर काफी उच्च है तो केंद्रीय बैंक जिस दर पर बैंकों को उधार देता है, उसमें वृद्धि कर देगा। इस वृद्धि का प्रभाव आवास ऋण, उपभोक्ता ऋण जैसे ऋणों पर ब्याज दर में वृद्धि के रूप में सामने आएगा। चूंकि इससे उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी, अत: उपभोग और निवेश हतोत्साहित होंगे जिससे आर्थिक संवृद्धि तथा मुद्रास्फीति में गिरावट आएगी। दूसरी ओर, यदि अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से बढ़ रही हो या मुद्रास्फीति की दर काफी कम हो तो केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दर को घटा देगा। इससे अन्य दरें भी नीचे आएंगी और उपभोग तथा निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे आर्थिक संवृद्धि तथा मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। दोनों ही स्थितियों में उद्देश्य धारणीय आर्थिक संवृद्धि तथा निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति हासिल करना है। इसीलिए केंद्रीय बैंक के बारे में अकसर यह कहा जाता है कि “यह न तो विज्ञान है और न ही कला, इसे शिल्पकला कहा जा सकता है।“

वित्तीय स्थिरता से निपटने के लिए, केंद्रीय बैंकों का मुख्य साधन चलनिधि का प्रावधान है। यह साधन, जैसा कि पहले बताया गया है, "अंतिम ऋणदाता" के रूप में जाना जाता है। कुछ केंद्रीय बैंक, जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग विनियामक भी हैं, वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक अन्य साधन अर्थात विनियमन और पर्यवेक्षण का प्रयोग करते हैं। विवेकपूर्ण नियमों और सिद्धांतों को स्थापित करके और इन नियमों और सिद्धांतों के पालन के लिए बैंकों की जांच और निगरानी करके, केंद्रीय बैंक एक स्वस्थ और सुदृढ़ बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली बनाने का लक्ष्य रखते हैं। एक लचीली और सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली शुरूआत में ही वित्तीय संकट की संभावनाओं को कम कर देगी। कई देशों में विनियामक और पर्यवेक्षी भूमिकाएं अलग-अलग एजेंसियों द्वारा निभाई जाती हैं और इसलिए ऐसे देशों में यह केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं हो सकता।

वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधि के अंतर्राष्ट्रीयकरण से कई जोखिम उठ खड़े हुए हैं। वर्ष 1974 में दो बैंकों, यूएस में फ्रेंकलिन नेशनल बैंक तथा जर्मनी में बैंक हर्स्टेट के फेल होने के बाद उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को देखते हुए केंद्रीय बैंकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वयन की जरूरत आन पड़ी थी। इसके बाद ही बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बासेल समिति (बीसीबीएस) की स्थापना की गई। यह समिति अंतर्राष्ट्रीय विनियमन मानक तय करती है जिन्हें बासेल मानदंड के नाम से जाना जाता है, ये सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विनियमनों के लिए आधार का काम करते हैं।

वर्ष 2007-08 के वित्तीय संकट के बाद केंद्रीय बैंकों को उपलब्ध उपायों में वृद्धि की गई है। इन्हें सामान्यत: "गैर-परंपरागत उपायों" के नाम से जाना जाता है, जिससे यह पता चलता है कि इनका उपयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। संकट का सामना करने और उसके बाद की स्थितियों से निपटने के लिए ऐसे जिन उपायों का सहारा लिया जाता है उनमें मात्रात्मक या ऋण सुलभता, ऋणात्मक ब्याज दर, अग्रिम मार्गदर्शन आदि जैसे उपाय शामिल हैं। संकट के समय बाजारों के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में केंद्रीय बैंक "मार्केट मेकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट" भी बन गए। इन अवधारणाओं की व्याख्या आगे के अध्यायों में की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक का विकास

भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) का प्रादुर्भाव 1926 में देखा जा सकता है, जब भारतीय करेंसी और वित्त पर रॉयल कमीशन ने - जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है - यह सिफारिश की थी कि करेंसी और ऋण नियंत्रण को सरकार से अलग करने और पूरे देश में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने की दृष्टि से भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई और समस्त प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए इसने 1935 में काम करना शुरू किया। उसके बाद से रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्यों में भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के परिवर्तनों के साथ-साथ बदलाव आया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की शुरूआत निजी शेयरधारक बैंक के रूप में हुई थी जिसका 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, जिसके अंतर्गत इसका गठन किया गया था, की प्रस्तावना में इसके गठन का उद्देश्य था - "बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना और इस बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित निधियों का रखरखाव करना कि भारत में मौद्रिक स्थिरता बनी रहे तथा देश की करेंसी और ऋण प्रणाली का परिचालन देश के लाभ के लिए किया जा सके।" उक्त अधिनियम के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक का मुख्य उद्देश्य मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, अर्थात् देश की मुद्रा के मूल्य में सतत विश्वास बनाए रखना या दूसरे शब्दों में, मुद्रा की क्रय-शक्ति को बनाए रखना है। अंततः इसका अर्थ निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति बनाए रखना है, चाहे यह मुद्रास्फीति घरेलू कारणों से या मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न हुई हो या फिर आपूर्ति संबंधी बाधाओं या मांग के दबावों से उत्पन्न हुई हो। इसके अलावा, वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को दो और महत्वपूर्ण काम सौंपे गए हैं -समावेशी संवृद्धि तथा विकास।

ऐसे देश में जहां समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी गरीबी में अपना जीवन यापन करता है, समावेशी संवृद्धि का महत्व बहुत बढ़ जाता है। गरीबी-उन्मूलन तथा आय की असमानता दूर करने के लिए वित्त तक पहुंच होना अनिवार्य है। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक का एक मूल कार्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है जो समावेशी संवृद्धि की ओर ले जाता है। विकासशील देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक की जिम्मदारियों में वित्तीय बाजारों और संस्थाओं का विकास करना भी शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक का एक मुख्य उद्देश्य वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाना तथा उनकी लोच और चलनिधि में वृद्धि लाना है ताकि वे भारत की संवृद्धि के वित्तपोषण में निहित जोखिमों का वितरण और सामना कर सकें।

भारत की वित्तीय प्रणाली में बैंकों का बड़ा हिस्सा है, अतः जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, दोनों की दृष्टि से बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण जरूरी है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में कार्यरत बैंकों के लिए विनियामक नीतियां बनाता है और उन्हें कार्यान्वित करता है। पिछले वर्षों में गैर-बैंकिंग निकायों को भी विनियमन और पर्यवेक्षण के दायरे में लाकर इसका दायरा बढ़ाया गया है।

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद की वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से यह अपरिहार्य हो गया कि दुर्लभ विदेशी मुद्रा को सरकारी हस्तक्षेप और आबंटन द्वारा संरक्षित किया जाए। प्रारंभ में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, 1939 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा लेनदेन का विनियमन किया, बाद में यह कार्य विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के अंतर्गत किया जाने लगा। आगे चल कर अर्थव्यवस्था के परिपक्व होने के साथ-साथ यह भूमिका विदेशी मुद्रा के विनियमन के बजाय विदेशी मुद्रा के प्रबंधन में बदल गई।

भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में वर्ष 1991 में भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा का अभूतपूर्व संकट उपस्थित हुआ। देश की मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के केंद्र में होने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त संकट से उबरने में मुख्य भूमिका अदा करते हुए सरकार को समर्थन और सहयोग प्रदान किया तथा यथावश्यक बाजार और विनियामक सुधार लागू किए। सुधार युग के अंतर्गत अपनाए गए दृष्टिकोण में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की दिशा में जोर देना और विद्यमान और उभरती संस्थाओं और बाजार सहभागियों को सुदृढ़ करने के ठोस प्रयास शामिल थे। बैंक ने विवेकशील विनियमन, बैंकिंग प्रौद्योगिकी, मौद्रिक नीति के उपायों में विविधता, बाह्य क्षेत्र प्रबंधन तथा मुद्रा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों को लागू किया ताकि नई नीतिगत संरचना को कारगर बनाया जा सके।

केंद्रीय बैंक देश की भुगतान और निपटान प्रणालियों के दिल की तरह होता है। "केंद्रीय बैंकों का एक प्रमुख कार्य देश की मुद्रा में जनता के विश्वास के संरक्षण का होता है और यह विश्वास आर्थिक एजेंटों की इस क्षमता पर टिका होता है कि वे मुद्रा और वित्तीय साधनों को भुगतान और निपटान प्रणालियों के जरिए कितनी सहजता से और सुरक्षित रूप से अंतरित कर पाते हैं"[1]। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक सुदृढ़ और नवीनतम भुगतान और निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनसे वित्तीय प्रणाली की कमियां तो दूर हुई ही हैं, उसमें स्थिरता भी आई है।

---

[1] बैंक ओवरसाइट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, बीआईएस, मई 2005

विगत ढाई दशक में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के विश्व के साथ एकीकरण में निरंतर वृद्धि हुई है। जहां बढ़ते एकीकरण के लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि का दायरा बढ़ने और पैमाने में विस्तार के रूप में सामने आते हैं, वहीं वैश्विक आघातों का प्रभाव भारत तक पहुंचने की संभावना को भी बढ़ाते हैं। वर्ष 2007-08 के संकट ने यह झलक दिखाई कि किस प्रकार दूसरे देशों की वित्तीय अस्थिरता हमारी वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। अत: वित्तीय स्थिरता बनाए रखना भारतीय रिज़र्व बैंक का और भी महत्वपूर्ण कार्य बन गया है।

अध्याय 2: भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों का विधिक ढांचा

विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों की संरचना, भूमिकाएं तथा जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं जो उनकी उत्पत्ति तथा उनके द्वारा निभाए जाने वाले भिन्न कार्यों से स्वत: स्पष्ट है। केंद्रीय बैंकों की स्थापना और अधिदेशों को शासित करने वाले कानून भी समान नहीं हैं हालांकि वे विश्व भर में केंद्रीय बैंकों के कार्यों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में, केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकारी भारतीय रिज़र्व बैंक है जिसका गठन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (भारिबैं अधिनियम) के अंतर्गत किया गया है और इसके कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों का स्रोत यही अधिनियम है। लेकिन, भारतीय रिज़र्व बैंक जिन कार्यों का निर्वहन कर रहा है, वे इस अधिनियम[2] तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका विस्तार अन्य कई अधिनियमों तक है। इस अध्याय में हम भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यों तथा संबंधित कानूनों का सविस्तार अध्ययन करेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक - विधिक पृष्ठभूमि

भारतीय करेंसी और वित्त पर रॉयल कमीशन की सिफारिशों के अनुसरण में भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना हेतु 1927 में लेजिस्लेटिव असेंबली में एक विधेयक पेश किया गया था जिसे विभिन्न संवर्ग के लोगों के बीच सहमति न बन पाने के कारण बाद में वापस ले लिया गया। उसके बाद भारतीय संवैधानिक सुधारों पर प्रस्तुत श्वेत-पत्र (1933) में भारतीय रिज़र्व बैंक स्थापित करने की सिफारिश की गई। इसके आधार पर लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर से एक नया विधेयक पेश किया गया जिसे पारित कर दिया गया और उसे 6 मार्च, 1934[3] में गवर्नर जनरल की सम्मति भी प्राप्त हो गई। इसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम अस्तित्व में आया और भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01 अप्रैल, 1935 से पांच करोड़ रुपये की चुकता पूंजी के साथ निजी शेयरधारक बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया।

[2] आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 17
[3] स्रोत: आरबीआई वेबसाइट, 'भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास'

लक्ष्य और उद्देश्य - प्रस्तावना

जिन प्रयोजनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना देश के केंद्रीय बैंक के रूप में की गई, उनका उल्लेख भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की प्रस्तावना में निम्नानुसार किया गया है -

i. *बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से आरक्षित निधियों का रखरखाव करना तथा देश की करेंसी और ऋण प्रणाली का परिचालन इसके लाभ के लिए करना, तथा*

ii. *बढ़ती जटिलताओं वाली अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति बनाना अनिवार्य हो जाता है, मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना होगा।*[4]

इस प्रकार, वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित भारिबैं अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना तथा जटिल होती अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटना है। लेकिन, भारिबैं जो कार्य करता है वे केवल भारिबैं अधिनियम के प्रावधानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि वे विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, सरकारी प्रतिभूतियों का प्रबंधन, भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण आदि तक फैले हुए हैं। इन कार्यों को करने के लिए इसे विभिन्न कानूनों जैसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, सरकारी प्रतिभूतियां अधिनियम, 2006, भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 आदि से शक्तियां प्राप्त होती हैं।

बैंकिंग कार्य - विधिक पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों और कारोबार पर सामान्य पर्यवेक्षण और दिशानिर्देशन का कार्य केंद्रीय बोर्ड[5] को सौंपा जाएगा जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सरकारी नामितियों की तथा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के बोर्ड की अध्यक्षता गवर्नर द्वारा की जाती है और उनकी सहायता के लिए उप-गवर्नरों की नियुक्ति की

[4] कृपया भारतीय वित्त अधिनियम 2016 पढ़ें, जिसकी प्रस्तावना में संशोधन और नए अध्याय-।।।-एफ के ज़रिए आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया है।

[5] कृपया आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 7 पढ़ें।

जाती है जिनकी संख्या चार से अधिक नहीं हो सकती[6]। यह बोर्ड वे सभी कार्य और चीजें कर सकता है और उन समस्त शक्तियों का उपयोग कर सकता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जा सकती हैं। उक्त अधिनियम की धारा 17 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग कारोबार कर सकता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति से बिना ब्याज के जमाराशियां स्वीकार करना शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक जो अन्य कारोबार कर सकता है, उनका उल्लेख भी उक्त उपबंध में किया गया है। इसके अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से बिना ब्याज के जमाराशियां स्वीकार कर सकता है, विनिमय बिलों का क्रय-विक्रय और पुनर्भुनाई कर सकता है, बैंकों और अन्य संस्थानों को अल्पकालीन ऋण और अग्रिम दे सकता है, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियों में अंशदान कर सकता है, व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) का लेनदेन, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम आदि के शेयरों की खरीद-बेच कर सकता है, विशेष प्रयोजनों के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास जमाराशियां रख सकता है, बैंक नोट बनाने और निर्गम आदि का काम कर सकता है।[7]

इसी प्रकार धारा 18 उसे "अंतिम ऋणदाता" की भूमिका निभाने का अधिकार देती है। धारा 19 में ऐसे कार्यों की सूची दी गई है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नहीं किए जा सकते। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक के उपबंध उसे सरकार के बैंकर तथा बैंकों के बैंक का कार्य करने के लिए अधिकृत करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 20 और 21 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक का क्रमश: यह दायित्व और अधिकार है कि वह सरकार के खातों में जमाराशियां स्वीकार करे और उसके खातों में जमाराशि की सीमा तक उसकी ओर से भुगतान करे, केंद्र सरकार के लोक ऋण के प्रबंधन सहित, उसके विनिमय, विप्रेषण तथा अन्य बैंकिंग परिचालनों का संपादन करे। राज्य सरकारों के मामले में, उक्त अधिनियम की धारा 21-ए के उपबंधों के अनुसार उक्त बैंकिंग कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक और संबंधित राज्य सरकार के बीच करार करके किए जा सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक और राज्य सरकारों के बीच किए गए ऐसे करार सांविधिक होते हैं क्योंकि करार होते ही उन्हें संसद के समक्ष रखा जाना अनिवार्य होता है।

---

[6] कृपया आरबीआई अधिनियम,1934 की धारा 8 पढ़ें।

[7] कृपया पूरी जानकारी के लिए आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 17 पढ़ें।

निर्गम कार्य - विधिक पृष्ठभूमि

बैंक नोट जारी करना उन प्रमुख कार्यों में से एक है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा गया गया है[8]। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के अनुसार इसे बैंक नोट जारी करने का एकाधिकार दिया गया है। बैंक नोटों के निर्गम का काम निर्गम विभाग द्वारा किया जाएगा जो बैंकिंग विभाग से पूर्णत: अलग एक विभाग होगा[9]। बैंक नोटों के मूल्यवर्गों के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त अधिनियम के अंतर्गत मिला हुआ है। ये नोट दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये, सौ रुपये, पांच सौ रुपये, एक हजार रुपये, पांच हजार रुपये तथा दस हजार रुपये मूल्यवर्ग के अथवा दस हजार रुपये से अनधिक मूल्यवर्ग के होंगे[10]। बैंक नोटों का डिजाइन, आकार तथा सामग्री भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे[11]। प्रत्येक बैंक नोट भारत में हर स्थान पर विधिमान्य होगा, लेकिन केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर किसी भी मूल्यवर्ग की किसी भी सीरीज़ को केंद्र सरकार द्वारा "विधिमान्य नहीं" करार दिया जा सकेगा[12]। अन्य महत्वपूर्ण कार्य खराब और कटे-फटे नोटों को बदलने का है जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत अधिकार न होकर सदाशयता (ग्रेस) है[13]। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले बैंक नोटों पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जाता[14] ।

मौद्रिक नीति कार्य - विधिक पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय III एफ[15] में मौद्रिक नीति संरचना और मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय किया जाएगा जिसे सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाना है।[16] इसी प्रकार, सरकारी गजट में अधिसूचना

---

[8] पूरी जानकारी के लिए कृपया आरबीआई अधिनियम, 1934 का अध्याय ।।। देखें।
[9] कृपया आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 23 देखें।
[10] कृपया आरबीआई अिधनियम, 1934 की धारा 24 देखें
[11] कृपया आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 25 देखें
[12] आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 26
[13] आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 28
[14] आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 29
[15] वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा पुरस्थापित
[16] आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 – जेडए

द्वारा केंद्र सरकार मौद्रिक नीति समिति का गठन करेगी[17] जिसमें - (क) भारतीय रिज़र्व बैंक का गवर्नर; (ख) मौद्रिक नीति का प्रभारी भारिबैं का उप-गवर्नर; (ग) केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारिबैं का एक अधिकारी; (घ) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति; सदस्य होंगे।[18] मौद्रिक नीति समिति को मुद्रास्फीति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपेक्षित नीतिगत दर निर्धारित करने का सांविधिक कर्तव्य सौंपा गया है। इस समिति का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक पर बंधनकारी होगा और वह मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की व्याख्या करते हुए दस्तावेज प्रकाशित करेगा[19]। इस कानून का उद्देश्य यह है कि समिति-आधारित दृष्टिकोण मौद्रिक नीति संबंधी निर्णयों में काफी गुणवत्ता और पारदर्शिता लाएगा। इस समिति की वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएंगी और हर बैठक के बाद इसके निर्णयों को प्रकाशित किया जाएगा[20]।

लोक ऋण कार्य - विधिक पृष्ठभूमि

भारत की संसद ने सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (जीएस अधिनियम) इस *उद्देश्य से पारित किया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और उनके प्रबंधन से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित किया जा सके।*[21] यह अधिनियम केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी प्रतिभूतियों पर लागू होता है[22]। यह अधिनियम लोक ऋण के प्रबंधन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई जानेवाली क्रियाविधि तथा तरीका निर्धारित करने के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में यदि कोई संदेह हो तो उसे सरकारी प्रतिभूतियों के स्वत्वाधिकार का निर्धारण करने की शक्ति भी प्रदान करता है।[23] साथ ही इस अधिनियम की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिये गए किसी भी निर्णय पर, उसमें दिए गए कारणों पर, कोई भी न्यायालय प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकता। इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक के लोक ऋण संबंधी कार्य लोक ऋण अधिनियम, 1944 के उपबंधों से शासित होते थे। लेकिन, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम ने लोक ऋण अधिनियम, 1944

[17] आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-जेडबी
[18] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-जेडबी
[19] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-जेडजे
[20] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-जेडके
[21] सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की प्रस्तावना
[22] कृपया सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 1 देखें
[23] कृपया सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 12 देखे

को पूरी तरह समाप्त नहीं कर दिया है। यह सरकारी प्रतिभूति अधिनियम की धारा 31 से स्पष्ट है, जो यह कहती है कि लोक ऋण अधिनियम, 1944 उन सरकारी प्रतिभूतियों लागू नहीं रहेगा जिन पर यह अधिनियम (सरकारी प्रतिभूति अधिनियम) लागू होता है और उन सभी मामलों पर लागू नहीं रहेगा जिनके लिए जीएस अधिनियम के अंतर्गत उपबंध किए गए हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन - विधिक पृष्ठभूमि

भारत में विदेशी व्यापार और भुगतान, विदेशी मुद्रा बाजार के विकास और रखरखाव संबंधी शक्तियां और जिम्मेदारियां विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदान की गई हैं। फेमा की धारा 10 भारतीय रिज़र्व बैंक को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी प्रतिभूतियों में व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति को प्राधिकृत व्यापारी, मुद्रा परिवर्तक अथवा अपतटीय बैंकिंग इकाई अथवा उपयुक्त समझे गए किसी अन्य रूप में प्राधिकृत कर सके। इसी प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक को जनहित में या फिर प्राधिकरण की किसी शर्त का उल्लंघन करने पर या फेमा के किसी उपबंध अथवा किसी अन्य नियम, विनियम, अधिसूचना, निदेश अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने पर उसका प्राधिकरण रद्द करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं। लेकिन, फेमा में निर्धारित क्रियाविधि अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों का पालन करने के बाद ही भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त प्राधिकरण को रद्द कर सकता है। उल्लंघनों और दंडों का उल्लेख फेमा की धारा 13 में किया गया है और फेमा की धारा 15 के अंतर्गत ऐसे उल्लंघनों को प्रशमित (कंपाउंड) करने की शक्तियां भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदान की गई हैं।

बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण - विधिक पृष्ठभूमि

भारत में विभिन्न प्रकार के बैंक हैं नामतः बैंकिंग कंपनियां (बैंक जो कंपनियां हैं और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा विनियमित हैं), भारतीय स्टेट बैंक (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा गठित), राष्ट्रीयकृत बैंक (बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा गठित), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत गठित) और सहकारी बैंक (बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत या राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत गठित)। यद्यपि भारिबैं को

देश में सभी प्रकार के बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है, लेकिन विभिन्न बैंकों के प्रति इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां एक समान नहीं हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण की शक्तियां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदान की गई हैं। हालांकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह अधिनियम बैंकिंग से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए बनाया गया है लेकिन बैंकिंग नीति[24] बनाने, बैंकिंग कार्य को विनियमित और पर्यवेक्षित करने, आदि जैसी भारिबैं की शक्तियां बीआर अधिनियम, 1949 में अनेक स्थानों पर दी गई हैं। बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 5(सीए) के अनुसार बैंकिंग नीति से तात्पर्य ऐसी नीति से हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली या मौद्रिक स्थिरता या सुदृढ़ आर्थिक संवृद्धि के हित में या फिर जमाकर्ताओं के हित में या बैंकों की जमाराशियों और अन्य संसाधनों को बढ़ाने तथा इन जमाराशियों और संसाधनों का समान वितरण तथा उनका कारगर उपयोग करने की दृष्टि से, समय-समय पर बनाया जाता है। यदि किसी बैंकिंग कंपनी के अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना की जाता है तो वह प्रभावी नहीं होगी।[25] इसी प्रकार, प्रबंध-तंत्र पर नियंत्रण की दृष्टि से बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 36-एबी में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग कंपनियों के निदेशक-मंडलों में अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है। बीआर अधिनियम 1949 की धारा 36-एए में कुछ स्थितियों में किसी बैंकिंग कंपनी के कार्यपालकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने की शक्तियां भी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, उक्त अधिनियम में बैंकिंग कंपनियों के निदेशक-मंडलों को अधिक्रमित करने की शक्ति भी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदान की गई है।

हालांकि बैंकों के मामलों का सूक्ष्म प्रबंधन करना रिज़र्व बैंक की भूमिका नहीं है लेकिन इसे बैंककारी कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों को नियंत्रित करने की शक्तियां हैं।[26] बीआर अधिनियम 1949 की धारा 22 बैंककारी कंपनी को लाइसेंस देने और उसे निरस्त करने का

[24] कृपया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सीए) अधिनियम देखें
[25] बीआर अधिनियम 1949 की धारा 35 बी
[26] बीआर अधिनियम की धारा 21 देखें

अधिकार भी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदान करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक को जो एक अन्य महत्वपूर्ण विनियामक अधिकार दिया गया है, वह है बैंककारी कंपनियों को निदेश देने का अधिकार। भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35-ए के तहत जनहित में या बैंकिंग नीति के हित में या जमाकर्ताओं के हित के विपरीत किए जा रहे किसी बैंकिंग कंपनी के कार्यों पर रोक लगाने के लिए या किसी बैंकिंग कंपनी के हितों के विपरीत किए जा रहे कार्यों को प्रतिबंधित करने के लिए या फिर किसी बैंकिंग कंपनी के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग कंपनियों को निदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए बैंकिंग कंपनियों को निदेश जारी करने की शक्तियां भारिबैं को प्रदान की गई हैं।[27] पर्यवेक्षीय शक्तियों के एक भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक स्वयं या फिर केंद्र सरकार के कहने पर बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 के उपबंधों के अंतर्गत बैंकिंग कंपनियों का निरीक्षण कर सकता है[28]। *इस प्रकार, मौद्रिक स्थिरता और आर्थिक संवृद्धि में सुधार लाने तथा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से* भारतीय रिज़र्व बैंक पर बैंकिंग कंपनियों की समग्र देखभाल करने का दायित्व सौंपा गया है[29]।

बीआर अधिनियम की धारा 51 में उल्लिखित कुछ उपबंध ही भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू होंगे। सहकारी बैंकों के मामले में बीआर अधिनियम के उपबंध इसी अधिनियम की धारा 56 में उल्लिखित संशोधनों के अधीन लागू होंगे।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन और पर्यवेक्षण - विधिक पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक को जो महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, उनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन और पर्यवेक्षण शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-आइए के अनुसार प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है और अपना कार्य शुरू करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित

[27] बीआर अधिनियम की धारा 35एबी देखें
[28] कृपया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 देखें
[29] जनता सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (एआईआर 1993 बंबई 252)

किए गए अनुसार निवल स्वाधिकृत निधि बनाए रखनी होती है[30]। साथ ही, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर विनियमन और पर्यवेक्षण के एक भाग के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों[31] द्वारा विवरण-पत्र या विज्ञापन जारी करके जमाराशियां आमंत्रित करने को प्रतिबंधित करने, उनके लिए नीति निर्धारित करने तथा निदेश जारी करने का अधिकार भी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदान किया गया है।[32] साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-एल के अनुसार इसमें उल्लिखित कारणों के लिए रिज़र्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जानकारी मंगाने और उन्हें निदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर पर्यवेक्षीय नियंत्रण के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45-एन के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को उनके निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है।

सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण - विधिक पृष्ठभूमि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संघ और राज्य की विधायी शक्तियों का उल्लेख संविधान की VII अनुसूची की तीन सूचियों में किया गया है अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन का उल्लेख राज्य सूची[33] तथा बैंकिंग का उल्लेख संघ सूची में किया गया है।[34] इसके परिणामस्वरूप सहकारी बैंकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक तथा संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अर्थात् दोनों का क्षेत्राधिकार होता है। जनता सहकारी बैंक लि. बनाम महाराष्ट्र राज्य[35] के मामले में माननीय बंबई उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि "*सहकारी समिति, चाहे वह सहकारी बैंकिंग समिति हो या कोई अन्य, के प्रबंधन पर नियंत्रण, रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का होता है, पर जहां तक बैंकिंग का संबंध है, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35-ए के साथ पठित इसी अधिनियम की धारा एस-56 के अनुसार यह एक ऐसा विषय है, जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्ण अधिकार है।*"

30 विस्तृत उपबंधों के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का अध्याय III-बी देखें
31 कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45-जे देखें
32 कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45-जेए देखें
33 कृपया भारत के संविधान की अनुसूची VII की सूची II की प्रविष्टि सं.32 देखें
34 कृपया भारत के संविधान की अनुसूची VII की सूची I की प्रविष्टि सं.45 देखें
35 एआइआर 1993, बंबई 252

27 जून, 2020 को घोषित बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 सहकारी बैंकों के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करना चाहता है । अध्यादेश में कहा गया है कि बीआर अधिनियम प्राथमिक कृषि साख समितियों और सहकारी समितियों के लिए लागू नहीं होगा जिनके प्रमुख व्यवसाय कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण है। इसके अलावा, ये समितियाँ शब्द जैसे बैंक, बैंकर, या बैंकिंग उनके नाम या उनके व्यवसाय के संबंध में उपयोग नहीं करेंगे और चेक समाशोधन करने वाली इकाई के रूप में कार्य करेंगी । यह अध्यादेश प्रदान करता है कि सहकारी बैंक अपने क्षेत्र के संचालन के भीतर अपने सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति को अंकित मूल्य पर या प्रीमियम पर इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर या विशेष शेयर जारी कर सकता है। इसके अलावा, ये भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति और भारतीय रिज़र्व बैंक की किसी भी अन्य शर्तों के रूप में निर्दिष्ट आधार पर असुरक्षित डिबेंचर या बॉन्ड या इसी तरह की प्रतिभूतियों को ऐसे व्यक्तियों को दस या अधिक वर्षों की परिपक्वता के साथ जारी कर सकता है ।अध्यादेश में कहा गया है कि किसी राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत सहकारी बैंक के मामले में, संबंधित राज्य सरकार से परामर्श के बाद निर्दिष्ट अवधि के भीतर। भारतीय रिज़र्व बैंक सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को अधिग्रहित कर सकता है । हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक सहकारी बैंक या सहकारी बैंकों के एक वर्ग को अधिनियम के कुछ प्रावधानों से ऐसी समयावधि के लिए अधिसूचना के माध्यम से और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली ऐसी शर्तों के तहत छूट दे सकता है [36]।

व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) तथा मुद्रा बाजार लिखतों का विनियमन - विधिक पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन करते हुए उसमें अध्याय III-डी जोड़ा गया जो 9 जनवरी 2007 से प्रभावी हुआ। भारत की संसद ने यह उचित समझा कि आरबीआई द्वारा व्युत्पन्नों, मुद्रा बाजार लिखतों, प्रतिभूतियों आदि से संबंधित लेनदेनों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन संबंधी उपबंध उक्त अध्याय में शामिल किए जाएं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-यू की उपधारा (ए) में व्युत्पन्न को ऐसे लिखत के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका निपटान किसी भावी तारीख को किया जाता है, जिसका मूल्य ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, साख श्रेणी निर्धारण अथवा साख सूचकांक, प्रतिभूतियों के मूल्य (जिसे अंडरलाइंग भी कहा

[36] www.prsindia.org

जाता है), अथवा उनमें से एक से अधिक के संयोग में परिवर्तन से व्युत्पन्न होता है और जिसमें ब्याज दर बदला, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा बदला, विदेशी मुद्रा ऑप्शन्स, विदेशी मुद्रा रुपया ऑप्शन्स तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट लिखत शामिल होंगे। इसी प्रकार, मुद्रा बाजार लिखतों की परिभाषा में मांग और सूचना पर देय मुद्रा, मीयादी मुद्रा, रिपो, रिवर्स रिपो, जमा प्रमाणपत्र, मीयादी वाणिज्यिक पेपर, वाणिज्यिक पेपर तथा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य मूल ऋण लिखत अथवा एक वर्ष तक की प्रारंभिक परिपक्वता वाले लिखतों को शामिल किया गया है। इन मुद्रा बाजार लिखतों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को शक्तियां भारिबैं अधिनियम की धारा 45-डब्लयू में दी गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, जनहित में या देश के लाभ के लिए वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए, ब्याज दरों अथवा ब्याज दर उत्पादों से संबंधित नीति-निर्धारण के लिए प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार लिखतों, विदेशी मुद्रा, व्युत्पन्न तथा समय-समय पर भारिबैं द्वारा यथानिर्दिष्ट इसी स्वरूप के अन्य लिखतों के लेनदेन का कार्य करने वाली सभी एजेंसियों या उनमें से किसी एक एजेंसी को निदेश जारी कर सकता है।

भुगतान और निपटान कार्य - विधिक पृष्ठभूमि

भारत की संसद ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम, 2007) इस उद्देश्य के साथ पारित किया था कि भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों को विनियमित किया जा सके तथा इस प्रयोजन के लिए और उनसे संबंधित मामलों तथा आकस्मिक विषयों को देखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राधिकार दिए जा सकें[37]। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार के बिना भुगतान प्रणाली प्रारंभ अथवा परिचालित नहीं करेगा। इसी प्रकार, पीएसएस अधिनियम,2007 की धारा 8 के अनुसार यदि कोई प्राधिकृत व्यक्ति पीएसएस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या विनियमन का अनुपालन नहीं करता है या फिर भारिबैं द्वारा जारी किए गए किसी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा भुगतान प्रणाली का संचालन उन शर्तों के विपरीत करता है जिन शर्तों के अधीन उसे प्राधिकार प्रदान किया गया था, तो उसे जारी प्राधिकार को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द किया जा सकता

[37] भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की प्रस्तावना

है। भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का अधिकार भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अध्याय IV के उपबंधों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। विनियामक और पर्यवेक्षीय नियंत्रण में भुगतान प्रणालियों के परिचालन[38] के लिए मानक निर्धारित करने की शक्ति, विवरणियां[39], दस्तावेज[40] अथवा अन्य सूचना[41] मंगाने की शक्ति, भुगतान प्रणालियों में प्रवेश और उनके निरीक्षण की शक्ति[42], लेखापरीक्षा और निरीक्षण करने की शक्ति[43], निदेश जारी करने की शक्ति[44] आदि शामिल हैं।

ऋण सूचना कंपनियों विनियमन कार्य

रिज़र्व बैंक को ऋण सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत ऋण सूचना कंपनियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है। तीन संस्थान अर्थात ऋण सूचना कंपनियां , ऋण संस्थान और निर्दिष्ट उपयोगकर्ता इस अधिनियम के आवश्यक स्तंभों को बनाते हैं । यह अधिनियम रिजर्व बैंक को ऋण सूचना कंपनियों को निर्देश जारी करने और उनका निरीक्षण करने के लिए भी अधिकार देता है। ऋण सूचना कंपनियों के कामकाज के संबंध में नीति निर्धारित करने के लिए रिज़र्व बैंक भी क़ानून द्वारा अधिकृत है।

उपभोक्ता संरक्षण और उन्नति संबंधी कार्य - विधिक पृष्ठभूमि

जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना भारतीय रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 आदि के विविध उपबंधों में जहां-जहां भारतीय रिज़र्व बैंक को शक्तियां प्रदान की गई हैं, वहां-वहां "जमाकर्ताओं के हित में" [45]शब्दों का प्रयोग किया गया है। जमाकर्ताओं के अलावा भारिबैं द्वारा विनियमित संस्थाओं से लेनदेन करने वाले ग्राहकों की शिकायतों का समाधान भी भारिबैं के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय

---

[38] कृपया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10 पढ़ें
[39] कृपया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 12 पढ़ें
[40] कृपया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम,2007 की धारा 12 पढ़ें
[41] कृपया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम,2007की धारा 12 पढ़ें
[42] कृपया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम,2007 की धारा 14 देखें
[43] कृपया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम,2007 की धारा 16 देखें
[44] कृपया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम,2007 की धारा 17 देखें
45 भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट

रिज़र्व बैंक ने बैंकों, एनबीएफसी और भुगतान प्रणालियों के परिचालनों को शामिल करते हुए तीन लोकपाल योजनाएं तैयार की हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी उन्नति संबंधी और विकासात्मक भूमिकाओं को बहुत अधिक महत्व देता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 17 के खंड (8एए) में यह कहा गया है कि किसी भी वित्तीय संस्थान की सहायक या अन्यथा के रूप में प्रोत्साहन, स्थापना और समर्थन या प्रोत्साहन, स्थापना और समर्थन में सहायता एक ऐसा व्यवसाय है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 54 ग्रामीण विकास के मामलों में भारिबैं की विकासात्मक भूमिका की ओर इंगित करती है। इस उपबंध में उल्लेख किया गया है कि रिज़र्व बैंक ग्रामीण ऋण और विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों को रख सकता है और विशेष रूप से यह (i) राष्ट्रीय बैंक को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करे; और (ii) एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ऐसे क्षेत्रों में विशेष अध्ययन आयोजित करे जिनमें ऐसे अध्ययन करना वह आवश्यक समझता है।

निष्कर्ष

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002[46] और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987[47] में संशोधन के परिणामस्वरूप भारिबैं की शक्तियां और कार्य और व्यापक हो गए हैं। हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना का प्रयोजन और उद्देश्य जैसाकि भारिबैं अधिनियम,1934 की प्रस्तावना से देखा जा सकता है- जो कि बैंक नोटों के निर्गम का विनियमन करना, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आरक्षित निधियों का रखरखाव करना तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण[48] रखने की दृष्टि से मौद्रिक नीति का परिचालन करना है। विभिन्न कानूनों के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक को बहुआयामी कार्य सौंपे गए हैं जो इस बात का परिचायक है कि देश के केंद्रीय बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों से कहीं अधिक कार्यों को अंजाम देना होता है। बैंकों, गैर-बैंकों, सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन, केंद्र और राज्य सरकारों के लोक ऋणों का प्रबंधन, विदेशी

46 प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि और विविध प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 2016
47 वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019
48 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की प्रस्तावना

मुद्रा का प्रबंधन, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना आदि ऐसे कार्य हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934[49] की प्रस्तावना में दिए गए सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हैं।

49 एफएसएलआरसी पर आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2013 में, श्री बी.एन. श्रीकृष्ण, अध्यक्ष

अध्याय 3: मौद्रिक नीति की संरचना

भारत में मौद्रिक नीति-निर्धारण

I. भारत में मौद्रिक नीति-निर्धारण

परिभाषा, उद्देश्य और साधन

केंद्रीय बैंक अपने उद्देश्य अपने को सौंपे गए कार्यों से प्राप्त करते हैं। मौद्रिक नीति का एकमात्र उद्देश्य मूल्य स्थिरता हो सकता है या फिर उसके अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। साहित्य और व्यवहार दोनों में, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता को बनाए रखना माना गया है। जिन देशों ने मुद्रास्फीति लक्ष्य-निर्धारण ढांचे को अपनाया है, उनका मूल उद्देश्य मूल्य स्थिरता लाना है। मौद्रिक नीति से तात्पर्य नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से केंद्रीय बैंक के नियंत्रण वाले मौद्रिक उपायों का उपयोग करने से है, जिसके जरिए ब्याज दरों, मुद्रा की आपूर्ति तथा ऋण की उपलब्धता आदि जैसे परिवर्ती तत्वों को प्रभावित किया जा सकता है।

मई 2016 में भारिबैं अधिनियम में संशोधन से पहले इसकी प्रस्तावना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के गठन का उद्देश्य - "बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना और इस बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित निधियों का रखरखाव करना कि भारत में मौद्रिक स्थिरता बनी रहे तथा देश की करेंसी और ऋण प्रणाली का परिचालन देश के लाभ के लिए किया जा सके।" तद्नुसार, मौद्रिक नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता को बनाए रखना तथा अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अर्थव्यवस्था के प्रगामी उदारीकरण और बढ़ते वैश्वीकरण के कारण वित्तीय बाजारों में व्यवस्था बनाए रखना मौद्रिक नीति का एक अतिरिक्त उद्देश्य बन गया है। इस प्रकार, समय के साथ-साथ भारत में मौद्रिक नीति की भूमिका में, मूल्य स्थिरता तथा आर्थिक संवृद्धि और वित्तीय स्थिरता के बीच बुद्धिसंगत संतुलन बनाना, शामिल हो गया है। लेकिन, मई 2016 में भारिबैं अधिनियम में संशोधन के बाद मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना हो गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की संशोधित प्रस्तावना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार बताया गया है -

“भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंकनोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना”

“और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।”

मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन करने के लिए रिपो दर, रिवर्स रिपो दर, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), बैंक दर, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर), सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर), खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) सहित कई प्रत्यक्ष और परोक्ष उपायों का सहारा लिया जाता है। इन उपायों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

रिपो दर - वह (निश्चित) ब्याज दर जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार की जमानत पर या चलनिधि समायोजन सुविधा योजना के अंतर्गत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों पर बैंकों को एक दिवसीय चलनिधि उपलब्ध करता है। यह एक नीतिगत दर है, जिस पर निर्णय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा लिया जाता है।

रिवर्स रिपो दर - वह (निश्चित) ब्याज दर जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि सुविधा योजना के अंतर्गत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर बैंकों से एक दिन के लिए उनकी चलनिधि अपने पास रखता है।

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) - इस योजना में एक दिवसीय तथा मीयादी रिपो नीलामियां शामिल होती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगामी रूप से, सभी अवधियों की परिवर्ती रिपो दर नीलामियों के अंतर्गत चलनिधि के अनुपात को बढ़ाया है। मीयादी रिपो का लक्ष्य अंतर-बैंक मीयादी मुद्रा बाजार के विकास में सहायता करना है, जिससे जमाराशियों और ऋणों के मूल्य-निर्धारण के लिए बाजार-आधारित बेंचमार्क स्थापित हो सके और मौद्रिक नीति के प्रभाव-अंतरण में वृद्धि हो सके। बाजार की स्थितियों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक परिवर्ती ब्याज दर रिपो/ रिवर्स रिपो नीलामियां भी आयोजित करता है।

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - यह एक ऐसी सुविधा है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी बेशी एलएलआर प्रतिभूतियों पर और दंडात्मक ब्याज दर पर विनिर्दिष्ट सीमा तक

अपने एसएलआर पोर्टफोलियो में से डिपिंग इन करते हुए भी रिज़र्व बैंक से एक दिवसीय मुद्रा की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। इससे बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चलनिधि आघात के प्रति सुरक्षा कवच प्राप्त होता है।

नीतिगत कॉरिडोर - सीमांत स्थायी सुविधा दर और रिवर्स रिपो दर, भारित औसत मांग मुद्रा दर में दैनिक उतार-चढ़ाव के लिए, कॉरिडोर का निर्धारण करती हैं। चलनिधि प्रबंधन परिचालनों का उद्देश्य डब्ल्यूएसीआर को नीतिगत रिपोट दर को काफी निकटता से पंक्तिबद्ध करना है।

बैंक दर - वह दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणीज्यिक पेपरों को खरीदने अथवा उनकी पुनर्भुनाई के लिए तैयार रहता है। बैंक दर का प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 49 के अंतर्गत किया जाता है। इस दर को सीमांत स्थायी दर के समरूप रखा जाता है, अत: नीतिगत रिपो रेट में परिवर्तन के साथ-साथ जैसे ही सीमांत स्थायी दर में परिवर्तन आता है, वैसे ही बैंक दर भी परिवर्तित हो जाती है।

सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर) - निवल मांग और मीयादी देयताओं का वह हिस्सा जिसे हरेक बैंक को शनिवार को शुरू होने वाले पखवाड़े से अगले रिपोर्टिंग शुक्रवार तक के लिए रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखना होता है। एक पखवाड़े की अवधि में सीआरआर शेष राशि का रखा जाना औसत दैनिक आधार पर है, जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिर्दिष्ट न्यूनतम दैनिक रखरखाव स्तर के अनुसार हो।

खुले बाजार परिचालन (सीआरआर) - इसके अंतर्गत पुन: क्रय (रिपो या रिवर्स रिपो) परिचालनों तथा चलनिधि की मात्रा बढ़ाने और कम करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की क्रमश: एकमुश्त खरीद और बिक्री दोनों शामिल है।

बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) - मौद्रिक प्रबंधन का यह उपाय वर्ष 2004 में लागू किया गया था। भारी पूंजीगत आगमन से उत्पन्न अधिक स्थायी स्वरूप की अतिरिक्त चलनिधि को अल्प-दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों तथा खजाना बिलों की बिक्री करके प्रणाली से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार जुटाई गई नकदी को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अलग सरकारी खाते में रखा जाता है।[50]

---

[50] इस योजना की प्रमुख विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मदें शामिल हैं: (i) इस योजना के तहत सरकार प्रणाली से चलनिधि निकालने के लिए सामान्य उधार संबंधी अपेक्षाओं के अलावा खजाना बिल और/ या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं; (ii) एमएसएस के अंतर्गत जारी किए जाने वाले खजाना बिलों/ दिनांकित प्रतिभूतियों में वे सभी विशेषताएं होती हैं जो नियमित खजाना बिलों व दिनांकित प्रतिभूतियों में होती हैं। ये प्रतिभूतियां सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर), रेपो और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के लिए पात्र हैं; (iii) एमएसएस के अंतर्गत जुटाई जाने वाली राशि बाज़ार स्थिरीकरण

II. भारत में मौद्रिक नीति संरचना का विकास

मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, संगत मौद्रिक नीति संरचना होना अनिवार्य है। मौद्रिक नीति संरचना में मौटे तौर पर इसके उद्देश्य, परिचालन की क्रियाविधि तथा शासी व्यवस्था को शामिल किया जाता है।

- उद्देश्य मौद्रिक नीति के लक्ष्य होते हैं जो बदलते रह सकते हैं, सामान्य स्थिर हो सकते हैं या फिर दीर्घावधि हो सकते हैं, लेकिन उन पर केंद्रीय बैंक का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय बैंक मध्यवर्ती अथवा परिचालन लक्ष्यों को निशाना बना कर ही परोक्ष रूप से उन्हें साधने का प्रयत्न करते रहते हैं, जिनका अंतिम उद्देश्यों के साथ स्थायी संबंध उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले उपायों के जरिए होता है। परिचालन लक्ष्य का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह मौद्रिक अंतरण तंत्र का प्रारंभिक बिंदु होता है। इसी प्रकार, मध्यवर्ती लक्ष्यों का चयन, अंतरण माध्यमों अर्थात् उस प्रक्रिया पर आधारित होता है, जिसके माध्यम से मौद्रिक नीति के क्रियाकलाप अंतिम लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं।
- परिचालन क्रियाविधि अनिवार्यत: इस बात से संबंधित होती है कि केंद्रीय बैंक परिचालन लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करना चाहता है और अपने पास उपलब्ध मौद्रिक नीति उपायों का प्रयोग करते हुए मध्यवर्ती लक्ष्यों को प्रभावित करके अंतिम उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करता है। इस प्रकार, परिचालन प्रक्रिया मौद्रिक नीति के समग्र रुझान के अनुरूप मौद्रिक स्थितियों के दैनंदिन प्रबंधन को ही अनिवार्यत: व्यक्त करती है। दूसरे शब्दों में, परिचालन प्रक्रिया को मौद्रिक नीति के कलपुर्जे भी कहा जाता है, जो कि 'संरचना में प्लमिंग है' (पात्र और उनके सहयोगी, 2016)।
- शासी व्यवस्था प्रारंभिक तौर पर निर्णय की प्रक्रिया से संबंधित होती है तथा मौद्रिक प्राधिकारी की जिम्मेदारियों, शक्तियों और उत्तरदायित्वों पर केंद्रित होती है।

वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के संदर्भ में, ऐतिहासिक रूप से बैंकों की आरक्षित निधियां तथा अल्पकालिक ब्याज दरें दो प्रमुख परिचालन लक्ष्यों के रूप में उभर कर सामने आईं। लेकिन, 1990 के शुरुआती दशकों में अल्पकालिक ब्याज दरों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा, जो अविनियमित

योजना खाता (एमएसएस खाता) नामक अलग से विशिष्ट नकदी खाते में रखी जाती है और इसका परिचालन रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है तथा (iv) एमएसएस खाते में जमा की जाने वाली राशि का विनियोजन केवल मोचन और/ या एमएसएस के अंतर्गत खजाना बिलों और/ या दिनांकित प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के लिए किया जाना है।

वातावरण में विकसित बाजारों के मौद्रिक अंतरण तंत्र में ब्याज दरों के अपेक्षाकृत अधिक महत्व को प्रतिबिंबित करता है। इसके परिणामस्वरूप, मौद्रिक नीति के संचालन में, एक दिवसीय दरें सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त परिचालन लक्ष्य के तौर पर उभर कर सामने आईं।

भारत की मौद्रिक नीति संरचना में कई परिवर्तन आए हैं जो समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। वर्ष 1971-1985 के दौरान, वित्तीय घाटे के मौद्रीकरण से मौद्रिक नीति के संचालन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। संसाधनों पर सरकारी क्षेत्र के अग्राधिकार और इस कारण भारी सरकारी व्यय की वजह से स्फीतिकारी प्रभाव उत्पन्न होने से यह जरूरी हो गया कि विस्तार के अन्य प्रभावों को समाप्त करने के लिए सीआरआर के उपाय का बार-बार प्रयोग किया जाए। ब्याज दर में बदलाव, सांविधिक अग्राधिकार के रूप में वित्तीय दमन तथा निदेशित ऋण ने निजी क्षेत्र को ऋण बाजार से बाहर कर दिया। इस पृष्ठभूमि में, मौद्रिक कार्यों की समीक्षा करने वाली समिति (अध्यक्ष: डॉ. सुखमय चक्रवर्ती) ने वर्ष 1985 में मुद्रा की स्थिर मांग के अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर, प्रतिसूचना सहित मौद्रिक लक्ष्य-निर्धारण पर आधारित नई मौद्रिक नीति संरचना अपनाने की सिफारिश की थी।

मौद्रिक लक्ष्य-निर्धारण संरचना

इस संरचना के अंतर्गत स्थूल मुद्रा मध्यवर्ती लक्ष्य बन गई, जबकि स्थूल मुद्रा की वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आरक्षित मुद्रा मुख्य परिचालन उपाय बन गया। तद्नुसार, मौद्रिक (एम3) अनुमान अपेक्षित वास्तविक जीडीपी संवृद्धि तथा मुद्रास्फीति के एक सहनीय स्तर के अनुरूप लगाया गया। तकनीकी रूप से, सरल शब्दों में, यदि अपेक्षित वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 6 प्रतिशत हो, मुद्रा के लिए मांग की आय लोच 1.5 हो और मुद्रास्फीति का सहनीय स्तर 5 प्रतिशत हो तो एम-3 विस्तार का लक्ष्य 14 प्रतिशत [एम-3 संवृद्धि = 1.5(6)+5=14 प्रतिशत] (मोहंती 2010) निर्धारित किया जाएगा। यह सूत्र 1980 के मध्य के दशकों से लेकर 1997-98 तक लागू रहा। मौद्रिक लक्ष्य-निर्धारण के काल में मुद्रा संवृद्धि के परिणाम के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि लक्ष्यों की पूर्ति शायद ही कभी हुई हो। मौद्रिक लक्ष्य-निर्धारण की सबसे बड़ी बाधा केंद्र सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर नियंत्रण का अभाव था, जिसकी वजह से ही बड़ी मात्रा में आरक्षित मुद्रा का सृजन हुआ।

1990 के दशक में आर्थिक और वित्तीय सुधारों के साथ बाजार-निर्धारित ब्याज दरों और विनिमय दरों पर बढ़ती निर्भरता से सरकार और वाणिज्यिक क्षेत्र के वित्तपोषण में बदलाव आया। भारतीय रिज़र्व बैंक भी प्रत्यक्ष उपायों को छोड़कर परोक्ष बाजार-आधारित उपाय अपना सका। एसएलआर और सीआरआर को भी 1997 तक घटा कर क्रमश: 25 प्रतिशत तथा 9.5 प्रतिशत पर लाया गया। साथ ही, 1990 के दशक में जैसे-जैसे व्यापार और वित्तीय उदारीकरण ने गति पकड़ी, वैसे-वैसे मध्यवर्ती लक्ष्य के रूप में स्थूल मुद्रा की कारगरता का पुन: परीक्षण किया गया। वित्तीय नवोन्मेषों तथा पूंजीगत प्रवाहों के तेजी से बहिर्गमन से उत्पन्न बाह्य आघातों, विनिमय दरों में उतार-चढ़ावों तथा वैश्विक व्यापार-चक्रों से मुद्रा की मांग में अस्थिरता आई। मात्रात्मक परिवर्तियों के मुकाबले ब्याज दर और विनिमय दर के बढ़ते महत्व के कारण मौद्रिक नीति के अंतरण तंत्र में परिवर्तन के बढ़ते साक्ष्य दिखाई दिए। इस परिप्रेक्ष्य में, भारत में वैकल्पिक मौद्रिक संरचना की तलाश, वर्ष 1998-99 में बहु-निर्देशक दृष्टिकोण अपनाने के साथ समाप्त हुई।

बहु संकेतक दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मात्रात्मक उपायों के संबंध में मौद्रिक नीति बनाने के लिए दर माध्यम पर अधिक बल देते हुए अप्रैल 1998 में 'बहु संकेतक दृष्टिकोण' अपनाया। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत मौद्रिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए मुद्रा, ऋण, उत्पादन, व्यापार, पूंजी प्रवाह तथा वित्तीय स्थिति जैसे कई मात्रात्मक परिवर्तियों के साथ-साथ विभिन्न बाजारों में लाभ दरों, विनिमय दरों का विश्लेषण किया जाता था। बहु संकेतक दृष्टिकोण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा औद्योगिक संभावना, ऋण स्थिति, क्षमता-उपयोग, व्यापारिक पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति अपेक्षाओं तथा उपभोक्ता-विश्वास पर किए गए सर्वे के आधार पर 2000 की शुरूआत से भावी संकेतकों द्वारा सूचित किया गया था। भारिबैं ने प्रमुख कुल मौद्रिक राशियों के सांकेतिक पूर्वानुमान देना जारी रखा।

जैसाकि 7.1 प्रतिशत की औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संवृद्धि तथा थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के रूप में मुद्रास्फीति की औसतन लगभग 5.5 प्रतिशत दर से स्पष्ट है, बहु संकेतक दृष्टिकोण ने 1998-99 से लेकर 2008-09 तक अच्छा काम किया। लेकिन, बाद में, निरंतर उच्च मुद्रास्फीति के साथ संवृद्धि में गिरावट बने रहने अर्थात् स्टेगफ्लेशन के स्पष्ट चिह्न दिखाई देने के कारण बहु संकेतक दृष्टिकोण के प्रति लोगों का आक्रोश पनपने लगा और यहां तक कि उसकी प्रभावशीलता पर भी प्रश्नचिह्न

लगाए जाने लगे। बहुत सारे संकेतकों के उपयोग के बावजूद मौद्रिक नीति के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित संज्ञात्मक स्थिरक (नोमिनल एंकर) उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। नीति विश्लेषकों को यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि नीतिगत निर्णय लेने के लिए आखिर भारतीय रिज़र्व बैंक को किन आधारों की जरूरत थी। वर्ष 2007 से भारत में कई उच्च स्तरीय समितियां इस बात पर बल देती आ रही थीं कि भारतीय रिज़र्व बैंक को मुद्रास्फीति लक्ष्य-निर्धारण अपनाने पर अवश्य विचार करना चाहिए (आरबीआई, 2014)।

मुद्रास्फीति का लचीला लक्ष्य निर्धारण

इस पृष्ठभूमि में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति संरचना के पुनरीक्षण तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए 12 सितंबर 2013 को एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. उर्जित पटेल) का गठन किया। इस समिति से यह अपेक्षा की गई कि वह उन कदमों के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे जो मौद्रिक नीति संरचना को मजबूती प्रदान करने, उसमें संशोधन करने तथा अन्य बातों के साथ-साथ इसे पारदर्शी और पूर्वानुमान योग्य बनाने के लिए उठाए जाने चाहिए। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2014 में प्रस्तुत की और भारत में मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति के लचीला लक्ष्य निर्धारण ढांचे को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया। जहां तक मुद्रास्फीति के लचीले लक्ष्य निर्धारण ढांचे का मामला है कारोबार चक्र पर औसत रूप से मुद्रास्फीतिगत लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य के साथ ही अल्पावधि में संवृद्धि संबंधी आशंकाओं को दूर करते हुए वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति के मूल्यांकन के आधार पर नीति (रिपो) दर का निर्धारण किया जाता है (आरबीआई, 2014)। ज्यों ही रिपो दर की घोषणा की जाए तो आरबीआई द्वारा बनाया गया परिचालनगत ढांचा समुचित कदमों के माध्यम से दैनिक आधार पर ऐसा चलनिधि प्रबंधन परिकल्पित करता है, जिसका उद्देश्य परिचालनगत लक्ष्य - डब्ल्यूएसीआर- को रिपो दर के आसपास निर्धारित करना है। मौद्रिक नीति के परिचालनगत ढांचे का ब्योरा 'बाज़ार परिचालन' नामक अगले अध्याय में विस्तार से दिया गया है। मुद्रा बाज़ार दरों में होने वाला बदलाव समूची वित्तीय प्रणाली पर संचरित हो जाता है, आगे उससे सकल मांग - जो कि मुद्रास्फीति और संवृद्धि का एक प्रमुख निर्धारक तत्व है - पर प्रभाव पड़ता है।

मई 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन से पूर्व उक्त समिति द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य-निर्धारण संरचना भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच फरवरी 2015 के करार के अनुसार चल रही थी। मई 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिनियम में संशोधन से लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य-निर्धारण संरचना अपनाने के लिए कानूनी आधार उपलब्ध हो गया। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि मुद्रास्फीति का लक्ष्य अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और मुद्रास्फीति लक्ष्य का निर्धारण पांच वर्ष में एक बार भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है - (क) औसत मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक लक्ष्य की ऊपरी सहनीय सीमा से अधिक बनी रहती हो, अथवा (ख) औसत मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक लक्ष्य की निम्न सहनीय सीमा से नीचे बनी रहती हो। मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने से चूकने की दशा में रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित बातों को शामिल करते हुए सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है:
(क) मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्य को हासिल करने से चूकने के कारण; (ख) बैंक द्वारा प्रस्तावित निवारक कार्रवाइयां; और (ग) प्रस्तावित निवारक कार्रवाईयों के सामयिक कार्यान्वयन के सिलसिले में मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने हेतु अनुमानित समय-सीमा। संशोधित अधिनियम के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के लिए अपेक्षित है कि वह हर छह माह में मौद्रिक नीति रिपोर्ट नामक एक दस्तावेज प्रकाशित करे, जिसमें (क) मुद्रास्फीति के स्रोतों; और (ख) अगले 6-18 माह के लिए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान का वर्णन हो। संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम जून 2016 से प्रभावी हुआ। इस संशोधित अधिनियम के अनुसरण में केंद्र सरकार ने अगस्त 2016 में 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए 4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति का मुद्रास्फीति लक्ष्य अधिसूचित किया, जिसकी ऊपरी सहन सीमा 6 प्रतिशत है और निम्नतर सहन सीमा 2 प्रतिशत है।

संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-जेडबी के अनुसार केंद्र सरकार को आधिकारिक गजट में अधिसूचना जारी करते हुए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के गठन की शक्ति प्रदान की गई है। तदनुसार, मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीतिगत दर का निर्धारण किए जाने हेतु 29 सितंबर 2016 को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन किया गया, जिसमें तीन आंतरिक और तीन बाहरी सदस्य शामिल हैं। संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार मौद्रिक नीति समिति से यह अपेक्षा की गई है कि वर्ष में कम से कम चार बार उसकी बैठकें आयोजित की जाएं। तीन बाहरी सदस्यों की नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। समिति के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है और बराबर वोट पड़ने

की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है। संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III एफ के अनुसरण में, मौद्रिक नीति समिति द्वारा पारित संकल्पों को उसकी प्रत्येक बैठक की समाप्ति के बाद, प्रकाशित किया जाना होता है। इस समिति की बैठकों का कार्यविवरण चौदहवें दिन प्रकाशित किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाता है - (क) समिति द्वारा पारित संकल्प; (ख) संकल्प पर प्रत्येक सदस्य का वोट, ऐसे सदस्य को उत्तरदायी ठहराना; तथा (ग) पारित संकल्प पर प्रत्येक सदस्य का वक्तव्य। मई 2020 तक एमपीसी ने अक्तूबर 2016 में अपनी बैठक से लेकर 23 बैठकें आयोजित की हैं।

रिज़र्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) मौद्रिक नीति तैयार करने में एमपीसी की सहायता करता है। अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्टेकहोल्डरों के अभिमत तथा रिज़र्व बैंक का विश्लेषणात्मक कार्य नीतिगत रिपो दर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करते हैं। वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग (एफएमओडी) मौद्रिक नीति का परिचालन मुख्य रूप से दैनिक चलिनिधि प्रबंधन परिचालनों के माध्यम से करता है। वित्तीय बाज़ार समिति (एफएमसी) की बैठक का आयोजन चलनिधि की परिस्थितियों की समीक्षा करने के लिए किया जाता है ताकि परिचालनगत लक्ष्य - भारित औसत मांग मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) - को नीतिगत रिपो दर के आसपास पंक्तिबद्ध किया जा सके।

वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को वास्तविक जीडीपी में तेजी से व लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक केवल परंपरागत मौद्रिक नीति पर निर्भर नहीं रह सके, अर्थात ज़ीरो-लोअर बाउंड (ज़ेडएलबी) की वजह से नीतिगत दर में कटौती के कारण नीतिगत दर की सीमाओं को देखते हुए उन्हें अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों की शुरुआत करनी पड़ी। मोटे तौर पर अपरंपरागत मौद्रिक नीति के अंतर्गत मात्रात्मक सुलभता (क्यूई) और वायदा मार्गदर्शन (एफजी) संबंधी उपाय शामिल हैं। मात्रात्मक सुलभता उपायों से अभिप्रेत है उन्नत केंद्रीय बैंकों के आस्ति क्रय कार्यक्रम, जिससे कुल आस्तियों में भारी बढ़ोतरी होने के साथ-साथ केंद्रीय बैंकों के तुलन-पत्र में आस्तियों का कलेवर ही बदल डाला, जबकि परंपरागत मौद्रिक नीतियों का प्रभाव केंद्रीय बैंकों के तुलनपत्र पर नगण्य होता है। वायदा मार्गदर्शन का तात्पर्य नीति संबंधी भावी कदमों की प्रत्याशाओं का प्रबंधन केंद्रीय बैंक

के संवाद के प्रयोग से है, जिससे परिवारों और फर्मों के वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने की चेष्टा की जाती है।

आरबीआई ने आर्थिक मंदी को दूर करने और भारत में निवेश चक्र को बेहतर बनाने के लिए दिसंबर 2019 से ही कतिपय अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपाय लागू करने शुरू कर दिया। आर्थिक गतिविधियों पर कोरोना विषाणु के प्रकोप के प्रभाव को मिटाने के लिए फरवरी 2020 में अपरंपरागत मौद्रिम नीतिगत उपायों पर निर्भरता बढ़ी। ऑपरेशन ट्विस्ट एक ऐसा अपरंपरागत मौद्रिक नीतिगत उपाय है जिसे आरबीआई ने दिसंबर 2019 से अपनाना शुरू किया, जिसके अंतर्गत आरबीआई खुले बाज़ार परिचालनों (ओएमओ) के माध्यम से अल्पावधिक प्रतिभूतियों की बिक्री करने के साथ-साथ दीर्घावधिक प्रतिभूतियों की खरीद करता है। इस उपाय का उद्देश्य दीर्घावधिक बेंचमार्क प्रतिफल दर को कम कराना है। आरबीआई ने वाजिब दर पर, अर्थात रिपो दर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि वाले दीर्घावधिक रिपो परिचालनों (एलटीआरओ) के जरिए बैंकिंग प्रणाली में स्थायी स्वरूप की चलनिधि उपलब्ध कराने हेतु भी कई उपाय किए हैं। आरबीआई ने ऐसे क्षेत्रों व संस्थाओं, जो बाज़ार पहूंच[51] की दृष्टि से चलनिधिगत अवरोधों और/ या बाधाओं का सामना कर रही हैं, को चलनिधि उपलब्ध कराने हेतु कुछ चुनिंदा क्षेत्रों/ खंडों और लक्षित एलटीआरओ (टीएलटीआरओ) में बैंकों द्वारा ऋणों के रूप में संवितरित वृद्धिशील क्रेडिट के बराबर की राशि के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में छूट के रूप में क्षेत्र-विशेष उपाय भी लागू किए हैं।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, भारत में मौद्रिक नीति ने कई वर्षों में विकास के सोपान चढ़े हैं। पिछले तीन दशकों में मौद्रिक लक्ष्य के ढांचे को अपनाना, बहु संकेतक दृष्टिकोण में परिणति और मुद्रास्फीति के लक्ष्य संबंधी पद्धति को अपनाना जैसे प्रमुख बदलाव हुए हैं।

III. मौद्रिक नीति का संचारण

मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत दरों में बदलाव के रूप में मौद्रिक नीतिगत प्रभावों को ऐसे ब्याज दरों के संपूर्ण खंडों पर संचारित किया जाता है, जैसे- मद्रा बाज़ार दरें, बॉण्ड प्रतिफल, बैंक जमाराशि और उधार दरें और आस्ति मूल्य, यथा-

[51] 'बाज़ार परिचालन' नामक अगले अध्याय में आरबीआई के चलनिधि प्रबंधन में किए गए बदलावों पर चर्चा की गई है।

स्टॉक मूल्य और आवास की कीमतें। विभिन्न आर्थिक एजेंट, जैसे- परिवार, फर्म और सरकार, अपनी खर्च करने की प्रवृत्ति में समयोजन करके इन ब्याज दरों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। इससे परिवारों और फर्मों की सकल मांग में बदलाव होता है और उसे सकल आपूर्ति की परिस्थितियों के अनुरूप पंक्तिबद्ध करके मूल्य स्थिरता और अर्थव्यवस्था की टिकाऊ संवृद्धि बृहत समष्टि-आर्थिक नीति के उद्देश्यों को हासिल किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में कई माह या एक वर्ष से अधिक अवधि लग जाती है। अनुभव-जन्य प्रमाणों से यह पता चला है कि मौद्रिक नीति संबंधी कदमों का प्रभाव उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में 2-3 तिमाहियों, मुद्रास्फीति के संदर्भ में 3-4 तिमाहियों की समयावधि लग जाती है, वहीं यह प्रभाव 8-12 तिमाहियों के लिए बना रहता है। संचारण विभिन्न 'चैनलों' के माध्यम से संपन्न होता है, नामत: (i) ब्याज दर चैनल, (ii) क्रेडिट चैनल, (iii) एक्सचेंज दर चैनल, और (iv) आस्ति मूल्य चैनल[52]। कई अध्ययनों के अनुसार भारत में ब्याज दर चैनल सबसे अधिक सुदृढ है। जहां तक मौद्रिक नीति की दक्षता का सवाल है वह नीतिगत दरों के, मौद्रिक नीति के अंतिम उद्देश्यों, अर्थात संवृद्धि और मुद्रास्फीति, में संचारित होने की तीव्रता व तेजी पर निर्भर करती है। भारत जैसे बैंक-प्रबल प्रणाली में बैंकों की उधार-दरों तक संचारण मौद्रिक नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अत: रिज़र्व बैंक बैंकिंग प्रणाली की उधार संबंधी ब्याज दरों के अभिकल्प पर ध्यान केंद्रित करते हुए मौद्रिक संचारण को सुदृढ बनाने के लिए प्रयासरत है। तथापि, बैंकों की उधार दरों पर नीतिगत दरों के संचारण का मुद्दा चिंता का विषय बना हुआ है। बैंकों के उधार दरों पर संचारण कई कारकों से बाधित होता है, अत: आर्थिक गतिविधि और मुद्रास्फीति पर नीतिगत रुख का प्रभाव मंदित रहता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए रिज़र्व बैंक ब्याज दर निर्धारण क्रियाविधि को समय-समय पर परिष्कृत करता रहा है। आंतरिक अध्ययन समूह (आरबीआई, 2017) की सिफारिशों के अनुसरण में 1 अक्तूबर 2019 से रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य बना दिया है कि वे सभी नए अस्थिर दर वैयक्तिक व रिटेल ऋणों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए जाने वाले अस्थिर दर ऋणों को 3-माह के टी-बिल दर या 6-माह टी-बिल दर या फाइनैन्शियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लि. (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित अन्य किसी बेंचमार्क बाज़ार ब्याज दर के साथ संबद्ध करें। मौद्रिक संचारण को और सुदृढ बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए यह निदेश दिया कि वे मध्यम उद्यमों

[52] कृपया आरबीआई (2014) देखें।

के ऋणों के कीमत-निर्धारण को भी 01 अप्रैल 2020 से बाहरी बेंचमार्क से जोड़ें। इस नई बेंचमार्किंग प्रणाली के अंतर्गत बैंक बेंचमार्क दर के स्थान पर स्प्रेड को चुन सकते हैं, बशर्ते क्रेडिट जोखिम प्रीमियम में केवल तब बदलाव हो सकता है जब उधारकर्ता संबंधी क्रेडिट मूल्यांकन में काफी बदलाव होता हो, जैसा कि ऋण संविदा में सहमति हुई है। बाहरी बेंचमार्क पारदर्शी होते हैं, क्योंकि वे सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध हैं और इसलिए वे उधारकर्ताओं को आसानी से प्राप्त होते हैं। बाहरी बेंमार्क प्रणाली की शुरुआत के परिणामस्वरूप, ऐसे क्षेत्रों पर मौद्रिक संचारण का स्तर बेहतर हो गया है, जहां नए स्थिर दर ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ दिया गया है।

संदर्भ

- आचार्य, वी.वी. (2017), 'भारत में मौद्रिक संचारण : क्यों ज़रूरी है और क्यों उसने सही ढंग से काम नहीं किया?', होमी भाभा सभागार में टाटा इंस्टीट्यूट फंडमेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) द्वारा नवंबर 16 को आयोजित अवीक गुहा स्मारक व्याख्यान में दिया गया उद्घाटन भाषण।
- मोहंती. डी (2010), 'भारत में मौद्रिक नीति ढांचा : बहु संकेतक दृष्टिकोण का अनुभव' आरबीआई बुलेटिन, मार्च
- पात्र एम.डी., कपूर एम., कवेदिया आर. लोकारे एस.एम. (2016), भारत में मौद्रिक नीति, स्प्रिंगर, नई दिल्ली, 257-296, घाटे सी., और क्लेट्ज़र के. (संपा.) में, 'चलनिधि प्रबंधन और मौद्रिक नीति: कॉरिडार प्ले से मार्कमैनशिप तक'।
- आरबीआई (1985) 'मौद्रिक प्रणाली के कार्यसंचालन की समीक्षा संबंधी समिति की रिपोर्ट' (अध्यक्ष: डॉ. सुखमय चक्रवर्ती)।
- ..... (2006), मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2004-05.
- ..... (2014), 'मौद्रिक नीति ढाचे की समीक्षा और सुदृढता संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट' (अध्यक्ष: डॉ. उर्जित आर. पटेल), जनवरी।
- ..... (2017), 'निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर प्रणाली के कार्यसंचालन की समीक्षा संबंधी आंतरिक अध्ययन समूह की रिपोर्ट' (अध्यक्ष: डॉ. जनक राज), अक्तूबर।

अध्याय 4: बाजार परिचालन

इस अध्याय में भारतीय रिज़र्व बैंक के बाजार परिचालनों के उद्देश्य,संरचना तथा कार्यान्वयन पर चर्चा की जा रही है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में मौद्रिक नीति परिचालनों को तथा दूसरे भाग में इसके विदेशी मुद्रा परिचालनों को शामिल किया गया है।

(i) मौद्रिक नीति परिचालन

मौद्रिक नीति परिचालनों का उद्देश्य मौद्रिक नीति को वित्तीय प्रणाली में अंतरित करना है। मौद्रिक नीति समिति नीतिगत ब्याजदर तथा मुद्रास्फीति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नीतिगत रुझान तय करती है। मौद्रिक नीति का परिचालनगत लक्ष्य भारित औसत मांग दर होती है, जो मांग मुद्रा बाजार में किए गए एक दिवसीय लेनदेनों की मात्रा की भारित दर होती है (मुद्रा बाजार का वह असंपार्श्विक भाग जो सहभागियों के रूप में बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों के पास होता है)। भारिबैं अपने द्वारा तैयार की गई चलनिधि प्रबंधन संरचना अनुसार बाजार परिचालन आयोजित करके यह सुनिश्चित करता है कि परिचालन लक्ष्य, अर्थात् भारित औसत मांग दर, दैनिक आधार पर नीतिगत दरों के अनुरूप बना रहता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि प्रबंधन संरचना में अस्थायी स्वरूप के चलनिधि आधिक्य अथवा कमी के प्रबंधन के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा तथा सीमांत स्थायी सुविधा का समावेश है। चलनिधि समायोजन सुविधा में भारिबैं द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के रिपो और रिवर्स रिपो शामिल हैं। सीमांत स्थायी सुविधा एक अतिरिक्त सुविधा है, जिसके अंतर्गत बैंक सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी होने पर संपार्श्विक का उपयोग करते हुए एक निर्धारित सीमा तक दंडात्मक दर पर, भारिबैं से रुपया निधियां उधार ले सकते हैं। स्थायी स्वरूप की चलनिधि अर्थात् विभिन्न कारणों से चलनिधि में लगातार कमी या वृद्धि बने रहने की स्थिति के प्रबंधन के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद-बेच द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं, सीआरआर में परिवर्तन, बाजार स्थिरीकरण योजना, डॉलर-रुपया खरीद-बिक्री विनिमय, दीर्घावधि रेपो/ रिवर्स रेपो परिचालन तथा लक्षित दीर्घावधि रेपो/ रिवर्स रेपो परिचालन परिचालन का सहारा लिया जा सकता है।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) ऐसा प्रत्यक्ष उपाय है जिसका प्रणाली की चलनिधि पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। यदि सीआरआर को बढ़ाया जाता है तो बैंकों को भारिबैं के पास अपने चालू खाते में अधिक जमाशेष रखना होगा जिससे बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की कमी उत्पन्न होगी। इसी प्रकार, सीआरआर में कमी का तात्कालिक प्रभाव बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की अधिकता के रूप में सामने आएगा। चलनिधि प्रबंधन के अन्य उपायों की चर्चा आगे के पैराओं में की गई है।

चलनिधि प्रबंधन संरचना

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्यदल ने तरलता प्रबंधन ढांचे की समीक्षा की और सितंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। समूह ने कॉल मनी दर को नीति दर के अनुरूप बनाए रखने और अंतर-बैंक मुद्रा बाजार में मूल्य खोज को कम नहीं करने के मौजूदा उद्देश्यों के साथ जारी रखा है। समूह ने कॉल मनी दर के साथ गलियारे प्रणाली की निरंतरता को लक्ष्य दर के रूप में जारी रखने की सिफारिश की,लेकिन वित्तीय स्थितियों के आधार पर बैंकिंग प्रणाली में आवश्यक तरलता की कमी या अधिशेष के उचित स्तर के बारे में निर्णय लेने में अधिक लचीलेपन की सिफारिश की।अन्य सिफारिशें अधिक दक्षता के लिए संचालन की संख्या को कम करने, एनडीटीएल के 1% तक की सुनिश्चित तरलता को रोकना, टिकाऊ तरलता प्रबंधन के लिए मौजूदा उपकरणों के अलावा लंबी अवधि के रेपो परिचालन को शामिल करना और तरलता प्रबंधन के बारे में अधिक जानकारी का प्रसार के बारे में थीं ।

उपरोक्त रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 फरवरी, 2020 को दिनांकित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना के चलनिधि प्रबंधन संरचना को अद्यतन किया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है

सं	साधन	मात्रा	आवधिकता / समय
एलएएफ ढांचे के तहत साधन अल्पकालिक / क्षणिक तरलता का प्रबंधन करने के लिए			
1	14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो / रिवर्स रेपो नीलामी (मुख्य संचालन)	नीलामी की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय की जाती है और तरलता की स्थिति के आकलन के आधार पर एकल नीलामी (या तो रेपो या रिवर्स रेपो) आयोजित की जाती है।	सूचना शुक्रवार को (2.30 बजे अपराह्न 3.00 बजे तक)
2	परिवर्तनीय दर शब्द रेपो / रिवर्स रेपो नीलामी (अवधि : एक दिवसिय और 13 दिनों तक) (फाइन-ट्यूनिंग ऑपरेशन)	नीलामी की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तरलता की स्थिति के आकलन के आधार पर तय की जाती है	विवेकाधीन
3	फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो	राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं	रोजाना शाम 5.30 बजे और 11.59 बजे * के बीच
4	सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)	व्यक्तिगत बैंक अतिरिक्त एसएलआर तक के फंड का आहरण कर सकते हैं + 2 प्रतिशत एसएलआर से नीचे।	
5	विदेशी मुद्रा बदला (एफएक्स स्वैप)	तरलता की स्थिति के आकलन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राशि तय की जाती है।	विवेकाधीन
6	स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)	परिचालन विवरण का इंतजार है।	

टिकाऊ तरलता का प्रबंधन करने के लिए साधन			
7	लंबी अवधि के परिवर्तनीय दर रेपो ऑपरेशन (LTRO) अवधि: 14 दिनों से परे	नीलामी की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तरलता की स्थिति के आकलन के आधार पर तय की जाती है	विवेकाधीन
8	लंबी अवधि के परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो ऑपरेशन (LTRRO) अवधि: 14 दिनों से परे		
9	विदेशी मुद्रा बदला (एफएक्स स्वैप)	तरलता की स्थिति के आकलन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राशि तय की जाती है।	विवेकाधीन

* कोविड-19 के कारण हुए व्यवधानों के मद्देनजर बाजार सहभागियों द्वारा चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन लाने के लिये 31 मार्च, 2020 से यह सुविधा 09:00 बजे से 23:59 बजे तक बढ़ा दी गई थी

चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो / रिवर्स रिपो / एमएसएफ की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

i. भारिबैं का विवेकाधिकार

भारतीय रिज़र्व बैंक को एक दिवसीय / लंबी अवधि, रिपो /रिवर्स रिपो की नीलामी बाजार की स्थितियों तथा अन्य संबंधित कारकों के आधार पर परिवर्ती दरों पर करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। भारतीय रिज़र्व बैंक इस विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए, उपलब्ध आंकड़ों तथा चलनिधि के पूर्वानुमानों पर आधारित विद्यमान चलनिधि स्थितियों का मूल्यांकन करता है। इस व्यवस्था पर इस अध्याय में आगे विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

ii. ब्याज दर

निश्चित दर रिपो, एमएसएफ तथा रिवर्स रिपो के लिए लागू ब्याज दरों का निर्णय समय-समय पर मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिया जाता है। परिवर्ती दर रिपो तथा रिवर्स रिपो की नीलामी के लिए लागू ब्याज दर, बोली / प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्णय के अनुसार निर्धारित अधिकतम सीमा होगी।

iii. संपार्श्विक के लिए पात्र प्रतिभूतियां

एसएलआर-पात्र तथा भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों (तेल बांडों सहित) / खजाना बिलों तथा राज्य विकास ऋणों को रिपो / एमएसएफ तथा रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए पात्र प्रतिभूतियां माना जाता है। रिपो/ एमएसएफ/ रिवर्स रिपो के लिए संपार्श्विक के तौर पर प्रयुक्त प्रतिभूतियों को बाजार मूल्य पर निर्धारित होते है।

iv. मार्जिन-अपेक्षाएं

पात्र प्रतिभूतियों में मार्जिन लगाया जाता है, जो प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित करता है कि रुपये के उधार लेने के लिए रेपो या एमएसएफ विंडो का उपयोग करने वाले को अतिरिक्त संपार्श्विक प्रदान करना है। उदाहरण के लिए; यदि मार्जिन 5 प्रतिशत है, तब रेपो विंडो से उधार लेने वाले बाजार प्रतिभागी को 100 करोड़ रुपये का उधार लेने के लिए पात्र प्रतिभूतियों के 105 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने होंगे।

v. परिचालन का तरीका

- सदस्यों द्वारा बोली / प्रस्ताव निर्धारित समय के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं।
- परिचालनों के परिणामों की घोषणा प्रेस विज्ञप्ति के जरिए भारिबैं की वेबसाइट पर की जाती है।
- निश्चित दर रिपो / रिवर्स रिपो लेनदेनों का स्वत: निपटान सीबीएस में बोली / प्रस्ताव प्रस्तुत करने के तुरंत बाद हो जाता है ।

vi. परिवर्ती दर नीलामियों के लिए अधिकतम सीमा से संबंधित निर्णय

- परिवर्ती दर रिपो : बैंकों द्वारा बोली लगाए जाने की राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बोली लगाने का समय समाप्त होने के बाद सभी बोलियों को बोली की दरों के अनुसार घटते क्रम में रखा जाता है और नीलामी की अधिसूचित राशि के तद्नुरूप अधिकतम दर का निर्धारण किया जाता है। सफल बोलीकर्ता वे होते हैं जिन्होंने अधिकतम दर या उससे

अधिक पर बोली लगाई होती है। यदि अधिकतम दर पर एक से अधिक सफल बोलीकर्ता होते हैं तो यथानुपात आबंटन किया जाता है। कोई भी बोली प्रचलित रिपो दर पर या उससे कम पर स्वीकार नहीं की जाती।

- परिवर्ती दर रिवर्स रिपो : परिवर्ती दर रिवर्स रिपो नीलामी की प्रक्रिया रिपो नीलामी से उलट होती है। इस मामले में, कोई भी प्रस्ताव प्रचलित रिपो दर पर या उससे अधिक पर स्वीकार नहीं किया जाता।

चलनिधि समायोजन सुविधा कॉरिडोर कैसे काम करता है?

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारित औसत मांग दर, नीतिगत रिपो दर से बहुत अधिक असंगत न हो, रिवर्स रिपो दर को न्यूनतम तथा एमएसएफ को अधिकतम रखते हुए एक कॉरिडोर प्रणाली विद्यमान है। रिपो तथा भारिबैं की एमएसएफ विंडो तक पहुंच बनाते हुए, बैंक संपार्श्विक के रूप में स्वीकार्य प्रतिभूतियां उपलब्ध करा कर, भारिबैं से अल्पकालीन रुपया निधियां उधार ले सकते हैं। भारिबैं की रिवर्स रिपो विंडों से बैंक भारिबैं को अल्पकालिक रुपया निधियां उधार दे सकते हैं तथा भारिबैं से संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्राप्त कर सकते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि एमएसएफ दर कॉरिडोर की अधिकतम दर होती है, रिवर्स रिपो दर न्यूनतम दर होती है तथा रिपो दर कॉरिडोर के मध्य में होती है।

बैंक, मुद्रा बाजार के अन्य सहभागियों से भी अल्पकालीन रुपया निधियां उधार ले सकते हैं और उन्हें उधार दे सकते हैं। अत: भारिबैं की सुविधा का उपयोग करने से पूर्व बैंक मुद्रा बाजार के अन्य खंडों जैसे मांग मुद्रा, ट्राई-पार्टी रेपो[53], बाजार रिपो आदि से उधार लेने और देने के विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। बैंक भारिबैं से या फिर मुद्रा बाजार के किसी अन्य खंड से अल्पकालिक निधियां उधार लेते हैं या देते हैं, उनके इस निर्णय को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक ब्याज दर होता है। हालांकि बैंक संपार्श्विक प्रतिभूतियों की जरूरत, परिचालन की सरलता, उपलब्धता, मीयाद आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को विचार में लेते हैं, तथापि ब्याज दर ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो नीतिगत दर और भारित औसत मांग दर के बीच तालमेल बैठा सकता है।

[53] ट्राई-पार्टी रेपो एक ऐसा मुद्रा बाज़ार का साधन है जिसके माध्यम से बैंक, पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियों की ज़मानत पर अल्पावधि रुपये निधि उधार ले सकते हैं या दे सकते हैं। मुद्रा बाज़ार के सीबीएलओ खंड को 05 नवंबर 2018 से समाप्त किया गया है और इसे ट्राई-पार्टी के रूप में प्रारंभ किया गया है।

आइये, इसे हम एक उदाहरण से समझें। यदि किसी कखग बैंक को प्रणालीगत चलनिधि आधिक्य की स्थिति (जैसे विमुद्रीकरण के बाद की स्थिति) में अपनी अतिरिक्त निधियां उधार देनी हों तो भारिबैं की रिवर्स रिपो सुविधा के अभाव में, मुद्रा बाजार की दर कॉरिडोर से नीचे आ जाएंगी क्योंकि ऋण लेने वालों की अपेक्षा ऋण देने वालों की संख्या अधिक होगी। माना कि बैंकों के पास अपनी अतिरिक्त निधियां बिना किसी सीमा के रिवर्स रिपो सुविधा में लगाने का विकल्प मौजूद है तो रिवर्स रिपो दर अंतर-बैंक दर के लिए न्यूनतम दर बन जाएगी क्योंकि बाजार के सहभागियों को रिवर्स रिपो दर से नीचे उधार देने के लिए कोई प्रोत्साहन मौजूद नहीं होगा।

इसी प्रकार, यदि किसी अबस बैंक को एक दिवसीय रुपया निधि उधार लेने की जरूरत है तो वह मुद्रा बाजार के विविध खंडों में तथा भारिबैं की सुविधाओं में प्रचलित ब्याज दर को विचार में लेगा और अंततः उधार वहां से लेगा जहां ब्याज दरें सबसे कम होंगी। उदाहरण के लिए, हम मान लेते हैं कि प्रणाली स्तर पर चलनिधि की कमी है, इसका अर्थ यह हुआ कि ऋण देने वालों के बजाय ऋण लेने वालों की संख्या अधिक है। ऐसी स्थिति में ब्याज दरों में वृद्धि का दबाव होगा।

अतः प्रणाली स्तर पर चलनिधि की भारी कमी होने की स्थिति में यह संभव है कि मुद्रा बाजार दरें एमएसएफ दर से भी ऊपर निकल जाएं। लेकिन, ऐसा असाधारण परिस्थितियों में ही हो सकता है। हालाँकि, यह देखते हुए कि बैंकों के पास भारिबैं के एमएसएफ विंडो के तहत निधियों को उधार लेने का विकल्प है, एमएसएफ दर उच्चतम दर को निर्धारित करती है क्योंकि आमतौर पर बैंक अन्य बाजार सहभागियों से एमएसएफ दर से अधिक दर पर उधार नहीं लेते हैं। फिलहाल, बैंक एसएलआर अपेक्षाओं से अधिक धारित पात्र प्रतिभूतियों पर एमएसएफ सुविधा के अंतर्गत उधार ले सकते हैं। इसके अलावा, बैंकों को अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 2 प्रतिशत तक एसएलआर धारिता की सांविधिक अपेक्षा में कमी होने देने तक निधियां लेने की अनुमति दी गई है।

संकुचित कॉरिडोर नीतिगत दरों से मुद्रा बाजार की दरों में भारी विचलन की संभावना को सीमित करता है और भारित औसत मांग दर को नीतिगत दर के अनुरूप बने रहने में मदद करता है।

भारित औसत मांग दर को नीतिगत दर के अनुरूप कैसे बनाए रखा जाता है?

चलनिधि के भारी आधिक्य के समय, मांग दरें रिवर्स रिपो दर की तरफ झुकने की प्रवृत्ति रखेंगी। इसी प्रकार, चलनिधि की भारी कमी के समय में मांग दरें एमएसएफ दर की ओर झुकेंगी। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि भारित औसत मांग दर, रिपो दर के आसपास बनी रहती हैं, भारिबैं विवेकाधीन परिवर्ती-दर रिपो तथा रिवर्स रिपो का प्रयोग करता है। भारिबैं द्वारा राशि और समय का निर्णय चलनिधि की स्थिति के अपने आकलन के अनुसार किया जाता है। भारिबैं बाजार के कामकाज के समय के दौरान मुद्रा बाजार की दरों पर निरंतर निगरानी रखता है और भारित औसत दर को नीतिगत दर के निकट बनाए रखने के उद्देश्य से परिचालनों को व्यवस्थित करता रहता है। उदाहरण के लिए, यदि भारित औसत मांग दर, रिवर्स रिपो के निकट हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रणाली में चलनिधि का आधिक्य है। माना कि वाणिज्यिक बैंकों की ट्रेजरियों की प्रतिसूचनाओं के अनुसार, सरकार के अनपेक्षित व्यय के कारण प्रणाली में लगभग ५० हजार करोड़ रुपये आ गए हैं। ऐसी स्थिति में लगभग ५० हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त परिवर्ती दर रिवर्स रिपो नीलामी की घोषणा से मुद्रा बाजार दरों में वृद्धि होगी और उसे नीतिगत रिपो दर के निकट लाया जा सकेग। इसी प्रकार, प्रणाली में भारी घाटा होने की स्थिति में जब भारित औसत मांग दर एमएसएफ दर को छू रही होती है, पर्याप्त राशि की अतिरिक्त परिवर्ती-दर रिपो नीलामी की घोषणा से भारित औसत मांग दर नीचे आएगी और रिपो दर के अनुरूप हो जाएगी। परिचालन की राशि, अवधि और समय के निर्धारण के लिए प्रणाली स्तर चलनिधि का मूल्यांकन बहुत महत्व रखता है।

भारिबैं प्रणाली स्तरीय चलनिधि का आकलन कैसे करता है?

प्रणाली स्तरीय चलनिधि के लिए जिन कारकों को महत्वपूर्ण समझा जाता है उन्हें ज्ञात और अज्ञात कारकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ज्ञात कारकों की मात्रा और प्रभाव के बारे में जानकारी तुरंत और निश्चित रूप में उपलब्ध होती है। ज्ञात कारकों के कुछ उदाहरण, एलएएफ / एमएसएफ के अंतर्गत बकाया रिपो और रिवर्स रिपो का प्रतिवर्ती होना, भारिबैं के खुले बाजार की क्रियाओं का तथा विदेशी मुद्रा परिचालनों का निपटान, सरकारी बांडों का मोचन, कूपन-भुगतान, प्राथमिक नीलामी आदि हैं। अज्ञात कारकों की मात्रा तथा प्रभाव के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं होती, अत: उनका पूर्वानुमान या आकलन करने की जरूरत पड़ती है। अज्ञात कारकों के कुछ उदाहरण हैं - बैंकों द्वारा आरक्षित निधियां बनाए रखने की सीमा, चलन के अधीन करेंसी

की मात्रा में परिवर्तन तथा केंद्र सरकार के व्यय। अत: पूर्वानुमान, विगत आंकड़ों तथा अनौपचारिक प्रणाली चलनिधि से एकत्रित सूचना पर, निर्भर करता है। चलनिधि प्रणाली पर निवल प्रभाव जानने के लिए ज्ञात और अज्ञात दोनों ही कारकों को विचार में लिया जाना होता है।

भारत में चलनिधि प्रबंधन संरचना प्रगामी मौद्रिक नीति संबंधी आकलन के दो स्थूल परस्पर प्रबलित स्तंभों पर टिकी है।[54]

- स्तंभ-**I:** यह चलनिधि के स्वशासी चालकों के सन्निकट (चार से चह सप्ताह) अनुमानों पर आधारित प्रणाली स्तरीय चलनिधि की संभावित मांग का आकलन है। स्तंभ I का मूल कार्य, चलनिधि के स्वशासी चालकों, विशेष रूप से, करेंसी की मांग (जो परिवारों के व्यवहार को प्रतिबिंबित करती है), आरक्षित निधियों की अधिक मांग (जो बैंकिंग प्रणाली के व्यवहार को प्रतिबिंबित करती है) तथा भारिबैं के पास केंद्र सरकार के जमाशेषों (जो सरकार के नकदी प्रवाह पर निर्भर करते हैं) का पूर्वानुमान लगाना है। चलनिधि प्रबंधन के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप भी चलनिधि का स्वशासी चालक होता है, लेकिन चूंकि ऐसे हस्तक्षेपों का कोई सन्निकट पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, अत: उनसे संबंधित सूचना जब भी उपलब्ध होती है, तभी उसे विचार में लिया जाता है। प्रगामी मौद्रिक नीति संबंधी सूचना तथा चलनिधि के निर्धारक तत्वों की टाइम सीरीज की विगत गति के आकलन दोनों का मिश्रित उपयोग करते हुए, विवेकाधीन चलनिधि प्रबंधन के संबंध में भारिबैं के निर्णयों की सूचना देने हेतु नियमित आधार पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं।

- स्तंभ-**II:** यह अपेक्षाकृत लंबे समय में, प्रणाली स्तरीय चलनिधि का आकलन करता है। इसका लक्ष्य स्थूल मुद्रा, बैंक जमाराशियों और ऋणों तथा आधार मुद्रा विस्तार के तद्नुरूपी क्रम में संभावित वृद्धि का आकलन करना होता है। इसके बाद इस आकलन को स्तंभ - I के अंतर्गत व्युत्पन्न चलनिधि के स्वशासी तथा विवेकाधीन चालकों में विभाजित करते हुए सन्निहित किया जाता है। इस प्रकार, स्तंभ - II अधिक व्यापक जानकारी प्रदान करने वाला बन जाता, जिसके अंतर्गत विवेकाधीन चलनिधि प्रबंधन उपायों से संबंधित निर्णय स्तंभ - I के आकलन के आधार पर लिये जाते हैं।

---

[54] डॉ. ऊर्जित पटेल (2014) विशेषज्ञ समिति मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने एवं सुदृढ़ बनाने पर विशेषज्ञ समिति। मुंबई : भारतीय रिज़र्व बैंक

विवेकाधीन चलनिधि प्रबंधन परिचालनों से संबंधित भारिबैं के निर्णय

भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकाधीन चलनिधि प्रबंधन परिचालन (प्राथमिक रूप से परिवर्ती-दर रिपो / रिवर्स रिपो तथा खुले बाजार की क्रियाएं) किसी भी समय में उचित, (माप निवल बकाया रिपो, रिवर्स रिपो तथा एमएसएफ की राशियों से की जाती है), चलनिधि समायोजन सुविधा घाटे की सीमा से तथा घाटे / अधिशेष के स्वरूप से, अर्थात् वे अस्थायी हैं या फिर टिकाऊ, से निदेशित होते हैं। अस्थायी स्वरूप की चलनिधि स्थिति के प्रबंधन के लिए अधिकतर एलएएफ / एमएसएफ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन, लगातार बनी रहने वाली या स्थायी स्वरूप की चलनिधि स्थिति के लिए खुले बाजार की क्रियाओं, एमएसएएस तथा सीआरआर का प्रयोग किया जाता है। एमएसएस का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रणाली की अतिरिक्त चलनिधि को सोखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का खुद का प्रतिभूति-संविभाग पर्याप्त नहीं होता। इसकी प्रक्रिया का ब्योरा यहां नीचे एमएसएस उप-भाग में दिया गया है।

प्रणाली चलनिधि की गणना[55]

हम विभिन्न विंडो अर्थात एलएएफ / एमएसएफ /स्थायी चलनिधि सुविधा (प्राथमिक व्यापारियों के लिए) के माध्यम से उधार ली / दी गई राशियों से यह जान सकते हैं कि प्रणाली में चलनिधि का आधिक्य है या घाटा हुआ है। इससे प्राप्त निवल राशि धनात्मक होने पर यह संकेत है कि बैंकों ने आरबीआई से निधि उधार ली है और प्रणाली में चलनिधि का घाटा हुआ है, जबकि यह स्थिति इसमें विपरीत स्थिति भी हो सकती है। तथापि, बैंकों द्वारा रखे गए अतिरिक्त रिज़र्व को निवल एलएएफ/ एमएसएफ/ एसएलएफ के साथ समायोजित किया जाना चाहिए ताकि प्रणालीगत चलनिधि का पता चल सके। प्रणालीगत चलनिधि का सार निम्नानुसार है:

प्रणालीगत चलनिधि = एलएएफ के तहत निवल उधार (-) बैंकों द्वारा रखा गया अतिरिक्त रिज़र्व

एलएएफ के तहत निवल उधार राशि = कुल रेपो / एमएसएफ/ एसएलएफ उधार **(-)** कुल प्रत्यावर्ती रेपो जमाराशियां

बैंकों द्वारा रखा गया अतिरक्त रिज़र्व = बैंकों द्वारा रखा गया वास्तविक रिज़र्व (-) अपेक्षित रिज़र्व

ध्यान दें: यदि प्रणालीगत चलनिधि धनात्मक है तो संकेत है कि प्रणालीगत चलनिधि घाटे पर है और यही स्थिति इसके विपरीत भी होगी।

55 चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करने के लिए दिनांक 26 सितंबर 2019 की आंतरिक कार्यकारी समूह की रिपोर्ट

कैसे तय किया जाए कि चलनिधि की स्थिति स्थायी है या नहीं?

बकाया भारिबैं रिपो अथवा रिवर्स रिपो का लगातार ऊंचा स्तर यह संकेत देता है कि घाटा / अधिशेष स्थायी स्वरूप का है। लेकिन, घाटे / अधिशेष के स्वरूप का निर्णय करने से पहले सरकारी जमाशेष तथा विदेशी मुद्रा के अपेक्षित प्रवाह को भी विचार में लिया जाता है क्योंकि ये कारक चलनिधि की स्थिति में बड़े परिवर्तनों का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सरकारी जमाशेष 10 ट्रिलियन रुपये से घट कर लगभग शून्य की स्थिति में आ जाता है, तो इससे प्रणाली में उतनी ही राशि का अधिशेष तब तक बना रहेगा जब तक कि वह राशि कर-वसूली तथा अन्य राजस्व के रूप में सरकारी खाते में लौट कर वापस नहीं आ जाती। इसी प्रकार का प्रभाव चलनिधि के घाटे की स्थिति में भी देखा जा सकता है। सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए भारिबैं इस निर्णय पर पहुंचता हे कि स्थिति घाटे की है या अधिशेष की, और तद्नुसार उपायों का सहारा लिया जाता है।

टिकाऊ तरलता के साधन

टिकाऊ तरलता से निपटने के लिए परंपरागत रूप से,ओएमओ और एमएसएस संचालन का उपयोग किया जाता है। इन परिचालनों के यांत्रिकी निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं।भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने तरलता प्रबंधन का विस्तार किया है और स्थायी स्वरूप की चलनिधि की जरूरतों को पूरा करने नए उपकरण जैसे की डॉलर-रुपया खरीद-बिक्री विनिमय, दीर्घावधि रेपो परिचालन तथा लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन का इस्तेमाल किया है। डॉलर-रुपया खरीद-बिक्री विनिमय नीलामी के माध्यम से जुटाई गई अमेरिकी डॉलर की राशि, स्वैप के कार्यकाल के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा भंडार में दर्शायी जाती है, जबकि आरबीआई की आगे की देनदारियों में भी दर्शायी जाती है। इस तरह की पहली नीलामी 3 साल की अवधि और 5 बिलियन अमरीकी डालर के लिए 26 मार्च 2019 को आयोजित की गई थी।

एलटीआरओ की शुरुआत फरवरी 2020 में चलनिधि प्रबंधन के साधनों को बढ़ाने के लिए की गई। एलटीआरओ की प्रक्रिया रेपो के समान ही है लेकिन वे एक से तीन वर्ष तक की लंबी अवधि के होते हैं। इसी का एक प्रकार, टीएलटीआरओ विशिष्ट क्षेत्रों / लिखतों को दीर्घावधि के लिए धन उपलब्ध करवाने के लिए मार्च 2020 में जारी किए गए थे। टीएलटीआरओ के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्राप्त चलनिधि को प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों में निवेश ग्रेड के कॉर्पोरेट बॉन्ड,

वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश किया जाना था। अप्रैल 2020 में भारिबैं ने कोविड-19 व्यवधानों से प्रभावित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) सहित छोटे और मध्यम आकार के कॉरपोरेट को चलनिधि उपलब्ध करवाने के लिए लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) की घोषणा की। टीएलटीआरओ 2.0 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के निवेश ग्रेड बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में नियोजित किया जाएगा। प्राप्त किए जाने वाले कुल धन का कम से कम 50 प्रतिशत नीचे दिये अनुसार बांटा जाएगा:

1. लघु वित्त संस्थाओं (एमएफ़आई) द्वारा जारी प्रतिभूतियों/लिखतों में 10 प्रतिशत;
2. ₹ 500 करोड़ और उससे कम परिसंपत्ति आकार वाली एनबीएफ़सी द्वारा जारी प्रतिभूतियों/लिखतों में 15 प्रतिशत; और
3. ₹ 500 करोड़ और ₹ 5,000 करोड़ के बीच की परिसंपत्ति आकार वाली एनबीएफ़सी द्वारा जारी प्रतिभूतियों/लिखतों में 25 प्रतिशत।

खुले बाजार की क्रियाओं की प्रक्रिया

खुले बाजार की की क्रियाओं के जरिए भारिबैं द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करने से प्रणाली से चलनिधि कम होती है। दूसरी ओर, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद से प्रणाली में चलनिधि बढ़ती है। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत खरीद से सरकारी प्रतिभूतियों में भारिबैं का निवेश बढ़ता है और बिक्री करने से कम होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाएं नीलामी के माध्यम से या फिर गौण बाजार में सीधे लेनेदेन करके आयोजित की जाती हैं। गौण बाजार में ऐसे सीधे लेनदेन एनडीएस-ओएम (नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मैचिंग) प्लेटफार्म पर किए जाते हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों के लिए गुमनाम ऑर्डर मैचिंग प्लेटफार्म है। गौण बाजार में, भारिबैं के खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत खरीद-बेच की कुल राशि के आंकड़े कुछ समय बाद प्रकाशित किए जाते हैं। नीलामी प्रक्रिया के जरिए खुले बाजार की क्रियाएं आयोजित करने के लिए भारिबैं द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से घोषणा की जाती है, जिसमें राशि, नीलामी की तारीख और समय तथा प्रतिभूतियों के विकल्प के ब्योरे दिए जाते हैं। बोली लगाने के लिए निर्धारित समय की समाप्ति के बाद बोलियों

को देखा जाता है और भारिबैं की नीलामी समिति अधिकतम लाभ पर निर्णय लेती है। इस निर्णय की घोषणा प्रेस विज्ञप्ति के जरिए की जाती है। सफल बोलीकर्ताओं को अलग से अधिसूचित किया जाता है। नीलामी कितनी बार की जाएगी अथवा घोषित की जाएगी, यह सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के भाग के रूप में प्राथमिक नीलामी के विपरीत सामान्यत: पहले से निर्धारित नहीं किया जाता, क्योंकि यह चलनिधि की उभरती स्थितियों पर निर्भर करता है।

खुले बाजार की क्रियाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा जी-सेक लाभ को प्रभावित करना है। खुले बाजार की क्रियाओं में बिक्री की घोषणा से लाभ पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि प्रणाली में सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति बढ़ जाएगी। खुले बाजार की क्रियाओं में नीलामी की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक नीलामी के लिए प्रतिभूतियों का चयन है। खुले बाजार की क्रियाओं की अधिकतम सीमा पर बाजारों की पैनी नजर रहती है, क्योंकि इससे लाभ के लिए भारिबैं की आराम दायक स्थिति (कम्फर्ट जोन) का संकेत मिल सकता है।

हाल ही में भारिबैं ने विशेष ओएमओ,जिन्हें 'ऑपरेशन ट्विस्ट' भी कहा जाता है, का संचालन किया जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों की साथ-साथ बिक्री और खरीद शामिल है । प्रारंभिक स्तर पर ये परिचालन चलनिधि से निष्पक्ष हैं और चलनिधि की स्थितियों में बदलाव किए बिना दीर्घकालिक और अल्पकालिक ब्याज दरों पर वांछित प्रभाव डालने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है।

बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) परिचालनों की प्रक्रिया

प्रणाली में चलनिधि की अधिकता का प्रबंध करने के लिए भारिबैं द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला एक अन्य उपाय बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) है। एमएसएस का प्रयोग भारी पूंजी आगमन की स्थिति में विदेशी मुद्रा बाजार के उतार-चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए भारिबैं के हस्तक्षेप की आवश्यकता के समय किया जाता था। डालर की काफी मात्रा में खरीद तथा उसके परिणामस्वरूप चलनिधि में वृद्धि की वजह से प्रतिरोधक कार्रवाई करना जरूरी हो जाता था। विमुद्रीकरण के बाद एमएसएस का प्रयोग चलनिधि की भारी अधिकता की स्थिति से निपटने के लिए किया गया, इसके परिणामस्वरूप बैंकों में जनता की जमाराशियों में वृद्धि हुई। खुले बाजार की क्रियाओं में बिक्री और रिवर्स रिपो के आयोजन के लिए भारिबैं को पर्याप्त सरकारी प्रतिभूतियों की आवश्यकता होती है। चूंकि खुले बाजार की क्रियाओं का परिचालन सरकारी प्रतिभूतियों की

उपलब्धता की सीमा तक ही किया जा सकता है, अत: प्रणाली में चलनिधि आधिक्य की अपेक्षा भारिबैं[56] के पास सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा बहुत कम होने की स्थिति में एमएसएस का तत्काल प्रयोग किया जा सकता है।

एमएसएस के अंतर्गत, नकदी प्रबंधन बिल, ट्रेज़री बिल तथा दिनांकित प्रतिभूतियों सहित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी की जाती है। सामान्य बाजारों से सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों के विपरीत, एमएसएस के अंतर्गत जुटाई गई राशि को अलग खाते में रखा जाता है और यह राशि सरकार के व्ययों के लिए उपलब्ध नहीं होती। यह जरूरी है क्योंकि सरकारी व्यय के जरिए फिर से रुपया चलनिधि में वृद्धि हो जाएगी और वह बैंकिंग प्रणाली में दोबारा लौट आएगी, जिससे वह प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाएगा जिसके लिए उक्त उपाय का प्रयोग किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एमएसएस की अधिकतम सीमा और प्रारंभिक सीमा तय करती है। सरकार से पुष्टि प्राप्त होने के पश्चात् भारिबैं प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है जिसमें सकल निर्गम की अधिकतम सीमा तथा प्रारंभिक राशि से संबंधित सूचना दी जाती है। जैसे ही एमएसएस की सकल निर्गम सीमा प्रारंभिक सीमा तक पहुंच जाती है या अतिरिक्त मांग मौजूद रहती है तो भारिबैं उसकी सूचना सरकार को देता है। सरकार द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है और संशोधित अधिकतम तथा प्रारंभिक सीमा बताई जाती है।

एमएसएस के अंतर्गत प्रतिभूतियों का चयन, अन्य बातों के साथ साथ, चलनिधि आधिक्य के स्वरूप से संबंधित अनुमान पर निर्भर करता है। यदि पूर्वानुमान यह बताता है कि अधिशेष की स्थिति अधिक लंबे समय तक बनी रहेगी तो अधिक लंबी अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी और यदि अधिशेष की स्थिति कम समय तक बने रहने की संभावना व्यक्त की जाती है तो ट्रेज़री बिल अथवा सीएमबी जारी किए जाएंगे। नीलामी आयोजित किए जाने के संबंध में भारिबैं द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। नीलामी खुली रहने के दौरान बाजार के सहभागी अपनी बोलियां भारिबैं के कोर बैंकिंग सोल्युशन प्रणाली के जरिए प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य

[56] डॉ.ऊर्जित पटेल समिति 2014 ने स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत की सिफारिश की थी जिससे आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो परिचालनों में संपार्श्विक प्रतिभूतियां उपलब्ध कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ऐसी परिस्थितियों में प्रतिभूतियों के न होने पर भी चलनिधि प्रबंधन की जा सकती है। एडीएफ की शुरुआत के लिए आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया गया है।

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी की तरह एक आंतरिक नीलामी समिति अधिकतम सीमा तय करती है और उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है।

मुद्रा बाजार में भारिबैं के परिचालनों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और उसे मौद्रिक नीति रिपोर्ट, विवरण तथा वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। उभरते वित्तीय बाजार तथा मौद्रिक स्थितियों से निपटने के लिए, मौद्रिक नीति के रुझान की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए परिचालन संरचना तथा उसके घटकों में सुधार लाए जाते रहे हैं और संशोधन भी किये जाते हैं। कारगर चलनिधि प्रबंधन के लिए, बाजार आसूचना में सुधार के माध्यम से पूर्वानुमानों की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए भी नियमित प्रयास किए जाते हैं।

मुद्रा बाज़ार में विशेष परिचालन

वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रा बाज़ारों में विशेष परिचालनों की आवश्यकता आ पड़ी और अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई की भूमिका की दृष्टि से भी यह ज़रूरी हो गया। चयनित विशेष परिचालनों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- रिज़र्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनीबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों की चलनिधि अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अक्तूबर 2008 से अक्तूबर 2009 तक विशेष रेपो नीलामी का आयोजन किया था।
- अप्रैल 2020 में ओवीआईडी-19 की प्रतिक्रिया से म्यूचुअल फंड (एमएफ) पर चलनिधि का दबाव के चलते एवं कुछ ऋण एमएफ पर समापन संबंधी मोचन दबाव और इसके संभावित संक्रामक प्रभाव के मद्देनज़र रिज़र्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए ₹ 50,000 करोड़ की एक विशेष चलनिधि सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत, रिज़र्व बैंक ने निर्धारित रेपो दर पर 90 दिनों की अवधि के लिये रेपो परिचालन आयोजित किया। एसएलएफ एमएफ-तैयार और ओपनएंड है-, और एसएलएफ-एमएफ के तहत मिलने वाले फंड का उपयोग बैंकों द्वारा विशेष तौर पर एमएफ की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (1) ऋण विस्तार, और (2) एमएफ द्वारा धारित इन्वेस्टमेंट ग्रेड कार्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र (सीपी), डिबेंचर और जमा के प्रमाण पत्र (सीडी) की संपार्श्विक के खिलाफ एकमुश्त खरीद और / या पुनर्खरीद द्वारा किया जाएगा।

(ii) भारत के विदेशी मुद्रा परिचालन उद्देश्य[57]

रुपया विनिमय दर का निर्धारण उसकी बाजार मांग और पूर्ति से होता है। विनिमय दर प्रबंधन का उद्देश्य और प्रयोजन ये सुनिश्चित करने के लिए होता हैं कि रुपये के बाह्य मूल्य में आर्थिक मूल तत्व प्रतिबिंबित हो। इस सामान्य उद्देश्य के अलावा विनिमय दर नीति का संचालन तीन प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है - पहला, यह सुनिश्चित करते हुए कि बाजार व्यवस्थित रूप में काम करते रहें, विनिमय दरों में उच्च उतार-चढ़ावों को कम करना; दूसरा, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां को एक उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने में सहायता करना; तथा तीसरा, स्वस्थ विदेशी मुद्रा बाजार के विकास में सहायक होना। भारिबैं, व्यवस्थित स्थितियां बनाए रखने के लिए देश और विदेश के वित्तीय बाजारों की गतिविधियों पर, निकट निगरानी रखता है।

पूंजीगत प्रवाहों पर, जो कि अकसर बड़ी मात्रा में एक साथ आते हैं, भारत की काफी निर्भरता, तेल आयातों की भारी मांग तथा बड़ी मात्रा में इकट्ठा सरकारी भुगतानों के कारण विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव के झटके आते रहते हैं। इसके अलावा, महत्वपूर्ण स्वरूप की भू-राजनीतिक घटनाएं और अत्यंत आघात (उदाहरण के लिए वर्ष 2020 में कोविड-19 के चलते बाज़ार में उतार-चढ़ाव) वैश्विक और देशी विदेशी मुद्रा बाज़ार में बाधाएं खड़े करते हैं। हाल के वर्षों में विदेशी रुपया एनडीएफ बाज़ार में ऑनशोर बाज़ार की तुलना में ऑफशोर व्यापार की मात्रा में तेज वृद्धि होने की संभावाना के कारण रुपये का मूल्य निर्धारित करने वाले कारकों और मुद्रा स्थिरता को सुनिश्चित करने वाले प्राधिकारियों की क्षमता को लेकर आशंका बढ़ गई है।

भारत में, बाज़ार के उतार-चढ़ावों की घटनाओं को रोकने से संबंधित नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू, वित्तीय स्थिरता को धक्का न पहुंचने देने के लिए, मौद्रिक तथा प्रशासनिक उपायों के साथ-साथ बाजार में हस्तक्षेप का भी सहारा लिया गया है। इसके अलावा, पूरक अथवा समानांतर उपायों के रूप में व्याख्यानों तथा प्रेस विज्ञप्तियों का भी उपयोग किया जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार की तैयारी और परिपक्वता तथा विदेशी मोर्चे पर भारत की स्थिति (आरक्षित निधियों, ऋणों, चालू खाता घाटे आदि के रूप में) के आधार पर उदारीकृत बाजार तथा चालू और पूंजीगत खाता लेनदेनों

[57] भारत का विदेशी मुद्रा भंडार: नीति, स्थिति और मुद्दे (डॉ। वाई.वी. रेड्डी द्वारा भाषण, राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद, 10 मई, 2002 को नई दिल्ली में)

के लिए भुगतान प्रणाली विकसित करने तथा विदेशी मुद्रा बाजार को और विकसित करने के लिए प्रगामी तौर पर सुधार उपाय लागू किए गए हैं।

हालांकि, विनियामक उपायों के अपेक्षित परिणाम कुछ देर में प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन बाजार में विदेशी मुद्रा की विद्यमान मांग और पूर्ति पर भारिबैं के फोरेक्स हस्तक्षेप का तुरंत प्रभाव पड़ता है। विनिमय दर के उतार-चढ़ावों को कम करने की दृष्टि से भारिबैं विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री करता है ताकि एक साथ तेजी से उभरती मांग या पूर्ति (जो उछाल के रूप में आती हैं) के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। ऐसी खरीद-बेच पूर्व-निर्धारित लक्ष्य अथवा विनिमय दर के आस-पास की सीमा को देख कर नहीं की जाती।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप का प्रभाव

भारिबैं का हस्तक्षेप घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति को प्रभावित करता है तथा विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, ऐसी स्थिति की कल्पना करें जिसमें भारी पूंजी आगमन के कारण डालर-रुपये के मूल्यों में भारी अस्थिरता आ जाती है और डालर के मुकाबले रुपये में तेज वृद्धि का दबाव बनता है। ऐसे प्रवाहों से रुपये के मूल्य में वृद्धि होती है क्योंकि विदेशी निवेशक रुपया बांड तथा ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए डालरों की बिक्री करते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा बाजार में डालर की आपूर्ति बढ़ जाती है। लेकिन, ज्यादातर मूल्य समायोजन आसान नहीं होता बल्कि तेजी से उतार-चढ़ाव होते हैं। ऐसी स्थिति में भारिबैं डालर खरीद कर हस्तक्षेप करता है ताकि डालर की अस्थाई अधिक आपूर्ति के प्रभाव को समाप्त किया जा सके। लेकिन, भारिबैं द्वारा हस्तक्षेप कर खरीदे गए डालरों की राशि का डालर की प्रत्येक अधिक आपूर्ति से कोई संबंध नहीं होता। भारिबैं के हस्तक्षेप का संकेत बाजार की भावनाओं को प्रभावित करता है तथा बाजार की गत्यात्मकता में बदलाव लाता है और बाजार के सहभागी अपनी मांग-पूर्ति में बदलाव लाते हुए नई स्थिति के साथ खुद का तालमेल बैठाते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि डालर के मुकाबले रुपये में तेज वृद्धि हो रही हो, तो बाजार के सहभागी (जैसे आयातक) जो सबसे अच्छी संभावित दर पर डालर खरीदने का अवसर तलाशते रहते हैं, इंतजार करना चाहेंगे ताकि वे और कम कीमत पर डालर खरीदने का लाभ उठा सकें। यदि ऐसा

आयातक यह अनुमान लगाता है कि रुपये की वृद्धि की स्थिति में उलट-फेर होगा तो वह चालू मूल्यों पर बाजार से तुरंत डालर खरीदना चाहेगा। इसी प्रकार, प्राधिकृत व्यापारियों[58] को, स्वीकार्य सीमाओं के भीतर स्वामित्व की स्थिति ग्रहण करने की अनुमति होती है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक भी मूल्यों में उतार-चढ़ाव का लाभ लेने के लिए डालरों की खरीद या बेच करके अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। चूंकि प्राधिकृत व्यापारियों के पास बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के बारे में बेहतर जानकारी होती है, अत: वे विदेशी मुद्रा में अपनी स्थिति लांग से शॉर्ट या शॉर्ट से लांग[59] पर तेजी से बदल लेते हैं। इस प्रकार, भारिबैं के हस्तक्षेप से बाजार के सहभागियों का व्यवहार प्रभावित होता है, जिससे घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में डालर की अल्पकालीन मांग और पूर्ति भी प्रभावित होती है और बाजार में स्थिरता आती है।

इसी प्रकार, रुपये के मूल्य में गिरावट के दबाव के साथ पूंजी के बड़े बहिर्गमन की घटनाओं के दौरान बढ़ी हुई अस्थिरता से निपटने के लिए, भारिबैं बाजार में डालरों की बिक्री करता है। इससे डालर की आपूर्ति बढ़ जाती है और डालर के मुकाबले रुपये में होती गिरावट थम जाती है। इस प्रकार, बाजार के सहभागियों की भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करके अंतत: बाजार में स्थिरता लायी जाती है।

विदेशी मुद्रा बाजार में भारिबैं के हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रुपये की चलनिधि स्थितियों पर इसका समवर्ती और अनुरूप प्रभाव होता है। यदि भारिबैं विदेशी मुद्रा बेचता है, तो इसे बाजार सहभागियों से आईएनआर प्राप्त होते हैं और इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि उस सीमा तक कम हो जाती है। इसी प्रकार जब भारिबैं विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा खरीदता है तो बैंकिंग प्रणाली में आईएनआर चलनिधि बढ़ जाती है। आईएनआर चलनिधि पर विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के इस प्रभाव को कम करने के लिए भारिबैं अपने चलनिधि प्रबंधन साधनों के माध्यम से समायोजन लेन-देन करता है। इस प्रक्रिया को 'स्टरलाइज़ेशन' के रूप में जाना जाता है और इस तरह के विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप को कभी-कभी 'स्टरलाइज़्ड हस्तक्षेप' के रूप में संदर्भित किया जाता है। हालांकि दोनों का एक दूसरे के साथ सीधा संबंध नहीं है।

---

[58] अधिकृत डीलर विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए भारिबैं द्वारा अधिकृत और अधिकृत बैंक हैं।
[59] जब कोई इकाई डॉलर खरीदती है, तो उसे लांग स्थिति मानी जाती है और जब कोई इकाई डॉलर बेचती है तो उसे शॉर्ट स्थिति मानी जाती है ।

विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के लिए भारिबैं द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले तरीके

भारिबैं हाजिर, वायदा, बदला तथा फ्यूचर्स बाजार में हस्तक्षेप करता है। रुपये की विनिमय दर हाजिर बाजार (टी+2निपटान) में लेनदेन द्वारा निर्धारित की जाती है। विदेशी मुद्रा वायदा दरें (हाजिर को छोड़कर) हाजिर तथा बदला लेनदेनों के मिश्रण से प्राप्त की जाती हैं। वायदा लेनदेन, हाजिर दर तथा वायदा प्रीमियम दोनों को प्रभावित करते हैं, जबकि बदला केवल वायदा प्रीमियम को ही प्रभावित करता है। हाजिर, वायदा तथा बदला लेनदेन "ओवर दि काउंटर" किए जाते हैं। वायदा बाजार में परिचालन का एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि भारिबैं को विद्यमान मौद्रिक नीति रुझान के अनुरूप घरेलू रुपया चलनिधि स्थितियों को ठीक करने के लिए युक्तिपूर्वक कदम उठाने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए जब भारिबैं विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा खरीदता है और अपने विदेशी मुद्रा परिचालन के कारण आईएनआर चलनिधि उपलब्ध कराना स्थगित करना चाहता है तो यह विदेशी मुद्रा की डिलीवरी को भविष्य की दिनांक पर स्थगित करने के लिए बिक्री/खरीद स्वैप ले सकता है जिससे आईएनआर चलनिधि पर प्रभाव भविष्य में किसी दिनांक पर शिफ्ट हो जाएगा।

करेंसी फ्यूचर्स लेनदेन एनएसई, बीएसई आदि जैसे अधिकृत बाजारों में किए जाते हैं जो विदेशी मुद्रा बाजार के एक्सचेंज ट्रेडेड खंड का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन, ओवर दि काउंटर खंड सुपुर्दगी आधारित (रुपया और डालर दोनों का निपटान नियत तारीख पर होता है) होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव बाजार में लेनदेन का निपटान रुपये में नकद में होता है (केवल रुपये में परिवर्तित लाभ अथवा हानि का ही निपटान नियत तारीख पर होता है)। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव बाजार का उपयोग करने का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि इससे विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि रुपये में केवल निवल राशि का ही निपटान किया जाता है और डालरों की सुपर्दगी करने या देने की कोई जरूरत नहीं होती।

बाजार परिचालन या तो सीधे ही या फिर चयनित एजेंसी बैंकों के माध्यम से किए जा सकते हैं, लेकिन सामान्यत: चयनित बैंकों के माध्यम से परोक्ष हस्तक्षेप को ही वरीयता दी जाती है। इन दोनों ही तरीकों के अपने-अपने लाभ और अलाभ हैं। लेकिन, परोक्ष तरीके में हस्तक्षेप परिचालनों

की गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है और इस प्रकार उनकी प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है।[60] भारिबैं के विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप परिचालनों को इसके मासिक बुलेटिन तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों में प्रकाशित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता बुरी क्यों है?

विनिमय दर की अस्थिरता समय के साथ-साथ विनिमय दरों में होने वाले उतार-चढ़ावों को प्रतिबिंबित करती है। ये उतार-चढ़ाव जितने अधिक या जितनी तेजी से होंगे उतनी ही अधिक अस्थिरता होगी। ऐतिहासिक मानक विचलन अस्थिरता का एक पुरातन उपाय है जबकि अंतर्निहित अस्थिरता व्युत्पन्न बाजार में कारोबार किए गए ऑप्शनों से प्राप्त की जा सकती है। अस्थिरता का पूर्वानुमान लगाने के लिए बाजार के खिलाड़ी कई अन्य मॉडलों का उपयोग करते हैं जैसे कि एआरसीएच (ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनली कॉन्डली हेटरोस्केडेसटिसिटी), जनरलाइज्ड ऑटोग्रेसिव कंडीशनली हेटरोस्केडेसटिसिटी (जीएआरसीएस) आदि । अस्थिर विनिमय दरें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश संबंधी निर्णयों को जटिल बना देती हैं क्योंकि इससे विनिमय दर जोखिम बढ़ जाता है। विनिमय दर जोखिम से तात्पर्य विनिमय दर में परिवर्तन की वजह से संभावित धन-हानि से है। तेजी से विनिमय दर में परिवर्तन से व्यापारियों और निवेशकों को धन की हानि कैसे होती है, इसके कुछ उदाहरण यहां नीचे दिए जा रहे हैं।

माना कि वस्त्र बनाने वाले एक भारतीय निर्माता को 10 डालर प्रति नग की दर पर विशेष प्रकार के वस्त्रों के 1000 नग निर्यात करने का आर्डर अमरीका के एक खुदरा विक्रेता से प्राप्त हुआ है। निर्यातक के लिए प्रति वस्त्र लागत 600/- रुपये थी और एक डालर के बदले 65/-रुपये की विनिमय दर चल रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि निर्यातक को प्रति वस्त्र 50 रुपये का लाभ मिलना था। माना कि माल तीन माह में भेजा जाना था और तब तक उसके लिए भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं थी। तीन माह का समय बीत जाने पर भेजे गए माल के बदले उसे 10,000/- डालर प्राप्त हुए। माना कि इस तीन महीने के अंत में रुपये की दर गिर कर प्रति डालर 60/-रुपये हो जाती है तो उसे प्रति नग अब 600/- रुपये ही मिलेंगे जबकि उसे प्रति नग 650/- रुपये मिलना

[60] विदेशी मुद्रा बाज़ारों में हस्तक्षेप पर बीआईएस पेपर सं.73 : भारतीय रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण –श्री जी.महालिंगम और श्री हारुन आर.खान के मार्गदर्शन में राकेश त्रिपाठी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उभरते बाज़ार के संबंध में बासेल में 21 और 22 फरवरी 2013 को अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के मेजबान में आयोजित उप गवर्नरों की बैठक में किया गया प्रस्तुतीकरण

अपक्षित था। अत: विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के कारण उसे प्रति नग 50/-रुपये के लाभ के बजाय हानि वहन करनी पड़ेगी। यह उदाहरण, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने से निर्यातक को होने वाले जोखिम को व्यक्त करता है।

आइये, अब हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जिसमें एक भारतीय कंपनी ने विदेश में प्रति डालर 65/- रुपये की निम्न दर का लाभ उठाने के लिए अमरीका स्थित बैंक से पिछले वर्ष एक मिलियन डालर का ऋण लिया था। इस प्रकार, उधारकर्ता के लिए अमरीका में उधार लेने की एक वर्ष की लागत 3 प्रतिशत थी, जबकि भारत में उसी ऋण की लागत उसे 10 प्रतिशत पड़ती। भारतीय कंपनी ने डालर में मिले उधार की राशि को रुपये में परिवर्तित करते हुए 65,000,000 रुपये प्राप्त कर उनका अपने कारोबार में उपयोग कर लिया। ऋणकर्ता ने करेंसी जोखिम से रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। अनपेक्षित रूप से रुपये के मुकाबले डालर के मूल्य में वृद्धि हुई और ऋण के भुगतान के समय विनिमय दर एक डालर के बदले 70/- रुपये पर पहुंच गई। अत: ब्याज सहित ऋण की राशि लौटाने के लिए उधारकर्ता को 103 मिलियन डालर खरीदने के लिए 72,100,000/-रुपये खर्च करने पड़े जो इस बात को व्यक्त करता है कि यदि उसने भारत में उधार लिया होता तो उसे उधार की लागत सस्ती पड़ती।

इन दोनों ही उदाहरणों का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि करेंसी के मूल्यों में अनुकूल परिवर्तन होने से उन्होंने लाभ कमाया होता। पहले उदाहरण में, यदि रुपये का मूल्य 70/- रुपये हो गया होता तो भेजे गए माल का रुपयों में मूल्य बढ़ गया होता और उसे 100/-रुपये प्रति नग का लाभ मिलता। इसी प्रकार, दूसरे उदाहरण में, यदि विनिमय दर 60/- रुपये हो गई होती तो ऋणकर्ता की उधार लेने की लागत और घट जाती। इस प्रकार, अस्थिर विनिमय दर से अनपेक्षित लाभ या हानि हो सकती है।

विनिमय दरों में उक्त प्रकार के उतार-चढ़ावों (जिन्हें करेंसी जोखिम भी कहा जाता है) से सुरक्षा के कई तरीके मौजूद हैं। कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेटिव उपाय हैं, वायदा, फ्यूचर्स और विकल्प आदि। कुछ भी हो, विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव या तो हानियों का जोखिम बढ़ाते हैं या फिर इन जोखिमों से रक्षा के लिए अतिरिक्त लागत लगानी पड़ती है।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की पर्याप्तता

भारिबैं द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करके डालर खरीदने से विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि होगी और डालर बेचने पर विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में कमी आएगी। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की पर्याप्तता का आकलन कई मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जिनमें विभिन्न प्रकार के पूंजीगत आगमनों मे निहित जोखिमों, आयात रक्षा, मात्रा, गठन आदि के अलावा वे बाह्य आघात भी शामिल हैं जिनका अर्थव्यवस्थ पर असर पड़ता है। अन्य कई देशों के विपरीत, भारत की विदेशी मुद्रा चालू खाते में अधिशेष होने के कारण संचित नहीं हुई हैं, बल्कि इसका कारण बड़ी मात्रा में पूंजी का आगमन होना रहा है। इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां "अर्जित" न होकर "उधार" के स्वरूप की हैं, और जैसा कि वर्ष 2008-09 में हुआ था, पूंजी बहिर्गमन की स्थिति में, इन्हें "लौटाना" पड़ सकता है। रुपयों में निवेश पर प्रतिलाभ की तुलना में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में निवेश पर प्रतिलाभ कम होता है क्योंकि उनकी एक लागत होती है।

आरबीआई हस्तक्षेप डेटा

आरबीआई हस्तक्षेप संबंधी डेटा व्यापार लेनदेन पूरा होने के एक महीने के बाद रिज़र्व बैंक के मासिक बुलेटन में प्रकाशित किया जाता है। ओटीसी मार्केट में किए गए हस्तक्षेप के लिए खरीद, बिक्री और बकाया वायदा संबंधी आंकडे दिए जाते हैं। ईटीसीडी बाज़ार में किए गए हस्तक्षेप के संबंध में जानकारी अलग तालिका में उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा आस्तियों पर निवल प्रवाह से संबंधित डेटा अवधि समाप्ति के बाद अंतरराष्ट्रीय रिज़र्व/ विदेशी मुद्रा चलनिधि पर आईएमएफ विशेष डेटा प्रसार मानक टेम्प्लेट में प्रकाशित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा बाजार के विशेष परिचालन

चलनिधि की कमी के समय में, स्थितियों को स्थिर बनाए रखने तथा विश्वास बनाए रखने की दृष्टि से भारिबैं ने विगत में रुपया तथा विदेशी मुद्रा दोनों की चलनिधि बढ़ाने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख यहां नीचे किया जा रहा है।

- वर्ष 2008 में लेहमॅन के धराशायी होने के बाद, वैश्विक संकट उपस्थित हो गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डालरों की उपलब्धता कम हो गई। नवंबर 2008 में रुपया-डालर अस्थाई बदला सुविधा लागू की गई ताकि विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंक या उनकी सहायक कंपनियां

अपनी अल्पकालिक विदेशी निधि आवश्यकताओं का आसानी से प्रबंधन कर सकें। इस सुविधा के अंतर्गत बैंकों को अधिकतम तीन महीनों के लिए डालर निधियों के बदले रुपया निधियां लेने की अनुमति दी गई थी। उक्त "बदले" के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु बैंकों को प्रचलित रिपो दर पर तदनुरूपी अवधि के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत उधार लेने की भी अनुमति प्रदान की गई थी। यह सुविधा बाद में एक्ज़िम बैंक को भी, ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, प्रदान की गई। इस सुविधा का निवल प्रभाव, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत पात्र प्रतिभूतियों की जमानत पर पात्र संस्थाओं द्वारा अस्थायी अवधियों के लिए डालर उधार लेने के रूप में सामने आया।

- बैंकों द्वारा प्रदत्त विदेशी मुद्रा में वृद्धिशील लदानपूर्व निर्यात ऋण के समर्थन के लिए, 14 जनवरी 2013 को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण-विस्तार हेतु बदला सुविधा की घोषणा की गई। यह सुविधा अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को 21 जनवरी 2013 से 28 जून 2013 तक 3 / 6 माह की निश्चित अवधि के लिए प्रदान की गई थी। बैंकों को, भारिबैं के साथ रुपया-डालर बदला करार करने या फिर विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण-विस्तार हेतु बदला सुविधा के अंतर्गत "बदला (स्वैप)" की सीमा तक रुपया पुनर्वित्त प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध था। किसी भी माह विशेष में, "बदला" के जरिए भारिबैं से अधिकतम डालर लेने की पात्रता, 30 नवंबर 2012 के संदर्भ में वृद्धिशील विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण-विस्तार हेतु बदला सुविधा के अंतर्गत वितरित राशि के बराबर, हो सकती थी।
- सरकारी क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों के लिए 28 अगस्त 2013 को फॉरेक्स स्वैप विंडो की घोषणा की गई ताकि उक्त तीनों कंपनियों (आइओसी, एचपीसीएल तथा बीपीसीएल) की डालर की समस्त जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस बदला (स्वैप) सुविधा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने नामित बैंकों के माध्यम से तेल विपणन कंपनियों के साथ नियत अवधि के लिए अमरीकी डालर-भारतीय रुपये बदला क्रय / विक्रय करार किया। इस सुविधा का प्रभाव यह हुआ कि तेल कंपनियां, अस्थायी तौर पर, रुपये देकर डालर प्राप्त करने लगीं और इस कारण विदेशी मुद्रा बाजार में डालरों की मांग में भारी कमी आ गई।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) के लिए एफसीएनआर (बी) डॉलर निधियों को आकर्षित करने के लिए एक स्वैप विंडो की घोषणा 6 सितंबर 2013 की गई थी। यह सुविधा 30 नवंबर 2013 तक खुली रही थी। इस सुविधा के अंतर्गत अंतर्निहित एफसीएनआर जमाराशियों की अवधि के अनुसार अनुमेय मुद्राओं में नई एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के

लिए 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए अमेरिकी डॉलर- रुपया स्वैप विंडो की अनुमति प्रदान की गई थी। भारिबैं के साथ स्वैप की सुविधा केवल अमेरिकी डॉलर में उपलब्ध थी और इसे 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निश्चित दर पर लिया गया था। लेन-देन के पहले चरण में बैंक भारिबैं संदर्भ दर पर भारिबैं को अमेरिकी डॉलर बेचे। स्वैप लेन-देन के उल्टे चरण में अमेरिकी डॉलर वापस लेने के लिए स्वैप प्रीमियम के साथ-साथ रुपया निधियां आरबीआई को वापस करनी होती थी। इस सुविधा के कारण स्वैप अवधि के दौरान भारिबैं के पास डॉलर की उपलब्धता बढ़ी। अधिकांश स्वैप 3 वर्ष की अवधि के लिए थे जिन्हें 2016 में समाप्त कर दिया गया।

- प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए, 10 सितंबर 2013 को अमरीकी डालर-रुपया बदला (स्वैप) विंडो की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत, वर्ग- I के बैंकों को अपने प्रधान कार्यालय, विदेश स्थित शाखाओं तथा संपर्की / प्रतिनिधि बैंक से उधार लेने की अनुमति दी गई। साथ ही, उन्हें नोस्ट्रो खाते में ओवरड्राफ्ट के माध्यम से, पिछली तिमाही के अंत की अपनी अक्षत टियर- I पूंजी के 100 प्रतिशत की सीमा तक (50 प्रतिशत की पिछली सीमा के बजाय) अथवा 10 मिलियन अमरीकी डालर (या उसके बराबर), जो भी अधिक हो, निधियां उधार लेने की अनुमति भी दी गई। इसके बाद, बैंकों को उधार की समस्त अवधि को शामिल करते हुए न्यूनतम एक वर्ष तथा अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए नए उधारों के संबंध में भारिबैं के साथ बदला लेनदेन करने की अनुमति प्रदान की गई। ऐसे स्वैप (बदला) बाजार दर से 100 आधार अंक कम की रियायती दर पर उपलब्ध थे। बदला दर का पुनर्निर्धारण, बदला की तारीख से प्रत्येक एक वर्ष की समाप्ति पर, उस तारीख को प्रचलित बाजार दर से 100 आधार अंक कम दर पर पुनर्निर्धारित किया जाता था। स्वैप की यह सुविधा अमरीकी डालरों को रुपयों में परिवर्तित करने के लिए ही उपलब्ध थी। रियायती बदला (स्वैप) विंडो 30 नवंबर 2013 तक ही उपलब्ध थी। इस सुविधा का प्रभाव यह हुआ कि स्वैप की अवधि के दौरान भारिबैं के पास डालर की उपलब्धता बढ़ गई। चूंकि यह सुविधा अधिकतम तीन वर्ष के लिए ही थी, अत: यह 2016 में समाप्त हो गई।
- दो स्वैप विंडो (नई एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर तथा बैंकों के विदेशी उधार) से लगभग 34 बिलियन अमरीकी डालर जुटाए गए, जिससे भारिबैं के पास डालर निधियां बढ़ाने में मदद मिली।
- वर्ष 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने फॉरेक्स स्वैप (डॉलर-रुपया खरीद-बिक्री स्वैप) टिकाऊ चलनिधि प्रबंधन के लिए प्रयोग किया। इस तरह की पहली नीलामी 3 साल की अवधि और

5 बिलियन अमरीकी डालर के लिए 26 मार्च 2019 को आयोजित की गई थी। डॉलर-रुपया खरीद-बिक्री विनिमय नीलामी के माध्यम से जुटाई गई अमेरिकी डॉलर की राशि, स्वैप के कार्यकाल के दौरान आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार में दर्शायी जाती है, जबकि आरबीआई की आगे की देनदारियों में भी दर्शायी जाती है।

अध्याय 5: वित्तीय स्थिरता

एक भली-भांति कार्यरत वित्तीय प्रणाली, जिसमें वित्तीय बाजार, वित्तीय मध्यस्थ (जैसे, बैंक, बीमा कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि) तथा वित्तीय आधारभूत सुविधाएं (भुगतान, समाशोधन तथा निपटान के लिए) शामिल होती हैं - आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यह ऋणदाता से ऋणकर्ता को संसाधनों का कुशल अंतरण सुनिश्चित करती है। यदि कोई व्यक्ति रेस्त्रां, सॉफ्टवेयर फर्म, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक की दुकान जैसा कोई व्यवसाय कठिनाई से की गई अपनी बचत या अपने माता-पिता की मदद से या फिर दोस्तो और रिश्तेदारों की मदद से शुरू करना चाहता है, तो उसके ऐसे सपने अधूरे ही रह जाने की संभावना बनेगी। साथ ही, निवेश के लिए अवसरों के अभाव में बचत बेकार ही पड़ी रहेगी या बेकार चली जाएगी। इसी प्रकार, यदि आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं और अपने शेयर या बांड बेच नहीं सकते और उन्हें कहीं और भी निवेश नहीं कर पाते तो आप हमेशा के लिए उस निवेश में फंसे रहेंगे तथा होनहार उद्यमियों के लिए पूंजी जुटाना और आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। इस प्रकार, स्थिर वित्तीय प्रणालियां, समाज की संचित बचतों का सर्वाधिक उत्पादक उपलब्ध उप योगों में आबंटित करके, विकास के लिए अनिवार्य वित्त तक न केवल पहुंच बनाती हैं, बल्कि जोखिमों के प्रबंधन तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

वित्त दो माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है : प्रतिभूतियां (शेयर या बांड) जारी करके प्रत्यक्ष रूप से या बैंकों तथा गैर-बैंक वित्त कंपनियों जैसे वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से परोक्ष रूप में। इसे यहां नीचे दर्शाया गया है:

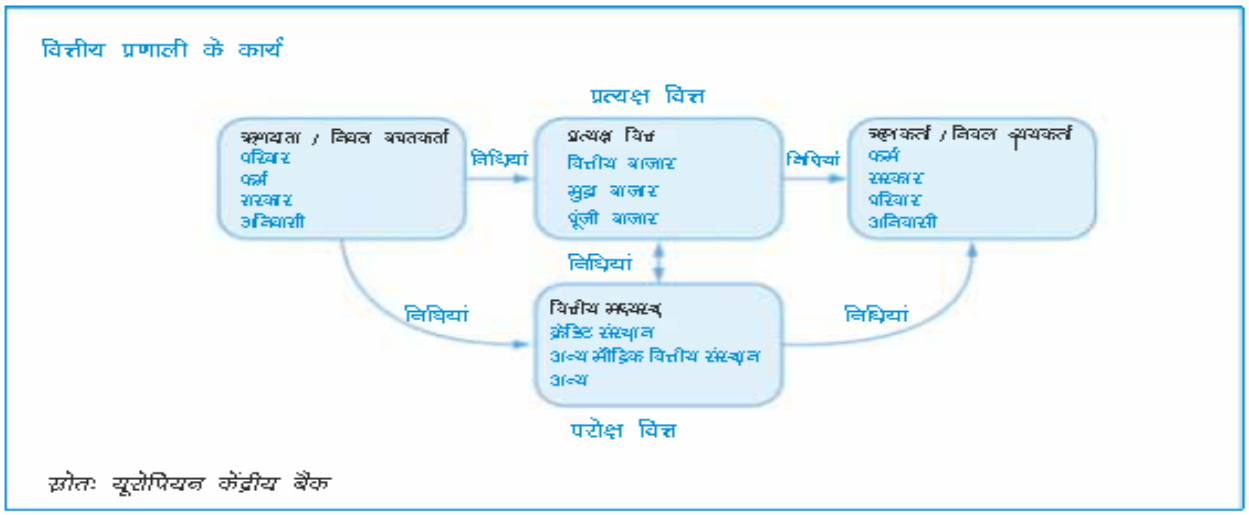

ये दोनों माध्यम अधिकांशत: एक-दूसरे के पूरक हैं। लेकिन, किसी देश में वित्तीय प्रणालियों के विकास के स्वरूप के अनुसार इनमें से कोई एक माध्यम ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, यूएस तथा यूके जैसे देशों में, जहां वित्तीय बाजार अधिक विकसित हैं, प्रत्यक्ष अथवा बाजार-आधारित वित्त ज्यादा लोकप्रिय है। दूसरी ओर, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में, अर्थव्यवस्था के वित्तपोषण में बैंक ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत में, बैंक परिवारों और कंपनियों के वित्तपोषण में तो मुख्य भूमिका निभाते ही हैं, बचतों के लिए भी उनकी बड़ी भूमिका है। एक स्वस्थ वित्तीय प्रणाली के अभाव में मध्यस्थीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी और आर्थिक विकास लड़खड़ा जाएगा।

वित्तीय प्रणाली ज्यादातर अपनी भूमिका कारगर ढंग से निभाती है। लेकिन, जब ऐसा नहीं होता तब वित्तीय अस्थिरता पैदा होती है और वित्तीय संकट उत्पन्न होते हैं। यदि वित्तीय संकट वास्तविक अर्थव्यवस्था में अंतरित नहीं होता तब भी स्वयं में चिंता का विषय तो होता ही है, हालांकि इसके प्रलयंकारी प्रभाव नहीं होते। यदि वित्तीय प्रणाली आघातों को सहन कर सकती है और वास्तविक अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होने देती तो यह माना जाता है कि वह ठीक तरह से काम कर रही है। लेकिन, आधुनिक अर्थव्यवस्था में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जब वित्तीय प्रणाली के आघातों का असर वास्तविक अर्थव्यवस्था तक पहुंचा है और उससे भारी मंदी तथा बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है। विशेष रूप से, बैंक अपने तुलन-पत्रों में हानियों के कारण या फिर पूंजी के घटते स्तर के कारण उधार देना बंद कर सकते हैं या परिपक्वता पर ऋणों को विस्तारित नहीं करते। ऐसा अचानक चलनिधि की भारी कमी के कारण भी हो सकता है, क्योंकि बैंक के तुलन-पत्र में आस्तियां अकसर लंबी अवधि की या अनकदी वाली होती हैं। बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था में, ऋणदाता ऋणकर्ताओं की ऋण चुकाने की क्षमता में विश्वास खो सकते हैं और उनकी प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करते या अल्पकालिक वित्त उपलब्ध नहीं करते। इसके परिणामस्वरूप, वित्तपोषण में कमी आती है, जिसका उपभोग और निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अंतत: आर्थिक संवृद्ध विपरीत रूप से प्रभावित होती है। वित्तीय साहित्य में इसे प्रणालीगत जोखिम कहा गया है, "*यह ऐसा जोखिम है जिसमें आवश्यक वित्तीय उत्पाद और सेवाओं हेतु प्रवधान ऐसे बिंदु पर जाकर अटक जाएगा जहां आर्थिक संवृद्धि और कल्याण काफी हद तक प्रभावित हो सकते हैं।*[61]"

[61] यूरोपीय केंद्रीय बैंक

प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न होने से वित्तीय स्थिरता उत्पन्न होती है। अत: वित्तीय स्थिरता ऐसी स्थिति है जिसके जरिए प्रणालीगत जोखिमों को रोका जा सकता है।

वर्ष 2007-09 का वित्तीय संकट प्रणालीगत जोखिम का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि आवासन के बुलबुले के फूटने तथा बड़ी वित्तीय संस्थाओं के असफल होने के साथ ही कई अर्थव्यवस्थाओं में मंदी छा गई। इस संकट से ऐसे कई नए जोखिम उभर कर सामने आए जिन्हें प्रणालीगत जोखिम न होने देने के लिए, रोकना अनिवार्य हो जाता है। इनमें से कुछ हैं - लिवरेज निर्मित होना, नए वित्तीय लिखतों का जटिल होना, बाजार की क्षमता तथा संस्थाओं के बीच अंतर्संबंद्धता। विनियामक मानदंडों के बाहर वित्तीय मध्यस्थीकरण, जिसे "छाया बैंकिंग" कहा जाता है, और विनियमित बैंकिंग प्रणाली से इसकी सहबद्धता वित्तीय संकट को बल देने का एक प्रमुख कारण रहा है।

प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न होने की पहचान, दो आयामों अर्थात् समय आयाम तथा प्रति-संभागीय आयाम के रूप में की जाती है। इसलिए, वित्तीय स्थिरता का उद्देश्य प्रणालीगत जोखिम के निर्माण को कम करना और उसके विस्तार को सीमित रखना होना चाहिए। जोखिमों के विस्तार वित्तीय क्षेत्रों के विभिन्न खंडों के अंतर्संबंध होने के कारण होते है। प्रभाव-अंतरण (स्पिल ओवर) को सीमित करने का एक तरीका विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंतर्संबद्धता को प्रतिबंधित करना है। लेकिन, इससे बाजार की कुशलता में कमी आएगी और मध्यस्थीकरण की लागत में भी काफी वृद्धि होगी। साथ ही, बाजार के सहभागियों को और अंतत: वित्तीय सेवाओं का उपभोग करने वालों को काफी असुविधा झेलनी होगी। इसलिए वित्तीय स्थिरता का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में प्रणालीगत जोखिमों के उभरने पर निगरानी रखना, उनकी पहचान करना तथा उन्हें पूरी दक्षता और कारगर ढंग से न्यूनतम करते हुए उनके प्रभाव-अंतरण को रोकना होना चाहिए। इसके लिए अधिकतम बाजार कुशलता, उच्चतम उपभोक्ता संरक्षण तथा न्यूनतम प्रणालीगत जोखिम के उद्देश्यों के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी है।

वित्तीय स्थिरता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रलिखित तीन वर्गों में विभाजित संरचना स्थापित की जा सकती है - (1) वित्तीय स्थिरता के लिए संस्थागत और अभिशासी ढ़ांचा स्थापित

करना; (2) प्रणालीगत जोखिमों की माप और निगरानी करना; तथा (3) पहचान किए गए प्रणालीगत जोखिमों को सीमित करने के लिए समष्टि-विवेकशील नीतियां लागू करना।

वित्तीय स्थिरता के लिए संस्थागत तथा अभिशासी ढ़ांचा

वर्ष 2007-09 के वित्तीय संकट के बाद, कई केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय स्थिरता की आवश्यकता को पहचाना है और प्रत्यक्षत: इसे अपना नीतिगत उद्देश्य बना लिया है। लेकिन, इस तथ्य को विचार में लेते हुए कि वित्तीय प्रणाली में कई वित्तीय मध्यस्थ तथा बाजार शामिल होते हैं, अधिकांश देशों में वित्तीय स्थिरता की जिम्मेदारी सरकार पर आती जा रही है, इसमें केंद्रीय बैंक महत्वपूर्ण समर्थन कारी भूमिका निभाते हैं। भारत में, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-विनियामक समन्वयन बढ़ाने तथा वित्तीय क्षेत्र के संवर्धन की संरचना को सुदृढ़ बनाने और उसे संस्थागत रूप देने के लिए शीर्ष-स्तरीय मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने दिसंबर 2010 में वित्तीय स्थिरता विकास परिषद् (एफएसडीसी) की स्थापना की। इस परिषद् के अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं तथा सदस्य के रूप में, वित्तीय क्षेत्र के विनियामक, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए), वित्त सचिव और / या सचिव-आर्थिक कार्य विभाग, सचिव-वित्तीय सेवा विभाग के तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार, शामिल हैं। एफएसडीसी को मई 2018 में पुनर्गठित किया गया, जिसमें आर्थिक कार्य विभाग के लिए जिम्मेदार राज्य मंत्री, डिजिटल लेनदेन और डेटा गोपनीयता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के रोलआउट के बाद राजस्व सचिव और दि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) के अध्यक्ष जैसे अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया गया। परिषद् आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों को बैठक में आमंत्रित कर सकती है। विनियामकों की स्वायत्तता पर बिना कोई प्रभाव डाले, परिषद् द्वारा अर्थव्यवस्था का समष्टिगत विवेकशील पर्यवेक्षण किया जाता है, जिसमें बड़े वित्तीय संगुटों की कार्यप्रणाली पर निगरानी शामिल है। यह अंतर-विनियामक समन्वयन सुनिश्चित करती है तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दों का समाधान करती है। यह अपना ध्यान वित्तीय शिक्षण और वित्तीय समावेशन पर भी केंद्रित करती है।

इस परिषद् की सहायता के लिए एक उप-समिति का भी गठन किया गया है जिसने वित्तीय बाजारों पर पूर्व उच्च स्तरीय समन्वयन समिति का स्थान लिया है। इस समिति के अध्यक्ष आरबीआई

के गवर्नर हैं तथा इसमें एफएसडीसी के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा, आरबीआई से उप-गवर्नर और एक कार्यकारी निदेशक भी इस उप-समिति के सदस्य हैं। इस समिति की नियमित बैठक समष्टि अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय बाजारों की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए आयोजित की जाती है ताकि वित्तीय स्थिरता बनाए रखी जा सके और देश में समष्टि-विवेकशील विनियमन पर निगरानी रखी जा सके।

वित्तीय संकट से पहले भी आरबीआई का मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता का प्रबंधन करना रहा है। आरबीआई प्रणालीगत जोखिमों का सामना करने के लिए, अघोषित रूप से पिछले कई वर्षों से समष्टि-विवेकशील नीतियां अपनाता आ रहा है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड तथा भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड जो दोनों ही केंद्रीय निदेशक बोर्ड की समितियां हैं, का गठन, समग्र वित्तीय प्रणाली से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करने और अस्थिरता के संकेत मिलने पर उनसे प्रत्येक संस्था के स्तर पर तथा प्रणाली स्तर पर निपटने के लिए सुविज्ञ एवं प्रामाणिक निर्णय लेने के लिए किया गया था। एफएसडीसी की स्थापना से पूर्व आरबीआई के पास वाणिज्यिक, आवासीय तथा जमीन-जायदाद के क्षेत्र में ऋण की वृद्धि का आकलन करने के लिए समय भिन्नता एलटीवी अनुपातों के प्रयोग का रिकॉर्ड रखा जाता था। इसके अलावा, वित्तीय बाजारों के प्रति-संभागीय प्रभाव अंतरण को रोकने के लिए ईक्विटी बाजार में सहभागिता पर कड़ी निवेश सीमा लगाने, प्रतिपक्षियों के अरक्षित विदेशी मुद्रा निवेशों का पता लगाने तथा बैंकों को जमीन-जायदाद पर कुल निवेश की सीमा के संबंध में निदेश देने जैसे कदम भी उठाए जाते हैं। इसी प्रकार, विदेशी मुद्रा की कमी की स्थिति में आरबीआई ने खुली स्थिति (ओपन पोज़ीशन) पर कड़ी सीमाएं भी लगाई हैं तथा पूंजी बाजार के नियामकों के साथ तालमेल करते हुए एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स पर उच्चतम मार्जिन मानदंड तथा स्थिति सीमा लगाने जैसे कदम भी उठाए हैं। अंतिम ऋणदाता होने के साथ-साथ कीमत और विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करने में केंद्र बैंक के अनुभव वितीय स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय बैंक की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है।

वर्ष 2007-09 के वित्तीय संकट ने समष्टि-आर्थिक स्थिरता के महत्व को फिर से रेखांकित किया तथा विद्यमान संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए भारिबैं ने अगस्त 2009 में परिचालनगत रूप से स्वतंत्र वित्तीय स्थिरता इकाई(एफएसयू) की स्थापना की। यह इकाई छमाही रूपसे वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें तैयार करती है जो भारत की वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता

और विकास परिषद् की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करती है। वित्तीय स्थिरता इकाई के अन्य प्रमुख कार्यों में अन्य कार्यों के अलावा वित्तीय प्रणाली पर नियमित रूप से समष्टि-विवेकशील निगरानी रखना, बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता तथा वित्तीय स्थिरता के मूल्यांकन के लिए मॉडलों के विकास का मूल्यांकन करने हेतु आवधिक रूप से प्रणालीगत तनाव का परीक्षण करती है।

प्रणालीगत जोखिमों की माप और निगरानी

प्रणालीगत जोखिमों पर नियमित निगरानी रखना अधिकांश केंद्रीय बैंकों और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों का महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। ये निगरनियाँ कई साधनों के जरिए रखी जाती है, जिनमें व्यष्टि तथा समष्टि स्तर पर तनाव परीक्षण, विभिन्न वित्तीय बाजार निकायों तथा क्षेत्रों के बीच अंतर्संबद्धता का विश्लेषण, बैंकिंग स्थिरता संकेतक, प्रणालीगत चलनिधि संकेतक, समग्रत: तथा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए ऋण-जीडीपी संवृद्धि की प्रवृत्ति जैसे विभिन्न संकेतकों का प्रयोग शामिल है। अधिकांश क्षेत्राधिकारों (देशों) में इन संकेतकों तथा साधनों का प्रकाशन आवधिक रिपोर्टों अर्थात् वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों या वित्तीय स्थिरता समीक्षाओं में किया जाता है।

पहचाने गए प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए नीतियां लागू करना

प्रणालीगत जोखिमों का पता लगाए जाने के बाद अगला कदम ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए नीतियां लागू करने का होता है। कई आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में, वित्तीय संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण का काम कई एजेंसियों के बीच बांटा जाता है। इससे इन संस्थाओं के क्रिया-कलापों पर निगरानी रखने तथा ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करने में कठिनाई होती है जो प्रणाली को जोखिम में डाल सकती हैं। अत: केंद्रीय बैंकिंग का मुख्य कार्य वित्तीय स्थिरता होने के बावजूद, उसकी भूमिका चलनिधि का प्रावधान करने अर्थात् अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाने तक ही सीमित थी। वित्तीय संकट से यह बात उभर कर सामने आई कि वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों का समाधान करने वाली नीतियां और उपाय पर्याप्त नहीं थे। किसी एक संस्था की सुरक्षा पर लक्षित व्यष्टि-विवेकशील नीतियां तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की रक्षा पर लक्षित समष्टि-विवेकशील नीतियां अपर्याप्त पाई गईं और प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न होने से रोकने का कार्य प्रमुखता पाता गया।

समष्टि-विवेकशील नीतियों के निम्नलिखित दो उद्देश्य हैं:

- ऋण और लिवरेज के माध्यम से जोखिमों की ऐसी अधिकता को रोकना, जिनसे तेजी की स्थिति का विस्तार होता है और चक्र बाधित होते हैं (समय आयाम)।
- वित्तीय प्रणाली की मजबूती अर्थात् वास्तविक अर्थव्यवस्था को बिना कोई बड़ी हानि पहुंचाए आघात झेलने की इसकी क्षमता में वृद्धि करना। यह संक्रामकता को सीमित करके (प्रति-संविभागीय आयाम) तथा प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (उदाहरण के लिए उच्च पूंजी वाली संस्थाएं) को लक्षित करके किया जा सकता है।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कई उपायों की पहचान की गई है। ये उपाय कई बार केवल समष्टि-विवेकशील उपाय होते हैं या फिर इनका प्रयोग विद्यमान समष्टि-विवेकशील उपायों के साथ किया जाता है। प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, लिवरेज अनुपात (लिवरेज को कम करते हुए बैंकों द्वारा उधार दिए जाने पर लगाम लगाना), ऋण-से-मूल्य अनुपातों को सीमित करना (उदाहरण के लिए, घरेलू खरीदारों को खुद का धन ज्यादा लगाना पड़ता है), गतिशील प्रावधानीकरण, बैंक ऋणों पर उच्चतर जोखिम भार लगाना आदि, का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार, संस्थागत निवेशकों को कुछ क्षेत्रों में निवेश करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है या एक निश्चित साख श्रेणी (क्रेडिट रेटिंग) से नीचे वाले लिखतों में निवेश करने से रोका जा सकता है। प्रणाली स्तर पर, विनियामक प्रति-चक्रीय बफर जैसे उपाय सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू किए जाते हैं। ऐसे उपायों का सहारा तभी लिया जाता है जब किसी पूर्व-निर्धारित प्रारंभिक सीमा, जैसे जीडीपी से ऋण अनुपात का उल्लंघन किया गया हो। वित्तीय प्रणाली की मजबूती बढ़ाने के लिए पूंजी बफर (आर्थिक समृद्धि के समय भविष्य के लिए पूंजी संचित करना ताकि आर्थिक कठिनाई के समय उसका उपयोग किया जा सके), चलनिधि बफर (तुलन-पत्र में उच्च गुणवत्ता वाली काफी चलनिधि आस्तियां होना), प्रणालीगत महत्व वाली संस्थाओं के लिए अधिक पूंजी अपेक्षाएं रखना, तुलन-पत्र की मजबूती का मूल्यांकन करने के लिए तनाव परीक्षण आदि, का प्रयोग किया जाता है।

अध्याय 6: वित्तीय प्रणाली का अवलोकन

भारतीय वित्तीय प्रणाली में संस्थाएं (बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, बीमा कंपनियां, म्युचुअल निधियां आदि), वित्तीय बाजार (मुद्रा, सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, आदि) के अलावा विधिक तथा संस्थागत संरचना (आकृति 1) द्वारा उचित रूप से समर्थित वित्तीय बाजार शामिल हैं। भली प्रकार कार्यरत वित्तीय प्रणाली बचतकर्ताओं और ऋणकर्ताओं को साथ लाती है, कुशल वित्तीय मध्यस्थीकरण के जरिए जोखिमों और संसाधनों का कुशल आबंटन करती है और समग्र आर्थिक संवृद्धि में योगदान देती है।

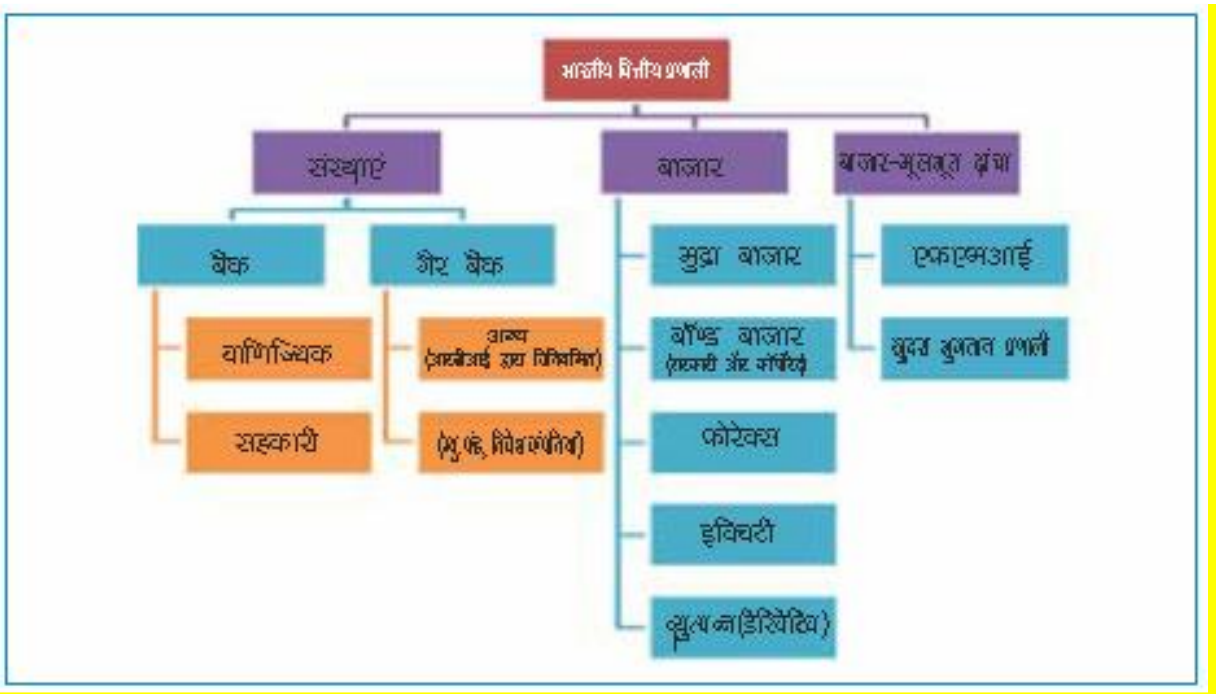

वित्तीय विनियमन का औचित्य

वित्तीय प्रणाली कई महत्वपूर्ण कार्य करते है: बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच मध्यस्थता, भुगतान की सुविधा, जोखिम-साझाकरण, तरलता प्रदान करना, उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच सूचना विषमता को कम करना, आदि। एक अच्छी तरह से कार्यशील वित्तीय प्रणाली आर्थिक कल्याण में योगदान करती है, जबकि एक शिथिल या अस्थिर वित्तीय प्रणाली आर्थिक कठिनाई की ओर ले जाती है। विनियमन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय प्रणाली वास्तविक अर्थव्यवस्था पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के इन महत्वपूर्ण कार्यों को करती रहे।

विवेकशील विनियमन का परंपरागत दृष्टिकोण, व्यक्तिगत संस्थाओं की गतिविधियों को विनियमित करके, उन पर पूंजी आवश्यकताएं लाद कर, निवेश संबंधी मानदंड आदि लागू करके, उनकी स्थिरता की रक्षा करना रहा है। विवेकपूर्ण विनियमन के अलावा, उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए नियम भी लागू होते हैं। व्यक्तिगत संस्थाएं, भारी आघातों का सामना कैसे करती हैं और अपनी सुदृढ़ता को कैसे बनाए रखती हैं, इसकी जांच करने वाले विनियमन को समष्टि-विवेकशील विनियमन कहा जाता है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद विनियमन में समष्टि-विवेकशील विनियमन को पूरा महत्व दिया जाने लगा क्योंकि उक्त संकट से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी कि प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न होने से निपटने के लिए हल्के जोखिमों पर संक्रेदित विद्यमान विनियामक ढ़ांचा पर्याप्त नहीं था। अत: वैश्विक संकट के बाद वित्तीय प्रणाली को सशक्त बनाने तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए विनियामक दृष्टिकोण में बदलाव आया और व्यष्टि-विवेकशील तथा समष्टि-विवेकशील विनियमन दोनों का मिश्रित प्रयोग किया जाने लगा।

भारत में विनियामक और पर्यवेक्षी संरचना

भारत में वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण विभिन्न विनियामक प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षक की भूमिका में, वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक, कुछ वित्तीय संस्थाएं और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफसी) शामिल हैं। भारत सरकार का कोरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), उनके साथ पंजीकृत अन्य कंपनियों का विनियमन करता है। इसके अलावा, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) ने राष्ट्रीय आवासीय बैंक अधिनियम, 1987 को संशोधित किया है, जिसके तहत आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) के विनियमन का अधिकार रिज़र्व बैंक को प्रदान किया गया था। सहकारी समिति क्षेत्र के संबंध में, द्वि विनियमन प्रमाली मौजूद है। जहाँ एकल राज्य सहकारी बैंकों के मामले में संबंधित राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) तथा बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के साथ शहरी सहकारी बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक भी रहता है। जहाँ रिज़र्व बैंक का संबंध सहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्य-कलाप से है, वहीं उनका प्रबंधन नियंत्रण आरसीएस/सीआरसीएस के साथ रहता है। यह दोहरी नियंत्रण सहकारी के विनियमन और पर्यवेक्षण को प्रभावित करता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारी (आईआरडीएआई) द्वारा बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाता है तथा पूंजी बाजार, साख श्रेणी निर्धारण एजेंसियों आदि का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा किया जाता है।

रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षक की भूमिका में उनके साथ पंजीकृत वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), कुछ वित्तीय संस्थाएं (एफआई) और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफसी)शामिल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों (स्टेसीबी) तथा जिला सहकारी बैंकों (डीसीसीबा) का पर्यवेक्षण कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड); आवासन वित्त कंपनियों (एचएफसी) का पर्यवेक्षण राष्ट्रीय आवास बैंक(एनएचबी) द्वारा किया जाता है।

विनियामक संस्थाओं के अलावा भारिबैं वित्तीय बाजारों के कुछ खंडों तथा वित्तीय बाजार की मूलभूत सुविधाओं का भी विनियमन करता है, जिन पर आगे के अध्यायों में चर्चा की जाएगी।

आरबीआई के विनियामक और पर्यवेक्षी विभागों का पुनर्गठन

21 मई 2019 को गठित भारतीय रिज़र्व बैंक की केंद्रीय बोर्ड ने अलग पर्यवेक्षी और विनियामक संवर्ग के निर्माण के लिए अनुमोदन दिया। यह निर्णय, बढ़ती जटिलताओं, आकार और परस्पर संबद्ध के साथ-साथ संभावित पर्यवेक्षी अंतरपणन और सूचना असममिति के कारण उत्पन्न होनी वाली संभावित प्रणालीगत जोखिमों से अधिक प्रभावी ढ़ग से निपटने के लिए और विनियामक संस्थानों के पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखने के लिए लिया गया था। तदानुसार, आरबीआई ने 01 नवंबर 2019 से पर्यवेक्षी कार्य को संगठित पर्यवेक्षी विभाग और विनियामक कार्यों को संगठित विनियामक विभाग के रूप में एकीकृत करने का निर्णय लिया।

इससे पूर्व, तीन विभिन्न विभागों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र संस्थानों का पर्यवेक्षण किया जाता था, जैसे बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, और सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग। इसी प्रकार से तीन विभिन्न विभागों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र संस्थानों का विनियमन किया जाता था, जैसे बैंकिंग विनियमन विभाग, गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग, और सहकारी बैंक विनियमन विभाग।

यह पुनर्गठनः

i. विनियमित संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना पर पूर्णतः आधारित होने के बदले पर्यवेक्षी और विनियामक प्रक्रिया को गतिविधि आधारित बनाएगा।
ii. सभी आरबीआई पर्यवेक्षित संस्थाओं को उनके आकार और जटिलता से जुड़ी श्रेणीबद्ध पर्यवेक्षी दृष्टिकोण प्रदान करेगा।
iii. आरबीआई पर्यवेक्षित संस्थाओं के बीच वित्तीय संगुटों के अधिक प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।

iv. बैंक की परिधि में आनेवाले वित्तीय क्षेत्र संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में भाग लेने वाले मानव संसाधन के अधिक प्रभावी आबंटन में सहायक होगा।

v. वित्तीय क्षेत्र संस्थाओं के विनिमयन और पर्यवेक्षण में अनुभवी और कुशल मानव संसाधन निर्मित करने में मददगार सिद्ध होगा।

अध्याय 7: वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन

बैंकिंग विनियमन का मुख्य औचित्य अर्थव्यवस्था में बैंकों द्वारा निभाई जाने वाली विशेष भूमिका में खोजा जा सकता है। बैंकिंग का मूल कार्य, मांग पर वापसी-योग्य जमाराशियां स्वीकार करना तथा उनका उपयोग ऋण देने और निवेश करने के लिए, किया जाना है। इससे बचतों को इकट्ठा करके उपभोग और निवेशों को प्रोत्साहित करते हुए आर्थिक संवृद्धि में सहायता मिलती है। बैंक वित्तीय मध्यस्थ के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए आकार, जोखिम, चलनिधि तथा परिपक्वता के रूपांतरण का काम करते हैं, जिससे वे बड़े जोखिमों में फंस सकते हैं। चलनिधि और परिपक्वता के रूपांतरण के साथ बैंक अपनी दीर्घकालिक अनकदी आस्तियों (जैसे बंधक) को, जमाराशियों जैसी अल्पकालिक और शीघ्र नकदी में परिवर्तित होने वाले साधनों का उपयोग करके, निधियां उपलब्ध करवाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, आस्ति-देयता का असंतुलन, जिसके बिना बैंकिंग व्यवसाय नहीं चल सकता, बैंकों को अति-संवेदनशील बना देता है। मांग पर जमाराशि वापस लौटाने की अक्षमता, यहां तक कि इसकी अफवाह मात्र से, बैंकों में जनता का विश्वास हिल सकता है और लोग बैंकों से अपना पैसा निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिससे बैंक फेल तक हो सकते हैं। बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए जमाकर्ता बीमा तथा केंद्रीय बैंक द्वारा चलनिधि सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान खुद में नैतिक संकट जैसी विनियामक चिंताओं को जन्म दे सकता है। बैंकों द्वारा सामना किए जाने वाले ऐसे जोखिमों के परिप्रेक्ष्य में, बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और उसके भली प्रकार से कार्य करने के लिए सुनियोजित विनियामक ढ़ांचा होना अनिवार्य हो जाता है।

बैंक उच्च लिवरेज वाली संस्थाएं हैं क्योंकि वे अपनी ईक्विटी पूंजी की बहुत कम मात्रा की तुलना में जमाराशियों और उधार राशि बहुत बड़ी मात्रा में जुटाते हैं। चूंकि बैंक जमाकर्ताओं की निधियों का उपयोग करके काफी लिवरेज निर्मित करते हैं, अत: जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना बैंक विनियमन के लिए अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण बन जाता है। बैंकों के सीधे-सरल जमाकर्ता बैंकों के संबंध में असंयत उपलब्ध सूचना के कारण उन पर कारगर निगरानी नहीं रख सकते। असंयत सूचना से तात्पर्य ऐसी सूचना से होता है जब आर्थिक लेनदेन के किसी एक पक्ष के पास दूसरे पक्ष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। यहां तक कि यदि कोई जमाकर्ता बैंक की देयताओं के मुकाबले उनकी आस्तियों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण कर सकता

है लेकिन स्थिति बदल सकती है क्योंकि बैंकिंग व्यवसाय निरंतर परिवर्तनशील है जिसमें बैंक अपनी आस्तियों में निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं और उनसे नए जमाकर्ता और लेनदार जुड़ते रहते हैं। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जमाकर्ता अपना धन गंवाने का जोखिम उठाने की बात सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनमें से कई तो अपने जीवन भर की कमाई बैंकों में रखते हैं। अत: नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानवता के सभी पहलुओं से यह अनिवार्य हो जाता है कि बैंकिंग प्रणाली का अच्छी तरह से विनियमन हो।

वित्तीय प्रणाली में बैंकों की केंद्रीय भूमिका भुगतान और निपटान सेवाओं को सहज बनाने की है। साथ ही, मौद्रिक नीति का प्रभाव-अंतरण करके बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता लाना भी विनियामकों का निर्विवाद उद्देश्य बन जाता है। बैंकिंग संकट भुगतान और निपटान प्रणाली को बाधित करके और मौद्रिक नीति अंतरण को कम प्रभावी बनाकर अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी तथा बेरोजगारी के रूप में बड़ी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है।
उपर्युक्त सभी कारणों से सुनियोजित बैंकिंग विनियमन की जरूरत होती है।

विनियमन किन पहलुओं को पूरा किए जाने की अपेक्षा नहीं करता

जमाकर्ता-संरक्षण, प्रणालीगत स्थिरता और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना विनियमन के लक्ष्यों के रूप में लिये जाते हैं, लेकिन कई पहलू ऐसे हैं जिन्हें पूरा करना[62] बैंकिंग विनियमन का आशय नहीं होता। पहला, किसी एक बैंक को फेल होने से रोकना बैंकिंग विनियमन का मुख्य उद्देश्य नहीं है, बशर्ते जमाकर्ता संरक्षित हों, वित्तीय स्थिरता प्रभावित न हो और पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हों। दूसरा, बैंक के परिचालन में बैंकर के वाणिज्यिक निर्णयों के विकल्प के रूप में बैंकिंग विनियमन नहीं होना चाहिए। अंतिम, बैंकिंग विनियमन को अन्य समूहों के मुकाबले कुछ समूहों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। बैंकों को प्रतिस्पर्धा में अन्य संस्थाओं के मुकाबले संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

---

[62] मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट (अध्याय X), भारतीय रिज़र्व बैंक 4 सितंबर 2008 अध्याय X के पैरा 10.11 के अंतर्गत। बैंकिंग में विनियामक और पर्यवेक्षीय चुनौतियां

बैंकिंग विनियमन के लिए विधिक आधार

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के लागू होने से पूर्व बैंकिंग कंपनियों से संबंधित कानूनी प्रावधान केवल भारतीय कंपनी अधिनियम में ही मौजूद थे। 1850 के कंपनी अधिनियम 43 के साथ भारत में कंपनी कानून लागू हुआ, जो इंग्लिश कंपनी अधिनियम, 1844 पर आधारित था। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू होने के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक का महत्वपूर्ण कार्य बैंकों की आरक्षित नकदी निधियों को धारित करना, उन्हें विवेकाधीन निभाव मंजूर करना तथा अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार, ऋण नियंत्रण के उपायों के जरिए उनके परिचालन को विनियमित करना था। देश की बैंकिंग प्रणाली के संबंध में, रिज़र्व बैंक की प्राथमिक भूमिका की कल्पना बैंकों की अल्पकालिक परिसंपत्तियों की तरलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतिम उधारदाता के रूप में की गई थी। बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम 17 फरवरी 1949 को पारित हुआ जिसमें बैंकिंग के कई पहलुओं को विस्तार से शामिल किया गया, जिनमें परिचालन मुद्दों के अतिरिक्त बैंक स्थापित करने से लेकर समामेलन तक सम्मिलित थे।

उपर्युक्त के अलावा बैंकों के कार्यों को अन्य कई कानूनों में भी जगह दी गई है, जो उनके संवर्ग पर आधारित हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंकिंग कंपनी (एटीयू) अधिनियम, 1970 तथा 1980, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम,1976। इनके अलावा, सहकारी बैंकों के कार्यों पर विनियमन के लिए वर्ष 1965 में बैंककारी विनियमन अधिनियम में धारा 56 जोड़ी गई।

भारत में बैंकिंग विनियमन का विकास

विगत वर्षों में, भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों में बदलाव के साथ-साथ, विनियामक और पर्यवेक्षी कार्यों में यथावश्यक संशोधन किए जाते रहे हैं। सामान्यत: भारतीय अर्थव्यवस्था और विशेषत: बैंकिंग प्रणाली में समय-समय पर घटी घटनाओं के अनुरूप बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता तथा स्थिरता बनाए रखने के मूल प्रयोजन को बनाए रखते हुए विनियमन तथा पर्यवेक्षण से संबंधित उद्देश्यों और दृष्टिकोणो में भी बदलाव आया है। विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में भारिबैं की भूमिका का केंद्र धीरे-धीरे बैंकों की दैनिक गतिविधियों पर व्यष्टिगत विनियमन के बजाय समष्टिगत विनियमन पर अंतरित होता गया है ताकि विनियमनों का पालन ऐसे माहौल में हो सके, जहां बैंकों के प्रबंध-तंत्र को अपने खुद के विवेक के आधार पर वाणिज्यिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता मौजूद हो।

चूंकि हाल के वर्षों में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने धीरे-धीरे वैश्विक स्वरूप अख्तियार कर लिया है, अत: विनियमन और पर्यवेक्षण का ध्यान, प्रणालीगत अक्षमता को रोकने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और बाजार की प्रथाओं में सुधार लाने पर केंद्रित हो गया है। विनियमन और पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य अभी भी "वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता और स्थिरता बनाए रखना है" लेकिन, इसके साथ-साथ इनमें तुलन-पत्रों की पारदर्शिता, जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, कार्यकुशलता को बढ़ाने, सूचना की असंयतता में कमी लाने और धनशोधन को रोकने जैसे उद्देश्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। निष्कर्षतः घरेलू और बाहरी वित्तीय वातावरण में लगातार हो रहे बदलावों के साथ उभरती हुई स्थिति के अनुसार अपने विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य के केंद्र बिंदु को और अधिक दुरुस्त करते हुए रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर उचित और आगे बढ़कर सक्रिय रूप से कार्य किया है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली

वाणिज्यिक बैंक

भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र बहुत विविधता लिये हुए है। स्वामित्व के आधार पर बैंकों को मोटे तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, संसद द्वारा पारित उनके संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत हुआ है, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनी माना जाता है। वर्ष 2015 तक भारत में केवल यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस ही जारी किए जाते थे, लेकिन वर्ष 2015 से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंसों के साथ डिफेरेंशिएटेड बैंक (निश बैंक) के लिए भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। स्थानीय स्तर के संस्थान होने के नाते, आरआरबी ने वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के साथ मिलकर कृषि और ग्रामीण ऋण वितरण में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाई। आरआरबी की इक्विटी का योगदान केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक द्वारा 50:15:35 के अनुपात में किया गया था। आरआरबी पर वित्तीय विनियमन का कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है और पर्यवेक्षी शक्तियों नाबार्ड को प्रदान की गई है।

स्थानीय क्षेत्र बैंक

स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) की संकल्पना कम लागत वाले ऐसे बैंकों के रूप में की गई थी जो मुख्यत: ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में, कुशल तथा प्रतिस्पर्धी वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं उपलब्ध करा सकें। इस योजना में स्थानीय क्षेत्र बैंक की परिकल्पना न्यूनतम 50 मिलियन रुपये की पूंजी के साथ की गई थी और इसमें परिचालन का एक क्षेत्र शामिल था जिसमें तीन सन्निहित जिले शामिल थे। आगे, एलएबी को विकसित होने का अवसर प्रदान करने के लिए दिसंबर 2012 में, उन्हें अपने परिचालन के क्षेत्र को दो और जिलों में विस्तारित करने की अनुमति प्रदान की गई।

विदेशी बैंक

विदेशी बैंकों को भारत में शाखा के रूप में या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्लूयओएस) के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है। विदेशी बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने की अनुमति विश्व व्यापार संगठन (डब्लयुटीओ) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता से निदेशित होती है।

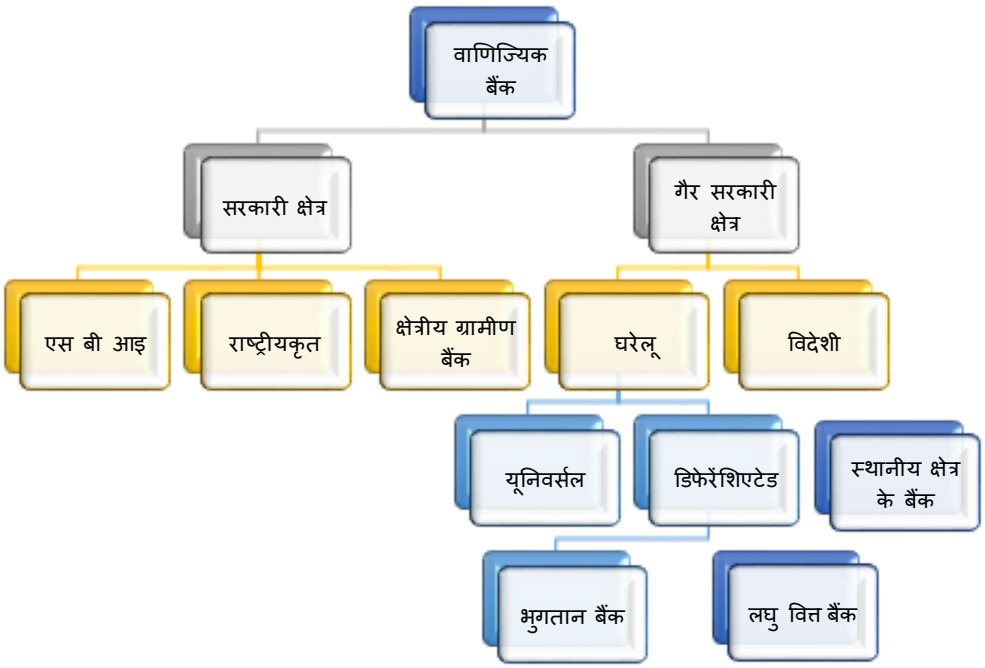

मुख्य बैंकिंग विनियमन

बैंकों द्वारा सामना किए जाने वाले विशेष जोखिमों तथा उनके फेल होने से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले घातक परिणामों को देखते हुए यह अनिवार्य हो जाता है कि बैंकिंग विनियमन व्यापक और सुदृढ़ हो। बैंकिंग विनियमन का उद्देश्य बैंकिंग के समस्त कार्यों का विनियमन करना है, जिसमें उनकी स्थापना से लेकर उनके समापन तक के सभी कार्य शामिल हैं। व्यापक रूप से बैंकिंग विनियमन संबंधी रणनीतियों में प्रवेश विनियमन, कार्य विनियमन, विवेकपूर्ण विनियमन, अभिशासन विनियमन, आचरण विनियमन, सूचना विनियमन तथा समाधान नीतियों जैसी सभी नीतियां शामिल होती हैं।

बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना

भारत में बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी बैंक, रिज़र्व बैंक से लाइसेंस लेना आवश्यक है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक कंपनी को भारिबैं से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लेकिन, विशेष कानूनों के अंतर्गत स्थापित बैंकों, (जैसे सरकारी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) को ऐसे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। भारिबैं लाइसेंस तभी जारी करता है, जब प्रवेश संबंधी सभी शर्तें पूरी की जाती हों।

भारत में नया बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम सांविधिक आवश्यकताओं का उल्लेख बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 में किया गया है। निजी बैंकों के स्वामित्व का विनियमन भी प्रारंभिक सीमाओं तथा अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन पीरियड) के अनुसार किया जाता है ताकि हितों का टकराव न हो और अधिक विविधतायुक्त स्वामित्व सुनिश्चित किया जा सके।

विगत में, यूनिवर्सल बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस "स्टॉप एंड गो" के आधार पर जारी किए जाते थे। तद्नुसार, 1993 में जारी निजी क्षेत्र के नए बैंकों के प्रवेश पर दिशानिर्देश के आधार पर 10 लाइसेंस और 2001 तथा 2013 में जारी लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के आधार पर दो-दो लाइसेंस जारी किए गए। इस लाइसेंस नीति की पुनरीक्षा के बाद 2016 में इसके स्थान पर "सतत प्राधिकार" की नीति लाई गई जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा के स्तर को बढ़ाना तथा प्रणाली में नए विचार लाना था। तदनुसार, 'ऑन टैप' लाइसेंस के लिए एक रूपरेखा को स्थापित किया गया ।

भुगतानों,जमाराशियों एवं ऋणों के कार्यात्मक खंडों का उपयोग करते हुए वित्तीय समावेशन के कार्य को आगे बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2014 में लघु वित्त बैंकों तथा भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए। भुगतान बैंकों की स्थापना का उद्देश्य, i) लघु बचत खाते; तथा ii) प्रवासी मजदूरों, अल्प आय वाले परिवारों, लघु कारोबारियों, असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं तथा अन्य उपयोगकर्ताओं को भुगतान / विप्रेषण सुविधाएं उपलब्ध करवा कर वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करना है। इसी प्रकार, लघु वित्त बैंकों की स्थापना का उद्देश्य i) बचत के साधन उपलब्ध कराते हुए; तथा ii)लघु व्यवसाय इकाइयों, लघु और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को उच्च प्रौद्योगिकी और कम लागत वाले परिचालनों के जरिए, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है। तदनुसार दस लघु वित्त बैंकों और सात भुगतान बैंकों को लाइसेंस जारी किए । मौजूदा लघु वित्त बैकों की कार्यनिष्पादकता की समीक्षा करने के बाद और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इन बैंकों की लाइसेंसिंग को 2019 में 'ऑन टैप' बनाया गया।

शाखा-विस्तार - नए स्थानों पर व्यवसाय केंद्र (बैंकिंग आउटलेटों) का खोला जाना

बैंकों द्वारा नए स्थान पर व्यवसाय करने तथा व्यवसाय के वर्तमान स्थान को बदला जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। इन उपबंधों के अनुसार,बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) के पूर्वानुमोदन के बिना भारत में या विदेश में नए स्थान पर कारोबार नहीं खोल सकते और न ही कारोबार के अपने वर्तमान स्थान को, उसी शहर, कस्बे या गांव के भीतर बदलने को छोड़कर, परिवर्तित कर सकते हैं। तथापि सुविधाओं और बैंकों से वंचित जनसंख्या के एक बड़े भाग की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारिबैं ने शाखा लाइसेंसिंग मानदंडों को उदार बनाया हैं जिसमें सभी घरेलु वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) को भारिबैं की पूर्व स्वीकृति के बिना टीयर 1 से टीयर 6 तक के केंद्रों में बैंकिंग आउटलेट[63] खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। घरेलु

[63] बैंकिंग आउटलेट एक निश्चित-बिंदु सेवा वितरण इकाई है, जिसे बैंक के कर्मचारी या उसके व्यवसाय प्रतिनिधि द्वारा संचालित किया जाता है जहां सप्ताह में कम से कम पांच दिनों के लिए प्रति दिन कम से कम 4 घंटे के लिए जमा स्वीकृति की सेवाएं, चेक/ नकदी निकासी या नकदीकरण या धन उधार दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विवरण देखें https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NOTI3062319C9C94C33494794C2B5271CF92878.PDF

वाणिज्यिक बैंकों को ऐसे बैंकिंग आउटलेटों का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों में खोले के बारे में सूचित किया गया है।

सांविधिक आरक्षित निधियां बनाए रखना

वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का एक निश्चित भाग भारिबैं के पास नकद रूप में रखें, इसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) कहा जाता है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात के अलावा प्रत्येक बैंक भारत में ऐसी आस्तियां बनाए रखेगा जिनका मूल्य अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों, नकदी, स्वर्ण तथा भारिबैं द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्रतिभूति के रूप में उसकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के निर्धारित प्रतिशत से कम न हो। इसे सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) कहा जाता है।

विवेकपूर्ण मानदंड

विवेकपूर्ण मानदंड उन दिशानिर्देशों को कहा जाता है जो बैंकों की मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग विनियामक द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रमुख विवेकपूर्ण मानदंड आय-निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण, पूंजी पर्याप्तता तथा एक्सपोजरों आदि से संबंधित हैं।

- *आय-निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसी) मानदंड - आस्ति की गुणवत्ता* बैंक अपने व्यवसाय के दौरान विभिन्न प्रकार की आस्तियों में निवेश करते हैं, जिनमें से कुछ आर्थिक गिरावट अथवा ऋणकर्ता के सनकीपन के कारण अनर्जक आस्तियों में परिवर्तित हो सकते हैं। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान करें और सुधारात्मक कदम उठाएं। इस संबंध में भारिबैं ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि बैंकों के वित्तीय विवरणों में अधिक संगतता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार जिन आस्तियों से बैंक को आय मिलना बंद हो जाती है उन्हें भारतीय बैंकों द्वारा अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मीयादी ऋण पर ब्याज और/या मूल की किस्तें 90 दिन की अवधि से ज्यादा अतिदेय हो जाती हैं तो बैंकों को उन्हें अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करना होगा। बैंकों को ऐसी आस्तियों पर उपचित आधार पर आय का निर्धारण नहीं करना होगा तथा उनके लिए अपने लाभ में से प्रावधान भी करना होगा। अनर्जक आस्तियों का श्रेणीकरण इस आधार पर किया जाता है कि वे कितनी अवधि से आय नहीं दे रही हैं। इस प्रकार, सबसे पुरानी ऐसी आस्तियों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा जाता है और उनके लिए उतना ही अधिक प्रावधान करना अपेक्षित होता है।

- *पूंजी और चलनिधि के संबंध में बासेल दिशानिर्देश:* बैंक की पूंजी (सामान्य ईक्विटी तथा अन्य अनुमत प्रकार की पूंजी) उस समय जमाकर्ताओं के संरक्षण के लिए हानि सोखने वाले बफर का काम करती है जब बैंक हानि वहन कर रहे होते हैं। इसके अलावा,पूंजी बैंक के लिवरेज को भी सीमित करती है जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बासेल पूंजी पर्याप्तता संरचना के अंतर्गत बैंकों की जोखिम संबंधी रूपरेखा को उनकी आस्ति के संवर्गों से जोड़ा गया है,जिससे अधिक जोखिम वाले बैंकों को अधिक पूंजी रखनी पड़ती है। वर्ष 1988 में बासेल संरचना लागू होने के बाद से समय के साथ-साथ इसमें काफी बदलाव आए हैं, जिनके अनुसार बैंकों को अपने ऋण जोखिमों के प्रतिशत के रूप में पूंजी रखनी होती है। धीरे-धीरे इसकी संरचना में विस्तार होता गया और इसमें बैंकों के तुलन-पत्र के अन्य जोखिमों, जैसे बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिमों को भी शामिल किया गया। वर्ष 2006 में जारी व्यापक बासेल II दिशानिर्देशों में बैंकों को मानकीकृत मॉडलों के साथ-साथ अपने आंतरिक मॉडलों का भी उपयोग करते हुए जोखिम आकलन करने की छूट प्रदान की गई है।

- वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान सुदृढ़ पूंजी वाले बैंक भी धराशायी होते देखे गये थे, जिसकी वजह से पूंजीगत संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन की शुरूआत हुई और बासेल III लागू हुआ। यह संकट-पूर्व के विनियामक ढांचे की कमियों को दूर करता है और एक लचीली

बैंकिंग प्रणाली के लिए विनियामक आधार प्रदान करता है जोकि वास्तविक अर्थव्यवस्था को सहारा प्रदान करती है। यह पूंजी की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने, जोखिम कवरेज को बढ़ाने और लिवरेज अनुपात, प्रतिचक्रीय पूंजी बफर और चलनिधि अनुपातों (चलनिधि कवरेज अनुपात और शुद्ध स्थिर निधियन अनुपात) जैसे समष्टि विवेकपूर्ण तत्वों में वृध्दि की अपेक्षा करता है। जबकि एलसीआर को भारत में पहले ही लागू कर दिया गया है, एनएसएफआर के कार्यान्वयन को 1 अप्रैल 2020 से अपनाया जाना तय किया गया था, लेकिन इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है।

- *एक्सपोज़र मानदंड*

किसी बैंक के प्रतिपक्षी एक्सपोज़र किसी एक प्रतिपक्षी या प्रतिपक्षियों के किसी एक समूह तक ही संकेंद्रित हो सकते हैं। चूंकि विवेकपूर्ण उपायों का लक्ष्य बेहतर जोखिम प्रबंधन तथा ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचना होता है, अत: भारिबैं ने बैंकों को यह सूचित किया है कि वे किसी उद्योग विशेष और किसी समूह के उद्योगों के लिए अपने एकस्पोज़र की सीमा तय करें। किसी एक ऋणकर्ता या ऋणकर्ता-समूह के लिए बैंक एक्सपोजर को सीमित करने के अतिरिक्त बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे विशिष्ट उद्योग या क्षेत्रों के लिए कुल प्रतिबद्धताओं के लिए आंतरिक सीमा तय करने पर विचार करें ताकि एक्सपोज़र विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से फैल जाए। इसके अतिरिक्त बैंकों के लिए कंपनियों में शेयरधारिता के संबंध में कुछ सांविधिक और पूंजी बाजार एक्सपोजरों और अंतःसमूह एक्सपोजरों के संबंध में अन्य विनियामक सीमाओं का पालन करना आवश्यक है।

- *निवेश संबंधी दिशानिर्देश*

बैंक सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों और बांडों, सहायक/संयुक्त उद्यमों जैसी विभिन्न लिखतों के अलावा अन्य लिखतों के साथ-साथ वाणिज्यिक पत्रों तथा म्युच्युअल फंडों में निवेश कर सकते हैं। भारिबैं वित्तीय बाजार की गतिविधियों तथा उभरती अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों के निवेश संविभाग हेतु दिशानिर्देश जारी करता है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा परिचालन के लिए भारिबैं द्वारा समय-समय पर

निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करें। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों के समस्त निवेश संविभाग को तीन वर्गों नामतः परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) तथा ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इन दिशानिर्देशों में अन्य वर्गों के साथ-साथ प्रारंभिक आय-निर्धारण, मूल्यांकन, अंतरण आदि से संबंधित मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं।

• दबावग्रस्त आस्तियों का समाधानः बैंक के तुलन पत्रों को बाधारहित करने के लिए और पूंजी के कुशल पुनःआवंटन के लिए दबावग्रस्त आस्तियों का तीव्र, समयबद्ध समाधान महत्वपूर्ण है। बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017, और उसके बाद भारत सरकार द्वारा दिए गए प्राधिकरण ने रिज़र्व बैंक को दिवाला और शोधन क्षमता संहिता 2016 (आईबीसी) को आस्तियों को संदर्भित करने सहित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए बैंकों को निदेश जारी करने का अधिकार दिया है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाई और 7 जून 2019 को दबाव ग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क जारी करने के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाई भारत में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के प्रति विनियामक दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन को दर्शाता है। फ्रेमवर्क का लक्ष्य सामूहिक कार्रवाई खंडों के साथ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से दबावग्रस्त आस्तियों के प्रारंभिक समाधान को सुनिश्चित करना है, ताकि ऋणदाताओं द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के संभावित मूल्य को पहचानते हुए अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सके। पुनर्गठन की पिछली योजनाओं के विपरीत, कई बैंकों में एक्सपोजर वाले उधारकर्ताओं से निपटने के लिए बैंकों को अपने आधार नियम बनाने हेतु पूर्ण विवेकाधिकार और लचीलापन दिया गया है। ऋणदाता उन समाधान योजनाओं को लागू कर सकते हैं जो उनकी आंतरिक नीतियों और जोखिम वहन करने की क्षमता के अनुसार बनाई गई हैं।

जोखिम प्रबंधन

वित्तीय मध्यस्थीकरण की प्रक्रिया में बैंकों को कई प्रकार के वित्तीय तथा गैर-वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें ऋण, ब्याज-दर, विदेशी विनिमय दर, चलनिधि, ईक्विटी मूल्य, वस्तुओं के मूल्य, कानूनी, विनियामक, साख, परिचालन आदि से संबंधित जोखिम शामिल हैं। ये

सभी जोखिम परस्पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं और जोखिम के किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली घटना का असर अन्य वर्ग के जोखिमों तक पहुंच जाता है। भारिबैं द्वारा बैंकों को समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक प्रबंध-तंत्र जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी तथा नियंत्रण की क्षमता बढ़ाने को पर्याप्त महत्व देता है। उक्त दिशानिर्देशों बैंकों के जोखिम प्रबंधन की संरचना, विभिन्न जोखिमों के आकलन और प्रबंधन, जोखिम समूहन तथा पूंजी आबंटन जैसे पहलुओं से संबंधित होते हैं।

उपर्युक्त के अलावा, बैंको से यह भी अपेक्षित है कि वे औपचारिक दबाव परीक्षण व्यवस्था स्थापित करें ताकि उन्हें एक मजबूत तथा प्रगामी जोखिम प्रबंधन ढ़ांचा विकसित करने में सहायता मिल सके। बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे विनियामक द्वारा इंगित सभी प्रकार के गंभीर आघातों को झेलने की अपनी शक्ति का आकलन करें,तथा कम से कम प्रारंभिक आघातों को झेलने की क्षमता विकसित करें।

ब्याज दरों का विनियमन

जमाराशियों पर ब्याज दरों को प्रगामी रूप से अविनियमित किया गया ताकि जमाराशियां जुटाने के लिए बैंकों को अधिक स्वतंत्रता मिल सके। लेकिन, ग्राहक सेवा को विचार में लेते हुए, यह जरूरी है कि जमा दरें सभी शाखाओं में और सभी ग्राहकों के लिए समान हों। इसके अलावा, समान राशि और अवधि की एक ही तारीख को बैंक के किसी भी कार्यालय में स्वीकार की गई दो अलग-अलग जमाराशियों के संबंध में जमाराशियों पर देय ब्याज में किसी प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं है। बैंक वरिष्ठ नागरिकों की जमाराशियों के संबंध में उच्च ब्याज और सेवानिवृत्त स्टाफ (शर्तों के अधीन) और स्टाफ संघों (सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों को छोड़कर) सहित अपने स्टाफ और कार्यपालकों की जमाराशियों के संबंध में अतिरिक्त ब्याज प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदान की जाने वाली ब्याज दरें उचित, सुसंगत, पारदर्शी और आवश्यक होने पर पर्यवेक्षी समीक्षा / जांच के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में, हालांकि बैंकों को सभी श्रेणियों के अग्रिमों पर निश्चित या अस्थायी ब्याज दरें प्रदान करने का लचीलापन दिया गया है लेकिन विनियमों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि ऐसी दरें उचित और पारदर्शी हों और आंतरिक या बाह्य बेंचमार्क दर के आधार पर निर्धारित की जाती हों। बैंकों को सभी नए फ्लोटिंग रेट पर्सनल या रिटेल लोन और एमएसएमई को दिए गए फ्लोटिंग रेट ऋणों को बाह्य बेंचमार्क

जैसे रेपो दर, ट्रेजरी बिल दर आदि से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। बैंक इस तरह के बाह्य बेंचमार्क से जुड़े ऋणों को अन्य प्रकार के उधारकर्ताओं को भी दे सकते हैं। बाह्य बेंचमार्क सार्वजनिक रूप से ज्ञात होने के कारण ब्याज दरों के निर्धारण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। मौद्रिक नीति के अंतरण में देरी को रोकने के लिए बैंकों को तीन महीने में कम से कम एक बार बाह्य बेंचमार्क प्रणाली के अंतर्गत ब्याज दरों को पुनर्निर्धारित करने के बारे में सूचित किया गया है। पारदर्शिता, मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए और उधारकर्ताओं द्वारा ऋण उत्पादों को समझना आसान बनाने के लिए बैंकों को एक ऋण श्रेणी के भीतर एक समान बाहरी बेंचमार्क अपनाने के बारे में सूचित किया गया है; दूसरे शब्दों में, एक ही बैंक द्वारा एक ही ऋण की श्रेणी में एक से अधिक बेंचमार्क अपनाने की अनुमति नहीं है।

अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी मानदंड

बैंकों की सुरक्षा तथा सुदृढ़ता की रक्षा करने के लिए तथा देश में बैंकिंग प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी नीतियों और क्रियाविधियों का सुदृढ़ होना बहुत महत्वपूर्ण है। बैंकिंग प्रणाली के जरिए धन-शोधन को रोकने के लिए भारिबैं ने 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी), धनशोधन प्रतिरोधी (एएमएल) तथा आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश धनशोधन निवारण(पीएमएल) अधिनियम, 2002 तथा धनशोधन निवारण (रिकॉर्ड रखरखाव) नियम, 2005 पर आधारित हैं। अपने ग्राहक को जानिए, के संबंध में भारिबैं के विनियामक रुझान का लक्ष्य अपराधी तत्वों द्वारा धनशोधन के लिए बैंकों का इस्तेमाल करने से रोकना और बैंकों को यह समझाना है कि ग्राहकों, उत्पादों और सेवाओं, सुपुर्दगी माध्यमों से उन्हें कैसा और कितना जोखिम हो सकता है तथा वे अपने जोखिमों का आकलन करते हुए उनसे विवेकपूर्ण तरीके से कैसे निपट सकते हैं। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने सभी ग्राहकों की पहचान स्थापित करने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी मानदंडों को लागू करें और संदेहास्पद लेनदनों की सूचना वित्तीय आसूचना इकाई को दें।

कॉरपोरेट अभिशासन

सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए कॉरपोरेट अभिशासन बहुत महत्व रखता है। पिछले कुछ वर्षों से कुशल कॉरपोरेट अभिशासन पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। नब्बे के

दशक में, भारत में बैंकिंग विनियमन, निर्देशात्मक तरीके के स्थान पर विवेकपूर्ण तरीके में परिवर्तित हो गया, जिसका अर्थ यह हुआ कि विनियमन के तरीके से हटते हुए कॉरपोरेट अभिशासन पर बल दिया जाने लगा। बैंकों को अपनी स्वयं की योजनाएं बनाने तथा तुलनात्मक लाभ के अनुरूप अपनी रणनीतियां लागू करने के लिए अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान किया गया है। इस स्वतंत्रता के लिए अधिक कड़े अभिशासन मानदंडों की जरूरत पड़ती है, जिसमें बैंकों के निदेशक मंडलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राथमिक जिम्मेदारी वहन करें तथा उनके निदेशक अधिक जानकार और जागरूक हों और वे उपलब्ध विभिन्न रणनीतिक और नीतिगत विकल्पों के संबंध में विवेकसम्मत निर्णय लें। कॉर्पोरेट अभिशासन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से समय-समय अनेक मदों के संबंध में विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए - जैसे बोर्ड की भूमिका, सामान्य रूप से बैंकों के निदेशकों और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निर्वाचित निदेशकों के लिए योग्य और उचित मानदंड, बोर्ड द्वारा की जाने वाली समीक्षाओं का कैलेंडर, बैंकिंग और प्रौद्योगिकी में नवाचारों की पृष्ठभूमि में निदेशकों के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्र को व्यापक बनाना, मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के लिए योग्यता और अनुभव, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का विभाजन आदि। पिछले कुछ वर्षों में विकसित हो रही अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ पारिश्रमिक नीति को बेहतर रूप से अनुरूप बनाने और बैंकों द्वारा अपने पूर्णकालिक निदेशकों के लिए मांगे जाने वाले पारिश्रमिक के वस्तुगत मूल्यांकन के लिए मुआवजे से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।

प्रकटीकरण संबंधी मानदंड

बाजार अनुशासन को लागू करने के लिए संबंधित जानकारी का सावर्जनिक प्रकटीकण एक महत्वपूर्ण साधन है। अत: पिछले वर्षों में, भारिबैं ने बैंकों के लिए प्रकटीकरण मानदंडों को सुदृढ़ किया है। अब बैंकों को अपनी वार्षिक रिपोर्टों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पूंजी पर्याप्तता, आस्ति-गुणवत्ता, चलनिधि, आय और पैनल्टियों, यदि विनियामक द्वारा उन पर कोई लगाई है तो, आदि का उल्लेख करना अनिवार्य है।

जमा बीमा

जमा बीमा ऐसे समय जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है जब जमा स्वीकार करने वाली संस्था बीमित जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशि लौटाने के दायित्व को पूरा करने में असफल रहती है।

इस जमा बीमा योजना में, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित, सभी वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं।

योजना के अंतर्गत बैंक की सभी शाखाओं में किसी जमाकर्ता की उसी क्षमता में तथा उसी अधिकार के साथ रखी गई जमाराशियों के लिए प्रति जमाकर्ता अधिकतम 5,00,000/- रुपये तक की ही बीमा रक्षा उपलब्ध होती है। बीमित बैंकों द्वारा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को प्रीमियम की अदायगी खुद करनी होती है और उसे जमाकर्ता पर नहीं डाला जा सकता।

गैर- परंपरागत बैंकिंग गतिविधियां

बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन में ढील तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास से कई बैंक, गैर- परंपरागत बैंकिंग गतिविधियां, जिन्हें परा-बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हुए। भारिबैं ने म्युच्युअल फंड व्यवसाय, बीमा व्यवसाय, मर्चेंट बैंकिंग कार्य, फेक्टरिंग सेवाएं, कार्ड व्यवसाय, पेंशन फंड प्रबंधन, निवेश सलाह सेवाएं, एजेंसी व्यवसाय, सेबी अनुमोदित स्टॉक एक्सचेंजों की सदस्यता आदि जैसी विविध गतिविधियां शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। हालांकि कुछ गतिविधियों को विभागीय रूप से किए जाने की अनुमति है, लेकिन कुछ अन्य गतिविधियां बैंकों के निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमों के अनुसार इक्विटी भागीदारी द्वारा सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से की जानी हैं। बैंकों के निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमों के अनुसार बैंकों को वित्तीय/गैर-वित्तीय कंपनियों की इक्विटी/यूनिट पूंजी, वैकल्पिक निवेश फंड और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट में भी निवेश करने की अनुमति है।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का विनियमन

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई) भारत की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग हैं क्योंकि वे पुनर्वित्त तथा प्रत्यक्ष: उधार के जरिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मध्यावधि और दीर्घावधि वित्त उपलब्ध कराती हैं। इन संस्थाओं की स्थापना, निर्यात, ग्रामीण, कृषि क्षेत्र, आवासन तथा लघु उद्योग जैसे विशेष क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए की गई है। ये संस्थान उक्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह में और उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं और चुनौतियों/मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अर्थात् भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) भारिबैं के विनियमन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करती हैं। उक्त चारों संस्थाओं का गठन उनके खुद के अधिनियमों के अंतर्गत हुआ है, जिनमें भारिबैं अधिनियम,1934 के प्रावधानों के साथ-साथ, उनके विनियमन की विधिक संरचना दी गई है। वाणिज्यिक बैंकों के मामले की तरह आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण, प्रावधानीकरण, एक्सपोज़र, निवेश, पूंजी पर्याप्तता तथा प्रकटीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड इन संस्थाओं पर भी लागू होते हैं और इन (एआईएफआई) पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष निगरानी भी रखी जाती है।

क्रेडिट सूचना कंपनियां

क्रेडिट रिपोर्टिंग क्रेडिट बाजारों की एक मूल समस्या- उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच असममित जानकारी- का समाधान करती है जिससे कारण गलत चयन, क्रेडिट राशनिंग और नैतिक खतरों की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रणाली में संस्थाएँ, व्यक्ति, क़ानून, प्रक्रियाएँ, मानक और तकनीक शामिल होते हैं जो सूचना प्रवाह को क्रेडिट और ऋण करारों से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं।वर्तमान में भारत में क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रणाली में चार क्रेडिट सूचना कंपनियां (सीआईसी), नामतः ट्रांसयूनियन सीबिल लिमिटेड, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफर्मेशन कंपनी ऑफ इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, इक्वीफैक्स क्रेडिट इंफर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्राइवेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। क्रेडिट संस्थान - बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियां, राज्य वित्त निगम, क्रेडिट कार्ड कंपनियां आदि, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी नियम 2006 और क्रेडिट सूचना कंपनी विनियमन, 2006 के प्रावधानों से शासित होती हैं।

उधारकर्ताओं की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) सीआईसी नियमों के तहत सूचीबद्ध विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा सीआईसी से प्राप्त की जा सकती है जिसमें क्रेडिट संस्थान, दूरसंचार कंपनियां, अन्य विनियामक, बीमा कंपनियां, स्टॉकब्रोकर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, रिज़ॉल्यूशन पेशेवर आदि शामिल हैं।

क्रेडिट संस्थानों को क्रेडिट मूल्यांकन की इनपुट के रूप में कम से कम किसी एक सीआईसी से सीआईआर को शामिल करने के बारे में सूचित किया गया है। सीआईसी क्रेडिट स्कोर जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद भी प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत उधारकर्ता भी सीआईसी से क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। भारिबैं ने सीआईसी को कैलेंडर वर्ष में एक बार क्रेडिट स्कोर सहित फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट (एफएफसीआर) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रदान करने का निदेश दिया है।

अध्याय 8: वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण

वाणिज्यिक बैंकिंग पर्यवेक्षण - अवधारणाएं और विकासक्रम

पर्यवेक्षण, सरल शब्दों में, विनियमित संस्थाओं के व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए विनियामक द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमनों को लागू कराना और साथ ही, ऐसी खामियों और विचारित क्षेत्रों की पहचान करना, जहां विनियामकीय प्रवर्तन किया जाना अपेक्षित है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत भारिबैं भारत स्थित बैंकों तथा भारत से बाहर कार्यरत भारतीय वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण करता है। बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) पर आरबीआई के विनियमाधीन सभी संस्थाओं, यथा- वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां, शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक, के पर्यवेक्षण का दायित्व है।

मूल प्रश्न यह उठता है कि पर्यवेक्षण किस प्रकार विनियमन से भिन्न है? कई सामान्य अर्थ में इन्हें एकसमान (अंतरपरिवर्तनीय) माना जाता है क्योंकि ये दोनों ही जमाकर्ताओं के हितों को संरक्षित करने तथा वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का उद्देश्य लेकर चलते हैं। लेकिन, इन दोनों कार्यों के बीच अंतर मौजूद है - 'विनियमन' बाजार के सहभागियों के व्यवसाय संचालन के संबंध में नियम तथा मानदंड निर्धारित करने का पर्याय है, और इसलिए यह बाजार के सभी सहभागियों पर समान रूप से लागू होता है। दूसरी ओर, 'पर्यवेक्षण' एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उक्त नियम और मानदंड प्रत्येक संस्था पर लागू किए जाते हैं। इस प्रकार जहां विनियमन पूरी प्रणाली पर लागू होता है, वहीं पर्यवेक्षण संस्था विशेष पर उसके जोखिम के संभावित स्तर को विचार में लेते हुए किया जाता है[64]।

बैंकों के पर्यवेक्षण का औचित्य वही है जो संस्थाओं के विनियमन का है। सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली के संवर्धन के जरिए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का प्रमुख उद्देश्य ही कारगर पर्यवेक्षण का मूलाधार है। वित्तीय प्रणाली में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये परिपक्वता और चलनिधि का रूपांतरण करते हैं तथा महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों को समर्थन प्रदान करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन, बैंकिंग व्यवसाय में लिवरेज, आस्ति-देयता असंतुलन आदि जैसी अपनी कुछ

[64] जोखिम आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से बैंकिंग पर्यवेक्षण को सुदृ करना। लेइंग द स्टेपिंग स्टोन्स, डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, मई, 2013

समस्याएं हैं, जिनसे अस्थिरता उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा, बैंक चलनिधि सहायता तथा जमाकर्ता गारंटी के रूप में सरकार के संरक्षण का लाभ भी लेते हैं। इसकी वजह से, अधिक जोखिम उठाने, तथा परिणामस्वरूप तुलनपत्र में हानि जैसे नैतिक संकट संबंधी मुद्दों की संभावना बन सकती है। प्रणालीगत परिप्रेक्ष्य में, बैंक फेल होने से वास्तविक अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि संकटग्रस्त बैंकिंग प्रणाली बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच वित्तीय मध्यस्थता का अनिवार्य कार्य नहीं कर सकती। अत: बैंकों का कारगर पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनिवार्य हो जाता है कि बैंक नियमों और विनियमों का अक्षरश: पालन करते हैं और उनकी जोखिम संस्कृति तथा जोखिम नियंत्रण संबंधी नीतियां उसकी अर्थ-सक्षमता के लिए खतरा नहीं बनतीं।

1990 के पूर्वार्द्ध तक पर्यवेक्षण कार्य मौजूदा विनियामकीय ढांचे का एक अभिन्न अंग रहा, जिसका ध्यान मुख्य रूप से लाइसेंसिंग, सेवाओं के कीमत-निर्धारण, जिसके अंतर्गत जमाराशियों व क्रेडिट पर ब्याज दरें शामिल हैं, रिज़र्व और चलनिधिगत आस्तियों की अपेक्षाओं के प्रति केंद्रित किया जाता है। 1988 में बासेल समझौते की शुरुआत और 1991 के भुगतान संतुलन संकट के बाद हुए आर्थिक उदारीकरण के सिलसिले में बैंकिंग क्षेत्र का सुधार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पर्यवेक्षी दृष्टिकोण में बदलाव आया। सूक्ष्म स्तरीय अंतर्वेधी हस्तक्षेप के स्थान पर विनियमन के विवेकपूर्ण स्वरूप, ब्याज दरों के निर्विनियमन, और बैंकों के निजी स्वामित्व को प्रतिबिंबित करते हुए पर्यवेक्षण ने समग्र दृष्टिकोण को अपनाया। बासेल मानकों के अंगीकरण ने अंतरराष्ट्रीय उत्तम प्रथाओं के अनुरूप पर्यवेक्षी व विनियामकीय प्रथाओं को पंक्तिबद्ध करा दिया। तथापि, भारतीय वित्तीय प्रणाली की दशा और समूची आर्थिक परिस्थिति के मद्देनज़र यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया गया और किया जा रहा है। पिछले वर्षों में पर्यवेक्षी दृष्टिकोण में सुधार करने के लिए प्रक्रियाओं व प्रथाओं की समीक्षा करने के लिए कई विशेषज्ञ समितियां गठित की गईं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नानुसार हैं: बैंकों की ऑन-साइट पर्यवेक्षण प्रणाली की समीक्षार्थ कार्य समूह (अध्यक्ष: एस. पद्मनाभन, 1995), समेकित पर्यवेक्षण को सुकर बनाने हेतु समेकित लेखांकन व अन्य मात्रात्मक विधियों से संबंधित कार्य समूह (अध्यक्ष: विपिन मलिक, 2001), प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं (वित्तीय संगुट) (संयोजक: श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, 2004), तथा वाणिज्यिक बैंकों की पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय संचालन समिति (अध्यक्ष: के.सी. चक्रवर्ती, 2012)।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए मूल सिद्धांतों की पहचान की है जिन्हें सबसे पहले सितंबर 1997 में प्रकाशित किया गया था। भारत सहित कई देशों द्वारा उनका उपयोग अपनी पर्यवेक्षण प्रणाली की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए तथा यह निश्चित करने के लिए किया कि इस संबंध में कौनसे भावी कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन, 1997 से बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन होने के कारण यह आवश्यक हो गया कि उक्त सिद्धांतों की पुनरीक्षा की जाए। ऐसी अंतिम पुनरीक्षा सितंबर 2012 में की गई और अब 29 मूल पर्यवेक्षी सिद्धांत मौजूद हैं, जिनमें पर्यवेक्षी शक्तियों और उत्तरदायित्वों, पर्यवेक्षण से बैंकों की अपेक्षाओं, अच्छे कंपनी अभिशासन तथा जोखिम प्रबंधन पर बल सहित पर्यवेक्षी मानकों के अनुपालन से संबंधित सिद्धांतों का समावेश है।

अच्छे पर्यवेक्षण की क्या-क्या विशेषताएं हैं? "द मेकिंग ऑफ गूड सूपरर्शिन: लर्निंग टु से 'नो'" नामक आईएमएफ स्टाफ पोसिज़शन नोट में इस पर प्रकाश डाला गया है। उसमें अच्छे पर्यवेक्षी ढांचे के लिए आवश्यक पांच प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की गई है। पहली, अच्छा पर्यवेक्षण अंतर्वेधी है, अर्थात, पर्यवेक्षक को पर्यवेक्षणाधीन संस्था के कारोबारी मॉडल, उसकी जोखिम प्रथाम और गवर्नेंस संरचना का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। बैंक पर्यवेक्षण के मामले में बेदखलकारी दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं होता है। दूसरी, अच्छा पर्यवेक्षण संशयपूर्वक, लेकिन सक्रिय हो। पर्यवेक्षकों को चीज़ों हल्के में नहीं लेना चाहिए और अच्छे समय में भी बैंक के क्रियाकलापों पर प्रश्न उठाते रहना चाहिए। पर्यवेक्षण केवल बैंक ओर उसकी प्रमुख गतिविधियों तक ही सीमित न हो। उसमें अनुषंगी संस्थाओं, तुलन-पत्रेतर तत्वों या संरचनाओं, आदि को समाविष्ट किया जाए। अक्सर जोखिम प्रमुख कार्यकलापों की तुलना में गौण कार्यकलापों से पैदा होने की संभावना अधिक होती है। चौथी, अच्छा पर्यवेक्षण अनुकूलनशील होता है। वित्तीय उद्योग में बड़े पैमाने पर हो रहे नवोन्मेष को ध्यान में रखते हुए पर्यवेक्षकों को उभरते जोखिमों की पहचान करने के लिए में समर्थ बनने के लिए अपना कौशल विकास करते रहना चाहिए। अंतत: अच्छा पर्यवेक्षण निर्णायक होता है। पर्यवेक्षकों को फालो-थ्रू करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यवेक्षी निष्कर्षों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है। आईएमएफ नोट के मुताबिक अच्छे पर्यवेक्षण के लिए दो समर्थक स्तंभ आवश्यक होते हैं: कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा-शक्ति। जहां तक कार्य करने की क्षमता का सवाल है, वह विधिक प्राधिकारी, आवश्यक संसाधनों, स्पष्ट कार्यनीति, सुदृढ आंतरिक व्यवस्था और अन्य विनियामकों व पर्यवेक्षकों के साथ कार्यसंचालन की

दृष्टि से प्रभावी संबंध पर निर्भर करती है। वहीं, कार्य करने की इच्छा-शक्ति निम्नलिखित बातों से आंकी जाती हैं: स्पष्ट व असंदिग्ध अधिदेश, परिचालनपरक स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व, कुशल स्टाफ, उद्योग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध, तथा निदेशक मंडलों के साथ प्रभावी भागीदारी।

आरबीआई में विधिक और संस्थागत संरचना

आरबीआई को बैंककारी विनियमन अधिनियम (बीआर अधिनियम), 1949 और आरबीआई अधिनियम, 1934 के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत भारतीय बैंकिंग प्रणाली के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेष रूप से बी.आर. अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बैंकों का निरीक्षण उक्त अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट अनुसार बैंक लाइसेंसिंग विनियमवन व उद्देश्यों के अनुवर्तन के रूप में किया जाता है। सांविधिक निरीक्षणों का वास्तविक उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि क्या जिस शर्तों के अधीन बैंक को बैंकिंग कारोबार [उप-धारा 3 के माध्यम से, तथा धारा 22 के 3क के संदर्भ में विदेशी बैंकों के लिए] करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, उसकी पूर्ति करना जारी है कि नहीं?

आरबीआई ने सभी क्रेडिट संस्थाओं, यथा- बैंक, विकास वित्तीय संस्थाएं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, के समपिर्तत व एकीकृत पर्यवेक्षण के उद्देश्य से नवंबर 1994 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस), जो कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की उप समिति है, गठित किया। बीएफएस आरबीआई के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र के समेकित पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और शहरी सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थाएं और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां)। गवर्नर, आरबीआई बीएफएस के अध्यक्ष हैं और बैंकिंग पर्यवेक्ष के प्रभारी उप गवर्नर को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। रिज़र्व बैंक के अन्य उप गवर्नर इसके पदेन सदस्य होते हैं और आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के चार बाहरी निदेशकों को दो वर्ष की अवधि के लिए इसके सहयोजित सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। पर्यवेक्षण विभाग बीएफएस के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, जिसकी बैठकें बैंक के विभिन्न पर्यवेक्षी मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और रेटिंग के अनुमोदन हेतु प्रत्येक माह आयोजित की जाती हैं।

1993 से पहले बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी) वाणिज्यि बैंकों के पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए उत्तरदायी था। दिसंबर 1993 में पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) को डीबीओडी से अलग से पैदा किया गया, जिसका उद्देश्य आरबीआई के विनियामकीय कार्यकलापों से पर्यवेक्षी

भूमिका को अलग करना था। जैसे-जैसे वित्तीय प्रणाली विकसित होती गई और उसकी जटिलता बढ़ती गई, वैसे-वैसे यह महसूस किया गया कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के लिए समर्पित व संकेंद्रित पर्यवेक्षण ज़रूरी है। तदनुसार, डीओएस को विभाजित करके बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस), गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) और सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) गठित किए गए। इनमें से डीएनबीएस और डीसीबीएस का गठन क्रमश: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए किया गया।

बढ़ती जटिलताओं, आकार और अंतर-संबद्धता को संभालने के साथ ही संभावित पर्यवेक्षी अंतरपणन और सूचना की विषमता के कारण आशंकित प्रणालीगत जोखिम का सामना प्रभावी ढंग से करने के लिए विनियमाधीन संस्थाओं के पर्यवेक्षण व विनियमन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण रखने की दृष्टि से नवंबर 2019 में पर्यवेक्षण संबंधी कार्यकलापों को संघटित करते हुए एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस पुनर्संरचना का उद्देश्य आरबीआई के पर्यवेक्षणाधीन सभी संस्थाओं के प्रति उनके आकार व जटिलता के अनुरूप एक श्रेणीबद्ध पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अपनाना; आरबीआई के पर्यवेक्षणाधीन संस्थाओं के बीच वित्तीय संगुटों के लिए अधिक प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण को सुसाध्य बनाना; तथा अनुभवी व कुशल मानव संसाधन के निर्माण हेतु मदद करना जिससे दक्षतापूर्वक आबंटन को साकार किया जा सके। इसके अलावा, पर्यवेक्षी विभागों में स्टाफ सदस्यों के कौशल विकास, उन्नति हेतु प्रशिक्षण देने के लिए 'पर्यवेक्षक कॉलेज' का गठन किया गया। यह 'पर्यवेक्षक कॉलेज' अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिसके अंतर्गत सभी विनियमाधीन संस्थाओं के पर्यवेक्षण संबंधी विषय व कार्यकलाप शामिल होंगे।

पर्यवेक्षण के लिए प्रयुक्त दृष्टिकोण/ मॉडल

यह सर्वमान्य है कि बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए कोई एक अनुकूल संरचना और प्रक्रिया नहीं है। तदनुसार, किसी देश द्वारा अपनाया गया पर्यवेक्षी दृष्टिकोण उसकी वित्तीय प्रणाली के विकास की अवस्था और बैंकिंग प्रणाली के आकार व जटिलता की अवस्था संबंधी कार्यकलाप है। पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में से कुछ कारक निम्नानुसार हैं: बैंकों के कारोबारी मॉडल और पर्यवेक्षण के लिए प्रौद्योगिकीय व मानव संसाधनों की उपलब्धता। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी किए प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के प्रमुख सिद्धांतों में पर्यवेक्षण संबंधी व्यापक संरचना दी गई है। सिद्धांत 8 में निम्नानुसार बताया गया है- *"बैंकिंग*

पर्यवेक्षण की प्रभावी प्रणाली के लिए पर्यवेक्षक को प्रत्येक बैंक और बैंकिंग समूह के जोखिम प्रोफाइल के भविष्योन्मुख मूल्यांकन का विकास व रखरखाव करना ज़रूरी है, जो कि उनके प्रणालीगत महत्व के अनुरूप हो; बैंकों और समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली से पैदा होने वाले जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंध करना; समय-पूर्व हस्तक्षेप के लिए ढांचा रखना; तथा बैंकों के अव्यवहार्य होने की स्थिति में सुव्यवस्थित तरीके से समाधान हेतु योजनाएं तैयार रखना, अन्य संगत प्राधिकरणों के साथ सहभागिता"।

वैश्विक वित्तीय संकट से पहले अधिकतर देशों में नियम-आधारित या अनुपालन-आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण विद्यमान है। बैंकों का पर्यवेक्षण कैमेल्स, जो कि पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध, अर्जन, चलनिधि और बाज़ार जोखिम के प्रति संवेदनशीलता के संक्षिप्ताक्षर हैं, के नाम से ज्ञात मॉडल के अंतर्गत किया गया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में एस प्रणाली एवं नियंत्रण को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण ने बैंकों की वित्तीय स्थिति की निगरानी व जांच तथा उनके द्वारा नियमों व विनियमों के अनुपालन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। इस मॉडल के अंतर्गत ऑनसाइट जांच वार्षिक आधार पर की जाती है, जिसके समर्थन में ऑफसाइट चौकसी भी शामिल है। कैमेल्स दृष्टिकोण में बैंकों की शोधन-क्षमता तथा मुख्य रूप से जमाकर्ताओं को होने वाली हानि को रोकने के प्रति ध्यान केंद्रित किया गया। इस दृष्टिकोण की कमी यह है कि यह 'सिंगल-साइज़ फिट' दृष्टिकोण है और वित्तीय क्षेत्र में नवान्मेष के साथ अपनी गति को बनाए रखने में पिछड़ गया है।

वैश्विक वित्तीय संकट से यह बात उभर कर सामने आई कि हालांकि कई देशों की वित्तीय प्रणाली एक जैसी थी और वे कमोवेश एकसमान नियमों (बासेल मानक) का पालन कर रहे थे, फिर भी उनमें से कुछ देश उक्त संकट से कम प्रभावित हुए। इसका एक बड़ा कारण ऐसे देशों में "बेहतर पर्यवेक्षण" होना था। केमल मॉडल में अंतर्निहित कमियों को देखते हुए, जिनकी वजह से वैश्विक वित्तीय संकट से पहले कमजोर पर्यवेक्षण रहा होगा, कई देशों में पर्यवेक्षण के जोखिम-आधारित या जोखिम-केंद्रित दृष्टिकोण को अधिकाधिक अपनाया जाने लगा है। जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण की ओर बढ़ने के मुख्यत: दो कारण हैं - पहला, इस बात को अधिकाधिक स्वीकारा जाने लगा है कि बैंकों द्वारा उधार देने के लिए जमाराशियां स्वीकार करने का परंपरागत अर्थ अब प्रचलन में नहीं रह गया है और बैंकिंग जटिल होती जा रही है; तथा दूसरी और समान रूप से महत्वपूर्ण बात

यह है कि अब यह महसूस किया जाने लगा है कि पर्यवेक्षी संसाधन दुर्लभ हैं और पर्यवेक्षी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनका सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, एक ऐसी मजबूत पर्यवेक्षी संरचना की जरूरत थी जो संभावित जोखिमों की पहले से पहचान कर सके और सुधारात्मक कदम उठा सके। इस बात को महसूस करते हुए भारिबैं ने वाणिज्यिक बैंकों की पर्यवेक्षी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए, पूर्व उप-गवर्नर डॉ. के सी चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय संचालन समिति का अगस्त 2011 में गठन किया। इस समिति में विनियामक, उद्योग तथा अन्य विद्वानों का प्रतिनिधित्व था। इस समिति ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की कि पर्यवेक्षण के लिए वर्तमान में अपनाये जा रहे अनुपालन-आधारित दृष्टिकोण के बजाय जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए। इस सिफारिश के अनुसरण में भारिबैं ने वर्ष 2013 से जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण चरणबद्ध रूप से अपनाना शुरू किया। भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अब जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के अंतर्गत आते हैं और कैमल्स संरचना अब प्रचलन से बाहर हो चुकी है।

जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस)

जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण को एक ऐसी सतत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें किसी बैंक के जोखिमों का आकलन किया जाता है और तदनुसार पर्यवेक्षकों द्वारा उचित सुधारात्मक कार्य-योजना बनाई जाती है और उसे लागू किया जाता है। इस प्रकार, जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण को ऐसी सुरचित प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें किसी बैंक के उन संभावित जोखिमों की पहचान की जाती है, जो उसके लिए खतरा बन सकते हैं। साथ ही, केंद्रित पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया द्वारा यह भी देखा जाता है कि बैंक उक्त जोखिमों की वजह से उत्पन्न विपरीत वित्तीय परिणामों का सामना करने के लिए कितना सक्षम है।

संक्षेप में, जोखिम-आधारित या अन्य प्रकार के पर्यवेक्षण के निम्नलिखित दो उद्देश्य होते हैं :

- प्रत्येक बैंक की सुरक्षा और सुदृढ़ता सुनिश्चित करते हुए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना; तथा
- वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखना

जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण का लक्ष्य बैंकों द्वारा सामना किए जा रहे मुख्य जोखिमों का आकलन, व्यापक तथा सुव्यवस्थित पर्यवेक्षण प्रक्रिया के माध्यम से करते हुए, अपने उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है। जोखिम-आधारित दृष्टिकोण, पहले प्रयुक्त अधिकांशत: अनुपालन-आधारित कैमेल्स/ सीएएलसीएस[65] की कार्यप्रणाली से काफी हद तक भिन्न है, पर यह अभी भी बैंकों में अनुपालन संस्कृति तथा उससे संबद्ध जोखिमों का आकलन करने के उद्देश्य से उनके अनुपालन-स्तर का पता लगाने का काम करता है।

मौटे तौर पर, जोखिम-आधारित तथा अनुपालन-आधारित दोनों दृष्टिकोणों में काफी समानता है। इन दोनों ही दृष्टिकोणों में, कार्यस्थल पर जाकर प्रत्यक्ष जांच की जाती है और आंकड़ों के वित्तपोषण के जरिए परोक्ष जांच भी की जाती है। इनमें महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जोखिम-आधारित दृष्टिकोण में बैंक की उन क्रियाओं की पहचान और मात्रा का पता लगाने के लिए अधिक सुव्यवस्थित संरचना का प्रयोग किया जाता है, जिनसे बैंक को ज्यादा जोखिम हो सकता है। साथ ही,उक्त जोखिमों को सीमित करने के लिए बैंक के प्रबंध-तंत्र द्वारा अपनाई जा रही क्रियाविधियों और नियंत्रण प्रक्रियाओं का भी आकलन किया जाता है। जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का आशय एक ऐसी पर्यवेक्षण प्रणाली प्रस्तुत करना है जो बैंकों की सुरक्षा और सुदृढ़ता का निरंतर और गतिशील आधार पर आकलन कर सके। इस दृष्टिकोण में, बैंक के जोखिमों का सटीक आकलन करने का प्रयास किया जाता है, ताकि बैंक के जोखिमों की गहनता के अनुसार उनकी पूंजी संबंधी आवश्यकता निर्धारित की जा सके। ऐसा करते समय जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण का उद्देश्य जोखिमों का जल्दी पता लगा कर समय रहते उनकी रोकथाम के लिए सुधारात्मक कदम उठाना होता है। इससे पर्यवेक्षक, पहचाने गए जोखिमों का मुकाबला करने के लिए दुर्लभ पर्यवेक्षी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने में सफल हो सकता है। इसके अलावा, अनुपालन-आधारित केमल दृष्टिकोण के विपरीत, जिसमें हर जोखिम की अलग-अलग जांच की जाती है, जोखिम-आधारित दृष्टिकोण में, जोखिमों की परस्पर निर्भरता की भी जांच की जाती है। अत: पर्यवेक्षी संसाधनों के अभीष्ट उपयोग और विशेषीकृत विशेषज्ञता के विकास के माध्यम से पर्यवेक्षण की आनुपातिकता व आर्थिक कार्यदक्षता में सुधार करना आरबीएस की आधार-शिला है।

---

[65] सीएएलसीएस (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि, अनुपालन एवं प्रणाली) विदेशी बैंकों के लिए प्रयुक्त पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल है।

भारिबैं द्वारा अपनाई गई जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी संरचना को स्पार्क (जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम) कहा जाता है। जहां केमल के अंतर्गत पर्यवेक्षी संरचना कार्यनिष्पादन आधारित, प्रतिक्रियाशील तथा समय विशेष पर आकलन आधारित है, वहीं भारिबैं द्वारा अपनाए गए उक्त कार्यक्रम में जोखिम-आधारित, प्रगामी, पूर्वक्रियाशील तथा गतिशील रूप से, संभावित जोखिमों का पता लगा कर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। इस कार्यक्रम के प्रमुख तीन उद्देश्य हैं - (i) प्रत्येक बैंक के जोखिम प्रोफाइल के अनुसार भिन्न पर्यवेक्षण, अर्थात् विभिन्न बैंकों के लिए भिन्नता लिए हुए पर्यवेक्षण; (ii) बैंक के लिए अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, तथा (iii) बैंकों की जोखिम प्रबंधन, निगरानी और नियंत्रण प्रणालियों में सुधार लाने के लिए बैंक की सहायता करना। "जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम" का ध्यान अनपेक्षित हानियों (जैसे बकाया राशियों के मुकाबले एकस्पोजर) पर केंद्रित रहता है, जिनके लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता हो सकती है।

जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी संरचना के दो आयाम होते हैं - पहला बैंक फेल होने का जोखिम, जिसका आकलन अंतर्निहित जोखिमों, संस्था स्तर पर नियंत्रण की व्यवस्था, बैंक की अभिशासन तथा निगरानी प्रणाली और उपलब्ध पूंजी के आधार पर किया जाता है; तथा दूसरा, फेल होने के प्रभाव का आकलन, जिसमें समग्र वित्तीय प्रणाली में संस्था अथवा समूह के सापेक्षिक महत्व को विचार में लिया जाता है। फेल होने का जोखिम समग्र पर्यवेक्षी रेटिंग तथा पर्यवेक्षी पूंजी का निर्धारण करता है। पर्यवेक्षी रुझान (अर्थात पर्यवेक्षण की गहनता) स्पार्क ढांचे में किसी बैंक के फेल होने के जोखिम तथा उसके प्रभावों, दोनों को विचार में लिया जाता है। इसे "इंटग्रेटेड रिस्क और इंपैक्ट स्कोरिंग (आईआरआईएससी) मॉडल" के नाम से ज्ञात प्रापराइटरी जिस्क स्कॉर्पिंग एंड एग्रिगेशन मॉडल के माध्यम से हासिल किया जाता है।

बैंक फेल होने के जोखिम का आकलन करने के लिए प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार के पर्यवेक्षणों का सहारा लिया जाता है। जोखिमों का पता लगाने की परोक्ष प्रक्रिया में आंकड़ों तथा दस्तावेजों का इकट्ठा किया जाना तथा बैंक के प्रबंध-तंत्र से विचार-विमर्श करना शामिल होता है। इससे बैंक के प्रमुख जोखिम क्षेत्रों (ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि) के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। जोखिमों का पता लगाने की परोक्ष प्रक्रिया उन क्षेत्रों की भी

पहचान करती है, जिनके संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण की तथा कार्यस्थल पर जाकर पर्यवेक्षण की जरूरत होती है, और ऐसे प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित समय और अपेक्षित पर्यवेक्षी संसाधनों का भी निर्धारण करती है। जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण में भी परोक्ष निगरानी पर्यवेक्षी संरचना का मुख्य स्थान होता है। परोक्ष निगरानी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों की स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा सकती है, जो यथावश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाने के लिए संकेत का काम करती है। चूंकि जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य पर्यवेक्षी संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना होता है, इसलिए परोक्ष निगरानी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि कार्यस्थल पर जाकर प्रत्यक्ष निगरानी तभी की जाती है जब सर्वाधिक नाजुक क्षेत्रों पर पर्यवेक्षी ध्यान दिए जाने की जरूरत होती है।

कार्यस्थल पर जाकर जोखिमों का पता लगाने की प्रक्रिया में, पहचान किए गए जोखिमों के संबंध में और अधिक जांच-पड़ताल तथा अतिरिक्त जानकारी हासिल करना शामिल होता है। इस चरण में, पर्यवेक्षकों की एक समर्पित टीम बैंक के परिसर में जाकर उक्त क्षेत्रों/ पहलुओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करती है। जोखिम की गंभीरता और व्यवसाय की मात्रा से प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की आवधिकता, उसमें लगने वाले समय तथा बल प्रवेश की गहनता तय होती है। प्रत्यक्ष जांच के अधिकतर भाग में शामिल होते हैं - (i) बैंक के प्रमुख अधिकारियों के साथ प्रक्रियाओं, उत्पादों, नीतियों तथा क्रियाविधियों आदि के बारे में चर्चा; (ii) विनियामक रिपोर्टिंग के भाग के रूप में बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और अतिरिक्त आंकड़ों/ सूचना की सटीकता का सत्यापन करना; (iii) बैंक के संभावित गंभीर जोखिमों पर नियंत्रण की प्रणाली की कारगरता की समीक्षा करना; (iv) निदेशक मंडल तथा प्रबंध-तंत्र द्वारा की जा रही समग्र निगरानी और बैंक में जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक लेखा-परीक्षा में उनके द्वारा निभायी जा रही भूमिका की समीक्षा करना; तथा (v) विनियामक दिशानिर्देशों तथा लेखांकन मानकों के अनुपालन की समीक्षा और पूर्व-निर्धारित नमूना आकार पर आधारित लेनदेनों का यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से परीक्षण करना कि उनके संबंध में दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार, आरबीएस ढांचे में अग्रणी संकेतकों के दोनों तत्व शामिल हैं, जिनका उद्देश्य है जोखिम का पता लगाना और लैगिंग संकेतक, जैसे- पूंजी व अनुपालन की समीक्षा।

यद्यपि विभिन्न पर्यवेक्षकों द्वारा अपनाए गए जोखिम आधारित दृष्टिकोणों में मोटे तौर पर समानता होती है, तथापि, कई कारकों के आधार पर उनमें अंतर होता है, जिसके अंतर्गत पर्यवेक्षी

एजेंसियों के अधिदेश शामिल है। प्रत्येक फर्म के प्रणालीगत महत्व का निर्धारण किया जाना अपनी जोखिम आधारित प्रणाली में अनेक पर्यवेक्षी एजेंसियों द्वारा समाविष्ट एक महत्वपूर्ण पहलू है। अन्य सभी चीज़ें समान रहने की स्थिति में गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वूर्ण फर्मों की तुलना में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण फर्मों पर अधिक पर्यवेक्षी ध्यान (और संसाधन) देना पड़ता है।

"जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम" की मुख्य विशेषता है - एक वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) पद का सृजन, जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारिबैं के भीतर बैंकों से संपर्क के लिए एकल पर्यवेक्षी स्थल उपलब्ध कराना है। इससे बैंकों के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में तथा मौटे तौर पर भारिबैं के भीतर बहु-संपर्क स्थल समाप्त करते हुए प्रक्रियाओं की कुशलता और कारगरता में सुधार होने की आशा की जाती है क्योंकि कई जगह संपर्क करने के कारण कई बार इससे पर्यवेक्षी कारगरता और निरंतरता विपरीत रूप से प्रभावित होती रही है। किसी बैंक के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक की सहायता समर्पित अधिकारियों की टीम द्वारा की जाती है। वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सतत प्रत्यक्ष तथा परोक्ष निगरानी के जरिए बैंक तथा उसके परिचालनों को अच्छी तरह समझ ले।

संक्षेप में, पर्यवेक्षक के लिए जोखिम-आधारित संरचना के लाभ हैं - (i) दुर्लभ पर्यवेक्षी संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग जिसकी वजह से संस्था के संसाधनों का भी बेहतर प्रयोग हो पाता है; (ii) विनियमित संस्थाओं द्वारा सामना किए जा रहे जोखिमों का गत्यात्मक तथा सतत आकलन; (iii) उभरते जोखिमों की शीघ्र पहचान; (iv) निहित जोखिमों तथा जोखिम प्रबंधन दोनों के अलग-अलग आकलन पर आधारित मूल्यांकन के लिए सुनियोजित तथा संगत संरचना। इससे बैंकिंग क्षेत्र के जोखिमों का प्रणाली-व्यापक आकलन संभव होता है, क्योंकि समान मॉडल के अंतर्गत, बहुत कम व्यक्ति-निष्ठता के साथ, सभी बैंकों का मूल्यांकन किया जा सकता है; तथा (v) किसी बैंक के व्यवसाय, प्रणालियों, प्रक्रियाओं तथा मानव संसाधन आदि की बेहतर समझ विकसित करना।

पर्यवेक्षी दृष्टिकोणों का वर्गीकरण

पर्यवेक्षण के विभेदीकृत दृष्टिकोण और आनुपातिकता की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए मुख्य मॉडल के अलावा कतिपय बेंचमार्कों के आधार पर नियमित बैंकों और लघु या विशिष्ट बैंकों के लिए परिवर्ती आरबीएस मॉडल विकसित किए गए। ऑनसाइट व ऑफसाइट पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के

बीच सही संतुलन को हासिल करने के उद्देश्य से विभिन्न वर्गों के बैंकों के पर्यवेक्षण हेतु निम्नलिखित वर्गीकरण अपनाया जाता है:

(क) पूरा पैमाना पर्यवेक्षण (एफएस): इसमें बैंक के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों को शामिल करते हुए विस्तृत व अंतर्वेधी पर्यवेक्षी दृष्टिकोण, ऑनसाइट व ऑफसाइट दोनों, शामिल हैं।

(ख) चुनिंदा पैमाना पर्यवेक्षण (एसएस): ऑफसाइट पर्यवेक्षण इस दृष्टिकोण में प्रमुख भूमिका निभाती है, जिसमें ऑफसाइट विश्लेषण से उभरकर आने वाली आशंकाओं की ऑनसाइट जांच शामिल है। साथ ही, ऑनसाइट जांच ऐसे परिचालनों के आसपास केंद्रित होगी जो बैंक के कार्यसंचालन के लिए महत्वपूर्ण है, यथा- निजी बैंकों के मामले में आईटी/ साइबर जोखिम, लघु वित्त बैंकों के मामले में अनुपालन आदि।

(ग) कथ्य मूल्यांकन (टीए): इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सामयिक विषयों, जैसे- आस्ति गुणवत्ता, साइबर जोखिम, आदि., का मूल्यांकन है, जिसमें बैंकों या सभी बैंकों के एक समूह को समाविष्ट करते हुए मूल्यांकन शामिल है।

(घ) लक्षित संवीक्षा (टीएस): इस दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक के विशिष्ट पहलुओं की जांच करने हेतु संवीक्षा की जाती है, जो कि पर्यवेक्षी या बाज़ार आसूचना जानकारी पर आधारित है।

विभेदीकृत पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के लिए बैंकों का समूहन

आनुपातिकता की अवधारणा के लिए पर्यवेक्षण के प्रति विभेदीकृत दृष्टिकोण ज़रूरी होता है। तदनुसार, समुचित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के निर्धारण हेतु बैंकों को समूहों/ उप समूहों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बैंकों के वर्गीकरण के लिए प्रमुख मानदंड उनकी रिपोर्ट की हुई आस्तियों का बाज़ार हिस्सा है। पर्यवेक्षी अंतर्वेधन सामान्य परिस्थितियों में बैंक के वर्ग से जुड़ा है, भले ही उसे किसी संस्था के मामले में उभरते जोखिमों पर आधारित समीक्षा के रूप में न माना जा सकता।

पर्यवेक्षण के विभिन्न साधन

विनियमाधीन संस्थाओं के सार्थक पर्यवेक्षण के लिए ऑफसाइट चौकसी और ऑनसाइट जांच दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। आरबीआई बैंकों के 'सूक्ष्म व सतत' पर्यवेक्षण के लिए ऑफसाइट व ऑनसाइट दोनों साधनों का विवेचित ढंग से प्रयोग करता है।

ऑफसाइट पर्यवेक्षण

ऑफसाइट पर्यवेक्षण गतिक आधार पर बैंक के प्रोफाइल, संस्कृति, जोखिम सहनशीलता, परिचालनों और परिवेश का विश्लेषण करने हेतु प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। यह ऐसी विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है जिससे ऑनसाइट जांच साकार होती है। ऑफसाइट पर्यवेक्षण का उद्देश्य है बैंक का प्राथमिक जोखिम मूल्यांकन करना और प्रमुख जोखिम क्षेत्रों का पता लगाना। इस प्रक्रिया में कारोबार की योजना/ कार्यनीतियों, समूह की संरचना, वित्तीय विवरण, अनुपालन और आंतरिक लेखापरीक्षा/ योजनाओं व रिपोर्टों, बाहरी लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों आदि का मूल्यांकन शामिल है। पैमाने, फोकस, संसाधन और ऑनसाइट जांच के लिए अपेक्षित समय के निर्धारण में समष्टि-आर्थिक कारकों और बाज़ार आसूचनागत जानकारी के साथ ही यह प्रक्रिया मददगार होती है। इस परिप्रेक्ष्य में परोक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली (ऑसमॉस) की स्थापना प्रत्यक्ष निरीक्षण के पूरक के तौर पर की गई। ऑसमॉस के अंतर्गत विभिन्न पाक्षिक, मासिक, तिमाही, छमाही तथा वार्षिक विवरणियां विभिन्न अवधि अंतराल में मंगाई जाती हैं।

अर्थव्यवस्था की विपत्तिग्रस्त आस्तियों के पुनरुद्धार की संरचना के एक भाग के रूप में, वर्ष 2014 में लागू की गई। उक्त प्रणाली के अंतर्गत, जून 2014 को समाप्त तिमाही से बड़े ऋणकर्ताओं[66] के संबंध में बैंकों से ऋण सूचनाएं एकत्रित की जाने लगीं। परोक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली (सीआरआईएलसी सहित) में एकत्रित की जाने वाली सूचनाओं में तुलन-पत्र, आय-व्यय तथा लाभप्रदता, पूंजी, आस्ति-गुणवत्ता, स्वामित्व, तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र, चलनिधि तथा कई अन्य क्षेत्रों की सूचनाएं और उनके विस्तृत ब्योरे शामिल होते हैं। सभी संबंधित उपयोगकर्ता

[66] एक बड़े उधारकर्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके पास कुल निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित जोखिम रु.5 करोड़ या उससे अधिक राशि का हो।

भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस (डीबीआईई)[67] साइट पर उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से परोक्ष आंकड़े देख सकते हैं।

सीआरआईएलसी प्रणाली में रिपोर्ट की गई ऋणकर्ता की ऋण संबंधी जानकारी तथा बैंकों के बीच संबंधित सूचना की साझेदारी से सूचना की असंयतता समाप्त हुई है और जरूरी पारदर्शिता आई है। इससे ऋणकर्ता के बारे में अब तक अनुपलब्ध जरूरी जानकारी उपलब्ध होती है और बैंकों में ऋण-मूल्यांकन तंत्र को सहायता मिल सकती है। इस प्रकार, सीआरआईएलसी बैंकों, वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों तथा नीति-निर्माताओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। ऑसमॉस प्रभाग प्राथमिक रूप से जो कार्य करता है, उनमें शामिल हैं - (i) बैंकों से समय पर सूचना प्राप्त करना, (ii) आंकड़ों की उचित गुणवत्ता बनाए रखना; तथा (iii) बड़ी मात्रा में प्राप्त आंकड़ों के आवश्यकता-आधारित विश्लेषण तथा आपूर्ति के अलावा, डीबीआईई में उपयोगी तथा सार्थक तत्काल उपलब्ध मानक रिपोर्टें उपलब्ध कराते हुए आंकड़ों को अर्थपूर्ण बनाने में सहायता करना।

ऑनसाइट जांच

ऑनसाइट जांच ऑफसाइट चौकसी प्रणाली का पूरक है, जिसमें ऑफसाइट चौकसी प्रक्रिया के अंतर्गत जुटाए गए आंकड़ों की वैधीकरण जांच, पहचान किए गए जोखिम क्षेत्रों का मूल्यांकन, जिसमें पूंजी का मूल्यांकन शामिल है, तथा पिछले मूल्यांकनों के दौरान पाए गए मुद्दों का अनुवर्तन आदि शामिल हैं। ऑनसाइट जांच के लिए न केवल उच्च स्तरीय कौशल, बल्कि जोखिम को समझाने व आकलित करने के साथ ही ऐसी जानकारी को, एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने हेतु बैंक की क्षमता, हासिल करने के लिए अंतर्वैयक्तिक कौशल भी ज़रूरी होता है।

<u>परा-पर्यवेक्षी गतिविधियां</u>

धोखाधड़ी संबंधी केंद्रीय रजिस्ट्री

फ्रेडरिक विलियम रॉबर्टसन ने ठीक ही कहा है, “तीन चीजें अर्थात् पाखंड, धोखाधड़ी तथा तानाशाही दया के कतई काबिल नहीं हैं।” यद्यपि, धोखाधड़ी की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, तथापि

[67] डीबीआईई www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

यह एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा सच को छुपाते हुए अथवा झूठ और गलत का सहारा लेते हुए संदिग्ध गतिविधियों के जरिए अनुचित लाभ उठाने के अर्थ में किया जाता है। बैंकों में धोखाधड़ी एक गंभीर मामला है क्योंकि बैंक वित्तीय मध्यस्थता की अपनी भूमिका निभाते समय जनता की बड़ी राशियों का उपयोग करते हैं। धोखाधड़ी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनका शुरूआत में ही जल्दी से पता लगाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें तथा उनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, 20 जनवरी 2016 से एक धोखाधड़ी संबंधी केंद्रीय रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। यह "बैंकों के उपयोग के लिए छानबीन-योग्य केंद्रीकृत डेटाबेस" उपलब्ध कराएगा ताकि धोखाधड़ी संबंधी जोखिम प्रबंधन के लिए एक मजबूत तथा कठोर प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक आवश्यक कदम उठा सकें।

साइबर सुरक्षा संरचना

सूचना प्रौद्योगिकी किसी बैंक के परिचालनगत पहलुओं का एक अभिन्न अंग बन गई है तथा हाल के वर्षों में, बैंकों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग द्रुत गति से बढ़ा है। हालांकि इससे बैंकों को कई लाभ मिल रहे हैं, लेकिन इससे उन पर साइबर आक्रमण की संभावनाएं भी बलवती हुई हैं। ऐसी घटनाओं में होने वाली वृद्धि को देखते हुए बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड ने भारिबैं को ये निदेश दिए हैं कि वह बैंकों की सूचना प्रणालियों का गहराई से पर्यवेक्षण करे। तद्नुसार, साइबर सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी की जांच के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया। बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में एक "समर्पित साइबर सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण कक्ष" भी जून 2015 में स्थापित किया गया।

उक्त विशेषज्ञ पैनल के तत्वावधान में "बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना" पर एक व्यापक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें साइबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सर्वोत्तम परिपाटियों को शामिल किया गया है। परिपत्र के संदर्भ में, अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को साइबर सुरक्षा नीति को सूचना सुरक्षा नीति से अलग रखना, निर्धारित समय सीमा के भीतर भारिबैं को असामान्य साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करना, सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में अन्तर मूल्यांकन की जाँच कर और प्रस्तुत करना आदि शामिल हैं।

समय-पूर्व चेतावनी प्रणाली और कार्रवाई

बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते खतरों की पहचान करने के लिए समय-पूर्व चेतावनी प्रणाली काफी महत्वपूर्ण होती है। प्रणालीगत जोखिम का पता लगाने के लिए इस प्रक्रिया में समष्टि स्तर पर समग्र संकेतकों की जांच करना शामिल है, यथा- क्रेडिट-जीडीपी अनुपात, अर्थव्यवस्था-व्यापी कर्ज चुकौती अनुपात (डीएसआर) आदि। सूक्ष्म स्तर पर बैंकों को दबाव परीक्षण, पूंजी की आयोजना, आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा, चलनिधि की निगरानी आदि से गुजरना पड़ता है। इनका उद्देश्य बैंक प्रबंध-तंत्र और पर्यवेक्षी प्राधिकरणों को ऐसे संभावित प्रतिकूल आघातों, जो कई सारे जोखिमों से पैदा हो सकते हैं, के प्रति सचेत कराना है और साथ ही जोखिम पैदा होने की स्थिति में उनसे निपटने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का आकलन बैंकों व पर्यवेक्षी प्राधिकरणों को देना है।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

बासेल समिति ने 1997 में "कारगर बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए मूल सिद्धांत" जारी किए थे, जो पर्यवेक्षी प्राधिकारियों को, अपने चालू पर्यवेक्षी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, कानूनी उपबंधों से समर्थित उन्हें उपलब्ध पर्याप्त पर्यवेक्षी उपायों पर बल देने, बैंकों द्वारा विवेकशील अपेक्षाओं (जैसे न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात) का अनुपालन न करने की स्थिति में या अन्य किसी रूप में जमाकर्ताओं के हितों को खतरा पहुंचने की स्थिति में, समय पर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए मार्गदर्शी न्यूनतम अपेक्षाओं के स्वरूप के थे। तदनुसार, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रणाली दिसंबर 2002 में लागू की गई, जो पूर्व-निर्धारित, नियम-आधारित सुनियोजित हस्तक्षेप-आधारित प्रणाली थी। इसका उद्देश्य विद्यमान पर्यवेक्षी संरचना को सुदृढ़ बनाना था। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की मूल योजना के अनुसार, भारिबैं द्वारा कुछ सुरचित कदम उठाए जाने थे, जिनमें ऐसे बैंकों पर लाभांश भुगतान, नए व्यवसाय में प्रवेश, नई जमाराशि स्वीकार करने आदि पर प्रतिबंध लगाना शामिल है, जिन्होंने पूंजी पर्याप्तता, आस्ति-गुणवत्ता तथा लाभप्रदता संबंधी मानदंडों का उल्लंघन करके ऐसी कार्रवाई को आमंत्रित किया हो।

वित्तीय स्थिरता उप-समिति और विभागीय परिषद् (एफएसडीसी-एससी) के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए विद्यमान त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की समीक्षा करने और उसे बेहतर बनाने का निर्णय लिया। संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई संरचना अप्रैल 2017 में अधिसूचित की गई तथा बिना किसी अपवाद के भारत में कार्यरत सभी बैंकों पर लागू की गई,

जिसमें लघु बैंक और शाखाओं के माध्यम से या फिर सहायक कंपनी के माध्यम से कार्यरत ऐसे विदेशी बैंक भी शामिल हैं, जिन्होंने जोखिम संबंधी निर्धारित प्रारंभिक सीमा का उल्लंघन किया हो। उक्त संशोधित संरचना के अंतर्गत भी निगरानी के क्षेत्र वही, अर्थात् पूंजी, आस्ति-गुणवत्ता तथा लाभप्रदता बने रहे, लेकिन इसमें लिवरेज को अतिरिक्त क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। पूंजी, आस्ति-गुणवत्ता तथा लाभप्रदता के लिए जिन संकेतकों को देखा जाता है, वे क्रमश: सीआरएआर/ सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात, निवल एनपीए अनुपात तथा आस्तियों पर प्रतिलाभ हैं। कुछ जोखिम संबंधी प्रारंभिक सीमाओं को परिभाषित किया गया है, जिनका उल्लंघन किए जाने पर त्वरिक सुधारात्मक कार्रवाई और कुछ आदेशात्मक तथा विवेकाधीन कार्रवाई की जा सकती है। आदेशात्मक कार्रवाई में लाभांश वितरण और शाखा-विस्तार पर प्रतिबंध तथा अधिक प्रावधानीकरण आदि शामिल हैं। विवेकाधीन कार्रवाई के चयन के लिए एक सामान्य सूची है, जिसमें विशेष पर्यवेक्षी कार्रवाई (उदाहरण के लिए, बैंकों का विशेष निरीक्षण), रणनीतिक कार्रवाई (बैंकों को ये निदेश जारी करना कि वे व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार लाएं), अभिशासन संबंधी कार्रवाई (उपयुक्त समझे गए विभिन्न पहलुओं पर बैंक के निदेशक-मंडल की सक्रिय संलग्नता), पूंजीगत कार्रवाई (पूंजी बचाने की दृष्टि से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में एक्सपोज़र घटाना), ऋण जोखिम संबंधी (ऋण समीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना), बाजार जोखिम संबंधी (डेरिवेटिव गतिविधियों को सीमित करना), मानव संसाधन संबंधी कार्रवाई (कार्यरत स्टाफ की विशेष प्रशिक्षण आवश्यकताओं की समीक्षा), लाभप्रदता संबंधी (कुछ प्रकार के पूंजीगत व्ययों पर प्रतिबंध), तथा परिचालन संबंधी (शाखा-विस्तार की योजनाओं पर प्रतिबंध) शामिल हैं। इनके अलावा, भारिबैं त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत निर्धारित अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

किसी बैंक पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई बैंक के लेखा-परीक्षित परिणामों तथा भारिबैं के पर्यवेक्षी आकलन के आधार पर की जाती है। हालाँकि, भारिबैं किसी भी बैंक पर वर्ष के दौरान पीसीए लगा सकता है, यदि परिस्थितियाँ आवश्यक हैं।

दबाव परीक्षण

2007-09 के वैश्विक वित्तीय संकट से दबाव परीक्षण की भूमिका काफी तेजी से विकसित और बढ़ी है। कई देश 'पर्यवेक्षी पूंजी' के समुचित स्तर का निर्धारण करने के लिए दबाव परीक्षण का उपयोग कर रहे हैं। दिसंबर 2013 में आरबीआई ने दबाव परीक्षण पर दिशानिर्देश जारी किए और

सभी बैंकों के लिए यह अनिवार्य बनाया कि वे दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट कम से कम आघातों को शामिल करते हुए दबाव परीक्षण कराएं। उक्त दिशानिर्देशों में यह बताया गया है कि बैंकों को कर्म-से-कम मूलभूत आधातों को संभालने में समर्थ होना चाहिए और उन्हें जटिलता के स्तर के अनुरूप दबाव परीक्षण कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए।

चेतावनीपूर्ण संकेतकों वाले खाते (रेड फ्लैग्ड एकाउंट्स- आरएफए)

वित्तीय घटनाओं की रोकथाम के लिए समय-पूर्व चेतावनी प्रणाली के एक भाग के रूप में 2015 में चेतावनी पूर्ण संकेतकों वाले खाते (आरएफए) की संकल्पना शुरू की गई। "आरएफए से अभिप्रेत है वह खाता जिसमें एक या अनके समय-पूर्व चेतावनी संकेतक/ संकेतकों (ईडब्ल्यूएस) के मिलने से धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि का संदेह पैदा होता है।" तदनुसार, बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे रु.50 करोड़ और उससे अधिक राशि के एक्सपोज़रों के लिए ईडब्ल्यूएस की पहचान और आरएफए के रूप में खातों की फ्लैगिंग करने के लिए प्रणाली स्थापित करें।

पर्यवेक्षी निष्कर्षों का प्रस्तुत किया जाना

प्राप्त अनुभवों और व्यापक पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के घटकों के प्रति मॉडुलर दृष्टिकोण रखने हेतु पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है: (i) बैंकों की अप्रत्याशित हानियों की देखरेख संबंधी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्टें (आरएआर); (ii) (क) विनियामकीय परिचालनों अर्थात अनुपालन की समीक्षा, और (ख) उपलब्ध पूंजी के मूल्यांकन युक्त पूंजी की समीक्षा के माध्यम से बैंकों की प्रत्याशित हानियों को समाहित करने वाली निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर); तथा (iii) बैंक के ग्राहक और बाज़ार आचरण से जुड़े मुद्दों को शामिल करते हुए कारोबार आचरण संबंधी मूल्यांकन।

बहु-राष्ट्रीय संदर्भ में पर्यवेक्षण

जहां तक अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों का सवाल है, वे उस देश, जहां वे परिचालनरत हैं, के लिए ही नहीं, बल्कि उस होम देश के लिए भी जोखिम का स्रोत बन सकते हैं जहां उनका सर्वाधिक परिचालन होता है। अत: ऐसी संस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए संबंधित देशों का आपसी सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण कार्य बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर का होता है, अत: विभिन्न देशों की वित्तीय स्थिरता की रक्षा करने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों

के बीच आपसी सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरबीआई विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं की ऑनसाइट जांच आवधिक रूप से करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे होम व होस्ट दोनों देशों के विनियमों का अनुपालन करते हैं और साथ ही यह समझा जा सके कि बैंक के तुलनपत्र के प्रति शाखा के तुलनपत्र क्या-क्या जोखिम पैदा करते हैं।

पर्यवेक्षी कॉलेज

भारिबैं ने विदेश में कार्यरत भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों पर पर्यवेक्षण के भाग के रूप में ऐसे छह बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कॉलेजों की स्थापना की जिनकी विदेशों में अच्छी उपस्थिति है। ये बैंक हैं - भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड तथा पंजाब नैशनल बैंक। इन कॉलेजों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यवेक्षकों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा सहयोग को बढ़ाना है ताकि वे बैंकिंग समूह के जोखिम प्रोफाइल को और बेहतर समझ सकें और अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों का अधिक कारगर पर्यवेक्षण कर सकें। साथ ही, डीओएस ने पर्यवेक्षी सहयोग और आदान-प्रदान के मामले में अनेक वैश्विक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

संदर्भ:

वाणिज्यिक बैंकों की पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की समीक्षा संबंधी उच्च स्तरीय संचालन समिति की रिपोर्ट, आरबीआई, जून 2012

अध्याय 9: भारत में सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण

"सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक अनुस्मारक है कि आर्थिक व्यवहार्यता और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों को आगे बढ़ाया जाना संभव है"- संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सचिव - बान की मून

प्रस्तावना

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था - "मान लीजिए कि मुझे उत्तराधिकार या व्यापार और उद्योग के जरिए काफी धन-संपत्ति मिल जाती है - मुझे यह जानना चाहिए कि वह पूरी धन-संपत्ति मेरी नहीं है, अगर मेरा कुछ है तो वह सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार , जो अन्य लाखों लोगों द्वारा जिये जा रहे जीवन से बेहतर नहीं होना चाहिए। अत: मेरी शेष धन-संपत्ति उस समुदाय के लिए है तथा उसके कल्याण के लिए उपयोग में लाई जानी चाहिए"। यह बात सहकारी आंदोलन के सार को व्यक्त करती है, जो सामुदायिक भाईचारे, परस्पर सहायता, लोकतांत्रिक निर्णयन तथा सभी के लिए खुली सदस्यता आदि सिद्धांतों पर आधारित हैं जिन्हें आमतौर पर ***सहकारिता सिंद्धात*** कहा जाता है और जिनके बारे में नीचे जानकारी दी गई हैः

1. स्वैच्छिक और खुली सदस्यता - सहकारी संस्थाएं स्वैच्छिक संगठन हैं जो अपनी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम सभी व्यक्तियों के लिए खुली हैं और लिंग, सामाजिक असमानता, नस्लीय, राजनीतिक विचारधारा या धार्मिक विचार के आधार पर भेदभाव के बिना सदस्यता की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
2. लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण - सहकारी समितियां उनके सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन हैं जो उनकी नीतियों का निर्धारण करने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होते हैं।
3. सदस्यों की आर्थिक भागीदारी - सदस्य समान रूप से अंशदान देते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सहकारी की पूंजी को नियंत्रित करते हैं। आर्थिक कार्यों से उत्पन्न अधिशेष का कम से कम एक हिस्सा सहकारी समितियों की साझी संपत्ति होता है। शेष अधिशेष का उपयोग सहकारिता में सदस्यों के अंश के अनुपात में सदस्यों के लाभ के लिए किया जा सकता है।

4. स्वायत्तता और स्वतंत्रता - सहकारी संस्थाएं स्वायत्त, स्व-सहायता संगठन हैं जो उनके सदस्यों द्वारा नियंत्रित होती हैं। यदि सहकारिता सरकार सहित अन्य संगठनों के साथ करार करती है या बाहरी स्रोतों से पूंजी जुटाती हैं तो वे यह ऐसी शर्तों पर करते हैं जो सदस्यों द्वारा उनके लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी स्वायत्तता को बनाए रखना सुनिश्चित करती हैं।
5. शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना - सहकारी समितियां अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं ताकि वे अपने सहकारी समितियों के विकास में प्रभावी योगदान दे सकें। वे आम जनता, विशेष रूप से युवा लोगों और नेताओं को सहयोग की प्रकृति और इसके लाभों से अवगत कराते हैं।
6. सहकारिता के बीच सहयोग - सहकारी समितियां अपने सदस्यों की सेवा सबसे प्रभावी ढंग से करती हैं और उपलब्ध स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं के माध्यम से एक साथ काम करके सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करती हैं।
7. समुदाय का ध्यान रखा जाना - अपने सदस्यों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहकारिता अपने सदस्यों द्वारा स्वीकार की गई नीतियों के माध्यम से समुदायों के सतत विकास के लिए काम करती हैं।

भारत में सहकारिता आंदोलन एक सदी से भी पुराना है। भारत में सहकारी संस्थाओं का गठन 19वीं शताब्दी में हुआ जब पहली परस्पर सहायता समिति 'अन्योन्य सहकारी मंडली' का गठन गुजरात के बड़ौदा में 5 फरवरी 1889 को किया गया। ऐसी संस्थाओं को बड़ा प्रोत्साहन तब मिला जब सहकारी समिति अधिनियम, 1904 पारित किया गया और तमिलनाडु की कांचीपुरम सहकारी क्रेडिट समिति वह पहली क्रेडिट समिति बनी जिसे उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। बाद में, 1919 में, सहकारिता विषय को केंद्र सरकार से हटा कर प्रोविंशियल राज्यों को अंतरित कर दिया गया।

सहकारी ऋण संस्थाएं बैंकिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि वे कम साधन वाले लोगों से जमाराशियां जुटाने और उन्हें ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे वित्तीय समावेशन तथा लेनदेन को सुकर बनाने के साधन के रूप में भी महत्वपूर्ण काम करती हैं। परंपरागत तौर पर भारत में सहकारी संरचना को दो भागों अर्थात "ग्रामीण" तथा "शहरी" के रूप

में वर्गीकृत किया जाता है जिनमें ग्रामीण सहकारी की संरचना संघीय होती है। इन संस्थाओं की वर्तमान संरचना को ग्राफिक्स रूप में नीचे दर्शाया गया है।

बॉक्स 1

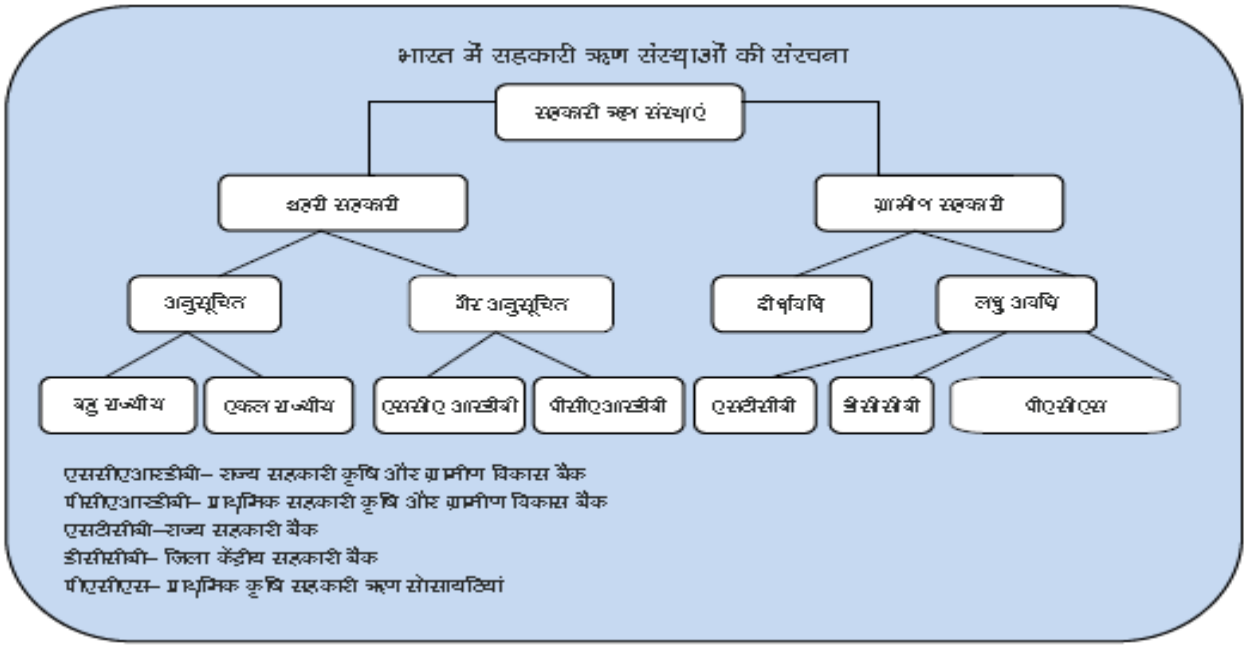

सहकारी संस्थाओं की मुख्य विशेषताएं

- उनके परिचालन का क्षेत्र सीमित है
- निदेशक-मंडल का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से इसके सदस्यों द्वारा किया जाता है
- इन संस्थाओं से उधार उनके सदस्य को ही मिल सकता है
- उधार शेयरों से संबद्ध होते हैं, अर्थात् उधारकर्ता सदस्य को सहकारी बैंक में शेयर पूंजी धारण करना आवश्यक है जो राशि बैंक से उधार ली गई राशि के कुछ निश्चित प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
- हर सदस्य सिर्फ एक वोट ही डाल सकता है, चाहे उसके शेयरों की संख्या कितनी ही क्यों न हो
- इन संस्थाओं के शेयर न तो सूचीबद्ध किए जा सकते हैं और न ही उनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है

सहकारी ऋण समितियों तथा सहकारी बैंकों के बीच अंतर

'सहकारी समितियां' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में क्रम संख्या 32 पर राज्यों की सूची में दी गई हैं जबकि 'बैंकिंग' क्रम संख्या 45 पर संघीय सूची के अंतर्गत आती हैं। । अत: भारत में सहकारी समितियां राज्यों का विषय हैं और वे भारिबैं के विनियामक दायरे में नहीं आतीं। सहकारी ऋण समितियां अपने सदस्यों से जमाराशियां जुटाकर मुख्य रूप से उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

जिन सहकारी ऋण समितियों को बैंकिंग कार्यों के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है, वे सहकारी बैंक के रूप में कार्य करती हैं और वे जनता से जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं। शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) या तो संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम और या फिर बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2020, यदि बैंक के परिचालन के क्षेत्र का विस्तार एक राज्य की सीमाओं से आगे तक हो, के प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य रूप से सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं।

यूसीबी को जमाराशियों के आकार और परिचालन के क्षेत्र के आधार पर टियर-1 और टियर-2 यूसीबी में विभाजित किया जाता है। निम्न मानदंडों को पूरा करने वाली यूसीबी को टीयर-1 यूसीबी के रूप में परिभाषित किया गया है:

- 100 करोड़ रुपये से कम जमाराशि और एकल जिले में परिचालन।
- 100 करोड़ रुपये से कम जमाराशि और एक से अधिक जिलों में परिचालन, बशर्ते कि शाखाएं समीपवर्ती जिलों में हों और एक जिले में शाखाओं की जमाराशि और अग्रिम अलग से बैंक की क्रमशः कुल जमाराशियों और अग्रिमों का 95 प्रतिशत हो।
- जमाराशि 100 करोड़ रुपये से कम और मूल रूप से शाखाएं एक ही जिले में हो जो कि जिले के पुनर्गठन के कारण बहु जिला बैंक बन गया हो।

अन्य सभी यूसीबी को टीयर-2 यूसीबी के रूप में परिभाषित किया गया है।

सहकारी बैंकों के विनियमन के लिए कानूनी आधार

यद्यपि, बैंककारी विनियमन अधिनियम वर्ष 1949 में लागू हुआ, सहकारी समितियों पर बैंकिंग कानून, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 में संशोधन करते हुए धारा 56 (भाग V) जोड़ने के बाद ही लागू हुआ, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस)[68] के नाम से जाना जाता है।

इससे सहकारी बैंक संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र सरकार तथा भारिबैं के दोहरे नियंत्रण के अधीन आ गए और यही तथ्य इन्हें वाणिज्यिक बैंकों से भिन्नता प्रदान करता है। जहां प्रशासनिक पहलू जैसे पंजीकरण, प्रबंधन, भर्ती, लेखापरीक्षा, बट्टे खाते डालने, समामेलन और परिसमापन का विनियमन राज्य/केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है वहीं बैंकिंग से संबंधित मामलों का विनियमन और पर्यवेक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (एएसीएस) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है।

सभी बैंकों में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एकरूपता लाने के उद्देश्य से, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 27 जून, 2020[69] को प्रख्यापित किया गया था। अध्यादेश, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (AACS) में संशोधन करना चाहता है, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा पूंजी बढ़ाने का प्रावधान करता है जिन्हें शेयरों, डिबेंचर और अन्य समान प्रतिभूतियों के मुद्दों के माध्यम से आरबीआई द्वारा मंजूरी दी जा सकती है। अध्यादेश में कहा गया है कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत किसी भी सहकारी बैंक के मामले में, रिज़र्व बैंक एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर संबंधित राज्य सरकार से परामर्श के बाद निदेशक मंडल को अपदस्थ कर सकता है । हालांकि, भारिबैं सहकारी बैंक या सहकारी बैंकों के एक वर्ग को अधिनियम के कुछ प्रावधानों से ऐसी समय अवधि के लिए अधिसूचना के माध्यम से छूट दे सकता है और ऐसी शर्तों भारिबैं द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

जबकि यूसीबी का विनियमन और पर्यवेक्षण भारिबैं द्वारा किया जाता है, ग्रामीण सहकारी बैंकों नामतः राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का विनियमन

[68] एएसीएस- सहकारी समितियों पर यथा लागू

[69] संसद के द्वारा 6 माह के अंतर्गत अध्यादेश के रूप में पारित किया जाना चाहिए

भारिबैं द्वारा किया जाता है लेकिन पर्यवेक्षण नाबार्ड[70] द्वारा किया जाता है। दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी नामतः राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीहबी) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) भारिबैं के विनियामक या पर्यवेक्षी दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं।

शहरी सहकारी बैंक की परिभाषा

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 5(सीसीवी) के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समिति को छोड़कर शहरी सहकारी बैंक को अन्य ऐसी सहकारी समिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो :

- जिसका प्राथमिक उद्देश्य अथवा मूल व्यवसाय बैंकिंग संबंधी लेनदेन हों;
- जिसकी चुकता पूंजी और आरक्षित निधियां एक लाख रुपये से कम न हों; तथा
- जिसके उपनियमों में किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति न हो

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की संवृद्धि और समेकन

जब बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के उपबंध शहरी सहकारी बैंकों पर 1966 में लागू किए गए और बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए भारिबैं से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया तब लगभग 1100 शहरी सहकारी बैंक कार्यरत थे, और उनकी जमाराशियां तथा ऋणराशियां क्रमश:167 करोड़ रुपये तथा 153 करोड़ रुपये की थीं। मराठे समिति की सिफारिशों के अनुसरण में भारिबैं इनके संबंध में उदार लाइसेंस नीति अपनाता रहा है। तदनुसार वर्ष 1993 में, बैंक लाइसेंसीकरण की उदारीकृत नीति से पूर्व 1311 शहरी सहकारी बैंक थे जिनकी 2004 तक संख्या बढ़ कर 1926 हो गई। लेकिन, यह देखा गया कि नए लाइसेंसीकृत शहरी सहकारी बैंकों का एक-तिहाई हिस्सा वित्तीय रूप से जल्दी ही अशक्त हो गया। इस अनुभव तथा शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की विद्यमान वित्तीय हालत को देखते हुए 2004-05 में यह निर्णय लिया गया कि भारिबैं नए लाइसेंस देने पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि इस क्षेत्र के लिए उचित कानूनी तथा विनियामक संरचना सहित व्यापक नीति नहीं बना ली जाती। तब से नए शहरी सहकारी बैंकों की

[70] नाबार्ड- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

स्थापना के लिए कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया गया है । हालांकि विलय/समामेलन, क्रेडिट सोसाइटियों में रूपांतरण और इन वर्षों में यूसीबी के लाइसेंस रद्द होने के कारण 31 मई 2020 की स्थिति के अनुसार देश में यूसीबी की संख्या घटकर 1538 हो गई है। कुल परिसंपत्तियों के संदर्भ में मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार यूसीबी ने कुल बैंकिंग प्रणाली की परिसंपत्तियों में 3.2% का योगदान दिया है।

भारिबैं द्वारा की गई पहल

उक्त अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सह-विनियामकों के बीच में बेहतर समन्वयन के माध्यम से यूसीबी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए भारिबैं ने 2005 से सभी राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के साथ समझौता - ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सहमति-ज्ञापन के अंतर्गत की गई व्यवस्था के एक भाग के रूप में भारिबैं ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रत्येक राज्य में केवल एक राज्य में कार्य करने वाले यूसीबी के लिए राज्य स्तरीय कार्यबल (टैफकब) का गठन किया है। एक केंद्रीय टैफकब बहु-राज्यीय शहरी सहकारी बैंकों के लिए गठित किया गया है। टैफकब राज्य में संभावित अर्थक्षम तथा गैर-अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों की पहचान करता है और अर्थक्षम बैंकों के पुनरुद्धार तथा गैर-अर्थक्षम बैंकों को प्रणाली से बाहर करने के लिए बाधारहित तरीके का सुझाव देता है। गैर-अर्थक्षम बैंकों को सुदृढ़ बैंकों में विलयित/समामेलित करके तथा समितियों में परिवर्तित करके या अंतिम विकल्प के रूप में उनका परिसमापन करके उन्हें बैंकिंग प्रणाली से बाहर किया जाता है।

कमजोर बैंकों (अनिश्चित वित्तीय स्थिति वाले बैंक) के लिए समाधान प्रक्रियाओं को दिशा और प्रोत्साहन देने के लिए रिज़र्व बैंक ने विभिन्न वित्तीय साधनों सहित कमजोर बैंकों के पुनरुद्धार में सहायता के लिए वित्तीय पुनर्गठन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनका उपयोग इन उद्देश्यों के लिए डीआईसीजीसी की सहायता से या उसकी सहायता के बिना अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा यूसीबी के अधिग्रहण सहित यूसीबी के अन्य यूसीबी के साथ विलय में भी किया जा सकता है। । रिज़र्व बैंक ने हाल ही में कुछ शर्तों के अधीन लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में यूसीबी के स्वैच्छिक अंतरण के लिए दिशानिर्देश भी बनाए हैं। यूसीबी के अभिशासन और बैंकिंग कार्यों में सुधार लाने के लिए निदेशक मंडल के अलावा प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के गठन के लिए भी दिशानिर्देश बनाए हैं।

इसके अतिरिक्त भारिबैं ने हाल ही में यूसीबी के लिए मानदंड बनाए हैं जिनके अनुसार यूसीबी को कड़े और उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों (क्रमिक रूप से 75% के लक्षित स्तर तक पहुंचने के लिए) का पालन किया जाना है। लक्षित स्तर तक नहीं पहुंचने की स्थिति में पैनल्टी के रूप में लक्ष्य में कमी के बराबर की राशि को कम ब्याज दरों पर आरआईडीएफ में जमा किया जाना और कुल पूंजी के बजाय सुदृढ़ टीयर 1 पूंजी के साथ अनुपात को जोड़े जाने के कड़े एक्सपोजर मानदंड और 50% ऋणों को छोटे उधारकर्ताओं को प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। बहरहाल वे भारिबैं की अग्रणी बैंक योजना से बाहर बने हुए हैं और एसएलबीसी के विभिन्न मंचों में भी इनका प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। यूसीबी की तकनीकी सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए सभी बैंकों के लिए उनकी डिजिटल क्षमता के आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं के साथ बुनियादी साइबर सुरक्षा मानदंड बनाए गए हैं।

शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन

भारिबैं को शहरी सहकारी बैंकों को विनियमित करने की शक्तियां बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (एएसीएस) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत मिली हुई हैं। इन विनियमनों में शाखा-लाइसेंसीकरण, परिचालन के क्षेत्र में विस्तार का प्राधिकार, सीआरआर तथा एसएलआर अपेक्षाएं और पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारण, आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण, प्रावधानीकरण मानदंड, एक्सपोज़र मानदंड, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए लक्ष्य-निर्धारण,शहरी सहकारी बैंकों को भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना आदि, शामिल हैं।

सहकारी बैंकों के विनियमन के प्रति दृष्टिकोण

इस दृष्टि से कि शहरी सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंकों के समान बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा सकें,भारिबैं ने उन्हें विशेषीकृत शाखाएं खोलने,करेंसी चेस्ट,ऑन-साइट/ऑफ-साइट मोबाइल एटीएम रखने, सरकारी प्रतिभूतियों की एकदिवसीय अधिबिक्री करने और कंपनी ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा करने, केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली/आरटीजीएस/एनईएफटी/एनडीएस-ओएम का उपयोग करने, भारिबैं के पास चालू खाता और एसजीएल खाता खोलने, बीमा उत्पाद/म्युच्युअल फंड यूनिट बेचने,पैन (PAN) सेवा एजेंट के रूप में काम करने, पीएफआरडीए के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस सेवाएं करने, व्यावसायिक प्रतिनिधि/ व्यावसायिक सुलभकर्ता नियोजित करने, इंटरनेट/मोबाइल

बैंकिंग सुविधा देने तथा डिमेट खाताधारकों को ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करने और प्रिपेड लिखत जारी करने आदि की अनुमति प्रदान की है। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को भारिबैं की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) भी उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार, ये सहकारी बैंक एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उक्त सुविधाएं पूरे भारत में प्रदान करवानी हैं।

शहरी सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग सोल्युशन लागू करने के लिए वित्तीय सहायता

कई छोटे शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग सोल्युशन(सीबीएस) लागू करने में महसूस की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, भारिबैं ने अप्रैल 2016 में एक वित्तीय सहायता योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत 4 लाख रुपये तक की प्रारंभिक स्थापना लागत भारिबैं द्वारा वहन की जाएगी और कोर बैंकिंग सोल्युशन लागू करने के लिए तकनीकी सहायता भारिबैं की पूर्ण स्वामित्व वाली ईकाई इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज़ एंड अलाईज़ सर्विसेज़ (आईएफटीएएस) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। भारिबैं ने यह कदम सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान प्रौद्योगिकी स्तर पर लाने की दृष्टि से उठाया गया है।

शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि शहरी सहकारी बैंक भली प्रकार काम करते हैं और उनके द्वारा अपनायी गई परिचालन विधियां सांविधिक उपबंधों के तथा जमाकर्ताओं के हितों के अनुरूप हैं, उनका प्रत्यक्ष तथा परोक्ष निरीक्षण किया जाता है -

i. <u>प्रत्यक्ष निरीक्षण</u> : बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों के निरीक्षण में पूंजी-पर्याप्तता (सी),आस्ति-गुणवत्ता(ए),प्रबंधन(एम),अर्जन(ई),चलनिधि(एल) तथा प्रणालियों और नियंत्रण(एस) का आकलन करने के लिए केमल्स (CAMELS) पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इन निरीक्षणों में मूल स्थितियों का आकलन किया जाता है और विशेष तौर पर निम्नलिखित की समीक्षा की जाती है-

    क) वित्तीय स्थिति और कार्यनिष्पादन

    ख) प्रबंधन, प्रणालियां और नियंत्रण; तथा

    ग) विनियामक और अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन

ii. <u>परोक्ष निरीक्षण</u> : शहरी सहकारी बैंकों के सतत पर्यवेक्षण की दृष्टि से भारिबैं ने आवधिक रूप से परोक्ष निरीक्षण(ओएसएस) को प्रत्यक्ष निरीक्षण के पूरक के तौर पर अपनाया है। इसके अंतर्गत यूसीबी द्वारा कई विवेकशील विवरणियां भारिबैं को प्रस्तुत करनी होती हैं। भारिबैं में इन विवरणियों का विश्लेषण किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि बैंकों की स्थिति में गिरावट आने के कोई आसन्न संकेत तो नहीं हैं। ऐसे विश्लेषण के परिणामस्वरूप कई बार उक्त बैंकों का निरीक्षण तय तारीख से पहले भी शुरू किया जाता है।

पर्यवेक्षीय कार्रवाई फ्रेमवर्क (एसएएफ)

भारिबैं ने वित्तीय तनाव का सामना कर रहे यूसीबी के लिए बीआर अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के अंतर्गत एक पर्यवेक्षीय कार्रवाई फ्रेमवर्क (एसएएफ) तैयार किया है। 6 जनवरी 2020 को संशोधित किए गए फ्रेमवर्क का उद्देश्य ऐसे यूसीबी में वांछित सुधार लाने के साथ-साथ इनका त्वरित समाधान करना भी है। वित्तीय उत्प्रेरक (ट्रिगर) निवल एनपीए (आस्ति गुणवत्ता), लाभप्रदता और जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के आवश्यक स्तर पर आधारित होते हैं। कमजोरी के क्षेत्र और उसके विस्तार और वित्तीय उतप्रेरकों[71] के आधार पर कार्रवाई की जाती है जिसमें नई शाखाएं खोलने, पूंजीगत व्यय, लाभांश की घोषणा/वितरण पर प्रतिबंध, ऋणों के लिए एक्सपोज़र मानदंड को कम करना या किसी विशेष दिन की स्थिति के अनुसार कुल अग्रिमों की सीमा को फ्रिज करना आदि शामिल हो सकती हैं। ऐसी पर्यवेक्षीय कार्रवाई आमतौर पर भारिबैं के निरीक्षण द्वारा यूसीबी की वित्तीय स्थिति के निर्धारण के आधार पर शुरू की जाती है। हालांकि रिपोर्ट की गई/लेखापरीक्षित की गई वित्तीय स्थिति के आधार पर भी कार्रवाई की जा सकती है। सांविधिक निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर यदि आवश्यक हो तो वित्तीय स्थिति की बाद में समीक्षा की जा सकती है। यद्यपि की गई पर्यवेक्षीय कार्रवाई मुख्य रूप से एसएएफ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर की जाती है लेकिन यदि अन्य महत्वपूर्ण संकेतकों / मानदंडों में दबाव देखा जाता है या गंभीर अभिशासन के मामलों या मामले के गुणों

[71] 6 जनवरी 2020 के परिपत्र डीओआर(पीसीबी).बीपीडी. सं 9/12.05.001/2019-20 द्वारा यूसीबी को जारी पर्यवेक्षीय कार्रवाई फ्रेमवर्क(एसएएफ) में वित्तीय उत्प्रेरकों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

पर आधारित किसी अन्य मामले के होने की स्थिति में रिज़र्व बैंक उपयुक्त पर्यवेक्षी कार्रवाई करने से नहीं रुकेगा।

जिन बैंकों की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से निरंतर बिगड़ी रहती है उन्हें उपर्युक्त अधिनियम की धारा 35A के तहत सभी समावेशी निदेशों (एआईजी) के अंतर्गत लाया जाता है, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ एक विनिर्दिष्ट सीमा तक जमाराशियों की चुकौती को प्रतिबंधित करने के अतिरिक्त नई जमाराशियां को स्वीकार करने और नए ऋणों को प्रदान करने पर रोक लगाता है। एआईडी के अंतर्गत बैंकों को एक सुदृढ़ पुनरुद्धार योजना या किसी सोसायटी में विलय / रूपांतरण की संभावनाओं का पता लगाने के बारे में सूचित करते हुए इनकी बारिकी से निगरानी की जाती है। पुनरुद्धार की कार्य योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक या अधिक में कार्रवाई किया जाना शामिल है:

क. एनपीए वसूली

ख. वर्तमान सदस्यों से अंशदान के माध्यम से या नए सदस्य बनाकर पूंजी में वृद्धि

ग. केंद्र / राज्य सरकार द्वारा पूंजी प्रदान किया जाना

घ. शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने, कर्मचारियों और अन्य उपरि व्ययों को कम करने, वीआरएस को लागू करने आदि जैसे लागत में कटौती के उपाय।

पुनरुद्धार/ विलयन के मोर्चे पर किसी भी महत्वपूर्ण विकास की अनुपस्थिति में और वित्तीय स्थिति बिगड़ने/अनिश्चित होने की स्थिति में बैंक के जमाकर्ताओं के हितों में और स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है।

हालांकि, उपरोक्त के होते हुए भी किसी बैंक को केवल तभी निदेशों के अंतर्गत रखा जाता है जब वित्तीय दबाव के कारण आई गिरावट के प्रति तुरंत कार्रवाई करने में बैंक की ओर से असफल होने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं और जमाराशियों को आसानी से आहरित नहीं किए जा सकने के संबंध में गंभीर चिंता होती है जिससे की आम जनता को नुकसान हो सकता है।

ग्रामीण सहकारिता

ग्रामीण ऋण सहकारिता का जन्म अनिवार्यत: किसानों को कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण ऋणग्रस्तता और गरीबी के दो बड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में इनकी दूरस्थ इलाकों तक पहुंच तथा व्यवसाय की मात्रा में असाधारण वृद्धि को देखते हुए ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां ग्रामीण ऋण वितरण के क्षेत्र में अनूठा स्थान रखती हैं। अल्पावधि तथा दीर्घावधि सरंचनाओं के माध्यम से ये उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ऋण प्रदान करने तथा गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

- **दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना** में शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) तथा जिला और खंड स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) शामिल हैं। इन संस्थाओं का प्रादुर्भाव कृषि की दीर्घाकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से हुआ था और ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमाक दायरे के अंतर्गत नहीं आती हैं।
- देश की **अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस)** द्वारा प्राथमिक तौर पर किसानों तथा ग्रामीण कारीगरों की कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाता है। इसकी संरचना त्रिस्तरीय और राज्य के भीतर संघीय स्वरूप की होती है।

राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) राज्य में शीर्ष पर होता है। जिला स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक(डीसीसीबी) और ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां(पीएसीएस) होती हैं। भारत भर में 95,000 से ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां कार्यरत हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (एएसीएस) के दायरे में नहीं आतीं, अत: भारिबैं द्वारा उनका विनियमन नहीं किया जाता। उनका विनियमन और निगरानी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35(6) के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का विनियमन भारिबैं द्वारा किया जाता है लेकिन उनका पर्यवेक्षण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है। राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के विनियमन के भाग के रूप में भारिबैं पूंजी-पर्याप्तता,आय निर्धारण,आस्ति-वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा एक्सपोज़र आदि से संबंधित विवेकशील मानदंडों को निर्धारित करने के अलावा सीआरआर तथा एसएलआर संबंधी आवश्यकताओं को भी निर्धारित करता है।

राज्य सहकारी समितियों के लिए द्वीस्तरीय संरचना की ओर बढ़ना

राज्य सहकारी समितियों की पहुंच और परिचालनों की मात्रा अधिक है। तथापि राज्य सहकारी समितियों की संरचना सभी राज्यों में समान नहीं है। कुछ राज्यों में इनकी त्रिस्तरीय और कुछ में द्विस्तरीय संरचना है। स्तरीय संरचना के आधार पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां डीसीसीबी या एससीबी से संबद्ध होती हैं। त्रिस्तरीय ऋण संरचना में, प्रत्येक स्तर पर लागत और मार्जिन में वृद्धि होती है जिससे अंतिम उधारकर्ताओं के लिए ऋण की लागत बढ़ जाती है। त्रिस्तरीय ऋण संरचना की प्रासंगिकता की समीक्षा विगत में कई समितियों द्वारा की गई है (प्रमुख रूप से प्रो. वी एस व्यास, श्री जगदीश कपूर, प्रो. वैद्यनाथन तथा डा. प्रकाश बख्शी की अध्यक्षता वाली समितियां) । व्यास समिति ने त्रिस्तरीय समति के एक स्तर को हटाने का सुझाव दिया था ताकि अंतिम ऋणकर्ता के लिए ऋण की लागत में कमी लायी जा सके। डीसीसीबी के एससीबी में समामेलन से त्रिस्तरीय संरचना को द्विस्तरीय संरचना में परिवर्तित करने का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। नाबार्ड के परामर्श से आरबीआई द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध की जांच की जाएगी और समामेलन का अनुमोदन किया जाएगा। तदनुसार, आरबीआई के अनुमोदन के आधार पर मार्च 2017 में झारखंड राज्य में 7 डीसीसीबी का झारखंड राज्य

सहकारी बैंक में और नवंबर 2019 में केरल राज्य में 13 डीसीसीबी का केरल राज्य सहकारी बैंक में समामेलन किया गया।

निष्कर्ष

सहकारी बैंक अपनी संरचना,ग्राहकवर्ग तथा ऋण वितरण कार्य के रूप में अनूठी संस्था हैं। वे भारत की बैंकिंग प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर हैं और शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में समाज के मध्यम और कम आय वर्ग के लोगों को मूलभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इन संस्थाओं द्वारा वैश्विक वित्तीय संकट के समय जो मजबूती दिखाई गई, उसे विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं,दोनों में ही इनके महत्व को स्वीकारा गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत और समेकित करने के लिए कई नीतिगत उपाय शुरू किए हैं और भविष्य में भी करना जारी रखेगा ।

अध्याय 10: भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन और पर्यवेक्षण

परिचय:

भारत में ऐसी वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं जो बैंक नहीं हैं, लेकिन बैंकों जैसे कार्य,विशेषकर जमाराशियां जुटाने और ऋण देने के कार्य में संलग्न हैं। इन्हें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नाम से जाना जाता है और ये बैंकों की सेवाओं से वंछित तबकों के लिए सेवा देकर और अभिनव वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभाते हुए, जोखिमों को अवशोषित व वैविधीकृत करते हुए कोने-कोने तक ऋण मध्यस्थता प्रदान करके वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उनकी अत्यधिक संख्या (9000 से अधिक) और विविधता के कारण इन बैंकों का पर्यवेक्षण कार्य मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से कार्यस्थल के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के साथ-साथ परोक्ष निगरानी,–बाज़ार आसूचना, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें और स्टेकधारकों से बातचीत पर भी अधिक बल देना पड़ता है। इस अध्याय में एनबीएफसी की परिभाषा, क्षेत्र की विविधता स्पष्ट करते हुए एवं विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे का विहंगावलोकन करते हुए एनीबीसी क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है।

भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - परिभाषा

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की परिभाषा भारिबैं अधिनियम,1934 की धारा 45-I(एफ) में निम्नानुसार दी गई है:

i. वित्तीय संस्था, जोकि एक कंपनी है,
ii. गैर बैंकिंग संस्था , जोकि एक कंपनी है, और जिसका मूल व्यवसाय किसी योजना या व्यवस्था के तहत जमाराशि स्वीकार करना या किसी भी पद्धति से उधार देना है।
iii. अन्य ऐसी कोई गैर-बैंकिंग संस्था या इसी प्रकार की संस्था, जैसा कि बैंक केंद्र सरकार के पूर्वअनुमोदन से और सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

अत: ऐसी 'वित्तीय संस्था' एनबीएफसी कहलाती है जोकि कंपनी है। वित्तीय संस्था की परिभाषा आरबीआई के अधिनियम की धारा 45 आई(सी) के अतर्गत दी गई है। संक्षेप में, वित्तीय संस्था तात्पर्य उस गैर बैंकिंग संस्था से है जो निम्नलिखित गतिविधियों(वित्तीय गतिविधियां) में से किन्हीं गतिविधियों को अपने कारोबार (या अपने कारोबार का एक भाग) के रूप में करती हैं:

i. अपनी गतिविधियों को छोड़कर अन्य गतिविधियों के लिए उधार देना या वित्त पोषण करना
ii. सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए शेयरों/ स्टॉकों, बॉण्डों/ डिबेंचरों/ प्रतिभूतियों का अधिग्रहण
iii. पट्टा और किराया खरीद
iv. बीमा व्यवसाय
v. चिट व्यवसाय
vi. धन संग्रहण
vii. जमा स्वीकार करना

लेकिन,इसमें ऐसी कोई कंपनी शामिल नहीं होगी, जिसका मूल व्यवसाय निम्नलिखित में से कोई हो -

i. कृषि कार्य
ii. उद्योग कार्य
iii. किसी भी वस्तु की खरीद-बेच (प्रतिभूतियों को छोड़कर)
iv. कोई सेवा उपलब्ध कराना
v. अचल संपत्ति की बिक्री / खरीद / निर्माण

कभी-कभी गैर बैंकिंग संस्थाएं जो वित्तीय संस्था जैसी गतिविधि न करने पर भी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था की श्रेणी में गिनी जाती हैं। उन्हें राजपत्र[72] में अधिसूचना के माध्यम से एनबीएफसी के रूप में पदनामित किए गए हैं , जहां तक एकाउंट ऐग्रेगेटर और समकक्ष उधार प्लैटफार्म का मामला है, उनके बारे में बाद में स्पष्ट किया गया है। एक और पहलू यह है कि किसी कंपनी को एनबीएफसी के रूप में तब तक वर्गीकृत किए जाने के लिए पूरी तरह वित्तीय गतिविधियों में संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है जब तक उसने कृषि , औद्योगिक गतिविधि, मालों के व्यापार जैसी गैर वित्तीय गतिविधियों को अपने प्रमुख कारोबार के रूप में नहीं अपनाया हो। अब यह समस्या आती है कि मूल व्यवसाय को परिभाषित कैसे किया जाए?

[72] केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 I (f)(iii) के अंतर्गत आरबीआई द्वारा कार्यालयीन गेज़ट में अधिसूचचित

मूल व्यवसाय मानदंड (पीबीसी)

जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, जो कंपनी वित्तीय संस्था('वित्तीय गतिविधि') का कारोबार अपने प्रमुख कारोबार के रूप में करती है वह एनबीएफसी कहलाती है। वहीं यदि कोई कंपनी कृषि, विनिर्माण, मालों में व्यापार आदि को अपने प्रमुख गतिविधि के रूप में करती है, वह एनबीएफसी नहीं कहलाएगी, भले ही वह किसी वित्तीय गतिविधि करती हो। आरबीआई अधिनियम में मूल व्यवसाय की परिभाषा नहीं दी गई है । अत: मूल व्यवसाय की व्याख्या में स्पष्टता और एक समानता लाने की दृष्टि से बैंक ने 08 अप्रैल 1999 की अपनी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से वर्णन किया है। इस प्रेस प्रकाशनी के अनुसार, किसी कंपनी की पहचान एक एनबीएफसी के रूप में करने के लिए बैंक उस कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार उसकी आस्तियों और आय पद्धति दोनों को विचार में लेगा ताकि उस मूल व्यवसाय पर निर्णय लिया जा सके। किसी कंपनी को उस स्थिति में एनबीएफसी के रूप में माना जाता है जब उसकी कुल आस्तियों (अगोचर आस्तियों को घटाते हुए) में उसकी वित्तीय आस्ति का हिस्सा 50 प्रतिशत (मीयादी जमाराशियों[73] को छोड़कर) से अधिक हो और उसकी सकल आय में उसकी वित्तीय आस्तियों से आय का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक हो। किसी कंपनी के मूल व्यवसाय के निर्णायक घटक के रूप में उक्त दोनों परीक्षणों के परिप्रेक्ष्य में संतुष्ट करना ज़रूरी है। यदि कोई कंपनी पीबीसी की पूर्ति करे तो वह एनबीएफसी है और उसके लिए अपेक्षित है कि वह तब तक आरबीआई के पास पंजीकृत करा ले जब तक ऐसा नहीं करने के लिए विशेष रूप से छूट दी गई हो।

[73] 15 मार्च 2012 के परिपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि मीयादी जमाओं में किए गए निवेशों को वित्तीय आस्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और बैंकों के पास रखी गई मीयादी जमाराशियों पर ब्याज जन्य आय की प्राप्ति को वित्तीय आस्तियों से प्राप्त आय के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि उक्त बातें अधिनियम की धारा 45I(c) में 'वित्तीय संस्था' की परिभाषा में उल्लिखित गतिविधियों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। इसके अलावा बैंक जमाराशियों के अंतर्गत सुलभ मुद्रा समाहित है और इसका उपयोग निष्क्रिय निधियों को अस्थायी रूप से रखने के लिए किया जा सकता है, और/ या ऐसे मामलों में जहां निधियों को एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण की अपेक्षा को पूरा करने के लिए शुरुआत में तब तक के लिए मीयादी जमाओं में रखा जाता है जबतक एनबीएफसी कारोबार की शुरुआत न किया जाता हो।

क्या एनबीएफसी छाया बैंक हैं?

नवंबर 2010 में जी 20 नेताओं के अनुरोध पर छाया बैंकिंग के निरीक्षण और विनियमन को मजबूत करने की सिफारिशें विकसित करने के लिए, वित्तीय स्थिरता बोर्ड[74] ने इसे "ऐसे ऋण मध्यस्थता कार्य के रूप में परिभाषित किया है, जिसकी गतिविधियों को नियमित बैंकिंग प्रणाली से बाहर की संस्थाएं अंजाम देती हैं।"वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने बैंकिंग छाया से वित्तीय स्थिरता जोखिमों को दूर करने के लिए दो तरफा रणनीति अपनाई जिसमें एक प्रणाली-व्यापी निरीक्षण ढांचा और समन्वय और इस तरह के जोखिमों को दूर करने के लिए नीतियों का विकास शामिल है। 22 अक्टूबर, 2018 को, वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने भविष्य के संचार में "शैडो बैंकिंग" शब्द को "गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता " शब्द से बदलने के अपने निर्णय की घोषणा की। शब्दावली में यह परिवर्तन गैर- बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थता की लचीलापन बढ़ाने और तकनीकी शब्दों के उपयोग को स्पष्ट करने के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड के काम के अग्रगामी पहलू पर जोर देने के लिए है। हर वर्ष एफएसबी गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उक्त रिपोर्ट में एनबएफआई को रिपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित निगरानी व्यवस्थाओं का उपयोग किया गया है:

(i) एमयूएनएफआई (मॉनिटरिंग यूनिवर्स ऑफ नॉन बैंक फैनान्शियल इंटरमीडियेशन), जिसे गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थता के रूप में जाना जाता है, सभी एनबीएफसी का व्यापक पैमाना है, जिसके अंतर्गत बीमा कंपनियां, पेंशन निधियां, अन्य वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं।

(ii) ओएफआई के अंतर्गत ऐसी सभी वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं जो केंद्रीय बैंक, बैंक, बीमा कंनियां, पेंशन निधियां, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं, या वित्तीय सहायक संस्थाएं नहीं हैं। बृहत् ओएफआई उप-क्षेत्र के अंतर्गत निवेश फंड, आबद्ध वित्तीय संस्थाएं[75], और साहूकार (सीएफआईएमएल) और दलाल-डीलर शामिल हैं।

---

[74] वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और उससे संबंध में सिफारिश करता है। इसकी स्थापना अप्रैल 2009 में संपन्न 2009 के जी-20 लंदन शिखर सम्मेलन के बाद वित्तीय स्थिरता फोरम (एफएसएफ) के उत्तराधिकारी के रूप में की गई। इस बोर्ड में जी-20 की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, जिनमें भारत, एफएसएफ सदस्य और यूरोपीय कमीशन शामिल हैं, समाविष्ट हैं। यह बासेल, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

[75] एफएसबी रिपोर्ट के अनुसार आबद्ध वित्तीय संस्थाएं ऐसी संस्थागत इकाई हैं जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। उक्त सेवाओं के अंतर्गत उसी धारक कॉरपोरेशन या संस्थाओं, जो एक मात्र प्रायोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वाधिकृत निधियों से ऋण देती हैं, की अनुषंगियों के साथ लेनदेन करने वाली संस्थाएं शामिल हैं। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो आबद्ध वित्तीय संस्थाएं वे हैं जो अपनी निधियों से समूह कंपनियों के उत्पादों की खरीद के लिए वित्त प्रदान करती हैं।

(iii) गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (या 'संकीर्ण पैमाना') के संकीर्ण पैमाने के अंतर्गत ऐसी गैर-बैंक वित्तीय संस्था शामिल है जिनके संबध में प्राधिकारियों ने एफएसबी क्रियाविधि औश्र वर्गीकरण मार्गदर्शन के आधार पर इस प्रकार आकलन किया है कि क्रेडिट मध्यस्थता गतिविधियों में संलग्न होने के कारण उन संस्थाओं को वित्तीय स्थिरता संबंधी ऐसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है जो बैंकों के समक्ष पैदा होते हैं।

आरबीआई विनियमन से छूट

आरबीआई अधिनियम में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के संबंध में दी गई परिभाषा से यह पता चलता है कि बीमा कंपनियां और स्टॉक ब्रोकिंग कंपिनयां जैसी संस्थाएं भी एनबीएफसी हैं। तथापि, इन संस्थाओं का विनियमन अन्य विनियामकों द्वारा सांविधिक कार्य के अंग के रूप में किया जाता है। अत: इस दोहरे विनियमन से बचने के लिए आरबीआई न एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों जिनके विनियमन अन्य विनियामकों / सरकार द्वारा किया जाता है, उन्हें पंजीकरण और / या अन्य अपेक्षाओं से छूट[76] प्रदान की है। निम्नलिखित तालिका में छूट प्राप्त विभिन्न श्रेणियों और उनके विनियामकों की सूची प्रस्तुत की गई है। दिनांक 09 अगस्त 2019 तक आवास वित्त कंपनियों का विनियमन राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा किया जाता था। परंतु, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में संशोधन करते हुए अब इनका विनियमन आरबीआई को सौंप गया है।

एनबीएफसी के प्रकार/ गतिविधियां	**विनियामक**
वेंचर पूंजी निधि, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां, म्यूचुअल फंड, संकलित निवेश योजनाएं	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
बीमा कंपिनयां	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
पेंशन निधि	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

[76] आरबीआई अधिनियम की धारा 45एनसी के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

एनबीएफसी के प्रकार/ गतिविधियां	विनियामक
परस्पर लाभ कंपनियां, निधि कंपनियां	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
चिट फंड	राज्य सरकार

एनबीएफसी के प्रकार

मोटे तौर पर एनबीएफसी को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(i) सार्वजनिक निधियों को स्वीकार करने और ग्राहकों से संवाद करने के आधार पर

(ii) जमाराशि स्वीकार करने और आकार के आधार पर

(iii) कार्यकलाप के आधार पर विनियामकीय ढांचा

<u>सार्वजनिक निधियों को स्वीकार करने और ग्राहकों से संवाद करने के आधार पर:</u>

पहले उल्लेख किए अनुसार, वर्ष 1997 के बाद जमा राशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) के पंजीकरण के लिए आवदेन स्वीकार नहीं किए गए। जून 2016 में आरबीआई ने नए एनबीएफसी की पंजीकरण-प्रकिया को सरल और युक्तिसंगत बनाते हुए प्रेस प्रकाशनी जारी की। जमा राशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफएस(एनबीएफसी-एनडी) के मामले में निधि स्रोतों और ग्राहक संवाद के आधार पर दो आवेदन निर्दिष्ट किए गए।

प्रकार । -

सार्वजनिक निधियां नहीं स्वीकार करने वाली/ भविष्य में सार्वजनिक निधियां न स्वीकारने और ग्राहक इंटरफेस करने का आशय न रखने वाली एनबीएफसी, एनबीएफसी-एनडी की श्रेणी में आती हैं। "सार्वजनिक निधियों" में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुटाई गई सावर्जनक राशि, वाणिजियक पत्र, डिबेंचर, अंतर-कारपोरेट जमाराशि और बैंक वित्त शामिल हैं परंतु इसके अंतर्गत ऐसी निधियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें निर्गम की तारीख से 10 वर्ष के भीतर इक्विटी शेयरों में अनिवार्यत: परिवर्तनशील लिखतों के निर्गम से जुटाया गया है। प्रकार । के एनबीएफसी-एनडी आवेदनों के प्रसंस्कण के लिए अपेक्षाकृत कम सख्त जांच और समुचित सावधानी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तथापि, यदि ये कंपनियां सार्वजनिक निधियां जुटानी चाहें या भविष्य में ग्राहक इंटरफेस रखने का आशय रखती हैं, तो उन्हें विनियमन विभाग (डीओआर) से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

प्रकार II -

एनबीएफसी-एनडी ऐसी कंपनियां हैं जो सार्वजनिक निधियां स्वीकार करती हैं / ग्राहक-इंटरफेस रखने वाली / भविष्य में सार्वजनिक निधियां स्वीकार करने, तथा ग्राहक-संवाद करने का आशय रखती हैं। यहां तक कि विनियामकीय ढांचा भी छूट देता है जिन्हें सार्वजनिक निधि उपलब्ध नहीं होती हो ग्राहक इंटरफेस न हो।

<u>आकार पर आधारित</u>

किसी एनबीएफसी-एनडी को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण(अर्थात् एनीबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब उसकी परिसंपत्ति का आकार ₹500 करोड़ या उससे अधिक हो। जनसाधारण की जमाराशि के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को एनीबीएफसी एनडी एसआई के साथ जोड़ दिया गया है, भले ही उसका आकार कुछ भी हो। वास्तव में एनबीएफसी -डी के लिए बनाए गए कुछ विनियम, एनबीएफसी-एनडी-एसआई की तुलना में प्रतिबंधात्मक और सख्त स्वरूप के हैं।

<u>कार्यकलापों के आधार पर</u>

एनबीएफसी का कार्यकलाप विविध स्वरूप का होता है। कुछ संस्थाएं मुख्य रूप से सूक्ष्म वित्त एवं समाज के ऐसे तबकों, जो सेवा से वंछित हों, के वित्तीय संव्यवहारों से जुड़ी हुई हैं तो कुछ और संस्थाएं दीर्घावधि परियोजना और बुनियादी संरचना के वित्त संबंधी कार्य से संलग्न हुई हैं । इसके फलस्वरूप, "वन साइज फिट्स ऑल" विनियामकीय ढांचे का होना मुश्किल है और एनबीएफससी को अपने प्राथमिक कार्यकलापों के आधार पर वर्गीकृत करना पड़ा। इससे विनियामकीय ढांचे संबंधी जटिलताएं पैदा हुईं और विनियमनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने और श्रेणियों की संख्या कम करने के प्रयास किए गए। आज की स्थिति में संख्या की दृष्टि से 99प्रतिशत एनबीएफसी निवेश और साख श्रेणी (आईसीसी) में आती हैं जिनके संबंध में नीचे स्पष्ट किया गया है:

क्र सं.	**एनबीएफसी का प्रकार**	**कार्यकलाप का स्वरूप/ मूल व्यवसाय**	**पात्रता के प्रमुख मानदंड**
1.	निवेश और क्रेडिट कंपनी (आईसीसी)	i) उधार देना (पूर्व में ऋण कंपनियां)	किसी अन्य वर्ग में शामिल होने के लिए पात्र नहीं (या पंजीकृत नहीं हैं)

क्र सं.	एनबीएफसी का प्रकार	कार्यकलाप का स्वरूप/ मूल व्यवसाय	पात्रता के प्रमुख मानदंड
		ii) भौतिक आस्तियों जिनमें वाहनों, ट्राक्टरों और जेनरेटरों का वित्तपोषण (पूर्व में आस्ति वित्त कंपनियां) iii) प्रतिभूतियों का अर्जन (पूर्ववर्ती निवेश कंपनियां) जिसके अंतर्गत शामिल है: ऐसी एनबीएफसी जो स्वर्ण आभूषण[77] पर उधार देना अपने प्रमुख कारोबार (अर्थात वित्तीय आस्तियों के 50 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा) के रूप में करती हों	
2.	बुनियादी संरचना वित्त कंपनी (आईएफसी)	बुनियादी संचरना के विकास के लिए दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराना	(i) बनियादी संचरना ऋणों का हिस्सा कुल आस्तियों का कम से कम 75 प्रतिशत हो। (ii) ₹ 300 करोड़ का न्यूनतम एनओएफ (iii) न्यूनतम क्रेडिट 'ए' रेटिंग प्राप्त हो

[77] बुलियन, प्राथमिक सोने या सोने के सिक्कों के खिलाफ ऋण देना प्रतिबंधित है।

क्र सं.	एनबीएफसी का प्रकार	कार्यकलाप का स्वरूप/ मूल व्यवसाय	पात्रता के प्रमुख मानदंड
			(iv) 15 प्रतिशत का सीआरएआर जिसके साथ 10 प्रतिशत का न्यूनतम टियर। हो।
3.	कोर निवेश कंपनी (सीआईसी)	समूह कंपनियों में निवेश/ को उधार	(i) कुल अस्तियों के 90 प्रतिशत का हिस्सा समूह कंपनियों में निवेश किया जाए तथा समूह कंपनियों में निवेश के 60 प्रतिशत का हिस्सा समूह कंपनियों के इक्विटी शेयरों में हो। (ii) समूह कंपनियों के शेयरों, बांडों, डिबेंचरों, कर्ज/ ऋणों में अपना निवेश नहीं करना जिसके अंतर्गत डाइलूशन/ विनिवेश की ब्लॉक बिक्री शामिल नहीं है। (iii) अन्य कोई वित्तीय गतिविधि नहीं करना।
4.	बुनियादी संरचना कर्ज फंड (आईडीएफ) Infrastructure Debt Fund (IDF)	बुनियादी संरचना कंपनियों के वर्तमान कर्ज का वित्तपोषण।	(i) ₹ 300 करोड़ की न्यूनतम एनओएफ (ii) केवल सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और बुनियादी संरचना की ऐसी परियोजनाओं, जिन्होंने सफलतापूर्वक एक वर्ष के

क्र सं.	एनबीएफसी का प्रकार	कार्यकलाप का स्वरूप/ मूल व्यवसाय	पात्रता के प्रमुख मानदंड
			वाणिज्यिक परिचालन को पूरा किया है और जो त्रिपक्षीय करार की एक पार्टी हों, में परिचालन तारीख की शुरुआत के बाद निवेश।
5.	सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआई)	छोटे उधारकर्ताओं के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋण	(i) ₹5 करोड़ का न्यूनतम एनओएफ (पूर्वोत्तर के लिए ₹2 करोड़) (ii) अर्हक आस्ति मानदंड[78] को पूरा करने के लिए आस्तियों के 85 प्रतिशत का हिस्सा केवल पब्लिक में निवेश करती है।
6.	एनबीएफसी घटक	फैक्टरिंग कारोबार अर्थात् प्राप्तियों का वित्तपोषण। फैक्टरिंग अधिनियम की धारा 3 के तहत पंजीकृत	(i) न्यूनतम ₹5 करोड़ का एनओएफ (ii) कुल आस्तियों के कम से कम 50 प्रतिशत का हिस्सा वित्तीय आस्ति फैक्टरिंग कारोबार के लिए हो और उससे प्राप्त आय कुल आय के 50 प्रतिशत से कम न हो।

[78] ऐसी आस्तियों को 'अर्हक आस्ति' के रूप में माना जाएगा, जो आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट कतिपय मानदंडों, जैसे उधारकर्ता की आय से जुड़े अधिकतम ऋण, उधारकर्ता का कुल कर्ज, ऋण की अवधि, आय सृजन के ऋण आदि को पूरा करती हैं।

क्र सं.	एनबीएफसी का प्रकार	कार्यकलाप का स्वरूप/ मूल व्यवसाय	पात्रता के प्रमुख मानदंड
7.	बंधक गारंटी कंपनियां (एमजीसी)	ऋणों के लिए बंधक गारंटी उपलबध कराना	मूल व्यवसाय में कारोबार टर्नओवर के 90 प्रतिशत का हिस्सा और इस कारोबार से सकल आय का 90 प्रतिशत।
8.	गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी)	निजी क्षेत्र में प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह के माध्यम से नए बैंकों की स्थापना करने हेतु	वाणिज्यिक बैंक की स्थापना करने के लिए आरबीएआई से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित।
9.	एकाउंट अग्रगेटरर्स (एए) [धारा 45आई(एफ) (iii) के अंतर्गत अधिसूचित]	अपने ग्राहक की वित्तीय सूचना की रिट्रीविंग, समेकन, व्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने की सेवा संविदा के अंतर्गत देना (स्पष्ट सहमति के साथ)	केवल एकाउंट अग्रग्रेशन सेवाएं दे सकती हैं। केवल उन वित्तीय आस्तियों को अग्रगेट किया जा सकता है, जो वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के विनियामकीय दायरे में आती हैं। ये अग्रगेटर ग्राहकों के लेनदेनों के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते और तीसरी पार्टी सेवा प्रदाताओं की सेवाएं नहीं ले सकते।
10	समकक्षीय उधार प्लैटफार्म [धारा 45आई(एफ(iii) के अंतर्गत अधिसूचित]	पीटूपी उधार प्लैटफार्म का कारोबार करना अर्थात् उक्त प्लैटफार्म पर सहभागियों को ऋण सुकर सेवाएं प्रदान करना।	केवल प्लैटफार्म उपलब्ध करा सकती है। अपने ही बहियों से उधार नहीं दे सकती।

क्र सं.	एनबीएफसी का प्रकार	कार्यकलाप का स्वरूप/ मूल व्यवसाय	पात्रता के प्रमुख मानदंड
11	आवास वित्त कंपनी (एचएफसी)	आवास और आवासीय परियोजनाओं के कारोबार के लिए एनएचबी की धारा 29ए के तहत पंजीकृत	न्यूनतम 10 करोड़ का एनओएफ।
12	स्टैंड अलोन प्राथमिक डीलर (एसपीडी)	प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे जी-सेक बाज़ार के प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ार खंडों दोनों में विभिन्न दायित्वों जैसे प्राथमिक नीलामी में भाग लेना, जी-सेक के संदर्भ में बाज़ार तैयार करना, सरकारी प्रतिभूतियों में सर्वाधिक निवेश, द्वितीयक बाज़ार के न्यूनतम टर्नओवर अनुपात को हासिल करना आदि, के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाएं।	कोर गतिविधियों के लिए ₹150 करोड़ का न्यूनतम एनओएफ और वैविध्यपूर्ण गतिविधियों के लिए ₹250 करोड़।

उपर्युक्त श्रेणियों के अलावा, एनबीएफसी की एक और श्रेणी है जो अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां कहलाती हैं(आरएनबीसी)। इन कंपनियों का मूल व्यवसाय किसी योजना या व्यवस्था के अंतर्गत

या किसी अन्य रीति से जमा राशि स्वीकार करनी है। किंतु, इस श्रेणी के लिए कोई नए सिरे से पंजीकरण जारी नहीं किया जा रहा है। विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां(एमएनबीसी) ऐसी एनीबीएफसी हैं जो चिट फंड[79] कारोबार संभालती हैं। चिंट फंडों को प्रमुख रूप से राज्य सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है और ऐसी एनबीएफसी जो चिट फंड का कारोबार करती हैं, उन्हें पंजीकरण अपेक्षाओं से छूट दी गई है। एमएनबीएफसी को जुलाई 01, 1977 से जनसाधारण से नए सिरे से जमाराशि स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया और वर्तमान आरबीआई विनियामकीय ढांचे का उद्देश्य इस प्रकार की कंपनियों के मौजूदा जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करना है।

उपर्युक्त के अलावा, ऐसी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां भी मौजूद हैं जिनका पंजीकरण और विनियमन वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत किया जाता है। ये कंपनियां बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बेची जाने वाली वित्तीय आस्तियों का अर्जन व संव्यवहार करती हैं। एआरसी कंपनियां अनर्जक अस्तियों की समस्याओं से निपटने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। एआरसी को आरबीआई अधिनियम के तहत पंजीकृत होने से आरबीआई द्वारा छूट दी गई है और उसके स्थान पर उन्हें सरफेसी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा पंजीकृत किया जाता है। इन कंपनियों के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम एनओएफ को अप्रैल 2017 में रु..2 करोड़ से बढ़ाकर रु..100 करोड़ कर दिया गया। इन कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के स्तर, निधियों के विनियोजन, आस्ति पुनर्निर्माण, आस्ति वर्गीकरण मानदंड, प्रकटीकरण के मानदंडों आदि से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड भी आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

स्वामित्व के आधार पर एनबीएफसी को एक और तरीके से वर्गीकृत किया जाता है अर्थात् सरकार की स्वामित्व वाली या अन्य के रूप में। विनियामकीय ढांचे ने सरकार की स्वामित्व वाली

---

[79] चिट फंड एक आवर्ती बचत और क्रेडिट योजना है। आम तौर पर, कई लोगों का एक समूह अनेक महीनों के लिए मासिक आधार पर एक चिट फंड के लिए निश्चित राशि का अंशदान करते हैं (सदस्य सदस्यों की संख्या के बराबर)। फंड का प्रबंधन फोरमैन द्वारा किया जाता है। हर माह चिट फंड के लिए एक नीलामी आयोजित की जाती है और उस नीलामी में सबसे कम राशि की बोली लगाने वाला सदस्य उस बोली का विजेता होता है। मूल रूप से, विजेता का चयन एक बॉक्स से चिट निकलवाकर किया जाता है (इसलिए इसका नाम चिट फंड) और यह प्रथा कई चिट फंडों में नीलामी के स्थान पर अब भी जारी है। फोरमैन का कमीशन समायोजित करने के बाद शेष राशि अन्य सदस्यों के बीच वितरित की जाती है। जो सदस्य , नीलामी में विजेता होता है, उसे भविष्य की नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं होती किंतु उसे मासिक अंशदान करते रहना होगा।

एनबीएफसी पर चरणबद्ध तरीके से विवेकपूर्ण ढांचा लागू करते हुए इस अंतर को दूर करने का प्रयास किया है। किंतु, इस सांविधिक ढांचे में एक विसंगति है कि सरकार स्वामित्व वाली किसी कंपनी के निदेशकों को हटाने या निदेशक मंडल का अधिग्रहरण करने की शक्ति आरबीआई को नहीं है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन- उद्भव और कानूनी व्यवस्था

1963 में आरबीआई अधिनियम में अध्याय ।।।-बी के जोड़े जाने से परिणामस्वरूप आरबीआई ने एनबीएफसी की विनियामकीय व पर्यवेक्षी शक्तियां प्राप्त कीं। बैंककारी विधि (प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 1963, जिसे आरबीआई अधिनियम में जोड़े गए अध्याय ।।।-बी में जोड़ा गया, के उद्देश्यों व कारणों का उद्धरण नीचे दिया गया है:

बैंकों से संबंधित मौजूदा अधिनियमों में ऐसी कंपनियों या संस्थाओं, भले ही उन्हें बैंक के रूप में नहीं माना जाता हो, के लिए कोई उपबंध नहीं है जो जनसाधारण से जमाराशि स्वीकार करती हैं या बैंकिंग से जुड़ी कोई अन्य कारोबार करती हैं। जहां तक रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक व क्रेडिट प्रणाली के बेहतर ढंग से प्रभावी पर्यवेक्षण और प्रबंधन का मामला है यह वांछनीय है कि रिज़र्व बैंक उन शर्तों का विनियमन करने में सक्षम हो जिनके अंतर्गत इन गैर बैंकिंग कंपनियों या संस्थाओं द्वारा जमाराशि स्वीकार की जाती है। रिज़र्व बैंक ऐसे मामलों में किसी भी वित्तीय संस्था या संस्थाओं को निदेश देने के लिए अधिकृत हो जाए जहां रिज़र्व बैंक देश की केंद्रीय बैंकिंग संस्था होने के नाते क्रेडिट नीति के नियंत्रण की दृष्टि से आशंकित हो जाए।

इस प्रकार, इन संस्थाओं पर 1963 से भारिबैं का विनियामक नियंत्रण लागू है। तब से लेकर अब तक उक्त क्षेत्र में हुई वृद्धि के साथ-साथ विनियमनों में भी वृद्धि हुई है। बाद में, 1966 में एक बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (सीआरबी केपिटल) के फेल होने और शाह समिति (1992) की इस सिफारिश के आधार पर कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर विनियामक और पर्यवेक्षी ध्यान बढ़ाए जाने की जरूरत है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर विनियामक संरचना में कसावट लाते हुए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कड़ा बनाने तथा रिपोर्टिंग और पर्यवेक्षण को व्यापकता प्रदान करने के लिए भारिबैं अधिनियम,1934 में वर्ष 1997 में संशोधन करते हुए उसमें अध्याय-III बी जोड़ा गया।

वर्ष 1997 में जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं -

- भारिबैं के पास अनिवार्य पंजीकरण और मूल व्यवसाय मानदंड पूरा करने वाली कंपनियों के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत पूंजी[80] बनाए रखने की अनिवार्यता (भारिबैं अधिनियम,1934 की धारा 45-Iए)
- जनता से जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा चलनिधि आस्तियां बनाए रखना (भारिबैं अधिनियम,1934 की धारा 45-I बी)।
- सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने प्रत्येक वर्ष के निवल लाभ में से 20 प्रतिशत अंतरित करते हुए आरक्षित निधिका सृजन (भारिबैं अधिनियम,1934 की धारा 45-I सी)।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संबंध में नीति निर्धारण करने तथा उन्हें निदेश जारी करने के संबंध में भारिबैं की शक्तियां (भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 45-जेए)
- आवश्यक होने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के खातों की विशेष लेखापरीक्षा आयोजित करना (भारिबैं अधिनियम,1934 की धारा 45-एमए)
- जमाराशियां स्वीकार करने से रोकने और आस्तियां अंतरित करने के संबंध में भारिबैं की शक्तियां (भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 45-एमबी)
- कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समापन के लिए याचिका दायर करने के संबंध में भारिबैं की शक्तियां (भारिबैं अधिनियम,1934 की धारा 45-एमसी)
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के जमाकर्ताओं के लिए नामन की सुविधा लागू करना (भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 45-क्यूबी)
- वित्तीय व्यवसाय में संलग्न अनिगमित निकायों द्वारा जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध (भारिबैं अधिनियम,1934 की धारा 45-एस)
- दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर दंड लगाने की भारिबैं की शक्तियां (भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 58-जी)

रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी की विनियामकीय संरचना के संबंध में पंजीकरण, रिपोर्टिंग और पर्यवेक्षी संबंधी अपेक्षाओं को सख्त कर दिया। बैंक ने जमाराशि स्वीकार करने वाली नई

[80] निवल स्वाधिकृत निधियां = स्वाधिकृत निधि (-) स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक राशि की सीमा तक इसके समूह की कंपनियों और सहायक कंपनियों में इसके निवेश और अन्य एक्सपोज़र। स्वाधिकृत निधि = पूंजी + आरक्षित निधियां - संचित हनियां तथा आस्थगित राजस्व व्यय – अन्य अमूर्त आस्तियां

एनबीएफसी का पंजकरण न करने एवं मौजूदा एनबीएफसी को जमा राशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी में परिवर्तित होने के लिए प्रोत्साहित करने का नीतिगत निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1999 में नए सिरे से पंजीकरण करने वालों के लिए पूंजीगत अपेक्षाओं को ₹25 लाख से ₹2 करोड़ तक बढ़ा दिया गया।

एनबीएफसी द्वारा अपने आकार, परिचालन के स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के नए क्षेत्रों में पदार्पण, नई प्रौद्योगिकी आदि के अपनाए जाने के मद्देनज़र, इस क्षेत्र के विनियामकीय ढांचे की समीक्षा वर्ष 2014[81] में पुन: की गई।इस क्षेत्र का वित्तीय क्षेत्र के अन्य खंडों के साथ बढ़ते अंतर-संबंध और उनके तुलनपत्र के दोनों पक्षों में हुए परिवर्तनों की दृष्टि से भी यह समीक्षा ज़रूरी हो गई। संशोधित विनियामकीय ढांचे में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

I. लिगसी एनबीएसी के लिए न्यूनतम 2 करोड़ की एनओएफ अपेक्षा
II. विभिन्न श्रेणियों के बीच जमाराशि स्वीकार्यता संबंधी अपेक्षाओं में समानता लाना और जमाराशि स्वीकार्यता के संबंध में न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग अपेक्षा की शुरुआत।
III. प्रणालीगत रूप से महप्वपूर्ण एनबीएफसी की प्रारंभिक सीमा की गणना के लिए एक ही समूह की विभिन्न एनबीएफसी की प्रारंभिक सीमा ₹100 करोड़ से संशोधित करके ₹500 करोड़ कर दी गई।
IV. ग्राहक इंटरफेस और फंडों के स्रोत पर आधारित विभेदीकृत विनियामकीय पद्धति। एक ओर, ऐसी संस्थाओं जिनका आस्ति आकार ₹500 करोड़ से कम है और जो सार्वजनिक निधियां नहीं स्वीकारती हैं, और ग्राहक इंटरफेस नहीं रखतीं, को विवेकपूर्ण और कारोबार संचालन विनियमों से छूट दी गई है। दूसरी ओर, जो संस्थाएं सार्वजनिक निधियां स्वीकार करती हैं, और ग्राहक इंटरफेस रखती हैं, उन पर सभी विनियम लागू होते हैं।
V. एनबीएफसी-डी व एबीएफसी-एनडी-एसआई और बैंकों के बीच आस्ति वर्गीकरण मानदंडों में समंजस्य स्थापित करना।

[81] दिनांक 10 नवंबर 2014 को डीएनबीआर(पीडी)सी.सं.002/03.10.001/2014-15 के माध्यम से जारी संशोधित विनियामकीय ढांचा का संदर्भ लें।

VI. बोर्ड की समितयों (लेखापरीक्षा समिति, नामांकन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति) के गठन के लिए कारपोरेट अभिशासन और प्रकटीकरण मानदंडों की समीक्षा तथा लेखापरीक्षा भागीदारों का आवर्तन हर तीन वर्ष किया जाना एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर लागू।

वर्ष 2019 में भारिबैं अधिनियम 1934 के अध्याय- III B में कुछ संशोधन फिर से किए गए, जिसने भारिबैं को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियमित करने के लिए और अधिक शक्तियां दी हैं। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हैं: -

- रिज़र्व बैंक विभिन्न श्रेणियों के लिए निवल स्वाधिकृत निधियां की विभिन्न राशि अधिसूचित कर सकता है गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनि न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां के साथ 2.5 मिलियन रुपये और 1,000 मिलियन रुपये के बीच (Sec.45-IA)
- रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निदेशकों (सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अलावा) को हटा सकता है - (Sec.45-ID)
- रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निदेशक मंडल (सरकारी एनबीएफसी के अलावा) का आधिपत्य कर सकता है - (Sec.45-IE)
- रिज़र्व बैंक एक समय में अधिकतम 3 वर्षों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऑडिटर को निकाल या निषेध कर सकता है (Sec.45MAA)
- विभिन्न गतिविधियों में समामेलन, पुनर्निर्माण, विभाजन के माध्यम से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का समाधान (Sec.45MBA)
- समूह कंपनियों की जानकारी और समूह कंपनियों के निरीक्षण के लिए प्राप्त करने की शक्ति (Sec.45NAA)

इसके अलावा, वित्त (No.2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में संशोधन किया है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियों (HFC) के नियमन के लिए कुछ शक्तियाँ शामिल हैं। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (वित्तीय सेवा प्रदाताओं और अधिनिर्णय प्राधिकरण को आवेदन की दिवालियेपन और परिसमापन कार्यवाही) नियम, 2019 की अधिसूचना के साथ, भारत सरकार द्वारा, नवंबर 2019 से भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एचएफसी सहित) का दिवाला संकल्प प्रक्रिया सौंपा गया है।

विनियामकीय ढांचे का विहंगावलोकन

चूंकि एनबीएफसी एक वित्तीय सेवा मध्यस्थ हैं, उन्हें प्रतिपक्षी के असफल होने, निधीयन और आस्ति संकेन्द्रण, ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों और चलनिधि और शोधन क्षमता से संबंधित जोखिमों का सामना करना पड़ता है। अपरिपवर्तीनय डिबेंचरों, वाणिज्यिक पत्रों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधारों के ज़रिए सार्वजनिक निधियों तक पहुंच में वृद्धि होने के कारण अन्य वित्तीय सहभागियों के साथ एनबीएफसी की सह-संबद्धता में बढोतरी हुई है। अत: एनबीएफसी क्षेत्र के जोखिम आसानी से वित्तीय क्षेत्र में आ सकते हैं और उसी प्रकार वित्तीय क्षेत्र की प्रतिकूल गतिविधियों से एनबीएफसी क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। बैंकों की तुलना में एनबीएफसी के मामले में विनियमन सरल और शिथिल तो है, परंतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनबीएफसी का विनियमन उस हद तक किया जाता है जिस हद तक एनबीएफसी प्रणालीगत प्रभाव पैदा कर सकती हैं और कतिपय वित्तीय बाज़ार गतिविधियां विनियामकीय दायरे से बाहर नहीं रह सकती हैं, सतत रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

पहले स्पष्ट किए अनुसार, जमाराशि स्वीकार करने वाली को एनबीएफसी-डी के रूप में और जमा-राशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी को एनबीएफसी-एनडी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और आस्तियों के आधार पर ऐसी एनबीएफसी जिनकी कुल आस्ति ₹500 करोड़ या उससे अधिक है को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एनबीएफसी-एनडी के विनियामकीय ढांचा एनबीएएफसी-एन-एससई और एनबीएफसी-डी की तुलना में क्षितिल है। उदाहरण के तौर पर, सीआरएआर के बजाय एनबीएसी-एनडी से अपेक्षित हैं कि वे लीवरेज अनुपात[82] की गणना के के लिए सरल प्रक्रिया अपनाएं। इसी प्रकार, छ माह के बकाया मानदंड आस्ति वेर्गीकरण के लिए अनर्जक आस्तियों के लिए एनबएफसी -एनडी -एसआई और एनबीएफसी -डी के लिए यह मानदंड 3 महीने है। साथ ही ऋण केंद्रीकरण मानदंड एनबीएफसी-एनडी ओर एनबीएफसी -डी मानदंड एनबीएफसी -एनडी के लए लागू नहीं ।

[82] एनबीएफसी के लीवरेज अनुपात की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है: कुल बाहरी देयाताओं / स्वाधिकृत निधियां। वर्तमान विनियमों के अनुसार, लीवरेज अनुपात एनबीएफसी-एनडी (एनबीएफसी-एमएफआई और एनबीएफसी-आईएफसी को छोड़कर) के लिए 7 से अधिक न हो।

मोटे तौर पर विनियामकीय उद्देश्य दो होते हैं- वित्तीय प्रणाली में स्थिरता लाना और उपभोक्ता संरक्षरण। इन उद्देश्यों के आधार पर एनबीएफसी पर लागू विनियम दो वर्ग के होते हैं: विवेकपूर्ण (वित्तीय प्रणाली में स्थिरता लाने में बढ़ावा देना) और कारोबार संचालन (अर्थात् ग्राहक संरक्षण उपलब्ध कराना) । विवेकपूर्ण विनियमों के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाएं निर्धारित करना, एकल/ समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र मानदंड, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड, लोन टू वैल्यू अनुपात निर्धारित करना, लीवरेज अनुपात, जनसाधारण से जमाराशि स्वीकार करने संबंधी विनियम आदि शामिल हैं। जबकि कारोबर संचालन संबंधी विनियमों के अंतर्गत मुख्य रूप से ऋणदाता द्वारा पालन की जाने वाली उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी), एनबीएफसी द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी मानदंडों का अनुपालन शामिल हैं। विनियामकीय ढांचे के अंतर्गत इस बात पर विचार किया जाता है कि क्या अमुख एनबीएसी ने सार्वजनिक निधियां प्राप्त की हैं या उसके पास ग्राहक इंटरफेस है ? ऐसी एनबीएफसी को अधिकतर विवेकपूर्ण विनियमों से छूट दी गई है जिन्हें सार्वजनिक निधि उपलब्ध नहीं होती है, वहीं ग्राहक इंटरफेस नहीं रखने वाली एनबीएफसी को कारोबार संचालन संबंधी अधिकतर विनियमों से छूट प्राप्त है।

एनबीएफसी बनाम बैंकों के विनियामकीय ढांचे से संबंधित प्रमुख बिंदुओं की तुलना नीचे तालिका में दी गई है:

	एनबीएफसी -एनडी	**एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी**	**बैंक**
कानूनी आधार	आरबीआई अधिनियम के अध्याय ।।। बी		बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
पूंजी पर्याप्तता	सीआरएआर अपेक्षित नहीं। लीवरेज अनुपात का 7 गुना	15 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर (बासेल । के बराबर अर्थात् समान जोखिम भार और बाज़ार और	9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर+पूंजी संरक्षण

	एनबीएफसी -एनडी	एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी	बैंक
		परिचालनगत जोखिमों के लिए कोई पूंजी प्रभार नहीं)	बफर प्रति चक्रीय बफर (बासेल 3 आधारित)
एनपीए वर्गीकरण के मानदंड़	6 माह के लिए बकाया (एनबीएफसी-एमएफआई के अलावा)	3 माह के लिए बकाया (एनबीएफसी-एमएफआई के लिए 90 दिन)	90दिन
ऋण संकेंद्रण	कोई विशेष मानदंड़ नहीं	स्वाधीकृत निधियों के प्रतिशत के रूप में सीमाओं की गणना एकल उधारकर्ता सीमा: 25 प्रतिशत (उधार : 15 प्रतिशत), निवेश : 15 प्रतिशत समूह उधारकर्ता सीमा: 40 प्रतिशत (उधार: 25प्रतिशत, निवेश 25 प्रतिशत)	अत्यधिक जोखिम ढांचा - टियर। पूंजी के प्रतिशत के रूप में सीमा की गणना एकल प्रतिपार्टी
चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)	लागू नहीं	₹5,000 करोड़ या अधिक वाली आस्ति आकार वाली सभी एनबीएफसी -डी और एनबीएफसी - एनडी -एसआई के लिए लागू	सभी वाणिज्कि बैंकों के लिए लागू (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंक और वाणिज्यिक बैंकों को छोड़कर)

	एनबीएफसी -एनडी	एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी	बैंक
निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	जारी किए गए दिशानिर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) जब प्रभावी हो।
केवाईसी/ एएमएल - सीएफटी	वही मानदंड़ समान रूप से बैंकों और एनबीएफसी पर लागू		
लेखांकन मानदंड	प्रमुख रूप से कंपनी अधिनियम 2013 पर आधारित। सूचीबद्ध एनबीएफसी और अन्य एनबीएफसी जिनकी निवल मालियत ₹250 करोड या उससे अधिक हो, से अपेक्षित है कि वे आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप अपना वित्तीय विवरण तैयार करें।		सांविधिक अपेक्षाओं, लेखांकन मानकों, आरबीआई अनुदेश और स्व-विनियामकीय संगठन द्वारा जारी मार्गदर्शी नोट का मेल

भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन पर विनियामकीय मार्गदर्शन

आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) में अंतरित होने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई रूपरेखा के अनुसार ₹500 करोड़ या उससे अधिक निवल मालियत वाली एनबीएफसी ने 01 अप्रैल 2018 से इंड एएस मानकों को अपना लिया है जिसके बाद

₹250 करोड़ या उससे अधिक निवल मालियत वाली एनबीएफसी और अन्य सूचीबद्ध एनबीएफसी उक्त मानकों को 01 अप्रैल 2019 से अपनाती रही हैं।

इंड एएस लेखांकन में एक आमूलचूल परिवर्तन को दर्शाता है जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) ढांचे, अन्य व्यापक आय, सम मितीय उचित मूल्य लेखांकन आदि की संकल्पनाएं शुरू की गई हैं। इससे विनियामकीय पूंजी अभिकलन के साथ लेखांकन ढांचे के अंतरसंबंध पर भी प्रभाव पड़ता है। इंड एस 'नियम मूलक' के बजाय 'सिद्धांत मूलक' होने के कारण से भी वह व्यक्तिपरकता और प्रबंधन विवेकाधिकार को काफी बढ़ा देता है जिसके फलस्वरूप, तुलनीयता की सहवर्ती हानि होती है। उच्च गुणवत्तापूर्ण व सतत कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के साथ ही तुलनीयता व बेहतर पर्यवेक्षण को सुसाध्य बनाने के लिए आरबीआई ने इंड एएस को लागू करने वाली एनबीएससी के लिए 13 मार्च 2020 के परिपत्र के ज़रिए विनियामकीय मार्गदर्शन जारी किया। इस प्रस्तावित मार्गदर्शन की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

क) कारोबार मॉडल उद्देश्यों, ईसीएल मॉडल, डीफॉल्ट संबंधी परिभाषा आदि बोर्ड द्वारा अनुमोदित दस्तावेज़ों के माध्यम से इंड एएस में निहित महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों और प्रबंधन संबंधी निर्णयों के लिए एक गर्वेनेन्स ढांचा विनिर्दिष्ट किया गया है। इससे बोर्ड को जिम्मेदार ठहराए जाने के साथ -साथ लेखापरीक्षकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सत्यापन भी संभव होगा।

ख) इंड एएस 109 में स्पष्ट रूप से "चूक" को परिभाषित नहीं किया गया है परंतु संस्थाओं से यह अपेक्षा की गई है कि वे आंतरिक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के अनुरूप प्रयुक्त 'चूक' को परिभाषित करें। परिपत्र में यह सिफारिश की गई है कि लेखांकन प्रयोजनार्थ अपनायी जाने वाली चूक की परिभाषा, विनियामकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त परिभाषा के अनुरूप हो। साथ ही, ऐसे खाते जो 90 दिन से अतिदेय हैं, किंतु ह्रासित के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, के मामले में एसीबी का अनुमोदन अपेक्षित है। ऐसे खातों की संख्या और बकाया कुल राशि का भी प्रकटीकरण किया जाए।

ग) इंड एएस के अंतर्गत जब क्रेडिट जोखिम में काफी बढ़ोतरी आकलित की जाती हो तो ईसीएल एलोवंस 12 माह से आजीवन ईसीएल बन जाता है। इंड एएस में एक ऐसी

अस्वीकार्यता संबंधी धारणा है कि वित्तीय आस्ति पर क्रेडिट जोखिम तब से काफी बढ़ गया है जब संविदा संबंधी भुगतानों का, 30 दिन से अधिक अवधि के लिए बकाया होना पहली बार पता चला। जिन सीमित परिस्थितियों में एनबीएफसी / एआरसी इस धारणा को अस्वीकार करती है तो उन्हें एसीबी के समक्ष तत्संबंधी औचित्य प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा ऐसे खातों के मामलों में क्रेडिट जोखिम में काफी बढ़ोतरी की पहचान न टाली जाए जहां 60 दिन के अधिक अवधि के लिए बकाया हो।

घ) इंड एएस के अंतर्गत अपर्याप्त प्रावधानीकरण की समस्या से निपटने के लिए वर्तमान मानदंडों(आईआरसीपी) के आधार पर विवेकपूर्ण फ्लोर विनिर्दिष्ट किया गया है। यदि इंड एएस के अंतर्गत किए किया गया प्रावधान, आईआरएसीपी मानदंडों के स्तर से कम है, तो अंतर की राशि को लाभांश भुगतान करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी बल्कि इस राशि को 'ह्रासित' रिज़र्व में अंतरित किया जाएगा। ह्रासित रिज़र्व विनियामकीय पूंजी के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा। इस रिज़र्व से आहरण किया जाना हो तो उसके लिए आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। स्टेकधारकों को तुलना हेतु बेंचमार्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रकटीकरण टेम्प्लेट विनिर्दिष्ट किया गया है जिसमें इंड एएस और आईआरएसीपी के वर्गीकरण और प्रावधानीकरण का तुलनात्मक विवरण शामिल है।

ङ) विनियामकीय पूंजी की गणना में कठिनाई को कम करने के लिहाज से अप्राप्त निवल उचित मूल्य के लाभों को नज़रअंदाज़ करते हुए अप्राप्त निवल उचित मूल्य की हानियों के लिए प्रावधान करने के संबंध में दिशानिर्देश में उल्लेख किया गया है। इन दिशानिर्देशों में 12 माह के ईसीएल की गणना (सामान्य प्रावधानों के तर्ज पर), अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर डिस्काउंट, हेडज रिजर्व नकदी प्रवाह के कारण अप्राप्त लाभों और हानियों को मान्यता न देना, समूह संस्थाओं के उचित मूल्यांकन की वजह से निवल स्वाधीकृत निधियों में क्रेडिट जोखिम और समायोजन के लिए जिम्मेदार बनना आदि के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे वित्तीय लिखतों जो **अमान्य** के लिए पात्र नहीं होते हैं, पर विनियामकीय पूंजी अपेक्षित होगी। साथ ही, विनियामकीय अनुपात, सीमाएं और प्रकटीकरण जैसी मदें इंड एएस के आंकड़ों पर आधिरित होंगीं।

एनबीएफसी क्षेत्र में फिनटेक की गतिविधियां

भारत में बैंकों और एनबीएफसी, वित्तीय नवोन्मेषिता को अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी को तेजी से प्रयोग करती आ रही हैं। वित्तीय क्षेत्र के विनियामक होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक, नए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में आगे रहा है। जहां तक गैर बैंकिंग और भुगतान व प्रणाली क्षेत्र का संबंध है, बैंक इस दिशा में अग्रणी रहा है तथा जब बैंकिंग उद्योग स्वयं प्रारंभिक स्तर से गुज़र रहा था, तब बैंक ने नए उत्पादों और सेवाओं के लिए विनियमावली जारी की। समकक्ष उधार(पीटुपी लेंडिंग), एकाउंट एग्रगेटर और साख मध्यस्थीकरण कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो डिजिटल प्लैटफार्म पर ही की जाती हैं और जिनके विनियमन ने उद्योग को व्यवस्थित और तेज़ गति से बढ़ाने में सहायता की है।

केवल डिजिटल प्लैटफार्म के माध्यम से उधार: चूंकि केवल डिजिटल प्लैटफार्म अपनाने वाले एनबीएसी की संख्या कम नहीं है, अंत: उन्होंने ऐसा कारोबार मॉडल अपनाया है जिसके अंतर्गत बिना किसी भौतिक उपस्थिति के, एनबीएफआई गतिविधि केवल डिजिटल प्लैटफार्म के माध्यम से की जाती है। लगभग 20 ऐसे प्लैटफार्म हैं जो प्राथमिक रूप से रीटेल व्यक्तियों और लघु उद्यमियों जिनके पास लघु टोकन ऋण हैं, की ज़रूतों को तेजी से पूरा करते हैं। इससे टर्नअराउंड समय कम होता है और आर्वतन की संख्या में वृद्धि होती है। ये ऐसे ग्राहकों की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं जिनके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है परंतु उनकी ऋणपात्रता उनके व्यय करने की रीति से निर्धारित किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप इस औपचारिक फोल्ड के अंतर्गत अधिक ग्राहकों को शामिल किया जाएगा।

समकक्षीय उधार (पीटूपी लेंडंग) प्लैटफार्म - एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से उधारकर्ताओं और उधारदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफार्म पर लाया जाता है। यह प्लैटफार्म क्रेडिट जोखिम नहीं लेता और इनके लेनदेन साख सूचना कंपनियों को रिपोर्ट किए जाते हैं और उधारकर्ताओं और उधारदातों के लिए इस प्लैटफार्म के अंतर्गत विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हैं। करीब 21 पीटूपी प्लैटफार्म संचालनरत हैं।

एकाउंट अग्रगेटर - यह ग्राहक की वित्तीय आस्तियों से संबंधित सूचना धारकों से रिट्रीव या एकत्रित करता है और उसे ग्राहकों या ग्राहकों द्वारा विनिर्दिष्ट यूसर्स के समक्ष प्रस्तुत करने से

पहले उसका समेकन करता है। एए का व्यापक ध्येय भारत जैसी उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्था में डेटा सशक्तीकरण या डेटा जनतंत्रीकरण को हासिल करना है जहां वित्तीय सेवाओं (गुणात्मक व मात्रात्मक) की प्राप्ति अब भी काफी सीमित है।

एए संबंधी तकनीकी विनिर्देश : एए परिवेश में डेटा को विभिन्न वित्तीय क्षेत्र की विनियमित संस्थाओं के बीच मानकीकृत और कूटबद्ध फार्मेट में संचलन करना होगा। प्रणालियों के बीच निर्बाध तरीके से डेटा सुरक्षित तरीके से आगे बढे, यह सुनिश्चित करने के लिए एए के संबंध में तकनीकी विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। ये एप्लकेशन आधारित विनिर्देश हैं जिसकी रचना डेटा के संचलन के लिए किया गया है और उसके मूल में कन्सेंट संरचना है जो लंबी अवधि के लिए एए परिवेश में पूरी क्षमता का लाभ उठाने में मददगाार होगी।

इन विनियमों की विशेषता यह है कि ये न केवल नई, तेज और प्रभावी प्रौद्योगिकी / कारोबार मॉडलों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि फिंटेक की अगुवाई वाली वित्तीय सेवाओं को अपनाने को लेकर रहने वाली आशंकाओं को भी दूर करते हैं। खास तौर पर डेटा साझेदारी की स्पष्ट सहमति, सर्व की देशी अवस्थिति, इलेक्ट्रानिक सहमति संरचना, लेखापरीक्षा ट्रेल, सिसा लेखापरीक्षा, डेटा ब्लैंड एए प्लैटफार्म आदि जैसी विनियामकीय विशेषताएं प्रगामी और पूर्वापेक्षा स्वरूप की हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षण

भारिबैं ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सुदृढ़ और व्यापक पर्यवेक्षी व्यवस्था लागू की है। भारिबैं ने अपना ध्यान विवेकशील पर्यवेक्षण लागू करने पर केंद्रित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भली-भांति काम करती हैं और जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने से बचती हैं। भारिबैं ने निम्नलिखित पर आधारित पंचमुखी पर्यवेक्षण संरचना तैयार की है :

- **कार्यस्थल पर प्रत्यक्ष निरीक्षण**

कार्यस्थल पर जाकर प्रत्यक्ष निरीक्षण करने की प्रणाली 1997 के दौरान अमल में लाई गई। यह केमल्स (पूंजी,आस्ति,प्रबंधन,अर्जन,चलनिधि और प्रणाली तथा नियंत्रण) दृष्टिकोण से आकलन और मूल्यांकन पर आधारित है और भारिबैं द्वारा बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए अपनाए गए तरीके के समान है। भारिबैं को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निरीक्षण की शक्तियां भारिबैं अधिनियम,

1934 की धारा 45एन के उपबंधों के अनुसार मिली हैं। ऐसा निरीक्षण किसी विवरण अथवा सूचना की सत्यता या पूर्णता का सत्यापन करने के लिए या कोई नई जानकारी / ब्योरे हासिल करने के लिए या फिर तब किए जाते हैं, जब भारिबैं ऐसा निरीक्षण करना आवश्यक समझता हो। भारिबैं को उक्त अधिनियम की धारा 45-आइए(4) के अंतर्गत किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की खाता-बहियों की जांच करने की शक्ति भी प्राप्त है। यह शक्ति प्राथमिक रूप से यह सत्यापित करने के लिए प्रदान की गई है कि वित्तीय कंपनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करती है या नहीं। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रत्यक्ष निरीक्षण के समग्र उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- पूंजी की पर्याप्तता और आय की संभावनाओं का आकलन तथा कैमलस के आधार पर पर्यवेक्षी रेटिंग देना
- वित्तीय कंपनी की शोधन-क्षमता का आकलन करना
- भारिबैं अधिनियम के उपबंधों तथा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों / अधिसूचनाओं तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किसी अन्य दिशानिर्देश / विनियमन के अनुपालन की स्थिति का पता लगाना
- कंपनी को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदमों की पहचान करना

उपर्युक्तानुसार, वित्तीय कंपनी के कार्यों का पर्यवेक्षण सांविधिक उपबंधों, दिशानिर्देशों तथा विवेकशील विनियमनों, तीनों के संयुक्त आधार पर किया जाता है। इस संरचना में, कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने व्यवसाय से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का सामना करने के लिए खुद को बुद्धिसंगत तरीके से प्रबंधित करें और यह सुनिश्चित करें कि वे अपनी देयताओं, विशेष रूप से सार्वजनिक जमा देयताओं तथा अन्य लेनदारों सबंधी देयताओं को पूरा करने की स्थिति में हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्यकलाप उनके जमाकर्ताओं तथा समग्र वित्तीय प्रणाली के हित के विपरीत नहीं हैं। ऐसे निरीक्षणों की आवधिकता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संवर्ग और आस्तियों के आकार पर निर्भर करेगी।

- **परोक्ष निगरानी**

प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्राप्त जानकारी के पूरक के तौर पर परोक्ष निगरानी प्रणाली के एक भाग के रूप में कई विवरणियां निर्धारित की गई हैं, जिनसे प्राप्त जानकारी प्रत्यक्ष निरीक्षण की जरूरत

तय करती है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की कुछ अंतरालों पर समीक्षा और जांच की जाती है ताकि जानकारी के विषय-क्षेत्र में विस्तार हो सके और इन कंपनियों की कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण पहलुओं पर या तो पर्यवेक्षी उद्देश्यों के लिए या फिर विभिन्न हित समूहों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उसका उपयोग किया जा सके।

- **बाजार आसूचना**

वित्तीय क्षेत्र की निगरानी में बाजार आसूचना एक महत्वपूर्ण घटक है। जहां परोक्ष निगरानी प्रणाली और प्रत्यक्ष निरीक्षण पंजीकृत कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा उसकी समग्र विनियामक अनुपालन की स्थिति का आकलन करने के कारगर साधन हैं, वहीं पूर्व-सक्रिय बाजार आसूचना किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की वित्तीय हालत के बारे में समय-पूर्व चेतावनी संकेत देने में सहायक हो सकती है और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए / प्रणालीगत जोखिमों से बचने के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। पिछले कुछ समय से ऐसी संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है, जो विनियामकों के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऐसे विभिन्न तरीकों से जमा स्वीकार करते हैं और अपनी योजनाएं इस प्रकार बनाते हैं कि "जमाराशि" शब्द के प्रत्यक्ष अर्थ से बचा जा सके और उन पर विनियामकों का ध्यान न जाए। संदिग्ध संस्थाओं द्वारा अनधिकृत रूप से जमाराशि स्वीकर करने के मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से सभी राज्यों में राज्य स्तरीय समन्वयन समितियां स्थापित की गई हैं ताकि भारिबैं,सेबी,इरडा,एनएचबी,पीईआरडीए तथा कंपनी रजिस्ट्रार जैसे विनियामकों के बीच और राज्यों की प्रवर्तन एजेंसियों, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, आर्थिक अपराध शाखा आदि के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके। अनधिकृत संस्थाओं की गैर-कानूनी गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए मई 2014 में राज्य स्तरीय समन्वयन समितियों का पुनर्गठन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में, विनियामकों और प्रवर्तन प्राधिकारियों के बीच निरंतर चर्चा के परिणामस्वरूप इस संबंध में जागरूकता बढ़ी है और इन मामलों पर कारगर कार्रवाई के लिए मानक परिचालन क्रियाविधियां विकसित की जा रही हैं।

- **सचेत पोर्टल**

भारिबैं ने यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि केवल विनियमित संस्थाएं ही जमाराशियां स्वीकार करती हैं, जनता और विनियामकों की सहायता के लिए 4 अगस्त 2016 को एक मोबाइल फ्रेंडली

पोर्टल “सचेत” (sachet.rbi.org.in) शुरू किया है। इस पोर्टल का उपयोग जनता द्वारा सूचना दिए जाने के लिए किया जा सकता है, जिसमें विज्ञापनों / प्रचार सामग्री के फोटो भी अपलोड किए जा सकते हैं और अपनी जानकारी में आई निधि / निवेश जुटाने संबंधी योजनाओं के बारे में प्रश्न उठाए सकते हैं और शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं। यह पोर्टल सभी विनियामकों से जुड़ा है, इसलिए विनियमित संस्थाओं की सूचियों से जनता आसानी से जानकारी ले सकती है। इस पोर्टल में,अनधिकृत जमाराशि संग्रहण और वित्तीय गतिविधियों के संबंध में जानकारियों के आदान-प्रदान तथा समन्वित कार्रवाई करने के लिए एक सीमित उपयोगकर्ता समूह - राज्य स्तरीय समन्वयन समिति अंतर-विनियामक मंच - भी रखा गया है। इससे विनियामकों तथा राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वयन स्थापित होगा और अनधिकृत रूप से जमाराशियां स्वीकारने के मामलों का समयपूर्व पता लगाने और उन पर रोक लगाने के लिए यह सूचना के उपयोगी स्रोत का काम करेगा। 24 अक्तूबर 2019 में सचेत पोर्टल को हिंदी और अंग्रेजी समेत 11 प्रसिद्ध क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध किया गया ताकि लोगों के बीच उसकी पहुँच को बढ़ाया जा सके।

- **सांविधिक लेखापरीक्षकों की विशेष रिपोर्टें**

उपर्युक्त सभी प्रकार के पर्यवेक्षणों के अलावा, भारिबैं द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों तथा भारिबैं अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सांविधिक लेखा-परीक्षकों पर भी डाली गई है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें यदि कोई अनियमितता नजर आती है या फिर जनता से जमाराशियां स्वीकार करने, साख श्रेणी, विवेकशील मानदंड, मानदंड सीमा, पूंजी पर्याप्तता, चलनिधि आस्तियां बनाए रखने तथा कंपनियों द्वारा जरूरत से ज्यादा जमाराशियां अपने पास रखने से संबंधित किसी विनियमन का उल्लंघन नजर आता है तो उसकी सूचना भारिबैं को दें।

- **हितधारकों से संवाद**

क्षेत्र में उभरते जोखिमों और गतिविधियों के बारे में बारीकी से समझने एवं त्वरित कार्रवाई करने की दृष्टि से पर्यवेक्षण विभाग, विभिन्न हितधारकों जैसे एनबीएफसी के प्रबंध तंत्र सांविधिक लेखापरीक्षकों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, क्रेडिट आसूचना कंपनियों, म्यूचुअल फंड आदि के साथ संवाद स्थापित करता है। इसके अलावा, बाज़ार में पर्यवेक्षित संस्था की कार्रवाई और एनबीएफसी के

बांडों/ वाणिज्यिक पत्रों में निवेशकों के प्रति विचार के बारे में बाज़ार विभाग से चर्चा की जाती है जिससे पर्यवेक्षित संस्था के प्रति निवेशकों के दृष्टिकोण की जानकारी हासिल किया सके।

निष्कर्ष

पिछले दशक में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने काफी वृद्धि हासिल की है। 2009 में बैंकों की तुलना में उनके तुलनपत्र का आकार लगभग 10 प्रतिशत था जबकि वह बढ़कर अब बैंकों के आकार का लगभग एक चौथाई भाग हो गया। गैर बैंक मध्यस्थता चैनल का विकास अर्थव्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त विकल्प है, जबकि तीव्र गति से हो रही वृद्धि और हल्के विनियामकीय ढांचे से प्रणाली जोखिम भी पैदा हो सकता है। भारिबैं का निरंतर प्रयास यह है कि वह वित्तीय स्थिरता,उपभोक्ताओं तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा,वित्तीय बाजार में और सहभागियों की आवश्यकता, विनियामक चिंताओं का समाधान करने जैसे बहुमुखी उद्देश्यों का ध्यान रखते हुए इस क्षेत्र की संवृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराए और ऐसा करते समय गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की विशिष्टता को भी न भूले।

अध्याय 11: रिज़र्व बैंक में प्रवर्तन

प्रस्तावना

रिज़र्व बैंक को बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विभिन्न विधियों के अंतर्गत दंड लगाने की शक्तियां प्राप्त हैं, यथा- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 [बीआर अधिनियम]; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 [आरबीआई अधिनियम]; संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 [पीएसएस अधिनियम]; वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 [सरफेसी अधिनियम]; फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 [एफआर अधिनियम]; प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 [सीआईसी (आर) अधिनियम]; आदि। रिज़र्व बैंक इन अधिनियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करता रहा है, तथापि, यह प्रक्रिया विभिन्न पर्यवेक्षी/ विनियामकीय विभागों के बीच फैली हुई है तथा यह, पर्यवेक्षी प्रक्रिया से प्रवर्तन कार्रवाई को अलग करने की अंतरराष्ट्रीय उत्तम प्रथा के अनुरूप नहीं है।

विनियमन, निगरानी और प्रवर्तन वित्तीय क्षेत्र के अनवेक्षा तंत्र के तीन स्तंभ होते हैं। विनियमन से वित्तीय संस्थाओं के कार्यसंचालन में ऐसा ढांचा तैयार होता है, जिसमें एक ओर विवेक, पारदर्शिता और तुलनशीलता सुनिश्चित की जाती है, वहीं दूसरी ओर, ग्राहकों व जनता के हितों की सुरक्षा की जाती है। अन्वेक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विनियमों के पालन की स्थिति की निगरानी की जाती है। ऐसे मामलों का अभिनिश्चय करना, जहां विनियमों के अनुपालन न किए जाने का पता निगरानी प्रणाली या अन्य किसी प्रक्रिया में पता चला हो, और प्रवर्तन के दायरे में आने वाली उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई करना। बैंकिंग पर्यवेक्षण की प्रभावी प्रणाली, अन्य बातों के साथ-साथ पर्यवेक्षी नीतियों के प्रभावी प्रवर्तन पर निर्भर करती है, जिसके लिए एकीकृत व सुस्पष्ट प्रवर्तन नीति एवं संस्थागत ढांचा ज़रूरी है। ऐसी आवश्यकता और अंतरराष्ट्रीय उत्तम प्रथाओं को संज्ञान में लेते हुए, तथा 5 अप्रैल 2016 के पहले द्विमासिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने अननुपालनकर्ता बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पर्यवेक्षी प्रवर्तन ढांचे का अनुमोदन किया। इसका मकसद नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता, मानकीकरण, सातत्य, तीव्रता और कार्रवाई की समयबद्धता संबंधी वैश्विक मानकों की पूर्ति करना है। उक्त ढांचे का आशय मूलत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के विरुद्ध प्रवर्तनात्मक कार्रवाई करना था, तथापि, 8 फरवरी 2017 के छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य

में की गई घोषणा के अनुसरण में 3 अप्रैल 2017 को रिज़र्व बैंक में अलग से प्रवर्तन विभाग (ईएफडी) की स्थापना की गई। उक्त विभाग का गठन विनियमाधीन सभी संस्थाओं द्वारा किए गए उल्लंघनों की पहचान और संसाधन करने के प्रति संरचित, नियम आधारित दृष्टिकोण स्थापित करने तथा उसे सभी संस्थाओं पर समानपूर्वक लागू करने के लिहाज से किया गया। अन्य क्षेत्राधिकारों में विद्यमान प्रवर्तन ढांचे/ ढांचों का तुलनात्मक विवरण निम्नांकित बॉक्स-1 में दिया गया है।

बॉक्स-1

अंतरराष्ट्रीय अनुभव

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फेडरल डिपाज़िट इंश्यूरंस (एफडीआई) अधिनियम और फेडरल डिपाज़िट इंश्यूरंस कॉर्पोरेशन (एफआईडीसी) नियमावली और विनियमावली, फाइनैन्शियल इंस्टिट्यूशंस रिफॉर्म, रिकवरी, एंड एनफोर्समेंट अधिनियम (एफआईआरआरईए), 1989 तथा यूएस सिविल कोड कुछ ऐसी विधियां हैं जो वित्तीय क्षेत्र का विनियमन करती हैं। पर्यवेक्षी और प्रवर्तन संबंधी शक्तियां फेडरल और राज्य स्तरीय एवं चार एजेंसियों, यथा- फेडरल रिज़र्व सिस्टम के गवर्नरों के बोर्ड (फेडरल रिज़र्व), एफडीआईसी, ऑफिस ऑफ द कम्प्ट्रोलर ऑफ द करेंसी (ओसीसी) और कंज्यूमर फाइनैन्शियल प्रोटेक्शन ब्यूरो (सीएफपीबी), पर विभिन्न एजेंसियों के बीच बंटी हुई हैं। इसके अलावा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) दांडिक अपराधों के कदाचारों और प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरणों से संबंधित प्रवर्तन करता है। मामले के गुरुत्व के आधार पर उल्लंघनों को टियर-1, टियर-2 और टियर-3 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और की जाने वाली प्रवर्तनात्मक कार्रवाइयों के अंतर्गत सार्वजनिक वक्तव्यों जैसी गैर-मौद्रिक कार्रवाई, परिविरति (सीज़), प्रतिविरति आदेश (डेसिस्ट ऑडर), प्राधिकरण का हटाया जाना तथा प्रबंधन पर अस्थायी प्रतिबंध, मौद्रिक दंड और आपराधिक दंड शामिल हैं।

यूरोपीय संघ (ईयू) में बैंकिंग पर्यवेक्षण, एकल पर्यवेक्षी तंत्र द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण किया जाता है, जो कि ईयू बैंकिंग यूनियन के दो स्तंभों में से एक है, वहीं दूसरा स्तंभ एकल समाधान तंत्र है और उसमें यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक (ईसीबी) और सदस्य राज्यों के नैशनल कंपिटेंट अथॉरिटी (एनसीए) शामिल हैं। ईसीबी और एनसीए के पर्यवेक्षी डोमेन का निर्धारण संस्था के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है, जैसे- महत्वपूर्ण संस्थाओं का पर्यवेक्षण ईसीबी द्वारा किया जाता है

और कम महत्व वाली संस्थाओं का पर्यवेक्षण एनसीए द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण संस्थाओं पर मौद्रिक दंड लगाया जा सकता है और कम महत्व वाली संस्थाओं पर मौद्रिक दंड उल्लंघनों (ईयू कानून, ईसीबी विनियम और निर्णय या राष्ट्रीय विधि संबंधी) के स्वरूप के आधार पर ईसीबी या एनसीए द्वारा लगाया जाता है। ऐसा दंड उल्लंघनों के कारण प्राप्त लाभों की राशि या बची गई हानियों की राशि की दुगुना राशि तक, या पूर्ववर्ती कारोबार वर्ष में महत्वपूर्ण संस्था के कुल वार्षिक टर्नओवर तक हो सकता है, जो कि प्रभावशीलता, आनुपातिकता और अवरोधनकारिता के सिद्धांतों के आधार पर अतिलंघन की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए और मामले को बढ़ाने व घटाने वाली परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिसीमन की अवधि (अतिलंघन की तारीख से), जिसके भीतर दंड लगाने संबंधी निर्णय लिया जाना है साथ ही जिसके भीतर दंड की वसूली की जानी है, से संबंधित उपबंध भी विनियम में किया जाता है।

ईएफडी का प्रमुख कार्य और अधिदेश

ईएफडी का प्रमुख कार्य वित्तीय प्रणाली की स्थिरता, सार्वजनिक हित और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विनियमों का प्रवर्तन करना है। तदनुसार, ईएफडी का अधिदेश निम्नलिखित मदों के आधार पर कार्रवाई-योग्य उल्लंघनों की पहचान करना है:

i. पर्यवेक्षी विभागों से प्राप्त निरीक्षण/ पर्यवेक्षी/ संवीक्षा रिपोर्टें और विनियामकीय विभागों से प्राप्त मामले;
ii. अन्य विभागों से प्राप्त बाज़ार आसूचना रिपोर्टें; और
iii. रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंध-तंत्र से प्राप्त मामले;

तथा वस्तुनिष्ठ, सतत व निष्पक्ष तरीके से प्रवर्तन कार्रवाई करना;

शुरुआत में वाणिज्यिक बैंकों के प्रणालीगत महत्व को ध्यान में रखते हुए ईएफडी को बीआर अधिनियम की धारा 47क, उसके तहत बनाए गए नियमों और निदेशों/ विनियमों के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा किए गए उल्लंघनों तथा धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आने वाले उल्लंघनों पर मौद्रिक दंड लगाने का दायित्व सौंपा गया था। बाद में, 3 अक्तूबर 2018 से सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित प्रवर्तनपरक कार्यों को भी ईएफडी की परिधि में लाया गया। तदुपरांत, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 [एनएचबी अधिनियम]

में संशोधन किया गया और 9 अगस्त 2019 से एनएचबी अधिनियम के तहत आवास वित्त कंपनियों का विनियमन कार्य एवं परिणामी प्रवर्तनपरक कार्रवाइयों को रिज़र्व बैंक को अंतरित किया गया। इसके साथ ही, ईएफडी को बीआर अधिनियम, आरबीआई अधिनियम, पीएसएस अधिनियम, एफआर अधिनियम, सीआईसी (आर) अधिनियम और सरफेसी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी के विरुद्ध प्रवर्तनपरक कार्रवाई करने और एनएचबी अधिनियम के तहत आवास वित्त संस्थाओं, जो कि कंपनियां हैं, के लिए अधिदेशित किया गया।

बड़ी संख्या में संस्थाओं, जिनमें सहकारी बैंकों और एनबीएफसी शामिल हैं, के विरुद्ध प्रवर्तनपरक कार्रवाई करने की अपेक्षा को देखते हुए परिचालनात्मक कार्यदक्षता और केंद्रीभूत प्रवर्तन के लिए ईएफडी के क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, चेन्नै, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली में स्थापित किए गए। केंद्रीय कार्यालय का विभाग वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी और एआरसी के विरुद्ध प्रवर्तनपरक कार्रवाई करता है, वहीं इस विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाली और गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के विरुद्ध प्रवर्तनपरक कार्रवाई करते हैं। ऐसे उल्लंघनों, जिन पर मौद्रिक दंड लगाए जाते हैं, के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 [एफईएम अधिनियम] और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 [जीएस अधिनियम] के उपबंधों के अंतर्गत प्रवर्तनपरक कार्रवाई करना तथा संबंधित विनियामकीय/ पर्यवेक्षी विभागों द्वारा अन्य विनियामकीय या पर्यवेक्षी कार्रवाई, जिसके अंतर्गत कंपाउंड उल्लंघनों पर कार्रवाई शामिल है, किया जाना जारी रहेगा।

प्रवर्तन नीति और उद्देश्य

ईएफडी के लिए परिकल्पित प्राथमिक भूमिका प्रवर्तन के लिए एक व्यापक नीति का विकास करना है। तदनुसार, 'प्रवर्तन नीति और ढांचा' का मसौदा तैयार करके उसके बीएफएस से समक्ष 9 अक्तूबर 2017 को संपन्न उसकी 255वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद ईएफडी के अधिदेश में विस्तार (सहकारी बैंक और एनबीएफसी) और फैलाव (अन्य अधिनियमों का समावेश) होने से उक्त नीति को संशोधित व अद्यतन किया गया। उक्त मसौदे को बीएफएस द्वारा 25

सितंबर 2019 को आयोजित अपनी 276वीं बैठक में अनुमोदित किया गया और उसके बाद उसे केंद्रीय बोर्ड के समक्ष उसकी 13 दिसंबर 2019 को संपन्न बैठक में प्रस्तुत किया गया।

इस नीति का उद्देश्य विधियों और उनके अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियमों/ निदेशों के अनुपालन के स्तर को वित्तीय स्थिरता, लोक हित और ग्राहक संरक्षण के अतिमहत्वपूर्ण सिद्धांत के अंतर्गत रहते हुए बेहतर बनाना है। उसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि पर्यवेक्षी विभागों (प्रमाणों पर आधारित) द्वारा अंतिम रूप दी गई निरीक्षण रिपोर्टों और संवीक्षा रिपोर्टों के आधार पर प्रवर्तनपरक कार्रवाई शुरू की जाए, जो कि तात्विकता, आनुपातिकता और आशय के सुपरिभाषित सिद्धांतों के आधार पर हो। ऐसी की जाने वाली कार्रवाई मनमानी और पक्षपात (वस्तुनिष्ठ, सतत और पूर्वानुमेय) को कम करने की दृष्टि से सभी संस्थाअें पर समान रूप से लागू हो तथा ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई (प्रतिक्रियात्मक, जोखिक केंद्रित और आनुपातिक) की जाए जहां अत्यधिक उल्लंघन और बड़े पैमाने पर प्रणालीगत प्रभाव पैदा होता हो।

प्रवर्तन की व्याप्ति

विभिन्न कानून रिज़र्व बैंक को दंडात्मक कार्रवाई, मौद्रिक व गैर-मौद्रिक दोनों, करने के लिए अधिकृत करते हैं, वहीं, प्रवर्तन नीति ऐसे उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिन पर मौद्रिक दंड लगाया जाता है। संबंधित विनियामकीय और पर्यवेक्षी विभागों द्वारा गैर-मौद्रिक दंड या दंडात्मक ब्याज लगाने योग्य उल्लंघनों के संबंध में प्रवर्तन किया जाता है। उक्त नीति न तो व्यक्तिगत ग्राहक संबंधी शिकायतों से निपटने पर विचार करती है और न ही शिकायत निवारण तंत्र बनने के लिए आशयित है। प्रवर्तनपरक कार्रवाई पर्यवेक्षी अनुपालन प्रक्रिया की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है।

प्रवर्तन का आधार

कार्रवाई-योग्य उल्लंघन निम्नलिखित के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं:

(क) उल्लंघन का तथ्य, और

(ख) उल्लंघन की तात्विकता।

उल्लंघन के तथ्य का निर्धारण सांविधिक उपबंध और उसके अंतर्गत जारी निर्देश/ दिशानिर्देश की विद्यमानता एवं उसके उल्लंघन के आधार पर किया जाता है। उल्लंघन की तात्विकता का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है:

(i) सीमा (अर्थात जिस मात्रा या प्रतिशत तक विनियामकीय सीमा का उल्लंघन किया गया है; और कहां तक फैला है (भौगोलिक रूप से), भले ही वह उल्लंघन छोटे प्रतिशत/ मात्रा, आदि का हो),

(ii) बारंबारिता (अमुख नमूने में एक ही उल्लंघन की अनेक घटनाएं) और

(iii) उल्लंघन की गंभीरता।

उल्लंघन की गंभरता उल्लंघन से जुड़ी धनराशि के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो कि निरपेक्ष संख्या हो सकती या फिर कारोबार के आकार के अनुपात के रूप में। बारंबार/ लगातार उल्लंघनों जैसे उलझनकारी कारकों, मिथ्या अनुपालन, विशिष्ट निदेश के उल्लंघन, और भूल/ चूक के परिणामों की गंभरता, यदि कोई हो, को तात्विकता का निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

अधिनिर्णय प्रक्रिया

प्रवर्तनपरक कार्रवाई की प्रक्रिया के अंतर्गत विनियमाधीन संस्था (आरई) को कारण बताओ नोटिस जारी करना तथा उसे लिखित रूप में, और अनुरोध किए जाने पर मौखिक रूप से भी यथोचित अवसर देना शामिल है। एक तीन सदस्यीय अधिनिर्णय समिति, जिसमें केंद्रीय कायार्लय का एक कार्यपालक निदेशक (ईएफडी के प्रभारी ईडी अध्यक्ष के रूप में), और क्षेत्रीय निदेशक के साथ क्षेत्रीय कार्यालय के दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, मामले पर अधिनिर्णय करती है और आरई को सकारण आदेश जारी करती है, जिसमें की जा रही प्रवर्तनपरक कार्रवाई और तत्संबंधी कारण बता दिए जाते हैं। किसी उल्लंघन के लिए दंड के रूप में वसूली जाने वाली अधिकतम राशि संबंधित कानूनों में विनिर्दिष्ट की जाती है, वहीं सीमा के अंतर्गत प्रत्येक मामल में लगाए जाने वाले दंड की राशि का आकलन आनुपातिकता, आशकय और शमनकारी कारकों, यदि कोई हों, के सिद्धांत के आधार पर विचार करके किया जाता है। निर्धारित अवधि के भीतर आरई द्वारा देय दंड की राशि संबंधी कानून में बता दी जाती है। वर्तमान में, कानून के मुताबिक आरबीआई को विनियमाधीन संस्थाओं पर मौद्रिक दंड लगाने की शक्ति देकर सक्षम बनाया गया है, बल्कि संस्थाओं के व्यक्गित प्रभारियों या उल्लंघनों के लिए प्रकट रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों पर दंड

नहीं लगा सकता। रिज़र्व बैंक ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत दंड लगाया गया है, अन्य किसी भी मामले में अधिनिर्णय समिति के आदेश के विरुद्ध अपील या समीक्षा पर विचार करने के लिए अधिकृत नहीं है। प्रवर्तनपरक कार्रवाई का ब्योरा आरबीआई की प्रेस विज्ञप्तियों और विभिन्न प्रकाशनों में दिया जाता है।

निष्कर्ष

एक विश्वसनीय बैंकिंग/ वित्तीय विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे के लिए प्रभावकारी, सतत और पूर्वानुमेय प्रवर्तन ढांचे का होना अनिवार्य शर्त है। धनराशि और प्रतिष्ठा के परिप्रेक्ष्य में प्रवर्तनपरक कार्रवाई के भयपरतिकारी और निदर्शनात्मक प्रभाव होने के संबंध में कई ठोस प्रमाण हैं। अध्ययनों से पता चला है कि प्रवर्तनपरक कार्रवाई से न केवल प्रतिबंधित बैंकों के, बल्कि गैर-प्रतिबंधित बैंकों के व्यवहार पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। (*डेलिस, स्ताईकोरास और ट्सौमास, 2016*)। जहां तक प्रवर्तन का सवाल है, बैंकों/ व्यक्तियों पर पर्यवेक्षी प्रक्रिया का अनुपालन कराने या दंड लगाने के रूप में परिणामी हो सकता है; या, विनियामक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/ सतर्कता संबंधी सूचनाओं के संदर्भ में पूर्वानुमानकारी के रूप में अनौपचारिक हो सकता है। प्रवर्तन के संतुलित दृष्टिकोण में दोनों तत्व शामिल होते हैं, अर्थात सतत/ आवर्ती गैर-अनुपालन के लिए चेतावनीपूर्ण कार्रवाई करना। वर्तमान में, कानून के मुताबिक आरबीआई को विनियमाधीन संस्थाओं पर मौद्रिक दंड लगाने की शक्ति देकर सक्षम बनाया गया है, बल्कि संस्थाओं के व्यक्गित प्रभारियों या उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर दंड नहीं लगा सकता। यह भी नोट किया जाए कि प्रवर्तन प्रक्रिया न तो ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र है और न ही पर्यवेक्षी अनुपालन प्रक्रिया का कोई विकल्प।

<u>संदर्भ:</u>

www.rbi.org.in

अप्रैल 2016 का पहला दविमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य

फरवरी 2017 का छठा दविमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य

एसी सं.4, दिनांक 29 मार्च 2017

आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट - 2017

एसी सं.1, दिनांक 3 अक्तूबर 2018

एसी सं.2, दिनांक 8 मई 2019

आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट, 2019

जीएडी मैनुअल

अध्याय 12: वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन

भारत में वित्तीय बाजारों का विकास मुख्यत: ऐसी वित्तीय प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में हुआ है, जिसमें बैंकों का प्राधान्य है। नब्बे के दशक की शरूआत में वित्तीय सुधार लागू होने के बाद तथा बैंकों के विनियमन को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्कृष्ट परिपाटियों से जोड़ना शुरू होने के साथ ही बाजार-विकास के एक भाग के रूप में धीरे-धीरे विभिन्न बाजार तत्वों को लागू किया गया। इस कार्य में मुख्य ध्यान, संस्थाओं के रूप में आवश्यक अतिलघु संरचना विकसित करने, प्रौद्योगिकी का सहारा लेने, बाजार में सहभागी बढ़ाने और उपयुक्त विनियमन लागू करने पर, केंद्रित किया गया।

मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार (संबंधित डेरिवेटिव सहित) तथा कंपनी ऋण बाजार जिसमें ब्याज दर, क्रेडिट और विदेशी मुद्रा के कुछ पहलू भारिबैं के विनियमन के अंतर्गत आते हैं। भारिबैं इन बाजारों के विकास तथा विनियमन संबंधी, दोनों ही भूमिकाएं निभाता है। इसकी विकासात्मक भूमिका का लक्ष्य बाजारों की सुव्यवस्थित संवृद्धि में सहायता करना है और विनियामक भूमिका का लक्ष्य बाजार की अखंडता तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विवेकशील विनियमन निर्धारित करना है।

भारिबैं ने जमीन-जायदाद के क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा वित्तीय बाजार के विकास के बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नकद और डेरिवेटिव बाजार दोनों में नए वित्तीय उत्पाद क्रमिक रूप से लागू करने का रास्ता अपनाया है। हाल में, ओटीसी उत्पादों के पूरक के रूप में शेयर बाजारों में लेनदेन वाले (एक्सचेंज-ट्रेडेड) उत्पाद लाए गए, जिसका उद्देश्य मूल्य का पता लगाने की प्रक्रिया को और कारगर बनाना और बाजार सहभागियों, विशेष रूप से खुदरा ग्राहकों की बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। एक्सचेंज-ट्रेडेड उत्पादों पर भारिबैं और सेबी दोनों का संयुक्त विनियमन लागू है। उक्त उत्पादों के लिए विनियमन निर्धारित करने में भारिबैं-सेबी की तकनीकी समिति सहायता करती है।

पिछले कुछ वर्षों में, भारिबैं पर बाजार की प्रतिनिधिक संस्थाओं, जैसे भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ, भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ के साथ मिलकर बाजार के विविध खंडों के विकास तथा आचरण संहिता, दलालों पर निगरानी, व्यापारिक विवादों के संबंध में विवाचन आदि जैसी स्व-विनियामक व्यवस्था लागू करने की भी जिम्मेदारी डाली गई है। भारिबैं ने मुद्रा, जी-सेक तथा विदेशी मुद्रा बाजार से संबंधित प्रमुख वित्तीय

बेंचमार्कों के प्रशासन के लिए भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा संयुक्त रूप से स्वतंत्र बेंचमार्क प्रशासक अर्थात् फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड की स्थापना में सहायता की है।

भारिबैं ने पिछले कई वर्षों में वित्तीय बाजार की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐसा पहला ऐतिहासिक कदम 2001 में उठाया गया जब जी-सेक, मुद्रा बाजार तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समाशोधन और निपटान के लिए संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारतीय समाशोधन कॉरपोरेशन लि. की स्थापना की गई। इसने फरवरी 2002 से काम करना शुरू किया। तब से लेकर अब तक इस संस्था ने अपने परिचालनों को विस्तार देते हुए उनमें कई नकदी बाजारों, डेरिवेटिव उत्पादों केंद्रीय प्रति-पक्षकार आधारित निपटान को शामिल किया और सभी ओटीसी विदेशी मुद्रा, ब्याज दर तथा ऋण डेरिवेटिव के लिए ट्रेड रिपोज़िटरी की स्थापना की।

बाजार-विकास और विनियमन के लिए अधिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने हेतु भारिबैं ने अपने यहां वित्तीय बाजार विनियमन विभाग नाम से एक नया विभाग बनाया। इस विभाग की भावी गतिविधियां निर्धारित करने के लिए विभाग में गठित वित्तीय बाजार परामर्शदात्री समिति (एफएमसीसी) से मार्गदर्शन मिलता है। वित्तीय बाजारों से संबंधित भारिबैं के विकासात्मक और विनियात्मक कार्यों पर यहां नीचे चर्चा की जा रही है।

मुद्रा बाजार

मुद्रा बाजार ऐसी अल्पकालीन वित्तीय आस्तियों का बाजार है, जो मुद्रा का निकटतम वैकल्पिक रूप होती हैं। किसी मुद्रा बाजार लिखत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें तरलता (चलनिधि) होती है और बहुत कम समय और कम लागत पर इसे मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस वजह से यह ऋणदाताओं की अल्पकालीन निधियों तथा ऋणकर्ताओं के अल्पकालीन घाटे में साम्य लाने का अवसर प्रदान करता है। गहन और चलनिधि वाला मुद्रा बाजार, लाभ वक्र को मजबूती देता है और वित्तीय लिखतों के बेहतर मूल्य-निर्धारण तथा मूल्यांकन में सहायक होता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्रा बाजार केंद्रीय बैंक को वित्तीय प्रणाली में चलनिधि की मात्रा और लागत दोनों को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है,

जिससे मौद्रिक नीति के आवेगों को वास्तविक अर्थव्यवस्था में अंतरित करने में सहायता मिलती है।

भारिबैं द्वारा मुद्रा बाजार में निभायी जाने वाली महत्वपूर्ण विकासात्मक और विनियामक भूमिका पर यहां नीचे चर्चा की जा रही है।

विकासात्मक भूमिका

चक्रवर्ती समिति (1985) पहली ऐसी समिति थी जिसने भारतीय मुद्रा बाजार के विकास के लिए व्यापक सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। इसके बाद वाघुल समिति का नंबर आता है जिसका गठन भारिबैं ने विशेष रूप से, मुद्रा बाजार को व्यापक और गहन बनाने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए किया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर कई नए कदम उठाए गए। जमा प्रमाण-पत्र, वाणिज्यिक पेपर तथा अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण-पत्र जैसे कई लिखत लागू किए गए। मुद्रा बाजार लिखतों को चलनिधि प्रदान करने तथा ऐसे लिखतों में गौण बाजार विकसित करने में सहायता की दृष्टि से 1988 में डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। नरसिम्हम समिति (1998) तथा मांग मुद्रा बाजार के विकास की जांच पर गठित भारिबैं के आंतरिक कार्यदल (1997) की सिफारिशों के आधार पर, मांग मुद्रा बाजार में सुधार के लिए और इसे विशुद्ध अंतर-बैंक बाजार बनाने के लिए 1999 से कई चरणबद्ध कदम उठाए गए जो अगस्त 2005 में पूरे हुए।

मुद्रा बाजार को और गहन बनाने तथा बाजार सहभागियों को अपने जोखिमों की रक्षा व्यवस्था करने में समर्थ बनाने के लिए वर्ष 1999 में ब्याज दर स्वैप / वायदा दर करार लागू किए गए। बाजार के विकास की गति से तालमेल बैठाने के लिए ट्रेडिंग, रिपोर्टिंग, मुद्रा बाजार के लेनदेनों के समाशोधन और निपटान के लिए मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाया गया है। आधुनिकतम ट्रेडिंग प्रणालियों (जैसे एनडीएस- मांग, सीआरओएमएस, सीबीएलओ), लेनदेनों का सरल-सीधा प्रसंस्करण (स्ट्रट-थ्रो प्रोसेसिंग), तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) तथा गारंटीकृत निपटान के लिए भारतीय समाशोधन कॉरपोरेशन लि. में एक अलग सीसीपी आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो पिछले वर्षों में भारिबैं द्वारा उठाए गए हैं। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, बीमा कंपनियों, म्युच्युअल फंडों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि जैसी वित्तीय संस्थाओं के अलावा,

भारिबैं ने कंपनियों को भी मुद्रा बाजार के कुछ संपार्श्विकीकृत खंडों में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है।

हाल में, उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण विकासात्मक कदम हैं - (i) रि-रिपो तथा त्रिपक्षीय रिपो, (ii) मुंबई इंटर-बैंक ऑफर्ड रेट (माइबोर) निर्धारण की प्रक्रिया को मजबूत बनाना, (iii) गारंटीकृत निपटान सुविधायुक्त सीसीआइएल पर माइबोर(एकदिवसीय) के संदर्भ में रुपया आइआरएस के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना, (iv) ब्याज दर डेरिवेटिव ढांचे का समेकन और सरलीकरण (v) मांग मुद्रा बाज़ार में उधारकर्ता और उधारदाता दानों के रूप में भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों के जैसे नए आगंतुकों की सहभागिता की अनुमति देना

विनियामकीय भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मांग / सूचना मुद्रा, रिपो, वाणिज्यिक पेपर, जमा प्रमाणपत्र, एक वर्ष तक की प्रारंभिक परिपक्वता या मूलत: अपरिवर्तनीय डिबेंचर तथा मुद्रा बाजार की ब्याज दर / बेंचमार्क से संबद्ध डेरिवेटिव उत्पादों जैसे विविध मुद्रा बाजार लिखतों के लिए, विवेकशील मानदंड निर्धारित किए हैं।

1. मांग / सूचना मुद्रा

मांग / सूचना मुद्रा से तात्पर्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों के बीच बिना संपार्श्विक के निधियां उधार लेने / देने से है। मांग मुद्रा के मामले में उधार लेना / देना केवल एक दिन के लिए होता है, वहीं सूचना मुद्रा के मामले में इसकी अवधि दो दिन से लेकर चौदह दिन के बीच की होती है। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों के लिए मांग / सूचना मुद्रा बाजार में बकाया उधार देने तथा लेने, दोनों के संबंध में विवेकशील सीमाएं लगाई गई हैं। मांग / सूचना मुद्रा लेनदेन या तो एनडीएस- कॉल पर किए जाते हैं, जो भारतीय समाशोधन निगम लि. द्वारा प्रबंधित स्क्रीन-आधारित, नेगिशिएटेड, कोट-ड्रिवन प्रणाली है या फिर ओवर दि काउंटर (ओटीसी) किए जाते हैं। ओटीसी ट्रेड निष्पादित होने के पंद्रह मिनट के भीतर एनडीएस-कॉल को रिपोर्ट किए जाने जरूरी हैं।

2. पुनर्खरीद करार (रिपो)

रिपो निधियां उधार लेने (उधार देने) का एक ऐसा साधन है जिसमें प्रतिभूतियां बेचकर (खरीद कर) उन्हें परस्पर सहमत भावी तारीख को और सहमत मूल्य पर, जिसमें उधार ली गई (दी गई) निधियों पर ब्याज भी शामिल है, पुनर्खरीद (पुनर्विक्रय) का करार किया जाता है। ऐसे लेनदेन को निधियां उधार लेने वाले (प्रतिभूतियां बेचने वाले) की दृष्टि से रिपो तथा निधियां उधार देने वाले (प्रतिभूतियां खरीदने वाले) की दृष्टि से रिवर्स रिपो कहा जाता है। आरबीआई द्वारा किए जाने वाले रिपो लेनदेन को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)- रिपो कहा जाता है जबकि बाज़ार सहभागियों द्वारा किए जाने वाले रिपो लेनदेन को बाज़ार रिपो कहा जाता है। वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों, कंपनी बांडों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों को बाजार रिपो के लिए पात्र संपार्श्विक के रूप में अनुमति दी गई है। बहुस्तरीय वित्तीय संस्थाएं जैसे विश्व बैंक समूह (उदा आईबीआरडी,आईएफसी), एशियाई विकास बैंक या अफ्रीकी विकास बैंक और अन्य जैसे संस्थाएं जिन्हें रिज़र्व बैंक समय समय पर अधिसूचित करता है और जो संस्थाएं आरबीआई द्वारा उल्लिखित न्यूनतम रेटिंग रखती हों, को बाज़ार रिपो के लिए पात्र माना गया है। बाजार रिपो के अनुमत सहभागियों में अनुसूचित बैंक, प्राथमिक व्यापारी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां,आवास वित्त कंपनियां, बीमा कंपनियां, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियां आदि कुछ शर्तों सहित शामिल हैं। रिपो लेनदेन या तो सीसीआइएल के सीआरओएमएस पर किए जा सकते हैं या फिर ओटीसी पर द्विपक्षीय रूप से किए जा सकते हैं। ओटीसी ट्रेड निष्पादित होने के बाद निर्धारित समयावधि के भीतर सीआरओएमएस को रिपोर्ट किए जाने जरूरी हैं। रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां संविदा की अवधि के दौरान, शॉर्ट-सेलिंग के लिए अनुमत संस्थाओं को छोड़ कर अन्य किसी के द्वारा नहीं बेची जा सकतीं। रि-रिपो की अनुमति, राज्य विकास ऋणों सहित सरकारी प्रतिभूतियों तथा रिवर्स रिपो के अंतर्गत अधिगृहीत ट्रेज़री बिलों को, कुछ शर्तों के अधीन, दी गई है। त्रि पक्षीय रिपो जिसके लिए जुलाई 2018 में अनुमति दी गई थी, के संबंध में आरबीआई ने त्रि पक्षीय एजेंट की पात्रता मानदंड, भूमिकाएं और दायित्वों के साथ-साथ उत्पाद के विभिन्न पहलुओं के बारे में उल्लेख किया है। जुलाई 2018 में जी-सेक और कारपोरेट कर्ज में व्यापक निदेश जारी किए गए ताकि विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों के विनियमन को सरल और सामंजस्य स्थापित किया जा सके और सहभागिता के स्तर को, खास तौर पर कापोरेट कर्ज रेपो के मामले में बढ़ाया जा सके।

3. वाणिज्यिक पेपर

वाणिज्यिक पेपर एक गैर-जमानती मुद्रा बाजार लिखत है जिसे वचन-पत्र (प्रनोट) के रूप में जारी किया जाता है। इसे 1990 में इस उद्देश्य के साथ लागू किया गया था कि उच्च साख वाले कंपनी ऋणकर्ता अपने अल्पावधि उधारों के लिए अन्य स्रोतों की ओर उन्मुख हो सकें और निवेशकों को एक और लिखत उपलब्ध हो सके। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, अखिल भारतीय वित्त संस्थाएं तथा सहकारी समितियां / संघ, सरकारी संस्थाएं, न्यास, सीमित दायित्व वाली साझेदारियां तथा ऐसी अन्य कोई निगमित कंपनियां जिनकी भारत में उपस्थिति हो और जिनकी निवल मालियत 1 बिलियन रुपये या उससे अधिक हो, वाणिज्यिक पेपर जारी कर सकती हैं, बशर्ते उनके द्वारा बैंकों और / या वित्तीय संस्थाओं से ली गई निधि-आधारित सुविधा को निर्गम के समय सभी वित्तप्रदाता बैंकों / संस्थाओं द्वारा मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। वाणिज्यिक पेपर जारी करते समय प्रस्ताव दस्तावेज में सटीक अंतिम उपयोग का प्रकटीकरण किया जाना होगा। ऐसे पात्र निर्गमकर्ताओं को, जिनका वाणिज्यिक पेपर निर्गम किसी एक कैलेंडर वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो, निर्गम से पूर्व सेबी के पास पंजीकृत रेटिंग एजेंसियों से साख संबंधी रेटिंग लेनी होगी। ओटीसी पर वाणिज्यिक पेपरों के लेनदेन की सूचना क्लियरकॉर्प डीलिंग सिस्टम (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेशन प्लेटफॉर्म (एफ-ट्रेक) को लेनदेन होने के बाद निर्धारित समयावधि के अंदर दी जानी होगी। जारीकर्ता, जारी और भुगतान एजेंट(आईपीए) और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) के कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में आरबीआई के दिशानिर्देशों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

जमा प्रमाणपत्र

जमा प्रमाणपत्र मुद्रा बाजार का परक्राम्य लिखत है। इसे किसी बैंक में या पात्र वित्तीय संस्था में तय अवधि के लिए निधियां जमा करके डिमेट रूप में या मीयादी वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। जमा प्रमाणपत्र, (i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) तथा (ii) ऐसी चयनित अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं द्वारा जारी किए जा सकते हैं, जिन्हें निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर अल्पावधि संसाधन जुटाने के लिए भारिबैं ने अनुमति दी हो। बैंकों द्वारा निर्गमित जमा प्रमाणपत्रों की परिपक्वता अवधि 7 दिन से कम और 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन, वित्तीय संस्थाएं कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक 3 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले जमा प्रमाणपत्र जारी कर सकती हैं। बैंक / वित्तीय

संस्थाएं जमा प्रमाणपत्रों पर ऋण मंजूर नहीं कर सकते। लेकिन, भारिबैं, अलग से अधिसूचना जारी करते हुए, इन प्रतिबंधों में अस्थाई ढील दे सकता है। ओटीसी पर जमा प्रमाणपत्रों के लेनदेन की सूचना क्लियरकॉर्प डीलिंग सिस्टम (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेशन प्लेटफॉर्म (एफ-ट्रेक) को लेनदेन के बाद निर्धारित समयावधि के भीतर दी जानी होगी।

एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचर

अपरिवर्तनीय डिबेंचर से तात्पर्य ऐसे लिखत से है जो किसी कंपनी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित) द्वारा एक वर्ष की मूल अथवा प्रारंभिक परिपक्वता के साथ निजी तौर पर जारी किए जाते हैं। कोई कंपनी आरबीआई द्वारा निर्धारित अग्रलिखित मानदंड पूरा करने पर ही अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकती है - उसकी मूर्त निवल मालियत, उसे किसी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा कार्यशील पूंजी सीमा या मीयादी ऋण मंजूर किया गया हो तथा वित्तीयन बैंक/ बैंकों या संस्था/ संस्थाओं में उनके उधार खाते की स्थिति । अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की इच्छुक पात्र कंपनी को सेबी के पास पंजीकृत या फिर भारिबैं द्वारा समय-समय पर इस हेतु विनिर्दिष्ट किसी एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग हासिल करनी होगी। सेबी द्वारा निर्धारित परिभाषा तथा रेटिंग प्रतीक के तौर पर, किसी परिवर्तनीय डिबेंचर की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग “ए2” होगी। किसी कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचर की कुल राशि कंपनी के निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर या मंजूर की गई रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट सीमा, जो भी कम हो, के भीतर होगी। परिवर्तनीय डिबेंचर 90 दिन से कम की परिपक्वता-अवधि के लिए जारी नहीं किए जाएंगे। यदि परिवर्तनीय डिबेंचर से संबद्ध कोई विकल्प (क्रय / विक्रय) अधिकार हो तो उसका उपयोग उनके जारी होने की तारीख से 90 दिन के भीतर नहीं किया जा सकता। परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने वाली प्रत्येक कंपनी को एक पंजीकृत डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त करना होगा। निर्गमकर्ता, जारीकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख दिशानिर्देशों में किया गया है।

ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी)

जुलाई 1999 में बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के लिए ब्याज दर व्यवस्था के अविनियमन के दौर में अपने ब्याज दर जोखिमों को संभालने के लिए एफआरए/ आईआरएस की शुरुआत की

गई। रिज़र्व बैंक ने 07 मार्च 2011 को 91 दिवसीय टी-बिल पर फ्यूचर्स की अनुमति दी। 28 अक्तूबर 2016 को फयूचर्स पर आधारित अन्य मुद्रा बाज़ार लिखत या मुद्रा बाज़ार ब्याज दर की अनुमति दी गई।

दिसंबर 2016 में रुपया ब्याज दर ऑपशन की शुरुआत की गई। प्रारंभ में केवल प्लैन वैनिला आईआरओ की अनुमति दी गई थी, परंतु जून 2018 में रुपया ब्याज दर ऑप्शनों के निदेशों की समीक्षा की गई जिसके बाद रुपया ब्याज दर स्वैप्शनों की शुरुआत की गई।

प्रत्येक उत्पाद पर विनियमनों को समेकित करने, उत्पादों के डिजाइन और नवोन्मेषिता में एक्सचेंजो और बाज़ार निर्माताओं के लिए लचीलेपन की अुनमति देने और साथ ही, इन डेरिवेटिव बाज़ारों के बारे में कम जानकारी रखने वालों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरबीआई ने 26 जून 2019 में रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 जारी किए।

भारत में फिलहाल, वायदर दर करार(एफआरए), ब्याज दर स्वैप(आईआरएस) और यूरोपियन ब्याज दर ऑपशन (जिनमें कैप , प्लोर, कालर्स और रिवर्स कॉलर्स सहित), स्वैप्शनस और संरचित डेरिवेटिव उत्पाद जैसे ब्याज दर डेरिवेटिव की अनुमति दी गई है (इनमें लीवरेजड डेरिवेटिव शामिल नहीं हैं।)

भारतीय अथवा अनिवासी मूल कम्पनी अथवा कोई समूह कम्पनी अथवा केन्द्रीकृत ट्रेजरी अपनी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक इकाई अथवा समूह की कम्पनियों की तरफ से ब्याज दर डेरिवेटव में लेनदेन कर सकती है। हेडजिंग या अन्य प्रयोजनों से किए जाने वालों लेनदनों के लिए अनुमति प्रदान की गई है। रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव का लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्मों (ईटीपी) सहित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेन्जों, और ओवर-दि-काउन्टर (ओटीसी) बाजारों में किया जा सकता है।

विनिमय बाज़ारों को किसी भी मानकीकृत ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पाद का प्रस्ताव करने की अनुमति दी ई है। उत्पाद डिजाइन, पात्र सहभागी और ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पाद के अन्य विवरण को एक्सचेंजों द्वारा अंतिम रूप दिया दिया जाता है। कोई भी नया ब्याज दर डेरिवेटिव

उत्पाद आरंभ करने से पहले अथवा किसी विद्यमान उत्पाद में कोई संशोधन करने से पहले एक्सचेंजों को रिज़र्व बैंक पूर्वानुमति लेनी होगी।

ओवर दि काउन्टर बाजार में ब्याज दर डेरिवेटव में प्रयुक्त कोई भी परिवर्तनशील ब्याज दर अथवा कीमत अथवा सूचकांक इस प्रयोजन के लिए दी फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एन्ड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा अनुमोदित अथवा एफबीए द्वारा प्रकाशित बेंचमार्क ही रहेगा। एफआईएमएमडीए यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा अनुमोदित परिवर्तनशील दर का निर्धारण पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और सन्निकट संव्यवहार पर आधारित है। ब्याज दर डेरिवेटव संव्यवहारों का निपटान द्विपक्षीय रूप से अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित समाशोधन व्यवस्था द्वारा किया जाएगा। ओटीसी बाज़ारों में ब्याज दर डेरिवेटिव के बाज़ार-निर्माताओं को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'औचित्य और उपयुक्तता' संबंधी अपेक्षाओं का पालन करना होगा। ओटीसी लेनदेन में मार्केट मेकर्स ग्राहक के सौदों सहित सभी लेनदेन की रिपोर्ट भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) की ट्रेड डिपॉजिटरी को निर्धारित समयावधि के भीतर रिपोर्ट करेंगे, जिसमें स्पष्ट सूचित किया जाए कि संबंधित सौदा हेजिंग के लिए है अथवा किसी अन्य प्रयोजन से।

जब से भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार होना प्रारंभ हुआ, तब से लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के प्रतिभूति बाज़ार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्राथमिक निर्गम आधारित नीलामी की शुरुआत से प्राथमिक बाज़ार में बेहतर मूल्य निर्धारण एवं सहभागिता सुसाध्य हुई है। वर्ष 2006 में सरकारी प्रतिभूतियों में 'जब जारी'(डबल्यूआई) संव्यवहार के लिए इस उद्देश्य से अनुमति दी गई कि प्रत्येक निर्गम की वास्तविक वितरण अवधि में विस्तार हो ताकि वितरण प्रक्रिया आसान हो सके, जिससे बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों की अधिक बिक्री हो सके और नीलामी को लेकर होने वाली अनिश्चितता को कम करते हुए बिना किसी बाधा के कीमत निर्धारित करने में सहायता प्राप्त हो सके। पिछले कुछ वर्षों में बैंक ने नए लिखतों जैसे परिवर्तनशील बांण्ड, पूंजी सूचकांकित बांण्ड, मुद्रास्फीति सूचकांकित बांण्ड, एसटीआरपीएस(प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग) आदि की शुरुआत को सुसाध्य बनाया है। सरकारी प्रतिभूतियों के रिपो लेनदेन में चलनिधि बढ़ाने के लिए

रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफार्म, लेखांकन दिशानिर्देशों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संशोधन, री रिपो की शुरुआत आदि शामिल हैं।

फरवरी 2006 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेलिंग की शुरुआत की और पिछले कुछ वर्षों में बाज़ार गतिविधियों एवं बाज़ार प्रतिभागियों की मांग को ध्यान में रखते हुए उक्त लिखतों में कई सुधार किए हैं। सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में चलनिधि की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से और शार्ट स्कवीज समस्या से निपटने के लिए नवंबर 2017 में नोशनल शॉर्ट सेल की अनुमति दी गई जिससे बाज़ार प्रतिभागी रिपो बाज़ार में प्रतिभूतियां उधार लेने के लिए विवश नहीं होंगे। बाज़ार तनावों की असारधारण परिस्थितियों में जो संस्थाएं अनुमानित अधिविक्रय करती हैं, उन्हें अपनी परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) / बिक्री के लिए उपलब्ध(एएफएस / व्यापार के लिए धारित(एचएचटी) पोर्टफालियो में से प्रतिभूतियां सुपुर्द करने की अनुमति होगी।

सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार

सरकारी प्रतिभूति बाजार किसी भी वित्तीय प्रणाली का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें सरकार द्वारा जारी किए गए लेनदेन-योग्य लिखतों की खरीद-बेच का काम किया जाता है, ताकि सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस बाजार के प्राथमिक घटक के विकास से लोक ऋण के प्रबंधकों को, इससे जुड़े जोखिमों के बावजूद, कम लागत पर संसाधन जुटाने में सहायता मिलती है। सरकारी प्रतिभूति बाजार का स्पंदनशील गौण बाजार, खुले बाजार की क्रियाओं जैसे परोक्ष उपाय के जरिए, जिसके लिए सरकारी प्रतिभूतियां संपार्श्विक का काम करती हैं, मौद्रिक नीति के कारगर परिचालन में सहायक होता है। सरकारी प्रतिभूति बाजार को नियत आय वाली प्रतिभूतियों के बाजारों की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यह अन्य वित्तीय बाजारों के लिए बेंचमार्क आय तथा चलनिधि उपलब्ध करता है। विशेष रूप से, कंपनी ऋण बाजार के विकास के लिए कारगर प्रतिभूति बाजार को अनिवार्य जरूरत के रूप में देखा जाता है।

भारत में, केंद्र सरकार, ट्रेज़री बिल और बांड (या दिनांकित प्रतिभूतियां) दोनों जारी करती है, लेकिन राज्य सरकारें केवल बांड (या दिनांकित प्रतिभूतियां) ही जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण के नाम से जाना जाता है। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां लंबी अवधि की (1 वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाली) होती हैं और उन पर नियत या अस्थिर कूपन (ब्याज दर) अदा किया

जाता है, जो अंकित मूल्य पर नियत समयावधियों (सामान्यत: छमाही) में दिया जाता है। दिनांकित प्रतिभूतियों की मीयाद बहुत लंबी (भारत में 40 वर्ष तक,सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार) हो सकती है।

आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में अदा की जानेवाली विकासात्मक एवं विनियामकीय भूमिका नीचे दी गई हैं:

विकासात्मक भूमिका

भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से लेकर अब तक, भारिबैं ने सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नीलामी-आधारित प्राथमिक निर्गमों की सहायता से बेहतर मूल्य-प्राप्ति के साथ-साथ प्राथमिक बाजारों में सहभागियों की संख्या बढ़ाने तथा बाजार को गहन बनाने में सफलता हासिल हुई है। जी-सेक में "जब भी जारी हो" (व्हेन इश्यूड) ट्रेडिंग की अनुमति 2006 में दी गई ताकि प्रत्येक निर्गम के लिए वास्तविक संवितरण की अवधि को बढ़ाते हुए, जी-सेक की संवितरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके। इससे नीलामी के इर्द-गिर्द की अनिश्चितताओं को कम करते हुए मूल्य-निर्धारित करने और जी-सेक के बड़े निर्गमों को बिना किसी परेशानी के खपाने के लिए बाजार को अधिक समय मिल जाता है।

पिछले वर्षों में बैंकने अस्थिर दर वाले बॉण्ड, पूंजी सूचकांकित बॉण्ड, मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉण्ड, स्ट्रिप्स (प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग) आदि जैसी नई लिखतों की शुरुआत को सुसाध्य बनाया है। बैंक ने सरकारी प्रतिभूति में रिपो में चलनिधि को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफार्म की शुरुआत, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लेखांकन दिशानिर्देशों में संशोधन, री-रिपो की शुरुआत आदि शामिल हैं।

आरबीआई ने फरवरी 2006 में सरकारी प्रतिभूतियों में शार्ट सेलिंग शुरू की तथा बाज़ार की गतिविधियों और बाज़ार के सहभागियों की मांग को देखते हुए गत वर्षों में उक्त लिखित में काफी सुधार किया है।

ट्रेडिंग, रिपोर्टिंग, समाशोधन तथा बांड बाजार के लेनदेनों के निपटान के लि**ए** मूलभूत सुविधाओं को भी भारतीय बांड बाजार के विकास के साथ-साथ मजबूती प्रदान की गई है। इलेक्ट्रॉनिक रूप

से बोली लगाने तथा स्ट्रेट-थ्रू-प्रोसेसिंग क्षमता वाली अत्याधुनिक कारगर प्राथमिक निर्गम प्रक्रिया, भारिबैं की पूर्ण डिमेटयुक्त डिपोज़िटरी प्रणाली, निपटान का डेलिवरी बनाम भुगतान तरीका, तत्काल सकल भुगतान, इलेक्ट्रॉलिक ट्रेडिंग प्लैटफार्म (नेगोशिएटेड लेनदेन प्रणाली, ऑर्डर मेचिंग-(एनडीएस-ओएम), गारंटीकृत निपटान के लिए सिसिल में अलग सीसीपी आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो भारिबैं द्वारा पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए हैं। जहां तक बॉण्ड टर्नओवर अनुपात का प्रश्न है, वह कई विकसित देशों की स्थिति के साथ तुलनीय है। उक्त अनुपात बांड बाज़ार चलनिधि का एक माप है और यह बकाया बाण्डों की राशि की तुलना में द्वितीयक बाज़ार में ट्रेडिंग की सीमा को दर्शाता है। 'ऑन द रन' प्रतिभूतियों में बिड-ऑस्क स्प्रेड संकीर्ण होता है और इनमें तरलता अधिक होती है। सॉव्रिन प्रतिफल वक्र की अवधि अब 40 वर्ष तक की हो गई है, जोकि सुविकसित बेंचमार्क स्तर है।

एनडीएस-ओएम भारिबैं के स्वामित्व वाला और सिसिल द्वारा परिचालित एक अनामक (एनोनिमस) स्क्रीन आधारित ऑर्डर मेचिंग प्लेटफार्म है। इस प्रणाली के अंतर्गत गौण बाजार में, केंद्र सरकार की सभी प्रतिभूतियों, राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, विशेष प्रतिभूतियों और ट्रेज़री बिलों की खरीद-बेच की जा सकती है। सिस्टम में अनुमत सहभागी लॉग-ऑन कर सकते हैं और अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं / ऑर्डर-बुक में पहले से उपलब्ध दरों को स्वीकार कर सकते हैं। निपटान एसटीपी आधार पर होता है और सौदे की जानकारी सीधे सिसिल को चली जाती है, जो सीसीपी है। फिलहाल, एनडीएस-ओएम सिस्टम का सीधा ऐक्सेस, वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, बीमा कंपनियों, म्युचुअल फंडोंप आदि जैसी चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के लिए ही उपलब्ध है। अन्य सहभागी इस सिस्टम तक पहुंच अभिरक्षक, अर्थात् उस संस्था के माध्यम से पा सकते हैं जिसके पास उनका श्रेष्ठ (गिल्ट) प्रतिभूति खाता होता है। इस सिस्टम में सहभागियों के बीच पहचान को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है, क्योंकि लेनदेन से पहले या बाद में प्रतिपक्षी की कोई भी जानकारी किसी भी सहभागी को उपलब्ध नहीं होती। इससे उचित मूल्य को गड़बड़ाए बिना पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। इस सिस्टम के अनामक होने की वजह से, बाजार की भावनाओं और / या मूल्य-साम्य पर बिना कोई विपरीत प्रभाव डाले ऐसे बड़े सौदे किए जा सकते हैं, जो सामान्यत: द्विपक्षीय बाजार में ही किए जा सकते हैं।

एनडीएस-ओएम वेब सिस्टम इंटरनेट एक्सेस - आधारित यूटिलिटी है, जिसका उपयोग विभिन्न श्रेष्ठ प्रतिभूति खाताधारकों द्वारा एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुंच के लिए किया जाता है। यहां तक कि विदेशी संविभाग निवेशकों को भी उक्त मॉड्यूल के माध्यम से एनडीएस-ओएम तक सीधे पहुंच की अनुमति दी गई है। श्रेष्ठ प्रतिभूति खाताधारक एनडीएस-ओएम तक पहुंच रखते हुए उस पर लेनदेन कर सकते हैं, लेकिन ये उनके संबंधित अभिरक्षक (प्राथमिक सदस्य) द्वारा अनुमत सीमा में ही किए जा सकते हैं। इससे एनडीएस-ओएम पर सीधे लेनदेन हेतु सीमांत सहभागियों को अधिक परिचालनगत स्वतंत्रता प्राप्त होती है। निक्षेपागार (डिपोजिटरीज) में डिमेट खाता रखने वाले व्यक्तिगत निवेशकों को एनडीएस-ओएम पर सीधे ही लेनदेन की अनुमति दी गई है।

विनियामकीय भूमिका

संस्थागत विवेक तथा प्रणालीगत अनिवार्यताओं को देखते हुए, सरकारी प्रतिभूति बाजार के विनियमनों पिछले कुछ वर्षों में क्रमिक विकास हुआ है। अत्यधिक सॉव्रिन उधार एक्सपेक्टेशन चैनल के माध्यम से प्रतिफल वक्र को प्रभावित करते हैं। वित्तीय क्षेत्र पर सीधे तुलन पत्र मूलक प्रभाव छोड़ने के अलावा ब्याज दर अस्थि रता सॉव्रिन तुलन पत्र भी काफी प्रभाव डालते हैं, जिससे वित्तीय क्षेत्र के तुलन पत्र प्रभावित हो सकेंगे। बाज़ार के विभिन्न भागीदारों के क्रिया कलापों की वजह से ब्याज दरों में अस्थिरता होती है, अत: इसपर निगरानी रखना ज़रूरी हो जाता है। सरकारी प्रतिभूति बाज़ार को सुव्यस्थित बनाए रखने की दृष्टि से आरबीआई ने उक्त बाज़ार पर विनियम निर्धारित किए हैं। कुछ पहलू नीचे दिए गए हैं:

- *शार्ट सेलिंग :* शार्ट सेलिंग: शार्ट सेलिंग संबंधी विनियमन में पात्र सहभागियों, शार्ट सेल की सीमाएं, शार्ट सेल पोज़ीशन धारण करने की अधिकतम समय सीमा आदि बातें विनिर्दिष्ट की गई हैं। बाज़ार सहभागियों को ब्याज दर पर अपनी दो तरफा राय प्रस्तुत करने एवं उससे मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए फरवरी 2006 में सी-सेक बाज़ारों में शार्ट सेल की शुरुआत की गई। शार्ट सेल लेनदेनों के सुचारु निपटान, जोकि बाजार के व्यवस्थित संचालन के लिहाज़ से आवश्यक है, के लिए रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2017 में निम्नलिखित मदें विनिर्दिष्ट कीं:

I. शार्ट सेलर को नोशनल शार्ट सेल के लिए प्रतिभूतियां उधार लेने की आवश्यकता नहीं है जिसमें उस स्थिति में भी प्रतिभूति को उधार लेना अपेक्षित है जब वह प्रतिभूति बैंक

पोर्टफोलियो के अंतर्गत व्यापार के लिए धारित / बिक्री के लिए उपलब्ध / परिपक्वता के लिए धारित क्यों न हो; और (ii) विदेशी पार्टफोलियो निवेशकों द्वारा ओटीसी काउंटर के जी-सेक लेनदेनों का निपाटान टी+1 या टी+2 आधार पर संविदाबद्ध किया जाए। जुलाई 2018 में सहभागी आधार को उदारीकृत किया गया और जी-सेक में शार्ट सेलिंग की संस्थावार और प्रतिभूतिवार सीमाओं में छूट दी गई ताकि जी-सेक और रिपो बाज़ार के विकास को गति दी जा सके और गहन बनाया जा सके।

एफपीआई द्वारा निवेश: विदेशी संविभाग निवेशको को सरकारी प्रतिभूति बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान की गई है। 29 सितंबर 2015 को घोषित मौद्रिक नीति के अनुसरण में, सरकारी प्रतिभूति बाजार में विदेशी संविभाग निवेश की सीमाओं के लिए मध्यावधि संरचना की घोषणा की गई ताकि बेहतर पूर्वानुमान लगाए जा सकें। उक्त मध्यावधि संरचना के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संविभाग निवेशों की सीमा को चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जा रहा है। उक्त सीमा को अब भारतीय रुपये में (अमरीकी डालर के बजाय) दर्शाया जाता है, जिससे विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न जटिलताएं समाप्त हो गई हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश समय-समय पर आरबीआई द्वारा अधिसूचित समष्टि-विवेकपूर्ण और अन्य विनियामकीय निर्देशों के अधीन है।

बढ़ी हुई निवेश सीमाओं, पात्र लिखतों, टेनर और समयावधि प्रबंधन आदि को ध्यान में रखते हुए जून 2018 में एफपीआई कर्ज निवेशों से संबंधित विनियामकीय व्यवस्था की समीक्षा की गई।

कर्ज में एफपीआई निवेश की सीमा, बकाया स्टॉक से संबद्ध की गई और वर्ष 2019 -20 के लिए निम्नानुसार तय की गई: केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए 6 प्रतिशत, एसडीएल के लिए 2 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की सीमा कारपोरेट बांण्डों के लिए 9 प्रतिशत। कारपोरेट बांण्डों के विभिन्न उप वर्गों को समाप्त करते हुए और सभी प्रकार के कारपोरेट बांण्डों में एफपीआई निवेश के लिए एकल सीमा निर्धारित करके कारपोरेट बांडों के निवेशों को युक्तिसंगत किया गया। केंद्र सरकार की किसी प्रतिभूति में कुल एफपीआई निवेशों की उच्चतम सीमा, उस प्रतिभूति के बकाया स्टाक के 20 प्रतिशत से बढ़कार 30 प्रतिशत कर दी गई। कर्ज में अपेक्षित 3 वर्ष की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि को कुछ शर्तों के अधीन समाप्त किया गया। अन्य समष्टि विवेकपूर्ण उपाय किए गए जिनमें : प्रत्येक ऋण श्रेणी की कुल निवेश-सीमा के एक प्रतिशत के रूप में

एफपीआई निवेश के लिए संक्रेंदण सीमा, अल्पावधि निवेश सीमा एवं कारपोरट बांडों में एकल व समूह निवेशकर्ता-वार सीमा शामिल हैं। तत्पश्चात् इस व्यवस्था में आवधिक रूप से उत्तरोत्तर परिवर्तन किए गए।

एफपीआई को भारत में दीर्घावधिक कर्ज में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मई 2019 में वॉलेंटरी रिटेंशन रूट (वीआरआर) नामक एक अलग चैनल की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत लिखत विकल्पों के साथ ही विनियामकीय सीमाओं में छूट के संदर्भ में और अधिक परिचालनत लचीलापन उपलब्ध है।

अनिवासियों द्वारा भारत सरकार की विशिष्ट दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने मार्च 2020 में अनिवासियों के लिए निवेश के 'पूर्णत: ऐक्ससेबल रूट' (एफएआर) की शुरुआत की। पात्र निवेशक बिना किसी निवेश सीमा के विशिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। यह योजना मौजूदा दो माध्यमों, नामत: मध्यम अवधि ढांचा (एमटीएफ) और वॉलेंटरी रिटेंशन रूट (वीआरआर) पर परिचालनरत होगी।

जब जारी संव्यवहार : राजवित्तीय उत्त्रदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम), 2003 को ध्यान में रखते हुए कर्ज निर्गम ढांचे की पुनर्संरचना के अंग के रूप में तथा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर आंतरिक तकनीकी समूह की सिफारिशों के आधार पर मई 2006 में एनडीएस प्लैटफार्म पर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में 'जब जारी' बाज़ारों की शुरुआत की गई।

वेन इश्यूड बाज़ार से प्रत्येक निर्गम की वास्तविक वितरण अवधि में विस्तार हो ताकि वितरण प्रक्रिया आसान हुई है, जिससे बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों की अधिक बिक्री होती है और नीलामी को लेकर होने वाली अनिश्चितता को कम करते हुए बिना किसी बाधा के कीमत निर्धारित करने में सहायता प्राप्त हो सके। बाद में जब जारी दिशानिर्देशों में विस्तार करते हुए उनके अंतर्गत गैर-एनडीएस संव्यवहारों को शामिल किया गया और पात्र सहभागियों का दायरा बढ़ाया गया तथा विभिन्न वर्गों के सहभागियों के लिए शार्ट व लॉन्ग पोजिशनों की सीमा बढ़ाई गई ताकि इस खंड के संव्यवहारों में बढ़ोतरी हो सके।

जी-सेक बाज़ार को और अधिक गहन बनाने के उद्देश्य से जुलाई 2018 में 'जब जारी' संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई ताकि पात्र सहभागियों के आधार को उदारीकृत और पोजिशन लेने संबंधी संस्था-वार सीमाओं में छूट दी जा सके।

प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) : स्ट्रिपिंग / पुनर्गठन के लिए पात्र प्रतिभूतियां, स्ट्रिपिंग / पुनर्गठन के लिए प्रस्तुत किए जाने हेतु आवश्यक प्रतिभूतियों की न्यूनतम राशि , स्ट्रिपस के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाने वली बट्टों दरें आदि आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं।

रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में 'प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग' (स्ट्रिप्स) अप्रैल 2010 में आरंभ की थी। स्ट्रिपिंग / पुनर्गठन के लिए पात्र प्रतिभूतियों , स्ट्रिपिंग / पुनर्गठन के लिए जमा की जाने वाली न्यूनतम प्रतिभूतियों, स्ट्रिपस के मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाने वाली कटौती दरों आदि के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किया गया। शुरुआत में इस उत्पाद के प्रति जो रुचि दिखाई गई, बाद में जाकर वह बहुत कम गई। प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) को बाजार आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य करने और निवेशकों की विविध जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से मौजूदा दिशानिर्देशों को अप्रैल 2018 में संशोधित किया गया जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी सभी नियत कूपन प्रतिभूतियां स्ट्रिपिंग / पुनर्गठन के लिए पात्र हैं, चाहे परिपक्वता वर्ष कुछ भी हो, बशर्ते ये प्रतिभूतियां सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए योग्य निवेश के रूप में गिनी जाती हों और प्रतिभूतियां अंतरणीय हों।

कंपनी बांड बाजार

एक सुविकसित कंपनी बांड बाजार, वास्तविक क्षेत्र की दीर्घकालिक निवेश आवश्यकताओं के लिए वित्त के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने में, बैंकिंग प्रणाली के पूरक का काम करता है। सक्रिय कंपनी बांड बाजार बीमा कंपनियों और भविष्य-निधि तथा पेंशन निधियों जैसे संस्थागत निवेशकों को अच्छी गुणवत्ता वाली दीर्घकालीन वित्तीय आस्तियां भी उपलब्ध कराता है और उन्हें अपनी आस्तियों और देयताओं के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। हाल के वर्षों में, प्राथमिक और गौण दोनों कंपनी बांड बाजारों में काफी वृद्धि हुई है, हालांकि यह अपने वैश्विक समकक्ष बाजारों

के मुकाबले अभी भी पीछे है। भारत में, कई विशेषज्ञ समितियों ने कंपनी बांड बाजारों के विकास का गहन अध्ययन किया है और उपयोगी सुझाव दिए हैं। इनमें, कंपनी बांड और प्रतिभूतिकरण पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (आर.एच. पाटिल समिति) की रिपोर्ट, 2005 में, मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाने पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (पर्सी मिस्त्री समिति) की रिपोर्ट, 2007 में, सौ छोटे कदम (वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर डा. रघुराम राजन समिति) की रिपोर्ट, 2009 में, लंदन शहर, तथा भारिबैं कार्यदल रिपोर्ट (अध्यक्ष: श्री एच.आर. खान) 2016 में, आदि शामिल हैं। उक्त विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, भारिबैं तथा सेबी ने भारत में कंपनी बांड बाजार के विकास के संबंध में कई कदम उठाए हैं।

भारिबैं कंपनी बांड बाजार के केवल कुछ पहलुओं का ही विनियमन करता है, जनमें कंपनी बांड बाजार में बैंकों और भारिबैं द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं की सहभागिता, कंपनी बांड बाजार में विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा निवेश, कंपनी बांडों में रिपो और ऋण डेरिवेटिव शामिल हैं। भारिबैं द्वारा कंपनी बांड बाजार के संबंध में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर यहां नीचे चर्चा की जा रही है:

विकासात्मक भूमिका

(i) *सहभागिता बढ़ाना* **:** भारिबैं ने, मूलभूत सुविधाओं वाले विभिन्न उप-क्षेत्रों और सस्ते मकान उपलब्ध करने वाली परियोजनाओं की दीर्घकालिक ऋण की जरूरतें पूरी करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु बैंकों को न्यूनतम सात वर्ष की परिपक्वता वाले दीर्घावधि बांड जारी करने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही, इन बांडों के जरिए जुटाई गई निधियों पर सीआरआर / एसएलआर अपेक्षाओं से छूट भी प्रदान की गई है। बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को शेयर बाजारों में कंपनी बांडों का लेनदेन करने के लिए सदस्य बनने की अनुमति भी प्रदान की गई है। उनके लिए निवेश मानदंडों में भी ढील दी गई है ताकि वे कंपनी बांडों में निवेश कर सकें। विदेशी संविभाग निवेशकों को बढ़ी हुई निवेश सीमा तथा सीमा आबंटन की सरलीकृत विधि के साथ गौण बाजार में अधिक पहुंच उपलब्ध कराई गई है।

(ii) *बाजार की चलनिधि में वृद्धि* : कंपनी बांडों में रिपो इसलिए लागू किया गया था कि संस्थागत क्रेताओं को उनकी अधिक्रय स्थिति के लिए निधियां उपलब्ध हो सकें। कंपनी बांड बाजार में बाजार-निर्माता के रूप में अधिकृत दलालों को कंपनी बांड रिपो में भाग लेने की अनुमति दी

गई है। बांड बाजार के रास्ते बड़े ऋणकर्ताओं को ऋण की आपूर्ति बढ़ाने संबंधी भारिबैं के दिशानिर्देशों में उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वे बाजार में चलनिधि बढ़ाएंगे।

(iii) *बाजार की मूलभूत संरचना* : निपटान हेतु सुपुर्दगी बनाम भुगतान का तरीका ओटीसी कंपनी बांड लेनदेनों के लिए लागू किया गया था, ताकि निपटान संबंधी जोखिम को समाप्त किया जा सके। भारिबैं ने बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों तथा अपने द्वारा अन्य विनियमित संस्थाओं को ये निदेश दिए हैं कि वे बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से कंपनी बांड के लेनदेनों की सूचना रिपोर्टिंग प्लेटफार्मों को अविलंब दें।

(iv) *जोखिम प्रबंधन* : आरबीआई ने क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप को दिसंबर 2011 में इस प्रयोजन से लागू किया है कि कंपनी बांड-धारकों को ऋण जोखिम से बचाव का साधन मिल सके। बैंकों को, कुछ सीमाओं के साथ, कंपनी बांडों पर आंशिक ऋण वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी।

विनियामक भूमिका

कंपनी बांडों में रिपो : भारिबैं ने कंपनी बांडों में रिपो लेनदेन के लिए पात्र प्रतिभूतियों के लिए मार्जिन (हेयरकट) लगाने तथा उनके मूल्यांकन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं।

क्रेडिट डेरिवेटिव : ऐसे सूचीबद्ध कारपोरेट बांडों, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाण पत्रों और अपरिवर्तनीय डिबेंचरों पर सीडीएस की अनुमति रेफरंस ऑब्लिगेशन के रूप में दी गई है, जिनका निर्गम निवासी संस्थाओं द्वारा किया गया है और जिनकी मूल परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम है। तथापि, गैर सूचीबद्ध, किंतु रेटिंग प्राप्त बांण्डों पर भी सीडीएस राइट-ऑन किया जा सकता है। इसके अलावा, मूलभूत सुविधा कंपनियों द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा जारी किए गए गैर-सूचीबद्ध / गैर-साख -श्रेणीबद्ध (अनरेटेड) बांड भी संदर्भ दायित्व के लिए पात्र हैं। बाजार-निर्माता की भूमिका ऐसे बैंकों, एकल प्राथमिक व्यापारियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तक ही सीमित रखी गई है, जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो और जिनका ऋण सुविधाएं प्रदान करने का पिछला रिकॉर्ड अच्छा हो। इनके अलावा, ऐसी अन्य संस्थाओं को भी इनमें शामिल किया जाएगा, जिन्हें इस हेतु भारिबैं ने विशेष रूप से अनुमति दी हो। बीमा कंपनियों और म्युच्युअल फंडों को बाजार-निर्माता की भूमिका निभाने की अनुमति उनके संबंधित विनियामक प्राधिकारियों से इसकी अनुमति मिलते ही दे दी जाएगी। उपयोगकर्ता द्वारा क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप की खरीद अंतर्निहित एक्सपोजर के बिना नहीं की जा सकती।

बैंकों द्वारा ऋण विस्तार : बैंकों को, किसी परियोजना के लिए आंशिक ऋण विस्तार की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसा ऋण विस्तार अटल आकस्मिक ऋण-व्यवस्था के रूप में गैर-निधिक गौण सुविधा के तौर पर किया जा सकता है, जिसका उपयोग बांडों का ऋण चुकाने के लिए नकदी की होने पर किया जा सकता है और इस प्रकार बांड निर्गम की क्रेडिट रेटिंग को सुधारा जा सकता है। पीसीई बांड निर्गम की क्रेडिट रेटिंग में सुधार लाता है। आरबीआई ने वैयक्तिक बैंकों के लिए पीसीई की सीमा के साथ ही किसी विशिष्ट बांड निर्गमकेलिए सभी बैंकों के लिए सकल पीसीई की सीमा भी निर्धारित की है।

विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा निवेश : कंपनी बांडों में विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा निवेश के लिए भारिबैं सीमाएं निर्धारित करता है। जैसाकि इसके पहले चर्चा की गई है, रुपया कर्ज प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश से संबंधित एमटीएफ के अंतर्गत कंपनी बांडों में एफपीआई निवेश सीमा शामिल होती है।

वित्तीय बाज़ारों के लिए अन्य विनियमन

- मार्केट अब्यूस विनियमन : उत्तम वैश्विक प्रथाओं की तर्ज पर निष्पक्ष, खुला और पारदर्शी बाज़ार स्थापित करने के उद्देश्य से उच्च नैतिक मानकों को शामिल करते हुए मार्च 2019 को उक्त विनियमन का प्रारंभ किया गया। इन विनियमनों के दायरे में बाज़ार हेरफेर, बेंचमार्क धोखाधडी, सूचना का दुरुपयोग या अन्य कोई समान प्रथा शामिल है।
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफार्म के लिए प्राधिकरण (ईटीपी) : आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय बाज़ार लिखतों में पारदर्शिता बढ़ाने, लेनदेन समय और लागत कम करने, बेहतर ऑडिट ट्रेल , जोखिम और मार्केट निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से एवं इनके लिए ढांचे स्थापित करने के लिए आरबीआई ने अक्तूबर 2018 में ईटीपी निदेशों को अधिकृत करना शुरू किया। इसमें विस्तृत पात्रता मानदंड, तकीनीकी अपेक्षाएं और रिपोर्टिंग मानक भी शामिल हैं। इस ढांचे के अंतर्गत वर्तमान ईटीपी के साथ सभी नए ईटीपी के लिए रिज़र्व बैंक से प्राधिकरण प्राप्त करना अपेक्षित है।

- **विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई):**

  विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) कूट वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा प्रणाली की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार करने का मुख्य उपाय माना जाता है। एलईआई विश्व भर में वित्तीय लेनदेन करने वाले पक्षों की पहचान करने वाला 20-अंक का अनोखा कूट है। ओटीसी डेरिवेटिव बाज़ार के गैर-व्यक्ति प्रतिभागियों के लिए रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव और क्रेडिट डेरिवेटिव हेतु एलईआई का कार्यान्वयन 01 जून 2017 में चरणबद्ध तरीके से किया गया है। नवंबर 2018 में उक्त एलईआई प्रणाली के दायरे को गैर व्यक्तियों, जिनमें निवासी संस्थाओं सहित, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित मुद्रा, जी-सेक और फॉरेक्स बाजारों को शामिल करते हुए बढ़ाया गया। इसके सुचारु कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध तरीका अपनाया गया।

- वित्तीय बेंचमार्क नियंत्रण : भारत में वित्तीय बेंचमार्क को नियंत्रित करने वाली प्रणालियों की समीक्षा करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2014 में वित्तीय बेंचमार्क पर गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर बेंचमार्क प्रशासक के रूप में भारतीय रुपया ब्याज दर बेंचमार्क और विदेशी मुद्रा बेंचमार्क को क्रमश: भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) और भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) के लिए चिह्नित किया गया और उक्त ढांचे के अभिशासन को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए गए। बाद में एफआईएमएमडीए, एफईडीएआई और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय वित्तय बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड का प्रवर्तन किया गया और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 02 जुलाई 2015 में स्वतंत्र बेंचकमार्क प्रशासक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बेंचमार्क प्रक्रियाओं के अभिशासन में सुधार लाने, बेंचमार्क नियंत्रण में पारदर्शिता लाने और बेंचमार्क के दुरुपयोगों से बचने के लिए रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 जून 2019 को विनियामक ढांचे पर वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश,2019 जारी किए। रिज़र्व बैंक ने 01 जनवरी 2020 को वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा नियंत्रित निम्नलिखित बेंचमार्कों को महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में अधिसूचित किया है:

  I. एक दिवसीय मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (माइबोर)
  II. मुंबई अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा प्रस्तावित दर (माइफॉर)
  III. यूएसडी / आईएनआर संदर्भ दर

IV. ट्रेशरी बिल दर

V. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

VI. राज्य विकास ऋण का मूल्यांकन (एसडीएल)

VII. मार्केट रेपो एकदिवसीय दर (एमआरओआर)

VIII. यूएसडीआईएनआर ऑप्शन वोलेटिलिटि

विदेशी मुद्रा बाजार

भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को, पिछले कई दशकों में भारत की विनिमय दर संबंधी नीतियों में परिवर्तन के साथ-साथ, देखा जाना चाहिए, जो सममूल्य से बॉस्केट आधारित मूल्य पर और फिर प्रबंधित अस्थिर विनिमय दर प्रणाली तक पहुंची है। वर्ष 1947 से 1971 के दौरान भारत ने विनिमय दर के सम-मूल्य की नीति अपनाई थी। प्रारंभ में, रुपये का बाह्य मूल्य 4.15 ग्रेन शुद्ध स्वर्ण पर निर्धारित था। भारिबैं द्वारा पौंड-स्टर्लिंग को हस्तक्षेप की करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए, भारतीय रुपये का सममूल्य 1 प्रतिशत की कमी / वृद्धि की अनुमत सीमा में, बनाए रखा जाता था। चूंकि स्टर्लिंग-डालर विनिमय दर को यूएस के मौद्रिक प्राधिकारी द्वारा स्थिर रखा जाता था, अत: स्वर्ण के रूप में रुपये, डालर और अन्य करेंसियों की विनिमय दरें भी परोक्ष रूप से स्थिर बनी रहती थीं। सितंबर 1949 और जून 1966 में स्वर्ण के रूप में रुपये के अवमूल्यन की वजह से भारतीय रुपये का स्वर्ण के रूप में सममूल्य घट कर क्रमश: 2.88 तथा 1.83 ग्रेन शुद्ध स्वर्ण हो गया। वर्ष 1971 में ब्रेटनवुड्स प्रणाली के धराशायी होने के साथ भारतीय रुपये को दिसंबर 1971 में पौंड स्टर्लिंग से संबद्ध कर दिया गया। चूंकि 1971 के स्मिथसोनियम करार के अंतर्गत स्टर्लिंग को यूएस डालर के रूप में नियत किया गया, अत: रुपया भी डालर के मुकाबले स्थिर बना रहा। एक करेंसी से संबद्धता की वजह से होने वाली कमजोरियों को देखते हुए और विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से रुपये को सितंबर 1975 में विविध मुद्रा समूह (बॉस्केट ऑफ करेंसीज़) से संबद्ध किया गया। करेंसी के चयन और भार देने का काम भारिबैं के विवेक पर छोड़ दिया गया।

भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का उद्भव 1978 में हुआ जब भारत में कार्यरत बैंकों को विदेशी मुद्रा में एक-दिवसीय लेनदन करने की अनुमति दी गई। उक्त अवधि के दौरान रुपये की विनिमय दर भारत के प्रमुख व्यावसायिक भागीदारों की करेंसियों की भारित बॉस्केट के रूप में भारिबैं द्वारा

आधिकारिक रूप से तय की जाती थी और प्राधिकृत व्यापारियों के व्यापारिक लेनदेनों के लिए क्रय-विक्रय की दरें भारिबैं द्वारा प्रतिदिन घोषित की जाती थीं। क्रय और विक्रय दरों के बीच 0.5 प्रतिशत का अंतर होता था और इस दायरे में बाजार सक्रिय रूप से लेनदेन करते थे।

लेकिन, नब्बे के दशक में भारत में करेंसी प्रणाली में परिवर्तन के साथ-साथ भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में भी दूरगामी परिवर्तन देखे गए। जुलाई 1991 में विनिमय दर में दो चरणीय समायोजन से अधिकीलित विनिमय दर प्रणाली खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। वर्ष 1990-91 के खाड़ी के संकट के बाद, भुगतान संतुलन पर उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष : डा. सी रंगराजन) की रिपोर्ट में बाह्य क्षेत्र में सुधारों के लिए स्थूल संरचना प्रस्तुत की गई। उक्त समिति की इस सिफारिश के अनुसरण में कि बाजार-आधारित विनिमय दर की ओर बढ़ा जाए, प्रारंभिक रूप से मार्च 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली लागू की गई, जिसमें दोहरी विनिमय दर प्रणाली शामिल थी। इस प्रणाली के अंतर्गत, चालू खाता लेनदेनों पर विदेशी मुद्रा में प्राप्त सभी राशियों (निर्यात, विप्रेषण आदि) को पूरी तरह प्राधिकृत व्यापारियों को दे दिया जाना था। इन लेनदेनों से प्राप्त राशियों के 60 प्रतिशत भाग के परिवर्तन के लिए जिस विनिमय दर का प्रयोग किया जाना था, वह प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा प्रस्तावित बाजार दर होती थी और शेष 40 प्रतिशत राशियों का परिवर्तन भारिबैं की आधिकारिक दरों पर किया जाना होता था। प्राधिकृत व्यापारियों को भी विदेशी करेंसियों की अपनी खरीद का 40 प्रतिशत भाग भारिबैं के पास जमा कराना होता था। वे अनुमत लेनदेनों को स्वतंत्र बाजार में बेचने के लिए विदेशी मुद्रा के शेष 60 प्रतिशत भाग को अपने पास रख सकते थे।

उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली अनिवार्यत: अस्थायी व्यवस्था थी। दिसंबर 1992 की शुरूआत में आधिकारिक विनिमय दर में कमी करते हुए समायोजन किया गया और अंतत: 1 मार्च 1993 से दोहरी विनिमय दर प्रणाली को पूरी तरह अपना लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में प्राप्त सभी राशियों को बाजार-निर्धारित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जा सकता था। विनिमय दर के एकीकरण से ही रुपये की बाजार-आधारित दर का निर्धारण संभव हो सका। यह कदम चालू खाते की परिवर्तनीयता की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। चालू खाते की परिवर्तनीयता को अगस्त 1994 में प्राप्त कर लिया गया।

भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को और गति (श्री ओ.पी सोढ़ानी की अध्यक्षता में), भारत में विदेशी मुद्रा बाजार पर विशेषज्ञ समूह के गठन से मिली, जिसने अपनी रिपोर्ट जून 1995 में प्रस्तुत की। इस समूह ने भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार को गहनता और व्यापकता प्रदान करने की दृष्टि से कई सिफारिशें कीं, जो बैंकों की जोखिम वहन करने की क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ समस्त चालू खाता लेनदेनों में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के बाद विदेशी मुद्रा में लेनदेनों की बढ़ती मात्रा के संदर्भ में जरूरी थीं। परिणामस्वरूप, जनवरी 1996 से भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापक सुधार लाए गए। लगभग एक दशक के बाद, विदेशी मुद्रा बाजार पर आंतरिक तकनीकी दल का गठन किया गया (2005) जिसे भारिबैं द्वारा उठाए गए कदमों की व्यापक समीक्षा करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने का काम सौंपा गया जिन्हें और उदारीकृत किया जा सकता था या मध्यावधि संरचना के अंतर्गत प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती थी। महत्वपूर्ण सिफारिशों, जैसे किसी भी मीयाद की वायदा संविदाओं को रद्द करने या फिर से बुक करने की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय जिंस एक्सचेंजों / बाजारों में जिंसों के मूल्यों संबंधी अपने जोखिमों के बचाव की व्यवस्था करने के लिए कंपनियों को अनुमति देने की शक्तियां प्राधिकृत व्यापारियों को सौंपने तथा अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा बाजार के ट्रेडिंग समय में वृद्धि करने, को कार्यान्वित भी किया जा चुका है।

पिछले दो दशकों में भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसका औसत दैनिक व्यापारावर्त जो वर्ष 2000 में 6 बिलियन अमरीकी डालर का था, हाल में बढ़कर 60 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया है। भारिबैं ने कई विनियामक कदम उठाए हैं, जिनसे भारतीय विदेशी मुद्रा का सुव्यवस्थित विकास होने में मदद मिली है।

ऑफशोर भारतीय रुपया (आईएनआर) डेरिवेटिव बाज़ार ने कालांतर में काफी तेजी से वृद्धि की है। इस बाज़ार का प्रबल खंड नॉन डेलिवेरबल वायदा (एनडीएफ) बाज़ार है - जिसमें ऑफशोर स्थलों, आमतौर पर सिंगापुर, हांककांग, लंदन, दुबई और न्यूयार्क जैसे अंतरराष्ट्र वित्त केंद्र, पर ओटीसी बाज़ार में विदेशी मुद्रा वायदा कान्ट्राक्टों का संव्यवहार किया जाता है। शिकागो, सिंगापुर और दुबई में रुपया फ्यूचर्स और ऑप्शनस में संव्यवहार करने वाले कतिपय एक्सचेंज ट्रेडेड ऑफशोर रुपया बाज़ार है। जहां तक इन बाज़ारों में मात्राओं का सवाल है, ऑफशोर एनडीएफ ओटीसी बाज़ार की तुलना में अक्सर ये काफी कम रहती हैं।

विद्रेशी मुद्रा बाज़ार के संबंध में आरबीआई की विकासात्मक और विनियामकीय भूमिकाएं निम्नानुसार है:

विकासात्मक भूमिका

संस्थागत संरचना : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 लाने के साथ ही भारिबैं ने कई प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने की शक्तियां प्राधिकृत व्यापारियों को सौंप दीं। भारिबैं ने बाजार की प्रतिनिधिक संस्था विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ को और अधिक प्राधिकार तथा जिम्मेदारी देते हुए, बाजार के सहभागियों के आचरण में नैतिकता लाने के लिए स्व-विनियमन लागू करने और विदेशी मुद्रा बाजार के विविध खंडों के विकास का काम सौंपा।

विविध मुद्रा समूहों को बढ़ाना: भारिबैं ने विभिन्न आर्थिक एजेंटों द्वारा करेंसी जोखिम से बचाव की कारगर व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई विविध लिखत लागू *करने में सहायता प्रदान की है।* समय-समय पर, विदेशी मुद्रा रुपया विकल्प, प्रति करेंसी विकल्प, विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप, प्रति करेंसी स्वैप, ब्याज दर स्वैप तथा विदेशी करेंसियों में विकल्प लागू किए गए। 2008 से, ओटीसी बॉस्केट के पूरक के रूप में एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स तथा विकल्प चरणबद्ध रूप से लागू किए गए। वर्तमान में, भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में निम्नलिखित लिखत उपलब्ध हैं -

- स्पॉट, कैश और टॉम
- वायदा
- *विदेशी मुद्रा (एफएक्स) स्वैप*
- *करेंसी स्वैप*
- *विदेशी मुद्रा (एफएक्स) विकल्प (इसमें लागत में कमी वाली संरचना तथा बचाव व्यवस्था वाले क्रय और विक्रय विकल्प शामिल हैं)।*
- *एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स तथा विकल्प*

बाजार की मूलभूत संरचना : सोढ़ानी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में भारिबैं ने 2001 में भारतीय समाशोधन निगम (सिसिल) की स्थापना की थी ताकि भारतीय वित्तीय बाजारों में निपटान के जोखिम को कम किया जा सके। सिसिल ने विदेशी मुद्रा परिचालनों के निपटान के लिए, अंतर-

बैंक अमरीकी डालर - भारतीय रुपये में हाजिर और वायदा लेनदेन 8 नवंबर 2008 से और अंतर-बैंक अमरीकी डालर - भारतीय रुपया नकद और टॉम लेनदेन 5 फरवरी 2004 से शुरू किए। सिसिल नवीयन की प्रक्रिया के माध्यम से बहुपक्षीय निर्धारण (नेटिंग) के आधार पर विदेशी मुद्रा के निपटान का काम करता है और समस्त हाजिर, नकद, टॉम तथा वायदा लेनेदेनों के निपटान की गारंटी लेनदेन की तारीख से देता है।

खुदरा सहभागियों के लिए विदेशी मुद्रा संव्यवहार प्लैटफार्म : विदेशी मुद्रा बाज़ार में खुदरा उपयोगकर्ताओं (व्यक्तियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के लिए पारदर्शी और उचित कीमत निर्धारण के मुद्दे से निपटने के लिए आरबीआई ने 20 जून 2019 को भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा एफएक्स-रिटेल शुरू करने की अनुमति दी थी। एफएक्स-रिटेल प्लैटफार्म पर बैंकों के ग्राहकों के लिए यूएसडी/ आईएनआर मुद्रा युग्ल में अनामित और आर्डर चालित लेनदेन की सुविधा उपलब्ध है। इस व्यवस्था से पारदर्शिता मिलती है, साथ ही प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और उसके परिणामस्वरूप खुदरा ग्राहकों के लिए बेहतर ढंग से कीमत निर्धारण हो पाता है। बैंक प्रशासनिक व्यय के तौर पर अपने खुदरा ग्राहकों से एक पूर्व-निर्धारित एक समान शुल्क प्रभारित कर सकते हैं, जिसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए। समग्र रूप से इससे विदेशी मुद्रा बाज़ार में खुदरा ग्राहकों को लगने वाली कुल लागत में कमी आने की प्रत्याशा की जाती है। बैंकों द्वारा कीमत-निर्धारण की स्थिति न रहने के कारण बाज़ार में खुदरा ग्राहकों को सीधा ऐक्सेस सुसाध्य हो गया है जिससे वेयरहाउसिंग लेनदेनों में बैंकों द्वारा सामना किए जा रहे जोखिम में कमी आने की संभावना है।

विनियामकीय भूमिका

विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखना : विनिमय दर एक प्रमुख समष्टि-आर्थिक परिवर्ती (वेरिएबिल) है। यह किसी देश के भुगतान-संतुलन को आकार देता है और शेष विश्व के साथ संबद्ध रहता है। यह अन्य कारकों के साथ मिलकर किसी देश की निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को तथा आय और रोजगार को उस सीमा तक प्रभावित करता है, जिस सीमा तक निर्यात क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह आयात की लागत निर्धारित करता है और वह सीमा तय करता है जिस सीमा तक निवेश और संवृद्धि के लिए विभिन्न मदों का आयात किया जा सकता है और मंदी के कारक की भूमिका भी निभाता है। व्यापारयोग्य क्षेत्र द्वारा उपलब्ध की गई

सहलग्नता के माध्यम से यह मूल्य स्तर को भी प्रभावित करता है। विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव, अंतर्राष्ट्रीय निवेश संविभागों, अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधियों, ऋण भुगतानों के करेंसी मूल्यों तथा पर्यटकों की लागत को भी उनकी करेंसी के मूल्य के रूप में प्रभावित करते हैं। इस प्रकार, विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था के व्यापार चक्र, ट्रेड और पूंजी प्रवाहों को काफी प्रभावित करते हैं। वर्ष 1993 में बाजार-आधारित विनिमय दर प्रणाली लागू होने के बाद से अन्य करेंसियों के मुकाबले रुपये की विनिमय दर सामान्यत: बाजार की मांग-पूर्ति की स्थिति से तय होती है। भारिबैं समय-समय पर इस उद्देश्य के साथ हस्तक्षेप करता है कि बहुत अधिक अस्थिरता को रोका जा सके और बाजार में व्यवस्था बनाए रखी जा सके। भारिबैं बैंकों के एक पैनल के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार के विभिन्न खंडों (हाजिर, वायदा, फ्यूचर्स) में हस्तक्षेप करता है।

ओटीसी डेरिवेटिव बाजार तक पहुंच : ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव तक पहुंच, संभावित एक्सपोज़रों की बचाव व्यवस्था तथा लघु और मध्यम उद्योगों, व्यक्तियों तथा फर्मों के लिए विशेष संवितरण प्रस्तावों को छोड़कर, अंतर्निहित एक्सपोज़र के प्रमाण के तौर पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही होती रही है। इस विनियमन का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि कंपनी ग्राहक ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव का प्रयोग लिखतों का लेनदेन करने के लिए न कर सकें और इसका उपयोग उनके विनिमय दर जोखिमों से बचाव के लिए ही किया जा सके। विनिमयदर एक महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक परिवर्ती होती है, अत: उसमें अविनियमित ट्रेडिंग से समष्टि -आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

लेकिन, भारिबैं ने हाल ही में दस्तावेज प्रस्तुत करने से संबंधित अपेक्षाओं को सरल बानाने के लिए कई कदम उठाएं हैं, ताकि विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव तक पहुंच आसान हो सके। वाणिज्यिक वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापार के पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर संभावित एक्सपोजर के बचाव की सुविधा ने संविदागत एक्सपोजर के समर्थन में अंतर्निहित दस्तावेज न होने की स्थिति में बचाव व्यवस्था को लचीलापन प्रदान किया है। निवासियों और अनिवासियों के लिए सरलीकृत बचाव व्यवस्था सुविधा प्रदान की गई है और बचाव संविदा बुक करने की क्रियाविधि को सरल बनाया गया है ताकि करेंसी जोखिम के लिए गतिशील बचाव व्यवस्था उपलब्ध हो सके। अप्रैल 2020 में आरबीआई ने विदेशी विनिमय जोखिम की बचावी व्यवस्था पर निदेश जारी किए जिनके अनुसार निवासियों और अनिवासियों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का विलय करके सभी

उपयोगकर्ताओं के लिए एकीककृत संयुक्त सुविधा बना दी गई। इस निदेश के अंतर्गत संविदागत और प्रत्याशित एक्सपोजरों दानों की हेजिंग तथा मुक्त रूप से संविदाओं को रद्द करने और रीबुकिंग करने की अनुमति दी गई है। उपयोगकर्ता को वैध एक्सपोज़रों को किसी उपलब्ध लिखत द्वारा हेज करने की अनुमति दी गई। विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव प्रदान करने के लिए प्राधिकृत व्यापारियों के लिए सकरलीकृत प्रक्रियाएं शुरू की गईं। रिज़र्व बैंक ने उपयोगकर्ताओं को, अंतर्निहित एक्सपोजर को स्थापित किए बिना 10 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के करेंसी डेरिवेटिव लेनदेन ओटीसी (ओवर दी काउंटर) बाज़ार में करने की अनुमति दी है। बैंकों के लिए यह प्रावधान है कि वे अपवाद की स्थितियों में अपने विवेक से प्रत्याशित एक्सपोज़र के आधार पर बुक किए गए हेज लेनदेनों पर निवल लाभ को शामिल कर सकते हैं। इसके आलवा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जटिल डेरिवेटिव केवल ऐसे उपयोगकर्ताओं को बेची जाए जो अपने जोखिमों को संभालने में सक्षम हों, सुरक्षा उपायों की शरुआत की गई।

एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव : करेंसी फ्यूचर बाजार के विभिन्न संवर्ग के सहभागियों के लिए पोज़ीशन संबंधी सीमाएं सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार तय की जाती हैं। रिज़र्व बैंक ने एडी वर्ग-। के बैंकों को अपनी स्वयं के खाते पर और उसके साथ ही अपने ग्राहकों की ओर से मान्यताप्राप्त शेयरबाज़ारों के मुद्रा डेरिवेटिव बाजार में ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्यों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है, बशर्ते वे विवेकपूर्ण अपेक्षाएं पूरी करते हों। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव में लेनदेन, समय-समय पर सेबी द्वरा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न मार्जिन बनाए रखने की शर्त पर ही किए जा सकते हैं। वर्तमान में भारत में निवासी व्यक्तियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को प्रत्येक विनिमय में 15 मिलियन अमरीकी डॉलर तक यूएस डॉलर-भारतीय रुपये में लॉंग (क्रय) या शॉर्ट (विक्रीत) पोजिशन लेने की अनुमति अंतर्निहित एक्सपोज़र की विद्यमानता स्थापित किए बिना ही प्रदान की गई है। इसके अलावा, भारतीय निवासियों एवं एफपीआई को अंतर्निहित एक्सपोजर के बिना ईयूआर-आईएनआर, जीबीपी-आईएनआर एवं जेपीवाई-आईएनआर जोड़ों, सभी को मिलाकर, में प्रति विनिमय यूएसडी 5 मिलियन तक के अधिक्रय या अधिविक्रय की अनुमति है।

फरवरी 2018 में निवासी व्यक्तियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अंतर्निहित जोखिम की विद्यमानता स्थापित किए बिना, भारतीय रुपया वाले सभी मुद्रा युग्मों के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की एकल सीमा सभी के लिए समान रूप से लागू करते हुए (लॉंग या शॉर्ट)

पोजिशन लेने की अनुमति समग्र रूप से सभी विनिमयों के लिए अनुमति दी जाए। 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा अंतर्निहित एक्सपोज़र की विद्यमानता स्थापित किए बिना रखने की अनुमति बनी रही, जिसका उल्लेख दिनांक 07 अप्रैल 2020 के विदेशी मुद्रा जोखिम के संबंधी जारी किए गए निदेश में किया गया है।

भारत से बाहर रहने वाले निवासी व्यक्तियों के लिए आसान पहुंच : भारिबैं ने विदेशी संविभाग निवेशकों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों / अनिवासी भारतीयों / आयातकों (भारतीय रुपये में इनवायस किए गए ट्रेड एक्सपोज़रों के लिए), अनिवासी ऋणदाताओं (भारतीय रुपये में नामित बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए) को भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपये से संबद्ध अपने करेंसी जोखिमों के बचाव के लिए क्रमिक रूप प्रतिबंधों में छूट दी है और पहले से अधिक पहुंच उपलब्ध कराई है। पिछले पैरा में उल्लिखित सरलीकृत हेडजिंग सुविधा अनिवासियों के लिए भी उपलब्ध है।

बाजार निर्माण / ट्रेडिंग : केवल प्राथमिक व्यापारी संवर्ग-1 बैंकों को ही विदेशी मुद्रा बाजार में बाजार-निर्माता की भूमिका निभाने की अनुमति दी गई है। उन्हें भारिबैं द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाता है। प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों के निदेशक बोर्डों को चाहिए कि वे ऐसी निवल एक-दिवसीय खुली विनिमय स्थिति सीमा तथा सकल अंतर सीमाएं (एजीएल) निर्धारित करें, जिनके भीतर बैंकों को अपने परिचालन करने हैं।

ऑनशोर बाजार समय के बाद ग्राहक और अंतर बैंक संव्यवहार किया जाना:

ऑफशोर रुपया बाजार पर कार्यबल (टास्क फोर्स) की सिफारिशों के अनुसार रिज़र्व बैंक ने 06 जनवरी 2020 को एडी वर्ग-1 के बैंकों को अनुमति दी कि वे स्वेच्छा से ग्राहक (भारत में निवासी व्यक्ति और भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति) और अंतर-बैंक संव्यवहारों को ऑनशोर बाजार समय के बाद भी कर सकते हैं। अपनी विदेशी शाखाओं और सहायक इकाइयों के माध्यम से भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों के साथ भी ऑनशोर बाजार समय के बाद संव्यवहार किए जा सकते हैं।

जिंस (कॉमोडिटी) बचाव व्यवस्था : आयात अथवा निर्यात व्यापार या समय-समय पर भारिबैं द्वारा अनुमत किसी व्यापार में संलग्न भारत में निवासी व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय जिंस एक्सचेंजों / बाजारों में अनुमत जिंसों के मूल्य जोखिम से बचाव की अनुमति दी गई है। एडी बैंकों की भूमिका मुख्य रूप से समय-समय पर अपेक्षित मार्जिन के लिए विदेशी मुदा राशियों के विप्रेषण की सुविधा प्रदान करना है, जोकि लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन हैं।

आईएफएससी में रुपया डेरिवेटिव : रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2020 से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र(आईएफएससी), बैंकिंग इकाइयां(आईबीयू) परिचालित करने वाले भारत स्थित एडी वर्ग-1 बैंकों के लिए अनिवासियों को रुपया सहित गैर-सुपुर्दगी डेरिवेटिव कान्ट्राक्ट प्रदान करने की अनुमति दी है। बैंक ऐसे लेनदेन भारत स्थित अपनी शाखाओं, जोकि आईबीयू के माध्यम से, या अपनी विदेशी स्थित शाखाओं के ज़रिए (यदि भारत स्थित विदेशी बैंक होने के मामले में मूल बैंक की किसी शाखा के माध्यम से) कर सकते हैं। ऑफशोर रुपया बाज़ारों पर श्रीमती उषा थोराट की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट में इस उपाय की सिफारिश की गई है। इस अधिसूचना से पहले, भारतीय बैंकों को रुपया से जुड़े गैर -सुपुर्दगी-योग्य वायदा (एनडीएफ) प्रदान करने की अनुमति नहीं थी।

संदर्भ

(i) भारिबैं, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट, 2005-06

(ii) भारिबैं, मुद्रा बाजार लिखतों पर मास्टर परिपत्र, 7 जुलाई 2016

(iii) खान एच.आर. (2015), भारत में वित्तीय बाजार विनियमन - विगत और भविष्य पर दृष्टिपात, 16वें पीडीएआइ सम्मेलन में व्याख्यान

(iv) खान एच.आर. (2014), भारतीय ऋण और डेरिवेटिव बाजार का विनियमन - वैश्विक संकट के बाद आमूलचूल बदलाव - कुछ परिप्रक्ष्य, 15वें फिम्डा-पीडीएआइ वार्षिक सम्मेलन में व्याख्यान

(v) भारिबैं, भारत में कंपनी बाजार के विकास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट, 18 अगस्त 2016

(vi) ऑफशोर रुपया बाज़ार पर श्रीमती उषा थोराट की अध्यक्षता वाले कार्य बल की 08 अगस्त 2019 की भारतीय रिज़र्व बैंक, रिपोर्ट

(vii) आरबीआई की प्रेस प्रकाशनियां, अधिसूचनाएं, मास्टर परिपत्र, मास्टर निदेश, न्यूसलेटर, वार्षिक रिपोर्ट

अध्याय 13: भुगतान और निपटान प्रणाली: लेन-देन के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रदान करना

भुगतान और निपटान प्रणालियों में केंद्रीय बैंक की भूमिका

केंद्रीय बैंक हमेशा ही भुगतान और निपटान प्रणालियों से निकट रूप से संबद्ध रहते आए हैं। विश्व भर के केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और वित्तीय बाजार की स्थिरता प्राप्त करने में लगे रहते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति काफी हद तक सुव्यवस्थित भुगतान प्रणालियों पर निर्भर करती है। भुगतान प्रणालियां, विशेषकर खुदरा भुगतान प्रणालियां, विश्व भर में तेजी से विकसित हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अब सामान्य बात हो गई है। नई प्रौद्योगिकी, नए सहभागी और नई बाजार संरचना लगातार उभर कर सामने आ रही है।

मौद्रिक नीति की जिम्मेदारी केंद्रीय बैंकों पर आने से बहुत पहले वे बैंक नोट जारी करने का काम करते थे और भुगतान के साधन के रूप में उनकी विधिमान्यता की रक्षा करते थे। केंद्रीय बैंकिंग का उद्भव, भुगतान प्रौद्योगिकी में क्रांति से हुआ है, जो धातु से कागज, वस्तु मुद्रा से कागजी मुद्रा के मूल्य तक की यात्रा करती रही है। लेटिन शब्द "फिड्यूशिया" से 'कागजी' मुद्रा शब्द बना। इस प्रकार की मुद्रा का मूल्य उसमें जनता के विश्वास पर टिका होता है। यह विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे उत्पन्न करने के लिए अदृश्य हाथों में छोड़ा जा सकता है। यह विश्वास संस्था द्वारा बनाए रखा जाना होता है। केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे मुद्रा में विश्वास बनाए रखने का काम सौंपा गया है।[83]

भुगतान एक अंतरण है जो भुगतानकर्ता द्वारा आदाता (पाने वाला) को किया जाता है। अधिकांश मामलों में, भुगतान किसी आर्थिक एजेंट द्वारा लिये गए उस दायित्व से मुक्त होना है, जो वास्तविक या वित्तीय संसाधन की जरूरत होने पर उसने अपने ऊपर लिया था। भुगतान और निपटान प्रणालियों में केंद्रीय बैंक तीन मुख्य भूमिकाएं निभाता है नामत: सेवा प्रदाता, विनियामक, और उपयोगकर्ता।

[83] मासो पोदो-श्योपा, भुगतान प्रणाली को आकार देना: एक केंद्रीय बैंक की भूमिका, सियोल, 13 मई 2004

सिसटम उपलब्धकर्ता

क) परिचालक स्वामी : अधिकांश देशों में, केंद्रीय बैंक परंपरागत रूप से, भुगतान प्रणालियों की स्थापना में विकासात्मक भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन वे खुद उनका परिचालन नहीं करते। ऐसी सुविधाएं विकसित करने में वे सहायता देने का काम करते हैं। हां, अधिकांश देशों में बड़ी राशि की भुगतान प्रणाली (एलवीपीएस) केंद्रीय बैंकों द्वारा परिचालित की जाती है।

ख) निपटान प्रणालियां : अधिकांश केंद्रीय बैंक अपनी खाता-बहियों में बड़ी राशियों के निपटान की अनुमति प्रदान करते हैं। भुगतान प्रणाली निजी परिचालकों द्वारा परिचालित किए जाने पर भी, अंतिम निपटान केंद्रीय बैंक की खाता-बहियों में ही होता है। इस बात के मजबूत तर्क दिए जा सकते हैं कि अंतिम निपटान केंद्रीय बैंक के माध्यम से किया जाना ही क्यों सबसे अच्छा माना जाता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि प्रणालियों के बाधारहित परिचालन के लिए, संपार्श्विक पर अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक ही चलनिधि उपलब्ध करा सकता है।

विनियामक

निरीक्षक / पर्यवेक्षक : निगरानी रखना केंद्रीय बैंक का एक मुख्य कार्य है। केंद्रीय बैंक नियम (सामान्यत: कानूनी बल के साथ) बना कर भुगतान प्रणालियों पर निगरानी रखते हैं।

उत्प्रेरक और सहायक : अंतर्राष्ट्रीय रूप से भुगतान प्रणालियों का विकास सभी की भलाई के लिए किया जाता है। कारगर भुगतान प्रणाली उपलब्ध होने से कारगर आर्थिक अंतरण तो होता ही है, मौद्रिक नीति का भी सुगम प्रभाव-अंतरण होता है और प्रणालीगत जोखिमों में कमी आती है।

उपयोगकर्ता

केंद्रीय बैंक, बैंकों के बैंक और सरकार के बैंकर के रूप में भुगतान और निपटान प्रणालियों के सहभागी के तौर पर भी उनसे जुड़े रहते हैं। यह भूमिका केंद्रीय बैंकों को निगरानी की भूमिका निभाने तथा किसी गड़बड़ी के मामले में प्रति-संतुलन स्थापित करने में सहायक होती है।

भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियां

भारत में भुगतान के साधनों और माध्यमों का एक लंबा इतिहास रहा है। जहां तक जानकारी उपलब्ध है, भारत में भुगतान के सबसे पहले साधन के रूप में सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, जिन पर या तो पंच-चिह्न बनाए जाते थे या फिर उन्हें तांबे-चांदी में ढाला जाता था। सिक्के जहां भौतिक रूप में प्रचलन में थे, वहीं ऋण प्रणालियों में विनिमय बिल के माध्यम से स्थानिक धन-अंतरण किया जाता था। प्राचीन भारत में, जिन ऋण विलेख फार्मों का उपयोग किया जाता था, उन्हें ऋण-पत्र या ऋणलेख्य कहा जाता था। इनमें लेनदार और देनदार के नाम, ऋण की राशि, ब्याज दर, ऋण-अदायगी की शर्तें और समय का उल्लेख किया जाता था। मौर्य काल में आदेश नाम से एक लिखत का प्रयोग किया जाता था, जिसके माध्यम से बैंकर को यह आदेश दिया जाता था कि वह किसी तीसरे पक्ष को आदेश में लिखित राशि का भुगतान करे। इस प्रकार का आदेश विनिमय बिल की आज की परिभाषा पर खरा उतरता है। भारत में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण लिखत विकसित हुआ उसे हुंडी कहा जाता था। बारहवीं शताब्दी में उनका बहुत व्यापक प्रयोग किया जाता था, जो आज तक जारी है। कहा जा सकता है कि यह वो लिखत है जो प्राचीन काल से अब तक चला आ रहा है। हुंडियों का प्रयोग अग्रलिखित रूपों में किया जाता था - विप्रेषण लिखत के रूप में (निधियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को अंतरित करने के लिए); ऋण लिखत के रूप में (उधार लेने के लिए); और व्यापारिक लेनदेनों के लिए (विनिमय बिल के रूप में)।

आधुनिक अर्थ में, कागजी मुद्रा का उद्भव 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है, जब निजी बैंकों और अर्ध-सरकारी बैंकों ने नोट जारी करने की शुरूआत की। सबसे पहले नोट जारी करने वालों में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बंगाल और बिहार के जनरल बैंक और बंगाल बैंक प्रमुख थे। बाद में, तीन प्रेसीडेंसी बैंकों की स्थापना के साथ, नोट जारी करने का काम उनके पास चला गया। प्रत्येक प्रेसीडेंसी बैंक कुछ सीमाओं के भीतर नोट जारी करने का अधिकार रखता था।–कागजी मुद्रा अधिनियम, 1861 लागू होने के बाद, नोट जारी करने का एकाधिकार भारत सरकार के पास चला गया और निजी तथा प्रेसीडेंसी बैंकों द्वारा नोट जारी किए जाने के युग का अंत हो गया।

निजी बैंकों और प्रेसीडेंसी बैंकों ने भारतीय मुद्रा बाजार में नए लिखत लागू किए। वर्ष 1770 में स्थापित पहले संयुक्त स्टॉक बैंक, हिंदुस्तान बैंक द्वारा चेक लागू किया गया। वर्ष 1833 में, बैंक

ऑफ बंगाल के ऋण लिखतों में नकद ऋण खाता भी शामिल हो गया। वर्ष 1839 से बैंक ऑफ बंगाल द्वारा विनिमय बिलों की खरीद-बेच का काम भी किया जाता रहा।

वर्ष 1881 में, **परक्राम्य लिखत अधिनियम** लागू किया गया, जिसमें चेक, विनिमय बिल और वचन-पत्र के प्रयोग को औपचारिकता प्रदान कर दी गई। परक्राम्य लिखत अधिनियम ने गैर-नकदी कागजी भुगतान लिखतों को भारत में कानूनी मान्यता प्रदान की। बैंकिंग प्रणाली के विकास और चेकों की मात्रा में भारी वृद्धि के कारण बैंकों को चेक समाशोधन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया की आवश्यकता महसूस हुई। वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना के बाद उस पर आहरित चेकों के जरिए निपटान किया जाने लगा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1935 के अंतर्गत भारिबैं की स्थापना के बाद प्रेसीडेंसी शहरों में कार्यरत समाशोधन-गृहों को भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने अधीन ले लिया।

भुगतान प्रणालियों का उद्भव और आरबीआई की भूमिका

आरबीआई ने हमेशा ही हमारे देश में निपटान व भुगतान प्रणालियों के विकास और संवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 3 के अनुसार, आरबीआई को भुगतान प्रणालियों के विनिमयन और पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया है। पीएसएस अधिनियम 2007 में भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का उपबंध है और उसमें उक्त प्रणालियों के प्रयोजन और सभी संबंधित मामलों के लिए प्राधिकरण के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक को नामित किया गया है। इस अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक को अपनी केंद्रीय बोर्ड समिति के अंतर्गत भुगतान व निपटान प्रणाली विनियमन व पर्यवेक्षण बोर्ड(बीपीएसएस) गठित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ताकि उक्त बोर्ड इस कानून के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कार्य और ड्यूटी का निर्वहन कर सके। अधिनियम में नेटिंग (गणना) और अंतिम निपटान के लिए कानूनी आधार का भी उल्लेख है। इसका काफी महत्व है क्योंकि तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली के अलावा, अन्य सभी भुगतान प्रणालियां निवल निपटान के आधार पर कार्य करती हैं। भुगतान व निपटान प्रणाली विभाग बोर्ड को उनके कार्य के संचालन में सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, 1998 के बाद से भारिबैं प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार नियमित रूप से भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज प्रकाशित कर रहा है, जिसमें उसके कार्यान्वयन का रास्ता भी सुझाया जाता है।

समाशोधन परिचालनों का कंप्यूटरीकरण, भुगतान-प्रणाली की आधुनिकता की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। अस्सी के दशक में चेकों की मात्रा में भारी वृद्धि ने चेकों को अलग-अलग करने और उनकी सूचियां बनाने के काम को बहुत दुष्कर बना दिया और इस बड़े काम को संभालने में बैंक असमर्थ नजर आने लगे।

इसके समाधान के तौर पर माइकर आधारित प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी लागू की गई। इसकी वजह से विद्यमान चेकों में माइकर कोड लाइन डालते हुए उन्हें फिर से डिजाइन किया जाना था ताकि दस्तावेज प्रसंस्करण मशीनों द्वारा, जिन्हें रीडर-सॉर्टर कहा जाता था, उन्हें पढ़ा जा सके। इन मशीनों को सबसे पहले मुंबई में (1986), उसके बाद चेन्नै और नयी दिल्ली में (1987) और फिर कोलकाता में (1989) में लगाया गया। इसके तुरंत बाद मुख्य मेट्रो केंद्रों तथा अन्य प्रमुख केंद्रों में इनकी शुरूआत की गई। ये माइकर केंद्र बैंकों द्वारा चलाए जाते थे। वर्ष 2008 में, माइकर केंद्रों की संख्या बढ़कर 66 पर पहुंच गई थी और कम संख्या में चेकों के समाशोधन की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1200 से भी अधिक लघु समाशोधन-गृह कार्यरत थे। माइकर समाशोधन के लगभग बीस वर्ष बाद, 2008 में पहली बार दिल्ली में चेक ट्रंकेशन प्रणाली लागू की गई थी जो अब पूर्व के सभी माइकर केंद्रों में लागू हो चुकी है, जिन्हें तीन ग्रिड-चेक ट्रंकेशन प्रणालियों में शामिल किया गया है। इसके साथ ही, देश में अधिकांश चेक समाशोधन टी+1 आधार पर, अर्थात् ठीक वैसे ही किया जाता है, जैसे स्थानीय चेकों का समाशोधन किया जा रहा हो। साथ ही, सीटीएस-2010 चेक मानक के रूप में धोखाधड़ी रोकने का उपाय करते हुए चेक में ही मानकीकृत विशेषता शामिल कर दी गई है।

इस बीच, नब्बे के दशक की शुरूआत में इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सुविधा लागू की गई। इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सुविधा के माध्यम से लाभांश, वेतन, ब्याज आदि जैसे कई भुगतान खातों में जमा किए जा सकते हैं और उपयोगिता भुगतान जैसे कई भुगतान खातों में नामे डालते हुए किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सुविधा में खुद में काफी परिवर्तन हुए हैं और यह स्थानीय प्रणाली से क्षेत्रीय प्रणाली और फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रणाली बन गई है। ये परिवर्तन बैंकों द्वारा

कोर बैंकिंग प्रणाली अपनाए जाने की वजह से संभव हुए हैं, जिसने भुगतानों को सीधे प्रसंस्कृत करने की सुविधा प्रदान की है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) द्वारा राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) परिचालित किए जाने से इस क्षेत्र में और भी प्रभावशीलता बढ़ी है। नब्बे के दशक में शुरू की गई ईएफटी प्रणाली भी विकसित होकर अत्याधुनिक एनईएफटी में परिवर्तित हो गई है। वर्ष 2004 में, देश का पहला आरटीजीएस शुरू किया गया, जिसे एक उन्नत प्रणाली के रूप में 2013 में देश को समर्पित किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)

वर्ष 2008 में, भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के परिचालन के लिए छत्र संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना की गई। इसकी स्थापना भारत में मजबूत भुगतान और निपटान संबंधी मूलभूत संरचना सृजित करने के लिए, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत, भारिबैं और भारतीय बैंक संघ की पहल पर की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत "लाभ कमाने के लिए नहीं" कंपनी के रूप में तथा इस आशय के साथ निगमित हुआ है कि भारत की समस्त बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां उपलब्ध कराने के लिए मजबूत मूलभूत संरचना स्थापित की जा सके। इसे अपना ध्यान परिचालनों की प्रभावशीलता बढ़ाने तथा भुगतान प्रणालियों को व्यापक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए, खुदरा भुगतान प्रणालियों में नवोन्मेष लाने पर केंद्रित करना है।

भुगतान प्रणालियों का वर्गीकरण

देश की वित्तीय मूलभूत संरचना के लिए यूं तो सभी भुगतान और निपटान प्रणालियां समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी निगरानी के प्रयोजन से इन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण प्रणालियां, जो मूल्य की दृष्टि से बड़ी हैं और जिन्हें वित्तीय बाजार की मूलभूत सुविधाओं के नाम से जाना जाता है; और अन्य प्रणालियां, जिन्हें संयुक्त रूप से खुदरा भुगतान प्रणालियां कहा जाता है।

वित्तीय बाजार की मूलभूत संरचना

वित्तीय बाजार की मूलभूत संरचना को, सहभागी संस्थाओं के बीच ऐसी बहुपक्षीय प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें प्रणाली का परिचालक भी शामिल है, और जिसका उपयोग समाशोधन, निपटान या भुगतान, प्रतिभूतियों, डेरिवेटिव या अन्य वित्तीय लेनदेनों की रिकॉर्डिंग करने के लिए किया जाता है। वित्तीय बाजार की मूलभूत संरचना पद का प्रयोग सामान्यत: प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों, केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागारों, प्रतिभूति निपटान प्रणालियों, केंद्रीय प्रतिपक्षियों तथा व्यापारिक भंडारों के संदर्भ में किया जाता है, जो समाशोधन, निपटान तथा वित्तीय लेनदेनों को दर्ज करने का काम करते हैं। वित्तीय बाजार की मूलभूत संरचना वित्तीय प्रणाली, व्यापक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और वित्तीय स्थिरता तथा आर्थिक संवृद्धि को बनाए रखने और बढ़ाने का काम करती है। साथ ही, वित्तीय बाजार की मूलभूत संरचना जोखिम को घनीभूत करती है और यदि इसे उचित प्रकार से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह वित्तीय आघातों को जन्म दे सकती है या ऐसा माध्यम बन सकती है, जिससे ऐसे आघात वित्तीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं। इन जोखिमों के समाधान के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों पर समिति तथा प्रतिभूति आयोगों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अप्रैल 2012 में प्रकाशित "वित्तीय बाजार की मूलभूत संरचना के लिए सिद्धांत"(पीएफएमआई) शीर्षक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में 24 सिद्धांतों का व्यापक सेट जारी किया गया। नए सिद्धांतों से विद्यमान मानकों में मजबूती आई है, नए मानक लागू हुए हैं तथा प्राधिकारियों की जिम्मेदारी में वृद्धि हुई है।

भारिबैं द्वारा निम्नलिखित वित्तीय बाजार मूलभूत संरचना का विनियमन किया जाता है:

तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) : यह प्रणाली मार्च 2004 में लागू की गई थी। इसका स्वामित्व और परिचालन भारिबैं के पास है। यह प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली है, जिसमें अंतर-बैंक भुगतानों का, भारिबैं की खाता-बहियों में, सकल आधार पर उसी समय (रियल टाइम) निपटान किया जाता है। इस प्रणाली में भारतीय समाशोधन निगम लि. द्वारा परिचालित प्रणालियों सहित अन्य आनुषंगी भुगतान प्रणालियों से उत्पन्न बहुपक्षीय निवल निपटान बैच फाइलों का भी निपटान किया जाता है। आइएसओ 20022 मानकों पर आधारित और चलनिधि के बेहतर प्रबंधन, भावी तारीख में कार्य करने वाली और परिमापनीयता आदि से युक्त नई पीढ़ी

की आरटीजीएस प्रणाली अक्तूबर 2013 में लागू की गयी जो एनजी आरटीजीएस के नाम से जानी जाती है।

प्रतिभूति निपटान प्रणालियां : मुंबई स्थित भारिबैं का लोक ऋण कार्यालय, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्रतिभूति निपटान प्रणालियों का प्रबंधन और परिचालन करता है, जिसमें गौण बाजार में किए जाने वाले एकमुश्त और रिपो लेनेदेन दोनों शामिल हैं। सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद-बेच टी+1 आधारित डीवीपी-III का उपयोग करते हुए की जाती है। रिपो का निपटान टी+0 या टी+1 के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, पीडीओ प्रणाली सरकार की अमूर्तिकृत प्रतिभूतियों के भंडारण का भी काम करती है। भारिबैं में कोर बैंकिंग सोल्युशन (सीबीएस) की शुरूआत के साथ प्रतिभूति निपटान प्रणाली को सीबीएस प्लेटफार्म पर अंतरित कर दिया गया।

भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) : सीसीआईएल एक केंद्रीय प्रतिपक्षी है, जिसकी स्थापना अप्रैल 2001 में इस उद्देश्य से की गई थी कि सरकारी प्रतिभूतियों, देश के विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाजारों में लेनदेनों के लिए समाशोधन और निपटान सुविधा उपलब्ध हो सके। सीसीआईएल, भारिबैं द्वारा विनियमित विविध वित्तीय बाजारों, जैसे सरकारी प्रतिभूति, सीबीएलओ - मुद्रा बाजार का एक लिखत - तथा अमरीकी डालर-भारतीय रुपया तथा विदेशी मुद्रा वायदा खंडों में केंद्रीय प्रतिपक्षी की भूमिका निभाता है। इसके अलावा, सीसीआईएल, ब्याज दर स्वैप / वायदा दर करार बाजार जैसे रुपये में नामित ब्याज दर स्वैप में अगारंटीकृत निपटान उपलब्ध करता है। यह सतत संबद्ध निपटान बैंक (कंटीन्युअस लिंक्ड सेटिलमेंट बैंक) के तीसरे पक्ष सदस्य की भूमिका निभाते हुए, सतत संबद्ध निपटान बैंक के जरिए, भारत में बैंकों को पारस्परिक मुद्रा अदली-बदली (क्रॉस करेंसी) लेनदेनों के अगारंटीकृत निपटान की सुविधा भी उपलब्ध करता है। सीसीआईएल, ओटीसी ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए **ट्रेड रिपोज़िटरी** का काम भी करता है।

खुदरा भुगतान प्रणालियां

खुदरा प्रणालियों को मोटे तौर पर लेनदेनों के साधन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थात् कागज़ आधारित प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां, मोबाइल आधारित प्रणालियां और कार्ड

आधारित प्रणालियां, उल्लेखनीय है कि नवोन्मेषिता के कारण इनके बीच के अंतर कम होते जा रहे हैं।

कागज आधारित प्रणालियां जैसे चेक, मांग ड्राफ्ट और भुगतान आदेशों का समाशोधन ज्यादातर तीन ग्रिड परिचालित चेक ट्रंकेशन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। एनपीसीआइ द्वारा परिचालित ये तीन ग्रिड हैं - मुंबई (पश्चिमी क्षेत्र के लिए), नई दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र के लिए), चेन्नै (दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र के लिए)। छोटे केंद्र (अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार 1093) मेग्नेटिक मीडिया आधारित चेक समाशोधन प्रणाली चलाते हैं, जिसे एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीसीएस) कहा जाता है।

निम्नलिखित चित्र में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को दर्शाया गया है:

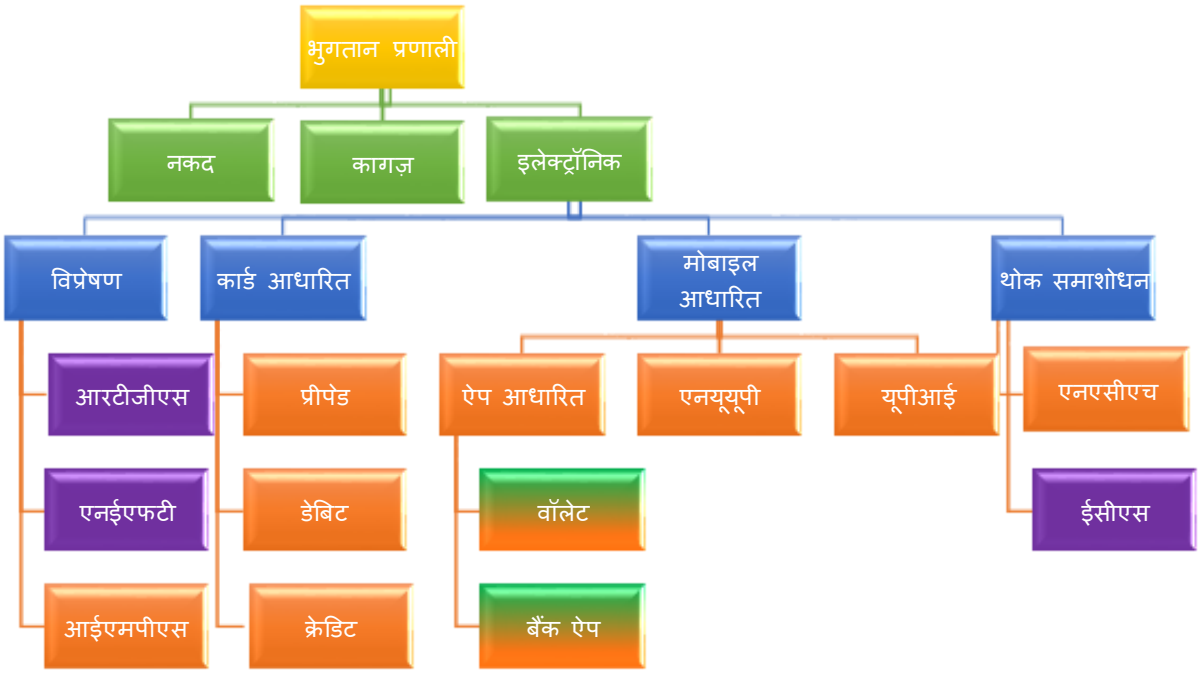

खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भगुतान प्रणालियों में से एनईएफटी प्रणाली आरबीआई द्वारा संचालित बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण एक राष्ट्र व्यापी भुगतान प्रणाली है जिसके माध्यम से वन टू वन निधि अंतरण किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, व्यक्ति, फर्म

और कारापोरेट,इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी बैंक शाखा से देश में स्थित अन्य ऐसी बैंक शाखा, जोकि इस योजना में हिस्सा लेती है, में रखे किसी व्यक्ति, फर्म या कारपोरेट खाते में निधि अंतरण कर सकते हैं। व्यक्ति, फर्म या कारपोरेट किसी बैंक शाखा में रखे अपने खातों के माध्यम से एनईएफटी सुविधा का उपयोग करते हुए निधि अंतरण कर सकते हैं। फिलहाल, यह प्रणाली आधे-आधे घंटों के बैच में, 24*7 हमेशा रात-दिन कार्यरत रहती है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पास कई प्रकार के भुगतान उत्पाद हैं। राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस), जिसका अधिग्रहण 2009 में एनपीसीआई द्वारा आईडीआरबीटी से किया गया, कार्ड लेनदेनों के मामले में देश भर में सभी एटीएम को जोड़ता है। स्विचिंग को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के अलावा, एनएफएस का नेटवर्क उपसदस्यता मॉडल को साकार करता है जिससे छोटे, क्षेत्रीय बैंक, जिनके अंतर्गत आरआरबी और स्थानीय सहकारी बैंक शामिल हैं, एटीएम नेटवर्क में हिस्सा लेने में समर्थ बने हैं। एनपीसीआई अंतरराष्ट्रीय कार्ड योजनाओं जैसे डिस्कवर फिनैन्श्यिल सर्वीस (डीएफएस), जापान क्रेडिट ब्यूरो (जेसीबी) और चीन पे इंटरनैशनल (सीयूपीआई)के साथ सहयोगी व्यवस्था भी की है जिससे उनके कार्ड धारक एनएफएस नेटवर्क से जुड़े एटीएम का उपयोग कर पाते हैं।

थोक और आवृत्ति भुगतानों जैसे युटिलिटी भुगतान, लाभांशों का भुगतान आदि, के लिए आरबीआई इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का संचालन करता था। एनपीसीआई द्वारा राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) की शुरुआत किए जाने से इसकी कार्यदक्षता को और बेहतर बनाया गया। थोक और आवृत्ति भुगतानों के लिए यह एक पैन-इंण्डिया प्रणाली है और इसे कालांतर में ईसीएस को एनएसीएच में शामिल किया गया। एनएसीएच प्रणाली सहभागियों को लेन-देन और फाइल आधारित लेन-देन संसाधन दोनों क्षमताओं के साथ सहभागियों को एक मज़बूत, सुरक्षित और प्रगामी प्लैटफार्म उपलब्ध कराती है। इसमें देश-भर में सभी सहभागियों के लिए सर्वोत्कृष्ट सुरक्षापरख विशेषताएं, किफायती और भुगतान निष्पादन के साथ-साथ डेटा वैधीकरण की बहुस्तरीय सुविधा उपलब्ध है।

एनएफएस और उसके आईएमपीएस प्लैटफार्म के आधार पर एनपीसीआई ने अनेक नवोन्मेष इलेक्ट्रॉनिक रिटेल भुगतान प्रणालियां विकसित की हैं। इनमें से कुछ नवोन्मेष नई भुगतान प्रणालियां नीचे दी गई हैं:

तुरंत भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) - एनपीसीआई द्वारा परचालित तुरंत भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) सभी छोटी राशि के विप्रेषणों के लिए 24x7 सुविधा उपलब्ध कराती है। आईएमपीएस मज़बूत और तत्काल निधि अंतरण जो तत्काल 24 7,अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवा उपलब्ध कराती है जो कई चैनलों जैसे मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम, एसएमएस, शाखा ओर यूएसएसडी (*99#) पर ऐक्सेस कर सकते हैं। आईएमपीएस एक विशिष्ट सेवा है जिससे सारे भारत में बैंकों के बीच निधियों का अंतरण सुरक्षित व किफायती ढंग से हो पाता है। आईएमपीएस प्लैटफार्म के स्थिर होने से एनपीसीआई अन्य नवोन्मेषी कदम उठा पाया है।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) - यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत अनेक बैंक खातों को एक मोबाइल अप्लिकेशन (किसी सहभागी बैंक का) पर उपलब्ध कराने, अनेक बैंकिंग विशेषताओं को एक साथ लाने, निर्बाध निधियन और मर्चेंट भुगतान जैसी सुविधाओं को एक छत्र में लाया जाता है। यह 'पीर टू पीर' उगाही संबंधी अनुरोधों को भी पूरा किया जाता है जिसके अंतर्गत निर्धारित समय पर और अपेक्षा व सुविधानुसार भुगतान किया जा सकता है। एक डिजिटल भुगतान प्रणाली होने के नाते यह 24*7 और सार्वजनिक अवकाशों में भी उपलब्ध है। जहां तक परंपरागत मोबाइल वैलटों का मामला है, अनुमत सीमाओं तक ग्राहक की धनराशि रखी जाती है, वहीं यूपीआई में तब तक बैंक खाते से निधियां सीधे आहरित या जमा की जाती हैं, जब-जब लेनदेन का अनुरोध किया जाता हो। इसमें, वर्चुअल भुगतान पते (बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली एक विशेष आईडी), आईएफसी कोड युक्त खाता संख्या, एमएमआईडी (मोबाइल मनी आईडेंटिफाइर) युक्त मोबाइल संख्या, आधार संख्या या एकबारगी वर्चुअल आइडी का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक भुगतान की पुष्टी के लिए एक एमपीआईएन(मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आईडेंटिफाइर) की ज़रूरत होती है। कई बैंकों ने यूपीआई पर आधारित ऐप तैयार किए हैं। एनपीसीआई ने भारत नामक अपनी यूपीआई आधारित ऐप की शुरुआत की है। एनपीसीआई ने यूपीआई पर आधारित ऐप भारत इंटरफेस फर मनी (भीम) नामक अपना खुद का ऐप शुरू किया है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) NETC - भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) कार्यक्रम को विकसिकत किया है। यह अंतरपरिचालनीय राष्ट्रव्यापी टोल भुगतान सोल्यूशन उपलब्ध कराता है जिसके अंतर्गत समाशोधन गृहों से संबंधित सेवाओं के लिए निपटान

और विवाद प्रबंधन शामिल है। अंतरपरचालनीयता राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली पर लागू है, और उसके अंतर्गत सामान्य प्रक्रियाएं कारोबारी नियमावली, तकनीकी विनिर्देश समाविष्ट हैं जिससे ग्राहक किसी भी टोल प्लाज़ा[84], भले ही वह किसी के द्वारा भी अर्जित हो, पर फास्ट टैग का उपयोग भुगतान के एक ज़रिए के रूप में कर पाता है।

फास्ट टैग ऐसा उपकरण है जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) प्रौद्योगिकी के माध्यम से चलते वाहनों के लिए सीधा टोल का भुगतान किया जाता है। फास्टटैग, वाहन के विंड स्क्रीन पर छिपकाया जाता है जिससे ग्राहक फास्ट टैग से जुड़े खाते से सीधा टोल का भुगतान करते हैं। फास्ट टैग नकदी रहित भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अन्य सारे लाभ भी देता है जैसे इंधन और समय की बचत होती है क्योंकि ग्राहक को टोल प्लाज़ा पर रुकना नहीं पड़ता है।

भारत क्यूआर कोड- आरबीआई के आग्रह पर सभी बड़े कार्ड नेटवर्क जैसे मास्टर कार्ड, वीसा और एनपीसीआई ने अंतरपरिचालनीय, भारत क्यूआर कोड विकसित किया है। क्यूआर कोड या क्विक रेसपांस कोड, मशीन द्वारा पढ़ने योग्य एक द्वि आयामी कोड है जो काले और सफेद वर्गों से बना है और जिसका उपयोग यूआरएल और अन्य सूचनाएं स्टोर करने के लिए किया जाता है। इन्हें स्मार्ट फोन के कैमरा से आसानी से पढ़ा जा सकता है। व्यापारियों को अपने परिसर में क्यूआर कोड दर्शाना है। उपयोगकर्ता इन क्यूआर को बीक्यूआर समर्थित मोबाइल बैंकिंग ऐप की सहायता से स्कैन कर सकते हैं और अपने खाते से लिंक किया गया कार्ड/ वीपीए/ आईएफसी + खाता / आधार के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) (AePS) - एईपीएस एक बैंक संचालित मॉडल है जिससे माइक्रो एटीएमों में ऑनलाइन अंतरपरिचानीय वित्तीय समावेशन के लेनदेन (नकदी जमा, नकदी आहरण, अंतराबैंक या अंतर बैंक निधि अंतरण, शेष राशि संबंधी पूछताछ और मिनि स्टेटमेंट प्राप्त करना) किए जाते हैं। इसके लिए किसी बैंक की कारोबार प्रतिनिधि की सहायता से आधार अधिप्रमाणन ज़रूरी होता है।

---

[84] स्रोत - एनपीसीआई

यूएसएसडी (*99#) - बैंक ऐप आधारित मॉडल न केवल भुगतान के लिए बल्कि मोबाइल बैंकिंग के सभी रूपों के लिए भी उपलब्ध हैं। एनपीसीआई ने सभी गैर स्मार्ट फोन उपयोगकर्ताओं को भी मूलभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी प्लैटफार्म (एनयूयूपी) की शुरुआत की है। देश भर में आम आदमी तक बैंकिंग सेवाएं पहुँचाने के लिए *99# सेवा शुरू की गई है। बैंक ग्राहक उक्त सेवा को *99#, डायल करके यह सेवा प्राप्त कर सकते हैं जोकि उनके मोबाइल फोन पर सभी टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं के लिए एक सामान्य नंबर है और मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाले इंटरैक्टिव मेनु के माध्यम से लेनदेन किया जाता है। *99# सेवा में से प्रमुख सेवाओं के अंतर्गत एक खाते से दूसरे बैंक के खाते में निधियां भेजने और प्राप्त करने, शेष राशि की पूछ-ताछ यूपीआई पिन सेटिंग/ बदलने के अलावा अन्य कई सारी सेवाएं शामिल हैं। *99# सेवा उपभोक्ता को उपलब्ध एक अनोखी प्रत्यक्ष अंतर परिचालनीय सेवा है जिसमें बैंक और टेलिकॉम सेवा प्रदाता जैसे विविधतापूर्ण ईकोप्रणाली भागीदारों को एक साथ लाया जाता है। आम आदमी के लिए स्थानीय भाषा में बातचीत की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह सेवा कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।

आधार भुगतान ब्रिड्ज (एपीबी) (APB) - एनपीसीआई द्वारा विकसित एनएसीएच एपीबी प्रणाली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को सफल बनाने में सरकार और सरकारी एजेंसियों को सहायता प्रदान करती रही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को सफल बनाने है। एपीबी प्रणाली सरकारी सब्सिडियों को सरणीबद्ध करने और आधार संख्या का उपयोग करते हुए आशयित लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने सफल रही है। एपीबी प्रणाली एक ओर सरकारी विभागों और उनके प्रायोजक बैंकों तथा दूसरी ओर लाभार्थी बैंकों व लाभार्थी को जोड़ती है।

रुपे कार्ड नेटवर्क: भातरीय बैंक, सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्कों जैसे मास्टर कार्ड, वीसा और अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्डों को जारी करते हैं। एनपीसीआई ने देशी कार्ड नेटवर्क की शुरुआत की है जिसका नाम रूपे है। एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई रूपे कार्ड भुगतान योजना, देशी, ओपन लूप, बहुपक्षीय प्रणाली को सुविधा प्रदान कराने की दृष्टि से तैयार की गई है ताकि सभी भारतीय बैंकों और भारत स्थित वित्तीय संस्थाएं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में सहभागी हो सकेंगे। राष्ट्रीय वित्तीय स्विट्च के अंतर्गत पूरे भारत में रूपे कार्ड सभी स्वचालित टेलर मशीनों में स्वीकार किए

जाते हैं और एनपीसीआई और डीएफएस के करार के तहत रूपे कार्डों को अंतरराष्ट्रीय डिस्कवर नेटवर्क पर स्वीकार किया जाता है। बैंक, रूपे प्रीपेड डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं जिनमें से डेबिट कार्ड अधिक संख्या में जारी किए जाते हैं। हाल के उदारीकरण में किए गए टोकनीकरण के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता के डिवाइस से कार्डों का सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है और नियर फील्ड संप्रेषण (एनएफसी) प्रौद्यागिकी के माध्यम से लेनदन किए सकते हैं। कार्ड का प्रयोग ऑनलाइन लेनदेनों, एटीएमों और बिक्री केंद्रों में व्यापक रूप से किया जाता है।

राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) (NCMC) ऐसा अंतर-परिचालनीय परिवहन कार्ड है जिसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने तैयार किया है। इसका शुभांरभ 04 मार्च 2019 को किया गया। उपयोगकर्ता इस परिवहन कार्ड के माध्यम से अपनी यात्रा, टोल संबंधी भुगतान (टोल कर), खुदरा शॉपिंग और राशि का आहरण करता है। इसका संचालन रुपे कार्ड तंत्र के माध्यम किया जाता है। एनसीएमसी कार्ड जो क्यूएसपीएआरसी (क्विक स्पेसिफ) स्पेसिफिकेशन द्वारा सक्रिय होता है, को भागीदार बैंकों द्वाारा प्री पेड़, डेबिट, या क्रेडिट रुपे कार्ड से संबद्ध एक खाते के साथ मिश्रण के रूप में जारी किया जाता है। उक्त कार्ड का उपयोग कार्ड बैलेंस, जिसका उपयोग मार्गस्थ छोटे मूल्य के भुगतानों के लिए किया जा सकता है, से युक्त अन्य प्रीपेड संघटक के साथ नियमित ऑनलाइन भुगतानों के लिए किया जा सकता है। क्यूएसपीएआरसी, डूयल इंटरफेस ओपन लूप का ऐसा स्पेसिफिकेशन है जिसमें एक ही कार्ड में कई भुगतान ऐप्लिकेशन उपलब्ध कराने का विकल्प मौजूद है।

अन्य खुदरा भुगतान व निपटान संबंधी पहलें :

वाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) - गैर-बैंकों द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन व परिचालनरत एटीएम डलब्यूएलए कहलाते हैं। गैर बैंकिंग संस्थाओं को डबल्यूएलए की स्थापना की अनुमति देने के पीछे यही कारण है कि ग्राहक सेवा बढ़ाने की दृष्टि से भौगोलिक रूप से एटीएम के फैलाव, विशेष रूप से अर्ध शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में, को बढ़ाया जा सके। नियमित बैंक के एटीएम में उपलब्ध सभी सेवाएं डब्ल्यूएलए में भी उपलब्ध हैं।

पूर्वदत्त (प्रिपेड) भुगतान उत्पाद : ये भुगतान उत्पादों का ऐसा संवर्ग है, जिसने विशेष रूप से मोबाइल वैलेट के उपयोग के कारण, पिछले कुछ समय से प्रमुखता हासिल कर ली है। ये उत्पाद क्लोस्ड, सेमीक्लोस्ड और ओपन सिस्टम में जारी किए जा सकते हैं। भारिबैं से अनुमोदन लेकर

इन्हें बैंकों और गैर-बैंकों दोनों द्वारा जारी किया जा सकता है। नकदी आहरण की अनुमति वाले ओपन प्रिपेड भुगतान उत्पाद केवल बैंकों द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं। पीपीआई दिशानिर्देशों में दो प्रकार के पीपी का उल्लेख किया गया है। पहला, न्यूनतम केवाईसी के साथ और दूसरा, विभिन्न सीमाओं से युक्त पूर्ण केवासी। पीपीआई यूसर्स अंतरपरिचालनीय का विकल्प रखते हैं जहां पर पीपीआई कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं जबकि मोबाइल वैलेट जारीकर्ता यूपीआई के माध्यम इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) - बीबीपीएस, एक ऐसी एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है जो बिल के भुगतान की अंतर-परिचालनीय ऑनलाइन सुविधा के साथ-साथ क्षेत्र पर एजेंटों के नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। इस प्रणाली में एक से अधिक भगतान के माध्यम हैं और भुगतान होने की पुष्टि तत्काल मिल जाती है। बीबीपीएस टियरबद्ध संरचना के रूप में परिचालन करती है जिसमें एकल भारत बिल भुगतान केंद्रीय (बीबीपीसीयू) और बहु भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां (बीबीपीओयू) शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को बीबीपीसीयू के रूप में चिह्नित किया गया है। यह ऐसा वन-स्टॉप भुगतान प्लेटफार्म है, जिसमें पूरे देश के ग्राहकों को "कभी भी, कहीं भी" अपने बिलों के भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए, लेनदेनों की निश्चितता, विश्वसनीयता और सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हुआ जा सकता है।

व्यापार प्राप्तियां डिस्काउंटिंग प्रणाल (ट्रेड्स) एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यापार प्राप्तियों के लिए वित्तपोषण किया जाता है। ट्रेड्स के माध्यम में इन्वाइस एवं विनिमय बिल दोनों की डिस्काउटिंग की जाती है। ट्रेड्स का उद्देश्य वित्तपोषकों द्वारा डिस्काउटिंग के माध्यम से कारपोरेट क्रेता पर आहरित इन्वाइस / एमएसएमई बिलों का भुगतान करना है। इसे सुसाध्य बनाने के लिए टेड्स को एक उचित प्रणाली स्थापित करनी होगी जहां पर इन्वाइस/ बिल फैक्टरिंग इकाइयों में परिवर्तित किया जा सकेगा जिसके बाद ट्रेड्स प्लैटफार्म में इनका लेनदेन वित्तपोषक बोली लगाकर कर सकते हैं और विक्रेता उनमें से उचित बोली का चयन कर सकते हैं।

भारतीय भुगतान प्रणाली का वैश्विक आउटरीच - आगे की राह

भारत में यूपीआई ने अत्यधिक सफलता हासिल की है। वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत से 4 वर्ष के भीतर संवृद्धि, मात्रा के संदर्भ में इसने अन्य सभी भुगतान उत्पादों को पीछे छोड़ दिया। यूपीआई मॉडल में कई अनूठी विशेषताएं हैं जैसे खुले और अंतरपरिचालनीय प्लैटफार्म, दो घटकों युक्त अधिप्रमाणन, मौजूदा बनियादी संरचना के अतिरक्त भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए सुविधा, एकल एप्लिकेशन पर अनेक बैंक खाते, ई-मेंडेट विशेषता, बैंक खाते, वैलेटस के साथ तालमेल आदि जिसमें अन्य राष्ट्रों को भी आकर्षित करने की क्षमता है। उसी प्रकार, स्वदेशी कार्ड नेटवर्क-रुपे भी वैश्विक स्तर पर पदार्पण करने के लिए अवसर प्रदान करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के भुगतान व निपटान प्रणाली का विशन सहयोग और मानक व्यवस्था में गदान करते हुए अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय मंच में सक्रिय सहभागिता एवं सहकारिता के माध्यम से हमारी भुगतान प्रणालियों, जिनके अंतर्गत प्रेषण सेवाएं शामिल हैं, को वैश्विक स्तर पर ले जाना है। रिज़र्व बैंक, सरकार और एनपीसीआई के निकट सहयोग से यूपीआई और रुपे को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने की दिशा में कार्य रहा है। जबकि रुपे कार्ड विश्व भर में स्वीकार्य है, भूटान में भी रुपे कार्ड जारी होने लगा है। वैश्विक आउटरीच को गति प्रदान करने के प्रति अनन्य रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए एनपीसीआई ने आरबीआई के निदेश पर पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय कारोबार के लिए एक सहायक संस्था की स्थापना की।

अध्याय 14: मुद्रा प्रबंधन

मुद्रा प्रबंधन आरबीआई के प्रमुख कार्यकलापों में से एक है और यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में केंद्रीय कार्यालय बैंक को प्रदत्त सांविधिक दायित्व है। उक्त प्रस्तावना के अनुसार- *"भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक-नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा आरक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना; अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।"*

आरबीआई अधिनियम की धारा 22, 'बैंक नोट जारी करने का अधिकार', के अंतर्गत एक रुपये के नोटों, जिन्हें भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, को छोड़कर अन्य विभिन्न मूल्यगवर्ग के बैंक नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 के अनुसार सिक्कों के उत्पादन/ ढलाई का अनन्य अधिकार भारत सरकार के पास है। हालांकि सिक्कों की ढलाई का दायित्व भारत सरकार में निहित है, फिर भी आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 38 और धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, जारी किए गए सिक्कों का संचलन केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से किया जाता है।

करेंसी के अंतर्गत रु.2 से रु.10000 (आरबीआई अधिनियम की धारा 24) के दायरे में समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न मूल्यवर्गों के बैंक नोट और आरबीआई के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले 1 (रु.1 के नोट भी शामिल हैं), 2, 5, 10 और 20 के रुपया सिक्के शामिल हैं। वर्तमान में 50 पैसे के सिक्के ही भारत सरकार द्वारा संचलन में रखे जाने वाले छोटे मूल्यवर्ग के हैं, वहीं 20 दिसंबर 2010 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.2978 के माध्यम से 25 पैसे और उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों का संचलन 30 जून 2011 से बंद किया गया।

हालांकि तेजी, सुविधा व प्रतिस्पर्धा की वजह से विभिन्न लेनदेनों के निपटान के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों के उपयोग में काफी बढ़ोतरी हुई है, फिर भी कागजी करेंसी दैनिक लेनदेनों के

निपटान का ज्यादा पसंदीदा जरिया बनी हुई है, जिसका पता बैंक नोटों व सिक्कों की बढ़ती मांग से चलता है। पिछले पांच वर्ष, अर्थात वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2018-19 के बीच, के दौरान देशभर संचलन में करेंसी (सीआईसी) 10.2 प्रतिशत की चक्रवृद्धिपरक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के हिसाब से बढ़ोतरी दर्ज की और 19 मई 2020 की स्थिति के अनुसार संचलन में नोट (सीआईसी - संचलन में सिक्के) 25.73 ट्रिलियन/ लाख करोड़ थे,

'नकदी का वर्चस्व बरकरार है।'

जीडीपी में नकदी के अनुपात के संदर्भ में भारत और जी20 देशों की स्थिति से भी नकदी का महत्व पता चलता है, जिसे निम्नांकित तालिकाओं में दर्शाया गया है:

भारत के संदर्भ में जीडीपी में नकदी का अनुपात				
मूल्यांकन का प्रकार	**वित्तीय वर्ष**	**नॉमिनल जीडीपी (रु. करोड़)**	**संचलन में करेंसी (सीआईसी) (रु. करोड़)**	**सीआईसी/ जीडीपी अनुपात (%)**
	2011-12	87,36,329	10,66,100	12.2
	2012-13	99,44,013	11,80,100	11.9
	2013-14	1,12,33,522	13,00,200	11.6
	2014-15	1,24,67,959	14,48,300	11.6
	2015-16	1,37,71,874	16,63,300	12.1
तीसरा संशोधन	2016-17	1,53,91,669	13,35,200	8.7
दूसरा संशोधन	2017-18	1,70,98,304	18,29,300	10.7
पहला संशोधन	2018-19	1,89,71,237	21,36,700	11.3
अनंतिम	2019-20	2,03,39,849	24,47,275	12.0

जी-20 देशों के संदर्भ में जीडीपी में करेंसी का अनुपात													
क्र. सं.	जीडीपी में केंसी का अनुपात (%)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	अर्जेंटीना	7.5	7.5	7.5	6.4	6.9	6.8	6.9	8.0	7.7	6.9	7.3	6.6
2	आस्ट्रेलिया	3.8	3.8	4.0	4.2	4.1	3.9	3.8	3.9	4.0	4.2	4.4	4.5
3	ब्राज़ील	3.2	3.6	3.8	3.7	4.0	3.9	3.7	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7
4	कनाडा	3.3	3.3	3.2	3.3	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	4.0
5	चील	12.5	12.2	11.2	10.7	10.9	10.9	10.4	10.1	9.8	9.3	9.0	9.2
6	फ्रांस	6.2	6.6	6.7	7.4	7.9	8.0	8.2	8.3	8.6	9.0	9.3	9.5
7	जर्मनी	6.9	7.4	7.5	8.3	8.4	8.4	8.4	8.5	8.7	8.5	8.7	8.7
8	भारत #	11.6	11.7	11.8	12.3	12.3	12.2	12.2	12.0	11.6	11.6	12.2	8.8
9	इंडोनेशिया	4.8	4.9	5.1	4.9	4.6	4.6	4.8	5.1	5.2	5.0	5.1	4.9
10	इटली	6.6	7.0	7.2	8.0	8.7	8.9	9.2	9.6	10.1	10.4	10.9	11.1
11	जापान	16.0	16.0	16.1	16.5	17.5	17.4	18.0	18.4	18.8	19.0	19.5	20.0
12	कोरिया गणतंत्र	2.8	2.9	2.8	2.8	3.2	3.4	3.6	3.9	4.4	5.0	5.5	5.9
13	मेक्सिको	4.0	4.3	4.3	4.7	5.2	5.2	5.2	5.4	5.7	6.2	6.8	7.3
14	रूस	9.5	10.6	11.5	9.9	11.1	11.6	11.4	11.2	11.4	11.2	10.2	
15	सऊदी अरब	5.2	4.9	4.6	4.3	5.5	4.8	4.8	5.9	5.1	5.4	6.9	7.0
16	दक्षिण अफ्रीका	3.3	3.5	3.2	3.1	3.1	3.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
17	तुर्की	2.9	3.4	3.1	3.2	3.8	4.2	4.0	3.9	4.1	4.2	4.4	4.7
18	युनाइटेड किंग्डम	2.2	2.2	2.4	2.5	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.3
19	संयुक्त राज्य अमेरिका	5.8	5.6	5.5	5.8	6.2	6.3	6.7	7.0	7.2	7.4	7.6	7.9
#: भारत को छोड़कर अन्य देशों के आंकड़े कलैंडर वर्ष के अंत की स्थिति से संबंधित हैं; भारत के मामले में अनुपात वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति को दर्शाता है।													
स्रेत: आईएफएस इयरबुक, 2017 से नॉमिनल जीडीपी आंकड़े और आईएमएफ डब्ल्यूईओ अक्तूबर 2017 से नॉमिनल जीडीपी आंकड़े।													

मूलभूत शब्दावली

संचलन में करेंसी: संचलन में करेंसी के अंतर्गत संचलन में नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के शामिल हैं। आरबीआई के तुलन-पत्र में रुपया सिक्कों और छोटे सिक्कों के अंतर्गत अक्तूबर 1969 से जारी किए गए दस रुपये के सिक्के, नवंबर 1982 से जारी किए गए दो रुपये के सिक्के और नवंबर 1985 से जारी किए गए पांच रुपये के सिक्के शामिल हैं।

संचलन में नोट: संचलन में नोटों के अंतर्गत 1935 तक भारत सरकार द्वारा और उसके बाद से आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोट शामिल हैं, अर्थात आरबीआई के बाहर जनसाधारण, बैंक ट्रेज़रियों आदि द्वारा रखे जा रहे नोट, वहीं इसमें बैंकिंग विभाग द्वारा धारित नोट शामिल नहीं हैं। जुलाई 1940 से जारी भारत सरकार के एक रुपये के नोटों को रुपया सिक्का माना जाता है और इस वजह से उन्हें इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है।

बैंक नोट जारी करने का एक-मात्र प्राधिकरण होने के नाते आरबीआई के लिए अनिवार्य है कि वह हमेशा बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त रूप से और समय से स्वच्छ नोटों की आपूर्ति सुनिश्चित करे।

देश में कागजी मुद्रा का विकास

भारत में, प्राचीन काल से विभिन्न आकार-प्रकार की चीजों और धातुओं का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता रहा है। कागजी मुद्रा पहली बार 18वीं शताब्दी में देखी गई, जब रॉयल ट्रेजरियों / बैंकों द्वारा इन्हें वचन-पत्र के रूप में जारी किया गया। इस प्रकार की कागजी मुद्रा / नोट बैंक ऑफ हिंदुस्तान (1770-1832), जनरल बैंक ऑफ बंगाल और बिहार (1773-75), दि बंगाल बैंक (1784-91) तथा कॉमर्शियल बैंक आदि द्वारा जारी किए गए थे।

बैंक नोट जारी करने की जो जिम्मेदारी निजी बैंकों और प्रेसीडेंसी बैंकों को दी गई थी, वह पेपर करेंसी अधिनियम, 1861 के अंतर्गत पूरी तरह भारत सरकार को अंतरित कर दी गई। तब से लेकर अब तक बैंक नोट जारी करने का एकाधिकार भारत सरकार के पास बना रहा। सरकार के मुद्रा विभाग के नोट निर्गम के कार्य के समेकन के बाद, देश के समस्त भौगोलिक क्षेत्र की मुद्रा संबंधी आवशयकताओं को पूरा करने के लिए कई मुद्रा सर्कल बनाए गए। निर्गम और मोचन के लिए प्रेसीडेंसी बैंकों को एजेंट नियुक्त किया गया। सरकार के मुद्रा विभाग के स्थान पर 1913 में मुद्रा नियंत्रक कार्यालय बनाया गया। भारिबैं अधिनियम, 1934 लागू होने के बाद नोट जारी करने का कार्य मुद्रा नियंत्रक कार्यालय से 1935 में भारिबैं के पास आ गया। तब से लेकर अब तक बैंक नोट जारी करने का एकाधिकार भारिबैं के पास है और वह देश के मुद्रा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

शुरू में नोट मुद्रण इंग्लैंड में होता था, लेकिन 1928 में महाराष्ट्र के नासिक में मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होने के साथ नोटों का मुद्रण भारत में होने लगा। बाद में 1974 में सरकार ने मध्यप्रदेश के देवास में एक और मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। इस बीच, 1968 में मध्यप्रदेश के होशंगाबाद में 1500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली सुरक्षा कागज मिल स्थापित की गई। बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण मुद्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने और मांग-पूर्ति के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए भारिबैं ने 1995 में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी **भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)** की स्थापना की। 1996 में बीआरबीएनएमपीएल ने दो मुद्रण प्रेस - एक कर्नाटक के मैसूर में और दूसरी प. बंगाल के सालबनी में स्थापित कीं ताकि देश के बैंक नोट उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। वर्तमान में आरबीआई को प्राप्त होने वाले बैंक नोटों में इन दो प्रेसों का लगभग दो-तिहाई का हिस्सा है। उक्त दो प्रेसों की पूरी क्षमता के उपयोग से देश मुद्रा नोट मुद्रण के मामले में आत्म-निर्भर हो गया है। बीआरबीएनएमपीएल ने महात्मा गांधी (नए) श्रृंखला के बैंकनोटों की डिजाइनिंग अपने देश में करके तथा व्यापक ऑटोमेशन व एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लैनिंग को जारी रखते हुए मुद्रा प्रबंधन क्षेत्र में कार्यनीतिपरक उद्देश्यों को हासिल करने में काफी योगदान किया है।

एसपीएमसीआईएल के साथ बीआरबीएनएमपीएल ने बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) की स्थापना की है, जो संस्था बैंकनोट उत्पादन के लिए अपेक्षित सिलेंडर वॉटरमार्क्ड बैंक नोट (सीडब्ल्यूबीएन) पेपर का उत्पादन करती है।

इसी प्रकार, बीआरबीएनएमपीएल ने भी 1,500 मेट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले एक स्याही कारखाने की भी स्थापना की है, जिसने अपना वाणिज्यिक उत्पादन अगस्त 2018 में शुरू किया है। इसके परिणामस्वरूप मैसूरु स्याही कारखाने में बैंक नोटों के मुद्रण में उपयोग की जाने वाली ड्राईऑफसेट, इंटाग्लियो, नंबरिंग और कलर शिफ्टिंग स्याहियों का विनिर्माण किया जा रहा है। बीएनपीएमआईपील और बीआरबीएनएमपीएल स्याही कारखाना 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम और नए बैंक नोटों के उत्पादन में देशीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों में हासिल किए गए महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं।

मुद्रा प्रबंधन की संरचना

मुद्रा (करेंसी) प्रबंधन, नोटों के जीवन-चक्र के प्रबंधन की प्रक्रिया का नाम है, जिसमें विभिन्न मूल्यवर्ग के नोटों की जरूरतों का आकलन, नोट प्रिंटिंग प्रेस को नोट छापने का आदेश देना, देश भर में पर्याप्त संख्या में नोटों की आपूर्ति और संवितरण के साथ-साथ स्वच्छ नोटों की सतत आपूर्ति के जरिए और कटे-फटे गंदे नोटों को समय पर संचलन से बाहर करते हुए संचलन में रहने वाले बैंक नोटों की गुणवत्ता बनाए रखना, शामिल है।

भरिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 23 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि बैंक नोट जारी करने के काम के लिए भारिबैं में निर्गम विभाग नाम से एक अलग विभाग खोला जाएगा। अत: समग्र मुद्रा प्रबंधन कार्य भारिबैं के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय के मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा देखा जाता है, लेकिन मुद्रा प्रबंधन के परिचालन कार्य के लिए भारिबैं के क्षेत्रीय कार्यालयों में अलग से निर्गम विभाग कार्यरत हैं। उन्नीस (19) निर्गम कार्यालयों (अहमदाबाद, बंगलूर, भोपाल, भुबनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनउ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुअनंतपुरम) के अलावा, भारिबैं के इस कार्य को सुगम बनाने के लिए देश भर की बैंक शाखाओं और एटीएम में मुद्रा तिजोरीयों और छोटे सिक्कों के डिपो का नेटवर्क फैला हुआ है।

मुद्रा तिजोरी और छोटे सिक्कों के डिपो, अधिकांशत वाणिज्य बैंकों की शाखाओं में बैंक नोटों, रुपया सिक्कों/ छोटे सिक्कों के भंडारगृह का काम करते हैं। इसके अलावा, कुछ मुद्रा तिजोरी राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्यों के ट्रेज़री कार्यालयों और यहां तक कि भारिबैं के कोच्चि कार्यालय में भी स्थापित किए गए हैं। मुद्रा तिजोरी और छोटे सिक्कों के डिपो भारिबैं की विस्तारित शाखाएं हैं, जो प्रणाली में मुद्रा डालने और उससे बाहर निकालने में भारिबैं की सहायता करने के साथ-साथ अपने संबंधित क्षेत्र की मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व भी निभाती हैं।

नोटों की डिजाइनिंग

बैंक नोटों के डिजाइन, आकार-प्रकार और प्रयुक्त सामग्री का निर्णय, भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 25 के अनुसार भारिबैं के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। नोटों के आकार, रंग तथा डिजाइन के चयन के बारे में विशेष सावधानी रखी जाती

है, ताकि जनता द्वारा विभिन्न मूल्यवर्ग के नोटों की पहचान उन पर दृष्टि डालते ही की जा सके। साथ ही, नोटों में सुरक्षा संबंधी अधिकाधिक विशेषताएं शामिल करने का भी ध्यान रखा जता है ताकि आसानी से उनकी जालसाजी न की जा सके। वर्तमान में, महात्मा गांधी श्रृंखला में विभिन्न मूल्यवर्ग के नए नोट जारी किए गए हैं।

महात्मा गांधी (नए) श्रृंखला के बैंक नोट

बैंक नोटों के डिजाइन व सुरक्षागत विशेषताओं की सामयिक समीक्षा और उन्नयन संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप 2016-17 में देश की सांस्कृतिक धरोहर और वैज्ञानिक उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए नए डिजाइन, परिमाणों व मूल्यवर्गों में बैंक नोटों की नई श्रृंखला (महात्मा गांधी नई श्रृंखला) की शुरुआत की गई। उसके बाद रु.10, रु.20, रु.50, रु.100, रु.200, रु.500 और रु.2000 के मूल्यवर्गों के बैंक नोट जारी किए गए।

देवनागरी में अंक और स्वच्छ भारत के लोगो जैसे कतिपय अन्य तत्व इन नोटों में जोड़े गए। इन नए नोटों में डिजाइन संबंधी अन्य कई तत्व और जटिल रूप व आकार विद्यमान हैं। बैंक नोटों की वर्तमान श्रृंखला में सुरक्षागत विशेषताएं जारी हैं, वहीं, नए डिजाइन नोटों में सापेक्षिक विन्यास में बदलाव हुआ है।

मूल्यवर्ग	रंग	आकार	चित्र	पहचान चिह्न	ब्लीड लाइनें
2000	मैजेंटा	66मि.मी. x 166मि.मी.	मंगलयान	क्षैतिज आयत	सात कोणीय ब्लीड लाइनें
500	स्लेटी	66मि.मी. x 150मि.मी.	लाल किला	वृत्त	पांच कोणीय ब्लीड लाइनें
200	चमकीला पीला	66मि.मी. x 146मि.मी.	साँची का स्तूप	एच	चार कोणीय ब्लीड लाइनों के बीच दो वृत्त

100	लैवेंडर	66मि.मी. x 142मि.मी.	रानी की वाव	त्रिकोण	चार कोणीय ब्लीड लाइनें
50	फ्लुरेसन्ट नीला	66मि.मी. x 135मि.मी.	हंपी व रथ	-	-
20	हरा-पीला	63मि.मी. x 129मि.मी.	एलोरा गुफाएं	-	-
10	चॉकलेटी भूरा	63मि.मी. x 123मि.मी.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	-	-

वार्षिक अपेक्षा की आयोजना

मुद्रण हेतु अपेक्षित नोटों की मात्रा आरबीआई द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्श करके निर्धारित की जाती है। वास्तविक जीडीपी संवृद्धि, मुद्रास्फीति, ब्याज दर, डिजिटल भुगतान आदि के रूप में निरूपित आर्थिक गतिविधि करेंसी मांग का प्रमुख चालक होती है। बैंकनोटों और सिक्कों का पूर्वानुमान लगाकर वार्षिक इंडेंट को अंतिम रूप दिया जाता है। जहां तक बैंकनोटों का संबंध है कुल मांग की गणना दो घटकों, यथा- वृद्धिशील मांग (संव्यवहारात्मक मांग) और प्रतिस्थापन मांगी, का समेकन कर की जाती है। वृद्धिशील का आकलन विभिन्न अर्थमितीय मॉडलों को जोड़कर किया जाता है, यथा- समय परिवर्ती मापदंड- स्वप्रतिगामी वितरित लैग (टीवीपी-एआरडीएल) मॉडल, प्रतीयमानत: असंबंधित प्रतिगामी समीकरण (एसयूआरई) मॉडल और बहिर्जात चरों को कल्पित करने वाले स्वप्रतिगामी एकीकृत चल औसत (एआरआईएमए) मॉडल, जैसे- वास्तविक जीडीपी संवृद्धि, सीपीआई मुद्रास्फीति दर, मांग दर, डिजिटल/ वैकल्पिक भुगतान की वृद्धि दर आदि। तथापि, प्रतिस्थापन मांग का पूर्वानुमान बैंकनोटों की मूल्यवर्ग-वार आकलित जीवन-अवधि के आधार पर किया जाता है। बैंकनोटों की प्रतिस्थापन दरों का अभिकलन औसत जीवन-अवधि (वर्षों में) के व्युत्क्रम के रूप में किया जाता है। अंतत: कुल मांग का पूर्वानुमान आकस्मिक मांग (आपातकाल के मामले में) का समायोजन करते हुए किया जाता है, जिसके लिए आरबीआई और सीसी में उपलब्ध करेंसी के मौजूदा स्टॉक को ध्यान में रखा जाता है। सिक्कों की मांग का

पूर्वानुमान अलग से स्वप्रतिगामी एकीकृत चल औसत (एआरआईएमए) मॉडल का उपयोग करते हुए किया जाता है। सिक्कों के मामले में केवल वृद्धिशील मांग पर विचार करना ज़रूरी होता है।

मुद्रा का संवितरण

विश्व के विभिन्न देशों में मुद्रा वितरण के निम्नलिखित तीन मॉडल प्रचलन में हैं :

i) थोक मॉडल - ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित इस मॉडल में बैंक सीधे ही केंद्रीय बैंक से नोट खरीदते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया में स्थित अनुमोदित नकदी केंद्रों में बैंकों द्वारा ये नोट ले जाए जाते हैं और उनका भंडारण किया जाता है।

ii) खुदरा मॉडल - चीन और फ्रांस में प्रचलित इस मॉडल के अनुसार जनता और अन्य संस्थाओं की मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, केंद्रीय बैंक खुद अपने भंडारण केंद्र खोलता है।

iii) अर्ध-खुदरा मॉडल - अधिकांश केंद्रीय बैंकों की तरह भारत में भी अर्ध-खुदरा मॉडल को अपनाया गया है, जिसमें बैंकों की मुद्रा तिजोरी शाखाओं के दरवाजे तक मुद्रा नोट उपलब्ध कराए जाते हैं। उनके परिवहन की तथा लाने-ले जाने संबंधी अन्य लागतें केंद्रीय बैंक द्वारा वहन की जाती हैं। बैंकों से मुद्रा तिजोरी बनाए रखने की स्थिर लागत वहन करने की ही अपेक्षा की जाती है।

अर्ध-खुदरा मॉडल में नोटों और सिक्कों का संवितरण भारिबैं के निर्गम कार्यालयों, मुद्रा तिजोरीयों / छोटे सिक्का डिपो, बैंक शाखाओं तथा एटीएम द्वारा यहां नीचे दर्शाए तरीके से किया जाता है -

देश भर में नोटों और रुपया सिक्कों का वितरण आसान बनाने की दृष्टि से भारिबैं ने बैंकों की चयनित बैंकों/ शाखाओं को मुद्रा तिजोरी स्थापित करने के लिए अधिकृत किया हुआ है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है मुद्रा तिजोरी ऐसे भंडारगृह हैं जहां भारिबैं की ओर से बैंक नोट और रुपया सिक्के रखे जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक शाखाओं में स्थित मुद्रा तिजोरीयों में पर्याप्त मात्रा में नोट और सिक्के उपलब्ध रहें ताकि देश के हर भाग में जनता को मुद्रा मिल सके। इन मुद्रा तिजोरी को नए / पुन: जारी किए जा सकने वाले बैंक नोटों और रुपया सिक्कों की आपूर्ति भारिबैं के निर्गम कार्यालयों द्वारा आवधिक रूप से की जाती है। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एजेंसी बैंक / शाखाएं जब चाहें तब मुद्रा तिजोरी से नोट/ सिक्के आहरित कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा और पुन: जारी न किए जा सकने वाले नोट (1 रुपये के नोटों और सिक्कों सहित) मुद्रा तिजोरी में जमा कर दिए जाते हैं। नोटों और सिक्कों को संचलन में डालने / उससे बाहर करने का काम भारिबैं के निर्गम कार्यालयों और विभिन्न मुद्रा तिजोरीयों द्वारा किया जाता है। आरबीआई धीरे-धीरे करेंसी के खुदरा संवितरण का कार्य अपने यहां बंद किए जाने हेतु निकटवर्ती बैंक शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को विनिमय सुविधाओं का सहजतापूर्वक ऐक्सेस सुनिश्चित करता है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने वितरण प्रणाली और प्रक्रियाओं को मज़बूत बनाएं ताकि जनसाधारण की करेंसी संबंधी बढ़ती मांगों की पूर्ति की जा सके।

स्वच्छ नोट नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे नोटों को चलन से बाहर निकालने की सुनियोजित व्यवस्था की हुई है जो बहुत अधिक उपयोग के कारण गंदे हो जाते हैं या कट-फट जाते हैं। भारिबैं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत भारिबैं को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि केवल स्वच्छ नोट ही संचलन में रहें। इस दायित्व की पूर्ति के लिए गंदे और कटे-फटे नोटों को चलन से बाहर निकाला जाता है और आगे की प्रक्रिया तथा नष्ट करने के लिए निर्गम कार्यालयों को लौटा दिया जाता है।

भारिबैं, उपर्युक्तानुसार प्राप्त नोटों के मशीनीकृत ऑन-लाइन परीक्षण, अधिप्रमाणन, गणना, अलग-अलग करने तथा नष्ट करने के लिए "मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली" (सीवीपीएस) का प्रयोग करता है। प्रसंस्करण के बाद ऐसे नोटों को, जिन्हें फिर से जारी किया जाना संभव नहीं होता, उनके छोटे-छोटे टुकड़े करने और उनकी ईंटें बनाने के लिए सीवीपीएस द्वारा, संबंधित प्रणाली को स्वचालित रूप से भेज दिया जाता है। गंदे और कटे-फटे नोटों को प्राप्त करने और उनके प्रसंस्करण की प्रक्रिया को नीचे दर्शाया गया है:

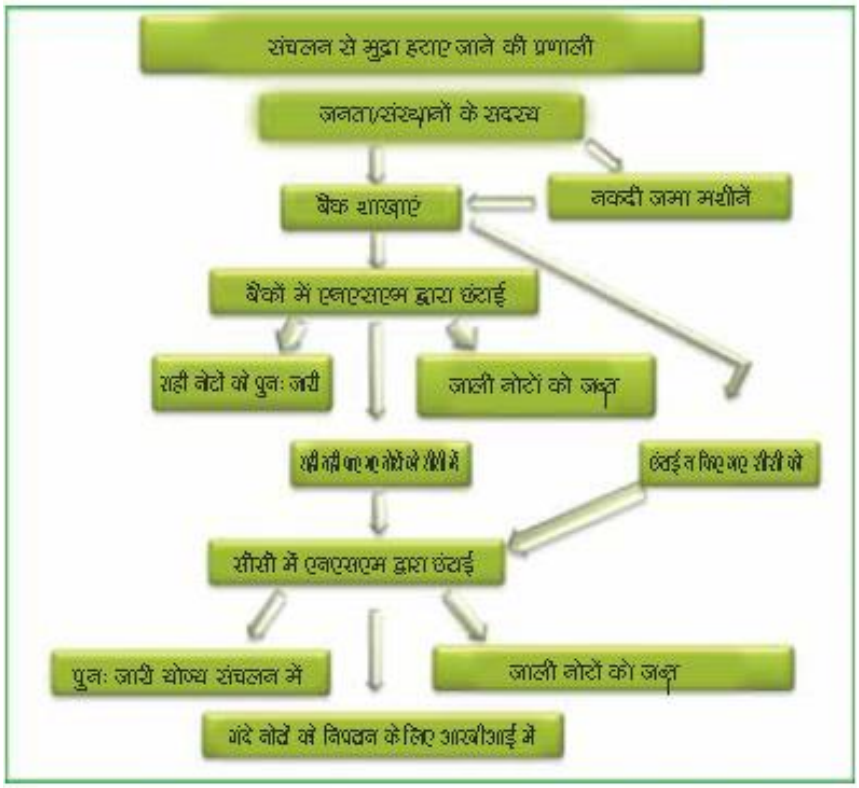

नोट बदलना

केवल स्वच्छ नोट संचलन में बनाए रखने के अपने दायित्व को निभाने के लिए भारिबैं गंदे और कटे-फटे नोट अपने निर्गम कार्यालयों और बैंक शाखाओं के माध्यम से बदलने का काम करता है। मूलत: नोटों के ऐसे दो संवर्ग होते हैं जिनका भारिबैं और बैंक शाखाओं के बीच विनिमय होता है - गंदे नोट और कटे-फटे नोट। गंदे नोट वे नोट होते हैं जो बहुत ज्यादा उपयोग के कारण गंदे और लिजलिजे हो जाते हैं, कटे-फटे नोट वे होते हैं, जिनका कोई हिस्सा गायब हो या जो दो से ज्यादा टुकड़ों से बना हो। गंदे नोटों को सभी बैंक शाखाओं में बदला जा सकता है। इसी प्रकार, कटे-फटे अपूर्ण नोटों को बदलने की सुविधा "नोट वापसी नियमावली, 2009" के अंतर्गत जनवरी

2013 से सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध कराई गई है। सभी बैंक शाखाओं को भारिबें (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के नियम 2(j) के अंतर्गत कटे-फटे / त्रुटिपूर्ण नोट बदलने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। नोट बदलने की क्रियाविधि में जुलाई 2018 से परिवर्तन किया गया है। भारिबैं (नोट वापसी) नियमावली के अनुसार नोटों की जांच के बाद 20 रुपये मूल्यवर्ग तक के नोटों का या तो पूरा मूल्य अदा किया जाता है या फिर कुछ भी मूल्य अदा नहीं किया जाता। 50 रुपये या उससे अधिक मूल्यवर्ग के नोटों का पूरा मूल्य या आधा मूल्य अदा किया जाता है या फिर कुछ भी मूल्य अदा नहीं किया जाता। कितना मूल्य अदा किया जाएगा, यह प्रस्तुत किए गए नोट के एकल सबसे बड़े भाग के क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसके अलावा, जो नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हों, जल गए हों या आपस में इस तरह जुड़ गए हों कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और उनका सामान्य उपयोग नहीं किया जा सकता, उनके लिए भारिबैं के निर्गम कार्यालयों में विशेष न्याय-निर्णयन प्रक्रिया उपलब्ध है।

जाली / नकली भारतीय मुद्रा नोटों संबंधी प्रक्रिया

जाली नोटों से तात्पर्य ऐसी नकली या जालसाजी वाली मुद्रा से है, जिसे धोखा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया हो। मुद्रा की जालसाजी एक ऐसा अपराध है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को खतरा बना रहता है और नागरिकों को वित्तीय हानि होती है।

जाली नोटों से होने वाले दुष्प्रभावों के अंतर्गत वास्तविक रकम के मूल्य में गिरावट, अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में मुद्रा के अत्यधिक संचलन के कारण मूल्यों में बढ़ोतरी (मुद्रास्फीति) - मुद्रा आपूर्ति में अनधिकृत कृत्रिक बढ़ोतरी, पेपर मुद्रा की स्वीकार्यता में कमी और अपनी जाली मुद्रा के समपहृत किए जाने से जनसाधारण को होने वाली हानि शामिल हैं। जिन देशों में संचलन में रहने वाली कुल मुद्रा में पेपर मुद्रा का हिस्सा काफी कम है, वहां मुद्रा की जालसाजी महत्व नहीं रखती हो, वहीं आर्थिक प्रभाव, जैसे मुद्रा के प्रति विश्वास, अधिक हो।

हमारे देश में, भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए तथा 489ई, नकली / जाली नोटों के मामलों से संबंधित है। कानून के अंतर्गत, नकली नोट बनाना, उन्हें लाना ले-जाना और यहां तक कि जानते-बूझते अपने पास रखना दंडनीय अपराध है। 'जालसाजी' की परिभाषा के अंतर्गत किसी विदेशी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी नोट भी शामिल हैं। भारत सरकार ने विधिविरुद्ध

क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के अपराधों का अन्वेषण नियम, 2013 भी बनाया है। उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची में उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय कागज करेंसी की परिभाषा दी गई है, अर्थात वॉटरमार्क (वॉटरमार्कों) की विद्यमानता, सुरक्षा धागा और निम्नलिखित में से कोई एक विशेषता: (क) प्रच्छन्न प्रतिमा; (ख) सी थ्रू रजिस्ट्रेशन; (ग) मुद्रण की स्पष्टता की गुणवत्ता; (घ) उत्कीर्ण मुद्रण; (ङ) फ्लोरेसेंट विशेषताएं; (च) सब्सट्रट गुणवत्ता; (छ) पेपर टैगंट (ज) ओवीआई में रंग परिवर्तन प्रभाव; (झ) सुरक्षा धागे में रंग परिवर्तन प्रभाव।

उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय नोटों के उत्पादन, तस्करी या संचलन की गतिविधि को यूएपीए, 1967 के दायरे में लाया गया है।

जाली नोटों के मामलों पर रोकथाम के लिए, भारत सरकार के परामर्श से भारिबैं निरंतर और आवधिक रूप से समीक्षा करता है और बैंक नोटों में की गई सुरक्षा संबंधी विशेषताओं को बेहतर बनाता रहता है। जाली/नकली बैंक नोटों के मामले रोकने के लिए यह कानून लागू करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ जानकारी भी साझा करता है। आरबीआई ने बैंक नोटों की सुरक्षागत विशेषताओं के प्रति जनजागरूकता पैदा करने और नकली/ जाली नोटों के संचलन को रोकने में जनसाधारण को शिक्षित कराने हेतु कतिपय कदम उठाए हैं। वर्तमान में भारतीय बैंकनोटों की विशेषताओं की मूलभूत जानकारी माइक्रोसाइट https://paisaboltahai.rbi.org.in/ पर होस्ट की गई है। भारिबैं ने बैंकों और सरकारी ट्रेज़रियों को नकली/ जाली नोट पहचानने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

भारिबैं ने बैंकों को ये अनुदेश भी दिए हैं कि :

- काउंटरों पर / बैक ऑफिस में सीधे / मुद्रा तिजोरीयों के माध्यम से, बड़ी मात्रा में प्रस्तुत किए गए / प्राप्त किए गए बैंक नोटों की वास्तविकता का पता नोट सॉर्टिंग मशीनों के जरिए लगाया जाए
- काउंटर पर, बैक ऑफिस में / मुद्रा तिजोरीयों में प्राप्त / प्रस्तुत किए गए नोटों में से कोई जाली / नकली नोट पाया जाता है तो उसे ग्राहक के खाते में जमा नहीं करना चाहिए।

- जाली नोट किसी भी हालत में उसके प्रस्तुतकर्ता को नहीं लौटाए जाने चाहिए और न ही उन्हें बैंक शाखाओं / ट्रेजरियों द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए।
- यदि किसी एक लेनदेन में चार नोट तक जाली पाए जाते हैं तो महीने के अंत में उसकी एक समेकित रिपोर्ट, संदिग्ध नोटों के साथ, पुलिस प्राधिकारियों को भेजी जानी चाहिए।
- किसी एक लेनदेन में पांच से अधिक जाली नोट मिलने के मामले में, जांच के लिए एफआईआर दर्ज करते हुए नोट तत्काल पुलिस स्टेशन को सौंप दिए जाने चाहिए।

भारतीय बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताएं

जालसाजी करेंसी नोटों के जारीकर्ताओं के सम्मुख एक प्रमुख मुद्दा है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और फोटोग्राफी में हुई तीव्र उन्नति के साथ ही सस्ते में उपकरणों की उपलब्धता के कारण जाली मुद्रा का विनिर्माण कार्य आसान हो गया है। इस समस्या से निपटने और जालसाजी करने वालों से हमेशा एक आगे रहने हेतु आरबीआई बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को नियमित रूप से बढ़ाते हुए अपनी करेंसी को अद्यतन रखता है। इन सुरक्षा विशेषताओं के कारण बैंक नोटों की जालसाजी की संभावना काफी कम हो जाती है। एमजी श्रृंखला के नए बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i) **जल-चिह्न (वाटरमार्क) :** इसमें एक ऐसी प्रतिमा होती है कि बैंक नोट को लाइट के सामने दिखाने पर यह दिखाई पड़ती है और इसे विनिर्माण प्रक्रिया इस प्रकार बनया जाता है कि वह कागज का अभिन्न अंग बन जाता है। इन बैंक नोटों में महात्मा गांधी के पोट्रेट के साथ मूल्यवर्ग अंक (इलेक्ट्रोटाइप) वाटरमार्क होता है।

ii) सुरक्षा धागा : रु.100 और उससे अधिक मूल्यवर्ग के नोटों में रंग बदलने वाला विंडोबद्ध सुरक्षा धागा होता है, जिसका रंग नोट को झुकाने पर हरे से नीला हो जाता है। रु.100, रु.200 और रु.500 के मूल्यवर्गों के नोटों में 'भारत' 'RBI' का उत्कीर्णन होता है। रु.2000 के नोटों में 'भारत' 'RBI' '2000' का उत्कीर्णन होता है। रु.10, रु.20 और रु.50 मूल्यवर्ग के नोटों में विंडोबद्ध धातु-रहित सुरक्षा धागे के साथ 'भारत' और 'RBI' का उत्कीर्णन होता है।

iii) अव्यक्त प्रतिरूप : अव्यक्त प्रतिरूप एक ऐसी विशेषता है जो नोट के भीतर छिपी हुई होती है। यह प्रतिरूप नोट को आंख के सामने क्षितिज स्तर पर रखने पर ही दिखाई पड़ता है। रु.100 और उससे अधिक मूल्यवर्ग के नोटों में यह अव्यक्त प्रतिरूप और अंकों में मूल्यवर्ग, नोट को आंख के सामने 45 डिग्री कोण पर रखने पर दिखाई पड़ता है।

iv) अतिलघु अक्षर : अतिलघु अक्षर ऐसे महीन उत्कीर्णन हैं जो केवल उच्च क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी/ आवर्धक लेंस के नीचे रखने पर ही पढ़े जा सकते हैं। यह विशेषता महात्मा गांधी के पोट्रेट के बाएं कंधे पर 'India' और 'भारत' उत्कीर्णनों के साथ दिखाई पड़ती है। नोटों के पृष्ठ भाग में चित्र पर भी ये अतिलघु अक्षर देखे जा सकते हैं।

v) इंटाग्लियो मुद्रण : स्याही के जमा होने से मुद्रण उभरता है और उसे छूने पर महसूस किया जा सकता है जो इंटाग्लियो मुद्रण कहलाता है। सौ रुपये और उससे ऊपर के मूल्यवर्ग के नोटों में, महात्मा गांधी का चित्र, भारिबैं की मुहर, अशोक स्तंभ, गारंटी और वचन खंड तथा भारिबैं के गवर्नर के हस्ताक्षर उत्कीर्ण रूप में मुद्रित किए गए हैं।

vi) सी-थ्रू रजिस्टर : सी-थ्रू रजिस्टर एक ऐसा डिजाइन है जिसे नोटों के दोनों ओर, बराबर आमने-सामने, आंशिक रूप से छापा जाता है तथा लाइट के सामने रखकर देखने पर एक ही डिजाइन के रूप में दिखाई देता है।

vii) प्रतिदीप्ति (फ्लोरेसेंस): यह एक खास सुरक्षा विशेषता है जिसमें ऑप्टिकल रेशे और फ्लोरेसेंस स्याही का उपयोग किया जाता है और जो अल्ट्रावाइलट लाइट में दिखाने पर चमकती है। नोटों के नंबर पैनल फ्लोरेसेंस स्याही में मुद्रित किए गए हैं तथा नोटों में ऑप्टिक रेखे भी डाले गए हैं, जो दोनों अल्ट्रावाइलट लाइट के नीचे रखकर देखने पर चमकते नज़र आते हैं। ऑप्टिकल रेशे दो रंगों के होते हैं (अर्थात प्रत्येक रेश दो रंग दिखाता है) जो लाल/ पीले और नीले/ हरे रंगों का मिश्रण हैं।

viii) रंग बदलती स्याही : रु.200 और उससे अधिक के मूल्यवर्ग के नोटों में रुपये का प्रतीक और मूल्यवर्ग रंग बदलती स्याही (प्रिफिक्स को छोड़कर) में नोट के अग्र-भाग पर लिखा होता है।

ix) कोणीय ब्लीडिंग रेखाएं : यह विशेषता 2016 से जारी किए गए सभी नोटों में देखी जा सकती है। अशोक स्तंभ के थोड़ा ऊपर नोट के बांए हाथ वाले कोने में उभरते मुद्रण में कई रेखाएं दिखाई देती हैं। इन रेखाओं के नंबर और उनके सेट / ब्लॉक नोटों के मूल्यवर्ग के अनुसार भिन्न होते हैं - 100 रुपये के नोटों में 4 रेखाएं (2 लाइनों के दो सेट), 200 रुपये के नोट में 4 रेखाएं (दो वृत्तों द्वारा अलग किए गए 2 सेट), 500 रुपये के नोट में 5 रेखाएं (2-1-2 के सेट में), 2000 रुपये के नोट में 7 रेखाएं (1-2-1-2-1 के सेट में)।

x) संख्याओं के फांट के आकार में आरोही वृद्धि : यह एक नई विशेषता है, जिसमें संख्या पैनल में संख्याओं (प्रिफिक्स को छोड़कर) के फांट के आकार में बाएं से दाहिनी ओर बढ़ने पर वृद्धि दिखाई देती है।

xi) **पहचान चिह्न:** ये विशेषताएं उच्च मूल्यवर्ग के नोटों पर मौजूद हैं ताकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में मदद की जा सके। यह रु.100 में त्रिकोण ( ), रु.200 में 'H' आकार ( ), रु.500 में वृत्ताकार ( ) और रु.2000 में आयत ( ) के रूप में मौजूद है।

मुद्रा नोट की कुछ मुख्य विशेषताएं

उक्त सुरक्षा विशेषताओं के अलावा, मुद्रा नोट की कुछ अनिवार्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

जारीकर्ता का नाम - नोट के सबसे ऊपर इसके जारीकर्ता प्राधिकारी अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा होता है।

गारंटी खंड - वह खंड जिसमें यह घोषणा की जाती है कि यह भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है।

वचन खंड - वह खंड जिसमें नोट पर हस्ताक्षर करने वाला यह वचन देता है कि वह वाहक को नोट में उल्लिखित राशि की अदायगी करेगा।

जारीकर्ता के हस्ताक्षर - भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर।

नंबर पैनल - प्रत्येक नोट पर एक अलग नंबर - जो 6 अंकीय होता है और उसके आगे 3 अंकीय अल्फा न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। इसके लिए एक भिन्न प्रकार के फांट का प्रयोग किया जाता है और अंकों के बीच की दूरी समान रखी जाती है।

मूल्यवर्ग - मुद्रा का मूल्यवर्ग - संख्या में

महात्मा गांधी का चित्र - मध्य में महात्मा गांधी का चित्र

भाषा पैनल- नोट के पृष्ठ भाग पर 15 भाषाओं में मूल्यवर्ग लिखा होता है।

विमुद्रीकरण

विमुद्रीकरण से अर्थ किसी मुद्रा इकाई (यूनिट) की विधि-मान्यता समाप्त कर देने से है। यह एक ऐसा कृत्य या प्रक्रिया है जिसमें किसी मुद्रा इकाई की विधिमान्यता समाप्त कर दी जाती है। जिन मुद्राओं का विमुद्रीकरण किया जाता है, वे सभी विधिमान्य नहीं रह जातीं। ऐसी मुद्रा, मुद्रा (धन) नहीं रहती और किसी भी लेनदेन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कई देशों ने अत्यधिक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने, आर्थिक स्थिरता बढ़ाने तथा नकली / जाली नोटों को समाप्त करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया है।

भारत में, पहला विमुद्रीकरण 1946 में किया गया था, जब काला- बाजारी रोकने और कर-वंचन पर लगाम लगाने के लिए 12 जनवरी 1946 को 500, 1000 और 10000 रुपये के नोटों की विधि-मान्यता समाप्त कर दी गई। लेकिन, बाद में 5000 रुपये का नोट चलन में लाया गया और 1000 तथा 10,000 रुपये के नोटों को फिर से विधि-मान्यता प्रदान कर दी गई। विमुद्रीकरण का दूसरा चरण 16 जनवरी 1978 को लागू हुआ, जब असामाजिक तत्वों के बीच गैर-कानूनी लेनदेनों पर रोक लगाने के लिए 1000, 5000 और 10000 रुपये के नोटों को चरणबद्ध रूप से विमुद्रीकृत करने के लिए विधेयक लाया गया।

विमुद्रीकरण का तीसरा चरण 2016 में लागू हुआ, जब 8 नवंबर 2016 की गजट अधिसूचना सं. 3407(ई) द्वारा भारत सरकार ने विनिर्दिष्ट नोटों के रूप में संदर्भित 500 और 1000 रुपये के नोटों की विधिमान्यता समाप्त कर दी। 30 दिसंबर 2016 को विनिर्दिष्ट बैंक नोट (देयता समाप्ति) विधेयक लाया गया, (जिसे बाद में अधिनियम बना दिया गया)। इसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत 31 दिसंबर 2016 से, विमुद्रीकृत नोटों के संबंध में भारिबैं की कोई देयता नहीं रहेगी और धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार की गारंटी भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन, कई गजट अधिसूचनाओं द्वारा, उसमें दी गई शर्तों के अधीन, अनिवासी भारतीयों और विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान देश से बाहर गए भारतीयों को उक्त नोट बदलने के लिए अनुग्रह अवधि प्रदान की गई। भारत सरकार ने 30 दिसंबर 2016 से पहले कानून प्रवर्तक एजेंसियों द्वारा अधिहृत/ अभिगृहीत एसबीएन को जमा करने के संबंध में 12 मई 2017 की विनिर्दिष्ट बैंक नोट (अधिहृत नोटों का जमा किया जाना) नियमावली, 2017 भी जारी की।

हाल की गतिविधियां

i. बैंक नोट गुणवत्ता आश्वासन के लिए प्रयोगशाला

बैंक ने विशेषज्ञ समूह की सिफारिश के आधार पर बैंक नोट गुणवत्ता आश्वासन के लिए अक्तूबर 2018 में एक प्रयोगशाला की स्थापना की। उक्त प्रयोगशाला की स्थापना सभी मुद्रण प्रेसों के लिए मुद्रण से पहले और बाद की अवस्था में बैंकनोटों के मानकीकरण व अनुमोदन में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इसका गठन यह सुनिश्चित करने के लिए कि संचलनगत नोटों के मामले में गुंजाइश का स्तर आरबीआई द्वारा मुद्रण के संबंध में निर्धारित मानकों के

भीतर है, किया गया है। वर्तमान में इस उन्नत प्रयोगशाला का उपयोग लैब मूल्यों की दृष्टि से प्रेसों से प्राप्त मुद्रण प्रूफ की जांच के लिए किया जा रहा है।

ii. **मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर (मणि)**

भारतीय बैंकनोट में कई विशेषताएं हैं अर्थात् उत्कीर्ण मुद्रण (इंटैग्लियो प्रिंटिंग) और स्पर्शनीय (टैक्टाइल) चिह्न, बैंकनोटों के विभिन्न आकार, बड़े अंक, परिवर्तनीय रंग, मोनोक्रोमेटिक रंग और पैटर्न आदि, जो दृष्टिबाधित (वर्णान्ध, आंशिक रूप से दृष्टिहीन और नेत्रहीन) लोगों को उसे पहचानने में सक्षम बनाती हैं। नए डिजाइन के नोटों की शुरुआत करते समय पुराने डिजाइन नोटों को वैध मुद्रा के रूप में बने रहने दिया जाता है, क्योंकि पुरानी श्रृंखला के नोटों को तुरंत ही संचलन से निकाले जाने से जनसाधारण को काफी असुविधा होगी। अत: यह सर्वमान्य प्रथा है कि पुरानी श्रृंखला/ डिजाइन के नोटों को तब तक के लिए संचलन में रहने दिया जाए जब तक कि उन्हें सामान्य क्रम में गंदे नोट के रूप में बैंकों को वापस नहीं कर दिया जाता हो। नोटों को इस प्रकार से निष्क्रिय रूप से संचलन से हटाए जाने में कुछ वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि विभिन्न मूल्यवर्गों के नोटों के जीवन-कालों में अंतर होता है। एमजी (नई) श्रृंखला और पुरानी महात्मा गांधी श्रृंखला के नोटों के आंकार भिन्न-भिन्न होते हैं, जिनमें सबसे कम मूल्यवर्ग के नोट सबसे छोटे और अधिक मूल्यवर्ग के नोटों का आकार बड़ा होता है। ज्यों ही पुरानी श्रृंखला के बैंक नोट सामान्य क्रम में संचलन से बाहर हो जाएंगे, त्यों ही दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए नई श्रृंखला के बैंकनोटों की स्वत: पहचान करना आसान हो जाएगा।

एमजी श्रृंखला और एमजी (नई) श्रृंखला के बैंकों नोटों के समवर्ती संचलन को ध्यान में रखते हुए बैंक बैंकनोटों के मूल्यवर्गों की पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकीय सोल्यूशनों का पता लगाने में जुटा है। तदनुसार, जनवरी 2020 में उसने ''मणि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर' नामक मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया, जिससे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय बैंकनोटों का उपयोग आसान हो गया है और उन्हें अपने दैनिक लेनदेन करने में सुविधा हुई है।

इस मोबाइल एप्लिकेशन में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

क. महात्मा गांधी श्रृंखला और महात्मा गांधी (नई श्रृंखला) के नोटों के मूल्यवर्ग की प्रकाश की विभिन्न स्थितियों (सामान्य प्रकाश, दिन का प्रकाश, कम प्रकाश आदि) में आधे मुड़े नोट के साथ नोट के अगले/ पिछले या किसी भी भाग की अलग-अलग कोणों से पकड़कर जांच करने में सक्षमता।

ख. हिंदी / अंग्रेजी में श्रव्य सूचना और गैर-ध्वनि मोड जैसे कंपन (दृष्टि एवं श्रव्य बाधित लोगों के लिए उपयुक्त) के माध्यम से मूल्यवर्ग को पहचानने की क्षमता ।

ग. एप्लिकेशन इन्स्टाल करने के बाद इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह ऑफ़लाइन मोड में भी काम करता है।

घ. इसमें एप्लिकेशन की विशेषताओं तक पहुँचने के लिए वॉइस कंट्रोल द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन को नेविगेट करने की क्षमता है क्योंकि अंतर्निहित डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम संयोजन वॉइस सक्षम कंट्रोल द्वारा समर्थित है।

ङ. इस एप्लिकेशन को एंड्रॉइड प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर से बिना किसी शुल्क / भुगतान के मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।.

च. यह मोबाइल एप्लिकेशन किसी नोट के वास्तविक या जाली होने को आधिप्रमाणित नहीं करता

iii. **मुद्रा प्रबंधन कार्यकलापों का कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) के साथ एकीकरण**

रिज़र्व बैंक और मुद्रा तिजोरियों में पूर्व में प्रयुक्त समन्वित करेंसी चेस्ट परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आईकॉम्स) के स्थान पर बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) में नए मुद्रा प्रबंधन मॉड्यूल (सीवाईएम) शुरू किया गया है। नए मॉड्यूल की कुछ मुख्य विशेषताओं में उन्नत इनवेंटरी प्रबंधन, करेंसी चेस्ट लेनदेन का सन्निकट तत्काल लेखांकन, पारगमन लेखांकन और संचलनगत मुद्रा पर बेहतर नज़र रखना शामिल हैं। इस एकीकरण परियोजना को तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाना है। पहले और दूसरे चरणों में सभी सक्रिय मुद्रा तिजोरियों (सीसी) को सभी 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) के साथ जोड़ते हुए सीवाईएम में समाविष्ट करना है और यह कार्य पूरा हो चुका है। तीसरे चरण में उपयोगकर्ता रिपोर्टों और कतिपय अन्य कार्यकलापों, जैसे उच्च प्रबंध-तंत्र के लिए डैशबोर्ड, मुद्रण प्रेसों/ टकसालों के लिए पोर्टल सेवाएं, संबद्ध बैंक शाखाओं का एकीकरण आदि, का विकास किया जाना शामिल है, जो 2020 में पूरा होने की संभावना है।

iv. **नई सीवीपीएस मशीनों का इन्स्टॉलेशन**

चूंकि 2017-18 में मौजूदा सीवीपीएस मशीनें पुरानी और आउटडेट हो चुकीं, अत: आरबीआई ने 50 नई सीवीपीएस मशीनें खरीदीं और उन्हें चरणबद्ध रूप से विभिन्न निर्गम कार्यालयों में इन्स्टॉल किया गया। इन मशीनों को परिचालन हेतु चालू किया जा चुका है। पुरानी मशीनों की तुलना में इन मशीनों के कई सारे लाभ हैं, जैसे- संसाधन की तेज गति, चार ओरिएंटेशनों, अर्थात सामने, पीछे, बगल में आदि, में से किसी में भी

नोट रखने की सुविधा तथा इसमें अलग-अलग मूल्यवर्गों के नोटों का संसाधन किया जा सकता है।

v. **करेंसी चेस्टों से संबंधित न्यूनतम मानक और करेंसी चेस्ट (सीसी) का युक्तिसंगत बनाया जाना**

करेंसी आवाजाही संबंधी समिति [अध्यक्ष: श्री डी.के. मोहंती, कार्यपालक निदेशक] ने यह सिफारिश की कि आरबीआई बैंकों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बड़े करेंसी चेस्ट खोलने के लिए प्रोत्साहित करे। इसके परिणामस्वरूप, आरबीआई ने यांत्रिक संसाधन के लिए पर्याप्त क्षमता युक्त बड़े आधुनिक करेंसी चेस्टों की संख्या इष्टतम स्तर पर रखने की दृष्टि से करेंसी चेस्टों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने का कार्य हाथ में लिया ताकि बैंक शाखाओं/ जनसाधारण को उच्च गुणवत्ता वाले असली नोट उपलब्ध कराते हुए बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान की जा सके। तदनुसार, रिज़र्व बैंक बैंकों को नए बड़े करेंसी चेस्ट खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है और नए करेंसी चेस्टों की स्थापना के लिए निम्नलिखित न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट किए हैं:

क. कम से कम 1500 वर्गफुट का स्ट्रांग रूम / वॉल्ट का क्षेत्रफल। कम से कम 600 वर्ग फुट उन के लिए (जो केंद्र / राज्य सरकार / अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा परिभाषित) पहाड़ी / दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं।

ख. 6,60,000 बैंकनोट प्रतिदिन की प्रसंस्करण क्षमता। 2,10,000 बैंकनोट प्रतिदिन उन के लिए जो पहाड़ी / दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं।

ग. स्वचालन को अपनाने तथा सूचना प्रौद्यौगिकी समाधानों के लिए अनुकूलता।

घ. जमीनी वास्तविकता और समुचित प्रतिबंधों के अनुरूप रिजर्व बैंक के विवेकानुसार रु. 10 बिलियन की तिजोरी शेष सीमा (Chest Balance Limit)।

ङ. निर्माण आदि के संबंध में डीसीएम द्वारा जारी अन्य मौजूदा तकनीकी विशिष्टताओं का पालन।

अध्याय 15: बैंकों का बैंक और सरकार का बैंकर

केंद्रीय बैंकों की शक्तियां और उनकी व्यापकता हर देश में समान नहीं है। लेकिन ,"बैंकों के बैंक" और "सरकार के बैंकर" जैसे कुछ कार्य आमतौर पर सभी केंद्रीय बैंकों द्वारा किए जाते हैं। हमारे देश में भी भारिबैं ये दोनों कार्य करता है।

बैंकों का बैंक

व्यक्तिगत ग्राहकों, सभी प्रकार के व्यवसायियों और संस्थाओं की तरह बैंकों को भी अन्य बैंकों से उधार लेने-देने और ग्राहक लेन-देन जैसे अंतर-बैंक लेन-देन के निपटान के लिए निधि-अंतरण हेतु अपनी खुद की व्यवस्था की जरूरत होती है। बैंकों के बैंक के रूप में भारिबैं यह भूमिका निभाता है। इस भूमिका को निभाते समय भारिबैं निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है -

- अंतर-बैंक लेन-देन का आसान, सहज और बाधारहित समाशोधन और निपटान हो
- बैंकों के लिए निधि-अंतरण का कारगर साधन उपलब्ध हो
- सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी अपेक्षाएं तथा लेन-देन शेष बनाए रखने के लिए भारिबैं के पास खाते खोलने की सुविधा हो
- आवश्यकता पड़ने पर, अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाना

अंतिम ऋणदाता के रूप में, भारिबैं ऐसे बैंकों की सहायता के लिए आगे आ सकता है जो शोधन-क्षम तो हों पर अस्थाई तौर पर चलनिधि की समस्या से जूझ रहे हों। ऐसे समय जब कोई भी उनकी सहायता के लिए तैयार न हो तो भारिबैं उन्हें अति-आवश्यक चलनिधि सुविधा प्रदान करके उनकी सहायता करता है। यह सहायता वह जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा बैंक के फेल होने की उस संभावना को रोकने के उद्देश्य से करता है, जिससे अन्य बैंक और संस्थाएं भी प्रभावित हो सकती हैं और वित्तीय स्थिरता तथा अंततः पूरी अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ सकता है।

<u>विधिक उपबंध</u>

• भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 17 - वह व्यवसाय जिसे बैंक द्वारा किया जा सकता है, इसमें बैंकों के साथ किए जाने वाले लेन-देन भी शामिल हैं

• भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - बैंकों द्वारा भारिबैं के पास आरक्षित नकदी निधि बनाए रखना

<u>बैंकों के चालू खाते रखना</u>

रिज़र्व बैंक के पास खाता खोलने के लिए पात्र बैंक और वित्तीय संस्थाएं केवल एक चालू खाता खोल सकते हैं। निम्नलिखित संस्थाएं भारिबैं के पास चालू खाता रखती हैं -

- वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (ग्रामीण बैंक), स्थानीय क्षेत्र बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक और अन्य किसी भी प्रकार का बैंक जिसे भारिबैं द्वारा लाइसेंस जारी किया गया हो
- भारतीय वित्तीय संस्थाएं, प्राथमिक व्यापारी, बीमा कंपनियां, म्युच्युअल फंड, विदेशी संस्थाएं- जैसे विदेशी केंद्रीय बैंक, सुपरानेशनल संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आदि
- अन्य ईकाइयां, यदि कोई हों तो, जिन्हें भारिबैं में चालू खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत/अनुमोदित किया गया हो।

<u>उद्देश्य</u>

चालू खाता, भारिबैं के उस क्षेत्रीय कार्यालय की ई-कुबेर प्रणाली[85] (सीबीएस) में खोला जाता है, जहां उस संस्था का प्रधान कार्यालय / कंपनी कार्यालय स्थित होता है। चालू खाते का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जाता है :

- बैंकों द्वारा सीआरआर बनाए रखने के लिए
- भारिबैं के पास चालू खाता रखने वाली संस्थाओं के बीच अंतर-संस्थागत निधि-अंतरण के लिए अंतर-बैंक निपटान
- भारिबैं और सरकारी विभागों को भुगतान करने के लिए।

[85] ई-कुबेर भारिबैं द्वारा परिचालित दुनिया की सबसे प्रमुख केंद्रीय बैंक उन्मुख कोर बैंकिंग प्रणालियों में से एक है। देश भर में प्रत्येक बैंक के लिए एक एकल चालू खाते का प्रावधान, पोर्टल आधारित सेवाओं का उपयोग करके सुरक्षित तरीके और आसान परिचालन द्वारा कहीं भी-कभी भी इस खाते तक विकेंद्रीकृत रुप से एक्सेस।

प्रतिबंध

चालू खाते में तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) लेन-देन की अनुमति नहीं है। चालू खाते में एक दिन के ओवरड्राफ्ट सहित ओवरड्राफ्ट की अनुमति भी नहीं है।

विशेष प्रयोजन खाते

भारिबैं के पास चालू खाता रखने वाले वित्तीय संस्थानों / बैंकों को कुछ विशिष्ट प्रयोजन के लिए अतिरिक्त खाते की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे खातों के उदाहरण हैं- लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) खाता, एसबीआई डीडी/टीटी देय खाता, सीसीआईएल मल्टी मोडल खाता आदि हैं। ऐसे विशेष प्रयोजन खाते अनुरोध के आधार पर किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में और संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग के अनुमोदन से खोले जा सकते हैं।

आरटीजीएस निपटान खाते

चालू खाते के अतिरिक्त आरटीजीएस लेन-देन के लिए बैंकों द्वारा एक अलग खाता निपटान खाता भी रखा जाता है जिसे केंद्रीय रूप में मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय (एमआरओ) द्वारा रखा जाता है।

भारत से बाहर निगमित संस्थाओं के खाते

भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 17(13) के अनुसार भारिबैं को भारत से बाहर निगमित संस्थाओं और बैंकों के एजेंट/प्रतिनिधि (कोरेसपोंडेंट) के तौर पर काम करने के लिए अधिकृत किया गया है और वह उनके लिए रुपया खाता खोल सकता है। ऐसे खाते मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में खोले जाते हैं (नेपाल राष्ट्र बैंक के खाते को छोड़कर जिसे कोलकाता आरओ में रखा जाता है)। ऐसे खातों को खोलने, न्यूनतम शेष राशि रखने, डेबिट और क्रेडिट के प्रकार आदि के संबंध में नीति संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है और उनके अनुरोध पर ऐसे खाते खोले जाते हैं।

भारिबैं के पास चालू खाता बनाए रखने वाली कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निम्नलिखित हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष(आईएमएफ)
- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक(आईबीआरडी)
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी)
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी)
- अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि(आईएफएडी)
- अफ्रीकी विकास निधि (एडीएफ)

विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, सुपरानैशनल संस्थानों के चालू खातों में परिचालन संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग के अनुदेशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

<u>बैंकों तथा अन्य संस्थाओं को ऋण और अग्रिम की मंज़ूरी</u>

रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और विभिन्न अन्य संस्थानों को ऋण, अग्रिम अनुदान और बट्टे पर हुंडी भुनाने के लिए प्राधिकृत है, जिनका विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 17 और 18 की विभिन्न उप- धाराओं में दिया गया है। प्रदान किए जा सकने वाले ऋणों और अग्रिमों के प्रकार और जिन संस्थाओं को ऐसे ऋण और अग्रिम दिए जा सकते हैं, उनके बारे में भारिबैं अधिनियम 1934 की धारा 17 और 18 में विस्तार से बताया गया है। तदनुसार बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर, रेपो/मीयादी रेपो/सीमांत स्थायी सुविधा(एमएसएफ) के अंतर्गत भारिबैं से चलनिधि सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इन सुविधाओं के अलावा, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं जैसे नाबार्ड, एक्जिम, सिडबी आदि भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 17 के विविध उपबंधों के अंतर्गत ऋण और अग्रिम लेने के लिए पात्र हैं। भारिबैं के पास चालू खाता रखने वाले प्राथमिक व्यापारी भी चलनिधि सहायता सुविधा और रेपो / मीयादी रेपो की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

<u>सरकार का बैंकर</u>

सरकार के बैंकिंग लेन-देन का प्रबंधन भारिबैं के प्रमुख कार्यों में से एक है। व्यक्तियों, व्यवसायियों और बैंकों की तरह सरकार को भी बैंकर की जरूरत होती है, जो जनता से संसाधन जुटाने सहित, उसके वित्तीय लेन-देन को कुशलता से और कारगर तरीके से संभाल सके। भारिबैं ने अपनी स्थापना के साथ ही, सरकार के बैंकिंग लेन-देन को संभालने का परंपरागत केंद्रीय बैंकिंग कार्य करना शुरू कर दिया था। केंद्रीय बैंक सरकार के एजेंट और परामर्शदाता के रूप में भी काम करता है। सरकार के एजेंट के तौर पर उसे सरकार की ओर से लोक ऋण के प्रबंधन के साथ-साथ नए निर्गम और

ट्रेज़री बिल जारी करने का काम भी सौंपा गया है। सरकार के वित्तीय परामर्शदाता के रूप में भारिबैं, घाटे के वित्तपोषण, करेंसी के अवमूल्यन, व्यापार-नीति, विदेशी मुद्रा नीति आदि जैसी आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सरकार को परामर्श देता है। सरकार का कारोबार भी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के ट्रेज़री नियमों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाता है।

विधिक उपबंध: भारिबैं अधिनियम की धारा 20 और 21 के अंतर्गत भारिबैं का क्रमश: यह दायित्व और अधिकार है कि वह केंद्र सरकार के खातों में राशियां स्वीकार करे, उसके खाते में जमाराशि की सीमा तक भुगतान करे तथा केंद्र सरकार के लोकऋण के प्रबंधन सहित उसके विनिमय, विप्रेषण और बैंकिंग संबंधी अन्य कार्य करे। उक्त अधिनियम की धारा 21ए के अनुसार, भारिबैं संबंधित राज्य सरकार के साथ करार करते हुए उनका बैंकिंग कारोबार कर सकता है। सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों की सरकारों ने इस हेतु भारिबैं के साथ करार किया है और वह उनके बैंकर की भूमिका अदा करता है। सिक्किम के साथ उसके लोक ऋण के प्रबंधन का ही सीमित करार है। भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 45 के अनुसार भारिबैं को सरकारी कारोबार के लिए एजेंसी बैंक नियुक्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, क्योंकि देश में हर जगह भारिबैं के कार्यालय नहीं हैं।

केंद्र सरकार का बैंकरः

प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत, केंद्र सरकार को भारिबैं के पास न्यूनतम नकद जमाशेष रखना होता है। केंद्र सरकार के निम्नलिखित खाते भारिबैं के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की ई-कुबेर (सीबीएस) प्रणाली में रखे जाते हैं और इन खातों के प्रधान खाते भारिबैं, नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग(सीएएस) में रखे जाते हैं:

i) केंद्र सरकार (सिविल)
ii) रेलवे निधि
iii) डाक निधि
iv) दूरसंचार निधि
v) रक्षा निधि

vi) विभागीकृत मंत्रालय

vii) एजेंसी लेन-देन खाता

इन खातों के माध्यम से ही सभी प्राप्तियां, भुगतान / संवितरण, समाशोधन / विप्रेषण, लेन-देन किए जाते हैं।

राज्य सरकारों का बैंकर

सिक्किम को छोड़कर, सभी राज्य सरकारों के प्रधान खाते, "सरकारी जमा खाता - राज्य" शीर्षक के अंतर्गत केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में रखे जाते हैं। प्रत्येक राज्य के खाते में रखे जाने वाले न्यूनतम जमा-शेष की राशि भी अलग-अलग है, जो राज्य के बजट के आकार तथा आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। राज्य सरकारों की ई-प्राप्ति और ई-भुगतान के लिए भारिबैं ने एक मानकीकृत मॉडल तैयार किया है, जिसकी चर्चा इस अध्याय के अंत में की गई है। अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार ई-प्राप्तियों के लिए 16 राज्यों तथा ई-भुगतानों के लिए 19 राज्यों को ई-कुबेर में एकीकृत किया गया है। एकीकरण की सीमा के आधार पर राज्य अपने लेन-देन अन्य एजेंसी बैंकों/भारिबैं के माध्यम से करते हैं।

खातों के प्रकार

सरकारी विभागों द्वारा भारिबैं के पास निम्नलिखित में से एक या उससे अधिक प्रकार के खाते रखे जाते हैं:

- व्यक्तिगत बही खाताः ये चालू खाते के स्वरूप के होते हैं। ये खाते उन सरकारी अधिकारियों के नाम पर खोले जाते हैं जिन्हें प्राप्तियों और आहरणों के लिए सरकार की ओर से विनिर्दिष्ट किया जाता है। अनिवार्य शर्त यह है कि खाते में उपलब्ध जमाशेष की सीमा तक ही राशि आहरित की जा सकती है।
- आहरण खाताः ये खाते उन सरकारी अधिकारियों के लिए रखे जाते हैं, जिन्हें बिना किसी सीमा के सरकारी खातों से राशि आहरित करने की अनुमति दी गई हो। भारिबैं के पास अधिकांश खाते इसी प्रकार के हैं।
- समनुदेशन खाता / साख-पत्र खाताः ये केवल आहरण खाते होते हैं, और कार्यालयों द्वारा उन सरकारी अधिकारियों के लिए रखे जाते हैं, जिन्हें एक तय अवधि के लिए संबंधित वेतन और लेखा अधिकारी / लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा निश्चित राशि आबंटित की गई

हो। तय अवधि के दौरान, आहरण और संवितरण अधिकारियों की ओर से भुगतान, समनुदेशन की राशि अथवा साख-पत्र की राशि से अधिक राशि का नहीं होगा।

एजेंसी बैंकों की नियुक्ति

भारिबैं द्वारा परिचालन शुरू (1अप्रैल 1935) किए जाने के साथ ही इंपीरियल बैंक ने पहले दो दशकों तक उन स्थानों पर भारिबैं के एजेंट की भूमिका निभाई जहां भारिबैं की प्रत्यक्ष रूप में कोई उपस्थिति नहीं थी। लेकिन, जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के साथ ही यह कार्य उसके पास आ गया। वर्ष 1976 में शुरू की गई एक योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय और विभाग का लेन-देन संबंधी काम सरकारी क्षेत्र के एक विशिष्ट बैंक को आबंटित कर दिया गया। अत: भारिबैं, किसी ऐसे विशेष मंत्रालय/विभाग को छोड़कर, जिसके बैंकर के रूप में उसे नामित किया गया हो, सरकार के दैनिक लेन-देन का काम नहीं देखता।

भारिबैं अधिनियम,1934 की धारा 45 के अनुसार जब तक कि किसी स्थान के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया हो, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग सुविधा आदि को ध्यान में रखकर भारत सरकार का कारोबार संचालित करने के लिए नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों तथा अन्य बैंकों को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त कर सकता है। भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 45(1) के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार ने 17 अप्रैल 2000 की अधिसूचना में यह अधिसूचित किया कि भारिबैं किसी भी अनुसूचित बैंक या फिर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को भारत में किसी भी स्थान पर अपना एजेंट नियुक्त कर सकता है। तद्नुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कारोबार संचालित करने के लिए एजेंट नियुक्त किया गया है।

केन्द्र सरकार के खाते के सभी लेन-देन की सूचना एजेंसी बैंक द्वारा सीधे ही केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय (उदाहरण के लिए जीएसटी, आईसीईगेट (इंडियन कस्टम ईडीआई गेटवे) आदि को दी जाती है, लेकिन राज्य सरकारों के खातों के लेन-देन की सूचना संबंधित राज्य के भारिबैं के क्षेत्रीय कार्यालय को दी जाती है जो “एजेंसी लेन-देन खाता - राज्य” खाता शीर्ष के अंतर्गत खाते के ब्योरे रखता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इन खातों के

शेष को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हर माह की 1 और 11 तारीख को केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में रखे जा रहे उनके संबंधित पीजीडीए खातों में अंतरित कर दिया जाता है।

सरकार का कारोबार करने के लिए एजेंसी बैंकों को कमीशन अदा किया जाता है। भारिबैं द्वारा उक्त एजेंसी बैंकों का आवधिक निरीक्षण यह देखने के लिए किया जाता है कि सरकारी कारोबार संभालने के संबंध में जो अनुदेश जारी किए जाते हैं, उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। भारिबैं को केंद्र तथा राज्य सरकारों के ब्याज-मुक्त न्यूनतम जमाशेष रखने को छोड़कर, उनका सामान्य बैंकिंग कामकाज देखने के लिए कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता।

सरकारी एजेंसियों की भूमिका

भारत सरकार और राज्य सरकारों का बैंकिंग कार्य देखने के लिए कई एजेंसियां जिम्मेदार होती हैं, इसलिए वे भारिबैं से लगातार संपर्क बनाए रखती हैं। इस संबंध में दो प्रमुख संस्थाएं लेखा महानियंत्रक (सीजीए) और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) हैं। गैर-सिविल मंत्रालयों (रेलवे, रक्षा, डाक तथा दूरसंचार) का लेखांकन संबंधी काम उनके संबंधित लेखांकन प्राधिकारियों, अर्थात् रेलवे बोर्ड, रक्षा लेखा महानियंत्रक, पोस्टल बोर्ड तथा दूरसंचार बोर्ड द्वारा देखा जाता है। सीजीए और सी एंड एजी केंद्र सरकार के सिविल मंत्रालयों की तथा राज्य सरकारों की समस्त बैंकिंग गतिविधियों के लेखांकन और लेखापरीक्षा का काम देखते हैं। इसे निम्नानुसार विभाजित किया जाता है

	केंद्र सरकार (सिविल)	**केंद्र सरकार (गैर-सिविल)**	**राज्य सरकार**
लेखांकन	लेखा महानियंत्रक (सीजीए)	संबंधित लेखा प्राधिकारी (रेलवे, रक्षा, डाक और दूरसंचार)	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) अपने एजी कार्यालयों के माध्यम से
लेखापरीक्षा	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी)	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी)	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) अपने एजी कार्यालयों के माध्यम से

सामान की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए प्रावधान

भारिबैं के साथ बैंकिंग करने वाले सरकारी मंत्रालयों / केंद्र और राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों के विभागों से सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सामान स्वीकार किया जाता है। छोटे बक्से / मुहरबंद पैकेट सुरक्षित अभिरक्षा के लिए स्वीकार किए जाते हैं और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए वॉल्ट के स्थान में इन्हें रखा जाता है। सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सामान प्रारंभिक तौर से 6 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन, यदि कोई सरकारी विभाग इससे लंबी अवधि के लिए अपना सामान सुरक्षित अभिरक्षा में रखना चाहता है तो वह 6 वर्ष की निर्धारित अवधि समाप्त होने के दिन या उससे पहले उसे वापस लेकर उसे फिर से जमा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन कर सकता है। क्षेत्रीय कार्यालय अपने विवेकाधीन पर सामान पुनः जमा करने की अनुमति दे सकता है। सामान सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाता।

केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), नागपुर के कार्य

केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रधान खाते रखता है और वह प्रत्येक दिन की समाप्ति पर विविध खातों का समतुलन करता है, जिसे दैनिक स्थिति (डीपी) कहा जाता है। सीएएस, नागपुर द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं :

- दैनिक स्थिति निकालने के बाद उसकी सूचना केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों तथा भारिबैं के पास खाता रखने वाली राज्य सरकारों को ई-मेल के जरिए हर दिन भेजी जाती है। यह सूचना केंद्रीय कार्यालय के कुछ चयनित विभागों को भी भेजी जाती है।
- केंद्र सरकार तथा भारिबैं के पास खाता रखने वाली सभी राज्य सरकारों के खाते में, उनके साथ किए गए संबंधित करार के अनुसार, न्यूनतम जमा शेष बनाए रखने पर नजर रखना।
- केंद्र सरकार को अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट तथा राज्य सरकारों को विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) तथा ओवरड्राफ्ट प्रदान करना।
- आपसी सहमति के अनुसार निर्धारित न्यूनतम जमाशेष राशि से ज्यादा शेष होने पर उसे भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश करना।
- राज्य सरकारों की अधिशेष निधियों का 14 दिवसीय मध्यवर्ती ट्रेज़री बिलों में निवेश करना और यदि निर्धारित न्यूनतम जमाशेष में कमी हो जाए तो उनकी पुनर्भुनाई करना।

- भारिबैं के विभिन्न कार्यालयों द्वारा संग्रहण की गई प्रत्यक्ष कर की राशि के आंकड़ों को ओएलटीएएस-एनएसडीएल पोर्टल में अपलोड करना।
- विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा जारी अधिदेशों का पंजीकरण (आरआईडीएफ, एमआईएफ आदि के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए)।
- एजेंसी बैंकों और केंद्र सरकार के बीच निधियों का दैनिक निपटान करना।
- संबंधित राज्य सरकारों के खातों से, राज्य विकास ऋणों के निर्गमन-प्रभारों तथा प्रबंधन कमीशन की वसूली करना।
- केंद्र सरकार का कारोबार देखने वाले एजेंसी बैंकों को तिमाही आधार पर व्यापारावर्त्त (टर्नओवर) कमीशन का भुगतान करना।
- अंतर-सरकार सूचनाओं के माध्यम से अंतर-सरकार लेन-देन का समाशोधन करना
- राज्य सरकारों की समेकित ऋण-शोधन निधि तथा गारंटी मोचन निधि[86] का प्रशासन करना
- एजेंसी बैंकों और केंद्र सरकार के बीच राहत बांडों और बचत बांडों के लिए निधियों का निपटान करना।
- भारत सरकार के राहत बांडों/ बचत बांडों का कार्य करने के लिए एजेंसी बैंकों को दलाली (ब्रोकरेज) और हैंडलिंग कमीशन का भुगतान करना।
- अन्य गतिविधियाँ, जो कि नियमित प्रकृति की नहीं हैं लेकिन एक बारगी गतिविधि के रूप में या सीमित अवधि के लिए की जाती हैं। उदाहरण के लिए, द्विभाजित राज्यों के संबंध में उन्मोचन मूल्य और ब्याज भुगतान का अनुमोदन करना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) आदि से जनादेश प्राप्त होने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत अधिग्राहक बैंकों को भुगतान करना।
- सरकारी कारोबार संबंधी नीतिगत मामलों में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा केंद्रीय कार्यालय के विभागों को जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाना।

[86] राज्य सरकारों द्वारा किए गए अंशदान से इन दोनों निधियों को लोक ऋण कार्यालय, भारिबैं, नागपुर में रखा जाता है। जबकि समेकित ऋण-शोधन निधि का उपयोग आवश्यकता होने पर राज्य सरकारों द्वारा उनके ऋण की चुकौती के लिए किया जाएगा, गारंटी मोचन निधि का उपयोग राज्य सरकारों और इसके उपक्रमों के गारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

नए प्रयास

सरकारों के लिए ई-प्राप्तियां और ई-भुगतान

राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में भारिबैं का हमेशा यह प्रयास रहा है कि सरकार की बैंकिंग संबंधी प्रक्रियाओं को और बेहतर तथा व्यापक बनाया जाए ताकि वे आसान और कारगर बन सकें। इन प्रयासों के भाग के रूप में, राज्य सरकारों की ई-प्राप्तियों / ई-लेन-देन की क्रियाविधियों / आंकड़ा-संरचना में एकरूपता लाने और उन्हें मानकीकृत करने के उद्देश्य से एक कार्य-दल गठित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की थी। इस कार्यदल की प्रमुख सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक राज्य में ट्रेज़री पोर्टल स्थापित करने और बैंकों के साथ कार्यात्मक एकीकरण करने, सरकारों को विप्रेषण के लिए ई-चालान जारी करने, भौतिक स्क्रोल की जगह ई-स्क्रोल जारी करने, बैंक और ट्रेज़रियों के बीच ऑन-लाइन मिलान करने, ऑन-लाइन जानकारी पर डिजिटल हस्ताक्षर करके लेन-देन को कानूनी बल देने आदि जैसी सिफारिशें शामिल थीं। इसके परिणामस्वरूप, मई 2015 से विभिन्न राज्य सरकारों और संघ-शासित प्रदेशों के लिए मानक ई-प्राप्तियां और ई-भुगतान मॉडल लागू कर दिया गया है। इसमें वस्तु और सेवा कर विभाग (जुलाई 2017 से शुरू) भी शामिल है, जो कमोवेश इसी मॉडल का प्रयोग करता है।

मानकीकृत ई-भुगतान मॉडल में यह परिकल्पना की गई है कि भारिबैं की कोर बैंकिंग प्रणाली (ई-कुबेर) के साथ संपर्क स्थापित करके राज्य सरकारों के इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों का सीधे ही (स्ट्रेट थ्रू) प्रसंस्करण (एसटीपी) किया जाए। राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे ई-कुबेर के साथ सुरक्षित एकीकरण स्थापित करने के लिए जरूरी मूलभूत संरचना सहित एक केंद्रीकृत ट्रेज़री प्रणाली स्थापित करें। इस मॉडल की पूर्णत: स्वचालित प्रक्रिया, संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले दोनों स्थानों पर संदेशों का सीधा प्रसंस्करण, लेखांकन, बाधारहित स्क्रोल बनाना और भेजना सुनिश्चित करती है और प्रणाली आधारित मिलान को सुकर बनाती है। यह राज्य सरकारों को समय पर भुगतान करने की अनुमति प्रदान करता है जिससे वे अपनी निधियों की स्थिति पर बेहतर नियंत्रण रखने में समर्थ होते हैं। इसी प्रकार, ई-कुबेर सीजीए के तत्वावधान में ई-भुगतान मॉड्यूल का उपयोग सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारा केंद्र सरकार के भुगतानों को (वर्तमान में गैर-सिविल मंत्रालयों को छोड़कर) भारिबैं के साथ खाते रखने वालों के साथ-साथ (

आंतरिक अंतरण मोड) अन्य बैंकों (एनईएफटी / आरटीजीएस भुगतान मोड का उपयोग करते हुए) में खाते रखने वाले लाभार्थियों को करने के लिए किया जाता है।

मानकीकृत ई-प्राप्ति मॉडल में निम्न के माध्यम से राजस्व संग्रहण की परिकल्पना की गई है -

i. भारिबैं को संग्रहण/प्राप्तियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने वाले एजेंसी बैंक जिससे राज्य सरकारों को विभिन्न एजेंसी बैंकों से अलग-अलग प्राप्ति स्क्रॉल प्राप्त करने के स्थान पर भारिबैं से समेकित प्राप्ति स्क्रॉल प्राप्त हो सके।
ii. एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा भुगतान का तरीका जहां संग्रहण आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रखे गए सरकार के खाते में टी + 0 के आधार पर सीधे प्राप्त किया जाता है। यह एजेंसी बैंक द्वारा संग्रह और रिपोर्टिंग के माध्यम की वर्तमान प्रणाली की तुलना में संबंधित राज्य सरकारों के खातों में निधियों के शीघ्र क्रेडिट को सुकर बनाता है।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)

कोई करदाता ऑनलाइन भुगतान के तरीके (इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट/ क्रेडिट कार्ड) या सीधे एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से भारिबैं को जीएसटी का भुगतान कर सकता है या वह जीएसटी पोर्टल से सामान्य पोर्टल पहचान संख्या (सीपीआईएन) जनरेट करने के बाद ओवर द काउंटर (ओटीसी) भुगतान विकल्प का उपयोग कर सकता हैं। भुगतान की प्राप्ति के बाद संबंधित बैंकों द्वारा एक चालान पहचान संख्या (सीआईएन) जनरेट की जाती है जिसे कर दाता और जीएसटी पोर्टल के साथ साझा किया जाता है। लेन-देन (चालान) ब्यौरों सहित भारिबैं के साथ एजेंसी बैंकों द्वारा T+1 आधार पर निधियों का निपटान किया जाता है। भारिबैं जीएसटी से संबंधित सभी लेन-देन का एकमात्र संकलनकर्ता (एग्रीगेटर) है।

जीएसटी के अलावा, ई-कुबेर के ई-प्राप्ति मॉड्यूल को केंद्र सरकार की अन्य प्रणालियों/ प्लेटफार्मों जैसे कि सीबीआईसी के तत्वावधान में आने वाले अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि के लिए प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस संग्रहण और एनईएफटी/आरटीजीएस भुगतान

विकल्पों के माध्यम से सरकार के खाते में गैर-कर देय/ राजस्वों के ऑनलाइन संग्रहण के साथ भी एकीकृत किया गया है।

निष्कर्ष

बैंकों के बैंक तथा सरकार के बैंकर के तौर पर भारिबैं केंद्रीय बैंक के परंपरागत कामों को अंजाम दे रहा है। साथ ही ये सेवाएं और भी सुगमता और कारगर ढंग से उपलब्ध हों, इसके लिए वह निरंतर प्रयासरत रहता है। अंत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की प्रणालियों के साथ एकीकृत करके भारिबैं ई-कुबेर की क्षमताओं का लाभ उठा रहा है ताकि सरकार की प्राप्तियों के संग्रहण और भुगतान के संवितरण में कुशलता ला सके। नीतिगत स्तर पर, विभिन्न हितधारकों के साथ एक परामर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से व्यापार और परिचालन क्षमताओं की शुरूआत भी की जाती है।

अध्याय 16: भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा लोक ऋण प्रबंधन

रिज़र्व बैंक, सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में नए ऋण जारी करता है और सरकार की ओर से उसका प्रबंधन भी करता है। यह, सरकार को अपने प्राप्तियों और भुगतानों में पाए गए अस्थायी बेमेल के निपटाने के लिए अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करता है। यह सरकार के अधिक नकदी शेष को निवेश करने की व्यवस्था भी प्रदान करता है।

केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की ओर से लोक ऋण प्रबंधन से तात्पर्य है - नए रुपया ऋणों का निर्गम, ऋण पर ब्याज की अदायगी और उनका अग्र-भुगतान तथा ऋण प्रमाणपत्र और उनके पंजीकरण से संबंधित अन्य परिचालनगत मामले | केंद्रीय कार्यालय में आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग और रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में लोक ऋण कार्यालय द्वारा लोक ऋण प्रबंधन का कार्य किया जाता है।

विधिक परिदृश्य

संविधान के अनुच्छेद 292 में भारत की समेकित निधियों की जमानत पर भारत सरकार द्वारा ऋण जारी किये जाने के बारे में प्रावधान किया गया है | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 20 और 21 के अनुसार, केंद्र सरकार के लिए यह अत्यावश्यक बनाता है कि वह अपने ऋण और नकदी प्रबंधन से संबंधित कामकाज भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंप दे | उसी के साथ ही, यह भारतीय रिज़र्व बैंक का दायित्व भी है कि वह भारत सरकार के ऋण और नकदी प्रबंधन से संबंधित कामकाज संभाले | भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण प्रबंधन कार्यों को संचालित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007 का इस्तेमाल किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों को संबंधित राज्य की समेकित निधियों की जमानत पर उस राज्य के प्रदेश में बॉण्ड जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है | तथापि, यदि किसी राज्य की सरकार का केंद्र सरकार के प्रति किसी राशि का कोई दायित्व है तो ऐसे मामले में उस राज्य सरकार को केंद्र सरकार से विशिष्ट रूप से अनुमति लेनी होगी | यदि राज्य सरकार अपने बैंकिंग और ऋण का प्रबंधन कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक से करवाना चाहते हैं तो आरबीआई अधिनियम की धारा 21 ए के अनुसार इन दो संस्थाओं के बीच स्पष्ट करार के माध्यम से किया

जा सकता है | आज की तारीख में सभी राज्य सरकारों और पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेशों ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ करार किया है कि उनके ऋण प्रबंधन की गतिविधियों से संबंधित सारा काम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ही निष्पादित किया जाए |

मध्यम अवधि ऋण प्रबंधन की रणनीति (एमटीडीएस) और नकद एवं ऋण प्रबंधन पर निगरानी समूह (एमसीजीडीएम)

पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकारी ऋण प्रबंधन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जो मध्यावधि ऋणों की रणनीति (एमटीडीएस) के तीन स्तंभों को प्रतिबिंबित करते हैं- कम लागत, जोखिम को कम करना और बाज़ारों का विकास | एमटीडीएस तरल और अच्छे ढ़ग से कार्य करने वाले घरेलू ऋण बाज़ार को विकसित करने की दिशा में कार्यशील रहते हुए जोखिम के विवेकपूर्ण स्तर और एक स्थिर ऋण संरचना के साथ मध्यम एवं दीर्घावधि के बदले कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्य करता है। घरेलू और वैश्विक वित्तीय बाज़ार विकासों को ध्यान में रखते हुए एमटीडीएस के समग्र ढ़ाचे के अंदर रहते हुए आईडीएमडी लोक ऋण प्रबंधन करता है। ऋण संविभाग की स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए निष्क्रिय और सक्रिय पद्धतियों के एकीकरण की ओर ध्यान केंद्रित है। पुनःनिर्गमन माध्यम से निष्क्रिय एकीकरण प्राप्त किया जाता है और पुनःनिर्गमन के माध्यम से ही करीब 95 प्रतिशत बाण्ड जारी किए जाते हैं। पुनर्खरीद / बदलाव [switches] के माध्यम से सक्रिय एकीकरण होता है।

वित्त मंत्रालय और रिज़र्व बैंक के अधिकारीगणों को शामिल करते हुए नकद और ऋण प्रबंधन पर निगरानी समूह (एमसीजीडीएम) नामक एक स्थायी समिति एमओएफ और बैंक के औपचारिक कार्यकारी संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। एमसीजीडीएम आवधिक आधार पर रिज़र्व बैंक के प्रस्ताव के आधार पर उधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निर्णय लेता है। इसे आगे मंत्रालय और बैंक के बीच नियमित चर्चा के बाद पूरित किया जाता है।

ऋण प्रबंधक के रूप में आरबीआई की भूमिका

आईडीएमडी केंद्र एवं राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के बाज़ार उधार कार्यक्रम (एमबीपी) का प्रबंध करता है और इन परिचालनों से संबंधित लेखाकंन / रिपोर्टिंग का ध्यान रखता

है। इसमें निर्गम और सेवा पक्ष शामिल है अर्थात् रुपया ऋणों निर्गम , ऋण पर ब्याज की अदायगी तथा ऋण प्रमाणपत्र और उनके पंजीकरण से संबंधित परिचालनगत मामले शामिल हैं |

केंद्रीय और राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए मांग मूल्याकंन, भारत सरकार की बजटीय और नकद प्रबंधन आवश्यकताओं,निधीयन गैप, और बाज़ार विकास से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए एमटीडीएस के आधार पर एक अर्धवार्षिक संकेतात्मक उधार कैलेंडर तैयार किया जाता है। खज़ाना बिलों (टी-बिलों) के मामले में त्रैमासिक संकेतात्मक उधार कैलेंडर तैयार किया जाता है।

वर्ष 1995 में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सरकारी प्रतिभूतियों की बाज़ार में प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) की प्रणाली को प्रारंभ किया। पीडी प्रणाली का उद्देश्य जी-प्रतिभूति बाज़ार में बुनियादी ढांचे को सशक्त करना, जी-प्रतिभूति के लिए हामीदारी अंकन और बाज़ार निर्माण क्षमताओं का विकास, द्वितीयक बाज़ार व्यापार प्रणाली को बेहतर करना, और पीडी यों को खुले बाज़ार संचालनों का प्रभावात्मक वाहक बनाना। जी-प्रतिभूति बाज़ार में, उसके दोनों- प्राथमिक और द्वितायक बाज़ार क्षेत्रों में विभिन्न दायित्वों के माध्यम से जैसे केंद्र सरकार प्राथमिक नीलामी की हामीदारी अंकन, जी-प्रतिभूतियों में बाज़ार निर्माण, जी-प्रतिभूतियों में निवेश का प्रभुत्व, न्यूनतम द्वितीयक बाज़ार आवर्त अनुपात प्राप्त करने, व्यवसाय आदि के उचित आचरण के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बनाए रखने में पीडी एक सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा है।

बाज़ारों से उधार लेने के लिए लिखत

भारतीय रिज़र्व बैंक विपणन योग्य प्रतिभूतियां जारी करते हुए सरकार की ओर से बाज़ारों से उधार लेने का काम संपन्न करता है | ये प्रतिभूतियां बाज़ारों की मांग के अनुरूप विभिन्न स्वरूप की होती हैं | उधारों के ये लिखत निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

- ***निश्चित दर वाले बॉण्ड [सर्वाधिक लोकप्रिय]*** ये बॉण्ड अपनी पूरी अवधि के दौरान अपने अंकित मूल्य पर एक ही दर पर कूपन दर प्रदान करते हैं | अपने आसान से ढाँचे के कारण वे भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले सबसे लोकप्रिय ऋण प्रतिभूति हैं |

- ***फ्लोटिंग रेट वाले बॉण्ड [एफ आर बी]*** ऐसे बॉण्ड कुछ बेंचमार्क दर के आधार पर कूपन की अदायगी करते हैं | भारत सरकार द्वारा जारी किये गए बहुत से फ्लोटिंग रेट वाले बॉण्ड 91 / 182 / 364 दिनों के खज़ाना बिलों के प्रतिफल से जुड़े होते हैं|
- ***शून्य कूपन बॉण्ड [खज़ाना बिल, नकदी प्रबंधन बिल]*** शून्य कूपन बॉण्ड कोई भी आवधिक कूपन जारी नहीं करते; बल्कि उन्हें डिस्काउंट पर जारी किया जाता है और उनके पूरे अंकित मूल्य पर उनका मोचन [redemption] किया जाता है | उन्हें जारी करने के लिए डिस्काउंट की गयी कीमत और उनके अंकित मूल्य के बीच के अंतर को इन बॉण्डों पर आय के प्रयोजन से हिसाब में लिया जाता है | भारत सरकार द्वारा जारी किये गए खज़ाना बिल और नकदी प्रबंधन बिल अल्पावधि मुद्रा बाज़ार के बॉण्ड होते हैं|
- ***सार्वभौम स्वर्ण बॉण्ड [एस जी बी]*** ये भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले नए प्रकार के बॉण्ड हैं जिनका प्रयोजन मुख्यत: खुदरा निवेशकों को सोने से जुड़ी आय और भौतिक सोने में निवेश का विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से हैं। ये बॉण्ड की निर्गम कीमत पर आवधिक कूपन का भुगतान करते हैं|
- ***मुद्रास्फीति इंडेक्स बॉण्ड [खुदरा और थोक]*** ऐसे बॉण्ड मुद्रा स्फीति से जुड़ी आय उपलब्ध कराते हैं जिनमें मुद्रा स्फीति का मापन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [सी पी आई] और थोक मूल्य सूचकांक [डब्ल्यू पी आई] जैसे मुद्रा स्फीति के इंडेक्स के माध्यम से किया जाता है | ऐसे बॉण्ड बहुत कम बार जारी किये जाते हैं | पिछली बार ऐसे बॉण्ड वर्ष 2013 / 2014 में जारी किये गए थे |
- ***कॉल / पुट विकल्प वाले बॉण्ड*** कॉल/पुट विकल्प वाले बॉण्ड क्रमश:जारीकर्ता तथा निवेशक को अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करते हैं ताकि ब्याज दर के जोखिम का बेहतर प्रबंध किया जा सके| भारत सरकार द्वारा ऐसे बॉण्ड कभी- कभार ही जारी किये जाते हैं|
- ***विशेष प्रतिभूतियां, जैसे ऑयल बॉण्ड, उर्वरक बॉण्ड, उदय बॉण्ड आदि*** इन प्रतिभूतियों को जीओआई द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विशिष्ट संस्थाओं को जारी किया जाता है। उदाहरण के लिए, पावर बॉन्ड (या उदय बॉन्ड) राज्य सरकारों द्वारा बैंकों को दिए गए ऋण पुनर्गठन के परिणाम हैं। इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों और उर्वरक कंपनियों को भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के बदले में तेल बांड और उर्वरक बांड जारी किए गए थे। हाल ही में, जीओआई ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर पीएसबी को पुनर्पूंजीकरण बांड जारी किए।

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशक

भारत में स्थित वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करनेवाला सबसे बड़ा निवेशक वर्ग है | अगले नंबर पर हैं बीमा कंपनियां | भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का बाज़ार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए भी [एफ पी आई] क्रमिक रूप से खोलता रहा है ताकि ऐसे निवेशकों के साथ जुड़ी हुई जोखिम को कम किया जा सके, जबकि उसी समय भारत में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए निवेशकों के आधार को और व्यापक किया जा सके | हाल ही में, सरकारी प्रतिभूति बाजार में एफपीआई को अधिक परिचालन लचीलापन देने के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना की घोषणा की गई है। इसके अलावा, बिना किसी प्रतिबंधों के अनिवासी को विशिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की विशिष्ट श्रेणियों में पूर्ण अभिगम्य मार्ग (एफएआर) की शुरुआत की है। इसके साथ ही, एफपीआई को हेजिंग या किसी और उद्देश्य से भारत के ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार में व्यापार करने की अनुमति दी गई है।

सरकार के लिए नकद प्रबंधक के रूप में आरबीआई की भूमिका

रिज़र्व बैंक केंद्रीय और राज्य सरकारों के नकद प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है। नकद प्रबंधन और चलनिधि प्रबंधन कार्य के लिए, सरकारों के नकद शेष में प्रवाह या बदलाव को चरित्र और अनुभव के आधार पर निगरानी और परियोजित किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिम (डब्लयूएमए)

सरकारों के प्राप्तियों और भुगतानों में पाए गए अस्थायी बेमेलों पर काबू रखने के लिए आरबीआई अधिनियम की धारा 17(5) आरबीआई को केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने की अनुमति देता है, जो संपार्शिविक मुक्त बेजमानती ऋण है। यह अग्रिम सरकार (केंद्रीय/राज्य) द्वारा आवश्यक होने पर मंज़ूर की जाती है।

केंद्रीय सरकार के लिए डब्लयूएमएः इन अग्रिमों की सीमा और सीमावधि पर केंद्रीय सरकार से परामर्श करते हुए आरबीआई निर्णय लेता है। इस सीमा से बढ़कर यदि सरकार उधार लेता है तब वह ओवरड्राफ्ट (ओडी) बन जाता है। जब सरकार डब्लयूएमए सीमा का 75 प्रतिशत उपयोग कर लेता है तब रिज़र्व बैंक नए बाज़ार ऋणों को जारी कर सकते हैं। वह वर्तमान परिस्थिति का

आकलन करते हुए सरकार से परामर्श करते हुए किसी भी समय सीमा को संशोधित करने का लचीलापन रखता है।

राज्य सरकारों के लिए डब्ल्यूएमएः डब्ल्यूएमए की सीमा राज्य से राज्य बदलते रहते है और अंतिम बार 29 जनवरी 2016 को राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिमों (डब्लयूएमए) योजना,2015 (अध्यक्षः श्री सुधीर श्रीवास्तव),सुमित बोस) पर सलाहकार समिति की सिफारिशओं के आधार पर संशोधित किया गया था। डब्लयूएमए के अतिरिक्त राज्य सरकार एक विशेष निकासी सुविधा (एसडीएफ) के लिए भी पात्र है जिसे राज्य सरकारों के पास रखे सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्शिविक के प्रति मंज़ूर की जाती है। चूंकि ये संपार्शिविक अग्रिम है, एसडीएफ के लिए ब्याज दर डब्लयूएमए से कम है। राज्य सरकार द्वारा डब्लयूएमए लेने से पहले एसडीएफ सीमा समाप्त करनी चाहिए। जब राज्य सरकारों के लिए अग्रिम उनके एसडीएफ और डब्लयूएमए सीमा से अधिक हो जाता है तब ओवरड्राफ्ट(ओडी) सुविधा को शुरू किया जाता है।

समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)

राज्य सरकार अपने देयताओं के चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में समेकित ऋण-शोधन (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) को रिज़र्व बैंक के पास रखता है। ये आरक्षण राज्य सरकारों को अपने भविष्य के चुकौती दायित्वों को पूरा करने के लिए गुंजाइश प्रदान करता है। बैंकों से लिए ऋण, एनएसएसएफ आदि के कारण उत्पन्न देयताएं सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए राज्यों द्वारा समेकित ऋण-शोधन निधि बनाए रखता है। “गारंटियां” आकस्मिक देयताएं होती है, जिसे गारंटी द्वारा कवर किए गए किसी घटना के घटित होने पर लागू करना पड़ता है। चूंकि गारंटियों के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं में वृद्धि होती है, राज्य सरकार गारंटियों के उन्मोचन के लिए गारंटी उन्मोचन निधि रखता है ताकि जब भी ऐसे गारंटियों को लागू कर सके। इन दोनों निधियों का रखरखाव आरबीआई द्वारा किया जाता है। वर्तमान में आरबीआई के साथ सीएसएफ और जीआरएफ में निवेश स्वैच्छिक है।

अन्य कार्यः

आरबीआई प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) का विनियमन औप पर्यवेक्षण करता है,प्राथमिक नीलामी में उनकी बोली प्रतिबद्धता की निगरानी करता है, उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा करता है और

नए प्रवेशक को प्राधिकृत करता है। यह पीडी (यों) को हामीदारी कमीशन का भुगतान भी करता है। ऋण प्रबंधन के कार्यों में द्वितीयक बाज़ार से/में प्रतिभूतियों की खरीदी/बिक्री, राज्य सरकारों के निवेश / विनिवेश का प्रबंध करने के लिए, और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी केंद्रीय बैंकों का निवेश, जी-प्रतिभूति बाज़ार में संचालन करना शामिल है।

भविष्य का परिदृश्य

केंद्रीय और राज्य सरकारों के बाज़ार उधार कार्यक्रम को जी- प्रतिभूति और एसडीएल के लिए गहरा और तरल बाज़ार विकसित करने का समग्र उद्देश्य ही निर्देशित कर रहा है। ऋणों के सेकन में अगला कदम बदलाव (switches) और पुनर्खरीद आधारित नीलामी कलैण्डर के माध्यम से होगा। भारत सरकार बेंचमार्क को जारी करना, एसजीबी के लिए अर्ध-वार्षिक कलैण्डर जारी करने के साथ ही 2,5,7 और 10 वर्ष अवधि वाले प्रतिभूतियों को जारी करना शुरू किया जा सकता है। द्वितीयक बाज़ार तरलता के लिए बाज़ार आधारित योजना निर्मित करने और उसे पीडी के माध्यम से संचालित करना प्रस्तावित है; जी-प्रतिभूति बाज़ार (प्राथमिक बाज़ार और द्वितीयक बाज़ार) में बाज़ार डाटा के आधार पर पीडी के लिए कुल खुदरा और मध्यम-क्षेत्र लक्ष्यों को संशोधित करना। जी-प्रतिभूति बाज़ार में एफसीबी (यों) के अलावा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों और बहुपक्षीय विकसित बैंकों की सहभागिता से निवेशक बेस को विस्तारित किया जा सकता है। राज्य सरकारों के नकद और ऋण प्रबंधन पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए उनके साथ निकटतम समन्वय आवश्यक है। एसडीएल के गैर-प्रतियोगिता क्षेत्र में बोली लगाने के लिए अग्रीगेटर योजना में विनिर्दिष्ट स्टॉक विनिमय की अनुमति दी जा सकती है। सीएसएफ/जीआरएफ योजना का संशोधन और केंद्रीय सरकार की डब्लयूएमए सीमा निर्धारित करने के लिए नियम आधारित पद्धति तथा राज्य सरकारों के लिए डब्लयूएमए सीमा संशोधित करना प्रस्तावित है।

डाटा की गुणवत्ता और सत्यता में सुधार लाने के लिए रिपोर्टिंग डाटा में सर्वश्रेष्ठ प्रथाएँ प्रस्तावित है। राज्य सरकारों के बीच उनके उधार के लागत में जोखिम असममिति को प्रतिबिंबित करने के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज कर सकते हैं। नकद और ऋण प्रबंधन के विवेकपूर्ण उपायों के बारे में राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।[87]

[87] वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

अध्याय 17: भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र को समझना

"भा रि बैंक का तुलन पत्र अर्थव्यवस्था - बाहरी क्षेत्र, राजकोषीय और निश्चित रूप से मौद्रिक क्षेत्र - के विकास को दर्शाता है और एक प्रकार से उसे प्रभावित भी करता है। - डॉ.वाई.वी.रेड्डी "

प्रस्तावना:

किसी केंद्रीय बैंक का तुलन पत्र कई सारे मायनों में विशिष्ट होता है और वह वाणिज्यिक बैंकों सहित अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं के तुलन पत्रों से अलग होता है | यह तुलन पत्र किसी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक की विविधतापूर्ण भूमिकाओं और दायित्वों के नतीजों का चित्रण प्रस्तुत करता है | केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्राधिकारी होने के कारण उसका तुलन पत्र मौद्रिक देनदारियों के लिए समर्थन जुटाते हुए परिसंपत्ति निर्माण करने की अनन्य विशेषता को प्रतिबिंबित करता है | केंद्रीय बैंक न केवल देश का एकमात्र मुद्रा जारीकर्ता प्राधिकारी होता है बल्कि वह अर्थव्यवस्था में कीमत और विदेशी मुद्रा दरों की स्थिरता के लिए भी उत्तरदायी होता है | साथ ही, उसे कई बार सरकार का बैंकर बनने और वित्तीय स्थिरता के हितों को देखते हुए बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के विनियामक का दायित्व भी सौंपा जाता है | केंद्रीय बैंक का तुलन पत्र विशिष्ट रूप से तीन पारंपारिक केंद्रीय बैंकिंग कार्यकलापों के इर्द गिर्द घूमता है जो इस प्रकार हैं : [क] मुद्रा जारीकर्ता, [ख] सरकार का बैंकर, और [ग] बैंकों का बैंक | केंद्रीय बैंक का शैलीदार तुलन पत्र नीचे तालिका - I में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका - I केंद्रीय बैंक का शैलीदार तुलन पत्र (स्रोत: आई एम् एफ [2001])

देयताएं	परिसंपत्तियां
मुद्रा	**सोना**
निम्नलिखित की जमाराशियां **सरकार** **बैंक**	**ऋण और अग्रिम** **सरकार** **बैंक**
ऋण [प्रतिभूतियों सहित]	**निम्नलिखित में निवेश** **सरकारी प्रतिभूतियां** **विदेशी परिसंपत्तिया**
अन्य देयताएं	**अन्य परिसंपत्तियां**

पूंजी खाता **चुकता पूंजी** **प्रारक्षित राशियाँ**	
कुल देयताएं	**कुल परिसंपत्तियां**

स्रोत : आईएमएफ (2001)

भारतीय रिज़र्व बैंक का तुलन पत्र

देश के केंद्रीय बैंक के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक [भा.रि.बैंक] देश का मौद्रिक प्राधिकारी है और उसे यह एकमात्र प्राधिकार मुद्रा नोट जारी करने, अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा ऋण की आपूर्ति को विनियमित करने की शक्तियों के साथ प्रदान किया गया है ताकि वृद्धि के उद्देश्यों के अनुरूप मौद्रिक स्थिरता और मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके | भारतीय रिज़र्व बैंक को वित्तीय स्थिरता तथा वित्तीय समावेशन पर नज़र रखते हुए बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण का दायित्व भी सौंपा गया है | इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए रिज़र्व बैंक जो कार्य करता है उनका प्रभाव वित्तीय विवरणियों पर भी पड़ता है जो कारोबार के साप्ताहिक विवरण, [डब्ल्यू एस ए], तुलन पत्र और आय विवरण में प्रतिबिंबित होता रहता है | इन विवरणियों का स्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक के सामान्य प्रयोजन वाले वित्तीय विवरणों जैसा ही होता है | इन विवरणियों का उद्देश्य हितधारकों तथा साथ ही, पाठकों को परिसंपत्तियों एवं देयताओं के स्वरूप और उसके आय और व्यय के स्रोतों के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है | तथापि, किसी वाणिज्यिक संस्था के विपरीत भारतीय रिज़र्व बैंक के परिचालन लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं चलाये जाते |

कानूनी प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 53 [1] के अनुसार रिज़र्व बैंक को निर्गम विभाग और बैंकिंग विभाग का साप्ताहिक लेखा, ऐसे प्रारूप में, जिसे केंद्र सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता हो, तैयार करते हुए केंद्र सरकार को प्रेषित करना होता है | बैंक को भा.रि. बैंक अधिनियम. 1934 की धारा 53 [2] के अनुसार वार्षिक खाते जिस तारीख को बंद होते हैं उस तारीख से दो महीनों की अवधि के भीतर केंद्र सरकार को पूरे वर्ष के दौरान बैंक के कामकाज के बारे में केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति भी भेजनी होती है |

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों पर तथा उसके अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचनाओं पर आधारित होते हैं |जबकि के डब्ल्यू एस ए प्रारूप को रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 53 (1) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है; तुलन पत्र और आय विवरण के प्रारूप को भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 में रखा गया है। डब्ल्यू एस ए के नवीनतम प्रारूप को गजट नोटिफिकेशन दिनांक 15 जुलाई 2015 को अधिसूचित किया गया था; जबकि तुलन पत्र और आय विवरण के नवीनतम स्वरूपों को 6 जुलाई और 15, 2015 की राजपत्र अधिसूचनाओं की सूचना दी गई थी। इसके कारण रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 के विनियमन 22 [ए] और [बी] में संशोधन किया गया, भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 के विनियम 22 [ए] में यह प्रावधान किया गया है कि बैंक का तुलन पत्र केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार होगा जबकि विनियम 22 [बी] लाभ और हानि लेखे का स्वरूप और उसकी विषय वस्तु को निर्धारित करता है | इसे हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरणों का स्वरूप और उनके प्रस्तुतीकरण की जांच करने के लिए गठित तकनीकी समिति-I [अध्यक्ष वाई एच मालेगाम] की सिफारिशों के आधार पर ‘ आय विवरण ’ के रूप में वर्ष 2014-15 में पुनर्नामित किया गया है |

तुलन पत्र और आय विवरण का फॉर्मेट

भा.रि. बैंक अधिनियम. 1934 की धारा 23 [1] में यह उल्लेख किया गया है कि “ बैंक नोटों का निर्गम बैंक द्वारा उसके निर्गम विभाग से चलाया जाएगा जिसे पूर्णतः अलग किया जाएगा और बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाएगा और निर्गम विभाग की परिसंपत्तियां केवल निर्गम विभाग की ही देयताएं होंगी,अन्य किसी विभाग की नहीं.....” | इस प्रावधान के कारण दो अलग-अलग तुलन पत्र और कारोबार के साप्ताहिक विवरण, [डब्ल्यू एस ए] बनाने की आवश्यकता पैदा हो गयी -एक केवल मुद्रा कार्यकलापों से संबंधित [निर्गम विभाग] और दूसरी भारतीय रिज़र्व बैंक के शेष कार्यकलापों के लिए [बैंकिंग विभाग] | निर्गम विभाग के लिए दो अलग-अलग तुलन पत्र रखने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि जनता के मन में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले मुद्रा नोटों के बारे में उन नोटों पर अंकित राशि धारक को अदा किये जाने के बारे में स्पष्ट रूप से वचन देते हुए विश्वास पैदा किया जा सके| इस प्रकार, बैंक वर्ष 2013-

14 तक दो प्रकार के तुलन पत्र तैयार कर रहा था, जैसे एक निर्गम विभाग के लिए [नोट निर्गम के लिए] और दूसरा बैंकिंग विभाग के लिए [अन्य कार्यकलाप] | बाद में, तकनीकी समिति-I की सिफारिशों के आधार पर कारोबार के साप्ताहिक विवरण, [डब्ल्यू एस ए] के स्वरूप और विषयवस्तु को तथा तुलन पत्र और आय विवरण को वर्ष 2014-15 से संशोधित किया गया | भा.रि.बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 को भी केंद्र सरकार के अनुमोदन से संशोधित किया गया और अब भा.रि.बैंक ने केवल एक तुलन पत्र जारी करना प्रारंभ कर दिया है | जहां कारोबार का साप्ताहिक विवरण, [डब्ल्यू एस ए] शुक्रवार को समाप्त होनेवाले हर सप्ताह के लिए तैयार किया जाता है, वहीं तुलन पत्र और आय विवरण वार्षिक आधार पर हर वर्ष के दिनांक 30 जून को तैयार किया जाता है | भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र और आय विवरण के मौजूदा फॉर्मेट नीचे तालिका ii और तालिका iii में प्रस्तुत किये गए हैं |

तालिका-ii भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का प्रारूप

देयताएं	**परिसंपत्तियां**
	बैंकिंग विभाग की परिसंपत्तियां
पूंजी	नोट, रुपया सिक्के, छोटे सिक्के
प्रारक्षित निधि	सोने के सिक्के और बुलियन
अन्य प्रारक्षित राशियाँ	निवेश विदेशी - बी डी घरेलू -बी डी
जमाराशियां	खरीदे और भुनाए गए बिल
अन्य देयताएं और प्रावधान	ऋण और अग्रिम
	गौण संस्थाओं में निवेश
	अन्य परिसंपत्तियां
निर्गम विभाग की देयताएं जारी किये गए नोट	**निर्गम विभाग की परिसंपत्तियां [आई डी]** सोने के सिक्के और बुलियन [नोट निर्गम के लिए समर्थन के रूप में] रुपया सिक्के निवेश - विदेशी -आई डी निवेश -घरेलू -आई डी

	घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्यिक पेपर्स
कुल देयताएं	**कुल परिसंपत्तियां**

बी डी - बैंकिंग विभाग, आई डी - निर्गम विभाग

तालिका-iii: आय विवरण का प्रारूप

आय

ब्याज
अन्य
व्यय
नोटों का मुद्रण
मुद्रा के प्रेषण पर किया गया व्यय
एजेंसी प्रभार
ब्याज
कर्मचारी लागत
डाक और टेलीफोन प्रभार
मुद्रण और लेखन सामग्री
भाड़ा, कर, बीमा, बिजली आदि
मरम्मत और रखरखाव
निदेशकों और स्थानीय निदेशक बोर्ड के सदस्यों का शुल्क और व्यय
लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय
विधि प्रभार
विविध व्यय
मूल्य ह्रास
प्रावधान
उपलब्ध शेष
घटाएं :

सांविधिक निधियों में योगदान
केंद्र सरकार को देय अधिशेष राशि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 के अनुसार निर्गम विभाग की परिसंपत्तियां निर्गम विभाग की देयताओं से कम नहीं होंगी और धारा 34 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि निर्गम विभाग की देयताएं वह राशि होगी जो इस समय परिचालन में स्थित भारत सरकार के मुद्रा नोटों और बैंक नोटों के समतुल्य होगी | अत: निर्गम विभाग की देयताएं और उसके साथ मेल खाती परिसंपत्तियां संयुक्त तुलन पत्र में अलग -अलग दर्शाई गयी हैं | जहां भी आवश्यक हो तुलन पत्र और आय विवरण की अलग-अलग मदों को तुलन पत्र और आय विवरण के अनुरूप अनुसूचियों में आगे समझाया गया है।

तुलन पत्र के घटक

परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रमुख शीर्षों के बारे में स्पष्टीकरण, जो संबंधित सांविधिक प्रावधानों के साथ रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का ही एक भाग बन जाते हैं [जहां कहीं लागू हो] नीचे तालिका IV में दिया गया है:

तालिका IV: भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के घटक

मद	भा.रि.बैंक अधिनियम के अंतर्गत	टिप्पणियाँ
पूंजी	धारा 4	भारतीय रिज़र्व बैंक का गठन वर्ष 1935 में ₹ 5 करोड़ की प्रारंभिक चुकता पूंजी के साथ निजी शेयरधारकों के बैंक के रूप में किया गया था | दिनांक 01 जनवरी 1949 को बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका समग्र स्वामित्व भारत सरकार को सौंपा गया| इसकी चुकता पूंजी अब भी ₹ 5 करोड़ ही है |

प्रारक्षित निधि	धारा 46	तत्कालीन सार्वभौम सरकार की मुद्रा देयता के लिए ₹ 5 करोड़ की प्रारंभिक राशि अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में केंद्र सरकार से योगदान प्राप्त करते हुए निर्माण की गयी थी जिसे रिज़र्व बैंक ने अधिग्रहित कर लिया | उसके बाद अक्तूबर 1990 तक सोने के आवधिक पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त हुए लाभ से इस निधि में ₹ 64.95 बिलियन की राशि और जोड़ी गयी
अन्य प्रारक्षित राशियाँ		
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण [दीर्घावधि परिचालन] निधि	धारा 46 सी	वित्तीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1964 में ₹ 10 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ इस निधि का निर्माण किया गया था | इसमें वर्ष 1992-93 से हर वर्ष होने वाले लाभ की राशि में से ₹ 1 करोड़ का योगदान दिया जा रहा है |
राष्ट्रीय आवास ऋण [दीर्घावधि परिचालन] निधि	धारा 46 डी	राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1989 में ₹ 50 करोड़ की प्रारंभिक राशि से इस निधि का निर्माण किया गया था | इसमें भी वर्ष 1992-93 से हर वर्ष होने वाले लाभ की राशि में से ₹1 करोड़ का योगदान दिया जा रहा है |
जमाराशियां		
केंद्र सरकार	धारा 20 और धारा 21	केंद्र सरकार का बैंकर बनना भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए अनिवार्य है| इसके लिए निर्धारित न्यूनतम शेष राशि दैनिक आधार पर ₹ 10 करोड़ तथा शुक्रवारों को, दिनांक 31 मार्च को [राजकोषीय वर्ष की समाप्ति] और दिनांक 30 जून [भा.रि.बैंक के वर्ष की समाप्ति] ₹ 100 करोड़ निर्धारित की गयी है |

राज्य सरकार	धारा 21 ए	भारतीय रिज़र्व बैंक पारस्पारिक करारों के माध्यम से राज्य सरकारों के बैंकर की भूमिका भी निभाता है | इसके लिए न्यूनतम शेष राशि दैनिक आधार पर बनाए रखनी होती है जो हर राज्य के लिए अलग-अलग है|
बैंक	धारा 42	नकदी प्रारक्षित अनुपात तथा कार्यशील पूंजी को बनाए रखने के प्रयोजन से ताकि अंतर बैंक भुगतान और निपटान के दायित्वों को पूरा किया जा सके |
भारत से बाहर की वित्तीय संस्थाएं	धारा 17 [12 ए बी]	भारत से बाहर स्थित वित्तीय संस्थाओं के लिए रेपो उधार और ऋण देने की परिपाटी वर्ष 2016 -17 में प्रारंभ की गयी | रेपो उधार और रेपो ऋण पर मार्जिन इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिबिंबित होते हैं |
अन्य		इनमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी केंद्रीय बैंकों, म्युच्युअल फंड में रखी गयी जमाराशियां और 'रिवर्स रेपो' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी जमाराशियां और 'जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि' [डी ई ए एफ] शामिल होती हैं |
अन्य देयताएं और प्रावधान		
आकस्मिकता निधि [सी एफ]		1997-98 में प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यह्रास, मौद्रिक / विनिमय दर नीति संचालन से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और केंद्रीय बैंक पर विशेष जिम्मेदारियों के कारण उत्पन्न किसी भी जोखिम सहित अप्रत्याशित और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया।

परिसंपत्ति विकास निधि (एडीएफ)		आतंरिक पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए तथा गौण और सहयोगी संस्थाओं में निवेश करने के लिए वर्ष 1997-98 में इसका निर्माण किया गया था |
मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाता [सीजी आर ए]		सोने के मूल्यांकन से पैदा होने वाले लेकिन वसूल न किये गए लाभ / हानियां और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों [एफ सी ए] का रूपांतरण और देयताओं को इन खाते में रिकार्ड किया जाता है |
निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता -रुपया प्रतिभूतियां [आई आर ए]		घरेलू तथा विदेशी प्रतिभूतियों के मार्क-टू मार्केट मूल्यांकन से हुए वसूल न किये गए लाभ / हानियों को क्रमश: आई आर ए -आर एस और आई आर ए - एफ एस में रिकार्ड किया जाता है |
विदेशी मुद्रा वायदा करार मूल्यांकन खाता [एफ सी वी ए]		विदेशी मुद्रा वायदा करारों के मार्क-टू मार्केट मूल्यांकन हुए लेकिन वसूल न किये गए लाभ / हानियों को इस खाते में अभिलिखित किया जाता है |
भारत सरकार को अंतरण योग्य अधिशेष राशि	धारा 47	यह राशि समस्त प्रावधान, मूल्य ह्रास और स्टाफ निधियों में योगदान दिए जाने के बाद हर वर्ष भारत सरकार को अंतरित की जाने वाली अधिशेष राशि को दर्शाती है |

देय राशियों के लिए प्रावधान		यह राशि किये जानेवाले लेकिन अभी तक न किये गए खर्च के लिए वर्ष के अंत में किये गए प्रावधान तथा अग्रिम में प्राप्त आय / देय राशि, यदि कोई हो, को दर्शाती है |
देय बिल		इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि बैंक द्वारा जारी किये गए मांग ड्राफ्ट / भुगतान आदेश से संबंधित बकाया / दावा न की गयी राशियों को दर्शाती है |
विविध		यह शेष शीर्ष है जो निर्धारित प्रतिभूतियों पर अर्जित आय, छुट्टी का नकदीकरण किये जाने पर देय राशि, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान आदि मदों का प्रतिनिधित्व करता है , विमुद्रीकरण के कारण एसबीएन के लिए देय राशि आदि |
निर्गम विभाग की देयताएं		
जारी किये गए नोट	धारा 34	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहित भारत सरकार के मुद्रा नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 1935 से जारी तथा परिचालन में स्थित नोटों की कुल राशि | इस राशि में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग को जारी किये गए नोट और बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट भी शामिल हैं |
बैंकिंग विभाग की परिसंपत्तिया		
नोट, रुपया सिक्के, और छोटे सिक्के		दैनिक आवश्यकताओं के लिए बैंकिंग विभाग में रखे गए नोटों का मूल्य जिसे निर्गम विभाग की देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है, उन्हें यहां दर्शाया जाता है |

सोने के सिक्के और बुलियन		यह विदेशों में आयोजित भौतिक सोने और सोने के जमा में बैंक के निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। | इसे विदेश में बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड और बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट [बी आई एस], स्विट्ज़रलैंड के पास सुरक्षा अभिरक्षा में रखा गया है | यह देश के विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित राशि का एक भाग है |
निवेश -विदेशी		इसमें विदेशी प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश, विदेशी केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, बी आई एस के पास रखी गयी जमाराशियां, भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों [यू के] द्वारा जारी किये गए बॉण्ड और बी आई एस तथा स्विफ्ट में धारित शेयर्स शामिल हैं | साथ ही, इसमें भारत सरकार से प्राप्त किये गए विशेष आहरण अधिकार भी शामिल हैं [एस डी आर -अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आई एम एफ का एक यूनिट] जो देश की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित राशियों का ही भाग है |
निवेश- घरेलू		इसमें सरकार में बैंक का निवेश भारत के डेटेड सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और स्पेशल ऑयल बॉन्ड्स को मुख्य रूप से मौद्रिक नीति संचालन के दौरान हासिल किया जाता है।
खरीदे गए और रियायती बिल	धारा 17 [2]	बैंक विनिमय बिल और वचनपत्र खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और उनका पुनर्भुनाई कर सकते हैं | परंतु अब यह कार्य नहीं किया जा रहा है।
ऋण और अग्रिम		
केंद्र सरकार को	धारा 17 [5]	यह ऋण अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में [डब्ल्यू एम ए] और ओवरड्राफ्ट के रूप में प्रदान किया जाता है ताकि सरकार की प्राप्तियां और भुगतानों में आनेवाले तात्कालिक अंतर

		पर काबू पाया जा सके | अर्थोपाय अग्रिम प्रणाली के अंतर्गत अग्रिम पारस्परिक रूप से सहमत ब्याज दर पर प्रदान किये जाते हैं और सरकार को तीन महीनों के भीतर उनकी पूरी चुकौती करनी होती है | अर्थोपाय अग्रिमों के अलावा भारत सरकार को ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की गयी है |
राज्य सरकारों को	धारा 17 [5]	राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों की यह सुविधा और ओवरड्राफ्ट सुविधा विशेष आहरण सुविधा के रूप में [एस डी एफ] प्रदान की जाती है ताकि सरकार की प्राप्तियां और भुगतानों में आनेवाले तात्कालिक अंतर पर काबू पाया जा सके | जहां अर्थोपाय अग्रिमों [डब्ल्यू एम ए] और ओवर ड्राफ्ट की सुविधाएं लगभग वैसी ही हैं जैसी केंद्र सरकार को प्रदान की जाती हैं; वहीं विशेष आहरण सुविधा [एस डी एफ] ऐसी सुविधा है जो सरकारी प्रतिभूतियों की संपार्श्विक जमानत पर ली जा सकती है |
वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को	धारा 17(12)(एबी)/ धारा 17 (3ए)/(3बी)/(4) की विभिन्न उपधाराएं	मुख्य रूप से एलएएफ रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के माध्यम से बढ़ाया गया। रिजर्व बैंक ऐसे बैंक के वचन नोटों के विरुद्ध ऋण और अग्रिम का भुगतान कर सकता है, जो माँग पर या आरबीआई अधिनियम में निर्धारित अवधि की समाप्ति पर देय हो।
नाबार्ड को	धारा 17 [4 ई]	यह ऋण मांग पर प्रतिदेय प्रतिभूतियों / स्टॉक्स की जमानत पर अल्पावधि ऋणों के रूप में अथवा 18 महीनों से अनधिक निश्चित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है |

अन्यों को	धारा 17 [4]	इसमें मुख्यत: राष्ट्रीय आवास बैंक, सिडबी, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्रदान किये गए ऋण और अग्रिम, प्राथमिक व्यापारियों [पी डी] को प्रदान किया गया चलनिधि समर्थन, एवं प्राथामिक व्यापारियों के साथ मिलकर आयोजित किया गया बकाया रेपो / आवधिक रेपो शामिल हैं |
भारत से बाहर स्थित वित्तीय संस्थाओं को	धारा 17 [12 ए बी]	भारत से बाहर स्थित संस्थाओं को रेपो उधार और ऋण प्रदान करना वर्ष 2016 -17 को शुरू हुआ | रेपो ऋण और रेपो उधारों पर मार्जिन इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिबिंबित होते हैं |
सहायक संस्थाओं में निवेश	धारा 17 [8 ए ए]	आरबीआई की सहायक कंपनियों में किए गए निवेश शामिल हैं। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, बी आर बी एन एम पी एल, आर ई बी आई टी, आई एफ टी ए एस , इत्यादि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाएं हैं तथापि, आरबीआई, तब-तब राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एन सी एफ ई) जैसी कतिपय संस्थाओं में भी आंशिक निवेश करता है जब जब इस आशय का निर्णय लिया जाता हो |
अन्य परिसंपत्तियां		इनमें अचल परिसंपत्तियां [मूल्यह्रास के बाद निवल], कर्मचारियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर उपचित ब्याज,अग्रिम अनुबंध खाते के पुनर्मूल्यांकन में रखी गई शेष राशि, स्टाफ को दिए गए ऋण, सुरक्षा जमाराशियां, उन

		परियोजनाओं पर खर्च की गयी राशि जो अभी तक पूरी नहीं हो पायी हैं और अन्य विविध मद |
निर्गम विभाग की परिसंपत्तियां		
सोने के सिक्के और बुलियन	धारा 33	भारत में नोट निर्गम के समर्थन के रूप में रखा गया सोना |
रुपया सिक्के	धारा 33	भारत सरकार से खरीदे गए सिक्के का एक छोटा सा हिस्सा |
निवेश - विदेशी	धारा 33	इसमें विदेशी प्रतिभूतियों में तथा खज़ाना बिलों में किया गया निवेश शामिल है जहां उसका एक भाग बैंकिंग विभाग की परिसंपत्तियों में दर्शाया जाता है, वहीं दूसरा भाग निर्गम विभाग की परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया जाता है |
निवेश घरेलू -	धारा 33	इनमें भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश शामिल है | वर्ष 2015 -16 तक धारित इसका एक छोटा सा भाग वर्ष 2016 -17 में परिपक्व हुआ और दिनांक 30 जून 2017 को इस खाते में कोई राशि शेष नहीं थी |
घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्यिक पेपर्स	धारा 33	यद्यपि बैंक विनिमय और वाणिज्यिक पत्रों के घरेलू बिल खरीद सकते हैं, लेकिन यह गतिविधि लंबे समय तक नहीं की गई है।|

टिप्पणी :

1 हमारे देश की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित राशियाँ विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों [एफ सी ए], सोना, विशेष आहरण अधिकार, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष [आई एम एफ] के साथ विदेशी हिस्से की स्थिति [आर टी पी] का जोड़ है | इनमें से एफ सी ए, सोना और विशेष आहरण अधिकार को भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में शामिल किया जाता है, जब कि आर टी पी, जो रिज़र्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष [आई एम एफ] में विदेशी मुद्रा में अंशदान दर्शाता है, भा.रि.बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है |

2 "अन्य प्रारक्षित राशियों" के अंतर्गत सूचीबद्ध की गयी इन दो निधियों के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक हर वर्ष दो अन्य निधियों में भी ₹ 1 करोड़ रुपयों का योगदान देता है | ये निधियां हैं राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण [दीर्घकालीन परिचालन] निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण [स्थिरीकरण] निधि | ये दोनों ही निधियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 ए के अंतर्गत वर्ष 1956 में गठित की गयी थीं ताकि कृषि ऋण के क्षेत्र में कार्यरत शीर्षस्थ संस्थाओं की निधि संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें | ये निधियां नाबार्ड द्वारा बनाए रखी जाती हैं | इसी वजह से ये निधियां भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में प्रतिबिंबित नहीं होती |

आय विवरण के घटक

किसी संस्था का लाभ हानि लेखा अथवा आय विवरण उस संस्था द्वारा लेखांकन / वित्तीय वर्ष के दौरान किये गए परिचालनों का नतीजा / परिणाम है | केंद्रीय बैंक विशिष्ट हैं और लाभ कमाना उनका उद्देश्य नहीं होता| इस संदर्भ में उनकी तुलना किसी वाणिज्यिक संस्था से नहीं की जा सकती | तथापि, किसी केंद्रीय बैंक का लाभ / लाभांश सरकार के लिए राजकोषीय राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत होता है | चूंकि केंद्रीय बैंकों का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता ही नहीं है, अत: " लाभ और हानि लेखा " यह नामकरण ही मिथ्या लगता है| इसी लिए " लाभ और हानि लेखा " का नाम बदल कर वर्ष 2014 -15 से ' आय विवरण' कर दिया गया है|

भारतीय रिज़र्व बैंक की आय और व्यय की प्रमुख मदों को नीचे तालिका -V में दर्शाया गया है |

तालिका -V आय विवरण के घटक

शीर्ष	विषयवस्तु
आय का शीर्ष	
ब्याज	विदेशी स्रोतों से प्राप्त ब्याज में विदेशी प्रतिभूतियां धारण करने पर प्राप्त होने वाला ब्याज, विदेशी रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेनों पर निवल ब्याज और विदेशों में रखी गयी जमाराशियों पर प्राप्त ब्याज शामिल है | घरेलू स्रोतों से प्राप्त ब्याज में रुपया प्रतिभूतियों से प्राप्त होनेवाला ब्याज शामिल है, जिसके बाद नंबर आता है एल ए एफ परिचालनों पर [रेपो और रिवर्स रेपो] निवल ब्याज, एम एस एफ परिचालनों पर ब्याज और ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज।
आय -अन्य	विदेशी स्रोतों से मिलने वाली आय में ये बातें शामिल हैं : प्रीमियम के परिशोधन से प्राप्त की गयी आय / विदेशी प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट / विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन पर लाभ / हानि और विदेशी मुद्रा के लेनदेनों से प्राप्त किया गया लाभ / उठायी गयी हानि | घरेलू स्रोतों से आय में ये बातें शामिल हैं : i] डिस्काउंट ii] विनिमय iii] कमीशन iv] प्रीमियम के परिशोधन से प्राप्त की गयी आय / रुपया प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट v] रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन पर लाभ हानि vi] वसूल किया गया किराया vii] बैंक की संपदा की बिक्री पर हुआ लाभ अथवा हानि और viii] ऐसे प्रावधान जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है और अन्य विविध आय ऊपर उल्लिखित बातों में कमीशन आय में मुख्यत: केंद्र और राज्य सरकारों से ऋण जारी करने तथा लोक ऋण के प्रबंधन के लिए मिलनेवाला प्राप्त कमीशन शामिल है |
व्यय शीर्ष	
नोटों का मुद्रण	मुद्रा नोटों की छपाई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया व्यय

खजाने के प्रेषण पर किया गया व्यय	मुद्रित नोटों की तथा टंकसालों से प्राप्त सिक्कों की क्रमश: करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्के के डिपो तक सुपुर्दगी करने के लिए किया गया व्यय, करेंसी चंस्ट से आरबीआई तक गंदे नोटों के प्रेषण के लिए किया गया व्यय, डाइवर्शन्स आदि पर किया गया व्यय।
एजेंसी प्रभार	इसमें एजेंसी बैंकों को केंद्र / राज्य सरकारों की ओर से होनेवाली प्राप्तियों और भुगतानों का काम देखने के लिए अदा किया गया कमीशन और केंद्र / राज्य सरकारों के लोक ऋण जारी करते समय प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया कमीशन, बैंकों को राहत / बचत बॉण्ड जारी करने का काम देखने के लिए तथा अभिरक्षकों आदि को अदा किये गए अभिदान और शुल्क आदि के लिए अदा किया गया कमीशन शामिल है |
ब्याज	डॉ बी. आर. अंबेडकर निधि तथा कर्मचारी कल्याण निधि की शेष राशियों पर भुगतान किया गया ब्याज | जहां डॉ बी. आर. अंबेडकर निधि भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए गठित किया गया था, वहीं यदि किसी कर्मचारी की नौकरी की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए कर्मचारियों से योगदान प्राप्त करते हुए कर्मचारी कल्याण निधि का गठन किया गया था |
कर्मचारी लागत	इसमें सेवारत कर्मचारियों को दिए गए वेतन, भत्ते, और छुट्टी किराया रियायत, चिकित्सा व्यय आदि, तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी गयी सेवानिवृत्ति किराया रियायत, चिकित्सा व्यय आदि तथा उनके वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार ग्रेच्यूएटी और अधिवर्षिता निधियों के लिए उपचित देयताएं और अन्य निधियों का भुगतान शामिल है |

डाक और टेली संप्रेषण प्रभार	डाक / कूरियर प्रभार, टेली संप्रेषण प्रभार, स्विफ्ट / स्मार्ट कार्ड प्रभार, भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट का रखरखाव, रायटर्स, ब्लूमबर्ग आदि जैसी ऑन लाइन डेटा सेवाओं के लिए दिए गए अंशदान आदि को इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है |
मुद्रण और लेखन सामग्री	इसमें लेखन सामग्री की खरीद, रजिस्टरों के मुद्रण, कम्प्यूटर के लिए लगनेवाली सामग्री, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों आदि का मुद्रण आदि मदों पर किया गया व्यय शामिल किया जाता है |
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	इसमें किराया, लाइसेंस शुल्क और कार्यालय भवन तथा रिहायशी आवास स्थानों के लिए नगरपालिका को अदा किये गए कर, परिसरों के संबंध में ली गयी बीमा पालिसियों के लिए अदा किया गया प्रीमियम और भारतीय रिज़र्व बैंक की चल परिसंपत्तियां, बिजली के प्रभार आदि बातें शामिल हैं |
मरम्मत तथा रखरखाव	इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी संपदा के मरम्मत तथा रखरखाव के लिए किया गया व्यय शामिल है |
निदेशकों तथा स्थानीय बोर्ड के सदस्यों को अदा किया जानेवाला शुल्क और अन्य व्यय	इस शीर्ष के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों तथा स्थानीय बोर्ड के सदस्यों को अदा किया जानेवाला शुल्क तथा निदेशक बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए किये गए व्यय को शामिल किया जाता है |
लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय	भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखों की सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जानेवाली सांविधिक लेखापरीक्षा, उसके सभी कार्यालयों / शाखाओं की

	समवर्ती लेखापरीक्षा और अन्य किसी विशेष लेखापरीक्षा के लिए किये गए व्यय को इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है |
कानूनी या विधि प्रभार	वकीलों को अदा किया गया शुल्क और बैंक की ओर से कानूनी कार्यवाही करने के लिए तथा बैंक के विरुद्ध की गयी कानूनी कार्यवाही से बचाव करने के लिए किये गए व्यय को इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है |
मूल्यह्रास	निर्धारित दरों पर विभिन्न अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास इस शीर्ष के अतंर्गत दर्शाया जाता है।
अन्य विविध व्यय	उपर्युक्त व्ययों में शामिल न किये गए अन्य सभी व्यय इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिबिंबित होते हैं |
प्रावधान	आकस्मिकता निधि और परिसंपत्ति विकास निधि के लिए किये गए प्रावधान को इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है |

भारत सरकार को अंतरित की जाने वाली अधिशेष राशि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार व्यय का समायोजन किये जाने के पश्चात और आय से आवश्यक प्रावधान किये जाने के बाद तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए रखी गयी दो सांविधिक निधियों तथा नाबार्ड द्वारा बनाए रखी गयी दो सांविधिक निधियों के लिए समायोजन किये जाने के पश्चात भारत सरकार को अंतरित की जाने वाली अधिशेष राशि कितनी है इसका पता लग जाता है | बैंक के निदेशक बोर्ड की हर वर्ष अगस्त महीने में होनेवाली बैठक में निदेशक बोर्ड द्वारा लेखों का अनुमोदन किये जाने के बाद यह अधिशेष राशि भारत सरकार को अंतरित की जाती है | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक को आयकर या सुपर टैक्स या आय पर किसी भी कर से पूरी तरह छूट प्राप्त है।

लेखा सिद्धांत और नीतियाँ

भले ही सभी संस्थाएं डबल एंट्री बुक कीपिंग, वास्तविक और वित्तीय परिसंपत्तियों के बीच भेद आदि मूलभूत लेखांकन के तत्वों का एक समान रूप से पालन करती हों, लेकिन केंद्रीय बैंक अपने आप में अनूठे होने के कारण उनके बीच ऐसे कोई स्वीकृत लेखांकन मानदंड नहीं हैं जिनका वे पालन कर सकें| परिसंपत्तियों की विभिन्न मदों के लिए अपनाई जानेवाली मूल्यांकन प्रणाली और लेखांकन के मानदंड हर वर्ष ' महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां ' शीर्ष के अंतर्गत बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किये जाते हैं |

भारतीय रिजर्व बैंक के खातों की पुस्तकों की लेखा परीक्षा

रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार, दो लेखा परीक्षकों से कम की नियुक्ति नहीं की जाएगी और उनका पारिश्रमिक केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा| वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा पांच लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जा रही है- दो वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक और तीन वैधानिक शाखा लेखा परीक्षक बैंक की पुस्तकों की लेखा परीक्षा के लिए। रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 51 के अनुसार केंद्र सरकार किसी भी समय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर बैंक के खातों पर भारत सरकार को जांच और रिपोर्ट कर सकती है।

निष्कर्ष

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख कार्यकलाप अर्थात् i] खुले बाज़ार के परिचालनों [ओ एम ओ] तथा चलनिधि समायोजन सुविधा [एल ए एफ] एम् एस एस के माध्यम से मौद्रिक नीति चलाना , ii] मुद्रा का प्रबंध करना और iii] बैंकरों के बैंक तथा सरकार के बैंकर के रूप में उसकी भूमिका का उसके तुलन पत्र पर गहरा असर पड़ता है |

केंद्रीय बैंकों को बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ अद्यतन रहना होगा और अपनी प्रतिक्रिया में विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हुए स्थिति का जवाब देना होगा जैसा कि इसके कुछ प्रमुख कार्यों द्वारा इंगित किया गया है। अंततः उपयोग किए जाने वाले उपकरण केंद्रीय बैंक के वित्तीय प्रभावों को प्रभावित करते हैं और समय के साथ-साथ इसके वित्तीय परिवर्तनों में केंद्रीय बैंक की बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं।

अध्याय 18: विदेशी मुद्रा प्रबंध

विनिमय नियंत्रण से विदेशी मुद्रा प्रबंधन तक

• ब्रिटिश सरकार ने 3 सितंबर, 1939 को अपने युद्ध प्रयासों के भाग के रूप में और विदेशी मुद्रा को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए निर्देशित करने की दृष्टि से भारत रक्षा नियमों के तहत विनिमय नियंत्रण को भारत में लागू किया था। 1947 में इसे वैधानिक रूप से लागू किया गया। (फेरा 1947)

• दूसरे विश्व युद्ध के बाद समस्त विदेशी भुगतान करना संभव हो इसके लिए दुर्लभ विदेशी मुद्रा को बचाने के प्रयोजन से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम [फेरा] 1947 को लागू किया गया था। इस अधिनियम को मुख्य रूप से भारत में विदेशी पूंजी के अंत:प्रवाह को विनियमित करने तथा इस आयातित पूंजी का नियोजन करने के लिए किया गया था।

• भारत को 1960 के दशक में विदेशी मुद्रा में तीव्र कमी के संकट से गुजरना पड़ा। उस समय विदेशी मुद्रा का अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोग खाद्यान्नों को आयात करने के लिए था। इस पृष्ठभूमि में फेरा,1947 को बदलकर उसके स्थान पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम [फेरा] 1973 को लागू किया गया । इसका प्रयोजन [जैसा की अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है ....] था " .....देश के विदेशी मुद्रा के संसाधनों को बचाने और उसके यथोचित उपयोग के लिए ....." और इसमें इस बात को अत्यावश्यक बनाया गया था कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किये जाने पर उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा और उसके लिए कारावास की सजा दी जाएगी। इस अधिनियम ने भारतीय रिज़र्व बैंक को और कुछ मामलों में केंद्र सरकार को भी अन्य लेन-देन के अलावा भारत के बाहर विदेशी मुद्रा के भुगतान में लेन-देन को नियंत्रित करने तथा उन्हें विनियमित करने, मुद्रा नोटों और बुलियन का निर्यात और आयात करने, निवासियों और गैर निवासियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण, विदेशी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण और भारत में और भारत से बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण की शक्तियां प्रदान की। नियंत्रण का यह ढांचा अनिवार्यत: लेन-देन आधारित था जिसके अनुसार निवासियों और गैर निवासियों के बीच किये गए लेन-देन सहित विदेशी मुद्रा में किये गए सभी लेन-देन पर प्रतिबंध लगाया गया था, जब तक कि उसकी अनुमति नहीं दी गयी हो।

• तथापि, वर्ष 1970 के दशक के उत्तरार्ध में आयी हरित क्रांति की वजह से आयातित खाद्यानों पर हमारी निर्भरता कम हो चुकी थी और प्रवासियों की ओर से प्राप्त हो रहे अच्छे-खासे

विप्रेषणों ने विदेशी मुद्रा की कमी की तात्कालिकता को कम कर दिया था। विदेशी मुद्रा के नियंत्रण के माहौल का उदारीकरण अस्सी के दशक के मध्य में शुरू किया गया था और वर्ष 1990 के आते-आते इसने अच्छी-खासी गति पकड़ ली थी। वर्ष 1991 के भुगतान संतुलन संकट के बाद उदारीकरण के कतिपय उपाय लागू किये गए और विदेशी मुद्रा का परिचालन करनेवाले कई सारे नियमों में व्यापक शिथिलता लाने के लिए अनेक उपाय प्रारंभ किये गए थे। इस सुधार प्रक्रिया में लचीली विनिमय दर की शुरूआत भी शामिल थी, जो जुलाई 1991 में विनिमय दर समायोजन के साथ शुरू हुई, मार्च 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली की शुरुआत और मार्च 1993 तक पूरी तरह से बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ जारी रही। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी मुद्रा कानून या विनियम विकसित हो रही आर्थिक स्थिति से निपट सकें, वर्ष 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम [फेमा] लागू किया गया जिसने 01 जून 2000 से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 का स्थान ले लिया। इस अधिनियम ने विदेशी मुद्रा के संरक्षण/प्रतिबंध से लेन-देन में सहूलियत की तरफ हस्तांतरण का संकेत दिया ।

- बदलते समय को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी विदेशी मुद्रा लेन-देन से संबंधित कार्य देखनेवाले अपने विभाग का नाम विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग [वि.मु.नि.वि.] से बदल कर (31 जनवरी 2004 से) विदेशी मुद्रा विभाग [वि.मु.वि.] कर दिया।

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) 1999

उद्देश्य

जैसा कि उक्त अधिनियम की प्रस्तावना में ही प्रतिष्ठापित किया गया है, फेमा का उद्देश्य है विदेशी व्यापार और भुगतानों को सुचारू बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ार को सही तरीके से विकसित और उसका अनुरक्षण करना ।

प्रयोजनीयता

फेमा,1999 पूरे भारत पर लागू होता है। साथ ही, वह भारत से बाहर की उन सभी शाखाओं, कार्यालयों और एजेंसियों पर भी लागू होता है जो भारत में निवासी व्यक्ति के स्वामित्व वाली हैं या उसके नियंत्रण में आती हैं। जिन व्यक्तियों पर यह अधिनियम लागू होता है उनके द्वारा भारत से बाहर किए गए किसी उल्लंघन पर भी यह लागू होता है।

लेन-देन के प्रकार

फेमा सभी विदेशी मुदा लेन-देन को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। अर्थात चालू खाते के लेन-देन और पूंजी खाते के लेन-देन। जैसा कि फेमा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है :

- "पूंजी खाते का लेन-देन" ऐसा लेन-देन है जो

o भारत के निवासी किसी व्यक्ति की भारत के बाहर स्थित परिसंपत्तियों की और देयताओं की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा

o भारत के बाहर के निवासी की भारत में स्थित परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन करता है ।

o इन देयताओं में आकस्मिक देयताएं भी शामिल हैं ।

o उदाहरण के लिए - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी वाणिज्यिक उधार, अनिवासी जमाराशियां, अचल संपत्ति में निवेश, आदि ।

- "चालू खाते का लेन-देन" वह लेन-देन है जो पूंजी खाते के लेन-देन से अलग है अर्थात बहुधा राजस्व स्वरूप का है।

o उदाहरण के लिए - निर्यात, आयात, वैयक्तिक विप्रेषण, उपहार, आय आदि।

व्यक्तियों के प्रकार

फेमा की प्रयोज्यता सामान्यत: किसी व्यक्ति के निवासी होने की स्थिति पर और किये जा रहे लेन-देन के स्वरूप पर निर्भर करती है। कोई 'व्यक्ति' केवल एक व्यक्ति, एक एचयूएफ एक कंपनी, एक फर्म या व्यक्तियों की एसोसिएशन आदि हो सकता है। फेमा के अंतर्गत कोई " व्यक्ति " या तो " भारत का निवासी व्यक्ति " हो सकता है अथवा " भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति " हो सकता है । किसी व्यक्ति की निवासी स्थिति न केवल उसके भारत में निवास की अवधि पर निर्भर करती है बल्कि दीर्घ अवधि/अनिश्चित अवधि तक रहने के उसके उद्देश्य पर भी निर्भर करती है ।

o *<u>भारत में निवासी व्यक्ति [निवासी]-</u>* फेमा के अनुसार 'निवासी व्यक्ति' की परिभाषा में व्यापक रूप से " वह व्यक्ति शामिल है जो पिछले वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से अधिक अवधि के लिए भारत में रह रहा हो"; कोई भी व्यक्ति अथवा भारत में पंजीकृत/इनकॉर्पोरेट किया गया कोई निकाय, भारत में कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी जो भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति की

स्वामित्व वाली हो अथवा उसके नियंत्रण में हो; अथवा भारत के बाहर कोई कार्यालय, कोई शाखा अथवा कोई एजेंसी जो भारत के निवासी व्यक्ति के स्वामित्व में हो अथवा उसके नियंत्रण में हो, शामिल है। जहां तक उसके उद्देश्य का प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति जो भारत में आया है अथवा भारत में नौकरी करने के इरादे से यहां रह रहा है, अथवा अपना कारोबार कर रहा है, अथवा व्यवसाय चला रहा है, अथवा अन्य किसी प्रयोजन से रह रहा है जिससे यह पता चलता हो कि उसका इरादा भारत में अनिश्चित काल तक रहने का है उसे निवासी व्यक्ति माना जाता है ।

o *भारत से बाहर रहनेवाला व्यक्ति [अनिवासी] -* जो व्यक्ति ' निवासी ' की परिभाषा में नहीं आता उसे अनिवासी व्यक्ति कहा जाता है और इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो भारत से विदेश गए हैं और अथवा जो व्यक्ति नौकरी करने के लिए भारत से बाहर रहते हैं अथवा कोई कारोबार कर रहे हैं अथवा कोई व्यवसाय कर रहे हैं अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिससे इस बात का पता चलता हो कि उस व्यक्ति का इरादा अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने का है ।

प्राधिकृत व्यक्ति [एपी]

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम [फेमा] में यह निर्धारित किया गया है कि विदेशी मुद्रा के सभी लेन-देन केवल उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से किये जाने चाहिए जिन्हें ऐसे लेन-देन करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लाइसेंस प्रदान किया है। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, की धारा 10 के अनुसार, रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यापारी के रूप में पदनामित प्राधिकृत संस्थाओं को, अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकृत व्यापारी के रूप में अथवा मुद्रा परिवर्तक के रूप में विदेशी मुद्रा के लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत करता है। फेमा के अंतर्गत प्रदान किया गया विनियामक ढांचा प्राधिकृत व्यापारियों पर एक भारी जिम्मेदारी सौंपता है जो हर सहभागी के लिए किसी भी विदेशी मुद्रा के लेन-देन के लिए तत्काल और आवश्यक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं ।

रिज़र्व बैंक इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियों में लेन-देन करने, मुद्रा परिवर्तक या अपतटीय बैंकिंग ईकाई या अन्य किसी तरीके से जैसा कि वह उचित समझे, कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। [विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 (1)]

वर्तमान में रिज़र्व बैंक फेमा 1999 की धारा 10 (1) के अंतर्गत निम्न को प्राधिकार जारी करता है:

- चुनिंदा बैंक (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I के रूप में)
- चुनिंदा इकाइयां (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- II के रूप में)
- चुनिंदा वित्तीय और अन्य संस्थान (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-III के रूप में)
- संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) के रूप में चुनिंदा पंजीकृत कंपनियां

वर्गीकरण के संबंध में तालिका

क्रम सं	लाइसेंस की श्रेणी	पात्र इकाइयां	अनुमेय गतिविधियां
1	प्राधिकृत व्यापरी श्रेणी-I	वाणिज्यिक बैंक, राज्य सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक	सभी अनुमेय चालू और पूंजी खाता लेनदेन
2	प्राधिकृत व्यापरी श्रेणी -II	वर्तमान एफएफएमसी, शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशियां स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- निवेश और क्रेडिट कंपनियां (एनडीएसआई-एनबीएफसी-आईसीसी)	विनिर्दिष्ट गैर-व्यापार चालू खाता लेन-देन के साथ ही संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को अनुमेय सभी गतिविधियां भी रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई अन्य कोई गतिविधि।
3	प्राधिकृत व्यापरी श्रेणी -III	चुनिंदा वित्तीय और अन्य संस्थान	इन संस्थाओं द्वारा की जाने वाली विदेशी मुद्रा

			गतिविधियों के प्रासंगिक लेन-देन
4	संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी)	चुनिंदा पंजीकृत कंपनियां	विदेशी मुद्रा की खरीद और निजी और व्यावसायिक विदेश यात्राओं के लिए विदेशी मुद्रा की बिक्री

रिज़र्व बैंक एडी श्रेणी - I बैंकों, एडी श्रेणी- II निकायों और एफएफएमसी को उनके स्वयं के विकल्प पर सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार करने के लिए लिए अर्थात विदेशी मुद्रा नोटों, सिक्कों या यात्री चेकों को भारतीय रुपये में बदलने का कार्य करने के लिए अधिकृत विक्रेता (फ्रेंचाइजी) (एजेंसी भी कहा जाता है) के रूप में करार करने की अनुमति प्रदान करता है।

उल्लंघनों की कम्पाउंडिंग करना

फेमा के अंतर्गत अपराधों का सिविल न कि गैर आपराधिक वर्गीकरण होना फेरा और फेमा के बीच के सबसे महत्वपूर्ण अंतरों में से एक है । फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध सिविल क़ानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है जिसके लिए कंपाउंडिंग नियमावली के रूप में एक अलग प्रशासनिक क्रियाविधि और तंत्र और अधिनिर्णय करनेवाले प्राधिकारी की व्यवस्था की गयी है। उल्लंघन का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम [फेमा], 1999 और उसके अंतर्गत जारी नियमों / विनियमों / अधिसूचनाओं / आदेशों / निदेशों / परिपत्रों के प्रावधानों का उल्लंघन। कंपाउंडिंग का अर्थ है किये गए उल्लंघन को स्वेच्छा से स्वीकार करना, अपने आप को दोषी मानना और उसका निवारण चाहना । यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या एक कॉरपोरेट किसी स्वीकार किए गए उल्लंघन की कंपाउंडिंग करना चाहता है। तथापि, हवाला जैसे जानबूझ कर, गलत उद्देश्य से किये गए धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और उन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा कम्पाउंड नहीं किया जाता ।

फेमा के अंतर्गत विनियामक ढांचा, 1999

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत अब चालू खाता पूर्णतः परिवर्तनीय बन जाने के बाद चालू खाते के लेन-देन की आड़ में पूंजी खाते के लेन-देन जैसी घटनाओं को रोकने के लिए

न्यूनतम प्रतिबंधों को छोड़कर, विदेशी क्षेत्र के लेन-देन के लिए विनियामक ढांचे का पूरा ध्यान केवल पूंजी खाते के लेन-देन पर केंद्रित है ।

चालू खाते के लेन-देन - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष [आईएमएफ] के आर्टिकल VIII को स्वीकार किये जाने के बाद और चालू खाते को परिवर्तनीय घोषित किये जाने के बाद किसी भी व्यक्ति पर किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा खरीदने अथवा किसी प्राधिकृत व्यक्ति को विदेशी मुद्रा बेचने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते वह लेन-देन चालू खाते से संबंधित हो। तथापि, फेमा सरकार को जनहित में और रिज़र्व बैंक से परामर्श करते हुए चालू खाते के कुछ लेन-देन पर यथोचित प्रतिबंध लगाने की शक्तियां प्रदान करता है। सरकार ने इस प्रयोजन के लिए चालू खाते के लेन-देन नियमावली, 2000 लागू की है । इस नियमावली में तीन अनुसूचियां परिशिष्ट के रूप में जोड़ी गयी हैं ।

- अनुसूची I- प्रतिबंधित किये गए विशिष्ट लेन-देन, जैसे लॉटरी, घुड़दौड़ /सवारी आदि में जीती हुई राशि का विप्रेषण, लॉटरी टिकटों, प्रतिबंधित मासिक पत्रिकाओं, स्वीपस्टेक्स की खरीद आदि,
- अनुसूची II- इसमें उन लेन-देन का उल्लेख किया गया है जिनके लिए सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता है । जैसे सांस्कृतिक दौरे, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चार्टर किये गए जहाज से माल भेजना आदि ।
- अनुसूची III- ऐसे विशिष्ट लेन-देन जिनके लिए एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन जरूरी है। जैसे, किसी भी देश का निजी दौरा, [केवल नेपाल और भूटान को छोड़ कर], उपहार अथवा दान, उत्प्रवास [इमीग्रेशन], विदेश में स्थित नजदीकी रिश्तेदारों का पालन-पोषण, विदेशों में अध्ययन आदि । व्यक्तियों के लिए सीमाएं अब उदारीकृत विप्रेषण योजना [एलआरएस] से जोड़ी गयी हैं ।

यहां पर अनुसूची I में उल्लिखित लेन-देन के अतिरिक्त, नेपाल अथवा भूटान की यात्रा के लिए अथवा नेपाल या भूटान के निवासी के साथ लेन-देन करने के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ।

पूंजी खाते के लेन-देन - वर्ष 1991 से उदारीकरण और ढांचागत समायोजन किये जाने के पश्चात, भारत ने सतर्कता के साथ पूंजी प्रवाहों को प्रोत्साहित करने की नीति प्रारंभ कर दी है । पूंजी

प्रवाहो के स्रोतों और प्रकारों में एक पदानुक्रम सुस्थापित किया गया है । इसके लिए प्राथमिकता यह रही है कि पूंजी के बाह्य प्रवाहों की तुलना में अंत: प्रवाहों को उदार बनाया जाए । अंत: प्रवाहों के बीच यह रणनीति रही कि ऋण के स्थान पर इक्विटी को प्राथमिकता देते हुए दीर्घावधि पूंजी अंत:प्रवाहों को प्रोत्साहित किया जाए और अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले अल्पावधि पूंजी प्रवाहों को हतोत्साहित किया जाए। निवासी और अनिवासियों के बीच और निवासियों के बीच निगम, व्यक्ति और वित्तीय मध्यस्थों के रूप में अंतर किया गया है। अनिवासियों के मामले में माहौल उदारीकरण का रहा अर्थात अंत:प्रवाहों से जुड़े सभी बाह्य प्रवाहों सहित सभी अंत: प्रवाहों के संबंध में बहुत कम प्रतिबंध लगाए गये हैं । निवासियों के मामले में कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए इस नीति में अधिक उदार ढांचा, मध्यस्थों के लिए विवेकपूर्ण ढांचा तथा एलआरएस के अंतर्गत व्यक्तियों को विदेशी निवेश और उनके पोर्टफोलियो के विविधीकरण के लिए अवसर प्रदान किया गया है।

पूंजी प्रवाहों के कुछ प्रकारों का वर्णन नीचे प्रस्तुत किया गया है :

- अनिवासी जमाराशियां - प्रवासी भारतीय के लिए जमा खाते पूंजी प्रवाह को मजबूत करने वाले शुरुआती उपायों में से एक उपाय था। जब पूंजी प्रवाह के अन्य रूप गैर-मौजूद थे या कमजोर थे तब यह बहुत उपयोगी था। हालांकि समय के साथ एनआरआई जमाओं के महत्व में अपेक्षाकृत गिरावट आई है, लेकिन प्रवासी भारतीयों को बैंकिंग के साथ-साथ बचत जरूरतों के लिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह अब भी महत्वपूर्ण है । गैर-निवासियों द्वारा खोले जा सकने वाले विभिन्न खाते निम्नलिखित हैं:
    - एनआरई खाता- अनिवासी भारतीय(एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों [पीआईओ/ओसीआई] द्वारा एनआरई या अनिवासी (विदेशी) रुपया खाते खोले जा सकते हैं । ऐसे खाते बचत, चालू, आवर्ती खातों के रूप में और मीयादी जमाराशियों के रूप में खोले जा सकते हैं और भारतीय रुपयों में मूल्यवर्गित किये जाते हैं ।
    - एनआरओ खाता- कोई भी अनिवासी व्यक्ति एनआरओ अथवा अनिवासी साधारण रुपया खाता खोल सकता है । यह खाता बचत, चालू, आवर्ती और मीयादी खाते के रूप में खोला जा सकता है । इसे भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित किया जाता है ।
    - एसएनआरआर खाता -ऐसा कोई भी अनिवासी व्यक्ति, जिसे भारत में रुपयों में प्रामाणिक लेन-देन करने के प्रयोजन से कारोबार करने में रूचि है, वह विशेष

अनिवासी रुपया [एसएनआरआर] खाता खोल सकता है । यह खाता चालू खाते के रूप में खोला जाता है जिसमें कोई ब्याज देय नहीं होता और इसे भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित किया जाता है।

- एफसीएनआर [बी] खाता- विदेशी मुद्रा अनिवासी [बी] अथवा विदेशी मुद्रा [अनिवासी] खाता [बैंक] योजना के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों द्वारा तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों/भारत के विदेशी नागरिकों(ओसीआई) द्वारा खोला जा सकता है। यह खाता मीयादी जमा खाते के रूप में खोला जा सकता है और यह आसानी से परिवर्तित होनेवाली किसी भी विदेशी मुद्रा में खोला जा सकता है ।

• निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा खाते: निवासी व्यक्ति भारत में विदेशी मुद्रा के खाते खोल सकते हैं जैसे, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (ईईएफसी), निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता [आरएफसी(डी], निवासी विदेशी मुद्रा खाता (आरएफसी) आदि। विदेशी मुद्रा खाता वह खाता है जो भारत या नेपाल या भूटान की मुद्रा के अलावा अन्य किसी मुद्रा में रखा जाता है।

• विदेशी निवेश: भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यावर्तन आधार पर भारतीय कंपनी की पूंजीगत लिखतों में या एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी) की पूंजी में किए गए किसी भी निवेश को विदेशी निवेश के रूप में जाना जाता है। गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर किये या रखे गए विदेशी निवेश को छोड़कर सभी विदेशी निवेश(लागू करों का निवल) प्रत्यावर्तनीय हैं। भारत के बाहर निवासी व्यक्ति विदेशी निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के रूप में किसी भारतीय कंपनी में निवेश कर सकता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का अर्थ भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पूर्णतः डाइल्यूटिड आधार पर पोस्ट इश्यू चुकता इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत या उससे अधिक में पूंजीगत लिखतों के माध्यम से निवेश करना है। पूर्णतः डाइल्यूटिड आधार पर का अर्थ है परिवर्तन के सभी संभाव्य स्रोतों को निष्पादित करने की स्थिति में बकाया रहने वाले शेयरों की कुल संख्या। एक बार जब निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में हो जाता है, तब इसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में ही माना जाता रहेगा, भले ही निवेश का स्तर दस प्रतिशत से कम हो जाए।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) का अर्थ भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पूर्णतः डाइल्यूटिड आधार पर पोस्ट इश्यू चुकता इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से कम या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखतों की प्रत्येक श्रृंखला का भुगतान किए गए मूल्य के 10 प्रतिशत से कम में पूंजीगत लिखतों के माध्यम से निवेश करना है। सेक्टरवार उच्चतर सीमा की जा सकने वाला अधिकतम निवेश है। इस निवेश में भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी कंपनी की पूंजीगत लिखतों या एलएलपी पूंजी में प्रत्यावर्तन आधार पर विदेशी निवेश और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों शामिल हैं। यह भारतीय निवेश इकाई के लिए समग्र सीमा होगी। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ किसी भारतीय इकाई द्वारा विदेशी निवेश प्राप्त किसी अन्य भारतीय इकाई (आईई) जो कि निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं है या भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के स्वामित्व या नियंत्रण में है, से प्राप्त किया गया डाउनस्ट्रीम निवेश है। डाउनस्ट्रीम निवेश का अर्थ किसी भारतीय इकाई या निवेश साधन का पूंजीगत लिखतों या किसी अन्य भारतीय इकाई की पूंजी में किया गया निवेश है। कुल विदेशी निवेश का मतलब पूर्णतः डाइल्यूटिड आधार पर गणना किए गए विदेशी निवेश और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कुल योग है ।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), जिसकी विशेषता स्थायी ब्याज और निवेशक द्वारा कुछ हद तक प्रबंधन नियंत्रण है, उसे पूंजी के अंत: प्रवाहों के क्रम में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है क्योंकि यह संसाधन बढ़ाने वाला और आमतौर पर बेहतर प्रौद्योगिकी और अधिक दक्ष प्रबंधन और कारोबारी प्रथाएं अपने साथ लेकर आता है। विदेशी मुद्रा निवेश के लिए ढांचा, जिसे फेमा के अंतर्गत सरकार (गैर-ऋण लिखत नियमावली, 2019) द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत कानूनी वैधता प्राप्त होती है, उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करते हुए भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लगाया गया एक मात्र प्रतिबंध - रणनीतिक या सामाजिक- आर्थिक विचारों से प्रेरित और क्षेत्रवार उच्चतर निवेश सीमाओं से संबधित होते है -अर्थात किसी अनिवासी को रक्षा, प्रिंट मीडिया, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, कमोडिटी, पावर एक्सचेंज आदि के क्षेत्रों में और भारत के साथ जिन देशों की सीमाएं लगती हैं उनसे एफडीआई प्राप्त करने को किस हद तक रणनीतिगत नियंत्रण प्रदान किया जाए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो नीति अपनाई गयी है उसमें विनिर्माण और बुनियादी सुविधा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित

करने की बात की गयी है । जुआ, सट्टेबाजी, निधि कंपनियों में निवेश, लॉटरी कारोबार आदि जैसी कुछ ही गतिविधियों के अंतर्गत निवेश को छोड़ कर, जिन्हें विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित किया गया है, भारत से बाहर रहनेवाला कोई भी व्यक्ति अथवा निगमित निकाय भारत सरकार के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से अथवा स्वचालित रूट के माध्यम से निवेश कर सकता है । निवेश के लिए क्षेत्रीय उच्चतम सीमा की शर्त के अधीन स्वचालित रूट के अंतर्गत किये जानेवाले निवेश के लिए भारत सरकार अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना करने की अनुमति है। एफडीआई नीति ढांचा स्थिर नहीं, बल्कि समीक्षा के लिए खुला है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और निवेश -सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (आरएफपीआई) और अनिवासी भारतीय पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत शेयर्स और परिवर्तनीय डिबेंचर्स खरीदने के लिए पात्र हैं । पोर्टफोलियो निवेश के प्रवाहों में कुछ उतार- चढ़ाव पाए जाते हैं और उनमें दोनों ही ओर से बढ़ोतरी हो सकती है अत: उनपर कुछ सीमाएं निर्धारित की गयी हैं ।

- व्यक्तिगत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा किया जानेवाला निवेश भारतीय कंपनी के पूर्णतः डायल्यूटेड आधार पर चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से कम होना चाहिए । विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा किया जानेवाला सकल निवेश भारतीय कंपनी की पूर्णतः डायल्यूटेड आधार पर सेक्टरवार उच्चमत सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से निवेश की समग्र सीमा को निम्न प्रारंभिक सीमा तक कम किया जा सकता है।
- अनिवासी भारतीय (एनआरआई) पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत शेयर बाज़ार से भारतीय कंपनियों के एफडीआई अनुपालित पोर्टफोलियो लिखत खरीद अथवा बेच सकता है। कोई भी अनिवासी भारतीय व्यक्ति किसी भी भारतीय कंपनी की चुकता पूंजी के 5 प्रतिशत तक शेयर पूर्णतः डायल्यूटेड आधार पर खरीद सकता है। सभी अनिवासी व्यक्ति एक साथ किसी कंपनी की कुल चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं खरीद सकते । भारतीय कंपनी के सामान्य निकाय द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके दस प्रतिशत की कुल सीमा को चौबीस प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक [एफपीआई], अनिवासी भारतीय, [एनआरआई] विदेशी केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक, राष्ट्रिक धन निधियां जैसी दीर्घावधि निवेशक बहुपक्षीय एजेंसियां , एंडोमेंट फंड्स, बीमा फंडस, पेंशन फंड, जो सेबी के साथ पंजीकृत हैं, उन्हें भी केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों, कॉर्पोरेट बॉण्ड और नगर निगम बांडों में विभिन्न शर्तों के अधीन निवेश करने की अनुमति प्रदान की गयी है ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार- बाह्य वाणिज्यिक उधार [ईसीबी] अनिवासी पात्र ऋणदाताओं से विदेशी मुद्रा में जुटाए गए ऋण और बॉण्ड हैं। ये वो वाणिज्यिक ऋण हैं, जो न्यूनतम परिपक्वता, अनुमत और गैर-अनुमत अंत-उपयोग, अधिकतम सभी-लागत सहित सीमा, आदि जैसे मापदंडों के अनुरूप, पात्र निवासी संस्थाओं द्वारा मान्यता-प्राप्त गैर-निवासी संस्थाओं से लिया जाता है । इन ऋणों के लिए नीति यह है कि देश की अर्थव्यवस्था की बाहरी देयता अतिरिक्त रूप से न फैले और इसीलिए विदेशी वाणिज्यिक उधारों [ईसीबी] का आबंटन उनके सर्वाधिक उत्पादक उपयोग के लिए किया जाना चाहिए । यह उद्देश्य ऋण की मात्रा, उसका अंतिम उपयोग, उसकी अवधि, ऋणदाता की साख और उधार की लागत जैसे विनियामक प्रतिबंध के माध्यम से हासिल किये जा सकते हैं । ईसीबी को विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित ईसीबी या रुपया मूल्यवर्गित ईसीबी के रूप में जुटाया जा सकता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार [ईसीबी] एफसीसीबी (विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड) और एफसीईबी (विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड) के रूप में भी जुटाए जा सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए पात्र सभी इकाइयां ईसीबी जुटाने के लिए भी पात्र हैं। एक स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में ईसीबी को किसी अन्य स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के साथ-साथ रुपये में बदलने की भी अनुमति है। रुपये से किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। ईसीबी की आय को विदेश में या घरेलू रूप में भी रखा जा सकता है।

निवासियों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई): भारत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश में वे निवेश शामिल हैं, जो या तो स्वचालित मार्ग (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना) या अनुमोदन मार्ग (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के साथ), पूंजी में योगदान, या विदेशी संस्था द्वारा मेमोरेंडम के लिए सदस्यता, या किसी विदेशी इकाई के मौजूदा शेयरों की खरीद के माध्यम से या तो बाजार की खरीद या निजी प्लेसमेंट या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, विदेशी इकाई में

दीर्घकालिक दिलचस्पी को दर्शाता है। यह आमतौर पर एक संयुक्त उद्यम (जेवी) या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) के रूप में होता है। एक विदेशी संस्था को भारतीय पार्टी/रेजिडेंट इंडियन का जेवी कहा जाता है जब भारतीय पार्टी के साथ अन्य विदेशी प्रमोटरों की हिस्सेदारी होती है। डब्ल्यूओएस के मामले में पूरी पूंजी एक या अधिक भारतीय पार्टी/निवासी भारतीय के पास होती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मामला [ओडीआई] भारतीय उद्यमियों को विदेशों में लाभदायक निवेश के अवसर तलाशने के लिए अनुमति देने पर निर्भर है । निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेशों में पोर्टफोलियो निवेश और विदेशों में कंपनियों का गठन, जो एलआरएस के माध्यम से किया जा सकता है, इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय निवासियों को किस हद तक अपने पोर्टफोलियो का विविधीकरण करने का अवसर मिलता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत की विश्व अर्थव्यवस्था के साथ प्रगतिशील एकीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के रणनीतिक हितों की सेवा करता है।

अचल संपत्ति में निवेश: भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत के बाहर स्थित किसी भी अचल संपत्ति को अपने पास रख सकता है, हस्तांतरित कर सकता है या निवेश कर सकता है, यदि ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण, स्वामित्व या स्वामित्व उसके पास तब आया हो जब वह भारत से बाहर का निवासी था या उसे यह संपत्ति भारत के बाहर निवासी व्यक्ति से विरासत में मिली थी। एक निवासी व्यक्ति भारत के बाहर अचल संपत्ति खरीदने के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत प्रेषण भेज सकता है।

एनआरआई / पीआईओ / ओसीआई द्वारा भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत में भेजी गई निधियों से या एनआरआई/पीआईओ के एनआरई / एफसीएनआर (बी) / एनआरओ खातों में रखे गए धन से किया जा सकता है। वे कुछ शर्तों के अधीन भारत के किसी अधिकृत डीलर या आवास वित्त संस्थान से रुपये में आवास ऋण का लाभ उठा सकते हैं। भारत में रहने वाले गैर-भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (कुछ विनिर्दिष्ट देशों को छोड़कर) भारत में अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। भारत से बाहर रहने वाले गैर-भारतीय मूल के विदेशी नागरिक भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण/ हस्तांतरण पांच साल तक की लीज के माध्यम से और किसी निवासी से विरासत के माध्यम से भारत में अचल संपत्ति प्राप्त कर

सकते हैं। एनआरआई / पीआईओ शर्तों के अधीन भारत में अचल संपत्ति (कृषि भूमि / फार्म हाउस / प्लांटेशन प्रॉपर्टी के अलावा) की बिक्री आय को देश के बाहर ले जा सकते हैं।

पूंजी खाते की परिवर्तनीयता

मुद्रा परिवर्तनीयता का अर्थ है घरेलू मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मुद्रा में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित करने की आज़ादी । उस अर्थ में परिवर्तनीयता को मुद्रा लेन-देन पर नियंत्रणों का अथवा प्रतिबंधों का अभाव कहा जा सकता है । जहां चालू खाते की परिवर्तनीयता को ' भुगतानों और चालू अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन' के संबंध में आजादी से है तो पूंजी खाते की परिवर्तनीयता [सीएसी] का अर्थ है अंत: प्रवाह और बाह्य प्रवाहों के संदर्भ में पूंजी खाते से संबंधित लेन-देन के लिए मुद्रा परिवर्तन करने की आज़ादी ।

भारतीय रिज़र्व बैंक पूंजीगत लेन-देन के क्रमिक उदारीकरण के दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति जैसे आंतरिक झटकों का प्रबंधन करना और वास्तविक क्षेत्र में विकास को बढ़ाने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक नीतिगत रूप से पूंजी खाते की उदारीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में मानता है और इसका प्रबंधन अर्थव्यवस्था की कमजोरियों और झटकों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए करता है। भले ही, भारत को अभी तक पूंजी खाते की पूरी परिवर्तनीयता हासिल नहीं हो पायी है, लेकिन पूंजी खाते का प्रबंध इस प्रकार किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की सभी जरूरतें बिना किसी बाधा के पूरी हो सकें ।

आगे की राह

भारतीय रिज़र्व बैंक आर्थिक वातावरण में विदेशी मुद्रा प्रबंधन के लिए एक मजबूत विनियामक ढांचा सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है जिसमें चालू खाता प्रवाहों के लिए रुपया पूरी तरह से परिवर्तनीय है और पूंजी प्रवाहों के लिए आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। प्रभावी प्रणालियों और प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग तंत्र, निगरानी के साथ यह पूंजी प्रवाह की संभावनाओं को बढ़ाता है जो कि अचानक आने वाली रूकावटों से मुक्त सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। यह विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वस्थ एकीकरण को भी सुनिश्चित करेगा।

अध्याय 19: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में इस आशय का एक सक्षमीकरण प्रावधान है जो रिज़र्व बैंक को विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के अभिरक्षक के रूप में काम करने तथा सुपरिभाषित उद्देश्यों के साथ उन आरक्षित निधियों का प्रबंध करने का दायित्व सौंपता है | विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियां पहले तो विदेशी मुद्रा के बाज़ारों की उथल-पुथल को शांत कर देती हैं और यदि पूंजी प्रवाहों में अचानक "शून्यता" आ जाती है अथवा अचानक गिरावट आने लगती है तो उससे बचने के लिए पर्याप्त चलनिधि या तरलता उपलब्ध कराती हैं | विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियां प्रमुख परिवर्तनीय मुद्राओं में रखी जाती हैं और सुरक्षा, उनकी तरलता और उनपर होने वाली आय के आधार पर इसी क्रम में अत्यंत उच्च स्तर की परिसंपत्तियों में उनका निवेश किया जाता है | प्रारक्षित राशियों का प्रबंध ऐसी प्रक्रिया है जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि सरकारी क्षेत्र की पर्याप्त आधिकारिक विदेशी परिसंपत्तियां संबंधित प्राधिकारियों को तत्काल उपलब्ध हो पाएं और वे किसी देश अथवा संघ के लिए उद्देश्यों के परिभाषित दायरे को पूरा करने के लिए उन राशियों को नियंत्रित कर पाएं | इस परिप्रेक्ष्य में आरक्षित निधियों का प्रबंधन करनेवाली संस्था को अकसर आरक्षित निधियों के प्रबंधन और उससे जुड़ी जोखिमों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है |

संकल्पनात्मक रूप से, विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों की कोई एकमात्र परिभाषा उपलब्ध नहीं है | क्योंकि उसमें शामिल की जानेवाली मदों, परिसंपत्तियों का स्वामित्व, चलनिधि या तरलता से संबंधित पहलू तथा स्वामित्ववाली और गैर स्वामित्ववाली आरक्षित निधियों के संबंध में अलग-अलग दृष्टिकोण हैं | तथापि, नीति और परिचालन के प्रयोजनों के लिए बहुत से देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष [आईएमएफ] द्वारा सुझाई गयी परिभाषा को अपनाया है [बैलेंस ऑफ़ पेमेंट्स मैनुअल एंड गाइडलाइन्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, 2001] इसमें विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों की परिभाषा इस प्रकार की गयी है :

> " ऐसी विदेशी परिसंपत्तियां, जो मौद्रिक प्राधिकारियों को विदेशी भुगतानों के असंतुलनों का प्रत्यक्ष वित्तपोषण करने के लिए तत्काल उपलब्ध रहती हैं, और जिनपर उनका नियंत्रण होता है, वह मौद्रिक प्राधिकारी विदेशी मुद्रा के बाज़ारों में अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करते

हुए उन परिसंपत्तियों का मुद्रा के विनिमय दरों को प्रभावित करने के लिए और अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकता है |"

विदेशी मुद्रा में एक साथ वृद्धि

विदेशी मुद्राएं चालू तथा पूंजी खाते की गतिविधियों का अंतिम परिणाम हैं | विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन के मुकाबले विदेशी मुद्रा के आगमन में स्थित अंतराल के कारण विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के स्तर में चालू खाते और पूंजी खाते दोनों ही के लेन-देन के लिए अंतर पड़ सकता है | जहां विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त प्रवाह के आगमन से आरक्षित निधियों का स्तर बढ़ जाता है, वहीं उसके अतिरिक्त बहिर्गमन से उनका स्तर कम हो जाता है | परिचालन की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा बाज़ार में किये गए हस्तक्षेप को विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों में वृद्धि अथवा घट के लिए प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है | स्वतंत्रता के बाद, अगर कुछ छोटी सी अवधियों को छोड़ भी दें तो भारत में चालू खाते में हमेशा घाटे की स्थिति बनी रही | इस घाटे का वित्तपोषण प्राप्त हो चुके पूंजी प्रवाहों के माध्यम से किया गया था | चालू खाते में हुए घाटे का वित्तपोषण करने के लिए जितनी विदेशी मुद्रा आवश्यक है उससे अधिक राशि के पूंजी प्रवाहों का आगमन हो जाने पर बची हुई विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में जमा हो जाती है | विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के तरीके में परिवर्तन किये जाने के बाद और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास स्थित विदेशी परिसंपत्तियों के नियोजन से प्राप्त आय के कारण भी विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के स्तर में परिवर्तन आते हैं |

विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों का प्रबंधन - भारतीय रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक को देश की विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के अभिरक्षक के रूप में उन राशियों के निवेश का प्रबंधन करने का दायित्व सौंपा गया है | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 में विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है |

वर्ष 1991 में भुगतान संकट पैदा होने तक विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के बारे में भारत का दृष्टिकोण अनिवार्यत: आयात के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध रखने का था | डॉ. सी रंगराजन की अध्यक्षता में भुगतान शेष पर गठित उच्च स्तरीय समिति [वर्ष 1993] की सिफारिशें मिलने

के बाद इस दृष्टिकोण में एकदम बदलाव आया | इस समिति ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि सभी बाहरी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आरक्षित निधियां उपलब्ध रखी जाएं, भारत की समस्त देयताएं चुकाने की भारत की क्षमताओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्याप्त भरोसा दिलाया जाए और विदेशी मुद्रा बाज़ार में सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जाए | वर्ष 1993 से पहले केंद्रीय बैंक बाज़ार की विनिमय दरों को तय करता था | वर्ष 1993 में बाज़ार आधारित विनिमय दर तय करने की प्रणाली लागू किये जाने के बाद विनिमय दरों की उथल-पुथल की तीव्रता को कम करना ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया | विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण में भुगतान शेष [बीओपी] का बदलता स्वरूप [कम्पोज़ीशन] और विभिन्न प्रकार के पूंजी प्रवाहों के साथ जुड़ी चलनिधि संबंधी जोखिमें प्रतिबिंबित होती हैं|

आरक्षित निधियों की पर्याप्तता 1990 के दशक से ही बहस का विषय बना हुआ है | वर्ष 1997 में श्री एस.एस.तारापोर की अध्यक्षता में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट में आरक्षित निधियों की पर्याप्तता के लिए वैकल्पिक मापन का सुझाव दिया गया है | इस समिति ने व्यापार आधारित संकेतकों के अतिरिक्त मुद्रा आधारित और ऋण आधारित संकेतकों का उपयोग करने का भी सुझाव दिया है | पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के बारे में भी समिति ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं [एस.एस.तारापोर, जुलाई 2006]| आयात कवर के रूप में आरक्षित निधियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने वाले पारंपारिक दृष्टिकोण को अब व्यापक बनाया गया है और उसमें अब विभिन्न प्रकार के पूंजी प्रवाहों, जैसे, आकार, रचना, और उनके जोखिम प्रोफाइल जैसे अन्य कई सारे मापदंड शामिल किये गए हैं | भारतीय रिज़र्व बैंक भी विदेशी मुद्रा चलनिधि के संबंध में लगनेवाले झटकों सहित सभी बाहरी झटकों पर नज़र रखता है जिनके प्रति अर्थव्यवस्था की स्थिति कुछ नाजुक बनी हुई है | इसके पीछे उद्देश्य यह है कि आरक्षित निधियों की मात्रा अर्थव्यवस्था की संभाव्य वृद्धि , जोखिम समायोजित पूंजी प्रवाहों के आकार और सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो |

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंध

भारत में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंध भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है | इन विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियां [एफसीए], विशेष आहरण अधिकार [एसडीआर], अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष [आईएमएफ] के साथ रिज़र्व ट्रैन्च की स्थिति और सोना शामिल है | विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों का प्रबंध पोर्टफोलियो प्रबंधन के तत्वों के अनुसार ही किया जाता है | विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों में अलग-अलग मुद्राओं में परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें मौजूदा मानदंडों के अनुसार अलग-अलग परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में रखा जाता है, जो आदर्श अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप हैं |

आरक्षित निधियों का नियोजन करते समय उससे जुड़े मुख्य जोखिमों में ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, और चलनिधि या तरलता जोखिम शामिल हैं और इन जोखिमों की वजह से ही रिज़र्व बैंक मुद्रा की रचना [कंपोज़ीशन], ब्याज दर जोखिम, और चलनिधि या तरलता की आवश्यकताओं पर बारीकी से ध्यान देता है| विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों का निवेश सर्वोच्च ऋण गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों में किया जाता है और उसका एक बड़ा भाग अल्प अवधि में नकदी में परिवर्तन योग्य होता है | ऐसे नियोजन से होनेवाली आय का मूल्यांकन करते समय कुल आय [ब्याज और पूंजीगत लाभ, दोनों ही] पर विचार किया जाता है | विदेशी मुद्रा के विदेशी बाज़ारों में निवेश की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रक्रिया में स्थित जोखिम में हैं, जिसके ब्योरे इस अध्याय के अंत में प्रस्तुत किये गए हैं |

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन की नीति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मूलभूत मानदंड हैं सुरक्षा, चलनिधि या तरलता की उपलब्धता, और उन पर होने वाली आय | जहां सुरक्षा, चलनिधि या तरलता की उपलब्धता आरक्षित निधियों के दो स्तंभ हैं वहीं उनपर होनेवाली इष्टतम आय इस ढाँचे के भीतर उसी में निहित रणनीति है | रिज़र्व बैंक ने आरक्षित निधियों की सुरक्षा और चलनिधि या तरलता को बढ़ाने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार किये हैं जिनमें जारीकर्ताओं, प्रतिपक्षों, और इन राशियों में किये जाने वाले निवेशों के लिए सख्त पात्रता मानदंड निर्धारित किये गए हैं| रिज़र्व बैंक, सरकार के साथ परामर्श करते हुए आरक्षित निधियों के प्रबंध संबंधी रणनीति की निरंतर समीक्षा करता रहता है |

रिज़र्व बैंक का आरक्षित निधियों के प्रबंधन का काम उसके महत्त्व और उसकी परिष्कृतता दोनों की ही दृष्टि से दो कारणों से बहुत बढ़ गया है | पहला कारण है विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों का हिस्सा रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र में पर्याप्त रूप से बढ़ गया है | और दूसरा कारण यह है कि वैश्विक बाज़ारों में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की ब्याज दरों में आ रही तीव्र गिरावट सहित विनिमय और ब्याज दरों में हो रही उथल पुथल के साथ, आरक्षित निधियों के मूल्य के परिरक्षण का और उन पर यथोचित आय कमाने का कार्य अब बहुत चुनौती भरा बन गया है |

आरक्षित निधियों के प्रबंधन के समग्र ढाँचे में रिज़र्व बैंक निम्नलिखित बातों पर ध्यान केंद्रित करता है :

- मौद्रिक और विनिमय दर की नीतियों में बाज़ारों का विश्वास बनाए रखना |
- विदेशी मुद्रा बाज़ारों में अगर अनुचित उथल-पुथल आ जाती है तो ऐसी स्थितियों में रिज़र्व बैंक की हस्तक्षेप करने की क्षमता बढ़ाना|
- राष्ट्रीय आपदा अथवा आपातकाल सहित संकट के समय झटकों को बर्दाश्त करने के लिए विदेशी मुद्रा की चलनिधि या तरलता बनाए रखते हुए बाहरी नाजुक स्थितियों को सीमित रखना |
- विदेशी निवेशकों को यह भरोसा दिलाना कि सभी विदेशी दायित्वों को पूरा किया जाएगा | और इस प्रकार जिस लागत पर विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां बाज़ार के सहभागियों के लिए उपलब्ध हैं उस लागत को घटाना |
- विदेशी परिसंपत्तियों के माध्यम से घरेलू मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए बाज़ार के सहभागियों की सुविधा को बढ़ाना|

निवेश के अवसर

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 विभिन्न मुद्राओं, लिखतों, उसके जारीकर्ताओं और प्रतिपक्षों के व्यापक मापदंडों के भीतर विभिन्न विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और सोने की आरक्षित निधियों के नियोजन के लिए व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 के अनुसार विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का निवेश निम्नलिखित में किया जाता है :

- बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) और अन्य केंद्रीय बैंकों की जमाराशियों में
- विदेशी वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों में
- सार्वभौम देयतावाले अथवा 10 वर्षों से अनधिक परिपक्वता अवधि वाले सार्वभौम रूप से गारंटीकृत देयता वाले ऋण लिखतों में
- रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अन्य लिखतों अथवा संस्थाओं में
- कुछ विशिष्ट प्रकार की डेरीवेटिव्ज में

आरक्षित निधियों के प्रबंधन में जोखिम प्रबंधन

मुद्राओं की रचना [कंपोज़ीशन] और निवेश की नीति सहित आरक्षित निधियों के प्रबंधन के लिए व्यापक रणनीति भारत सरकार के साथ परामर्श करते हुए तय की जाती है | जोखिम प्रबंधन के कार्यकलापों का उद्देश्य है आदर्श अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप, सुधारित उत्तरदायित्व के साथ, समस्त परिचालनों में जोखिम संबंधी जागरूकता लाते हुए, संसाधनों के आबंटन तथा आतंरिक कौशल और विशेषज्ञता को बढ़ावा देते हुए शासन के मजबूत ढांचे को सुनिश्चित करना | आरक्षित निधियों के नियोजन पर जो जोखिम मौजूद हैं जैसे ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, चलनिधि जोखिम और परिचालन जोखिम, तथा उनके प्रबंधन के लिए लागू की गयी प्रणालियों का नीचे के पैराग्राफों में ब्योरेवार उल्लेख किया गया है :

ऋण जोखिम

रिज़र्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का जो निवेश करता है उसके लिए पैदा होनेवाली जोखिमों के प्रति बहुत संवेदनशील है | बॉण्डों / खज़ाना बिलों में किये गए रिज़र्व बैंक के निवेश उच्च स्तरीय सार्वभौम, केंद्रीय बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में किये गए निवेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं | साथ ही, ये जमाराशियां केंद्रीय बैंकों, बीआईएस और विदेशी वाणिज्यिक बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं में भी रखी जाती हैं | भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरक्षित निधियों की सुरक्षा तथा चलनिधि या तरलता संबंधी पहलुओं को देखते हुए जारीकर्ताओं / प्रतिपक्षों [काउन्टर पार्टी] के चयन के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं | रिज़र्व बैंक ने इन प्रतिपक्षों के चयन के लिए सख्त मानदंड लागू करना जारी रखा है | अनुमोदित प्रतिपक्षों के संबंध में मंजूर ऋण सीमाओं के मुकाबले ऋण प्रकटीकरण पर निरंतर निगरानी रखी जाती है | प्रतिपक्षों की गतिविधियों

पर सतत नज़र रखी जाती है | इस प्रकार निरंतर चल रही कवायद का मूल उद्देश्य इस बात का मूल्यांकन करना है कि क्या किसी प्रतिपक्ष की ऋण की गुणवत्ता पर कोई ख़तरा तो नहीं मंडरा रहा |

बाज़ार जोखिम

बहुविध मुद्रा पोर्टफोलियो के लिए बाज़ार जोखिम वित्तीय बाज़ार की कीमतों में हो रही हलचल के परिणामस्वरूप मूल्यांकन में होनेवाले संभावनीय बदलावों का प्रतिनिधित्व करता है | उदाहरण के लिए ब्याज दरों में, विदेशी मुद्रा दरों में इक्विटी की कीमतों में और वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन | केंद्रीय बैंकों के लिए बाज़ार जोखिम के प्रमुख स्रोतों में मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, और सोने की कीमत में हलचल शामिल हैं | विनिमय दरों में होनेवाली हलचल के कारण विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों [एफसीए] और सोने के मूल्यांकन पर होनेवाले लाभ / हानि और / अथवा सोने की कीमत को मुद्रा और सोने का पुनर्मूल्यांकन खाता [सीजीआरए] शीर्ष के अंतर्गत तुलन पत्र में दर्शाया जाता है | इस खाते [सीजीआरए] में स्थित शेष राशियाँ, विनिमय दरों / सोने की कीमतों में होनेवाले उतार-चढ़ावों के लिए बफर प्रदान करती हैं जिसमें हाल ही में बहुत तीव्र उथल-पुथल देखी गयी थी | विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन हर माह के अंतिम कारोबारी दिन में प्रचलित बाज़ार कीमतों पर किया जाता है और उससे जो मूल्य वर्धन / मूल्य ह्रास पैदा होता है उसे निवेश पुनर्मूल्यांकन खाते में [आईआरए] में अंतरित किया जाता है | इस आईआरए में रखी गयी शेष राशियां उनकी धारिता अवधि के दौरान प्रतिभूति की कीमतों में होनेवाले परिवर्तनों के लिए गुंजाइश प्रदान करती हैं |

मुद्रा जोखिम

मुद्रा जोखिम विनिमय दरों में हो रही हलचल के कारण पैदा होता है | विनिमय दरों में होनेवाली संभाव्य हलचल के आधार पर और मध्यावधि और दीर्घावधियों में अन्य बातों के आधार पर [जैसे इंटरवेंशन मुद्राओं में आरक्षित निधियों के प्रमुख भाग को बनाए रखना, विविधीकरण से मिलनेवाले लाभ, आदि] विभिन्न मुद्राओं के बारे में दीर्घावधि प्रकटीकरणों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं | निर्णय लेने की इस प्रक्रिया को नियमित आधार पर रणनीतिगत समीक्षाएं करते हुए समर्थन प्रदान किया जाता है |

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है ब्याज दरों में हो रही हलचल के प्रतिकूल परिणामों से निवेश के मूल्य का यथा संभव बचाव करना | किसी पोर्टफोलियो की ब्याज दर संवेदनशीलता को बेंचमार्क की अवधि में और बेंच मार्क से हटने की अनुमत सीमा से अभिनिर्धारित किया जाता है |

चलनिधि या तरलता जोखिम

तरलता जोखिम में महत्वपूर्ण लागतों का सामना किए बिना किसी उपकरण को नहीं बेच पाने या किसी खुली स्थिति को बंद नहीं कर पाने की जोखिम शामिल है।| आरक्षित निधियों में किसी भी समय उच्च स्तर की तरलता होना जरूरी है ताकि किसी भी अप्रत्याशित और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके | कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो जाती है तब आरक्षित निधियों के माध्यम से ही उससे निपटा जा सकता है | और इसीलिए निवेश की रणनीति में अत्यंत तरलता वाले पोर्टफोलियो का होना एक अत्यावश्यक बंधन है | लिखतों का चुनाव किसी पोर्टफोलियो की तरलता को निर्धारित करता है | उदाहरण के तौर पर कुछ बाज़ारों में खज़ाना प्रतिभूतियों को भारी मात्रा में कीमतों में कोई भारी बदलाव किये बिना परिसमापित किया गया था | और इस प्रकार उन्हें तरल माना जा सकता है | बीआईएस के पास रखी गयी मीयादी जमाराशियों को छोड़ कर वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाएं और केंद्रीय बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों द्वारा जारी प्रतिभूतियों को छोड़ दें तो लगभग अन्य सभी प्रकार के निवेश सर्वाधिक तरल लिखत हैं जिन्हें अल्प अवधि में ही किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिक आवश्यकता के लिए नकदी में रूपांतरित किया जा सकता है|

परिचालनगत जोखिम और नियंत्रण प्रणाली

वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुसार तालमेल बिठाते हुए परिचालनगत जोखिमों की नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है | इसके लिए महत्वपूर्ण परिचालनगत क्रियाविधियों का दस्तावेज तैयार किया जाता है | आतंरिक रूप से फ्रंट कार्यालय के कामकाज और बैक कार्यालय के कामकाज को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है और आतंरिक नियंत्रण प्रणाली में लेन-देन प्राप्त करने के समय, उस पर प्रक्रिया करते समय और उनके निपटान के समय कई सारी जांच किये जाने को सुनिश्चित किया जाता है | भुगतान अनुदेश बनाने सहित लेन-देन पर प्रक्रिया और

निपटान प्रणाली को भी एक बिंदु डेटा प्रविष्टि के सिद्धांतों के आधार पर आतंरिक नियंत्रण दिशानिर्देशों से गुजरना पड़ता है | आतंरिक नियंत्रण संबंधी समस्त दिशानिर्देशों के बारे में अनुपालन पर निगरानी करने के लिए समवर्ती लेखापरीक्षा की प्रणाली भी लागू की गयी है | इसके अलावा, खातों का समाधान नियमित रूप से किया जाता है | आतंरिक वार्षिक निरीक्षणों के अलावा बाहरी सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा भी खातों की लेखापरीक्षा की जाती है | आरक्षित निधियों के प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों / परिचालनों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए व्यापक रिपोर्टिंग प्रणाली भी स्थापित की गयी है | ये रिपोर्टें उनके स्वरूप तथा संवेदनशीलता के आधार पर आवधिक रूप से जैसे दैनिक, मासिक, त्रैमासिक,छमाही और वार्षिक अंतरावाधियों में वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को प्रस्तुत की जाती हैं | रिज़र्व बैंक अपने व्यापार निपटाने के लिए और अपने प्रतिपक्षों, जिन बैंकों के पास नोस्ट्रो खाते बनाए रखे गए हैं उनको, प्रतिभूतियों के अभिरक्षकों को और अन्य कारोबारी सहभागियों को संदेश भेजने के लिए स्विफ्ट जैसे संदेश प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है | स्विफ्ट के बारे में समस्त अंतर्राष्ट्रीय आदर्श पद्धतियों का उपयोग सुनिश्चित किया जाता है |

पारदर्शिता और प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिक पारदर्शिता लाने के लिए तथा प्रकटीकरण के स्तर को बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के बारे में छमाही रिपोर्टें प्रकाशित करता है | ये रिपोर्टें हर वर्ष मार्च के अंत और सितंबर के अंत की छमाही की स्थिति के आधार पर तैयार की जाती हैं | साथ ही, रिज़र्व बैंक भारत में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के स्रोतों में आनेवाले परिवर्तनों पर त्रैमासिक आधार पर रिपोर्टें प्रकाशित करता है |

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों, विदेशी मुद्रा के बाज़ारों में उनके परिचालनों, देश की बाहरी परिसंपत्तियों और देयताओं की स्थिति, और विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों और सोने के नियोजन से होनेवाली आय के बारे में जानकरी सार्वजनिक डोमेन पर अपनी आवधिक प्रेस विज्ञप्तियों, साप्ताहिक पूरक विवरणियों, मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्टों आदि के माध्यम से डालता रहता है | पारदर्शिता और प्रकटीकरण के बारे में रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय आदर्श प्रथाओं का अनुपालन करता है | रिज़र्व बैंक ने अन्य बहुत से केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के बारे में ब्योरेवार आंकड़ों के प्रकाशन के लिए आईएमएफ के विशेष जानकरी प्रसारण मानकों के [एसडीडीएस] टेम्पलेट को अपनाया है |

भारतीय रिज़र्व बैंक का विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों का प्रबंधन कार्य बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डी ई आई ओ) द्वारा संभाला जाता है।

अध्याय 20: उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता संरक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक उपभोक्ता संरक्षण के अंत्यत महत्वपूर्ण पहलू के विषय में प्रतिबद्ध है | उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के बारे में रिज़र्व बैंक का मिशन और मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं के संरक्षण को उसके प्रयासों के केंद्र में रखता है | भारतीय रिज़र्व बैंक को, अन्य बातों के साथ-साथ, विधि के अंतर्गत [बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949] ऐसा दायित्व सौंपा गया है जिसमें " भारतीय रिज़र्व बैंक को जनहित में अथवा बैंकिंग नीति के हित में निदेश देने की शक्तियां; अथवा किसी बैंकिंग कंपनी का कारोबार जमाकर्ताओं के हितों के विपरीत चलाया जा रहा हो तो उस पर रोक लगाने की शक्तियां " प्रदान की गई हैं | आरबीआई को इसी प्रकार की शक्तियां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में आरबीआई अधिनियम, 1934 और प्रणालीगत सहभागियों से संबंधित संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदान की गई हैं।

यह उत्तरदायित्व 'उपभोक्ताओं और जमाकर्ताओं ' के हितों के सर्वोपरी संरक्षण को स्पष्टतया भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों के केंद्र में रखता है | रिज़र्व बैंक विनियामक हस्तक्षेप, पर्यवेक्षी नज़र रखने, नैतिक प्रोत्साहन, उपभोक्ता शिक्षण और विनियमित संस्थाओं के उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतें रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप के माध्यम से सुलझाने के अवसर प्रदान करते हुए अपना यह कार्य संपन्न करता है | पिछले कुछ वर्षों में रिज़र्व बैंक ने इन उपायों के माध्यम से तथा साथ ही, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का अनुभव और उनके ज्ञान का लाभ उठाने के लिए विभिन्न समितियां गठित करते हुए उपभोक्ता सेवा और बैंक उपभोक्ता संरक्षण का बेहतर तालमेल बिठाया है | इसका इतिहास तलवार समिति [1975] गोईपोरिया समिति [1990] और नरसिम्हम समिति [1991] तक पहुंचता है | नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट ने अविनियमन के माध्यम से और निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रवेश देते हुए बैंकिंग क्षेत्र में न केवल प्रतिस्पर्धा ला दी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए बेहतर उपभोक्ता सेवा को भी सुनिश्चित कर लिया | साथ ही, तारापोर समिति [2003] और दामोदरन समिति [2010] ने बैंकों में उपभोक्ता सेवा के ढांचे को फिर से नए आकार में ढाला| भारतीय रिज़र्व बैंक [भा.रि.बैंक] उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उपभोक्ता सेवा

की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और बैंकों में तथा रिज़र्व बैंक में भी शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर आधार पर प्रयास करता रहा है |

बैंकों के निदेशक बोर्ड के स्तर से लेकर ब्योरेवार संस्थागत तंत्र अनिवार्य बना दिया गया है | इस संबंध में भा.रि.बैंक द्वारा की गयी महत्वपूर्ण पहलें इस प्रकार हैं :

क) बैंकों के निदेशक बोर्डों के लिए उपभोक्ता सेवा संबंधी पहलुओं पर चर्चा करना तथा छमाही आधार पर विनियामक अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाया गया |

ख) बैंकों को सूचित किया गया कि वे निदेशक बोर्ड की उपभोक्ता सेवा समिति का गठन करें और उसमें विशेषज्ञों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रिती के रूप में शामिल करें ताकि बैंक अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ढाँचे को मजबूत करने के लिए अपनी नीतियां बना सकें और उनका मूल्यांकन कर सकें | साथ ही, बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार कर सकें |

ग) बैंक के विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए उपभोक्ता सेवा पर स्थायी समिति का गठन करना अनिवार्य बनाया गया जो सूक्ष्म स्तर पर कार्यरत कार्यकारी समिति के रूप में कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लागू कर सके, आवश्यक फीड बैक प्रदान कर सके और बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति इन पहलों की समीक्षा कर सके / अथवा उनमें संशोधन कर सके|

घ) बैंकों को यह सूचित किया गया कि उपभोक्ता और बैंक शाखा के बीच में संप्रेषण का औपचारिक चैनल खोलने के लिए शाखा स्तर पर उपभोक्ता सेवा समितियों की स्थापना की जाए |

ङ) बैंकों के लिए यह आवश्यक बनाया गया कि वे बैंक में उपभोक्ता सेवा और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक नोडल विभाग तथा नोडल अधिकारी को नामित करें |

च) उपभोक्ता सेवा, उपभोक्ताओं के अधिकार, जमाराशियां, चेक संग्रहण, और उपभोक्ता क्षतिपूर्ति तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को अत्यावश्यक बनाया गया|

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों तथा भा.रि.बैंक में उपभोक्ता सेवा से संबंधित गतिविधियों का केंद्रीकरण किया जो अब तक रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा संपन्न की जाती थीं और उपभोक्ता संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में उसके द्वारा किये जा रहे प्रयासों में और तेजी लाने के लिए दिनांक 01 जुलाई 2006 को ***'उपभोक्ता सेवा विभाग '*** नामक एक विभाग का गठन किया गया | नवंबर 2014 में रिज़र्व बैंक का फिर से संगठनात्मक ढांचा तैयार करते समय इस उपभोक्ता सेवा विभाग का नाम बदल कर ***" उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग " [सीईपीडी]*** कर दिया गया और इसे बैंक के *"पर्यवेक्षण और समावेशन क्लस्टर"* में शामिल किया गया | पूर्ववर्ती उपभोक्ता सेवा विभाग के प्रमुख कार्यकलापों में ये बातें शामिल थीं:

(i) बैंकों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की जा रही उपभोक्ता सेवा और शिकायत निवारण से संबंधित अनुदेशों / जानकारी का प्रसारण;

(ii) भा.रि.बैंक के विभिन्न कार्यालयों / विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में शिकायत निवारण तंत्र की देखरेख करना;

(iii) बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 [बीओ] चलाना;

(iv) भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड [बीसीएसबीआई] के लिए नोडल कार्यालय के रूप में काम करना;

(v) बैंकों में उपभोक्ता सेवा पर भारतीय रिज़र्व बैंक में सीधे ही प्राप्त शिकायतों के निवारण को सुनिश्चित करना;

(vi) उपभोक्ता सेवा और शिकायतों के निवारण से संबंधित मामलों पर बैंक, भारतीय बैंक संघ, बीसीएसबीआई, बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय और रिज़र्व बैंक के विनियामक विभागों के बीच संपर्क स्थापित करना |

ऊपर सूचीबद्ध किए गए कार्यकलापों में सीईपीडी को ये भूमिकाएं सौंपी गई हैं:

(i) भा.रि.बैंक तथा भा.रि.बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में प्रदान की जा रही सेवाओं में स्थित खामियों के बारे में बाहरी शिकायतें प्राप्त करना तथा उनके निपटान के बारे में एक मात्र नोडल बिंदु के रूप में काम करना;

(ii) बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूकता लाना और जनता को शिक्षित करना;

(iii) जनता को

- भा.रि,बैंक के नाम में जारी किए जा रहे धोखाधड़ी पूर्ण प्रस्तावों के बारे में
- उनकी बैंकिंग संबंधी जानकारी [पासवर्ड, कार्ड संख्या, सीवीवी संख्या आदि] सुरक्षित रखने और किसी तीसरे पक्ष के साथ उसे साझा न करने के बारे में; चेतावनी देनेवाली सूचनाएं / अधिसूचनाएं जारी करना और

(iv) भा.रि. बैंक के विनियामकीय दायरे में आनेवाले वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा नैतिक व्यवहार लागू करने के लिए नोडल विभाग का कार्य करना | दो नई बैंकिंग लोकपाल योजनाओं, नामत: एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना - 2018 और गैर-बैंक प्रणालीगत सहभागियों के लिए लोकपाल योजना - 2019, की शुरुआत किए जाने से सीईपीडी द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी संख्या बढ़कर अब तीन हो गई।

बैंकिंग लोकपाल योजना [बीओएस]: भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक उपभोक्ताओं के लिए यथोचित उपभोक्ता संरक्षण प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता को पहचानते हुए भारत में बैंकिंग सेवाओं में स्थित कमियों के बारे में उपभोक्ताओं से प्राप्त हो रही शिकायतों के शीघ्र और सस्ते तरीके से निपटान के लिए वर्ष 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रारंभ की | यह एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र है | पिछले वर्षों के दौरान बैंक उपभोक्ताओं के बीच इस योजना को व्यापक स्वीकार्यता मिली है | यह योजना भा.रि.बैंक द्वारा बैंकिंग लोकपाल [बीओ] के विशिष्ट कार्यक्षेत्र के कार्यालयों के माध्यम से समूचे देश भर में चलाई जा रही है | बैंकिंग लोकपाल योजना की पहुंच ग्रामीण और अर्ध शहरी भागों तक बढ़ाने के उद्देश्य से और बैंकिंग लोकपाल के कुछ कार्यालयों के कार्यक्षेत्र को तर्कसंगत बनाने के लिए बैंकिंग लोकपाल के देहरादून, जम्मू, रांची और रायपुर में एक -एक कार्यालय और नई दिल्ली में एक अतिरिक्त कार्यालय, इस प्रकार कुल मिलाकर पांच नए कार्यालय खोले गए|[88]

इस योजना में उसके प्रारंभ से अब तक पांच बार संशोधन किया जा चुका है | हाल ही का संशोधन जुलाई 2017 में किया गया था | बैंकिंग लोकपाल योजना में किये गए सुधारों पर नीचे प्रकाश डाला गया है :

[88] बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालयों की जानकारी उपलब्ध है
https://www.rbi.org.in/Scripts/AboutUsDisplay.aspx?pg=BankingOmbudsmen.html

i. **पहला संशोधन - बैंकिंग लोकपाल योजना 2002 :** बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 में किया गया पहला संशोधन दिनांक 14 जून 2002 में अमल में आया | इसमें

क) किसी निर्णय के विरुद्ध बैंक के लिए समीक्षा का विकल्प दिया गया |

ख) जो व्यक्तिगत मामला मध्यस्थता के अधीन है उसकी विषय वस्तु के मूल्य में वृद्धि (10 लाख रुपये तक) की गई | और

ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंकिंग लोकपाल योजना 2002 के दायरे में लाया गया |

ii. **दूसरा संशोधन- बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 :** बैंकिंग लोकपाल योजना 2002 को दिनांक 01 जनवरी 2006 से संशोधित किया गया और इसमें जो प्रमुख संशोधन किये गए थे उनमें ये बातें शामिल थीं :

क) शिकायतों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गयी |

ख) शिकायतों के लिए नए आधारों को शामिल किया गया जैसे क्रेडिट कार्ड की शिकायतें, दावा की गई सेवाएं देने से मना करना, किसी पूर्व सूचना के बिना सेवा प्रभार लगाना और उचित व्यवहार कोड का अनुपालन न करना

ग) यह निण्रय लिया गया कि बीओ के रूप में आरबीआई अधिकारियों आरबीआई अधिकारियों की नियुक्ति तथा बीओ सचिवालय के मानव संसाधन के लिए आरबीआई द्वारा पूर्णत: प्रतिनियुक्त किया जाए, जबकि पूर्व में बैंकों और आरबीआई द्वारा यह कार्य किया जाता था,

घ) बैंकों के लिए उपलब्ध 'समीक्षा' विकल्प को बदलकर 'अपील' का प्रावधान किया गया और 'अपील' तंत्र के दायरे में बैंक के ऐसे ग्राहकों को शामिल किया गया जिनके विरुद्ध बीओ द्वारा एवार्ड पारित किया गया था।

समीक्षा प्रक्रिया को बदल कर अपील के लिए प्रावधान लागू किया गया |

ङ) विवाचन संबंधी खंड को हटा दिया गया।

iii. **तीसरा संशोधन- 2007 :** यह संशोधन दिनांक 24 मई 2007 को लागू हुआ जिसके द्वारा ऐसे मामले में बैंकों के ग्राहकों को 'अपील' तंत्र की परिधि में शामिल किया गया जब किसी कारणवश शिकायतों को अस्वीकार किया जाए।

iv. **चौथा संशोधन- बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 (03 फरवरी 2009) :** यह संशोधन दिनांक 03 फरवरी 2009 को लागू हुआ | बीसीएसबीआई द्वारा जारी किये गए कोड का अनुपालन न करना, बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की नियुक्ति, और इन्टरनेट बैंकिंग की शिकायतें जैसे

और अधिक आधार बैंकिंग लोकपाल योजना के अधीन शामिल किये गए | इस संशोधन में क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में पैदा होने वाली शिकायतों के मामले में बीओएस 1995 में शुरू किए अनुसार दस लाख रुपये तक बैंक की भूल-चूक के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप के रूप में शिकायतकर्ता को हुई वास्तविक हानि की भरपाई के लिए एवार्ड दिए जाने के अलावा शिकायतकर्ता को हुई समय की हानि, उसके द्वारा इस संबंध में किए गए व्यय के साथ-साथ हुई परेशानी व मनस्ताप के लिए शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति हेतु प्रावधान पर भी विचार किया गया है।

फिलहाल, बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 [दिनांक 01 जुलाई 2017 तक यथा संशोधित] इस समय प्रचलन में है | इस योजना की जुलाई 2017 तक के अद्यतन संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं

- बैंकिंग लोकपाल के आर्थिक क्षेत्राधिकार को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया|
- समय की हानि, व्यय, उत्पीड़न और मानसिक परेशानी के लिए 1 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति जो इसके पहले क्रेडिट कार्ड से संबंधित मामलों में उपलब्ध थी अब उसे सभी प्रकार की शिकायतों के लिए लागू किया गया |
- बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायतें करने के लिए अतिरिक्त आधार शामिल किये गए | जैसे तीसरे पक्ष के उत्पादों की गलत तरीके से बिक्री,मोबाइल बैंकिंग / इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग सेवाओं में खामियां

जिन खण्डों के बारे में अपील की जा सकती है उनका दायरा और बढ़ाते हुए उसमें वे शिकायतें भी शामिल की गयी जिनमें बैंकिंग लोकपाल ने विस्तृत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के अभाव में शिकायत को बंद कर दिया था | [पुरानी योजना का खंड 13 (सी)]

- समझौता करते हुए शिकायत का निपटान करने की क्रियाविधि को, यह निर्दिष्ट करते हुए और आसान बना दिया गया है कि बैंकिंग लोकपाल शिकायतकर्ता को बैंक द्वारा किये गए लिखित प्रस्तुतीकरण पर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रस्तुतीकरण लिखित रूप

में करने का अवसर प्रदान करेगा| यदि दोनों ही पक्षों द्वारा बैंकिंग लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किये गए दस्तावेजी सबूत कोई निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो बैंकिंग लोकपाल संबंधित बैंक और शिकायतकर्ता के बीच एक बैठक का आयोजन करते हुए मैत्रीपूर्ण समाधान निकालने के प्रयास कर सकता है | इस बैठक की कार्यवाही को लिख लिया जाएगा और दोनों ही पक्षों के उस पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे कि दोनों ही पक्ष शिकायत के निवारण के बारे में सहमत हैं |

योजना का पूर्ण विवरण आरबीआई वेबसाइट में उपलब्ध है।[89]

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों [एन बी एफ सी] के उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण उपायों को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए जरूरत और आवश्यकताओं के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के उपभोक्ताओं के लिए लोकपाल योजना के स्वरूप में एक ऐसा सस्ता, शीघ्र और वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के लिए विचार कर रहा है जिस तक आसानी से पहुंचा जा सके | आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-एल में अधिसूचित इस योजना को प्रारंभ में जमाराशियां स्वीकार करनेवाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) पर लागू की गई तथा बाद में गैर जमा राशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) जिनकी परिसंपत्तियों का आधार 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उपभोक्ताओं के साथ इंटर फेस रखती हैं, पर 26 अप्रैल 2019 तक उक्त योजना की लागू हुई| गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुछ श्रेणियां, अर्थात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी), कोर निवेश कंपनी (सीआईसी), इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज फंड-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफसी) और परिसमापनाधीन एनबीएफसी, को इस योजना के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।

एनबीएफसी लोकपाल कार्यालय चार मेट्रो केंद्रों नामत: चेन्नै, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में संचालनरत हैं और ये कार्यालय अपने संबंधित अंचलों की शिकायतों का निपटान करने में सहयोग देते हैं। इस योजना के अंतर्गत शिकायतकर्ता / एनबीएफसी लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील

[89] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/BOS2006_2302017.pdf

प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। योजना का समस्त विवरण आरबीआई की वेबसाइट में दिया गय है।[90]

डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना, 2019: 5 दिसंबर, 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से डिजिटल लेन-देन (ओएसडीटी) के लिए लोकपाल योजना की शुरुआत की। इस योजना में परिभाषित किए अनुसार इस योजना का उद्देश्य सिस्टम प्रतिभागियों के खिलाफ की गई शिकायतों का निवारण करना है।

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत शुरू की गई योजना, आरबीआई द्वारा विनियमित गैर-बैंक संस्थाओं के माध्यम से आयोजित डिजिटल लेनदेन में ग्राहक सेवाओं में कमी से संबंधित मुफ्त और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करेगी। बैंकों के माध्यम से की जाने वाली डिजिटल लेनदेन से संबंधित शिकायतों को बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के तहत नियंत्रित किया जाएगा। डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल के कार्यालय, बैंकिंग लोकपाल के मौजूदा कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा और संबंधित क्षेत्राधिकार के अंदर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना में अपीलीय तंत्र की सुविधा है जिसके अंतर्गत इस योजना से संबंधित शिकायत पर एवार्ड जारी किए जाने या अस्वीकृत किए जाने के मामले में शिकायतकर्ता/ सिस्टम प्रतिभागी को यह विकल्प मिलेगा कि वे लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेंगे। योजना की पूरी जानकारी आरबीआई वेबसाइट में दी गई है।[91]

ग्राहक के अधिकारों का चार्टर : भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए किये जा रहे उपायों को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में वर्ष 2014-15 में "उपभोक्ताओं के अधिकारों का चार्टर" बनाया था जिसका स्वरूप उपभोक्ता संरक्षण के व्यापक सिद्धांतों जैसा है और वह प्रथमत: बैंक

---

[90] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/NBFC23022018.pdf

[91] 4 https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/OSDT31012019.pdf

उपभोक्ताओं के लिए लागू है | इस चार्टर में पांच अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं :

क) निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार

ख) पारदर्शिता, उचित और प्रामाणिक लेन-देन का अधिकार

ग) उपयुक्तता का अधिकार

घ) निजता का अधिकार; और

ङ) शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति का अधिकार

बैंकों ने भी अपने निदेशक बोर्डों के अनुमोदन से उपभोक्ताओं के अधिकारों की नीति बना ली है जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार चार्टर को शामिल किया गया है | प्रभावी विनियामक निरीक्षण के लिए चार्टर के कार्यान्वयन की निगरानी भी की जा रही है |

बैंकों में आतंरिक लोकपाल : बैंकों में आतंरिक शिकायत निवारण के ढांचे तथा तंत्र को मजबूत करने के एक उपाय के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2015 में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को और कुछ चुने हुए निजी क्षेत्र के बैंकों को आतंरिक लोकपाल की नियुक्ति करने के लिए कहा है | आतंरिक लोकपालों को बैकों द्वारा पूर्णत: या अंशत: अस्वीकार की गयी शिकायतों की जांच करना अनिवार्य बना दिया गया है | शिकायतकर्ताओं को बैंकों ने जो संप्रेषण जारी किया है उसमें एक खंड अनिवार्यत: होना चाहिए कि उक्त शिकायत की आतंरिक लोकपाल ने जांच कर ली है |

इस ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के एक अंग के रूप में आईओ की स्वतंत्रता को बढ़ाने के साथ ही आईओ तंत्र के कार्य-संचालन की निगरानी प्रणाली को सुदृढ करने की दृष्टि से **'आंतरिक लोकपाल योजना, 2018'** के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत आरबीआई ने इस व्यवस्था की समीक्षा की और संशोधित निदेश जारी किए हैं। यह संशोधित आईओ योजना के दायरे में ऐसे सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को शामिल किया गया जिनके 10 से अधिक आउलेट भारत में स्थित हैं। इस योजना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ आईओ की नियुक्ति/ सेवा-काल, भमिका व जिम्मेंदारी, प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश तथा निगरानी तंत्र शामिल हैं। संबंधित बैंकों ने आईओ की नियुक्ति की है।

उक्त आईओ अन्य बातों के साथ-साथ बैंक की ओर से सेवा में कमी के स्वरूप से संबंधित ऐसी शिकायतों (जिनके अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के खंड 8 में सूचीबद्ध शिकायतों के कारणों पर आधारित शिकायतें भी शामिल हैं) की जांच करेगा जिन्हें बैंक द्वारा अंशत: या पूर्णत: अस्वीकृत किया गया है। चूंकि बैंक सभी शिकायतों को आंतरिक रूप से आगे बढ़ाएंगे, जिनका पूर्ण निवारण संबंधित आईओ द्वारा शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय की सूचना देने से पहले नहीं किया जाता है, अत: बैंक के ग्राहकों को सीधा आईओ से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आईओ योजना, 2018 के कार्यान्वयन की निगरानी आरबीआई की विनियामकीय निगरानी व्यवस्था के अलावा बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र द्वारा भी की जाती है।

<u>गैर-बैंक प्रणाली सहभागियों के लिए आंतरक लोकपाल (आईओ) योजना, 2019</u>: यह योजना संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत 22 अक्तूबर 2019 को बैंकों के लिए आईओ योजना के तर्ज पर जारी की गई। यह योजना पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) के ऐसे गैर-बैंक निर्गमकर्ताओं पर लागू है जिनकी बकाया पीपीआई 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ से अधिक है। ग्राहकों की ऐसी शिकायतों, जिन्हें पीपीआई के गैर-बैंक जारीकर्ता द्वारा पूर्णत: या अंशत: अस्वीकृत किया गया है, को निर्णय किए जाने हेतु अनिवार्यत: आईओ के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जो कि आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का शीर्षस्थ स्वतंत्र प्राधिकारी है।

क्षेत्रीय कार्यालयों में उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्ष : वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्राहकों की ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्षों (सीईपी कक्ष) की स्थापना की गई, जिनका आधार लोकपाल योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है और जो संस्थाओं से संबंधित हैं, जो आरबीआई के विनियमाधीन तो हैं, लेकिन लोकपाल योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

उपभोक्ता शिक्षण

अपने विनियमाधीन संस्थाओं के उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण [शिकायत निवारण] तंत्र की उपलब्धता के बारे में तथा जनता को बैंक के नाम में दिए जा रहे अनपेक्षित जाली प्रस्तावों के बारे में चेतावनी देने का रिज़र्व बैंक प्रयास करता रहा है | टाउन हाल कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों, महत्वपूर्ण मेलों, प्रदर्शनियों, व्यापारी मेलों आदि में भाग लेते हुए उपभोक्ताओं में

जागरूकता लाने के प्रयास किये जाते हैं | बैंकिंग लोकपाल कार्यालय बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकिंग से संबंधित पहलुओं विशेषत: एटीएम/ डेबिट/ क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के उपयोग के बारे में, निधि अंतरण, शिकायत निवारण के अवसरों, शिक्षा ऋणों के बारे में, मुद्रा नोटों की सुरक्षा विशेषताओं आदि के बारे में जनता के बीच जागरूकता लाने की दृष्टि से टाउन हाल कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ये सारे कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में और हिंदी में आयोजित किये जाते हैं |

बैंकिंग लोकपाल अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में जागरूकता अभियान आयोजित करते हैं | भारी तादाद में ग्रामीण जनता, स्कूलों और कॉलेजों के छात्र, बैंक ग्राहक, सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी, पेंशनर्स एसोसिएशन, जमाकर्ताओं के एसोसिएशन के प्रतिनिधि ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेते हैं | ऐसे कार्यक्रम मुख्यत: ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में आयोजित किये जाते हैं | बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय स्टॉलों की स्थापना करके और लोकपाल योजनाओं के बारे में डाक्यूमेन्टरियां, सूचनापरक ब्रोशर आदि प्रदर्शित करते हुए विभिन्न मेलों, व्यापारी मेलों और प्रदर्शनियों में भी भाग लेते हैं।

उपभोक्ता शिक्षण के एक भाग के बारे में प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविशन में विज्ञापन अभियान चलाया जाता है ताकि आम जनता में सस्ती निधियां / लाटरी आदि के जाली प्रस्तावों, आरबीआई के ग्राहक संरक्षण संबंधी विनियमों, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग और शिकायत निवारण के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके | जनता के बीच भा.रि.बैंक के नाम सहित सार्वजनिक प्राधिकारियों के नाम में दिए जा रहे जाली प्रस्तावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के महत्वपूर्ण पहलू की भारतीय रिज़र्व बैंक ने समीक्षा कर ली है और बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे कारोबार को बढ़ावा देने वाले अपने सभी विज्ञापनों में अपनी मूल विषयवस्तु को हटाये बिना इसके बारे में एक मानक संदेश दिया करें | रिज़र्व बैंक द्वारा परिकल्पित उपभोक्ता शिक्षण को बढ़ाने के लिए बैंकिंग लोकपाल और रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी समूचे देश में विभिन्न जागरूकता अभियानों में भाग लेते हैं और जनता / बैंक के उपभोक्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध संरक्षण उपायों के बारे में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हैं |

'आरबीआई कहता है' : जन जागरूकता के लिए रिज़र्व बैंक की एक पहल :

उपभोक्ता शिक्षण संबंधी पहलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक द्वारा एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत एसएमएस संदेशों के माध्यम से आम जनता को बैंकिंग विनियमों एवं उन्हें उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं से अवगत कराया जाता है। शुरुआती तौर पर, रिज़र्व बैंक ने ई मेल / एसएमएस / फोन कॉल के ज़रिए आम जनता को अनपेक्षित और जाली प्रस्तावों से बचने के बारे में चेतावनी संदेश भेजना शुरू किया। यह सावधानी संदेश एसएमएस हैंडल **'आरबीआईसे'** से भेजा गया है।

रिज़र्व बैंक जनसाधारण को समय-समय पर जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियों (https://www.rbi.org.in/Scripts/RBICautions.aspx) के माध्यम से सचेत करता रहा है। "आरबीआईसे" की पहल से रिज़र्व बैंक धोखेबाज़ व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे उसी मीडिया (एसएमएस और ईमेल) का प्रयोग कर रहा है। जनसाधारण 14440 पर मिस्ड कॉल देकर आईवीआरएस से धोखाधड़ी कॉल / फर्जी ईमेल के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे ई-मेल के माध्यम से अभियान के संबंध में फीड बैक भी दे सकते हैं।

शिकायत प्रबंध प्रणाली की स्थापना करना : भा.रि.बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए प्राप्त हो रही शिकायतों की मात्रा का प्रबंध करने के लिए 24 जून 2019 को वेब आधारित शिकायत प्रबंध प्रणाली [सीएमएस] स्थापित की है| यह वेब आधारित शिकायत प्रबंध प्रणाली मौजूदा शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली (सीटीएस) के स्थान पर लागू हो जाएगी, जो लगभग एक दशक से अधिक अवधि के लिए कार्यरत थी | सीएमएस आंकड़ों का विश्लेषण भी उपलब्ध कराएगी और शिकायतों के आम स्वरूप [पैटर्न] का अध्ययन करना और जहां संभव हो वहां शिकायत का पूर्व अनुमान लगाते हुए उसके मूल कारण को ही समाप्त करना भी संभव कराएगी | साथ ही, इससे बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों, सीईपी कक्षों, और बैंकों को शिकायतों के दक्ष प्रबंधन तंत्र को सीएमएस प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाया जा सकेगा और बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र का एकीकरण किया जा सकेगा | इससे बैंकिंग सेवाओं के शिकायत प्रवण क्षेत्रों में कार्रवाई करने के प्रयासों को सक्रिय बल मिलेगा जिससे शिकायत निवारण की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन आएगा| सीएमएस ने शिकायत प्रबंधन और निवारण के क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं के कार्यनिष्पादन की निगरानी व्यवस्था को भी सुदृढ किया है।

(उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के विषय में उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण विभाग रिज़र्व बैंक में उपयुक्त विभाग है।)

अध्याय 21: वित्तीय समावेशन और विकास

पिछले एक दशक में, वित्तीय समावेशन शब्द सार्वजनिक नीति में प्रमुख अंग बन गया है और सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाया है। समावेश एजेंडे को दी जाने वाली प्रमुखता से यह पता है कि गरीबी को हटाने एवं समग्र समृद्धि को बढ़ाने में उसके प्रभावों के प्रति समझ लगातार बढ़ रही है। "समाज के कमजोर वर्ग, और कम आय वाले वर्ग जैसे आर्थिक दृष्टि से नाजुक समूहों को जहां आवश्यक हो वहां समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराते हुए वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को वित्तीय समावेशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है|" वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को दोहरे स्तंभ के रूप में माना जाता है, जहां वित्तीय समावेशन आपूर्ति पक्ष पर काम करता है यानी पहुंच बनाना और वित्तीय साक्षरता मांग पक्ष पर कार्य करता है यानी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए मांग।[92] उपभोक्ता संरक्षण सतत और समावेशी वित्तीय विकास का तीसरा स्तंभ है।

वित्तीय समावेशन की आवश्यकता :

वित्तीय समावेशन ग्रामीण जनता के बड़े तबके के बीच बचत की संस्कृति को विकसित करते हुए वित्तीय प्रणाली के संसाधनों के आधार को व्यापक बनाता है और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अपनी भूमिका अदा करता है। साथ ही, वित्तीय समावेशन कम आय वाले समूहों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के दायरे में लाकर आकस्मिक परिस्थितियों में उनकी वित्तीय संपदा और अन्य संसाधनों का संरक्षण करता है| इसके अलावा वित्तीय समावेशन समाज के कमजोर वर्ग के लिए औपचारिक ऋण तक आसानी से पहुंच प्रदान करते हुए बहुत ज्यादा ब्याज लगाने वाले साहूकारों के चंगुल से उन्हें बचाता है और उनके शोषण को अत्यंत कम करने की कोशिश करता है| भारत में वित्तीय समावेशन पोषित किया हुआ नीतिगत उद्देश्य है और आर्थिक नीति हमेशा से ही सतत और समावेशी वृद्धि के निहित उद्देश्यों के साथ ही संचालित होती रही है | जैसाकि फिलाडेल्फिया के अत्यंत गंभीर आईएलओ घोषणापत्र [वर्ष 1944] में कहा गया है " गरीबी कहीं पर भी हो, वह संपन्नता के लिए सर्वत्र खतरा बन जाती है " | भारत के नीति नियंताओं, अर्थात भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों को ही वित्तीय स्थिरता के लिए गरीबी की वजह से पैदा होनेवाली जटिलताओं के बारे में पहले ही आभास हो चुका था | इसीलिए उन्होंने यह सुनिश्चित

[92] रंगराजन समिति रिपोर्ट, जनवरी2008

करने के लिए प्रयास किये थे कि गरीबी के सभी रूपों पर प्रहार किया जाए रहे आर्थिक विकास के लाभ निर्धन और समाज के वंचित तबके तक पहुंचाए जाएं |[93]

संक्षिप्त पृष्ठ भूमि

'वित्तीय समावेशन ' शब्द तो हाल ही में पैदा हुआ है लेकिन भारत में तो बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास साधने का लंबा इतिहास रहा है| भारत सरकार अथवा रिज़र्व बैंक के आदेश पर बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न आदेशों, वैकल्पिक ढांचों का निर्माण और नवोन्मेष के रूप में कदम उठाये जा रहे हैं| बैंकिंग की समावेशी वृद्धि पर जो बल दिया गया उसकी जड़ों को वर्ष 1969 में किये गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में और बाद में वर्ष 1980 में किये गए दूसरे चरण में तलाशा जा सकता है | वर्ष 1969 में अग्रणी बैंक योजना लागू की गयी और वर्ष 1972 में पहली बार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गए | वर्ष 1975 के आते- आते ग्रामीण बैंकिंग के लिए जमीनी स्तर पर नया बुनियादी ढांचा निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक [क्षे.ग्रा.बैंक] स्थापित किये गए | वर्ष 1977 में आरबीआई ने बैंकों के लिए यह अनिवार्य बनाया कि वे बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण इलाकों में कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं खोलें। वर्ष 1982 में कृषि और ग्रामीण ऋण के लिए शीर्षस्थ एजेंसी के रूप में नाबार्ड की स्थापना किये जाने से कई सारे लाभ प्राप्त हुए| 1988 में बैंकों को सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया | नब्बे के दशक में स्थानीय क्षेत्र के बैंक स्थापित किये गए और स्वयं-सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने की योजना लागू की गयी | शतक के बदलते-बदलते कई सारी ऐसी पहलें की गयी थीं जिनमें वित्तीय समावेशन को मुख्य धारा के बैंकिंग उद्देश्य के रूप में और व्यवसाय प्रतिनिधि (बिज़नेस कॉरस्पोंडेंट) के रूप में देखा गया | उपर्युक्त प्रयासों के साथ ही, रिज़र्व बैंक ने भी बैंकों को उनके निदेशक बोर्डों के अनुमोदन के साथ वित्तीय समावेशन योजना [एफआईपी] बनाते हुए सर्वोच्च स्तर पर प्रतिबद्धता के साथ वित्तीय समावेशन के लिए एक सुगठित और नियोजित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया | वर्ष 2010 -13 और 2013-16 के दौरान अमल में लाये गए पहले दो चरणों ने वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना [पीएमजेडीवाई] के साथ मिलकर आपूर्ति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल दिया। बैंकों के लिए वित्तीय समावेशन योजनाओं के

[93] श्री एस.एस.मूंदडा, भूतपूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत में वित्तीय समावेशन – अब तक की यात्रा और आगे की राह, सितंबर 2016

लक्ष्य तय करते हुए [एफआईपी] वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को हासिल करने की जो गति पकड़ी गयी है उसे बरकरार रखने के प्रयोजन से अगले 2016-19 के तीन वर्षों के लिए वित्तीय समावेशन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत बैंकों द्वारा जिला स्तर पर वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत की गयी प्रगति के हर सूक्ष्म बिंदु की निगरानी करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है |

भारतीय रिज़र्व बैंक में भी इस कार्यकलाप में क्रमिक रूप से वृद्धि देखी गयी है | कृषि ऋण विभाग [ए सी डी] वर्ष 1982 में नाबार्ड के बन जाने के बाद ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के रूप में [आरपीसीडी] विकसित हुआ | बैंक के फोकस को प्रतिबिंबित करते हुए अब इस विभाग का नाम वर्ष 2014 से वित्तीय समावेशन और विकास विभाग [एफआईडीडी] कर दिया गया है |

कानूनी ढांचा

भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 54 के अनुसार " बैंक ग्रामीण और विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ स्टाफ की नियुक्ति कर सकता है और विशेष रूप से वह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक [नाबार्ड] को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकता है और उन क्षेत्रों में, जहां उसे लगे कि एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए ऐसा अध्ययन करना जरूरी है, वहां विशेष अध्ययन आयोजित कर सकता है |"

इस कार्यकलाप के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका का निम्नानुसार सारांश प्रस्तुत किया गया है:

- ग्रामीण ऋण और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के लिए नीतियों का निर्धारण करना जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म और लघु उद्यमों एवं कमज़ोर वर्गों के लिए अधिक ऋण प्रदान करने पर बल देना
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋणों में वाणिज्यिक बैंकों के संख्यात्मक और गुणात्मक कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋणों के लक्ष्यों को हासिल न करने पर लगाए जाने वाले दंडों से संबंधित नीतियों के बारे में कार्रवाई करना

- वित्तीय समावेशन के लिए पहल करना और वित्तीय समावेशन के कार्यक्रमों की निगरानी करना
- अग्रणी बैंक योजना का कार्यान्वयन और उसकी निगरानी करना
- नीतियां बनाना और सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों [एमएसएमई] की ओर ऋण का प्रवाह मोड़ना
- विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के आधार पर नाबार्ड के साथ कार्य करना
- वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत क्रियाविधि

वित्तीय समावेशन की ताकत समस्त देश में बैंकिंग सेवाओं की ठोस उपलब्धता को आधार प्रदान करने के लिए संस्थागत क्रियाविधि में निहित है | समाविष्ट न किये गए लोगों की संख्या तथा इस देश के भौगोलिक आकार को देखते हुए, इस कार्य की भारी मात्रा पर विचार करने के बाद यह अत्यावश्यक लगता है | इस संस्थागत ढांचे में निम्नलिखित बातें शामिल है:

- केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद [एफएसडीसी] जिसमें वित्तीय क्षेत्र के समस्त विनियामक संस्थाओं के अध्यक्ष भी शामिल हैं, और जिसका वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण आदेश है;
- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद [एफएसडीसी] के अंतर्गत वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर गठित तकनीकी समूह, जिसमें न केवल वित्तीय क्षेत्र के विनियामक बल्कि शिक्षा बोर्डों और पाठ्यक्रम विकासक भी शामिल हैं;
- विभिन्न हितधारकों के बीच वित्तीय समावेशन के लिए की जा रही पहलों को रणनीतिक दिशा प्रदान करने पर विशेष ध्यान देने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित उच्च स्तरीय वित्तीय समावेशन परामर्शदात्री समिति [एफआईएसी]
- सभी राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति [एसएलबीसी] के माध्यम से बैंकों, सभी जिलों में जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) और जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) और सभी खंड़ों में खंड स्तरीय बैकरों की समिति (बीएलबीसी) और 120 हज़ार बैंक शाखाओं के स्तर पर एक मजबूत संस्थागत क्रियाविधि,

- वित्तीय समावेशन के लिए उठाये जा रहे कदमों को समर्थन प्रदान करने के लिए बहुत से वित्तीय साक्षरता प्रदान करनेवाले केंद्र [एफएलसी] और ग्रामीण स्व-नियोजन प्रशिक्षण संस्थान [आरएसईटीआई]

व्यवसाय प्रतिनिधि :

बड़े स्तर पर वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने वर्ष जनवरी 2006 में सभी बैंकों को व्यवसाय सुलभकर्ता [बीएफ] अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि [बीसी] के रूप में मध्यस्थों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की थी | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल है, स्थानीय क्षेत्र बैंकों(एलएबी) एवं हाल में लाइसेंस प्राप्त भुगतान और लघु वित्त बैंकों, को व्यवसाय सुलभकर्ता/ व्यवसाय प्रतिनिधि की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। व्यवसाय प्रतिनिधि [बीस] को बैंकों के परिसरों को छोड़ कर अन्यत्र बैंकों के एजेंट के रूप में बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति प्रदान की गयी है | उन संस्थाओं की श्रेणियों को भी, जो व्यवसाय प्रतिनिधि [बी सी] के रूप में कार्य कर सके, निर्धारित किया गया था | उनकी गतिविधियों के कार्यक्षेत्र में ऊधारकर्ताओं की पहचान करना, प्राथमिक जानकारी / आंकड़ों के सत्यापन करने सहित ऋण आवेदन पत्रों का संग्रहण और उनपर प्राथमिक प्रक्रिया करना, बचत और शिक्षा तथा अन्य प्रकार के उत्पादों के प्रति जागरूकता फैलाना तथा पैसों का प्रबंध कैसे किया जाए इसके लिए और ऋण के प्रति परामर्श देना, आवेदनों पर प्रक्रिया करना और बैंक में उन्हें प्रस्तुत करना, स्व-सहायता समूह (एसएचजी) / संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) / ऋण समूह / अन्यों को बढ़ावा देना, उनका पोषण करना और उनकी निगरानी करना; ऋण मंजूर किये जाने पर उस पर नज़र बनाए रखना, ऋणों की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना, आदि बातें शामिल की गयी थीं | बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि [बीसी] को उनकी सेवाओं के लिए आम तौर पर कमीशन / फीस अदा करते हैं | व्यवसाय प्रतिनिधि [बी सी] ढांचे को समर्थन देने के लिए आईबीए द्वारा बीसी (बीसी रजिस्ट्री) की सूचना से युक्त एक वेब पोर्टल स्थापित किया गया है, जिसमें जनसाधारण द्वारा किए गए उपयोग के संबंध में अलग से ट्रैकर उपलब्ध है। इससे न केवल बीसी की कामकाज की बेहतर देखरेख की जा सकेगी बल्कि अंतिम ग्राहकों में अधिक आत्मविश्वास पैदा होगा | व्यवसाय प्रतिनिधि [बीसी] के लिए ग्रेड आधारित प्रमाणपत्र / प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित की शुरुआत की गई है ताकि अच्छे रिकॉर्ड वाले बीसी को और सक्षम बनाया जाए और जटिल

कार्यों को संभालने के लिए उन्हें उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जाए जो जमाराशियां और प्रेषणों के अतिरिक्त हों | इसके अलावा, आखिरी मील तक वित्तीय सेवाओं की कुशल और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए बीसी(यों) के क्षमता निर्माण और जागरूक करने के लिए संसाधनों-व्यवसाय प्रतिनिधियों के कार्यनिष्पादन के लिए एक दो-टाइर कौशल उन्नयन (सूपर-बी) कार्यक्रम शुरू की है। कार्यक्रम के पहले चरण के दौरान बैंक के प्रशिक्षण स्थापनाओं के संकाय सदस्यों और एफआईडीडी, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में, पहले चरण में भाग लेने वाले प्रशिक्षार्थी ग्रामीण शाखा प्रबंधकों के लिए एक-दिवसीय जागरूक कार्यशाला आयोजित करेंगे। अंततः, दूसरे चरण में भाग लेने वाले बैंक अधिकारीगण से उम्मीद की जाती हैं कि वे अपने शाखाओं से जुड़े बीसी (यों) को जागरूक बनाते हुए उन्हें संभालेंगें।

भौतिक उपस्थिति को बढ़ाना

भौतिक और वर्चुअल दोनों तरीकों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में काफी सुधार हुआ है तथापि, यह माना जाता है कि समावेशी प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए बीसी और भौतिक शाखाओं की संख्या के बीच उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। तदुनसार, 5000 की आबादी से ऊपर के सभी बिना बैंक वाले गांवों में भौतिक बैंक शाखाएं या बैंकिंग आउटलेट[94] चरणबद्ध तरीके से खोलना अनिवार्य है। यह बैंकों को न केवल गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में सक्षम करता है बल्कि उनके बीसी नेटवर्क को समय पर सहायता भी प्रदान करता है। नियत केंद्रों के बीसी स्थलों को बैंकिंग आउटलेट के रूप में मान्यता दी गई है।

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई)

आरबीआई ने, एफआईएसी के तत्वावधान में और एफएसडीसी से यथा अनुमोदित वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यानीति (एनएसएफआई) 2019-2024[95] आरंभ किया है जो भारत में वित्तीय समावेशन नीतियों के विशन और प्रमुख उद्देश्यों को, वित्तीय क्षेत्र के सभी हितधारकों को शामिल करते हुए व्यापक परिदृश्य के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को विस्तारित

[94] बैंक का 'बैंकिंग आउटलेट' नियत केंद्र सेवा सुपुर्दगी इकाई होता है, जिसमें बैंक के स्टाफ या उसके व्यवसाय प्रतिनिधि(बीसी) तैनात होते हैं, जहां जमा राशि स्वीकार करने, चेकों के नकदीकरण/ नकदी आहरण या उधार पर धनराशि देने की सेवाएं सप्ताह में कम से कम पांच दिनों में न्यूनितम चार घंटे के दी जाती हैं।

[95] NSFI 2019-24 (https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/NSFIREPORT100119.pdf)

और बनाए रखने में मददगार साबित होगा। कार्यनीति का लक्ष्य वहन करने योग्य औपचारिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को व्यापक और गहरा करना, और वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, आधारभूत औपचारिक वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुंच सुनिश्चित करने के विशन को प्राप्त करने के लिए एनएसएफआई दस्तावेज़ स्थायी वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाने पर ज़ोर देता है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार:

प्राथमिकता क्षेत्र के वर्णन को 1972 में सांख्यीकी पर एक अनौपचारिक अध्ययन समूह जो कि मई 1971 में रिज़र्व बैंक द्वारा गठित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए अग्रिमों से संबंधित है, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर औपचारिक रूप दिया गया। हालांकि प्रारंभ में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, तथापि नवंबर 1974 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे मार्च 1979 तक अपने कुल अग्रिमों में से इन क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए 33 1/3 प्रतिशत के हिस्से का स्तर प्राप्त करें। इसके बाद, सभी वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया कि वे वर्ष 1985 तक कुल बैंक अग्रिमों का 40 प्रतिशत तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी लक्ष्य प्राप्त करें।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) का उद्देश्य समाज के नाजुक वर्गों को क्रेडिट की उपलब्धता और अर्थव्यवस्था के उन खंडों के प्रति पर्याप्त मात्रा में संसाधनों का प्रवाह सुनिश्चित करना है, जिसमें रोज़गार की क्षमता अधिक है और जिससे गरीबी उन्मूलन को कारगर बनाने में मदद मिल सके। अत: जनसंख्या के बड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले क्षेत्र, कमजोर वर्ग और जो क्षेत्र रोजगार प्रधान थे- जैसे कृषि और सूक्ष्म और छोटे उद्यम, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल किए गए। कुछ क्षेत्र/ उधारकर्ताओं को पर्याप्त वित्त प्राप्त नहीं होने के आर्थिक कारण हैं। किसी निश्चित समय में, संस्थानों के उधार देने योग्य संसाधन सीमित होते हैं और नए व्यवसायों में लगने वाले समय और प्रयासों तथा उनकी आय और व्यय को लेकर समझौता करना पड़ता है। व्यवसाय की ऐसी गतिशीलता के बीच संभव है कि ऐसे तबके बैंक क्रेडिट पाने से वंचित रह जाएंगे जो इसके पात्र हैं। यही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों के मानदंड को निर्धारित करने के पीछे प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और देश के वित्तीय समावेशन सबंधी लक्ष्यों के अनुरूप

इन्हें ढ़ालने के लिए इन दिशानिर्देशों की समय समय पर समीक्षा की जाती है। प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देश अप्रैल 2015 से लागू है, जिनमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों के मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए जुलाई 2014 में गठित आंतरिक कार्य समूह की कई सिफारिशें शामिल हैं। अब नाजुक तबकों को दिए जाने वाले ऋण के अलावा इसमें रोज़गारों की संभावनाएं बढ़ाने, मूल बुनियादी संरचना का निर्माण करने और अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता को बहतर बनाने पर ज़ोर दिया जाता है ताकि नौकरियों के अवसर तैयार किए जा सकें। अत: मध्यम उद्यमों, सामाजिक बुनियादी संरचना और अक्षय उर्जा के वर्गों का शामिल किया गया है। वर्तमान में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित वर्ग शामिल हैं:

i. कृषि
ii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों
iii. निर्यात क्रेडिट
iv. शिक्षा
v. आवास
vi. सामाजिक बुनियादी संरचना
vii. अक्षय उर्जा
viii. अन्य

रिज़र्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी) और शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) के लिए समूचे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य और कतिपय वर्गों के लिए उप-लक्ष्य निर्धारित करता है।

ये दिशानिर्देश मास्र निदेशों के रूप में जारी किए जाते हैं और इन्हें निम्न पर प्राप्त किया जा सकता है। *https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasterDirections.aspx?did=343*

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्यों का प्राप्त न किया जाना:

जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) और लघु वित्त बैंक (एसएफबी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के लिए निर्धारित राशि हासिल नहीं कर पाते हैं उन्हें नाबार्ड द्वारा स्थापित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ग्रामीण बुनियादी संरचना निधि (आरआईडीएफ) और नाबार्ड/

एनएचबी/सिडबी/मुद्रा लिमिटेड, द्वारा स्थापित अन्य निधियों, जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, में अंशदान के लिए राशि आबंटित की जाती हैं। उपलब्धि की राशि की गणना वित्त वर्ष के अंत में की जाएगी जो प्रत्येक तिमाही के अंत की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य/ उपलक्ष्य की उपलब्धि के औसत स्तर पर आधारित है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणों के संबंध में प्रमाणपत्र :

यदि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उप लक्ष्यों को हासिल करने में बैंकों को कमी हो रही है तो ये लक्ष्य हासिल करना उनके लिए संभव हो इस प्रयोजन से और उसी के साथ-साथ जो बैंक तय लक्ष्यों से आगे हैं उन्हें प्रोत्साहित करते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की श्रेणियों के लिए दिए जानेवाले ऋणों में वृद्धि करने के प्रयोजन से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र [पीएसएलसी] नामक एक नया सहभागिता वित्तीय लिखत शुरू किया गया है | पीएसएलसी का ध्येय विभिन्न बैंकों की तुलनात्मक शक्ति की लीवरेजिंग करते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को गति प्रदान करने में बाज़ार क्रियाविधि को सुसाध्य बनाना। इन पीएसएलसी को 4 अलग-अलग श्रेणियों में मूल्यवर्गित किया गया है, पीएसएलसी-सामान्य, पीएसएलसी - कृषि, पीएसएलसी-छोटे और सीमांत किसान और पीएसएलसी- सूक्ष्म उद्यम | ये चार प्रकार के प्रमाणपत्र विशिष्ट ऋणों और विशिष्ट उप-लक्ष्यों की गिनती को दर्शाते हैं। इनके लिए पात्र विक्रेता/ क्रेता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक,लघु वित्त बैंक और शहरी सहकारी बैंक हैं। सामान्यत: पीएसएलसी अंतर्निहित आस्तियों के आधार पर जारी किए जाएंगे तथापि पीएसएलसी के लिए मजबूत और सक्रिय बाज़ार विकसिकत करने के उद्देश्य से बैंक को पिछले वर्ष प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) की उपलब्धी के 50 प्रतिशत तक पीएसएलसी जारी करने की अनुमति दी जाती है, चाहे उसकी बहियों में अंतर्निहित आस्तियों हों या न हों। ये प्रमाणपत्र उन बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के ई -कुबेर कोर बैंकिंग प्रणाली के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रस्तावित किये जा सकते हैं जिन्होंने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लक्ष्यों अथवा उप लक्ष्यों से ज्यादा लक्ष्य हासिल कर लिए हैं अथवा जो ज्यादा लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद रखते हैं | जिन बैंकों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी रह गई है, वे बाज़ार द्वारा निर्धारित प्रीमियम पर इन पीएसएलसी को खरीदेंगे | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आधारभूत ऋणों के अंतर्गत ये ऋण अथवा उधार खरीदार को अंतरित नहीं होंगे। सभी पीएसएलसी उस वित्त वर्ष के दिनांक 31 मार्च तक ही वैध होंगे और 01 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे,जिस वर्ष उन्हें जारी

किया गया है| वस्तुतः पीएसएलसी विशिष्ट ऋणों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वे पीएसएल के अधीन उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सैद्धांतिक रूप से यह संभव है कि बैंक के पास शून्य ऋण हो और फिर भी 40% पीएसएल लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो। साथ ही, चूंकि पीएसएलसी तुलन - पत्र का मद नहीं है, अतः ऋणों का अंतरण नहीं होता है।

ब्याज सब्वेंशन योजनाएं

भारत सरकार के अनुमोदन से आरबीआई आवश्यकतानुसार कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए ब्याज योजनाएं घोषित करता है। ऐसी सब्वेंशन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कतिपया तबकों को औपचारिक बैंकिंग सरणी में लाना ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके।

कृषि ऋण के लिए ब्याज सब्वेंशन योजनाएं-

कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार रु.3.00 लाख (2006-07 से) तक के ह्रस्व कालीन कृषि से संबधित उत्पादन ऋण और पशुपालन कृषकों और मत्स्य कृषि (2019 से) के लिए 2% ब्याज सब्वेंशन कार्यन्वित करता है। इस योजना के तहत यदि ऋण की चुकौती समय पर की जाती है तो 3% का तत्काल चुकौती प्रोत्साहन भी उपलब्ध है, जिससे बुनियादी स्तर पर ऋण में 4% की कमी आएगी।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत के उपाय-

वर्तमान में, भारत सरकार की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचा 12 प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटाणु आक्रमण और शीत लहर/ठंड को अपने दायरे में शामिल करता है। तदानुसार रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अनिवार्यतः राहत उपाय प्रदान करने की सूचना दी है जहाँ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में कृषि नष्ट 33 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। बैंक द्वारा अंतिम राहत उपाय में मौजूदा ऋणों की पुनःसंरचना/पुनः निर्धारण और उधारकर्ताओं की उभरती आवश्यकताओं के अनुसार नए ऋण की मंज़ूरी अंतःसंबंधित है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), कृषकों को उनकी कृषि, उपभोग, निवेश और बीमा सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए एकल खिड़की के तहत पर्याप्त और सामयिक बैंक ऋण प्रदान करने के लिए एक नवीन ऋण वितरण पद्धति के रूप में उभकर आया है। अब केसीसी योजना को पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले कृषकों को अपने कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है।

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में नई बैंकिंग संस्थाओं को प्रवेश :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलग-अलग प्रकार के बैंक स्थापित करने के लिए नामत: " लघु वित्त बैंक " [एसएफबी] और " भुगतान बैंक " कुछ संस्थाओं को सैद्धांतिक अनुमति प्रदान कर दी है जिससे वित्तीय समावेशन को और आगे ले जाया जा सके | बचत के एक साधन के रूप में काम करने के अलावा लघु वित्त बैंक [एसएफबी] और भुगतान बैंकों से यह उम्मीद की जा रही है कि वे छोटे कारोबारी यूनिटों को छोटे और सीमांत किसानों को, सूक्ष्म और छोटे किसानों को तथा असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को दिए जा रहे ऋण में वृद्धि करें और उन्हें सुरक्षित टेक्नोलोजी द्वारा संचालित माहौल में किफायती दरों पर प्रेषण सुविधाएं मुहैया कराएं| अग्रणी बैंक योजना के तहत विभिन्न फोरा में लघु वित्त बैंकों को, जैसे वित्तीय वर्ष 2018-19 से अपने संबंधित स्थानों में नियमित सदस्य के रूप में एसएलबीसी, डीसीसी/डीएलआरसी और बीएलबीसी में भाग लेने की अनुमति दी गई साथ ही ऋण आयोजना अभ्यास का भाग होगा जबकि मई 2019 से अग्रणी बैंक योजना के तहत भुगतान बैंक, उनके विभिन्नता और सीमित अधिदेश (अर्थात् लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार उधार देने की अनुमति नहीं है) के कारण अग्रणी बैंक योजना के तहत वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) अभ्यास में भाग लिए बिना वित्तीय समावेशन के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता से संबंधित पहलों को गति प्रदान करने के लिए शामिल किए गए थे । साथ ही, वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणालियों में मौजूद ठोस लिंकेज के चलते भारतीय रिज़र्व बैंक ने कतिपय कदम उठाये हैं | इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं : मोबाइल बैंकिंग के उपयोग को बढ़ावा देना, डिजिटल वैलेट और मोबाइल वैलेट के रूप में प्रीपेड लिखत, आधार संबंधित भुगतान प्रणाली [एईपीएस] और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली [ए ई पी एस] आदि को परिचालित करना |

वित्तीय साक्षरता

ओईसीडी वित्तीय साक्षरता की परिभाषा इस प्रकार करता है- अच्छे तरीके से वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, कौशल और व्यवहार का मेल, जिससे अंतत: वैयक्तिक वित्तीय खुशहाली को हासिल किया जा सके। लोग वित्तीय शिक्षा के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्राप्त करते हैं। ओईसीडी वित्तीय शिक्षा को इस प्रकार भी परिभाषित करता है - वह प्रक्रिया जिससे वित्तीय उपभोक्ता/ निवेशक वित्तीय उत्पादों, अवधाराणाओं और जोखिमों की जानकारी बढ़ाते हैं और सूचना, अनुदेश और/ या वस्तुनिष्ठ परामर्श के माध्यम से वित्तीय जोखिमों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौशल और विश्वास विकसित करते हैं ताकि सोच-समझकर विकल्प चुना जा सके, सहायता के लिए किनसे संपर्क करना है, उसकी जानकारी हो और अपनी वित्तीय खुशहाली को बेहतर बनाने के लिए अन्य कारगर उपाय किए जा सकें।[96]

वित्तीय साक्षरता वित्तीय सेवाओं के उपभोक्ताओं के लिए सूचित विकल्प चुनने के लिए महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा उनके वित्तीय स्थिति में उन्नयन होगा। इसे पहचानते हुए नीति स्तर पर वित्तीय समावेशन और साक्षरता के प्रयासों को समन्वित करने के लिए एफएसडीसी उप-समिति के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता (टीजीएफआईएफएल) पर तकनीकी ग्रूप को आरंभ किया। ग्रूप की अध्यक्षता उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक करते हैं और सभी विनियामकों और मंत्रालयों से प्रतिनिधित्व रहते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य में वित्तीय साक्षरता को सशक्त करने के लिए विभिन्न नीतियों को अमल में लाए हैं।

आरबीआई द्वारा किए गए महत्वपूर्ण पहलों का संक्षिप्त चित्र नीचे प्रस्तुत हैः

1. बैंकों को वितीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) खोलने और संचालित करने और देशभर में ग्रामीण बैंक शाखाओं के माध्यम से वित्तीय शिक्षा प्रदान करने संबंधी अनुदेश जारी किए गए हैं। उक्त कार्य के लिए नाबार्ड द्वारा प्रबंधित वित्तीय समावेशन निधि से वित्तीय सहयोग प्रदान किए जा रहे है।

[96] भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा मार्च 2010 में वित्तीय साक्षरता पर आरबीआई-ओईसीडी कार्यशाला के दौरान दिया गया भाषण

2. आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वित्तीय शिक्षा आउटरीच के माध्यम से क्षेत्रीय पर्यावरण के लिए वित्तीय साक्षरता आर्किटेक्चर-यूनिफाइड कार्यक्रम (फ्लेयर-अप) दिशा-निर्देश।
3. आरबीआई के वित्तीय शिक्षा वेबसाइट पर अपलोड किए गए वित्तीय शिक्षा साहित्य का निर्माण। यह सामग्री 13 भाषाओं में उपलब्ध है जिसे बैंकों और अन्य हितधारकों द्वारा वित्तीय उत्पादकों और सेवाओं, अच्छे वित्तीय आचरणों,डिजिटल बनने और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किन्हीं लक्ष्योन्मुख समूह जैसे स्कूल विद्यार्थियों, एसएचजी, कृषकों, लघु उद्योगपतियो और वरिष्ठ नागारिकों के लिए भी सामग्री तैयार किए गए है
4. आरबीआई क्षेका के अधिकारीगण और अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों में वित्तीय साक्षरता नीति की देख-रेख करने वाले अधिकारीगण के लिए क्षमता निर्माण कार्य को नेतृत्व देना। प्रशिक्षित अधिकारियों से प्रत्याशित किया जाता है कि वे वित्तीय साक्षरता पार्षद को प्रशिक्षण प्रदान करेंगें।
5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के साथ विद्यालय पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को एकीकृत करना।
6. संसूचना विभाग के साथ समन्वय करते हुए वित्तीय साक्षरता से संबंधित मामलों पर बृहत मीडिया जागरूकता।
7. देश भर में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेश प्रचारित करने के उद्देश्य से 2016 से हर वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्लयू) मनाया जा रहा है। एफएलडब्लयू 2018 और एफएलडब्लयू 2019 क्रमशः उपभोक्ता संरक्षण और कृषकों पर केंद्रित था। 2020 के लिए चुना गया थीम 'लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम' था जिसे 10 से 14 फरवरी 2020 तक मनाया गया। वित्तीय साक्षरता सप्ताह के दौरान बैंकों को सूचित किया गया था कि एमएसएमई के थीम के बार में ग्राहकों और आम जनता के बीच जानकारी और जागरूकता प्रचारित करें। इसके अलावा, आरबीआई ने फरवरी 2020 के दौरान एमएसएमई उद्यमियों को आवश्यक वित्तीय संदेश देने के लिए एक केंद्रीकृत बृहत मीडिया अभियान चलाया।
8. देश में वित्तीय जागरूकता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एनजीओ को वित्तीय साक्षरता परियोजना के लिए पाइयलेट केंद्र में बैंक के साथ भागीदार बनाकर नवीन और सहभागी दृष्टिकोण को साथ लाना। वर्तमान में, देश भर के 100 खंड़ों में (झआरखंड, मध्यप्रदेश

और राजस्थान- तीन राज्यों के 20 जनजातीय खंड सहित) बैंकों ने सीएफएल स्थापित करने के लिए छह एनजीओ के साथ सहभागिता की है। सीएफएल से प्राप्त अनुभवों का मूल्यांकन एक प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास के माध्यम से किया में जा रहा है जिसका प्रयोग देश में सीएफएल की संख्या बढ़ाने में किया जाएगा।

उपर्युक्त के अलावा,विश्व स्तर के नीति निर्माताओं को साथ लाकर वित्तीय साक्षरता को सशक्त करने में मार्गदर्शन देने के लिंए रूपायित वैश्विक मंच, ओईसीडी-आईएनएफई का भारतीय रिज़र्व बैंक पूर्णकालिक सदस्य है। इन फोरमों में सहभागी होने से एकत्र किए अनुभव (जैसे कार्यान्वयन और मानकों पर कार्यकारी समूह, बुजुर्ग जनता के लिए वित्तीय शिक्षा पर कार्यकारी समूह, डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर कार्यकारी समूह) हमारे नीतियों को वैश्विक उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के अनुरूप आकार देने में मददगार सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा, ऐसे फोरम में हमारे अनुभव बांटने से अन्य नीति निर्माताओं को अपने क्षेत्र में वित्तीय शिक्षा मार्गों को सशक्त करने में भी मददगार हो रहा है।

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)

ओईसीडी के अनुसार, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफई) का ढांचा विनियामकों और हितधारकोंके बीच सुचारू व सतत सहयोग को बढ़ावा देता है, संसाधनों के दोहराव से बचाता है और विशिष्ट राष्ट्रीय मूल्यांकनों पर आधारित परिमेय व वास्तविक उद्देश्यों युक्त सुस्पष्ट व विशिष्ट रूपरेखा विकसित करने में मददगार है। वैश्विक स्तर पर चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड्स, न्यूज़ीलैंड, स्पेन और यूके जैसे देश राष्ट्रीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफई) लागू कर चुकें हैं, वहीं इसे तैयार करने व लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

भारत में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफई) का लक्ष्य उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण के लिए उचित व पारदर्शी तंत्र युक्त विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का आकलन करते हुए वित्तीय खुशहाली को हासिल करने के लिए धन का प्रबंध करने हेतु लोगों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से अभियान चलाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी विनियामाकों, नामत: भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनयामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और

पेंशन विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) को धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। इनका दो प्रमुख उद्देश्य हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद (एफएसडीसी) की वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) के अनुसार आबादी के सभी तबकों के लिए संपूर्ण भारत में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना।
- स्वयं द्वारा या अन्य संस्थाओं, संगठनों की सहायता से शुल्क युक्त/ रहित सेमिनारों, कार्यशालाओं, कॉक्लेव, प्रशिक्षणों, कार्यक्रमों, अभियानों, चर्चा फोरमों के माध्यम से आबादी के सभी तबकों के लिए संपूर्ण देश में वित्तीय शिक्षा अभियानों के माध्यम से वित्तीय जागरूकता और सशक्तीकरण पैदा करना तथा वित्तीय शिक्षा में प्रशिक्षण देना और इलेक्ट्रानिक या गैर-इलेक्ट्रानिक फार्मेटों, वर्कबुक, वर्कशीट, साहित्य, पैंफ्लेट, फ्लायर, तकनीकी उपकरणों के रूप में वित्तीय शिक्षा सामग्री तैयार करना एवं वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने के लिए वित्तीय बाज़ारों और वित्तीय डिजिटल माध्यमों पर लक्ष्य आधारित समूहों के लिए समुचित वित्तीय साक्षरता तैयार करना ताकि वित्त के विषय में उनके ज्ञान, समझ, कौशल और क्षमता को बढ़ाया जा सके।

वित्तीय शिक्षा के लिए प्रथम राष्ट्रीय कार्यनीति (2013-2018) को संपन्न करने के तदुपरांत, एनसीएफई, अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों, सरकार और अन्य हितधारकों के साथ समन्वित करते हुए आरबीआई ने वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (2020-2025) को संशोधित किया है जिसे शीघ्र ही एफएसडीसी-एससी द्वारा अनुमोदित किए जाने की अपेक्षा है।

https://www.ncfe.org.in/survey

अध्याय 22: संस्थानों का विकास

भारतीय रिज़र्व बैंक कुछ थोड़े से ही उन केंद्रीय बैंकों में से एक ऐसा केंद्रीय बैंक है जिन्होंने अपने -अपने देशों में विकासशील गतिविधियों का समर्थन करने में प्रत्यक्ष और सक्रिय भूमिका निभाई है | अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, वित्तीय इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने के प्रयोजन से संस्थाओं का निर्माण करना और सस्ती वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को व्यापक बनाना रिज़र्व बैंक की विकासात्मक भूमिका में शामिल है | इन वर्षों के दौरान, उसकी विकासात्मक भूमिका का दायरा देश के भीतर विविध वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयोजन से अलग-अलग संस्थाओं का निर्माण करने तक विस्तृत हो गया है | अर्थव्यवस्था के विकास की बदलती आवश्यकताओं के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि कुछ क्रियाकलापों का उल्लेख किया जाए तो, संस्थाओं के निर्माण, समस्त बैंकिंग उद्योग में दक्ष ग्राहक सेवा को प्रोत्साहित करने, वित्तीय समावेशन पर बल देते हुए बैंकिंग सेवाएं सभी को उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपनी विकासात्मक भूमिका की परिभाषा दोबारा तय कर रहा है |

उभरती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थाएं :

किसी परिपक्व अर्थव्यवस्था की विशेषता न केवल एक सक्षम केंद्रीय बैंक बल्कि विभिन्न क्रियाकलापों को समर्थन प्रदान करने के लिए बनायी गयी संस्थाओं का ढांचा उपलब्ध कराना होता है | भारतीय रिज़र्व बैंक जो अनेक गतिविधियाँ निष्पादित करता है उनमें से एक अद्वितीय गतिविधि है नयी संस्थाओं के अंकुरण के लिए माहौल पैदा करना और विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए बाज़ार उन्मुख संस्थाओं के विकास को संभव बनाना | विशेषत: अविकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गयी थी | सुविकसित पूंजी बाज़ार के अभाव में रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई सारी विशेषीकृत संस्थाओं के गठन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया ताकि उद्योगों के लिए मीयादी वित्त की उपलब्धता को और व्यापक बनाया सके और बचत को संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके जो किसी केंद्रीय बैंक के लिए अपने क्रियाकलापों से हट कर कुछ नया करने का एक उदाहरण मात्र है |

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिन संस्थाओं की स्थापना को संभव बनाया है उनमें ये संस्थाएं शामिल हैं :

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी के लिए संस्थाएं :

वर्ष 1962 में निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गयी थी और वर्ष 1971 में प्रत्यय गारंटी निगम का गठन किया गया | वर्ष 1978 में इन दोनों संस्थाओं का विलय करते हुए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का [डीआईसीजीसी] गठन किया गया जो भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्णत: स्वामित्व वाली संस्था है |

वित्तीय संस्थाओं का विकास

देश में स्थित कई सारी विकासात्मक वित्त संस्थाओं की जड़ें भारतीय रिज़र्व बैंक में तलाशी जा सकती हैं | वर्ष 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया का गठन किया गया था | इसके पीछे उद्देश्य था छोटे निवेशकों को शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए एक चैनल उपलब्ध कराना | उसी वर्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक [आईडीबीआई] की स्थापना की गयी थी | इस बैंक को बाद में सर्व सेवा बैंक के रूप में रूपांतरित किया गया था | अर्थव्यवस्था के दो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक [नाबार्ड] और निर्यात आयात बैंक [एक्जिम बैंक] की वर्ष 1982 में स्थापना की गयी थी | नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्षस्थ संस्था के रूप में कार्य करता है | नाबार्ड ने वर्ष 1963 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कृषि पुनर्वित्त निगम नामक दूसरी संस्था के कामकाज को अपना लिया था | निर्यातकों को रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने के प्रयोजन से एक्जिम बैंक की स्थापना की गयी थी | साथ ही, आवास क्षेत्र तथा एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए वर्ष 1988 में क्रमश:राष्ट्रीय आवास बैंक और वर्ष 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गयी थी |

अनुसंधान और अध्ययन के लिए संस्थाएं :

अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने में रिज़र्व बैंक की भूमिका को अकसर कम आंका जाता है | वर्ष 1969 में बैंक ने पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान [एनआईबीएम] की स्थापना की थी | वर्ष 1987 में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान [आईजीआईडी आर] की स्थापना की गयी थी | यह संस्था अब आर्थिक और विकास अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध संस्था बन कर उभरी है | बैंकिंग टेक्नोलोजी में स्थित अंतराल को देखते हुए बैंकिंग टेक्नोलोजी विकास और

अनुसंधान संस्थान की वर्ष 1996 में स्थापना की गयी थी | वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की उभरती भूमिका की पृष्ठभूमि में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक स्वतंत्र चिंतन बिंदु [थिंक टैंक] के रूप में उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र के रूप में [सीएएफआरएएल] का वर्ष 2011 में गठन किया गया था |

बाज़ार संस्थाएं :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रा बाज़ार के विकास के लिए एवं मुद्रा बाज़ार की लिखतों को तरलता प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर मार्च 1988 में डिस्काउंट एंड फायनांस हाउस ऑफ़ इंडिया [डीएफएचआई] का गठन किया था | मई 1994 में रिज़र्व बैंक ने भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम [एसटीसीआई] का गठन किया था | इसके पीछे भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं सरकारी क्षेत्र के बांडों में सक्रिय गौण बाज़ार को बढ़ावा देने का उद्देश्य था | एसटीसीआई में भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टेक को बाद में हटा लिया गया और अब यह संस्था प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में काम करती है |

वित्तीय बाज़ार संरचना :

भुगतान और निपटान प्रणाली को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए एकरूप संरचना प्रदान करने की आवश्यकता थी जिसके लिए भारतीय रिज़र्व के निर्देशन पर दो संस्थाओं का गठन किया गया | भारतीय समाशोधन निगम [सीसीआईएल] का गठन अप्रैल 2001 में किया गया था ताकि मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा और डेरीवेटिव्ज बाज़ार के लेन-देन के लिए गारंटी के साथ समाशोधन और निपटान के कार्यकलापों को अंजाम दिया जा सके | भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम [एनपीसीआई] का गठन वर्ष 2008 में किया गया जो भारत में समस्त खुदरा भुगतानों के लिए छत्र संगठन प्रदान करता है | भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ [आईबीए] के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ इसकी स्थापना की गयी थी |

रिज़र्व बैंक इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी [आरईबीआईटी] संबंधी सेवाएं:

रिज़र्व बैंक इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी [आरईबीआईटी] प्रा .लि. की स्थापना रिज़र्व बैंक एवं उसके द्वारा विनियमित की जाने वाली सभी संस्थाओं की सायबर सुरक्षा सहित आईटी की अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनवरी 2017 में की गयी| यह संस्था वित्तीय क्षेत्र की आई टी और सायबर सुरक्षा [उससे संबंधित अनुसंधान सहित] पर ध्यान केंद्रित करेगी और रिज़र्व बैंक तथा आरईबीआईटी में हुई पारस्पारिक सहमति के अनुसार तथा रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित की जानेवाली संस्थाओं में आई टी प्रणालियों की लेखापरीक्षा और मूल्यांकन सहित उन्हें सहायता प्रदान करेगी,उसके बारे में परामर्श प्रदान करेगी, आतंरिक अथवा प्रणालीवार आईटी परियोजनाओं [पुरानी और नई दोनों ही] को कार्यान्वित करेगी और उनका प्रबंध करेगी |

भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस), जो कि पहले आईडीआरबीटी की एक सहायक संस्था थी, का अधिग्रहण 2018-19 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया। इसे भारतीय रिज़र्व बैंक, और देश में सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को आईटी-संबंधी सेवाओं की डिजाइनिंग, नियोजन और समर्थन हेतु अधिदेशित किया गया है। आईएफटीएएएस की स्थापना बैंकों के सुचारु कार्यसंचालन को सुसाध्य बनाने, उन्हें नवोन्मेषिता के लिए सहयोग देने और विशेष डिजिटल बैंकिंग अनुभवों को तैयार करने के लिए की गई।

मुद्रा प्रबंधन संस्था :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंक नोटों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा बैंक नोटों की मांग और आपूर्ति के बीच की दूरी को कम करने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड [बीआरबीएनएमपीएल] की पूर्णस्वामित्ववाली संस्था के रूप में वर्ष 1995 में स्थापना की थी | यह कंपनी दो मुद्रा प्रेस का प्रबंध करती है, पहला कर्नाटक में स्थित मैसूर मुद्रणालय का तथा दूसरा पश्चिम बंगाल में स्थित सालबोनी मुद्रणालय का | बैंक नोटों के लिए लगने वाले कागज़ के उत्पादन में स्वावलंबी बनने के लिए बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [बीएनपीएम्आईपीएल] को वर्ष 2010 में कर्नाटक के मैसूर में इनकॉर्पोरेट करते हुए उसको रजिस्टर किया गया है | यह कंपनी सेक्यूरिटी प्रिंटिंग और मींटिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उपक्रम है और वह 12000 टीपीए की क्षमता के साथ बैंक नोटों के लिए लगनेवाले कागज़ का उत्पादन करती है।

वित्तीय शिक्षण संस्था:

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) कंपनी है जिसे वित्तीय जागरूकता और सशक्त भारत के विशन के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संयुक्त रूप से संप्रवर्तित संस्था है। इस कंपनी के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति के अनुसार आबादी के सभी तबकों के लिए संपूर्ण भारत में वित्तीय शिक्षण को बढ़ावा देना।

(ii) स्वयं या अन्य संस्थाओं, संगठनों के सहयोग से सशुल्क/ नि:शुल्क आधार पर सेमिनारों, कार्यशालाओं, कन्क्लेवों, प्रशिक्षणों, कार्यक्रमों, अभियानों, चर्चा मंचों के माध्यम से आबादी के सभी तबकों के लिए देश भर में वित्तीय शिक्षण अभियानों के जरिए वित्तीय जागरूकता और सशक्तीकरण का सृजन करना। साथ ही, वित्तीय साक्षरता को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय बाज़ारों और वित्तीय डिजिटल माध्यमों पर लक्ष्य आधारित-श्रोताओं के लिए वित्तीय शिक्षा में प्रशिक्षण देना और इलेक्ट्रॉनिक या गैर इलेक्ट्रॉनिक-फॉर्मेटों, वर्कबुकों, वर्कशीटों, साहित्य, पैंफलेटों, पुस्तिकाओं, फ्लायरों, तकनीकी उपकरणों में वित्तीय शिक्षण सामग्री तैयार करना ताकि वित्त में उनके ज्ञान, समझ, कौशल और क्षमता को बेहतर बनया जा सके।

अध्याय 23: अनुसंधान, सर्वेक्षण और डाटा प्रसार

अनुसंधान और जानकारी का प्रसार :

समिष्ट आर्थिक स्थिरता, विशेषत: कीमतों एवं वित्तीय स्थिरता (कभी-कभी तात्कालिक व्यापार के साथ) को सुनिश्चित करना आधुनिक केंद्रीय बैंकों का प्रमुख उद्देश्य होता है | इन उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता के क्षेत्र के नीति-निर्माता विश्लेषणात्मक और नवीन अनुसंधना सहित सामयिक, प्रासंगिक और विश्वसनीय डाटा की धारा पर गहराई से निर्भर रहते है। | इसीलिए रिज़र्व बैंक ने अर्थशास्त्र, वित्त और सांख्यिकी के क्षेत्र में अपनी स्वयं की अनुसंधान क्षमताओं को विकसित किया है और वह कई सारे अनुसंधान पेपर्स और विश्लेषणात्मक समीक्षाएं प्रकाशित करता रहता है | रिज़र्व बैंक में किये जा रहे अनुसंधान मुख्यतः समकालीन मुद्दों पर केंन्द्रित होते हैं जिनके भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं | अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समष्टि आर्थिक घटकों का, विशेषतः आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति का अनुमान लगाना, विनिमय दर, मौद्रिक नीति संप्रेषण का तंत्र, मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति के बीच गठजोड़,वित्तीय स्थिरता संबंधी मुद्दे ,सूचना प्रबंधन के नवीन पद्धति और बृहत डाटा विश्लेषण सहित नए विश्लेषणात्मक तकनीकों का प्रयोग शामिल हैं | अनुसंधान सामग्री तथा सांख्यिकी के सक्रिय प्रसार से विभिन्न विनियामक और मौद्रिक नीति संबंधी कार्यों के संबध में रिज़र्व बैंक की पारदर्शिता और उसकी भूमिका की विश्वसनीयता बढ़ जाती है |

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने स्वयं के ही कर्मचारियों द्वारा किये गए अनुसंधान विश्लेषण की जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, भारतीय रिज़र्व बैंक ऑकेजनल पेपर्स शृंखला के माध्यम से प्रसारित करता रहता है | संक्षिप्त विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और रिज़र्व बैंक के ही स्टाफ सदस्यों द्वारा तैयार किये गये समकालीन विषयों के विश्लेषणों को मिंट स्ट्रीट मेमो [एमएसएम] के माध्यम से प्रसारित किया जाता है | विकास अनुसंधान समूह [डीआरजी] अध्ययन के अंतर्गत बाहरी विशेषज्ञों और भा.रि. बैंक के स्टाफ सदस्यों के साथ तैयार किये गए अनुसंधान पेपर्स को उनके व्यापक परिचालन के लिए इस दृष्टि से परिचालित किया जाता है कि पेशेवर अर्थशास्त्रियों एवं नीति निर्माताओं के बीच वर्तमान महत्व के विषयों पर रचनात्मक बहस हो सके |

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 54 ज़ेडके और 45 ज़ेडएम के अनुसार रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति [एमपी सी] के आवधिक संकल्पों को और व्यापक मौद्रिक नीति रिपोर्टों

को हर छमाही आधार पर जारी करता है | हर वर्ष दो अन्य रिपोर्टों का अर्थात ‘ वार्षिक रिपोर्ट ’ तथा ‘ भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियाँ और प्रगति ’का प्रकाशन करना रिज़र्व बैंक का कानूनी दायित्व है |वार्षिक रिपोर्ट जिसमें बैंक के कामकाज और परिचालन के बारे में ब्योरे प्रस्तुत किये जाते हैं उसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 53 [2] के अनुसरण में केंद्र सरकार को भेजा जाता है | बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 36 [2] के अंतर्गत भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियाँ और प्रगति के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट अनुसूचित वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के परिचालन और कार्यनिष्पादन के समस्त ब्योरे उपलब्ध करवाती है | वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में, जिसे हर छमाही में जारी किया जाता है, भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन एवं वैश्विक तथा घरेलू घटनाओं की वजह से पैदा होनेवाली जोखिमों को सहने की उसकी क्षमता का प्रतिबिंब दिखाई देता है | यह रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियम से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करती है |

इन प्रकाशनों के अलावा, रिज़र्व बैंक अन्य कई सारी मासिक पत्रिकाएँ और ऑकेजनल पेपर्स भी जारी करता है | ऑकेजनल प्रकाशनों में मैनुअल, विज़न दस्तावेज, दिशानिर्देश, अनुसंधान दस्तावेज, कार्यकारी दल / समिति की रिपोर्टें आदि शामिल हैं | आधिकारिक प्रेस प्रकाशनियां, अधिसूचनाएं, आलेख, भाषण, और उच्च प्रबंध तंत्र द्वारा दिए गए साक्षात्कार जो रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था और उसकी नीतियों के मूल्यांकन को अभिव्यक्ति प्रदान करती है, उन्हें भी जनता की जानकारी के लिए जारी किया जाता है |

जानकारी के प्रसार की नीति और पद्धतियां :

भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी विनियामक और नीति निर्धारण की प्रक्रियाओं के लिए इनपुट के रूप में विभिन्न स्रोतों से बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त करता रहता है | इसके अतिरिक्त पर्याप्त जानकारी लेन-देन और प्रक्रियाओं से प्राप्त होते है। जिस जानकारी को मूल्यवान संपत्ति के रूप में और जनता के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है उसके बारे में यह अनिवार्य बना दिया गया है कि सार्वजनिक प्राधिकारियों के पास स्थित जो जानकारी संवेदनशील नहीं है उसे जनता के साथ साझा किया जाना चाहिए | ऐसा आदेश जारी किये जाने के बहुत समय पहले से ही केंद्रीय बैंक सक्रिय रूप से जानकारी / आंकड़े जनता तक प्रसारित करते रहे हैं|

वास्तव में भारतीय रिज़र्व बैंक का आंकड़ों का भारी मात्रा में संकलन करने तथा उन आंकड़ों को अनुसंधानकर्ताओं एवं बाज़ार के सहभागियों और सामान्य जनता के लिए उपलब्ध करवाने का लंबा इतिहास रहा है | भारतीय रिज़र्व बैंक के अंतर्गत सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग [डीएसआईएम] को जानकारी के केंद्रीकृत प्रबंधन और प्रसारण का दायित्व सौंपा गया है | यह विभाग बैंकिंग, कॉर्पोरेट, और विदेशी क्षेत्र जैसी बहु आयामी सांख्यिकीय प्रणाली को बनाए रखता है और उद्यमों तथा घरेलू क्षेत्र से संबंधित संरचनात्मक सर्वेक्षण को मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए इनपुट के रूप उपलब्ध करवाता है | बैंक द्वारा सृजित मौद्रिक और अदायगी शेष सांख्यिकी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि के विशेष डाटा प्रसार मानक(एसडीडीएस) और सामान्य डाटा प्रसार प्रणाली (जीडीडीएस) के अनुरूप है। डीएसआईएम सूचना प्रबंध और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से बैंक के विभिन्न कार्यों के लिए भी सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक सहयोग प्रदान करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, विभाग बैंक के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस (भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाटाबेस- डीबीआईई) बनाए रखता है और डाटा अंतराल को अन्य संरचनात्मक सर्वेक्षण करने क अलावा सूचना प्रबंध से संबंधित असंख्य सहयोगी सेवाएं भी प्रदान करते है। रिज़र्व बैंक द्वारा संकलित डाटा के अतिरिक्त पोर्टल अन्य आधिकारिक ऐजंसियों (उदा.राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा संकलित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और कीमत सूचकांक, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन, भारत सरकार)।

बैंकों के पास उपलब्ध आंकड़ें विनियमित एवं अविनियमित, दोनों ही प्रकार की संस्थाओं से विभिन्न सर्वेक्षणों और सांविधिक तथा गैर सांविधिक विवरणों के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं | सरकारी प्राधिकारी के नाते बैंक सार्वजनिक रूप से समग्र और उपयुक्त असहमत स्तर की जानकारी पब्लिक डोमेन में प्रसारित करते हैं जो समष्टि आर्थिक, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास की निगरानी के लिए उपयोगी है और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम,2005, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (धारा 43), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 28) और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार अन्य जानकारी भी उपलबंध कराते हैं। बदलते समय के साथ-साथ घरेलूओं की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) और उपभोक्ता विशवास सर्वेक्षण (सीसीएस) की इकाई स्तर डाटा भी उत्तरदाताओं की पहचान को उचित ढ़ग से छिपाकर शोधकर्ताओं और विश्लेषकों द्वारा इन डाटाओं का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए प्रकाशित करते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक विभिन्न डेटा प्रकाशनों के रूप में नियमित अंतरावाधियों में जानकारी का प्रसार करने के लिए हमेशा से ही प्रतिबद्ध रहा है |

- रिज़र्व बैंक बुलेटिन एक मासिक प्रकाशन है जिसमें महत्वपूर्ण आलेख, भाषण, और रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र से जुड़े आंकड़े तथा मुद्रा और बैंकिंग, सरकारी वित्त, वित्तीय बाज़ार, विदेशी क्षेत्र संबंधी आंकड़े शामिल होते हैं | बुलेटिन के सांख्यिकीय भाग में 40 से भी अधिक तालिकाएँ [टेबल्स] होती हैं
- साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपुरिका [डब्ल्यूएसएस] हर सप्ताह में जारी की जाती है जिसमें रिज़र्व बैंक तुलन पत्र, मौद्रिक सांख्यिकी, आरक्षित निधियों की स्थिति, वाणिज्यिक बैंकों का तुलन पत्र और महत्वपूर्ण दरों आदि संबंधी उच्च फ्रिक्वेंसी वाले सांख्यिकीय विवरण जारी किये जाते हैं |
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका एक वार्षिक प्रकाशन है | यह पुस्तिका दीर्घ समष्टि आर्थिक समय श्रृंखला के लिए एक ही स्थान पर सभी आंकड़ें उपलब्ध कराने का काम करती है | ये आंकड़ें 240 तालिकाओं में प्रस्तुत किये जाते हैं | यह भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भा.रि.बैंक डेटा बेस [डीबीआईई] के नाम में विशिष्ट वेब पोर्टल में उपलब्ध कराया गया रियल टाइम ऑनलाइन रूपांतरण भी है |
- आरबीआई भारतीय राज्यों और राज्य वित्त पर सांख्यिकी का हैंडबुकः बजट का अध्ययन वार्षिक प्रकाशनी भी प्रकाशित करता है|
    i. 'भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी का हैंडबुक' भारत के क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के सामूहिक-आर्थिक सूचकांको से संबंधित कई प्रकार की राज्य -दर की जानकारियाँ प्रदान करते हैं जैसे सामाजिक और जनांकिकीय विशेषताएँ, राज्य घरेलू उत्पाद, कृषि, उद्योग, आधारूत सुविधाएँ, बैंकिंग और राजकोषीय विकास।
    ii. 'राज्य वित्तः बजटों का अध्ययन' प्राथमिक राज्य स्तर डाटा के आधार पर राज्य सरकार के राजकोषीय स्थिति की जानकारी और विश्लेषण प्रदान करता है।

मौद्रिक सांख्यिकी :

रिज़र्व बैंक का जुलाई 1935 से ही आंकड़ों के संकलन और उनके प्रसार का बहुत लंबा इतिहास रहा है | मौद्रिक आंकड़ों के संकलन को नियमित आधार पर रिज़र्व बैंक के बहुत से प्रकाशनों में

प्रकाशित किया जाता है जैसे बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका भा.रि.बैंक बुलेटिन, साप्ताहिक सांख्यकी संपूरक , आदि | विभिन्न मौद्रिक और चलनिधि संबंधी आंकड़ों को भारत में समेकित किया जाता है और इन आंकड़ों के प्रकाशन के लिए मैनुअलों में उनकी परिभाषाएं दी जाती हैं | वर्तमान में मौद्रिक सांख्यिकी को तुलन पत्र के ढाँचे पर बैंकिंग क्षेत्र तथा डाक प्राधिकारियों से आंकड़े लेते हुए संकलित किया जाता है | मौद्रिक आंकड़ों के संकलन के पीछे जो तर्क और विश्लेषणात्मक आधार हैं उन्हें विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से, विशेषतः विभिन्न कार्यकारी दलों की रिपोर्टों के माध्यम से, जैसे मुद्रा आपूर्ति पर पहला कार्यकारी दल, [एफडब्ल्यूजी -1961], दूसरा कार्यकारी दल [एसडब्ल्यूजी - 1977], " और मुद्रा आपूर्ति पर कार्यकारी दल : संकलन का विश्लेषण और तौर तरीके " [डब्ल्यूजीएमएस] [अध्यक्ष :डॉ वाई वी रेड्डी -1998] जनता को उपलब्ध कराया जाता है |

बैंकिंग सांख्यिकी

भारत की बैंकिंग प्रणाली में वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, और भुगतान बैंक तथा छोटे वित्तीय बैंकों जैसी बैंकिंग की उभरती श्रेणियां शामिल हैं | भारतीय रिज़र्व बैंक मुख्यतः बैंकिंग सांख्यिकी का समेकन करता है और उसे प्रसारित करता है | देश की समूची बैंकिंग प्रणाली के समग्र परिदृश्य तैयार रखने की केंद्रीय बैंक की गतिविधि के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक विभिन्न सांविधिक तथा नियंत्रणात्मक [अर्थात गैर सांविधिक] विवरणियों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली के बारे में व्यापक आंकड़े इकट्ठा करता है | नियंत्रण [अथवा सांख्यिकीय] विवरणियों में बैंकिंग संबंधी जानकारी के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है, जैसे जमाराशियों और ऋण का स्थानीय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, आदि | कुछेक विवरणियों को अगर हम छोड़ दें तो, विभिन्न सांविधिक विवरणियों के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक में प्राप्त आंकड़ों का मुख्यत: आतंरिक स्तर पर ही उपयोग किया जाता है |

- हर अनुसूचित बैंक [वाणिज्यिक और सहकारी बैंक] को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 [2] के अनुसार रिपोर्ट किये जानेवाले शुक्रवारों को कारोबार बंद होने के समय भारत में अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के बारे में रिज़र्व बैंक को पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है|
- विवरणियों के आंकड़ें भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों में - साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक, [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए] हर पखवाड़े में और मासिक बुलेटिन में [सभी

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए और सभी अनुसूचित बैंकों के लिए] प्रकाशित किए जाते हैं |

तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे के बारे में पूरे ब्योरों के अनुसार बैंक वार आंकड़ें, जो बैंकों के लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्टों से लिए जाते हैं उन्हें " भारत में बैंकों से संबंधित स्टेटिस्टिकल टेबल्स " में प्रकाशित किया जाता है | ये सांविधिक विवरणियां बैंक- वार स्थिति को दर्शाती हैं |

भौगोलिक और अन्य आयामों के बारे में आंकड़ें जुटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक विभिन्न विवरणियों के एक सेट के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करता है जैसे, मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी [बीएसआर] | यह मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी [बीएसआर] बैंकिंग सांख्यिकी पर गठित समिति की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए वर्ष 1972 में लागू की गयी थी | इस प्रणाली को युनिफॉर्म बैलंस बुक [यूबीबी] नामक पूर्ववर्ती प्रणाली से अपनाया गया था जिसे राष्ट्रीय ऋण परिषद के गठन के परिप्रेक्ष्य में बैंक के ऋण का हर क्षेत्र और इलाके में [सेक्टरल और रीजनल] उपलब्ध विस्तृत और एकदम अद्यतन चित्र प्रदान करने के लिए अपनाया गया था |

- वार्षिक प्रकाशनी भारत के अनुसूचित बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी उधारकर्ता श्रेणी, कब्ज़ा/कार्य और संगठनात्मक क्षेत्र, खाता प्रकार और ब्याज दर की जानकारी प्रस्तुत करते हैं |
- सभी एससीबी के लिए तिमाही आधार पर ये जानकारी प्रकाशित की जाती है। (आरआरबी के अलावा)
- वार्षिक बीएसआर-2 विवरणी जमाराशियों के विभिन्न आयामों से संबंधित विस्तृत जानकारी इकट्ठा करता है (उनकी संरचना और स्वामित्व प्रतिरूप सहित जो 2018 बीएसआर - 4 सर्वेक्षण के माध्यम से अलग से इकट्ठा किए जाते थे)।
- बीएसआर - 7 प्रणाली के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेश (यूटी), जिला, केंद्र, जनसंख्या समूह और बैंक समूह द्वारा वर्गीकृत किए गए प्रकार से अलग किए गए सकल बैंक ऋण और सकल जमाराशियों पर तत्काल सांख्यिकी संदर्भ दिनांक से दो माह के भीतर तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी [आईबीएस] के अंतर्गत वैश्विक वित्तीय अंतर संबंधों [इंटर लिंकेजेस] का अध्ययन करने के लिए बैंकिंग प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय दावों और देयताओं के बारे में ब्योरे वार जानकारी इकट्ठा की जाती है | यह आईबीएस प्रणाली बैंकों की विदेशी / अंतर्राष्ट्रीय देयताओं के बारे में [जैसे निवासियों को विदेशी मुद्रा के ऋण, इस समय उपलब्ध विदेशी मुद्रा, अनिवासियों को दिए गए ऋण विदेशों में किये गये निवेश अदि] और [क] किसी भी मुद्रा में अनिवासी और [ख] विदेशी मुद्रा में निवासियों के मुकाबले दावों के बारे में जानकारी [जैसे एन आर ई जमाराशियां / विदेशी मुद्रा में लिए गए उधार, बैंक द्वारा जारी किये गए बांड आदि] इकट्ठा करती है / उसका समेकन करती है / ऐसी जानकारी प्रदान करती है |

भारतीय रिज़र्व बैंक डी बी आई ई के माध्यम से भारत के आई बी एस पर समेकित आंकड़ें प्रकाशित करता है और उपयोगकर्ताओं द्वारा संबंधित प्रकाशनी से इन पूर्व फोरमेटेड तालिका को स्प्रेडशीट/ पीडीएफ रूप में उपयोग कर सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 1972 से भारत में मौजूद सभी बैंक शाखाओं/कार्यालयों/गैर-प्रशासनिक स्वतंत्र कार्यालयों (एनएआईओ) (पहले मास्टर ऑफिस फाइल [एमओएफ] प्रणाली के नाम से जाना जाता था) निदेशिका बनाए रखा है | शाखा लाइसेंसिंग और वित्तीय समावेशन नीति और साथ ही अतिरिक्त आयामों / विशेषताओं को प्रयाप्त रूप से समाहित करने के उददेश्य से एमओएफ प्रणाली के विरासत को जून 2019 से व्यापक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) से प्रतिस्थापित किया। यह प्रणाली जमाराशियां, ऋण आदि के बारे में आंकड़ों को जोड़ते हुए एक धुरी के रूप में काम करती है ताकि बैंकिंग की विभिन्न प्रकार की और बहु आयामी सांख्यिकी के आंकड़े तैयार किये जा सके | आम नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डीबीआईई पोर्टल के माध्यम से "ब्रांच लोकेटर " सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी है |

विदेशी क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी :

रिज़र्व बैंक द्वारा संकलित और प्रसारित की जाने वाली विदेशी क्षेत्र की सांख्यिकी में भुगतान शेष [बीओपी], विदेशी ऋण, विदेशी निवेश के आगमन के प्रवाह, एनआरआई जमाराशियां, अंतर्राष्ट्रीय

निवेश की स्थिति, विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियां आदि शामिल हैं | इनमें से हर एक घटक के बारे में अंतर्राष्ट्रीय आदर्श प्रथाओं का अनुपालन करते हुए [विशेषत: आईएमएफ का भुगतान शेष और अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति - छठा संस्करण (बीपीएम 6)] आंकडें इकट्ठा किये जाते हैं | भुगतान शेष सांख्यिकी तैयार करने के लिए वेब आधारित विदेशी विनिमय लेन-देन इलक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग (एफईटीईआरएस) प्राधिकृत व्यापारियों से राज्य में हुए सभी विदेशी विनिमय बिक्री/खरीदी लेन-देन संबंधी प्रयोजन-वार आंकड़े इकट्ठा करते हैं। [क] बाह्य वाणिज्यिक उधार [ईसीबी] और [ख] अनिवासी जमाराशियों [अनिवासी जमाराशियां - समेकित एकल विवरणी एनआरडी - सीएसआर] के कुल प्रवाहों और स्टॉक को समर्पित प्रणाली के अंतर्गत बनाए रखा जाता है और उसे भुगतान शेष [बीओपी] तथा विदेशी ऋण की सांख्यिकी के संकलन के लिए उपयोग में लाया जाता है |

'भारतीय कंपनियों की विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों की [एफएलए] वार्षिक गणना ' का आईएमएफ के समन्वित प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण [सीडीआईएस]और समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण [सीपीआईएस] सुचारू बनाने के प्रयोजन से आयोजन किया जाता है | यह सर्वेक्षण प्रत्यक्ष निवेशों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोगों पर ध्यान केंद्रित करता है तथा साथ ही, उसमें वैश्विक निर्धारणों के अनुसार विदेशों से जुड़े व्यापार के आंकड़ें [एफएटीएस] भी शामिल होते हैं | कंपनियों के मानकीकृत वित्तीय मापदंडों के बारे में आईएमएफ द्वारा निर्धारित व्यापक टेम्प्लेट में वेब-आधारित विदेशी देयताएं और परिसंपत्तियां सूचना रिपोर्टिंग (एफएलएआईआर) पोर्टल के माध्यम से जानकारी इकठ्ठा की जाती है।

भुगतान शेष [बीओपी] सकल स्तर के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है जिन्हें हमेशा अतिरिक्त आयामों पर जानकारी के सर्वेक्षणों के माध्यम से समर्थन प्रदान करने की जरूरत होती है | चूंकि सॉफ्टवेयर से संबंधित निर्यात और विदेशों में स्थित बैंकिंग सेवाएं और विदेशी तकनीकी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इसलिए रिज़र्व बैंक ' बैंकिंग सेवाओं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटीई एस / बीपीओ सेवाओं का निर्यात तथा म्युच्युअल फंड कंपनियों की विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों [सभी वार्षिक आधार पर] और विदेशी सहयोग सर्वेक्षण [दो वर्ष में एक बार] आयोजित करता है | इन सर्वेक्षणों के नतीजों को बैंक की वेबसाइट पर डालते हुए प्रसारित किया जाता है | साथ ही, इसी पर आधारित आलेखों को बुलेटिन में भी प्रकाशित किया जाता है | आरबीआई अंतरराष्ट्रीय

रिपोर्टिंग प्रणाली (आईटीआरएस) को जानकारी का मूलभूत स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए मासिक आधार पर आईएमएफ परिभाषा के अनुसरण में विदेशी निवेश प्रवाहों को रिपोर्ट करता है।

अनिवासी भारतीयों को [एनआरआई] विशेष जमाराशि योजना के अंतर्गत रुपया मूल्यवर्गित और विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित दोनों ही प्रकार के बैंक खाते भारत में बनाए रखने की अनुमति प्रदान की गयी है | ऐसी जमाराशियों को अनिवासी जमाराशियां कहा जाता है | वर्तमान में विदेशी मुद्रा अनिवासी [बैंक] (एफसीएनआरबी) अनिवासी विदेशी [एन आर ई] और अनिवासी [एनआरओ] प्रकार के खातों के संबंध में जानकारी इकट्ठा करते हुए उसे आरबीआई द्वारा प्रसारित किया जाता है |

भारतीय रिज़र्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष [आईएमएफ] का एक सदस्य होने के नाते उसे सांविधिक और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व निभाने के लिए विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के बारे में आकड़ों को प्रसारण करना होता है | विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं : i] विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियां [एफसीए] , ii] सोना, iii] विशेष आहरण अधिकार [एसडीआर] और iv] आईएमएफ [आरटीपी] में रिज़र्व भाग की स्थिति | साथ ही, रिज़र्व बैंक भी विदेशी मुद्रा बाज़ार से संबंधित जानकारी, जैसे विदेशी मुद्रा की दरें जिनमें प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरें भी शामिल हैं, मासिक बाज़ार टर्न ओवर और रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री के बारे में मासिक विवरण आदि शामिल है प्रकाशित करता रहता है |

कॉर्पोरेट सांख्यिकी

उपरोल्लिखित बैंकिंग और विदेशी क्षेत्र की सांख्यिकी के अलावा रिज़र्व बैंक गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों के बारे में और गैर सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय और निवेश कंपनियों के बारे में कॉर्पोरेट सांख्यिकी के आंकड़ों का समेकन करता है और उसे प्रसारित करता है | कॉर्पोरेट सांख्यिकी में बारे में आंकड़ों के स्रोतों में कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये गए लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों को शामिल किया जाता है | जो कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय [एमसीए] की एमसीए-21 प्रणाली पर कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये गए आंकड़ों पर निर्भर करता रहा है जिसमें दो पारस्परिक विशिष्ट प्रणालियों को शामिल किया गया है, जैसे विस्तार योग्य कारोबार रिपोर्टिंग

प्रणाली [एक्सबीआरएल] और फॉर्म एओसी -4 [गैर एक्सबीआरएल] प्लेटफॉर्म, | एक्सबीआरएल आधारित प्रणाली के अंतर्गत सभी अनुसूचित कंपनियां और जिनकी चुकता पूंजी / टर्नओवर न्यूनतम सीमा से अधिक है ऐसी अनुसूचित न की गयी कंपनियां [पीयूसी] अपने पूरे वार्षिक लेखे प्रस्तुत करती हैं | जबकि शेष कंपनियां अपने आंकड़ें फॉर्म एओसी -4 प्रणाली के माध्यम से कुछ चुने हुए वेरिएबल्स पर प्रस्तुत करती हैं |

कॉर्पोरेट डेटाबेस के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्यनिष्पादन पर नियमित रूप से अध्ययन आयोजित करवाता है और उसे अपने बुलेटिन में प्रकाशित करता है | इन अध्ययनों में विश्लेषणात्मक इनपुट प्रस्तुत करने के अलावा समेकित तुलन पत्र, लगभग तीन लाख गैर सरकारी कंपनियों के लाभ-हानि लेखों को भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस [डीबीआईई] के माध्यम से भा.रि.बैंक की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है | रिज़र्व बैंक के कॉर्पोरेट अध्ययनों में प्रदर्शित किये गए आंकड़ें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के बचत और पूंजी के अनुमान लगाने के लिए उपयोग में लाये जाते हैं | | कॉर्पोरेट सांख्यिकी वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों के लिए एवं मौद्रिक नीति के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के काम आती है| अनुरोध किये जाने पर कुछ चुनिंदा कंपनी स्तर के तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखों के मानदंड अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाविदों के बीच कॉर्पोरेट क्षेत्र के बारे में अनुसंधान करने के लिए साझा किये जाते हैं |

निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की परियोजनाओं के प्रस्तावों की चरणबद्ध योजनाओं के आधार पर [अनुमान पर आधारित] उनके द्वारा किन उद्देश्यों के लिए निवेश किया जा रहा है, इसके संबंध में आंकड़ें उन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये जाते हैं जो उन परियोजनाओं के वित्तपोषण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और नियमित रूप से इसका विश्लेषण किया जाता है।

भारत में उपलब्ध वर्तमान ऋण सूचना प्रणाली को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था के ऋण संस्कृति को सशक्त करने क उद्देश्य से आरबीआई एक पब्लिक क्रेडिट रेजिस्ट्री (पीसीआर), एक चरणबद्ध तरीके में प्रामणिक ग्रान्यूलर क्रेडिट जानकारी डाटाबेस की व्यापक डिजिटल रेजिस्ट्री विकसित करने के लिए विचार कर रहा है। संक्षिप्त में, कई हिताधारकों तक पहुँच प्रदान करने और वर्तमान क्रेडिट

जानकारी पारिस्थितिक तंत्र को समृद्ध करने के लिए पीसीआर वित्तीय जानकारी आधार संरचना का कार्य करेगा।

मौद्रिक नीति सर्वेक्षण

जहां आंकड़ों के प्रमुख भाग का संकलन सांविधिक अथवा नियंत्रण विवरणियों के माध्यम से किया जाता है, वहीं वित्तीय स्थिति में उपलब्ध अंतराल, अर्थव्यवस्था के कार्यनिष्पादन के बारे में व्यक्तिगत / उद्योग जगत की सोच और उससे जुड़ी अन्य जानकारी सुनियोजित सर्वेक्षणों के माध्यम से इकट्ठा की जाती है | मौद्रिक नीति के अंतरण में स्थित सुपरिचित अंतराल, बढ़ते हुए वैश्वीकरण और घरेलू वित्तीय प्रणाली के अधिकाधिक उदारीकरण के चलते तत्काल और भविष्योन्मुख जानकारी का महत्व बहुत बढ़ गया है | मौद्रिक नीति समिति इन घरेलू और उद्यमों के सर्वेक्षणों के नतीजों की समीक्षा करती है ताकि ग्राहकों के आत्मविश्वास, घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र का कार्य निष्पादन, ऋण की स्थिति, उद्योग, सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में दृष्टिकोण, उद्योग जगत के संगठनों से मिलने वाला फीड बैक और पेशेवर अनुमानकर्ताओं द्वारा किये गए अनुमानों का अंदाजा लगाया जा सके | मौद्रिक नीति बनाते समय उपयोग में लाई गयी ऐसी जानकारी मौद्रिक नीति समिति के संकल्प के तत्काल बाद निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी डोमेन में डाली जाती है |

समष्टि आर्थिक संकेतकों पर पेशेवर अनुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण

भविष्योन्मुखी समष्टि आर्थिक नीति के लिए आर्थिक अनुमान लगाना एक पूर्व निर्धारित आवश्यकता है | समष्टि आर्थिक संकेतकों के बारे में अनुमान, जैसे उत्पादन में वृद्धि, मुद्रास्फीति, और ब्याज दर, न केवल किसी केंद्रीय बैंक के लिए बल्कि सरकार, निजी कारोबारी, और वैयक्तिक घर गृहस्थी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं | आतंरिक विश्लेषण और समष्टि आर्थिक पूर्वानुमान की कवायद को समर्थन देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक पेशेवर अनुमानकर्ताओं का [एसपीएफ] सितंबर 2007 से सर्वेक्षण करता रहा है | ये पेशेवर अनुमानकर्ता [एसपीएफ] वृद्धि, मुद्रास्फीति, बैंकिंग क्षेत्र के संकेतक, विदेशी क्षेत्र की कमजोरियां, आदि जैसे लगभग 20 अत्यधिक महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक संकेतकों के बारे में चालू वर्ष के लिए तथा अगले वर्ष के लिए भी पूर्वानुमान लगाते हैं |

औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण [आईओएस]

यह सर्वेक्षण मांग की स्थिति, वित्तीय स्थिति, रोजगार की स्थिति, कीमतों की स्थिति, और विदेशी खातों की स्थिति से संबंधित मापदंडों के सेट पर गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हुए चालू तिमाही के लिए कारोबार की भावनाओं के बारे में मूल्यांकन को और आगामी तिमाही के लिए अनुमानों को व्यक्त करता है | यह सर्वेक्षण 1998 से किया जा रहा है जिसमें अलग-अलग आकार की कंपनियां तथा अलग-अलग उद्योग समूह शामिल होते हैं जहाँ प्रतिभागिता स्वेच्छा से होती है |

आदेश बहियाँ, माल सूची, और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण

वर्ष 2008 से यह त्रैमासिक सर्वेक्षण भारतीय उत्पादन क्षेत्र के क्षमता उपयोग, आदेश बहियाँ, और माल सूची से संबंधित डाटा अंतराल को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। सर्वेक्षण नए आदेशों के वास्तविक मात्राओं, आदेशों के पिछले शेषों, लंबित आदेशों, कार्य प्रगति का ब्रेक-अप, और कुल इंवेटरियों में पूर्ण माल, और मूल्य अर्थात् स्थापित क्षमता इकट्ठा करते हैं। ये डाटा क्षमता उपयोगिता (सीयू) के संबंध में अनुमान प्रदान करते हैं।

मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण

मुद्रास्फीति प्रत्याशा से लोगों के आचरण प्रभावित होते है जैसे बचत और खरीदी शक्ति जिसका दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है | मुद्रास्फीति के अनुमान जहां एक तरफ मुद्रा, ब्याज दर, और कीमतों पर प्रभाव डाल सकते हैं वहीं दूसरी तरफ उनसे प्रभावित भी हो सकते हैं | भारतीय रिज़र्व बैंक परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा का सितंबर 2005 से सर्वेक्षण [आईईएसएच] करता रहा है | यह सर्वेक्षण अगले तीन महीनों में तथा अगले वर्ष के आसपास, जनता के अपने वैयक्तिक उपभोग के तरीके के आधार पर वर्तमान मुद्रास्फीति को लेकर उनके अपने अनुमानों के अतिरिक्त, कीमतों में [सामान्य कीमतों में और विशिष्ट उत्पाद समूहों की कीमतों में] होनेवाले अनुमानित बदलावों के बारे में प्राप्त गुणात्मक प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालता है | प्रतिक्रियाएं देनेवालों में वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारी, अन्य कर्मचारी, स्व-नियोजित व्यक्ति, गृहिणियां, सेवानिवृत्त व्यक्ति, दैनिक कर्मचारी और अन्य शामिल हैं,। द्विमासिक मौद्रिक नीति के साथ इस सर्वेक्षण की आवधिकता जुड़ी है। इस सर्वेक्षण का 18 शहरों में लगभग 6000 शहरी निवासियों के बीच किया जाता है।

उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण

ग्राहकों के आत्मविश्वास में यदि कोई बदलाव आता है तो उनमें कारोबारी भावनाओं में आनेवाले बदलावों के माध्यम से वास्तविक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने की क्षमता होती है | ग्राहकों के आत्मविश्वास का सर्वेक्षण वर्ष 2010 से किया जा रहा है ताकि आर्थिक स्थिति, कीमतें, रोजगार, वित्तीय स्थिति, और उनकी स्वयं की आमदनी, और चालू वर्ष के लिए किया जाने वाला व्यय तथा साथ ही आनेवाले वर्ष में होनेवाला अनुमानित व्यय आदि बातों पर ग्राहकों के बोध को समझा जा सके | यह सर्वेक्षण 13 शहरों में और लगभग 5400 लोगों को शामिल करते हुए किया जाता है और इसकी आवधिकता द्विमासिक मौद्रिक नीति से जुड़ी है।

तदर्थ सर्वेक्षण

भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक उभरते क्षेत्रों के डाटा गैप को भरने के लक्ष्य से नवीन सर्वेक्षण आयोजित करने और नई अर्थव्यवस्था क्षेत्र में गतिविधि और भावना को मापने के लिए बैंक आर्थिक एजेंटों के व्यवहार संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कई वन-टाइम सर्वेक्षण आयोजित करते हैं। इनमें शामिल हैः

- भारतीय स्टार्ट-अप क्षेत्र (एसआईएसएस) पर सर्वेक्षण, व्यापारवर्त, लाभप्रदता और कार्यबल से संबंधित आयाम सहित भारत में स्टार्ट-अप क्षेत्र का प्रोफाइल सृजित करना।
- नकद लेन-देन और कोरपोरेट्स और घरेलू द्वारा मांग में क्षेत्रीय परिवर्तन का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण
- डिजिटल भुगतान मार्गों पर विचार प्राप्त करने और भुगतान प्रणआली के विभिन्न आयामों के संबंध में ग्राहक आदतों को जानने के लिए व्यक्तियों के खुदरा भुगतान आदतों पर सर्वेक्षण।
- मंदन के परिप्रेक्ष्य में मांग और रोज़गार स्थिति और संभावनाओं का आकलन करने के लिए मोटर वाहन डीलरों का सर्वेक्षण।

सूचकांकों का संकलन और प्रचार

आवासीय कीमतों का सूचकांक

रियल एस्टेट गतिविधियों, क्रेडिट बाज़ार, घरेलू तुलन-पत्र आवासीय कीमतों में बदलाव से संबंधित है और अतः समष्टि आर्थिक नीति तथा वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। रिज़र्व बैंक 10 प्रमुख शहरों के लिए जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, बंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, कानपुर, और कोच्ची के लिए त्रैमासिक आधार पर आवासीय कीमतों के सूचकांक [एचपीआई] [आधार 2010-11 =100] का भी संकलन करता है | आवासीय कीमतों का सूचकांक [एचपीआई] संबंधित राज्य के पंजीकरण प्राधिकारियों से संपदाओं की कीमतों के लेन-देन के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित होता है | यह सूचकांक लास्पेयर्स कीमत सूचकांक के फार्मूले के आधार पर संकलित किया जाता है और बैंक की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है |

बैंकिंग सेवाएं कीमत सूचकांक (बीकेएसपीआई)

भारत में कारोबार सेवा कीमत सूचकांक (बीएसपीआई) के विकास पर भारत सरकार के विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष प्रो.सी.पी.चंद्रशेखर, 2007 अप्रैल को स्थापित) की सिफारिशों के अनुवर्तन में भारतीय रिज़र्व बैंक प्रयोगात्मक बैंकिग सेवाएं कीमत सूचकांक (बीकेएसपीआई) संकलित करता रहा है। बैंकिंग क्षेत्र द्वारा प्रदान सेवाओं को बृहत्तर रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे प्रत्यक्ष सेवाएं (उदा.शुल्क,कमीशन,ब्रोकरेज) और एफआईएसआईएम(जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं पर लागू दरों के बीच सीमांत के रूप में अनुमानित) - वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से मापे जाते हैं। वर्तमान में, लास्पेयर्स फोरमुला का प्रयोग करते हुए मासिक अंतराल में वर्ष 2011-12 को आधारभूत मानते हुए सूचकांक को संकलित किया जाता है और आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

अनुसंधान और विश्लेषणः

गुणात्मक अनुसंधान प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में, डीएसआईएम उन्नत पूर्वानुमानों और नवकास्टिंग तकनीकों का प्रयोग करते हुए मौद्रिक नीति मामलों में समष्टि आर्थिक संकेतकों और मीडिया भावना विश्लेषण का आकलन करते है विशेषकर बड़े डाटा विश्लेषणात्मकों, कृत्रिम बुद्धि और

मशीन लेर्निंग तकनीकों का प्रयोग करते हुए। मुद्रास्फीति और विकास के अंतर-विभागीय समूह (आईडीजी) के समग्र दायरे में समष्टि आर्थिक विकास पर नीति उन्मुख अनुसंधान जारी है। डाटा साइन्स लैब की स्थापना निगरानी और डोमैन विनिर्दिष्ट प्रारंभिक-चेतावनी पहचान क्षमता के लिए बड़े डाटा विश्लेषणात्मकों की शक्ति का प्रयोग करते हुए बैंक के संचालनात्मक कार्यों को सहयोग प्रदान करने के लिए किया गया है। अनुसंधान का समर्थन करने के लिए सूक्ष्म-स्तर डाटा तक सहज पहँच के लिए केंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली के तहत ग्रान्यूलर डाटा एक्सेस लैब (जीडीएएल) की स्थापना की जा रही है।

समन्वय और सूचना साझाकरण

- सूचना प्रचारित करने, आर्थिक और वित्तीय मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में सहयोग देने और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (एसएएआरसी) देशों के बीच सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से रिज़र्व बैंक द्वारा स्वचालित डाटा अद्यतन सुविधा युक्त एक समर्पित सार्कफिनान्स डाटाबैस (एसएफडीबी) पोर्टल का प्रबंध और डीबीआईई द्वारा होस्ट करता रहा। एसएफडीबी में दोनों, भारतीय मुद्रा और यूएस ड़ॉलर में क्रमशः समय क्रमानुसार डाटा क्षेत्र-वार और आवृत्ति-वार प्रस्तुत किया जाता है।
- डीएसआईएम सामयिक और आवधिक आधार पर सरकार और अन्य बाह्य एंजेन्सियों के साथ डाटाविनिमय का समन्वय करता है। बैंक नियमित आधार पर भिन्न आवृत्तन वाले 172 डाटा सीरिस विभिन्न डोमेन पर अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) को रिपोर्ट करता है। समानतः नियमित रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के लिए 'राष्ट्रीय तथ्य शीट ' अद्यतन किया गया था।
- डीएसआईएम कार्यालयीन सांख्यिकी में पद्धतिपरक और अन्य विकास की ओर, और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के समितियों/कामकाजी समूहों और सदस्यता में प्रतिभगिता के माध्यम से सूचना प्रबंध और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

हाल ही के वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्तर पर सूचना और सांख्यिकी अंतराल की उपलब्धता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है।डीएसआईएम, आरबीआई आईएमएफ,डी20, बीआईएस और एफएसबी जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से हमारे वित्तीय

सांख्यिकी को सशक्त करने और अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट कार्यप्रणाली को अपनाने के लिए जुड़ा हुआ है। विभाग, नीति आवश्यकता के लिए विश्वसनीय और सामयिक सांख्यिकी के नियमित संचयन और प्रचार को कार्यान्वित करने क उददेश्य से जी20 डाटा अंतराल पहलों (डीजीआई) द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी में, समन्वय करता है।

www.rbi.org.in

रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज महाविद्यालय, चेन्नई

359-360, अन्ना सलाई, तेनेमेटपेट, चेन्नई -600018